त्रयोदश माला, खंड 17, अंक 10

शुक्रवार, 3 अगस्त, 2001
12 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

FOR REFERNCE ONLY.

NOT TO BE ISSUED

52
6.2.2002

सातवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
वरिष्ठ सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 17, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)

अंक 10, शुक्रवार, 3 अगस्त, 2001/12 श्रावण, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 185	1-31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 186 से 200	31-51
अतारांकित प्रश्न संख्या 1857 से 2086	51-368
सभा पटल पर रखे गए पत्र	369-372
राज्य सभा से संदेश	372-373
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
अध्ययन दौरा संबंधी प्रतिवेदन	373
सभा का कार्य	373-378
भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यू.एस.-64 स्कीम से संबंधित मुद्दों पर संयुक्त संसदीय समिति के गठन के बारे में	378-382
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	378-379
श्री सोमनाथ चटर्जी	379
श्री माधवराव सिंधिया	380
श्री विजय गोयल	380
श्री प्रमोद महाजन	380-382
अन्तर्राज्यिक जल-विवाद (संशोधन) विधेयक	398-423
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	398-401
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	402-405
श्री रामजीलाल सुमन	406-408
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा	408-411
श्री गिरधारी लाल भार्गव	411-412
श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	412-413
श्री प्रबोध पण्डा	414-415
श्री के. पी. सिंह देव	415-417

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्री जे. एस. बराड़	417-419
श्री अर्जुन सेठी . .	419-421
खंड 2 से 8 और 1 . .	422
पारित करने के लिए प्रस्ताव .	422-423
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	
"शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति" द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यू.एस.-64 स्कीम से संबंधित मुद्दों पर विचार	405-406
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प	
लम्बित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन का आबंटन . .	423
श्री रामानन्द सिंह . . .	424-430
श्री अनादि साहू	430-435
श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	436-438
श्री खारबेल स्वाइं	438-442
श्रीमती श्यामा सिंह	442-446
श्री मंजय लाल	446-448
श्री गिरधारी लाल भार्गव	448-451
श्री बालकृष्ण चौहान	451-453
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	453-458
श्री आदि शंकर	458-464
श्री के. पी. सिंह देव	464-472
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	472-473
श्री अरूण शौरी .	473-478
आधे घंटे की चर्चा	
पिछड़े क्षेत्रों की पहचान	478
श्री अधीर चौधरी	478-482
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	482-483
श्री अनन्त नायक	483
प्रो. रासासिंह रावत	483
श्री अरूण शौरी	484-492

लोक सभा

शुक्रवार, 3 अगस्त, 2001/12 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में जो प्रतिकूल और अशोभनीय टिप्पणी की है उस पर मैंने निन्दा प्रस्ताव (सैंश्योर मोशन) पारित करने की प्रार्थना की है। मेरा आग्रह है कि उस पर बहस हो और उसे पारित किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, आपका नोटिस प्राप्त हो गया है और वह मेरे पास विचाराधीन है।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि उस पर विचार करके जल्दी वित्त मंत्री महोदय को बर्खास्त करने का उपाय होना चाहिए।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

काजू के मूल्यों में गिरावट

***181. श्री पी. राजेन्द्रन :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काजू के मूल्यों में गिरावट पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय दरों में कमी आने के कारण भारतीय काजू उद्योग को अनुमानतः कितनी हानि हुई है; और

(घ) सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण पाने और घरेलू काजू उद्योग को बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) वर्ष 2000–01 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काजू की औसत कीमत वसूली 5 अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. थी। इसकी तुलना में वर्ष 2001–02 की प्रथम तिमाही में औसत कीमत वसूली 4.42 अमरीकी डालर प्रति कि. ग्रा. रही है। कीमतों में यह गिरावट ब्राजील और वियतनाम में अधिक उत्पादन के कारण आई है। इसके अलावा, वर्ष 1999–2000 में काजू गिरी की प्रचलित उच्च कीमतों के मद्देनजर अन्य काष्ठ फलों के अन्य उत्पादक देशों ने अन्य गिरीदार फलों के उपयोग में भारी वृद्धि की है।

(घ) काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद द्वारा गुणवत्ता मानदंडों और पैकेजिंग प्रणाली में सुधार लाने के लिए लागू की गई मौजूदा योजनाओं से काजू गिरी के हमारे निर्यातों में वृद्धि करने में मदद मिली है। काजू प्रसंस्करणकर्त्ता उद्योगों को आधुनिकीकरण के लिए सहायता अनुदान दी जा रही है। निर्यात कीमतों में उतार–चढ़ाव को कम करने के लिए काजू उद्योग को ब्रांड संवर्द्धन, बाजार विकास और बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता उपलब्ध है।

श्री पी. राजेन्द्रन : महोदय, मेरे पहले अनुपूरक प्रश्न के दो भाग हैं। प्रथमतः, उत्तर में दर्शाया गया कीमत–स्तर सही नहीं है। वर्ष 1999–2000 के दौरान काजू की कीमत 6 अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. थी। उत्तर में इस बात की ओर इशारा किया गया है कि वर्ष 1999–2000 के दौरान कीमत का स्तर काफी ऊंचा था। यह सही नहीं है। 6 अमरीकी डालर का मतलब है, तीन कप चाय की कीमत। कीमत बहुत ऊंची नहीं थी। परन्तु वर्ष 2000–01 के दौरान कीमत घटकर 5 अमरीकी डालर हो गयी तथा इस वर्ष यह और भी घटकर 4 अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. से भी कम रह गयी है। कीमतों में 40 प्रतिशत की कमी हुई है। काजू उद्योग को हुई हानि को उत्तर में नहीं दर्शाया गया है। प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर बिल्कुल ही नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से आप संबंधित उत्तर की मांग कर सकते हैं।

श्री पी. राजेन्द्रन : अपने पहले अनुपूरक प्रश्न के दूसरे भाग में मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार काजू उद्योग तथा काजू उत्पादन के विकास हेतु उपलब्ध क्षमता के दोहन के लिए और इस उद्योग में लगे करीब पांच लाख कामगारों तथा पूरे भारत में करीब 10 लाख काजू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कौन से अल्पकालिक व दीर्घकालिक कदम उठाने जा रही है।

श्री मुरासोली मारन : मैं इस मुद्दे की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं। हम इस बात से पूरी तरह अवगत हैं। वर्ष 1999–2000 के दौरान निर्यात मूल्य 6.1 अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. था जो वस्तुतः ऊंचा था। उसके बाद कीमत में लगातार गिरावट आयी है। वर्ष 1996–97, 1997–98 तथा 1998–99 में यह क्रमशः 5.3, 4.3 और 5 अमरीकी डालर थी। 1999–2000 में जो असाधारण वर्ष रहा, काजू की कीमत बढ़कर 6.1 अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. हो गयी। 2000–2001 में यह कीमत घटकर 5 अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. हो गयी। औसतन यह कीमत सही लगती है।

मैं अप्रैल–जून, वर्ष 2000–2001 के अद्यतन आंकड़े दे रहा हूं जब कीमतें घटकर 4.42 अमरीकी डालर हो गयी। इसके बारे में हम भी परेशान हैं। इसके कई कारण हैं। हमारा प्रतिस्पर्धी वियतनाम बड़े जोर–शोर से अपने उत्पाद को बाजार में ला रहा है। इसलिए हम इसके सभी पहलुओं पर विचार करेंगे।

माननीय सदस्यों ने हानि के बारे में पूछा है। हानि की गणना करना अत्यंत कठिन है। यह पूर्णतः उत्पादन की लागत पर निर्भर करता है और अधिकांश हानि केवल अनुमान पर आधारित होती है।

जब उन्हें 6.1 डालर प्रति कि.ग्रा. मिल रहा था तब उन्होंने हम लोगों से बात करने की जहमत नहीं उठायी। स्वभावतः, किसानों को उत्पादन लागत में हानि नहीं हो रही होगी। जब तक उत्पादन लागत में हानि नहीं होगी तब तक हानि नहीं हो सकती। तथापि, हम स्थिति को सुधारने हेतु यथासंभव प्रयास करेंगे।

श्री पी. राजेन्द्रन : महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि वे अगले पांच सालों के लिए योजना तैयार करने हेतु एक कार्य बल का गठन करे जिसमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, कृषि विभाग, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, श्रम विभाग तथा गरीबी उपशमन और समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित हों।

यह आंकड़ा वास्तविक नहीं है। वर्ष 1999–2000 के दौरान निर्यात से हुई आमदनी 2,500 करोड़ रुपये थी। यह घट रही है। मैंने निर्यात में हुई हानि के बारे में पूछा है। वे कच्चे माल का आयात कर रहे हैं और उन्हें बढ़ी हुई कीमतें मिल रही हैं। हमें जो मिल रहा है, वे उससे अधिक पा रहे हैं। भारत सरकार इस समस्या के समाधान हेतु कुछ नहीं कर रही है। मैं इस समस्या पर विचार करने हेतु सरकार से अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें अनुरोध की कोई जरूरत नहीं।

श्री पी. राजेन्द्रन : मैं सरकार से कहता हूं कि वे अगले पांच वर्षों के लिए एक कार्य बल के गठन के प्रस्ताव पर विचार करे।

श्री मुरासोली मारन : महोदय, इस संदर्भ में पहले से ही दो अलग–अलग विभाग विद्यमान हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत निर्यात संवर्द्धन परिषद है और कृषि मंत्रालय के अधीन नारियल और काजू विकास निदेशालय है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काजू से संबंधित है। अनेक माननीय सदस्य अपने हाथ उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, ऐसा नहीं।

श्री मुरासोली मारन : इस समस्या से निपटने के लिए दो संगठन हैं। इन दो अलग–अलग विभागों की वजह से ही अनेक समस्याएं पैदा हुई हैं। काजू के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया है जिसके निदेश पद निम्नलिखित हैं–

> "देश में काजू के विकास संबंधी क्रिया–कलापों में समन्वय स्थापित करना; काजू उत्पादन को बढ़ाने हेतु विभिन्न अनुसंधान कार्यों की पहचान करना; और काजू का निर्यात बढ़ाने हेतु उपाय सुझाना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।"

निस्संदेह, माननीय सदस्य के सुझावों पर भी विचार किया जाएगा।

श्री के. मलयसामी : महोदय, आपने अपने उत्तर में कहा है कि ब्राजील और वियतनाम में काजू का उत्पादन अधिक

होने के कारण इसकी कीमतें गिरी हैं। आपने काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद का गठन किया है जिसका मूलभूत कार्य विपणन बढ़ाना तथा उसे प्रभावित करना है और संबंधित इच्छुक व्यक्तियों को समुचित सलाह देना है। यदि ऐसा है और आपके पास विभिन्न साधन उपलब्ध हैं तो क्या आप उत्पादकों व निर्यातकों को पहले से सचेत नहीं कर सकते कि ऐसी खराब स्थिति उत्पन्न होने वाली है।

द्वितीयतः, आपने कहा है कि प्रथम तिमाही में औसत कीमत वसूली 4.42 अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. रही है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मलयसामी, आपको मंत्री महोदय को सूचना देने की जरूरत नहीं है बल्कि आपको उनसे सूचनाएं प्राप्त करनी हैं।

श्री के. मलयसामी : आप अपने जवाब में यह बता सकते हैं कि प्रथम तिमाही में काजू की कीमत वसूली कितनी रही है।

जहां तक दूसरी तिमाही का सवाल है क्या कीमत और भी घटी है अथवा इसमें थोड़ी–बहुत बढ़ोत्तरी हुई है ?

श्री मुरासोली मारन : महोदय, वर्ष 1999–2000 हमारे लिए असाधारण वर्ष था उस अवधि के दौरान हम काजू निर्यात के क्षेत्र में विश्व में सबसे आगे थे। बाजार में हमारी हिस्सेदारी करीब 90 प्रतिशत थी। अब यह घटकर 65 प्रतिशत हो गयी है। कीमतों में हुई वृद्धि के कारण 1999–2000 के असाधारण साल की वजह से कई समस्याएं पैदा हो गयीं। वास्तविकता यह है कि अनेक देशों में काजू की विभिन्न किस्मों को आपस में मिला दिया जाता है।

श्री के. मलयसामी : क्या आप इस स्थिति का पूर्वानुमान करने में सक्षम थे?

श्री मुरासोली मारन : यदि हम विश्व की स्थिति का पूर्वानुमान लगा लेते तो ऐसा कुछ नहीं होता। किसी प्रकार की हानि नहीं हुई होती। प्रश्न यह है कि हम इसका पूर्वानुमान नहीं कर सके। वियतनाम पूरे जोर–शोर से विपणन कार्य में जुटा है। बाजार पर अधिकार का क्रम चक्रीय रूप से बदलता रहता है।

श्री के. मलयसामी : आप क्या करते रहे हैं?

श्री मुरासोली मारन : यह मामला पिछले तीन–चार साल से चल रहा है। वियतनाम ने पिछले तीसरे या चौथे साल बाजार में प्रवेश किया। हम परेशानियों का मुकाबला कर रहे हैं। हमारी समितियां और परिषदें इससे वाकिफ हैं।

श्री ए. सी. जोस : महोदय, मैं मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि वियतनाम पूरे जोर–शोर से काजू का विपणन कर रहा है। किन्तु मैं एक बात मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहूंगा कि सिर्फ केरल और तमिलनाडु के कामगारों द्वारा ही काजू की गिरी का अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है। अन्य सभी देशों ने इस संबंध में प्रयास किये हैं। जापान ने इलेक्ट्रानिक मशीनों द्वारा काजू गिरी के उत्पादन का प्रयास किया है और अफ्रीका ने भी कई बार प्रयास किया है। किन्तु सिर्फ हमारे कामगारों द्वारा ही काजू से पूरी की पूरी गिरी अलग की जा सकती है।

मेरे सहयोगी श्री राजेन्द्रन ने भी इसके बारे में जिक्र किया है। लेकिन समस्या यह है कि अब हमें इसे मूल्य वर्द्धित उत्पाद बनाना है। काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद, जिसका जिक्र मंत्री महोदय ने किया है, इस संदर्भ में नाममात्र का अथवा कुछ भी नहीं कर रही है। निस्संदेह, मंत्री महोदय ने इस पर समग्र रूप से दृष्टिकोण अपनाने हेतु अपनी सहमति दी है क्योंकि खेती एक प्रमुख कार्य है। अतएव हमें काजू की खेती पर बल देना है।

मेरा प्रश्न है कि क्या मंत्री महोदय काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद को इस क्षेत्र में सक्रिय बनाने तथा यह पता लगाने हेतु सशक्त बनायेंगे कि भारत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन–किन मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन और विपणन किया जा सकता है?

श्री मुरासोली मारन : महोदय, काजू निर्यात भारत से किए जाने वाले सर्वाधिक निर्यातों में से एक है। इस क्षेत्र में केरल ही सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। केरल में बेहतरीन गुणवत्ता वाले काजू का उत्पादन होता है परन्तु क्षमतावार काजू का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। उसके बाद केरल का स्थान है।

श्री ए. सी. जोस : महोदय, में उत्पादन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गिरी के बारे में बोल रहा हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि महाराष्ट्र काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है।

श्री मुरासोली मारन : निर्यात संवर्द्धन परिषद काजू–प्रसंस्करण कारखानों का आधुनिकीकरण करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है क्योंकि तापन–प्रक्रिया अब ओवन के जरिये की जाती है जो अच्छी नहीं है। इससे गिरी खराब हो जाती है। यह प्रक्रिया भाप के द्वारा होनी चाहिए। इसीलिए यह सरकार प्रौद्योगिकी अंतरण, प्रसंस्करण, उन्नयन और पैकेजिंग प्रणाली के लिए भी सहायता कर रही है। हम विदेशी व्यापार मेलों का भी आयोजन कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त बिक्री–सह–अध्ययन दौरों के लिए भी सहायता की जाती है और वर्षों से हम महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना कार्यक्रम के अन्तर्गत किलोन स्थित निर्यात संवर्द्धन परिषद प्रयोगशाला के तकनीकी प्रभाग के लिए भारी धनराशि दे रहे हैं। हम ये सभी प्रयास कर रहे हैं।

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, अब काजू का उत्पादन सारे देश में किया जा रहा है और यहां तक कि हाल ही के वर्षों में आंध्र प्रदेश भी भारी मात्रा में काजू का उत्पादन कर रहा है। भारत सरकार काजू संवर्द्धन विकास परिषद को अनुदान सहायता के रूप में पर्याप्त मदद प्रदान कर रही है। परन्तु समस्या यह है कि निम्न स्तर पर लोगों तक यह मदद नहीं पहुंच रही है।

अब, विश्व–परिदृश्य ने सभी बाजारों को एक बाजार में बदल दिया है। अतः वियतनाम और ब्राजील से प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमें आधुनिकीकरण और पैकेजिंग इत्यादि के लिए उत्पादकों को पर्याप्त प्रोत्साहन देना पड़ेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार आधुनिकीकरण हेतु इस बजट में कितना सहायता अनुदान प्रदान कर रही है और यदि यह पर्याप्त नहीं है तो क्या सरकार बजट में इसमें वृद्धि करने के लिए तैयार है?

श्री मुरासोली मारन : महोदय, कृषि मंत्रालय के अधीन कोकोआ और काजू विकास निदेशालय द्वारा पर्याप्त धनराशि खर्च की जा रही है। वे नौवीं योजना के दौरान लगभग 76 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, उसमें से 70 करोड़ रुपये केवल काजू के लिए व्यय किए गए हैं। परन्तु महत्वपूर्ण बात ब्राण्ड–निर्माण से संबंधित है। समुद्री उत्पादों के लिए हमने अमरीका से दो ब्राण्ड खरीदे हैं और उन्हीं के अंतर्गत हम केरल से निर्यात कर रहे हैं। अतः, ब्राण्ड तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस मामले में हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। यदि हम अपने निर्यातों में सुधार कर सकें तो उसके लिए धनराशि व्यय करने में कोई आपत्ति नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादन में गिरावट

+

***182. श्रीमती श्यामा सिंह :**

श्री दिन्शा पटेल :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 मई, 2001 के 'दि स्टेट्समैन' में 'मेजर पी एस यूज आउटपुट डिप्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या वर्ष 2000–01 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समग्र रूप से उत्पादन वृद्धि में भारी गिरावट आयी है;

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की उत्पादन वृद्धि में भारी रिगावट के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं; और

(ङ) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की उत्पादन वृद्धि के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रकाशित समाचार का संबंध भारी उद्योग विभाग (डी एच आई) के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों की उत्पादन वृद्धि में 2000–2001 के दौरान हो रही गिरावट से है। भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने वर्ष 1999–2000 में प्राप्त 11240 करोड़ रुपये के उत्पादन की तुलना में वर्ष 2000–2001 में 11175 करोड़ रुपये का कुल उत्पादन प्राप्त किया है जिसमें 0.57% की मार्जिनल गिरावट हुई है।

(घ) उत्पादन में गिरावट के आधारभूत कारणों में कार्यशील पूंजी की कमी, क्रयादेशों की कमी, पुरानी प्रौद्योगिकी तथा अत्यधिक जनशक्ति सहित अनेक कारणों के चलते उत्पादन की उच्च लागत का होना रहा है। सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के बारे में जिनमें तेजी से गिरावट आई है, यह उल्लेखनीय है कि माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन (एमएएमसी), टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल), सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) तथा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (एचईसी) रुग्ण कंपनियां हैं तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के संदर्भाधीन हैं। बीआईएफआर ने पहले ही एमएएमसी को बंद करने का

आदेश दे दिया है। टीसीआईएल की टांगड़ा यूनिट को बंद करने की अनुमति दे दी गई है। सीसीआई की अधिकांश यूनिटें प्रचालन में नहीं हैं। एचएमटी में सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज को लागू करने की प्रक्रिया में है।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार के प्रयासों में जहां आवश्यक है वहां वित्तीय पुनर्संरचना करना, सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के संबंध में बीआईएफआर के जरिए दीर्घावधि जैव्यता में सुधार लाने के लिए पुनरुद्धार योजनाओं का कार्यान्वयन करना तथा अन्यों के संबंध में स्वतंत्र रूप से पुनरुद्धार करना शामिल है। सरकार बाधाओं को दूर करने, तत्काल नवीकरण/प्रतिस्थापन आदि के लिए निवेश करने हेतु वित्तीय सहायता तथा जनशक्ति के युक्तिकरण के लिए गैर-योजना सहायता भी देती है। सरकार क्रयादेश प्राप्त करने तथा बकायों की वसूली करने में भी मदद करती है।

श्रीमती श्यामा सिंह : क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि बहुत से मामलों में कम उत्पादन का कारण यह है कि सरकार पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास उपलब्ध अतिरिक्त संसाधनों को उनके आधुनिकीकरण और उन्नयन सुविधाओं पर लगाने के बजाय अन्यत्र लगाने का दबाव है जिसके चलते आधुनिकीकरण के लिए बहुत कम धनराशि बची है?

श्री मनोहर जोशी : माननीय सदस्य की यह बात ठीक है कि सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास कार्यशील पूंजी की कमी है परन्तु साथ ही इसका कारण केवल यही नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम संकट में हैं। मेरे विचार से माननीय सदस्य द्वारा दिया गया यह तर्क ठीक नहीं है कि अन्यत्र लगाने के लिए उनसे धनराशि ली जा रही है। अपितु अन्य अनेक कारणों से उनकी परेशानियां उत्पन्न हुई हैं।

उदाहरणार्थ, उदारीकरण के पश्चात् विपणन महत्वपूर्ण हो गया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में भी हम यह पाते हैं कि मशीनरी पुरानी हो गई है। अतः नई मशीनरी लाने की आवश्यकता है। पहले सभी उपक्रमों में अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती की गई थी। आधुनिकीकरण के लिए धनराशि की कमी और अतिरिक्त स्टाफ इत्यादि जैसे अनेक कारण हैं। अतः, ये उपक्रम परेशानी में हैं परंतु यह कहना ठीक नहीं है कि धनराशि अन्यत्र लगाई जा रही है।

श्रीमती श्यामा सिंह : क्या यह सच नहीं है कि इनमें से अधिकांश सरकारी उपक्रम उच्च स्तर के कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति करने में सरकार की असमर्थता और इन कंपनियों में प्रबंधन विशेषज्ञों के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति के कारण अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहे हैं? साथ ही, उत्पादन का पुनर्गठन करने में प्रबंधन की असमर्थता के कारण इन उपक्रमों का उत्पादन कम हो रहा है?

श्री मनोहर जोशी : यह सच है कि कुछ मामलों में कुछ पद रिक्त पड़े हैं?...*(व्यवधान)*

श्री ए. सी. जोस : ऐसे बहुत से मामले हैं।

श्री मनोहर जोशी : मैं यह बताना चाहता हूं कि रिक्तियां होने से छह महीने पूर्व, हम उस समिति को सूचित कर देते हैं, जो भर्ती करने के लिए प्राधिकृत है। ऐसा नहीं है कि सरकार उचित ध्यान नहीं दे रही है। परंतु साक्षात्कार के समय यदि कोई योग्य उम्मीदवार न हो, तो साक्षात्कार का दुबारा आयोजन किया जाता है। ऐसा केवल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में ही नहीं होता है, निजी क्षेत्र में भी ऐसा ही हो रहा है...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, यह सच नहीं है। यह प्रबंधन की समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह सच नहीं है तो क्या माननीय मंत्री के भाषण में व्यवधान डालने का यह कोई तरीका है?

(व्यवधान)

श्री मनोहर जोशी : कभी-कभी प्रक्रियात्मक विलंब हो सकता है परंतु जहां तक मेरे विभाग का संबंध है वहां स्थिति यह है कि केवल चार-पांच मामलों में मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। मैं भारी उद्योग विभाग और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में बोल रहा हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार इन रिक्तियों को यथासंभव शीघ्र भर रही है। अतः, सिर्फ यही कारण नहीं है। कुछ मामलों में अक्षमता भी इसका कारण है...*(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह : ऐसी 19 कंपनियां हैं।

[हिन्दी]

श्री दिन्शा पटेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने गिरावट को स्वीकार किया है कि .57 प्रतिशत गिरावट आई है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रौफिटेबल यूनिट्स कितनी हैं और नॉन-प्रौफिटेबल यूनिट्स कितनी हैं और कितनी पूंजी की जगह है और कर्मचारी ज्यादा थे, ऐसी बात

भी थी। तो कर्मचारी ज्यादा हैं, उसके लिए वीआरएस स्कीम बनाई हुई है। वीआरएस स्कीम में स्किल्ड लेबर तो वीआरएस का उपयोग करते हैं लेकिन जो अनस्किल्ड लेबर हैं, क्या वीआरएस में उनके लिए भी कोई आकर्षक योजना बनाई गई है और यदि बनाई गई है तो क्या बनाई गई है?

[अनुवाद]

श्री मनोहर जोशी : मेरे पास विशेष रूप से मेरे विभाग की जानकारी है, जो मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि उन्होंने इस विभाग के बारे में एक सामान्य प्रश्न किया है।

माननीय सदस्य ने घाटे के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की है। वर्ष 2000–2001 में 1,202.31 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था और 2001–2002 में इसके 1,046.85 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

मैंने अतिरिक्त स्टाफ के बारे में उल्लेख किया। माननीय सदस्य मुझसे स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति योजना के बारे में भी जानना चाहते हैं। इस मामले में मैं यह कहना चाहता हूं कि गत वर्ष इसमें सुधार किया गया था। पहले जब कुछ कंपनियों को बंद किया जाता था तो उस समय एक वर्ष के लिए उन्हें 15 दिन का वेतन दिया जाता था। अब उस प्रतिशत को बढ़ा दिया गया है और 45 दिन का वेतन दिया जा रहा है। इस प्रकार, जो लोग स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति लेना चाहते हैं, उन्हें संतुष्ट करने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। परंतु सरकार आमतौर पर कामगारों को हटाना नहीं चाहती। हम यह नहीं चाहते कि वे इस योजना को अपनायें। जहां कहीं संभव है हम उन्हें पुनर्नियोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं जैसाकि माननीय सदस्य ने मुझसे पूछा है, कि जहां कहीं संभव है वहां सरकार की नीति पुनर्गठन की है। पुनर्गठन करते समय कई बार कामगारों की संख्या कम करना अनिवार्य हो जाता है।

श्री एम. मास्टर मथान : अध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से भारी उद्योग मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

नीलगिरी की पहाड़ियों में हिन्दुस्तान फोटो फिलम्स के नाम से एक अनुपम उद्योग है। यह केवल नीलगिरी की पहाड़ियों के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत के लिए भी अनुपम है। समय पर सरकारी सहायता न मिलने के कारण पिछले दस वर्षों से यह संकट से गुजर रहा है। माननीय मंत्री ने भी वहां का दौरा किया है। अब तक, इस उद्योग का समुचित रूप से पुनरुद्धार नहीं किया गया है। अतः मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में उनका क्या विचार है। हमने इस मामले को माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और भारी उद्योग मंत्री के साथ भी उठाया है। परन्तु अभी तक उचित कार्यवाही नहीं की गई है और इस उद्योग के पुनरुद्धार के लिए एकमुश्त वित्त सहायता नहीं दी गई है। माननीय भारी उद्योग मंत्री यह स्पष्ट कर सकते हैं कि वह इस उद्योग के लिए क्या करने जा रहे हैं।

श्री मनोहर जोशी : महोदय, एच.पी.एफ. तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण संगठन है। माननीय सदस्य अक्सर इस कंपनी के बारे में मुझसे बात करते हैं। मैं स्वयं भी इस कंपनी में गया हूं। परंतु यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस कंपनी में वर्ष 1999–2000 में 278 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और वर्ष 2000–2001 में 308.93 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। यह कंपनी लंबे समय से घाटे में चल रही है। इस कंपनी का पुनर्गठन करने के मामले में महत्वपूर्ण पहलू केवल यही है कि यह महत्वपूर्ण उत्पादन कंपनी है और रक्षा संबंधी उत्पादन में भी कुछ सीमा तक इसकी आवश्यकता है। इसलिए हम लंबे समय से संयुक्त उद्यम सहभागी के लिए प्रयास कर रहे थे, जैसाकि माननीय सदस्य को जानकारी है। परंतु दुर्भाग्य से, जब कभी भी इसके लिए हमने प्रयास किया, हम सफल नहीं हो पाए और जब तक संयुक्त भागीदार नहीं मिलता तब तक इस कंपनी का पुनर्गठन मुश्किल है। अतः, एक संयुक्त भागीदार के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड केवल एककों को बंद करने का आदेश जारी करता है। वैकल्पिक पैकेज देने में इसने कभी सक्रियता नहीं दिखाई है। अभी–अभी हिन्दुस्तान फोटो फिलम्स के मामले का जिक्र किया गया है। यदि बी.आई.एफ.आर. यह पैकेज दे कि देश के सभी अस्पतालों के लिए एक्सरे–फिल्मों का निर्माण हिन्दुस्तान फोटो फिलम्स करेगा, जिसके बाजार पर अग्फा, कोनिका और कोडक फिलम्स का कब्जा है, तो इसका पुनरुद्धार किया जा सकता है। इन्दु फिल्म कंपनी कभी हमारे देश की सबसे अधिक प्रसिद्ध कंपनी थी परन्तु वे कोई प्रस्ताव नहीं दे रहे हैं, मैंने हाल ही में ऊटी स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिलम्स का भी दौरा किया है।

मैं यहां किसलिए बोल रहा हूं? मैं यहां भारत टायर निगम की टांगड़ा इकाई के लिए बोल रहा हूं, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र कलकत्ता में है।

भारत टायर निगम लि. की दो इकाइयां हैं—एक इकाई

घाटे में चल रही है और दूसरी इकाई लाभार्जित कर रही है। मजदूर–संघों के साथ मैं कई बार माननीय मंत्री से मिला हूं। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी माननीय मंत्री से भेंट की है। यह एक छोटी सी इकाई है और इसके पुनरुद्धार के लिए बहुत थोड़ी धनराशि की आवश्यकता है। माननीय मंत्री ने हमें लगभग यह आश्वासन दिया है कि भारत टायर निगम लि. की टांगड़ा इकाई का पुनरुद्धार किया जायेगा। जहां तक टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की टांडरा यूनिट को बंद करने का संबंध है, मैं केवल उस विशेष प्रस्ताव के बारे में जानना चाहता हूं जो बी.आई.एफ.आर. ने भेजा है और इस पुनरुद्धार पैकेज के लिए कितनी धनराशि अपेक्षित है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशेष प्रश्न है।

श्री मनोहर जोशी : महोदय, जितनी राशि की आवश्यकता है उसके सही आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं परंतु माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि, हम इस प्रस्ताव को दुबारा लाना चाहते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सके मंत्रिमंडल के समक्ष इस प्रस्ताव को रखूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, पहली बार मंत्री महोदय ने माना है कि कुछ सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बंद होने से उत्पादन में कमी आई है। एमएएमसी और टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. इन दो इकाइयों के मामले बीआईएफआर को भेजे गये थे। इससे पूर्व कि बीआईएफआर टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. की तंद्रा इकाई के संबंध में अपना अंतिम निर्णय देती, सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत इस इकाई को बंद करने की अनुमति दे दी है। सरकार ने टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की तंद्रा इकाई के मामले में बीआईएफआर के निर्णय की प्रतीक्षा क्यों नहीं की? एमएएमसी के मामले में, सरकार ने इस महत्वपूर्ण इकाई को पुनरुज्जीवित करने के लिए क्या प्रयास किए? एमएएमसी की स्थापना भूगर्भ से कोयला खनन के लिए उपयोग में आने वाली मशीनों के निर्माण के लिए किया गया था और पश्चिम बंगाल की इस महत्वपूर्ण इकाई को बंद कर दिया गया है। पहले ही काफी मजदूरों को निकाला गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न अब समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कर्मचारी वीआरएस योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस इकाई को पुनरुज्जीवित करने के कोई प्रयास किए हैं और दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बंद करने का निर्णय लेने से पहले, क्या राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था या नहीं?

श्री मनोहर जोशी : महोदय, एमएएमसी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने 13.2.2001 को दायर रिट याचिका में बीआईएफआर को यह निर्देश देते हुए निपटाया कि ग्राचिकादाता या अन्य किसी कर्मचारी संघ या पश्चिम बंगाल सरकार या भारतीय उद्योग परिसंघ या इसे किसी सदस्य द्वारा कभी भी उद्योग के पुनरुद्धार से संबंधित किसी अन्य योजना दायर किए जाने पर बीआईएफआर विचार करें और उस पर यथाशीघ्र निर्णय लें। यह 13.2.2001 को हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : पश्चिम बंगाल सरकार इस इकाई की सहायता करने के लिए आगे आई। परंतु इसमें केन्द्र सरकार की क्या भूमिका थी? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने इस इकाई के पुनरुद्धार से संबंधित कोई प्रस्ताव बीआईएफआर के समक्ष भेजा है?

श्री मनोहर जोशी : महोदय, मैं माननीय सदस्य और सभा को यह बात स्पष्ट कर दूं कि इकाई को बंद करने का निर्णय अंतिम पर्याय के रूप में लिया गया है। यह बात नहीं है कि सरकार कंपनियों को बंद करने की इच्छुक है। परंतु जब सारे प्रयास असफल रहे तो, इसका सहारा लेना पड़ा।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि आपके द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

श्री मनोहर जोशी : इस कंपनी के मामले में भी, मामला न्यायालय में गया हुआ है। न्यायालय ने सब कुछ सुनने के बाद ही यह निर्णय दिया। कई लोगों ने इस कंपनी को बंद न करने का अनुरोध किया है क्योंकि यह प्रस्ताव कारगर नहीं है। परंतु, महोदय, इसका यह अर्थ नहीं है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। इकाई को बंद करने के प्रश्न पर पुनः चर्चा की जा सकती है, यह नहीं है कि मामला समाप्त हो गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि बंद करने के संबंध में सिफारिश की गई थी। परंतु मैं इस मामले पर सबके साथ बैठकर चर्चा करने को तैयार हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : आप कृपया अपने निर्णय पर पुनः विचार करें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय सदस्य का वक्तव्य यह दर्शाता है कि किस प्रकार केन्द्र सरकार के हाथों पश्चिम

बंगाल राज्य उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर श्री पी.वी. नरसिंहराव तक, सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकालों के दौरान, जब कभी भी पश्चिम बंगाल का मामला आया, राजनैतिक मतभेद त्यागकर सभी माननीय प्रधानमंत्रियों ने आश्वासन दिया कि देश के विभिन्न भागों की सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी और उनको सभी प्रकार का समर्थन दिया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में जो एक उद्यम स्थापित हुआ वह था हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन। कर्मचारियों के हितों को देखते हुए इसे चालू रखने के सभी प्रयास किये गये थे। चूंकि माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि ये निर्णय अंतिम नहीं हैं, क्या आप मजदूर संघों, व्यवसायियों और राज्य सरकार के साथ इस बात पर संपूर्ण पुनःविचार करेंगे और इस बात का प्रयत्न करेंगे कि टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की तंद्रा इकाई और एमएएमसी बंद न हो पाएं?

दूसरे, क्या आप हावड़ा के बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी के ज्वलंत मामले जिस पर पुनर्विचार किया जा रहा है पर विशेष ध्यान देंगे? यह वैगन बनाने की इकाई है और उन्होंने कर्मचारियों को कम करने समेत बीआईएफआर की सभी शर्तें मान ली हैं। फिर भी वे कार्य नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूंजी का कोई भी अनुदान नहीं दिया गया है। कर्मचारियों को पिछले तीन महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है।

श्री बसुदेव आचार्य : अब चार महीने बीत गये हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इस इकाई ने बीआईएफआर की सभी शर्तों को माना है फिर भी उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही है।

श्री मनोहर जोशी : महोदय, माननीय सदस्यों ने दो–तीन प्रश्न उठाए हैं। मैं सभा को यह स्पष्ट कर दूं कि सरकार किसी राज्य के विरुद्ध नहीं है। दुर्भाग्य से यह सच है कि बंद करने के लिए जिन आठ कंपनियों को चुना गया, उनमें से छः बंगाल की थीं। सभा को मैंने पहले ही अनेक कारण बताए हैं कि यदि लगातार घाटा होता रहे तो किसी कंपनी के लिए लगातार घाटे के बाद चलना असंभव हो जाता है। बंद करने के लिए चुनी गई कंपनियों के बाबत मैं स्पष्ट बता दूं कि यह निर्णय वर्तमान सरकार द्वारा लिया गया नहीं है। यह निर्णय पूर्व सरकार ने लिया था और इसलिए इस सरकार के कार्यकाल में निर्णय की पुष्टि की गई है।

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं, आपके मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था, मैं सत्य जानता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया मंत्री महोदय को बोलने दीजिए।

श्री मनोहर जोशी : महोदय, मैं सभा को कभी गुमराह नहीं करूंगा क्योंकि मैं सभा में उत्तर देने में हमेशा ईमानदार रहा हूं और मैं इस महत्वपूर्ण निकाय का महत्व समझता हूं। इसलिए, इस विशेष मामले में बंद करने का निर्णय लेना पड़ा क्योंकि कोई विकल्प नहीं बचा था।

जहां तक बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी का सवाल है जिसके बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, बर्न स्टैण्डर्ड की हावड़ा इकाई भी घाटे में चल रही है, और इसलिए सरकार इस पर विचार कर रही है कि क्या इसे बंद किया जाए या इस मामले में और कुछ किया जा सकता है।

बैंकों के बोर्डों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति

+

***183. श्री प्रभुनाथ सिंह :**
श्रीमती रेनु कुमारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंकों के बोर्डों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामनिर्देशित उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है, जो अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करने में विफल रहे हैं और जिसके परिणामस्वरूप एक के बाद एक घोटाले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न बैंकों के बोर्डों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामनिर्देशित व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ग) क्या ऐसे पदों के लिए संसद सदस्यों से ऐसे व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करने को कहने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जिन्हें वे समर्पित और ईमानदार समझते हों;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) विभिन्न बैंकों के बोर्डों में भारतीय रिजर्व बैंक के नामितियों की नियुक्ति ऐसे बैंकों को संचालित

करने वाले संबंधित अधिनियम में निहित उपबंधों के अनुसार की जाती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती बैंकों के परिचालनों से संबंधित मामलों की अच्छी जानकारी रखते हैं। बैंकों में बोर्ड के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं। यदि कोई चूक हो तो उसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के नामितियों को ही एकमात्र उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विनियामक एवं पर्यवेक्षण संबंधी अच्छी नीतियां अपनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती की नियुक्ति/अनुशंसा का निर्णय विनियामक अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक पर छोड़ना उचित समझा गया।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी जो उत्तर दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती बैंकों के परिचालनों से संबंधित मामलों की अच्छी जानकारी रखते हैं। साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें एकमात्र उत्तरदायी ठहराया नहीं जा सकता। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जिस समय रिजर्व बैंक द्वारा इन्हें नामित किया जाता है तो नामित करने का क्या मापदंड अपनाया जाता है। क्या आप कोई इसके लिए परीक्षा लेते हैं या कोई विशेष मापदंड इसके लिए आपने बनाया है। साथ ही हम यह भी जानना चाहते हैं कि यदि वे एकमात्र उत्तरदायी नहीं हैं तो क्या उनकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं या नहीं। यदि बनती हैं तो उन पर आप क्या कार्रवाई करते हैं, इसे विस्तार से हमें बताया जाए। अभी बहुत से घोटाले इस देश में हुए हैं जिसमें बैंकों की भूमिका को संदेह की दृष्टि से देखा गया है। आपने ऐसे लोगों पर क्या कार्यवाही की है, यह हमें विस्तार से बताएं?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष जी, आर.बी.आई. के नोमिनीज की जो लिस्ट मेरे पास है, आप चाहें तो मैं टेबल पर रख सकता हूं। बात यह सही है कि आर.बी.आई. के जो अधिकारी होते हैं वे बैंकों की जानकारी रखते हैं और बोर्ड में जाकर अपना मत भी देते हैं। जब उनके मत को वे लोग मानते नहीं हैं तो वे मतदान कर लेते हैं और आर.बी.आई. के गवर्नर को रिपोर्ट भी करते हैं। उसके बाद आर.बी.आई. में रिव्यू होता है और रिव्यू के बाद बैंकों में इन्स्ट्रक्शन्स भी जाती हैं कि यह करना उचित है या उचित नहीं है। और क्या कार्रवाई करना जरूरी है। बोर्ड में डिसकसशन होता है। 15 लोगों का बोर्ड होता है। कम्पोजिशन ऑफ बोर्ड के बारे में यदि आप चाहें तो पढ़कर बता दूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है। वे पूछ रहे हैं कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील : हम आरबीआई के एक अधिकारी के खिलाफ ऐक्शन नहीं कर सकते क्योंकि गलत काम होने पर बोर्ड को उसी समय बता दिया जाता है। यदि बोर्ड नहीं मानता तो आरबीआई को रिपोर्ट की जाती है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया कि बोर्ड में गलती होने पर आरबीआई को रिपोर्ट की जाती है। अभी पिछले दिनों शेयर घोटाला हुआ जिसमें माधोपुरा बैंक का नाम आया। इसकी विभिन्न तरीके से जांच चल रही है। यदि आप जानकार लोगों को नियुक्त करते हैं तो रिजर्व बैंक पर ये सब क्यों छोड़ते हैं? 15 लोगों का जो निदेशक मंडल होता है खासतौर पर वह काम की समीक्षा करता है और आरबीआई को सूचना देता है। सूचना देने के बाद भी घपले और शेयर घोटाले हो रहे हैं। जांच के क्रम में वे लोग दोषी पाए गए या नहीं ? यदि दोषी पाए गए हैं तो उनके खिलाफ क्या आप कार्रवाई करने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? घपले में आप शामिल न हों क्योंकि इसमें बहुत लोग शामिल हो रहे हैं। इस बारे में साफ-साफ बताएं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि घपले में कोई शामिल होने वाला नहीं है और न ही यह सरकार शामिल होने वाली है। जहां सख्त कार्रवाई और जांच करना जरूरी है, वहां कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने माधोपुरा बैंक का जिक्र किया। इस बैंक ने कैपिटल मार्किट में घपला किया। माधोपुरा बैंक में जो एक्सपोजर था उसमें 3-4 बैंक शामिल थे। उसने पांच परसैंट से ज्यादा एक्सपोजर लिमिट दे दिया। जैसा सदन को जानकारी है कि केतन पारिख और दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : आरबीआई में जो नोमिनेट हुए, उनके बारे में बताएं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : कोऑपरेटिव बैंक में आरबीआई का नॉमिनी नहीं होता है। वह केवल सरकारी बैंकों

और कुछ निजी बैंकों में होता है। इस बारे में सवाल तो नहीं पूछा गया था लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिडीगुंडी बैंक में आरबीआई का नॉमिनी था। कैपिटल मार्किट में गड़बड़ करने के कारण उनसे कहा गया कि ये सब गलत है। बाद में उन्होंने बोर्ड के सामने सब चीजें लानी बंद कर दीं तो आरबीआई नॉमिनी ने रिपोर्ट कर दी। आरबीआई के गवर्नर ने इनस्ट्रक्शन दी लेकिन उन्होंने मानी नहीं। इस कारण वहां के चेयरमैन को हटा दिया।

श्रीमती रेनु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, रिजर्व बैंक द्वारा नाम निर्देशित करने के समय ऐसा कोई फार्मूला तैयार किया गया जो घोटालों को रोक सके। निदेशक मंडल पर अंकुश लगाया जाए। मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि नाम निर्देशित करते समय अधिनियम में निहित उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किया जाता है। नाम निर्देशित होने के बाद भी घपले और घोटाले हो रहे हैं। क्या उस उपबंध में आवश्यक परिवर्तन करने की दिशा में आप घोटालों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं?

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, आरबीआई ऑटोनमस होने के कारण खुद ही नॉमिनेट करते हैं लेकिन उनका क्या रोल है, उसकी गाइडलाइन्स हरेक बैंक और संबंधित संचालकों को दे दी हैं। उन्होंने इसका पूरा ध्यान रखा है। बोर्ड की एक पॉलिसी निर्धारित है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि सीनियर लैवल और मैनेजर लैवल पर ये काम होते हैं। जब बैंक के नोटिस में आता है तो हम कार्रवाई करते हैं। हमने इस बारे में सोच-विचार करके तय भी किया है कि कम से कम 15 दिन या एक महीने में हरेक बैंक में और उसकी ब्रांच में जो कुछ हुआ वे सरकार को उसकी रिपोर्ट दें। सरकार उसमें दखल देकर तुरन्त कार्रवाई करने के लिए बैंक से कहेगी। इसमें सरकार भी मॉनिटर करेगी।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या अन्य बैंकों में केवल आरबीआई के ही नामित व्यक्ति होते हैं या अन्य नामितियों को भी शामिल किया जाता है। कई बैंकों की स्थापना हुई है और एक घोटाले के बाद दूसरा उजागर हो रहा है। कई प्रबंधक अपने कार्य निष्पादन में असफल रहे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने या आरबीआई ने ऐसे किसी बोर्ड के किसी प्रबंधक पर कार्य निष्पादन में हुई असफलता पर, कोई कार्रवाई की है।

अध्यक्ष महोदय : श्री ई. अहमद, प्रश्न आरबीआई के नामितियों से संबंधित है।

श्री ई. अहमद : महोदय, मैं आरबीआई के नामितियों के बारे में भी प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या आरबीआई ने बोर्ड के किसी नामिति के विरुद्ध बोर्ड में जिसमें वे मनोनीत हुए हैं अपने कर्त्तव्य निर्वहण में असफल रहने पर कोई कार्रवाई की है। और, आरबीआई नामितियों के अलावा, क्या अन्य सदस्य भी उसमें हैं? क्या सरकार ने इन बैंकों के किसी बोर्ड के किसी सदस्य के खिलाफ कर्त्तव्य निर्वहण में असफल रहने पर कोई कार्रवाई की है? फिर, एक दिन घोटाला सामने आया। सरकार कहती है कि उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। यदि उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है तो, मंत्री महोदय, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का उत्तरदायित्व किसका है? मंत्री जी कार्रवाई करने के अधिकारी हैं। उन्हें इस सभा को उत्तर देना ही होगा।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, हमने यह कभी नहीं कहा कि हमें पता नहीं है। ये सरकारी बैंक हैं। जहां तक निजी बैंकों का संबंध है, उनके लाइसेंस भी कैंसिल कर दिये गये हैं। मैं बताना चाहता हूं कि स्टाफ रूल्स के अनुसार आर.बी.आई के आफिसर नामिनेट होते हैं और उस पर कार्यवाही की जाती है लेकिन जब तक उनके सामने नजर में आता है तो आर.बी.आई. बोर्ड के लिये रिपोर्ट कर देते हैं। उसके ऊपर एक कमेटी बनी हुई है जो गौर करती है। उसके बाद संबंधित बैंकों को नियम और कानून के अधीन सूचित किया जाता है कि यह करो और यह मत करो। तब उस बैंक पर कार्यवाही की जाती है।

अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि कैपिटल मार्किट में काफी घोटाला हुआ है। अभी सभी बैंकों ने निर्णय लिया है कि 5 परसेंट के ऊपर नहीं किया जाना है। ऐसे चार निजी बैंक हैं जिन्होंने 5 परसेंट से ज्यादा कैपिटल मार्किट एक्सपोजर किया था। यह आर.बी.आई. के डायरेक्शन्स के कारण सरकारी बैंकों में दो-ढाई परसेंट से ज्यादा नहीं है लेकिन निजी बैंकों में 5 परसेंट से नीचे कैपिटल मार्किट एक्पोजर किया है। अभी एक माननीय सदस्य ने प्रश्न के उत्तर में एक सवाल यह किया कि क्या इस प्रकार का करेंगे। हमने तय किया है कि हर 15 दिन या एक महीने में हर बैंक से रिपोर्ट ले लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल यह पूछा गया कि क्या डायरेक्टर्स पर कार्यवाही करेंगे? जो पार्ट टाइम या इलैक्टेड

डायरेक्टर्स हैं, उन पर कार्यवाही कर सकते हैं लेकिन यदि हाउस का आदेश होगा तो कार्यवाही कर सकेंगे अन्यथा कार्यवाही करना मुश्किल है।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : निदेशकों के कर्त्तव्य निर्वहन और उनके भूल–चूक के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। माननीय मंत्री ने कहा है कि इस देश में, बोर्ड के किसी सदस्य जो अपने कर्त्तव्य निर्वहन में असफल रहता है के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई कानून नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात गवर्नमेंट डायरेक्टर के बारे में पूछी गई है। मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहूंगा कि गवर्नमेंट डायरेक्टर बैंक मीटिंग में जाते हैं और अगर उनके ध्यान में कोई गलत बात आती है तो वे सरकार को रिपोर्ट करते हैं। इस सबके लिये एक कम्पलेंट आफिसर बैठा देते हैं जो देखता है कि आर.बी.आई. या सरकारी आदेश का पालन हुआ है या नहीं। उसके लिये हम मानिटरिंग भी करते हैं। जहां तब इलैक्टेड डायरेक्टर हैं, उसके लिये डिसक्वालिफिकेशन तय हो चुका है। ऐसी बात नहीं कि उनके लिये गाइडलाइन्स नहीं हैं। लेकिन यह बात मानी हुई है कि जब रिकार्ड पर आती है तो सभी पर कार्यवाही की जाती है।

सुपर बाजार को हुई हानि

***184. श्री नरेश पुगलिया :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार को अब तक कुल कितनी हानि हुई है;

(ख) हानि के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इसके लिए कौन–कौन से उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार सुपर बाजार को 39.28 करोड़ रु. (लेखा परीक्षित नहीं) की संचित हानि हुई।

(ख) सुपर बाजार में अन्य बातों के अलावा, प्रबंधन में व्यावसायिक कौशल की कमी, कुप्रबंधन और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, कारोबार में समानान्तर बढ़ोतरी के बिना वेतन में गैर अनुपातिक संशोधन, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उधार न दिए जाने, कर्मचारियों की भारी संख्या की तुलना में बिक्री में कमी, नियत लागतों के स्तर में वृद्धि और कार्यशील पूंजी की अपर्याप्तता के कारण घाटे हुए हैं।

(ग) अन्य बातों के साथ–साथ अब तक किए गए उपचारात्मक उपाय निम्नानुसार हैं–

(i) मितव्यतता उपायों के द्वारा व्यय में कमी।

(ii) लाभ न कमाने वाले बिक्री केन्द्रों को अस्थायी रूप से बंद करना।

(iii) कर्मचारियों की नियुक्ति को सुसंगत बनाना।

(iv) सुपर बाजार की बकाया लेनदारियों की वसूली के लिए कदम उठाना।

(v) बेहतर मार्जिन वाली वस्तुओं के संबंध में तेजी से बिक्री पर अधिक बल देना।

(vi) आपूर्तिकर्ताओं को प्रापण के बाद भुगतान की नीति को कार्यान्वित करना।

(vii) अधिक लाभ अर्जित करने के लिए चुने हुए उत्पादों पर मार्जिन को 8% से बढ़ाकर 15% करना।

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर में सारा ब्लेम को–आपरेटिव भंडार सुपर बाजार पर दिया है। यह दिल्ली का एक प्रतिष्ठित सहकारी भंडार है जिसे स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय 1966 में देश में सहकारी सैक्टर में प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया था। अब तक दिल्ली और नौएडा में कुल मिलाकर 152 शाखायें कार्यरत हैं तथा 16 मोबाइल वैन्स भी हैं। सन् 1966 से लेकर 1996–97 तक यह लगातार प्रोफिट में था और इनकम टैक्स पे करने वाला पहला सहकारी सरकार का भंडार है। इस भंडार के तहत दिल्ली के लोगों को राष्ट्रीय स्तर की आवश्यक वस्तुयें मिला करती हैं। वह वर्ष 1996–97 के बाद तीन साल में लॉस में क्यों आया, इसकी जानकारी मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा। जो चीज 1996–97 में प्रोफिट में थी, वह लॉस में कैसे आई। खासकर जब श्री बरनाला जी इस विभाग के माननीय मंत्री थे तो उन्होंने एस.एस. धुरी नाम के चेयरमैन का अपाइन्टमैन्ट

किया। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उनके खिलाफ रिपोर्ट होने के बाद सी.बी.आई. की जांच में 19 करोड़ का फ्रॉड पाया गया और 16.7.2001 को उनके खिलाफ एफ.आई. आर. रजिस्टर की गई। उसके बाद जब श्री शांता कुमार जी के हाथ में यह विभाग आया तो वह अपने हिमाचल प्रदेश के एक अधिकारी श्री मित्रा को यहां लाये।

अध्यक्ष महोदय : आप सप्लीमेंटरी पूछिये, इतने भाषण की जरूरत नहीं है।

श्री नरेश पुगलिया : सर, मैं सवाल पूछता हूं, लेकिन उससे पहले इसकी बैकग्राउंड बताना इसलिए जरूरी है कि दिल्ली के अंदर मॉडर्न ब्रैड के बाद इस सहकारी भंडार की 12 करोड़ रुपये की प्रोपर्टी बेचने की साजिश केन्द्र सरकार में बैठे हुए मंत्री कर रहे हैं। इसमें जनता का पैसा लगा है, इसमें केन्द्र सरकार का पैसा लगा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अन्य सदस्यों की चिंता को भी देखिए। यह प्रश्न काल है, और आपको केवल अनुपूरक प्रश्न ही पूछने हैं।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, इसकी बैकग्राउंड बताना इसलिए जरूरी है कि दस करोड़ रुपये से ज्यादा की मंथली सेल करने वाली यह संस्था है। माननीय मंत्री श्री शांता कुमार ने जी.टी.वी. और प्रैस इंटरव्यू में कहा है कि आटा और शक्कर बेचना सरकार का काम नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? बहुत हो गया है। जिस प्रकार आप सभा में व्यवहार कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* महोदय यह महत्वपूर्ण विषय पर भी पार्लियामैन्ट में डिस्कशन नहीं होने देना चाहते। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फूड एंड सिविल सप्लाई मंत्री जी ने जानबूझकर अपने एक साथी लोक सभा के सदस्य कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये चीजें बेचने के लिए इस प्रकार का इन्टरव्यू दिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने सैन्ट्रल कैबिनेट को इस प्रकार की रिकमेन्डेशन की हैं कि एक तो इसे बेच दिया जाए या इसे किसी दूसरे ग्राहक भंडार को दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, वे आरोप लगा रहे हैं।

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न पूछा है, मैंने उनके प्रश्न के जवाब में भाग (ख) में यह बात स्पष्ट कर दी थी कि सुपर बाजार में, अन्य बातों के अलावा व्यावसायिक कौशल में कमी के कारण घाटा हो रहा है।

सुपर बाजार को सौंपे जाने के प्रश्न पर, मैं इसकी संक्षिप्त पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। 1997 में मंत्रिमंडल ने इसे दिल्ली सरकार को सौंपने का निर्णय लिया था। उस समय दिल्ली सरकार इसे अधिग्रहण करने को इच्छुक थी। इसी बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह एसआरजीबी के और बोर्ड के निदेशकों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करें क्योंकि उस समय, बोर्ड के निदेशकों का कार्यकाल पूरा हो गया था। इसे लगातार बढ़ाया जा रहा था, उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, पुनः इस मामले को वर्तमान दिल्ली सरकार को भेजा गया। हाल ही में, मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित से बात की है, परंतु दिल्ली सरकार ने अपने अस्पष्ट उत्तर में इस प्रस्ताव को मानने से, यानि सुपर बाजार के अधिग्रहण से मना कर दिया है। हम सप्ताह के अंदर बोर्ड के संपूर्ण निदेशकों की बैठक बुलाएंगे।

श्री नरेश पुगलिया : मेरा प्रश्न है कि क्या सी.बी.आई. ने कोई जांच की है या नहीं। कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें।

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : मैं सी.बी.आई. द्वारा की जा रही जांच से संबंधित प्रश्न का उत्तर दूंगा। जैसा कि आपने कहा कि 1996–97 में श्री धुरी के चेयरमैन रहते अनेक अनियमिततायें हुईं। मामला सी.बी.आई. को भेज दिया गया है और सी.बी.आई. उसकी जांच करेगी। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जायेगा, कानून उसके विरुद्ध अपनी कार्यवाही करेगा।

श्री नरेश पुगलिया : प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले ही दर्ज

करा दी गई है। चेयरमैन और अन्य लोगों को दोषी पाया गया है, इस समय मामला न्यायालय में है।

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई है।

अध्यक्ष महोदय : क्या सी.बी.आई. मामले की अभी भी जांच कर रही है या जांच पूरी हो गई है?

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : जांच चल रही है। कल, 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में यह समाचार आया था...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया : मेरे पास न्यायालय से प्राप्त एक प्रति है। कृपया सभा को गुमराह न कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी जांच के बारे में आपके पास क्या सूचना है? क्या यह पूरी कर ली गई है?

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : जहां तक मुझे ज्ञात है सी. बी.आई. मामले की जांच कर रही है। उन्होंने न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी है। जैसा मैंने कहा, न्यायालय अपने तरीके से कार्य करेगा।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सैकिंड सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सहकारी भंडार...

अध्यक्ष महोदय : बड़ा सप्लीमेंटरी मत पूछिये, छोटा सप्लीमेंटरी पूछिये।

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, एक संस्था राष्ट्रीय सहकारी भंडार ने सुपर बाजार को सरकार से मांगा है। उसमें राज्य सभा के एक सम्माननीय सदस्य पैट्रन हैं और बीजेपी के सदस्य चीफ पैट्रन हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, यह ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : यह रिकार्डज में है। राष्ट्रीय सहकारी भंडार ने सुपर बाजार लेने के लिए, उसकी 200 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी हैंडओवर करने के लिए एक पत्र माननीय शांता कुमार जी को दिया है और शांता कुमार जी ने कैबिनेट को रेकमंड किया है कि यह सहकारी भंडार को बेच दिया जाए।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अगर आपको कोआपरेटिव सोसाइटी को किसी को देना है तो इसमें जो 2100 इंप्लॉइज काम करते हैं, उनको कोआपरेटिव सोसाइटी को क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरी मंत्री महोदय से मांग है कि अगर आपको इस संस्था को जिस प्रकार से प्लानिंग कमीशन की सब कमेटी ने रेकमंड किया है कि 20 करोड़ रुपये का लोन देकर इसको रिवाइव किया जाए, अगर इसको रिवाइव नहीं करना है तो जो 2100 इंप्लॉइज काम करते हैं, उनकी कोआपरेटिव सोसाइटी को यह संस्थान हैंडओवर करने का क्या सरकार का विचार है?

[अनुवाद]

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : महोदय, हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि हम निश्चय ही सुपर बाजार और करदाताओं के हित की रक्षा करेंगे। हम सुपर बाजार और करदाताओं के हित को ध्यान में रखकर, निश्चय ही कोई निर्णय लेंगे। हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हम सुपर बाजार को पुनर्जीवित करने के लिए सभी संभावनाओं का पता लगायेंगे।

श्री नरेश पुगलिया : महोदय, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री शांता कुमार एक षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अन्य सदस्यों के बोलने में व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री महेश्वर सिंह

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं और शोर भी मचा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री महेश्वर सिंह जो बोल रहे हैं, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री महेश्वर सिंह जो बोल रहे हैं, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसमें माननीय मंत्री ने कहा है कि जो 31 मार्च, 2000 तक के आंकड़े आपने दिये हैं, उसके मुताबिक कुल घाटा 39.28 करोड़ रुपये बताया गया है और उसके कारण भी आपने कुछ दर्शाए हैं जिसमें यह कहा गया है कि इस घाटे का कारण कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार भी है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गत दो वर्षों में कितने अधिकारी इसमें दोषी पाए गए और किन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और जिन्होंने कुप्रबंधन किया है, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा कि जो आपके बिक्री केन्द्र घाटे में चल रहे हैं, उसमें से कितने केन्द्र गत दो वर्षों में बंद हो गए और जो बकाया लेनदारियां थीं, उनकी गत दो वर्षों में कितनी वसूली हुई?

[अनुवाद]

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : महोदय, सुपर बाजार का अपना सतर्कता विभाग है और इसके प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं।

महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि कितनी जांचें लंबित हैं। मैं इन मामलों का ब्यौरा दूंगा। कर्मचारियों के विरुद्ध 30 प्रशासनिक जांचें लंबित हैं। कर्मचारियों के विरुद्ध भारी दंड की कार्यवाही से संबंधित 24 मामले लंबित हैं। कर्मचारियों के विरुद्ध हल्के दंड के 247 मामलों में कार्यवाही शुरू कर दी गयी है।

श्री महेश्वर सिंह : महोदय, माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

[हिन्दी]

मेरे प्रश्न का प्रथम भाग था कि आपने कहा कि इसका मूल कारण कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार है। मैंने जानना चाहा है कि कौन अधिकारी हैं और कितने अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध आपने भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किये हैं और यह जानना चाहा है कि जो घाटे में चल रहे केन्द्र हैं, उनमें से कितने बिक्री केन्द्र दो वर्षों में बंद किए गए और जो बकाया लेनदारियों के मामले में कहा कि वसूली की जाएगी, उसके अंतर्गत कितनी वसूली गत दो वर्षों में हुई?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, वे केन्द्रों के बारे में पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। मंत्री जी तैयार होकर नहीं आए हैं। इस पर बहस कराइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : हमने हाल में अनेक सुधारात्मक उपाय किये हैं। उनमें से कुछ ये हैं...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : वे तथ्यों को छिपा रहे हैं। सच सामने आना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, सदस्य इस मामले के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो क्यों न इस पर आधे घंटे की चर्चा करायी जाये?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आपको इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा कराये जाने के प्रति कोई आपत्ति है?

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर आधे घंटे की चर्चा में विचार किया जाये तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर आधा घंटे की बहस होगी।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

***185. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) क्या सरकार का विचार पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ.सी.आई) को वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.एफ.सी.आई. के पूंजी पर्याप्तता अनुपात में गिरावट आने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आइ.एफ.सी.आई. और आई. डी.बी.आई. का विलय करने का है; और

(च) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (घ) सरकार ने आई.एफ.सी.आई. द्वारा जारी किए जाने वाले 20 वर्ष के परिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए 400 करोड़ रुपये का अंशदान देकर आई.एफ.सी.आई. के टीयर–I पूंजी को बढ़ाने का निर्णय लिया है।

(ग) आई.एफ.सी.आई. के पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सी. ए.आर.) और अन्य निष्पादन पैरामीटरों में गिरावट के परिणामस्वरूप इसके ऋण कोटि निर्धारण में गिरावट आई है, जिससे बाजार में व्यवसाय के स्थायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : महोदय, मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यू.एस. 64 की दिशा में जा रहा है। सरकार ने अभी तीन दिन पहले आईएफसीआई के लिए 1000 करोड़ रुपये का बेलआउट पैकेज मंजूर किया है। आईएफसीआई का कार्यकरण ठीक न होने के कारण यह पैकेज मंजूर करना पड़ा है। आईएफसीआई की अप्रयोज्य आस्तियों का अनुपात बहुत अधिक है। उन कंपनियों ने जिन्होंने दीर्घ काल के लिए ऋण ले रखा है भुगतान करने में असफल रही है। आईएफसीआई उचित प्रकार से नहीं चल रही है। उसमें कोई निदेशक नहीं हैं। एक प्रबन्ध निदेशक हैं जो कि एक महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार राजकोष का धन इस प्रकार वित्तीय संस्थाओं में 'डम्प' कर रही है। मेरा मुख्य प्रश्न है कि सरकार ने आईएफसीआई को 1000 करोड़ रुपये का बेलआउट पैकेज कैसे दे दिया?

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में स्पष्ट कहा है कि

[अनुवाद]

"सरकार ने आईएफसीआई की टायर–I कैपिटल को सहायता देने के लिए आईएफसीआई द्वारा जारी 20 वर्षीय परिवर्तनीय डिबेंचर में 400 करोड़ रुपये का अभिदान करने का निश्चय किया है।"...*(व्यवधान)*

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : वह सच नहीं है। 400 करोड़ रुपये नहीं 1000 करोड़ रुपये की सहायता की जानी है। आईडीबीआई भी धन दे रही है। मंत्री जी सही सूचना नहीं दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी हमारे पास अत्यन्त कम समय है। मंत्री महोदय को उत्तर देने दें।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : श्री बसु समिति दिसम्बर, 2000 में गठित की गई थी। समिति ने अपना प्रतिवेदन सौंप दिया और मंत्रालय ने छह–सात माह के अंदर अनेक बैठकें कीं। सरकार ने बसु समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। समिति की सिफारिश के अनुसार 400 करोड़ रुपये डिबेंचर के रूप में और 600 करोड़ रुपये ऋण और जमा के रूप में जुटाये जायेंगे। सरकार अकेले ही 1000 करोड़ रुपये नहीं दे रही है। कृपया बसु समिति की सिफारिशों को गलत न समझें और उसकी गलत व्याख्या न करें।

प्रत्येक स्थान पर अप्रयोज्य आस्तियों का स्तर समान रहता है। जहां तक आईएफसीआई का संबंध है टेक्सटाइल, स्टील और जूट वे तीन क्षेत्र हैं जहां अप्रयोच्य आस्तियां हैं। मेरे पास अप्रयोज्य आस्तियों का वर्गीकरण भी है। वित्त की अधिक लागत के कारण ब्याज कम हो गया है और संवितरण की भी यही

स्थिति है। जबकि, पुराने जमा और डिबेंचरों पर बहुत अधिक ब्याज है। अतः स्वभावतः ऊंची लागत के कारण यह बहुत महंगा हो गया है...*(व्यवधान)*

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : मैंने प्रश्न यह किया था, "सरकार आईएफसीआई को 1000 करोड़ रुपये कैसे दे रही है?" मंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को लिखित उत्तर भेज सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गेहूं और चावल के मूल्यों में कमी

***186. श्री चन्द्र भूषण सिंह :**
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी की रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले गेहूं और चावल के मूल्यों में कमी किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने परिवारों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(घ) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए जुलाई, 2001 से कम करके क्रमशः 610/- रुपये प्रति क्विंटल और 830/- रुपये प्रति क्विंटल कर दिए गए हैं। संलग्न विवरण में निर्दिष्ट ब्यौरे के अनुसार इससे 1151.64 लाख परिवारों को लाभ प्राप्त होगा।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस संबंध में आवश्यक सूचना 12 जुलाई, 2001 को भेजी गई थी।

विवरण

1.3.2000 को अनुमानित परिवारों की संख्या और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों की अनुमानित संख्या दर्शाने वाला विवरण

(लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.3.2000 को अनुमानित परिवारों की संख्या	1.3.2000 को गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों की अनुमानित संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	158.21	117.58
अरुणाचल प्रदेश	2.42	1.43
असम	44.93	26.57
बिहार	162.24	73.07
गोवा	3.20	2.72
गुजरात	87.57	66.37
हरियाणा	31.48	23.59
हिमाचल प्रदेश	12.57	7.43
जम्मू और कश्मीर	18.02	10.66
कर्नाटक	94.37	63.08
केरल	61.10	45.56
मध्य प्रदेश	141.15	81.14
महाराष्ट्र	177.27	111.93
मणिपुर	4.07	2.41
मेघालय	4.49	2.66
मिजोरम	1.67	0.99
नागालैंड	3.02	1.78
उड़ीसा	67.91	34.93
पंजाब	39.76	35.08

1	2	3
राजस्थान	88.67	64.36
सिक्किम	1.05	0.62
तमिलनाडु	138.82	90.19
त्रिपुरा	7.22	4.27
उत्तर प्रदेश	273.61	161.84
पश्चिम बंगाल	145.23	93.44
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	0.81	0.53
चंडीगढ़	2.03	1.80
दादरा और नगर हवेली	0.36	0.18
दमन और दीव	0.26	0.22
दिल्ली	27.82	23.73
लक्षद्वीप	0.11	0.08
पांडिचेरी	2.24	1.40
जोड़	1803.68	1151.64

शेयर बाजार में यूटीआई की भूमिका

***187. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार का भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) पर कितना नियंत्रण है;

(ख) यूटीआई के बोर्ड के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को शेयर बाजार में यूटीआई की भूमिका के संबंध में काफी पहले से ही चेतावनी दे दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने यूटीआई के कार्यकरण को और अधिक यथार्थपरक बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) शेयर बाजार में यूटीआई की संदेहास्पद भूमिका के उजागर होने पर आईडीबीआई, आरबीआई और सरकार के प्रतिनिधियों की भूमिका क्या रही?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम के तहत, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का प्रबंधन इसके न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के परामर्श से भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। मई, 1997 से 21 जुलाई, 2001 तक भारतीय यूनिट ट्रस्ट बोर्ड में सरकार का कोई नामिती नहीं था।

(ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम की धारा 10 में यह प्रावधान है कि न्यासी बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे, नामतः

(i) अध्यक्ष जिसकी नियुक्ति विकास बैंक के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा की जानी है;

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित किए जाने वाला एक न्यासी;

(iii) विकास बैंक द्वारा नामित किए जाने वाले चार न्यासी जिसमें से कम से कम तीन व्यक्ति वाणिज्य, उद्योग, बैंकिंग, वित्त या निवेश का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले होंगे;

(iv) जीवन बीमा निगम द्वारा नामित किए जाने वाला एक न्यासी;

(v) स्टेट बैंक द्वारा नामित किए जाने वाला एक न्यासी;

(vi) अंशदायी संस्थाओं द्वारा निर्धारित तरीके से निर्वाचित किए जाने वाले दो न्यासी; तथा

(vii) विकास बैंक द्वारा नियुक्त किए जाने वाला एक कार्यकारी न्यासी।

परंतु यदि अध्यक्ष की नियुक्ति पूर्णकालिक है तो कार्यकारी न्यासी नियुक्त करना आवश्यक नहीं होगा।

न्यासी बोर्ड का वर्तमान संघटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) चूंकि निवेशकों और पूंजी बाजारों के लिए उलझने हैं, अतः इक्विटी बाजार में यूटीआई की देनदारी और दीपक पारेख समिति की सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन के संबंध में वित्त मंत्रालय यूटीआई के संपर्क में रहा है। यूटीआई का निरन्तर उत्तर यही था कि वे स्थिति का अनुवीक्षण कर रहे हैं और दीपक पारेख समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन

के लिए उचित उपाय कर रहे हैं। दिनांक 30 जून, 2001 से पहले यूटीआई ने कभी भी यह सूचित नहीं किया कि उन्हें यूएस–64 की बिक्री और पुनर्खरीद पर रोक लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है।

(ङ) आईडीबीआई ने अपने दिनांक 31 जुलाई, 2001 और 1 अगस्त, 2001 के फैक्सों द्वारा सूचित किया है कि मार्च/अप्रैल, 2001 के दौरान जब स्टॉक बाजार की अनियमितताएं प्रकाश में आईं तो आईडीबीआई ने यूटीआई को 4 मई, 2001 को सलाह दी कि वह कतिपय स्क्रिपों अर्थात् जी. टेलीफिल्म्स, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्यूनिकेशन लि., डीएसक्यू साफ्टवेयर, ग्लोबल टेली सिस्टम्स, आदि में यूटीआई द्वारा किए गए निवेशों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें और इन लेन–देनों के बारे में अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों से विशेष लेखा परीक्षा करवाए।

विवरण

दिनांक 30 जुलाई, 2001 की स्थिति के अनुसार न्यासी मंडल

1. श्री एम. दामोदरन, अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
2. डा. जे. भगवती, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नामिती (दिनांक 21 जुलाई, 2001 को नियुक्त)
3. श्री एस.के. चक्रवर्ती, कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
4. श्री के.एल. खेत्रपाल, कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक
5. श्री जी.एन. वाजपेयी, अध्यक्ष, जीवन बीमा निगम
6. श्री जानकी वल्लभ, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक
7. श्री राजेन्द्र पी. चिटाले, चार्टर्ड लेखाकार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नामिती
8. डा. वी.वी. देसाई, अर्थशास्त्री, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के नामिती
9. श्री डी.टी. पाई, अध्यक्ष, सिंडीकेट बैंक–अंशदान करने वाली संस्थाओं द्वारा चुने गए
10. चुने हुए सदस्य–रिक्त
11. कार्यकारी न्यासी–रिक्त।

प्रसार भारती बोर्ड

***188. श्री सुनील खां :**
श्री मंजय लाल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रसार भारती बोर्ड की सभी गतिविधियों का संचालन केवल एक ही सरकारी अधिकारी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के 15 सदस्यों के रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रसार भारती अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों तथा अंशकालिक सदस्यों को प्रसार भारती अधिनियम में व्यवस्था किए अनुसार एक समिति की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाता है। मंत्रालय ने रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्तियां करने हेतु उक्त समिति से अपनी सिफारिशें देने का अनुरोध किया है। इसकी सिफारिशों का इंतजार है। तथापि, रिक्त पदों को भरने के लिए कोई समय–सीमा तय नहीं की जा सकती है।

विश्व व्यापार संगठन की उत्पादन के मूल संबंधी नियमावली (रूल्स ऑफ ऑरिजिन) पर अन्तिम निर्णय

***189. श्री अशोक ना. मोहोल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्व व्यापार संगठन की 'उत्पादन के मूल संबंधी नियमावली' के संबंध में शीघ्र अन्तिम निर्णय चाहती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने 'उत्पादन के मूल संबंधी नियमावली' पर त्वरित बातचीत करने के लिए क्या प्रयास किए हैं;

(ग) क्या उत्पादन के मूल का निर्धारण करने के लिए अपनाए गए मानदंड किसी देश विशेष के व्यापारिक हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत उद्गम संबंधी नियमों के सुमेलीकरण करने हेतु डब्ल्यू टी ओ में चल रही वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। उद्गम संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार में ऐसे उद्देश्य, सिद्धांत और व्यापक मानदंड निर्धारित किए गए हैं जो उद्गम संबंधी नियमों के सुमेलीकरण को शासित करेंगे और ये उद्देश्यपूर्ण, समझने योग्य और पूर्वानुयोग्य होने चाहिए और इनका क्रियान्वयन सुसंगत, एकरूप, अविभेद और तर्कपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए।

वार्ताओं में अब तक आयोजित विचार–विमर्श में कतिपय उद्गम संबंधी नियमों का सुमेलीकरण करने के बारे में एक आम सहमति पर पहुंचना संभव रहा है। तथापि ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर आम सहमति होनी अभी बाकी है।

कुछेक समान विचार वाले विकासशील देशों के साथ मिलकर भारत ने उरुग्वे दौर के करारों के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्तावों के एक भाग के रूप में यह आग्रह किया था कि उद्गम संबंधी नियमों के सुमेलीकरण संबंधी कार्य को तीव्रता से सम्पन्न किया जाना चाहिए। इसके फलस्वरूप दिसंबर, 2000 में आयोजित क्रियान्वयन संबंधी विशेष अधिवेशन में डब्ल्यू टी ओ की महापरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि उद्गम संबंधी नियमों के सुमेलीकरण के शेष कार्य को अधिक से अधिक नवम्बर, 2001 के चौथे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तक अथवा 2001 के अंत तक पूरा कर लिया जाए।

कारगिल में आकाशवाणी केन्द्र

***190. श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासी स्वतःपूर्ण आकाशवाणी केन्द्र के अभाव में पाकिस्तानी दुष्प्रचार के शिकार हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या कारगिल निवासियों की ओर से कारगिल में एक स्वतःपूर्ण आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना करने की कोई मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां पर एक स्वतःपूर्ण आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का है;

(ङ) इसकी स्थापना कब तक हो जाने की संभावना है; और

(च) सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रसारण तन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) आकाशवाणी के पूर्ण रूप से सुसज्जित रेडियो स्टेशन पाकिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्रों में रेडियो कवरेज उपलब्ध करा रहे हैं। सीमापार के रेडियो प्रसारण भी इन क्षेत्रों में सुने जा सकते हैं।

(ग) से (ङ) ट्रांसमीटर तथा कार्यक्रम निर्माण स्टूडियो सहित एक सुसज्जित रेडियो स्टेशन कारगिल में पहले ही 1997 से कार्य कर रहा है।

(च) जम्मू तथा कश्मीर में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के विस्तार हेतु एक विशेष योजना पर पहले से ही काम चल रहा है जिसमें कारगिल में 200 किलोवाट का एक और मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाना शामिल है।

चीनी का व्यापार

***191. श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी के वायदा व्यापार को अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीनी के वायदा व्यापार से मूल्य में स्थिरता आने की संभावना है; और

(घ) इस प्रकार के व्यापार से किसानों और उपभोक्ताओं को क्या–क्या लाभ मिलने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने चीनी के भावी सौदा व्यापार को दिनांक 26.04.2001 को अनुमोदित किया और अधिसूचना दिनांक 14.05.2001 को जारी की गयी। आवेदन आमंत्रित करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गयी। आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 13.07.2001 थी। अभी तक 14 आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) चीनी के भावी सौदा व्यापार से मूल्यों की खोज में अर्थात भविष्य में चीनी के संभावित मूल्यों को जानने, भावी मूल्य जोखिमों अथवा हेजिंग से बचाव होने और मूल्य स्थिरीकरण में सहायता मिलने की उम्मीद है क्योंकि इन कार्यों के परिणामस्वरूप मूल्यों का उतार–चढ़ाव संतुलित हो जाएगा। भावी सौदा व्यापार मूल्यों की खोज और स्थिरीकरण के जरिए किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को जोखिम प्रबंधन उपलब्ध कराता है।

[हिन्दी]

गीताकृष्णन समिति की रिपोर्ट

***192. श्री माणिकराव होडल्या गावित :**
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के विभिन्न स्कन्धों के पुनर्गठन संबंधी गीताकृष्णन समिति की रिपोर्ट में की गई और सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें सरकार ने स्वीकार नहीं किया और प्रत्येक मामले के अलग–अलग कारण क्या हैं; और

(ग) इससे उनके मंत्रालय के विभिन्न स्कन्धों की कार्य–कुशलता पर कितना प्रभाव पड़ा है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित गीताकृष्णन समिति की रिपोर्ट पर इस मंत्रालय में विचार किया गया है। तथापि, इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

ज्ञान दर्शन कार्यक्रम

***193. श्री सुरेश रामराव जाधव :**
डा. जसवंतसिंह यादव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने ज्ञान दर्शन शिक्षा कार्यक्रमों को राष्ट्रीय नेटवर्क से हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय नेटवर्क पर उच्च स्तरीय सूचनापरक कार्यक्रम दिखाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रसार भारती द्वारा सूचनाप्रद शैक्षिक, मनोरंजन और लोक सेवा के मिश्रित कार्यक्रमों को उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क हेतु कार्यक्रम की विषयवस्तु की सतत् रूप से समीक्षा की जाती है।

अतिरिक्त खाद्यान्न भंडार

***194. श्री पवन कुमार बंसल :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी एजेन्सियों के पास अतिरिक्त खाद्यान्नों का मौजूदा भंडार कितना है; और

(ख) इसे 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के माध्यम से उपयोग में लाने के लिए यदि कोई कदम उठाए गए हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) 1.7.2001 की स्थिति के अनुसार न्यूनतम बफर स्टाक मानदण्ड की तुलना में गेहूं और चावल का 373.70 लाख टन अधिक स्टाक उपलब्ध था जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है–

(लाख टन में)

	न्यूनतम बफर स्टाक मानदण्ड	स्टाक स्थिति	बफर स्टाक मानदण्डों से अधिक स्टाक
गेहूं	143.00	389.20	246.20
चावल	100.00	227.50	127.50
जोड़	243.00	616.70	373.70

(ख) छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के सूखे से प्रभावित राज्यों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए 18,19,238 टन गेहूं और चावल मुफ्त उपलब्ध कराया गया है। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है—

(टन में)

	गेहूं	चावल	जोड़
छत्तीसगढ़	0	507000	507000
गुजरात	116515	31590	148105
हिमाचल प्रदेश	0	11549	11549
मध्य प्रदेश	158655	54424	213079
महाराष्ट्र	40000	10000	50000
[illegible]	0	15000	15000
राजस्थान	739505	0	739505
जोड़	1054675	764563	1819238

चाय का उत्पादन/निर्यात

***195. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया :**
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चाय का औसत वार्षिक उत्पादन, खपत और निर्यात कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और इस वर्ष आज की तारीख तक चाय का कुल उत्पादन, घरेलू खपत और निर्यात कितना–कितना रहा और आगामी वर्ष के लिए यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो वह क्या है;

(ग) देश में चाय की मांग और उत्पादन में कितना अंतर है;

(घ) क्या वर्ष–दर–वर्ष चाय का निर्यात कम हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान चाय के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और चाय के निर्यात में कमी आने के कारण कितने रुपये के राजस्व की हानि हुई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) इस वर्ष समेत पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय का उत्पादन, खपत और निर्यात निम्नानुसार है—

(आंकड़े मि.किग्रा. में)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात	खपत*
1998-99	852.45	205.86	620
1999-2000	835.35	192.44	638
2000-2001	848.36	196.32	658
2001-2002 (अनुमानित)	875.00	225.00	678
2001-2002 (अप्रैल–मई)@	128.53	26.27	95

*आंकड़े भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर।

@अनुमानित।

वर्ष 2002–03 के लिए चाय के उत्पादन, घरेलू खपत और निर्यात हेतु निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 927 मि.किग्रा., 693 मि.किग्रा. और 234 मि.किग्रा. का है।

(ग) देश में मांग और उत्पादन के बीच अंतर वर्ष 1998–99 के दौरान 8 मि.किग्रा., 1999–2000 के दौरान 70 मि.किग्रा. और 2000–2001 के दौन 27 मि.किग्रा. था।

(घ) से (च) जी, नहीं। भारत से मात्रा के रूप में चाय के निर्यात में वर्ष 1999–2000 की तुलना में वर्ष 2000–2001

के दौरान 3.88 मि.किग्रा. की वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2001–2002 के प्रथम दो महीनों (अप्रैल–मई) के दौरान चाय के निर्यात में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की संगत अवधि की तुलना में मात्रा के रूप में 2.12 मि.किग्रा. तक और मूल्य के रूप में 31.66 करोड़ रु. की वृद्धि दर्ज हुई है। तथापि कम यूनिट कीमत प्राप्ति की वजह से मूल्य के रूप में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में वर्ष 1999–2000 के दौरान 259.18 करोड़ रुपये और 2000–01 में 184.30 करोड़ रुपये तक की गिरावट दर्ज हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मात्रा और मूल्य के रूप में चाय का निर्यात निम्नानुसार रहा था–

वर्ष	मात्रा (मि.किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रु.)	मूल्य (मि. अमरीकी डालर)	यूनिट कीमत (रु./किग्रा.)
1998-99	205.86	2191.84	520.88	106.47
1999-2000	192.44	1932.66	427.46	100.43
2000-2001	196.32	1748.36	380.07	89.06
2001-2002 अप्रैल–मई	26.27 (24.15)	251.81 (220.15)	53.58 (47.83)	95.86 (91.16)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पूर्ववर्ती वर्ष के संगत आंकड़ों को दर्शाते हैं।)

गरीबी उपशमन कार्यक्रमों हेतु विश्व बैंक ऋण

***196. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल में भारत को गरीबी उपशमन कार्यक्रमों हेतु ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ऋण का उपयोग किस प्रकार किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) भारत को प्रदान की जा रही विश्व बैंक की सभी सहायता के अंतर्गत गरीबी निवारण एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तथापि, पिछले एक वर्ष में, गरीबी पर सीधा प्रहार करने वाली विशिष्ट परियोजनाओं को हाथ में लिया गया है। इनमें आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में जिला गरीबी निवारण उपक्रम परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं में सामुदायिक आधार पर सहभागी दृष्टिकोण अपनाते हुए और मांग आधारित निवेश निर्णय लेते हुए ग्रामीण गरीबों की प्राथमिकता प्राप्त सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अवसरों में सुधार करने का प्रयास किया जाता है। इन परियोजनाओं के लिए कुल सहायता 321.6 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 1500 करोड़ रुपये के समकक्ष) है।

(ग) इस ऋण का उपयोग सामाजिक, आर्थिक तथा ढांचागत गतिविधियों के लिए किया जाएगा जिसमें समूह आधारित आय सृजक गतिविधियां, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच के साथ–साथ लघु ढांचागत निवेश और दक्षता तथा संगठन में सुधार शामिल है। इन परियोजनाओं में मानव संसाधन विकास एक अंग भी है जिसके अधीन सामुदायिक आधार पर समान हित के समूहों और अन्य स्थानीय संस्थानों का क्षमता निर्माण सम्बन्धी कार्य भी प्रारम्भ किया जाएगा।

[हिन्दी]

सेब का आयात

***197. श्री शंकर सिंह वाघेला :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में सेब का आयात किया गया और इन निर्यातक देशों को कितनी भारतीय मुद्रा का भुगतान किया गया;

(ख) क्या इस आयात का भारतीय सेब उत्पादकों/व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपने सेब उत्पादकों को संरक्षण देने के लिए सेब के आयात में कमी करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) घरेलू सेब उत्पादकों/व्यापारियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए उठाए जा रहे अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई सेब की मात्रा तथा भुगतान की गई भारतीय मुद्रा निम्नानुसार है–

मात्रा टन में
मूल्य करोड़ रु. में

	1998-99		1999-2000		2000-2001 (अप्रैल 00– फरवरी 01)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ताजे सेब (08081000)	3	0.005	1974	5.52	5411	16.90
सूखे सेब (08133000)	–	–	36	0.09	–	–

(ख) से (ङ) सेब पर लगे आयात प्रतिबंधों को आर्थिक उदारीकरण नीति के अनुसार तथा हमारी अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं के अनुसार समाप्त कर दिया गया है। तथापि, आयातों पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त किए जाने के बाद वर्ष 2000–2001 के दौरान सेब के आयातों पर लगे सीमाशुल्क को 35% से बढ़ाकर 50% की अधिकतम सीमा दर तक कर दिया गया था। इसके अलावा, सेब सहित सभी प्रारंभिक कृषि उत्पादों के आयात को पौधा, फल, बीज (भारत में आयातीकरण) आदेश 1989 के अनुसार कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले आयात परमिट के अधीन रख दिया गया है।

[अनुवाद]

यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात

***198. श्रीमती रेणूका चौधरी :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ के देशों का विचार अड़तालीस सबसे कम विकसित देशों से सीमा शुल्क रहित निर्यात खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान इन देशों को भारत से कितना निर्यात हुआ है; और

(ग) यूरोपीय संघ के इस प्रस्ताव से भारत से यूरोपीय संघ को होने वाले निर्यात पर कितना प्रभाव पड़ने की आशंका है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां। यूरोपीय संघ ने अपने प्रस्ताव 'एवरीथिंग बट आर्म्स' (ईबीए) के तहत 48 कम विकसित देशों से होने वाले निर्यात को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करनी शुरू कर दी है। यह प्रस्ताव दिनांक 5.3.2001 से लागू हो गया है जिसमें चीनी, चावल और केले के मामले में लंबी संक्रमण अवधि का प्रावधान है।

(ख) वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान भारत से यूरोपीय संघ के देशों को क्रमशः 9,337.41 मिलियन अमरीकी डालर और 10362.58 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात किया गया है।

(ग) यह ईबीए प्रस्ताव भारतीय व्यापार और उद्योग जगत के लिए नई उत्पादन क्षमताओं की स्थापना और अल्प विकसित देशों में निवेश के अवसरों का एक अच्छा मौका साबित हो सकता है।

आस्ति देयता प्रबंधन

***199. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :**
श्री ए. ब्रह्मनैया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में सौ करोड़ रुपये से ऊपर की आस्तियां या बीस करोड़ रुपये की सार्वजनिक जमाराशि वाली सभी गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों को आस्ति देयता प्रबंधन के बारे में कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दिशानिर्देशों में चिट फंड या अन्य ऐसी ही एजेंसियों को शामिल नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने चिट फंडों में निवेश करने वाले छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने 'गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन बी एफ सी) में आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली के लिए मार्गनिर्देश' जारी किए हैं। ये मार्गनिर्देश सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होंगे, चाहे वे सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार/धारित कर रही हों या न कर रही हों। तथापि, प्रारंभ में, 100.00 करोड़ रुपये की आस्ति आधार के मानदंड को पूरा करने वाली (चाहे सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार/धारित करती हों या न करती हों) अथवा

31 मार्च, 2001 के लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार 20.00 करोड़ रुपये या इससे अधिक की सार्वजनिक जमाराशियां धारित करने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (उपस्कर पट्टा, किराया खरीद वित्त, ऋण, निवेश के कार्य में लगी और इसके रूप में वर्गीकृत तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों) को आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली स्थापित करनी होगी।

(ख) इन मार्गनिर्देशों का उद्देश्य ऋण जोखिम, ब्याज दर जोखिम, इक्विटी/जिन्स कीमत जोखिम, चलनिधि जोखिम तथा परिचालन संबंधी जोखिम को विनियमित करना और जोखिम प्रबंधन अनुशासन लागू करना अर्थात अन्तर्ग्रस्त जोखिमों का मूल्यांकन करने के बाद कारबार को नियंत्रित करना है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने जोखिम प्रबंधन का उन्नयन करके और अब तक की तुलना में अधिक व्यापक आस्ति देयता प्रबंधन प्रथाओं को अपना करके संरचनात्मक तरीके से इन जोखिमों को दूर करना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए, ये मार्गनिर्देश (i) आस्ति देयता प्रबंधन सूचना प्रणालियों (प्रबंध सूचना प्रणालियों और सूचना की उपलब्धता, वास्तविकता, पर्याप्तता और शीघ्रता), (ii) आस्ति देयता प्रबंधन संगठन (ढांचा और उत्तरदायित्व तथा शीर्ष प्रबंधन की अन्तर्ग्रस्तता के स्तर) और (iii) आस्ति देयता प्रबंधन की प्रक्रिया (जोखिम के पैरामीटरों, जोखिम की पहचान, जोखिम की माप, जोखिम प्रबंधन और जोखिम की नीतियों तथा सहनशीलता के स्तरों) के संबंध में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रबंधनों के लिए मार्गदर्शक–पुस्तिका के रूप में कार्य करेंगे।

(ग) चिट फंड कंपनियों अर्थात विविध गैर बैंकिंग कंपनियों और निधि कंपनियों अर्थात म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेन्स कंपनियां को इन मार्गनिर्देशों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है।

(घ) चिट फंड के परिचालनों का पर्यवेक्षण केन्द्रीय चिट फंड अधिनियम, 1982 के अधीन राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों या राज्यों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में चिट फंड की गतिविधियों के विनियमन के लिए पारित किये गये किसी विधान के अधीन संबंधित राज्यों के चिट रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। जहां तक निधि कंपनियों का संबंध है, उनके परिचालनों का नियंत्रण कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।

(ङ) चूंकि चिट फंड के परिचालनों का विनियमन संबंधित राज्यों के रजिस्ट्रारों द्वारा किया जाता है, इसलिए भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक को इस संबंध में कोई उपाय शुरू करने की आवश्यकता नहीं है।

यूटीआई संबंधी दीपक पारीख समिति

***200. श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1998 में यूटीआई संकट की जांच करने वाली दीपक पारीख समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं, जिन्हें यूटीआई ने लागू नहीं किया था और इसी कारण से हाल में ऐसा ही संकट सामने आ गया;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा अक्तूबर, 1998 में गठित दीपक पारीख समिति ने दिनांक 25 फरवरी, 1999 को अपनी रिपोर्ट यूटीआई को प्रस्तुत की। यूटीआई के न्यासी मंडल ने दिनांक 23 मार्च, 1999 को अपनी बैठक में इस रिपोर्ट पर विचार–विमर्श किया। इस समिति ने उन्नीस सिफारिशें की थीं जिनमें से दस तो पहले ही क्रियान्वित कर दी गई हैं, दो में यूटीआई अधिनियम में संशोधन अपेक्षित है और शेष कार्यान्वयनाधीन हैं। पारीख समिति की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) यूटीआई के अनुसार, स्कीम को एनएवी–संबद्ध बनाने के लिए चूंकि पारीख समिति ने 3–वर्षीय समय–सीमा का सुझाव दिया था, अतः वे इस समय–सीमा में ऐसा करने की तैयारी कर रहे थे।

विवरण

पहले ही क्रियान्वित

अनुशंसा # 1

आरंभिक निवेशक कम से कम 500 करोड़ रुपये की स्थायी निधियां अंतर्विष्ट करें।

अनुशंसा # 2

- विशेष यूनिट स्कीम 99 (एसयूएस 99) सृजित करें।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अंतरण और भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करते हुए सरकार एसयूएस, 99 में अभिदान करे।

अनुशंसा # 4

यूएस–64 द्वारा वितरित आय और इक्विटी में 50 प्रतिशत से अधिक निवेश करने वाली स्कीमों पर से कर हटाना।

अनुशंसा # 5

आईटी फार्मा और एफएमसीजी क्षेत्रों में अभिवृद्धि स्टॉकों की इक्विटी में निवेश करने के लिए यूटीआई की नई स्कीम शुरू करना।

अनुशंसा # 7 (क)

न्यासियों का उत्तरदायित्व बढ़ाना और उनके द्वारा अधिक प्राधिकार का प्रयोग किया जाना।

अनुशंसा # 9

प्रत्येक स्कीम के लिए अलग और स्वतंत्र निधि प्रबंधकों की नियुक्ति करते हुए उनमें स्पष्ट अंतर बनाना।

स्वतंत्र निर्णय और संबंधित निधि प्रबंधकों की आवश्यकताओं व बाजार निर्धारित मूल्यों पर आधारित अंतर–स्कीम अंतरण करना।

अनुशंसा # 10

पूरे उत्तरदायित्व व जवाबदेही के साथ यूएस–64 के लिए स्वतंत्र निधि प्रबंधक।

निधि प्रबंधक की सुदृढ़ अनुसंधान दल द्वारा सहायता की जाए और अनुसंधान क्षमता मजबूत की जाए।

अनुशंसा # 11

निवेश/विनिवेश निर्णय अनुसंधान विश्लेषक की अनुशंसाओं के आधार पर हों–विश्लेषकों के प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व हों।

निधि प्रबंधक के पास उनके बाजार व अनुसंधान निविष्टियों के ज्ञान के आधार पर निर्णय लेने का पूरा प्राधिकार और उत्तरदायित्व हो।

अनुशंसा # 15

लाभांश वितरण नीति का पूर्णतया पुनरुद्धार किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कीम बदलती हुई बाजार की स्थितियों के अनुकूल हो। अच्छे निष्पादन की अवधियों के दौरान समुचित प्रारक्षित निधि निर्माण के लिए अधिक संतुलित मार्ग अपनाने की आवश्यकता है। नियमानुसार जब असमुचित आय हो तो लाभांश कम करने की आवश्यकता है।

अनुशंसा # 16

निवेशकों को प्रस्तावित लाभ दर की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाए।

कार्यान्वयन हेतु पहले ही विचार किया जा चुका है

अनुशंसा # 3

- जहां भी व्यवहार्य हो, बातचीत के द्वारा, उच्चतम बोलीदाता को महत्वपूर्ण इक्विटी धारिताओं की अनुकूल बिक्री।

अनुशंसा # 7 (ख)

- न्यासियों की परिलब्धियों में वृद्धि तथा न्यासियों के उपस्थिति रिकार्ड का वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशन।

अनुशंसा # 12

- लघु निवेशकों पर संकेन्द्रण को सुदृढ़ करना तथा कार्पोरेट निवेशकों के प्रति झुकाव को घटाना।

अनुशंसा # 13

- यूएस–64 को तीन वर्षों में एन ए वी–संबद्ध बनाना।

अनुशंसा # 14

- अल्पकालिक निवेशकों को रोकने के लिए बिक्री तथा पुनर्खरीद मूल्यों में अंतर को क्रमिक रूप से बढ़ाना।

अनुशंसा # 17

- यूएस पोर्टफोलियो में ऋण के लिए स्कीम के उद्देश्यों के समनुरूप अधिक भारांश की व्यवस्था करने के लिए पोर्टफोलियो संघटन में परिवर्तन करना।
- ऐसा यूएस–64 द्वारा बाजार में इक्विटी पोर्टफोलियो के बड़े हिस्सों को बेचे बिना होना आवश्यक है।

अनुशंसा # 18

- यूएस–64 के प्रचालनों को यथासंभव शीघ्र सेबी के क्षेत्राधिकार में लाया जाए, इससे यूनिटधारकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित होगी तथा निवेशक विश्वास में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

अनुशंसा # 19

- बैंक कार्यालय, अंतःयोजना अंतरण तथा निवेशक सेवा शोधन सहित परिसंपत्ति प्रक्रियाओं की विस्तृत पुनरीक्षा के लिए एक स्वतंत्र व्यावसायिक फर्म का आरंभ करना।

तत्काल कोई कार्रवाई नहीं–यूटीआई अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है

अनुशंसा # 6

- बोर्ड द्वारा अतिरिक्त 5 सदस्यों के सह–विकल्प सहित यूटीआई बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 15 करना।

अनुशंसा # 8

- यूएस–64 के लिए स्वतंत्र निदेशक मंडल सहित पृथक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी।

विदेशों में 'सेक्टोरल प्रॉडक्ट डिसप्ले सेन्टर्स' की स्थापना

1857. श्री सुबोध मोहिते : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय निर्यातकों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में सहयता प्रदान करने के लिए विदेशों में स्थायी 'सेक्टोरल प्रॉडक्ट डिसप्ले सेन्टर्स' की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय निर्यातकों को विदेशों में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 2001–02 के दौरान शुरू की गई निर्यात वृद्धि और निर्यात अध्ययन–बाजार पहुंच पहल योजना में विपणन अध्ययनों के आधार पर विदेशों में अभिज्ञात केन्द्रों में चुनिन्दा उपभोक्ता मदों के लिए लीज पर अथवा किराए पर लिए गए स्थानों पर शोरूम तथा भंडारगृहों की स्थापना के लिए प्रावधान है। शोरूम तथा भंडारगृह–सुविधाओं के लिए लीज/किराया प्रभारों को इस योजना द्वारा प्रथम तीन वर्षों में टैपरिंग आधार पर 75%, 50% और 25% की दर से क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में वहन किया जाएगा। परियोजना की स्वीकृत अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय विभागीय स्टोरों में चुनिन्दा निर्यातकों के चुनिन्दा उत्पादों के प्रदर्शन प्रभारों को भी इस योजना द्वारा और भागीदार निर्यातकों द्वारा एक मैचिंग आधार पर वहन किया जाएगा।

(ग) विभिन्न बाजारों में निर्यातों को जारी रखने और उन्हें बढ़ाने में आ रही कठिनाइयों से निपटने के लिए भारतीय निर्यातकों को सहायता देने के उद्देश्य से उन्हें अन्य बातों के साथ–साथ बाजार–अध्ययन करने, क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने, बिक्री संवर्धन दौरे आयोजित करने, विदेशों में शुरू की गई पाटनरोधी कार्रवाइयों के विरुद्ध लड़ने तथा ब्रांड संवर्धन प्रयासों हेतु प्रचार अभियान चलाने के लिए सहायता दी जा रही है।

[हिन्दी]

इथनॉल का उत्पादन

1858. श्री पी. आर. खूंटे : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शीरे से इथनॉल का विनिर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार उत्पादित इथनॉल का उपयोग ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) शीरा भी एक फीडस्टॉक है जिससे इथनॉल तैयार किया जाता है। देश में ऐसी कई डिस्टलरीज हैं जो शीरे से इथनॉल तैयार कर रही हैं।

भारत में भारतीय मानक ब्यूरो की मौजूदा विनिर्दिष्टियों के अधीन पेट्रोल में 5% तक इथनॉल का सम्मिश्रण करने की अनुमति है। आटो ईंधन के रूप में इथनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग की तकनीकी व्यवहार्यता स्थापित हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर गेसोहल से संबंधित तीन पायलट परियोजनाएं आरंभ की गई हैं–

- जिला सांगली, महाराष्ट्र में मिराज/हजरवाडी डिपो
- जिला नासिक, महाराष्ट्र में मनसाड/पानेवाडी डिपो
- जिला, बरेली, उत्तर प्रदेश में बरेली/औनला डिपो

इनका उद्देश्य संभार तंत्र, मूल्य–निर्धारण और पर्यावरण संबंधी प्रभाव, ग्राहक फीडबैक, आदि के संदर्भ में गेसोहल के उपयोग के आर्थिक और परिचालन संबंधी पहलुओं का पता लगाना है। फील्ड परीक्षण और अनुसंधान तथा विकास अध्ययन साथ–साथ किए जाएंगे क्योंकि इनकी अवधि क्रमशः 6 मास और 12 मास है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से चल रही परियोजनाएं

1859. श्री राजैया मल्याला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश भारत में विश्व बैंक के कर्जदारों में सबसे ऊपर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि ऋण के रूप में ली गई और उक्त ऋण का उपयोग कौन–कौन सी परियोजनाओं में किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारत के किसी अन्य राज्य की भांति आंध्र प्रदेश भी विश्व बैंक से ऋण नहीं लेता क्योंकि संविधान के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है। भारत सरकार राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए भी विश्व बैंक से ऋण लेती है। राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा उधार ली गयी ऋण राशि के अनुसार आंध्र प्रदेश सूची में सबसे ऊपर है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998–99, 99–00 और 2000–01 के दौरान राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए उधार ली गयी राशि क्रमशः 1540.70, 999.05 और 1889.74 मिलियन डालर थी जिसमें से आंध्र प्रदेश की परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 1998–99 के लिए 752.20 मिलियन डालर, वित्तीय वर्ष 1999–00 के लिए 0.00 मिलियन डालर और वित्तीय वर्ष 2000–01 के लिए 111.00 मिलियन डालर का ऋण लिया गया था। 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक से भारत को कुल बकाया वचनबद्ध ऋण का 19.4 प्रतिशत हिस्सा आंध्र प्रदेश का था।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश की परियोजनाओं के लिए परियोजनाओं के ब्यौरे और उधार ली गयी राशि निम्नानुसार है–

(राशि मिलियन अमरीकी डालर में)

परियोजना का नाम (हस्ताक्षर होने की तारीख)	ऋण राशि		जोड़	31.3.2001 की स्थिति के अनुसार उपयोग
	आईडीए	आईबीआरडी		
आं.प्र. आर्थिक पुनर्संरचना परि. 4.2.1999	241.900	301.300	543.200	137.382
आं.प्र. विद्युत पुनर्संरचना 5.3.1999	210.000	–	210.000	96.292
आं.प्र. जिला गरीबी रोधी उपक्रम परियोजना (12.5.2000)	111.000	–	111.000	3.227
जोड़	562.900	301.300	864.200	

एफ.सी.आई. द्वारा विकेन्द्रीकृत खरीद

1860. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफ.सी.आई. ने राज्य सरकारों के पास उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का उपयोग करने की दृष्टि से मोटे अनाज की खरीद के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों को उप–एजेंटों के रूप में कार्य पर लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्यान्नों की इस विकेन्द्रीकृत खरीद से आर्थिक लागत को कम रखने में सहायता मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में कमी के मद्देनजर एफ.सी.आई. का विचार खाद्यान्नों की खरीद में राज्य सरकार की और अधिक एजेंसियों को काम पर लगाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में कौन–कौन से अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, हां। मोटे अनाजों की वसूली करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियुक्त किये गए उप–एजेंटों के राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं–

राज्य	उप–एजेंट
आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश मार्कफेड
कर्नाटक	कर्नाटक राज्य खाद्य और नागरिक पूर्ति निगम
महाराष्ट्र	राज्य सरकार
मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश नागरिक पूर्ति निगम

16.7.2001 की स्थिति के अनुसार खरीफ विपणन मौसम 2000–2001 के दौरान भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा वसूल किए गए मोटे अनाज के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) चूंकि मोटे अनाजों की वसूली भारतीय खाद्य निगम की ओर से राज्य सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा की जाती है, इसलिए आर्थिक लागत में कमी करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) संगत फसल मौसम के लिए वसूली नीति राज्य सरकार से परामर्श करके तय की जाती है। मोटे अनाजों की वसूली करने के लिए अधिक संख्या में राज्य सरकार की एजेंसियों को काम पर लगाने के बारे में राज्य सरकार को निर्णय करना होता है।

विवरण

वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2000–01 (16.7.2001 की स्थिति के अनुसार) के दौरान भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा वसूल किए गए मोटे अनाजों का ब्यौरा

(आंकड़े मी.टन में)

जिन्स

क्र.सं. राज्य का नाम	मक्का	ज्वार	बाजरा	रागी
1. कर्नाटक				
भारतीय खाद्य निगम	121604	–	–	–
के.एफ.सी.एस.सी.	261012	–	4514	15413
जोड़	382616	–	4514	15413
2. महाराष्ट्र				
राज्य सरकार	16107	151229	10510	–
3. मध्य प्रदेश				
एम.पी.सी.एस.सी.	19535	1168	7373	–
4. आंध्र प्रदेश				
भारतीय खाद्य निगम	20451	–	–	–
ए.पी. मार्कफेड	22468	–	–	–
जोड़	42919			
सकल जोड़	461177	152397	22397	15413

बजट में गैर-योजनागत प्रावधान

1861. श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने निर्यातकों की वर्षों से पड़ी देय राशि का निपटान करने के लिए वित्त मंत्रालय से बजट में अतिरिक्त गैर–योजनागत प्रावधान करने का मामला उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) बजट–पूर्व चर्चा के दौरान, माने गए निर्यात संबंधी योजना के संबंध में शुल्क वापसी तथा केन्द्रीय बिक्री कर के बकायों के निपटान के लिए 700 करोड़ रु. की मांग रखी गई थी। तथापि, वाणिज्य विभाग के लिए अंतिम गैर–योजना आबंटन 851.78 करोड़ रु. निर्धारित किया गया था जिसमें से 610.00 करोड़ रु. इस उद्देश्य के लिए रखा गया था।

जैव संवर्धित खाद्य पदार्थ

1862. श्री मोहन रावले : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वैध तरीके से आयातित खाद्य उत्पादों के संघटक के रूप में अवैध रूप से आयातित जैव संवर्धित खाद्य पदार्थ देश के स्थानीय बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, नहीं। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन हजार्डस माइक्रो–आरगेनिजम्स/जैनेटिकली इंजीनियर्ड आरगेनिजम्स ओर सैल्स, 1989 के उत्पादन, उपयोग आयात, निर्यात और भण्डारण के लिए नियमावली के नियम 4 के अधीन स्थापित जैनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने देश में किसी प्रकार के आनुवांशिक रूप से परिवर्तित खाद्य के आयात के लिए अनुमोदन नहीं दिया है।

इराक को गेहूं का निर्यात

1863. श्री अबुल हसनत खां : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक द्वारा गेहूं की दो खेपों को अस्वीकृत किए जाने की जांच के लिए इराक का दौरा करने वाले उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्यातकों द्वारा इराक को गेहूं का निर्यात करने से पहले कड़े गुणवत्ता मानदंडों का पालन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) रिपोर्ट में उल्लिखित निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय कोडैक्स मानकों के अनुसार अनाज में 2 प्रतिशत तक विजातीय तत्व अनुमेय हैं जिनमें से 1.5 प्रतिशत चोकर, खरपतवार के बीज, अन्य खाद्य तथा अखाद्य अनाज आदि जैसे कार्बनिक तत्व और शेष (0.5 प्रतिशत) पत्थर, धूल आदि जैसे अकार्बनिक विजातीय तत्व शामिल होते हैं। इराकी संविदा में विहित गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों में दो प्रतिशत तक विजातीय तत्व की मौजूदगी की व्यवस्था है। इस 2 प्रतिशत का आगे कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों में अलग–अलग विवरण नहीं है। तथापि, इराक का दौरा करने वाले भारतीय शिष्टमंडल को इराकी प्राधिकारियों द्वारा सूचित किया गया था कि उनकी परिभाषा के अनुसार वे रेत कणों की गणना विजातीय तत्व के अधीन नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में अकार्बनिक तत्व जो रेत, पत्थर, रोड़े, मिट्टी के कण आदि जैसे विजातीय तत्वों का हिस्सा हैं, इस श्रेणी के अधीन स्वीकार्य नहीं हैं। उनके द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया कि इस श्रेणी के अधीन केवल कार्बनिक विजातीय तत्व (जैसे कि चोकर, कणिकाएं, खरपतवार के बीज और अन्य खाद्य और अखाद्य अनाज) लिए जाते हैं। निर्यातकों को इस स्थिति की जानकारी नहीं थी। उन्होंने यह मान लिया कि जैसा कि कोडैक्स मानकों में उल्लेख है 2 प्रतिशत विजातीय तत्व में 5 प्रतिशत तक अकार्बनिक तत्व शामिल होंगे। शिष्टमंडल को यह भी सूचित किया गया कि इराकी फ्लोर मिलों में अकार्बनिक तत्वों को अलग करने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण उनके यहां ऐसी मशीनों के रखरखाव के लिए अपेक्षित अतिरिक्त कल पुर्जों की समस्या है। शिष्टमंडल को बताया गया है कि तद्नुसार इराकी प्राधिकारियों ने निर्णय लिया है कि गेहूं के ऐसे किसी भी स्टाक को अस्वीकार कर दिया जाए जिसमें रेत, पत्थर आदि जैसे अकार्बनिक तत्व पाए जाएं। शिष्टमंडल को यह भी सूचित किया गया था कि विभिन्न अन्य देशों से आए गेहूं को भी इसी आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था। भारतीय खाद्य निगम को यह भी सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए कि इराक को तब तक गेहूं का कोई परेषण नहीं भेजा जाए जब तक उसे ग्रेड बोर्ड आफ इराक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साफ नहीं कर लिया

गया हो। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को निदेश दिए हैं कि वह कांडला बन्दरगाह अथवा अन्य किसी बन्दरगाह जहां से निर्यात होता है, में गेहूं साफ करने की सुविधाएं स्थापित करे।

शीत गृहों की स्थापना के लिए राज-सहायता

1864. श्री अशोक अर्गल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नाबार्ड' शीत गृहों की स्थापना के लिए विशिष्ट कंपनियों को राज–सहायता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो 'नाबार्ड' के पास ऐसे कितने आवेदन लंबित हैं और वे कब से लंबित पड़े हैं; और

(ग) 'नाबार्ड' द्वारा ऐसे आवेदनों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि वह भारत सरकार की शीतागार योजना के अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं जो नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र होते हैं, के माध्यम से बैंक ऋण का लाभ उठाने वाले पात्र संगठनों को सब्सिडी उपलब्ध कराता है। सरकार के अनुमोदन के अनुसार, सहकारी कंपनियां, साझेदारी और स्वामित्व कंपनियां, कृषि उत्पादन विपणन समितियां/बोर्ड, कृषि उद्योग, निगम और उत्पादक संघ इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए पात्र हैं।

(ख) 28 जुलाई, 2001 की स्थिति की स्थिति के अनुसार, नाबार्ड को 221 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से, केवल 8 आवेदन जारी करने के लिए लंबित हैं। सात आवेदनों के मामले में विचाराधीनता की अवधि एक माह से कम है। कतिपय स्पष्टीकरण न मिलने के कारण केवल एक आवेदन एक माह से अधिक से लंबित पड़ा है।

(ग) सब्सिडी दावों के तुरंत निपटारे को सुनिश्चित करने हेतु सब्सिडी जारी करने की मंजूरी देने की शक्तियां नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्यायोजित की गई हैं। प्रगति की निगरानी साप्ताहिक आधार पर प्रधान कार्यालय स्तर पर की जाती है। नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों से कहा गया है कि वे सब्सिडी दावों को निपटाने के लिए प्राथमिकता आधार पर कार्यवाही पूरी करें।

दावारहित म्यूचुअल फंड लाभांश

1865. श्री किरीट सोमैया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि म्यूचुअल फंड के पास हजारों करोड़ रुपए दावारहित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने कोई अध्ययन किया है;

(ग) पिछले दस वर्षों के दौरान विभिन्न म्यूचुअल फंडों के पास पड़ा हुआ दावारहित लाभांश कितना है;

(घ) क्या सरकार को इसके उपयोग के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस फंड की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचना दी है कि 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार सेबी के पास पंजीकृत म्यूचुअल फंडों के पास दावा रहित लाभांशों तथा मोचन की कुल राशि (यूटीआई को छोड़कर) लगभग 496 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार, यूटीआई की विभिन्न परिपक्व हो चुकी सीमित अवधि की योजनाओं के तहत दावा रहित कुल राशि 3.03 करोड़ रुपये थी।

(घ) से (च) म्यूचुअल फंड उद्योग के साथ चर्चा के आधार पर सेबी ने दिनांक 24 नवंबर, 2000 के पत्र के तहत यूटीआई सहित सभी म्यूचुअल फंडों को दावा रहित लाभांशों तथा मोचन के नियोजन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार म्यूचुअल फंडों को दावा रहित ये राशियां मांग मुद्रा बाजार में या मुद्रा बाजार प्रपत्रों में ही नियोजित करनी चाहिए। देय तिथि से तीन वर्षों की अवधि के भीतर इन राशियों का दावा करने वाले निदेशकों को प्रचलित निवल मूल्य पर भुगतान किया जाना होगा।

तीन वर्षों की अवधि के पश्चात् फंड इस राशि को पूल लेखे में अंतरित कर सकते हैं तथा निदेशक तीसरे वर्ष के अंत में प्रचलित एनएवी पर राशि के लिए दावा कर सकते हैं। ऐसे फंडों पर अर्जित आय का उपयोग निवेशक शिक्षा के प्रयोजनार्थ किया जा सकता है।

आंध्र प्रदेश में धान की खरीद

1866. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा आंध्र प्रदेश में धान की खरीद बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने राज्य में लेवी चावल की खरीद में वृद्धि करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, नहीं। खरीफ विपणन मौसम 2000–2001 के दौरान, 30.7.2001 तक भारतीय खाद्य निगम ने आंध्र प्रदेश से 429125 टन धान की वसूली की है, जबकि गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान उसने कोई वसूली नहीं की थी।

(ग) और (घ) 30.7.2001 की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम ने आंध्र प्रदेश में 65.16 लाख टन लेवी चावल स्वीकार किया है जबकि गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान उसने 51.59 लाख टन लेवी चावल स्वीकार किया था।

विनिवेश के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का बाजार मूल्य

1867. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या **विनिवेश** मंत्री 25 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5068 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे सभा पटल पर कब तक रखे जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 25.8.2000 को उत्तरित्त अतारांकित प्रश्न संख्या 5068 के भाग (घ) में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दो वर्ष पूर्व के बाजार शेयरों का मूल्य तथा तत्कालीन बाजार शेयरों का मूल्य पूछा गया था। संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है तथा यह जानकारी जल्दी ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पॉम ऑयल का आयात

1868. श्री टी. गोविन्दन :
श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मलेशिया और इंडोनेशिया से बहुत कम आयात शुल्क पर पॉम ऑयल के आयात को अनुमति दे दी है जिसके परिणामस्वरूप देश में हाल में नारियल के तेल के मूल्य में भारी गिरावट आ गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने घरेलू किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, नहीं। इसके विपरीत शुल्क ढांचे को 1.3.2001 से संशोधित करके शुल्क में वृद्धि की गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) घरेलू किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं—

(i) वनस्पति के उत्पादन में कम–से–कम 25 प्रतिशत तक मासिक आधार पर स्वदेशी तेलों का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। वनस्पति के उत्पादन में 30 प्रतिशत तक एक्सपैलर सरसों तेल के उपयोग की अनुमति भी दी गई है। इसका उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद के लिए बेहतर लाभ देकर प्रोत्साहन देना है।

(ii) घरेलू तिलहन उत्पादकों, उपभोक्ताओं और संसाधकों के हितों में ताल–मेल बिठाने और यथासंभव सीमा तक खाद्य तेलों के भारी मात्रा में होने वाले आयात को नियमित करने के लिए खाद्य तेलों के शुल्क ढांचे में 1.3.2001 से वृद्धि की गई है।

[हिन्दी]

जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन का अधिकार

1869. श्री जय प्रकाश : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्व व्यापार संगठन से टी.आर.आई.पी.एस. समझौते के अंतर्गत जीवन रक्षक औषधियों और सामान्य दवाओं के उत्पादन के अधिकार का दुबारा से दावा करने की मांग करने की आवश्यकता महसूस करती है;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार, भारत द्वारा हाल में जिनेवा में सम्पन्न हुई टी.आर.आई.पी.एस. काउंसिल में क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में टी.आर.आई.पी.एस. की राय/प्रतिक्रिया क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) दिनांक 20 जून, 2001 को आयोजित विशेष सत्र में डब्ल्यू टी ओ की ट्रिप्स परिषद् ने व्यापार से संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकारों के पहलुओं (ट्रिप्स) तथा औषधियों की सामर्थ्यानुसार पहुंच के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया था। उक्त विशेष सत्र में भारत ने 46 अन्य विकासशील देशों के साथ ट्रिप्स और लोक स्वास्थ्य पर एक संयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत किया था। भारत ने अन्य सहप्रायोजकों के साथ इस संयुक्त दस्तावेज में यह मांग की है कि डब्ल्यू टी ओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रिप्स करार के तहत लोक-स्वास्थ्य संबंधी अपनी खुद की नीतियां तैयार करने और औषधियों की सामर्थ्यानुसार पहुंच उपलब्ध करने के लिए उपाय अपनाने के डब्ल्यू टी ओ सदस्यों के अधिकार में कमी न आए। ट्रिप्स करार की व्याख्या में और अधिक लोचशीलता तथा स्पष्टता की मांग की गई है ताकि विकासशील देशों की लोक-स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर किया जा सके जिससे कि आवश्यक औषधियों और जीवन रक्षक दवाओं की सामर्थ्यानुसार पहुंच सुनिश्चित हो सके।

विशेष सत्र में यह निर्णय लिया गया था कि ट्रिप्स करार और औषधियों के पहुंच के मुद्दे पर सितम्बर, 2001 में आयोजित होने वाली डब्ल्यू टी ओ की ट्रिप्स परिषद की अगली बैठक में आगे और विचार-विमर्श किया जाएगा।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था की निगरानी

1870. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री समर चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थव्यवस्था पर कड़ी निगरानी के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था की स्थिति से व्याकुल है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के आकलन को वर्ष 2001-02 की मौद्रिक एवं ऋण नीति की 19 अप्रैल, 2001 की विवरणी में प्रस्तुत किया गया है। इस आकलन के अनुसार वर्ष 2000-2001 के दौरान समग्र वृहत्-आर्थिक संकेतक मूल्यों में स्थिरता के साथ-साथ विकास के लिए अनुकूल बने रहे। अनुकूल घटनाक्रम में ये शामिल हैं : वर्ष की समाप्ति पर मुद्रास्फीति दर का न बढ़ना, भुगतान संतुलन को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ बनाना, चालू खाते का न्यूनतर घाटा और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों का बढ़ता हुआ स्तर।

तथापि, सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की वास्तविक वृद्धि में गिरावट हुई जो 1999-2000 में 6.4 प्रतिशत से घटकर 2000-01 में 5.2 प्रतिशत रह गई। औद्योगिक क्षेत्र के पुनरुत्थान, अनुकूल मानसून और निर्यातों के अच्छे निष्पादन की परिकल्पना करते हुए मौद्रिक नीति निर्माण के प्रयोजन हेतु मौद्रिक एवं ऋण नीति विवरणी में वर्ष 2001-2002 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की संभावित वृद्धि दर 6 से 6.5 प्रतिशत रखी गई थी। पुनः विकास की लक्षित स्थितियां अनुकूल हैं। अनुकूल मानसून होने से कृषि के विकास की संभावना और भी बढ़ गई है। इसलिए वर्ष 2001-02 के केन्द्रीय बजट में निर्धारित कृषि एवं ग्रामीण विकास पर केन्द्रित व्यापक कार्य योजना से चालू वित्तीय वर्ष में कृषि के विकास में पर्याप्त वृद्धि होने की आशा है। इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के पुनर्विकास में इसके योगदान की आशा है।

हवाला कारोबार

1871. श्री हरीभाऊ शंकर महाले :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका निवासी एक अनिवासी भारतीय ने स्वीकार किया है कि उसने हवाला कारोबार के माध्यम से चारा घोटाले का धन भारत में लाभार्थियों को भेजा था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अनिवासी भारतीय द्वारा जिन लोगों को धन का भुगतान किया गया उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास कर रहे भारतीय मूल के कनेडियन नागरिक श्री रमेश अरोड़ा ने जांच के दौरान यह बताया है कि उन्होंने चारा घोटाले के मामले में एक अभियुक्त डा. आर. के. राणा के परिवार के सदस्यों को भारत में अपने अनिवासी बाह्य खातों के माध्यम से 30 लाख रुपये तक का भुगतान किया है।

(ग) डा. आर.के. राणा के परिवार के सदस्य, जिन्हें श्री रमेश अरोड़ा द्वारा अपने अनिवासी बाह्य खातों के माध्यम से भुगतान किया गया है, का ब्यौरा निम्नानुसार है–

क्र.सं.	प्राप्तकर्ता का नाम	प्रदत्त राशि
1.	श्रीमती नयना राणा	6 लाख रुपये
2.	मास्टर अमित राणा	6 लाख रुपये
3.	मास्टर सौरभ राणा	6 लाख रुपये
4.	मास्टर गौरव राणा	6 लाख रुपये
5.	कु. रश्मि राणा	6 लाख रुपये
	कुल	30 लाख रुपये

(घ) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत डा. आर.के. राणा, श्रीमती नयना राणा और रमेश अरोड़ा के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनके विरुद्ध न्याय निर्णयन और अभियोजन की कार्यवाही भी आरंभ की गई है।

एल.आई.सी. द्वारा 'वाइड एरिया नेटवर्क' का विस्तार

1872. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम का अपने व्यापक क्षेत्र नेटवर्क (डब्ल्यू.ए.एन.) को 33 और शहरों में बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम की व्यापक क्षेत्र नेटवर्क सुविधा वर्तमान में कितने शहरों या केन्द्रों में उपलब्ध है;

(घ) वर्तमान व्यापक क्षेत्र नेटवर्क द्वारा कितने पालिसी–धारकों को सुविधा दी जा रही है;

(ङ) भारतीय जीवन बीमा निगम के पालिसीधारकों से संबंधित सभी कार्यों, फार्मों, भुगतान प्रणाली और अन्य मामलों को आसान बनाने हेतु क्या कोई प्रयास किये जाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो इसे कब तक किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) उन शहरों के नाम, जहां पर जीवन बीमा निगम द्वारा वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) सुविधा प्रदान की जा रही है, नीचे दिए गए हैं–

1. जयपुर	2. अमृतसर	3. चण्डीगढ़
4. लुधियाना	5. जालंधर	6. गुवाहाटी
7. जमशेदपुर	8. पटना	9. कटक
10. भोपाल	11. इंदौर	12. जबलपुर
13. आगरा	14. इलाहाबाद	15. बरेली
16. लखनऊ	17. कानपुर	18. कोयम्बतूर

19. मदुरै	20. तिरुअनंतपुरम्	21. एर्नाकुलम
22. विजयवाड़ा	23. मैसूर	24. विशाखापत्तनम
25. नेल्लोर	26. नागपुर	27. नासिक
28. बड़ोदरा	29. सूरत	30. औरंगाबाद
31. कोल्हापुर	32. ठाणे	33. गोआ

(ग) इस समय 41 शहर वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत कवर हैं।

(घ) विद्यमान वाइड एरिया नेटवर्क द्वारा लगभग 3.63 करोड़ पालिसियों की सर्विस की जाती है।

(ङ) वाइड एरिया नेटवर्क पर 41 शहरों में 663 शाखाओं द्वारा जिन पालिसियों की सर्विस की जाती है, उनके लिए इन शाखाओं में से किसी में भी प्रीमियम का भुगतान करना संभव हो सका है। पालिसीधारकों की सहायता के लिए सभी प्रकार के दावा फार्म वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एलआईसी इंडिया.काम से डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। पालिसीधारकों को प्रदान की जा रही अन्य सुविधाएं इंटरनेट पर प्रीमियम का भुगतान और इंटरनेट पर पालिसियों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना है। यह सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क पर वेतन-भिन्न बचत स्कीम जैसी पालिसियों के लिए उपलब्ध होगी। इसी प्रकार, जीवन बीमा निगम द्वारा स्थापित इंटरएक्टिव वायस रेसपोंस सिस्टम (आईवीआरएस) के माध्यम से 57 केन्द्रों में दूरभाष पर भी पालिसियों की स्थिति जानी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम ने विभिन्न केन्द्रों में 30 टच स्क्रीन इन्फारमेशन कियोस्क स्थापित किए हैं जिसमें से 15 कार्यरत हैं और पालिसियों के संबंध में सूचना प्रदान करते हैं। शेष केन्द्रों के लिए इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है।

(च) चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक।

व्यय में किफायत

1873. **श्री रघुनाथ झा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के कई विभाग एन.सी.सी.एफ. और सुपर बाजार से लेखन सामग्री की खरीद में वित्तीय दूरदर्शिता का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एन.सी.सी.एफ. और सुपर बाजार को सरकारी विभागों को लेखन सामग्री की आपूर्ति करने हेतु प्राधिकृत करने के क्या कारण हैं जबकि केन्द्रीय भंडार पहले ही उक्त कार्य हेतु प्राधिकृत है;

(घ) क्या सरकारी विभागों को लेखन सामग्री और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिये एक से अधिक एजेंसी को प्राधिकृत करने से कुप्रबंधन नहीं हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शुरू किये गये उपचारात्मक उपाय यदि कोई हों, तो उनका ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) सरकारी विभागों को तीन अनुमोदित एजेंसियों अर्थात केन्द्रीय भंडार, सुपर बाजार, दिल्ली और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ से लेखन सामग्री तथा अन्य मदों की खरीद के लिए वित्तीय दूरदर्शिता का पालन करना होता है। तथापि, इससे संबंधित सूचना/ब्यौरे केन्द्रीय रूप से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने दिल्ली और दिल्ली से बाहर अवस्थित सरकारी विभागों को लेखन सामग्री तथा अन्य मदों की आपूर्ति के लिए केन्द्रीय भंडार, सुपर बाजार, दिल्ली और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को प्राधिकृत किया है। सरकार का यह प्रयास रहा है कि सहकारी भंडारों को प्रोत्साहन देकर सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। किन्तु गुणवत्ता और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करना अनिवार्य था और इस प्रकार तीन सहकारी समितियों को प्राधिकार दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का विनिवेश

1874. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जून, 2001 के अंत तक हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के विनिवेश की योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें हो रही देरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मजदूर यूनियनों ने अपना विरोध व्यक्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) सरकार ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में अनुकूल साझीदार की प्रबंधन में उपयुक्त भूमिका के साथ अनुकूल बिक्री के माध्यम से 26 प्रतिशत इक्विटी के विनिवेश का निर्णय लिया है। इस निर्णय को वर्ष 2001–2002 के दौरान क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) निर्णय के क्रियान्वयन में कोई विलंब नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन (इन्टुक) ने उनकी कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति अग्रेषित की है जिसमें भारत सरकार से अपने निर्णय की समीक्षा करने तथा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का निजीकरण न करने का अनुरोध किया गया है। उनके अभ्यावेदन का उत्तर दिया गया है।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड का विनिवेश

1875. श्री बी. के. पार्थसारथी : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड (एच. सी.एल.) के विनिवेश का फैसला किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अग्रणी मजदूर संघों ने एच.सी. एल. के विनिवेश पर अपना विरोध व्यक्त किया है;

(ग) सरकारी हिस्से का कितना प्रतिशत विनिवेश किया जाना है; और

(घ) इसे किस मूल्य पर बेचा जाना है और जिस पार्टी को इसे बेचा जाना है, उसका ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) सरकार ने, प्रथम चरण में खेतड़ी (राजस्थान) और हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के तलोजा (महाराष्ट्र) संयंत्र को अनुकूल साझीदार के साथ एक नई कंपनी में स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस नई कंपनी में 51 प्रतिशत इक्विटी अनुकूल साझीदार के पास और 49 प्रतिशत हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के पास रहेगी।

(ख) खेतड़ी तांबा श्रमिक संघ ने विनिवेश प्रस्ताव का विरोध करते हुए सरकार को अभ्यावेदन दिया है। सरकार ने इस उद्यम में विनिवेश के मूलाधार को स्पष्ट करते हुए उनके अभ्यावेदन का उत्तर दिया है।

(ग) उपर्युक्त (क) में दिए गए अनुसार।

(घ) प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के पूरा होते ही यह ज्ञात हो जाएगा।

[हिन्दी]

बिहार की लंबित परियोजनायें

1876. श्री राजो सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार से संबंधित कई परियोजनायें उनके मंत्रालय के पास लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) ये परियोजनायें कब से लंबित हैं और प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) इन परियोजनाओं को मंजूरी देने में हुई देरी के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) 1 जुलाई, 2001 की स्थिति के अनुसार, बिहार राज्य के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदन पत्र केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ लंबित नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

1877. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सरकारी क्षेत्र के बड़े केन्द्रीय उपक्रमों की कार्य प्रणाली की समीक्षा की है;

(ख) क्या निजीकरण के लिए प्रस्तावित उनमें से कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण का फैसला उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा के बाद किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उस पर क्या कदम उठाये गये हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों का कार्यकरण, जो पंजीकृत कंपनियां हैं, कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों द्वारा संचालित होता है। इन कंपनियों के शेयर धारक के रूप में सरकार के पास इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन की संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय तथा लोक उद्यम विभाग के माध्यम से समय-समय पर समीक्षा करने का तंत्र भी मौजूद है।

(ख) से (घ) किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सरकारी इक्विटी के विनिवेश का निर्णय सरकार की घोषित नीति के अनुसरण में कंपनी के कार्य निष्पादन सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद लिया जाता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ प्रशासनिक तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नियंत्रण करने वाले मंत्रालय सहित बड़े पैमाने पर अंतर्मंत्रालय परामर्श शामिल होते हैं।

कर्नाटक में स्कूल की इमारतों के लिए नाबार्ड से सहायता

1878. श्री कोलुर बसवनागौड़ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में स्कूल की इमारतों के निर्माण के लिए नाबार्ड से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) कर्नाटक में ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष से प्रस्तावित नाबार्ड सहायता के अंतर्गत कौन से जिले शामिल किए जाने वाले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि कर्नाटक सरकार ने राज्य में स्कूल के लिए भवन निर्माण की कोई सहायता नहीं मांगी है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

फ्रांस और इंग्लैंड की यात्रा

1879. डा. रामचन्द्र डोम : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह मई, 2001 के तीसरे सप्ताह के दौरान फ्रांस और इंग्लैंड की यात्रा पर थीं; और

(ख) यदि हां, तो इन देशों की उनकी यात्रा से क्या परिणाम निकले हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) फ्रांस के सांस्कृतिक और संचार मंत्री के साथ सूचना और प्रसारण मंत्री की बैठक के फलस्वरूप दोनों देशों में भारत-फ्रांस मंच के संरक्षण में फिल्मों पर एक उप-दल गठित करने पर सहमति हुई थी। दौरा कार्यक्रम में मंत्री का उस समय चल रहे केन्स फिल्म बाजार में ठहराव भी शामिल था, जहां पर भारत ने सभी भारतीय प्रतिभागियों के लिए विभिन्न देशों के इसी व्यवसाय से जुड़े प्रतिभागियों से परस्पर विचार-विमर्श के लिए एक आम मंच उपलब्ध कराकर भारतीय फिल्मों एवं साफ्टवेयर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार एक भारतीय पवेलियन लगाया था।

सूचना और प्रसारण मंत्री के केन्स दौरे से भारतीय पवेलियन और भारतीय फिल्मों की ओर मीडिया का ध्यान आकृष्ट किया। सूचना और प्रसारण मंत्री के लंदन दौरे से बी.बी.सी. सहित फिल्म और प्रसारण उद्योग से जुड़ी संस्थाओं को कवर किया गया था।

[हिन्दी]

राजभाषा नीति

1880. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा राजभाषा नीति के प्रसार और क्रियान्वयन के लिये क्या कार्यक्रम बनाये गये हैं;

(ख) क्या गत तीन दशकों से हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग का वही कार्यक्रम बार–बार दुहराया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) यह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कार्रवाई करता है जो कि इस उद्देश्य के लिए नोडल एजेंसी है। उक्त कार्यक्रम का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है।

इसके अलावा, हिन्दी के प्रचार–प्रसार के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। इनमें हिन्दी दिवस समारोह के दौरान निबंध लेखन, वाद–विवाद, अंताक्षरी आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन शामिल है। हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। गृह पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। इस संबंध में कार्यान्वयन की प्रगति की मंत्री स्तर पर हिन्दी सलाहकार समिति की तिमाही बैठकों में समीक्षा की जाती है। इस संबंध में काफी प्रगति की गई है जो कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि इस मंत्रालय को सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन के लिए वर्ष 1999–2000 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार स्वरूप 'राजभाषा शील्ड' प्रदान की गई थी।

परिवहन क्षेत्र में विदेशी निवेश

1881. श्री पद्मसेन चौधरी :
डा. अशोक पटेल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में शत–प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति देने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त फैसले के कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) से (ग) वर्तमान नीति के अनुसार, सड़क परिवहन और व्यापक त्वरित मेट्रो परिवहन प्रणालियों में 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी जाती है। घरेलू विमान सेवा क्षेत्र में 40 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की और 100 प्रतिशत तक अनिवासी भारतीय/ओ.सी.बी. निवेश की अनुमति दी जाती है। रेलवे परिवहन सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है।

कोल इंडिया लिमिटेड का निजीकरण

1882. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोल इंडिया लिमिटेड का चरणबद्ध तरीके से निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका निजीकरण कब तक किये जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, नहीं। कोल इंडिया लिमिटेड के निजीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विस्फोटक सामग्री की अवैध बिक्री

1883. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बड़ी मात्रा में उत्पादित विस्फोटक सामग्री अवैध तरीके से बेची जाती है और बदले में इसका देशी बम और अन्य प्रकार के विस्फोटकों के निर्माण में दुरुपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दाखिल मामलों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार इस अवैध बिक्री पर निगरानी रख रही है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार ऐसे लाइसेंसधारकों और प्रबंधन के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) से (घ) विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियमावली, 1983 के अनुसार सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रदान किये गये उपयुक्त लाइसेंस के तहत और उक्त लाइसेंस के अंतर्गत मिली अनुमति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी विस्फोटकों का विनिर्माण करने, उनका रखरखाव करने, बेचने और उनको उपयोग में लाने जैसे क्रियाकलाप नहीं किये जायेंगे। विस्फोटक नियमावली, 1983 के तहत सभी लाइसेंसधारी विनिर्माताओं और विस्फोटक डीलरों के लिए यह भी बाध्यता है कि व केवल वैध लाइसेंसधारकों को ही विस्फोटक बेचेंगे और इसका उपयुक्त रूप में लेखाजोखा रखेंगे और वे विस्फोटक विभाग के समक्ष मासिक विवरण प्रस्तुत करेंगे। विस्फोटकों के विनिर्माताओं, विक्रेताओं और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा दाखिल किये गये मासिक विवरणियों (रिटर्नों) की जांच व उनके सत्यापन के माध्यम से अनुपालन की निगरानी की जाती है। जब कभी भी, किसी विस्फोटक विनिर्माता/उपयोगकर्ता द्वारा दाखिल की गयी मासिक रिटर्न में कोई विसंगति अथवा अनियमितता पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में विस्फोटक विभाग द्वारा उनके लाइसेंस को निलंबित/रद्द किये जाने की कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा, विस्फोटक विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप में लाइसेंस वाले परिसरों के निरीक्षण किये जाते हैं। विस्फोटक नियमावली, 1983 के तहत, निम्न अन्य अधिकारियों को– जिलाधीश, पुलिस आयुक्त, उप-निरीक्षक अथवा उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारी तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों को भी लाइसेंस वाले परिसरों का निरीक्षण करने का अधिकार है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विस्फोटक विभाग द्वारा रद्द किये गये तथा निलंबित किये गये लाइसेंसों की राज्यवार संख्या नीचे दर्शायी गयी है–

राज्य	रद्द किये गये लाइसेंस	निलंबित किये गये लाइसेंस
1	2	3
आंध्र प्रदेश	4	23
असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्य	3	शून्य
बिहार	22	17
चंडीगढ़	शून्य	शून्य
दिल्ली	2	शून्य
गोवा	शून्य	शून्य
गुजरात	शून्य	10
हरियाणा	22	9
हिमाचल प्रदेश	शून्य	1
जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य
कर्नाटक	1	7
केरल	8	18
मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य
महाराष्ट्र	1	70
उड़ीसा	7	शून्य
पंजाब	शून्य	शून्य
राजस्थान	शून्य	97
तमिलनाडु	8	51
उत्तर प्रदेश	शून्य	5
पश्चिम बंगाल	7	शून्य
कुल जोड़	85	308

पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड का विनिवेश

1884. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारादीप फास्फेट लिमिटेड, उड़ीसा के विनिवेश का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को फैसले पर पुनर्विचार करने के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड (पी पी एल) में अपनी शेयरधारिता के 74 प्रतिशत का विनिवेश अनुकूल बिक्री के माध्यम से करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) दिनांक 16 जुलाई, 2001 को पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और सचिव (उर्वरक) और सचिव (विनिवेश विभाग) के बीच हुई बैठक अवधि के दौरान पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड के 4 कर्मचारी यूनियनों/संघों ने पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड में विनिवेश करने के सरकारी निर्णय पर पुनर्विचार करने के अनुरोध के साथ एक संयुक्त अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। बैठक के दौरान मुद्दे पर सरकार का रुख यूनियनों को स्पष्ट कर दिया गया है। अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

रक्षा उत्पादन में भेल का प्रवेश

1885. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) रक्षा उत्पाद की प्रतिस्पर्द्धा में आगे आने का विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रवेश के क्षेत्र और निबंधन तथा शर्तें क्या होंगी?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) भेल पहले से ही रक्षा (डिफेन्स) के लिए सीमुलेटर्स, गन माउन्ट्स, रिकवरी वाहन, टरेट कास्टिंग्स जैसे उपस्करों का निर्माण कर रहा है। नियमों एवं शर्तों का निर्धारण ठेका–दर–ठेका आधार पर किया जाता है।

[हिन्दी]

पशुओं की तस्करी

1886. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेशी भारत से पशुओं की तस्करी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ बांग्लादेशी हाल में पकड़े गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(घ) उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। बांग्लादेशियों द्वारा पशुओं की तस्करी के कुछेक मामलों का पता लगाया गया है।

(ख) से (ङ) वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 (जून, 2001 तक) के दौरान सीमा शुल्क विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पशुओं की तस्करी के संबंध में नौ बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को पुलिस को सौंप दिया गया है।

[अनुवाद]

टी.वी. चैनलों के विरुद्ध शिकायतें

1887. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े टी.वी. चैनलों जैसे स्टर टी.वी., सोनी, इ.एस.पी.एन. आदि को उनके द्वारा बार–बार और मनमाने ढंग से उपभोक्ता शुल्क बढ़ाकर कथित तौर पर प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार करने के लिए एम.आर.टी.पी.सी. के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दर्शकों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या कार्रवाई की गई है/जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज)) (क) और (ख) एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग ने सूचित किया है कि उन्हें प्रमुख टेलीविजन चैनलों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें प्रतिबंधित व्यापार प्रक्रियाओं का आरोप लगाया गया है जिनके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा प्रतिबंधित होने एवं कीमतों में चालबाजी को बल मिला है। एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग द्वारा प्रदान किए ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) कई प्रतिस्पर्धी चैनलों की उपस्थिति से ही दर्शकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित होती है जिसे एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम के साथ-साथ केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनों की सहायता से और भी सुदृढ़ किया गया है।

विवरण

न्यायाधीन शिकायतों के विवरण निम्नानुसार हैं--

1. प्रतिबंधित व्यापार प्रक्रिया जांच 2/2001

यह श्री निर्मल जैन द्वारा एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम, 1969 की धारा 12-क तथा 10(क) (1) के अंतर्गत इन्दुसिन्द मीडिया एण्ड कम्युनिकेशन लि. तथा छह अन्य टेलीविजन नेटवर्कों के विरुद्ध दायर अभ्यावेदन/शिकायत है। यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई व्यापार प्रक्रियाओं से प्रतिस्पर्धा को रोकने, इसके विरूपण तथा उसे प्रतिबंधित करने, कीमतों में चालबाजी तथा विभिन्न प्रतिबंधित, अनुचित एवं एकाधिकारिक व्यापार प्रक्रियाओं में लिप्त होने को बढ़ावा मिला है।

मामला न्यायाधीन है। सात प्रतिवादियों नामशः इन्दुसिन्द मीडिया एण्ड कम्यूनिकेशन लि., न्यूज टेलीविजन (इंडिया) लि., सोनी एन्टरटेनमेंट टेलीविजन (इंडिया) लि., टर्नर इन्टरनेशनल (इंडिया) प्रा. लि., डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया लि., ई.एस. पी.एन. सॉफ्टवेयर इंडिया लि. तथा मोदी एन्टरटेनमेंट नेटवर्क लि. को एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम, 1969 की धारा 10(क) (1) एवं 12-क के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए हैं और मामला 23.8.2001 को पीठ के विचारार्थ सूचीबद्ध है।

2. प्रतिबंधित व्यापार प्रक्रिया जांच 3/2001

यह एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार (एम आर टी पी) अधिनियम, 1969 की धारा 12-क एवं 10(क) (1) के अंतर्गत नोएडा नेटवर्क सिस्टम प्रा. लि. द्वारा स्टार टी.वी. तथा अन्य के विरुद्ध दायर अभ्यावेदन/शिकायत है। यह आरोप है कि प्रतिवादियों द्वारा बारंबार और एकतरफा रूप से उपभोक्ता शुल्क में वृद्धि की जा रही है और वे पक्षपातपूर्ण कीमतों तथा अन्य समान प्रकार की प्रतिबंधात्मक एवं अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं में लिप्त हैं।

मामला न्यायाधीन है। प्रतिवादियों नामशः स्टार टी.वी. तथा न्यूज टेलीविजन (इंडिया) लि. को एम.आर.टी.पी. अधिनियम, 1969 की धारा (क) एवं 12-क के अंतर्गत नोटिस जारी किये गये हैं और मामला आवेदक/शिकायकर्ता द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर विचार हेतु पीठ के समक्ष 13.8.2001 के लिए सूचीबद्ध है।

3. प्रतिबंधित व्यापार प्रक्रिया जांच 26/2001

यह एम.आर.टी.पी. अधिनियम, 1969 की धारा 12-क एवं 10(क) (1) के अंतर्गत जम्मू कम्युनिकेशंस नेटवर्क प्रा.लि. द्वारा स्टार टी.वी. और अन्य के विरुद्ध दायर आवेदन/शिकायत है। यह आरोप है कि प्रतिवादियों द्वारा बारंबार और एकतरफा रूप से उपभोक्ता शुल्क में वृद्धि की जा रही है और वे पक्षपातपूर्ण कीमतों तथा अन्य समान प्रकार की प्रतिबंधात्मक एवं अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं में लिप्त हैं।

मामला न्यायाधीन है। प्रतिवादियों नामशः स्टार टी.वी. तथा न्यूज टेलीविजन (इंडिया) लि. को एम.आर.टी.पी. अधिनियम, 1969 की धारा 10(क) (1) और 12-क के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए हैं और मामला आवेदक/शिकायतकर्ता द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर विचार हेतु पीठ के समक्ष दिनांक 27.9.2001 के लिए सूचीबद्ध है।

4. प्रतिबंधित व्यापार प्रक्रिया जांच 76/1998

यह एम.आर.टी.पी. अधिनियम की धारा 10(क) (4) के अंतर्गत इन्दुसिन्द मीडिया एण्ड कम्युनिकेशंस प्रा.लि. द्वारा एल जी टेलीविजन प्रा.लि. तथा अन्य चार के विरुद्ध दायर शिकायत है। यह आरोप है कि प्रतिवादियों द्वारा एकतरफा रूप से कीमतों में वृद्धि की जा रही है और वे विभिन्न प्रतिबंधात्मक एवं एकाधिकारिक व्यापार प्रक्रियाओं में लिप्त हैं।

मामला न्यायाधीन है और यह मुद्दों के निपटान हेतु पीठ के समक्ष 6.9.2001 के लिए सूचीबद्ध है।

[हिन्दी]

गेहूं की खरीद

1888. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी एजेंसियों द्वारा चालू वर्ष के दौरान कितने मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई और किन राज्यों से अधिकतम और न्यूनतम गेहूं खरीदा गया;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि

सरकारी एजेंसियों द्वारा चालू वर्ष में कितने मीट्रिक टन खरीदा गया गेहूं सुरक्षित गोदामों की बजाए खुले में रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकारी एजेंसियों द्वारा चालू वर्ष के दौरान किसानों से कितने मीट्रिक टन गेहूं नहीं खरीदा गया, जिसके कारण किसानों को बिचौलियों के माध्यम से खुले बाजार में निर्धारित खरीद मूल्य से कम कीमत पर गेहूं बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) 30.7.2001 की स्थिति के अनुसार वर्तमान रबी विपणन मौसम 2001–2002 के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा 206.15 लाख टन गेहूं की वसूली की गई है। 105.60 लाख टन गेहूं की वसूली पंजाब में की गई है जो अधिकतम है और 0.01 लाख टन मात्रा की वसूली हिमाचल प्रदेश में की गई जो न्यूनतम है।

(ख) जी, हां। वर्तमान वर्ष के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा वसूल किए गए स्टाक का अस्थायी भंडारण कैप (खुले) में किया गया है। स्टाक का परिरक्षण प्रशिक्षित और योग्य तकनीकी कर्मचारियों द्वारा वैज्ञानिक आधार पर उचित रूप से किया जाता है जिसके लिए अक्सर और आवधिक निरीक्षण किये जाते हैं और रोगनिरोधी और रोगहर उपचार किये जाते हैं।

(ग) फिलहाल भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों अर्थात गेहूं, चावल और धान का 32.90 मिलियन टन स्टाक है। इसमें से 74.18 लाख टन खुले भंडारण गोदामों में रखा है। खुले भंडारण में पड़ा स्टाक मुख्यतया गेहूं और थोड़ी–सी मात्रा धान की है।

(घ) वर्तमान रबी विपणन मौसम 2001–2002 के दौरान 30.7.2001 तक बाजार में 216.29 लाख टन गेहूं की आमद होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें से 206.15 लाख टन गेहूं जो उचित औसत किस्म की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप था, उसकी वसूली न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई है।

(ङ) किसानों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गए हैं—

(1) विभिन्न राज्यों में पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोले गए हैं ताकि किसानों को मजबूरन बिक्री से बचाया जा सके।

(2) किसानों को उनके उत्पादन का शीघ्र भुगतान किया जा रहा है।

(3) सरकार बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों का स्टाक स्वीकार करती है।

(4) वसूली मूल्यों, उचित औसत किस्म की विनिर्दिष्टियों और क्रय केन्द्रों के बारे में सरकार पर्याप्त प्रचार करती है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के खरीद केन्द्रों की स्थापना

1889. श्रीमती हेमा गमांग : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000–2001 में रबी फसल के दौरान उड़ीसा राज्य में कृषि की 24 आवश्यक वस्तुओं के लिए भारतीय खाद्य निगम के किसी भी खरीद केन्द्र की स्थापना नहीं की गई;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में उपचारात्मक उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) भारतीय खाद्य निगम गेहूं, चावल और मोटे अनाजों की वसूली को देखता है। रबी और खरीफ दोनों के लिए भारतीय खाद्य निगम ने 2000–01 के दौरान लेवी चावल एकत्रित करने के लिए उड़ीसा में 70 वसूली केन्द्र खोले थे और 7.66 लाख टन लेवी चावल वसूल किया था। चूंकि उड़ीसा गेहूं और मोटे अनाजों के उत्पादन में अधिशेष वाला राज्य नहीं है इसलिए वहां इनकी वसूली नहीं की जाती।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) किसानों को मजबूरत बिक्री से बचाने के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार ने विभिन्न उपाय किये हैं जिनमें पिछले 6 माह के दौरान बारगढ़, सम्बलपुर, कालाहांडी और बोलनगीर से 1,58,000 टन खाद्यान्नों को हटाना शामिल है। यह स्टाक कटक, भुवनेश्वर और खुर्दा जैसे उपभोक्ता क्षेत्रों को भेजा जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम ने प्राइवेट गोदाम किराये पर लेकर राज्य में अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित की थी। जनवरी, 2001 से बाहर से उड़ीसा को खाद्यान्न भेजने का काम रोक दिया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलैक्टरों को परामर्श दिया था कि जो मिल मालिक/एजेंट न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर धान खरीदते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

भारतीय खाद्य निगम में चावल घोटाला

1890. श्री के. येरननायडू : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष पंजाब में धिलवान स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चावल घोटाले का कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने अनियमितताओं की जांच के लिए कोई कार्रवाई शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या घोटाले में शामिल दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) एक शिकायत की जांच के दौरान यह पता चला था कि 26.1.2001 को ब्यास से (धिलवान स्टॉक में से) भेजी गई स्पेशल मालगाड़ी में लदान किया गया साधारण चावल (सेला) वास्तव में दो मिल मालिकों द्वारा सीधे लदान किया गया था और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में कूच बिहार में प्रेषिती कर्मचारियों/अधिकारियों ने मिल मालिकों और भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की मिली-भगत से उक्त स्टॉक की प्राप्ति की पावती भेज दी तथा केवल 86 बोरी घटिया चावल प्राप्त होने की सूचना दी। बाद में प्रश्नगत स्टाक का संयुक्त निरीक्षण और विश्लेषण करने पर यह पता चला था कि 26.1.2001 को ब्यास से (धिलवान स्टाक में से) प्रेषित की गई विशेष मालगाड़ी संख्या 119 के प्रति कूच बिहार में घटिया स्टाक प्राप्त हुआ था। संयुक्त नमूने लेने/विश्लेषण के परिणामों के आधार पर प्रेषिती ने 20,48,353.31 रुपये की राशि का संशोधित हानि आकलन विवरण प्रस्तुत किया था।

(ग) जी, हां।

(घ) जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर तत्कालीन जिला प्रबंधक, कपूरथला के विरुद्ध प्रमुख दंडात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी और जांच की कार्यवाही पूरी करने के पश्चात उन पर पदच्युत करने का दंड लगाया गया था।

पंजाब और पश्चिम बंगाल, दोनों क्षेत्रों में श्रेणी-I के दो और श्रेणी-II/III के 19 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भी प्रमुख दंड की कार्यवाही शुरू की गई है। यह मामला जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भी सुपुर्द कर दिया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) ब्यौरे प्रश्न के पैरा (घ) में दिए गए हैं।

(छ) उपर्युक्त पैरा (ङ) में दिए गए उत्तर की दृष्टि में उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

चीनी उद्योग पर विश्व व्यापार संगठन का प्रभाव

1891. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के साथ हस्ताक्षरित समझौतों के परिणामस्वरूप उत्पन्न नई चुनौतियों का सामना करने में चीनी उद्योग की क्षमता को लेकर विशेषज्ञों ने गहरी आशंका जताई है; और

(ख) सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन की चुनौतियों का सामना करने में चीनी उद्योग को पूरी तरह सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को विश्व व्यापार संगठन के साथ हस्ताक्षरित करार के कार्यान्वयन के संबंध में भारी चिन्ता व्यक्त करने के बारे में चीनी उद्योग से कोई पत्र/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) चीनी उद्योग और गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने 850.00 रुपये प्रति टन के प्रति शुल्क के अलावा सीमा शुल्क में 60 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। इससे देश में आयातित चीनी की आमद को नियंत्रित करने में सहायता मिली है। इसके अलावा, सरकार ने आयातित और संवेदनशील वस्तुओं की निगरानी के लिए उचित तंत्र अपनाया है और वह विभिन्न विश्व व्यापार संगठन करार के अनुकूल उपायों का सहारा लेकर घरेलू उत्पादकों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करने के लिए वचनबद्ध है। इन उपायों में प्रशुल्कों को शुल्कों की सीमा के अंदर उपयुक्त रूप से अंशांकित करना, डम्पिंगरोधी और सुरक्षण कार्रवाई करना और कुछेक निर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन प्रतिशुल्क लगाना शामिल है।

चावल मिल मालिकों और किसानों की बकाया राशि

1892. श्री रामदास आठवले :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 2001 से भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक राज्यों से अब तक उठाए गए चावल का वास्तविक स्टॉक कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्यों के चावल मिलों और किसानों को कितना भुगतान किया गया है;

(ग) आज की तारीख में प्रत्येक राज्यों के चावल मिलों और किसानों की कितनी राशि बकाया है; और

(घ) किसानों तथा चावल मिलों की इस बकाया राशि के शीघ्र भुगतान के लिए एफ.सी.आई. द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में एशियाई विकास बैंक की सहायता से चलने वाली परियोजनाएं

1893. श्री उत्तमराम ढिकले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में एशियाई विकास बैंक की सहायता से चलने वाली परियोजनाओं की संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं की परियोजनावार वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में विशेष रूप से परियोजनाओं के लिए कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई है। तथापि, सूरत मनोर टोलवे परियोजना, जिसके लिए एशियाई विकास बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 को चार लेन का बनाने के लिए, जिसमें महाराष्ट्र में 60 किलोमीटर लंबा भाग भी शामिल है, 180 मिलियन अमरीकी डालर की कुल सहायता प्रदान की है। यह ऋण जुलाई, 2000 में स्वीकृत किया गया था और इसे सितम्बर, 2004 तक उपयोग में लिया जाना निश्चित है। मई, 2001 की स्थिति के अनुसार संचित ऋण संवितरण 7.78 मिलियन अमरीकी डालर है।

[अनुवाद]

बंधित मदों का आयात

1894. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयातित सामानों की बंधित मदों का ब्यौरा क्या है और वर्तमान प्रशुल्क दर क्या है तथा इन मदों में प्रत्येक की अधिकतम प्रतिबंधात्मक सीमा क्या है;

(ख) वर्ष 200–2001 के दौरान आयातित बंधित मद कौन–कौन से हैं जिनसे हमारे आंतरिक बाजार में देशी उत्पादों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है;

(ग) ऐसी सस्ती आयातित मदों से स्वदेशी उत्पादकों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) प्रत्येक संबंधित स्वदेशी मदों के मूल्य की तुलना में प्रति यूनिट वर्तमान प्रशुल्क दर सहित प्रत्येक आयातित मदों का मूल्य क्या है; और

(ङ) ऐसे मामलों के आयात से स्वदेशी मदों पर किस सीमा तक असर पड़ा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) उरुग्वे दौर के पश्चात् भारत की टैरिफ निर्धारण संबंधी वचनबद्धता अपनी टैरिफ अनुसूची में कुल 5134 टैरिफ लाइनों के 67% तक पहुंच गई थी। टैरिफ अनुसूची की एक प्रति संसद पुस्तकालय में रखी गई है, यह निम्नलिखित पते पर वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है--http://commin.nic.in/doc/indsched.htm. वर्तमान टैरिफ दरें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड की वेबसाइट http://www.cbec.gov.in/cae/customs/cs-abc.html. पर उपलब्ध है।

सरकार इस वर्ष अप्रैल में मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति के बाद 300 घरेलू रूप से संवेदनशील मदों के आयात पर निगरानी रख रही है। इन मदों में से 205 मदें कृषिजन्य उत्पाद हैं और 95 मदें लघु उद्योग की मदों समेत अन्य मदें हैं। हालांकि सभी कृषि जन्य उत्पादों के संबंध में दरें निर्धारित की गई हैं तथापि अन्य मदों में से केवल 26 मदों के संबंध में ही दरें निर्धारित हैं। एक समूह के रूप में, अप्रैल–मई, 2001 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इन मदों के आयातों में 11% की ऋणात्मक वृद्धि दर रही है। जब कभी अनुचित कीमत अथवा आयातों में वृद्धि की वजह से किसी घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो अपने हितों की रक्षा करने हेतु स्वयं घरेलू विनिर्माताओं द्वारा सुरक्षोपाय कार्रवाई, पाटनरोधी कार्रवाई इत्यादि जैसी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इसी प्रकार, आयातित उत्पादों पर घरेलू मानक और गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाएं लागू की जा रही हैं और अनेक कृषि जन्य मदों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है। सरकार ने सुरक्षोपाय आधारों पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रावधानों को शामिल करने हेतु विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक लाने का प्रस्ताव किया है।

किसी उत्पाद की कीमत उसकी गुणवत्ता, आयात की मात्रा, बाजार जहां बेचा जाता है, स्थानीय कर और लेवी इत्यादि पर निर्भर करती है, आयातित अथवा घरेलू रूप से उत्पादित किसी उत्पाद के लिए कोई एकल संदर्भ कीमत नहीं है। इसके अलावा, भारत में खेप आधार पर आयात संबंधी आंकड़ों का संकलन नहीं किया जाता है।

दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा आबंटित धनराशि

1895. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने दसवें वित्त आयोग द्वारा अब तक उन्हें दी गई धनराशि का पूरा–पूरा उपयोग नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या किए जाने वाले व्यय शीर्ष या दसवें वित्त आयोग द्वारा स्थापित मानदंडों में कोई परिवर्तन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोगों की संस्तुतियों के अंतर्गत कुल अनुमानित अंतरणों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) अनुदानों के समग्र रूप से उपयोग न हो पाने के कारण सामान्यतः कार्य योजनाओं के देरी से संरूपण/निष्पादन, भूमि की अनुपलब्धता, मुकदमेबाजी, स्थानीय निकायों के चुनाव न कराना तथा इस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदानों के बारे में उपयोगिता प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत न करना है।

(घ) और (ङ) राज्यों को स्तरोन्नयन, विशेष समस्याओं और स्थानीय निकायों के लिए अनुदान, दसवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत प्रावधानों के उपयोग के लिए विनिर्मित दिशा–निर्देशों के अनुसार जारी किए गए थे। इन दिशा–निर्देशों को आयोग की सिफारिशों को भी ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था।

विवरण

दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोगों द्वारा संस्तुत अनुमानित कुल अन्तरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	दसवां वित्त आयोग (1995–2000)						ग्यारहवां वित्त आयोग (2000–05)					
		करों एवं प्रशुल्कों में अंशदान	गैर-योजनागत राजस्व घाटा अनुदान	स्तरोन्नयन एवं विशेष समस्या	स्थानीय निकाय अनुदान	राहत व्यय	कुल अन्तरण (कालम 3 से 7)	करों एवं प्रशुल्कों में अंशदान	गैर-योजनागत राजस्व घाटा अनुदान	स्तरोन्नयन एवं विशेष समस्या	स्थानीय निकाय अनुदान	राहत व्यय	कुल अन्तरण (कालम 9 से 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	16325.94	686.45	153.88	424.94	490.33	18081.54	28980.25	0.00	285.23	924.90	820.80	31011.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	1360.03	307.60	68.31	4.63	27.79	1768.36	918.22	1228.02	90.59	28.52	49.83	2315.18
3.	असम	7064.14	712.03	206.86	147.56	197.46	8328.05	12362.05	110.68	132.54	254.99	420.60	13280.86
4.	बिहार	23302.45	333.06	240.63	574.28	205.14	24655.56	54934.90	0.00	401.60	878.94	512.46	56727.90
5.	गोवा	524.06	77.26	10.79	5.91	4.23	622.25	775.22	0.00	27.28	13.91	5.15	821.56
6.	गुजरात	8014.95	0.00	50.00	259.47	551.17	8875.59	10615.93	0.00	234.85	480.56	668.88	12000.22
7.	हरियाणा	2554.96	0.00	40.00	99.22	98.93	2793.11	3552.44	0.00	132.65	183.73	336.95	4205.77
8.	हिमाचल प्रदेश	3743.81	772.18	105.03	34.23	106.41	4761.66	2570.25	4549.26	91.16	69.56	180.20	7460.43
9.	जम्मू और कश्मीर	5904.70	1184.13	105.77	49.68	77.80	7322.08	4854.50	11211.19	127.82	90.07	144.64	16428.22
10.	कर्नाटक	10034.64	0.00	29.00	291.96	165.23	10520.83	18552.48	0.00	311.53	518.94	309.03	19691.98
11.	केरल	7217.00	0.00	81.83	204.24	218.74	7721.81	11504.04	0.00	129.14	404.88	278.66	12316.72
12.	मध्य प्रदेश	15275.50	0.00	206.37	410.43	201.67	16093.97	33258.98	0.00	494.52	871.48	373.40	34998.38
13.	महाराष्ट्र	12859.84	0.00	100.00	479.96	269.28	13709.08	17431.05	0.00	331.97	972.98	651.49	19387.49
14.	मणिपुर	1689.63	350.92	74.74	11.54	9.79	2136.62	1377.32	1744.94	58.59	23.17	11.89	3215.91
15.	मेघालय	1534.58	316.42	16.72	10.12	11.01	1888.85	1287.01	1572.38	57.39	28.31	16.32	2961.41
16.	मिजोरम	1398.37	331.19	64.13	3.32	5.00	1802.01	745.11	1676.30	89.84	11.70	12.32	2535.27
17.	नागालैंड	2197.38	529.78	53.96	5.21	6.71	2793.04	827.90	3536.24	62.84	14.66	8.12	4449.76
18.	उड़ीसा	8783.41	371.74	137.79	220.10	193.51	9706.55	19026.64	673.60	215.05	385.55	453.66	20754.50
19.	पंजाब	3160.41	0.00	81.31	133.95	213.80	3589.47	4316.37	284.21	110.01	209.37	508.57	5428.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	राजस्थान	10255.26	33.45	149.87	255.40	706.89	11400.87	20595.88	1244.68	299.85	590.37	857.85	23588.63
21.	सिक्किम	562.07	105.69	10.06	2.48	18.59	698.89	692.43	840.58	66.78	5.50	28.63	1633.92
22.	तमिलनाडु	12622.54	0.00	100.84	402.86	234.33	13360.57	20264.72	0.00	251.86	659.49	425.36	21601.43
23.	त्रिपुरा	2325.81	488.78	25.90	14.97	17.75	2873.21	1832.67	2414.16	60.18	32.48	21.55	4361.04
24.	उत्तर प्रदेश	33526.67	982.00	275.54	880.70	494.00	36158.91	74501.56	1026.74	669.91	1570.76	740.33	78509.30
25.	पश्चिम बंगाल	14104.85	0.00	219.17	453.77	202.63	14980.42	30540.09	3246.09	239.45	775.22	419.00	35219.85
	कुल	206343.00	7582.68	2608.50	5380.93	4728.19	226643.30	376318.01	35359.07	4972.63	10000.00	8255.69	434905.40

गुजरात को सहायता

1896. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष वित्तीय संस्थाओं और नाबार्ड द्वारा गुजरात में कितनी सहायता दी गई;

(ख) क्या अन्य राज्यों को दी जाने वाली सहायता की तुलना में यह सहायता बहुत ही कम है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (ए आई एफ आई) जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय निवेश बैंक, आयात-निर्यात बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा गुजरात को दी गई वित्तीय सहायता निम्नलिखित है-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि
1998-99	8615.07	7311.05
1999-2000	12424.13	7678.24
2000-2001	13094.53	4756.99

(ख) जी, नहीं। गत तीन वर्षों के दौरान एआईएफआई द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों में गुजरात का द्वितीय स्थान है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान कोका कोला होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बोटलिंग ऑपरेशन

1897. श्री चिंतामन वनगा : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कोका कोला होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय शेयरधारकों के लिए 49 प्रतिशत इक्विटी की शर्तों पर भारत में बोटलिंग ऑपरेशन के लिए छोटी कंपनियों के साथ उद्यम स्थापित करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त शर्तों को इस कंपनी द्वारा आज तक पूरा नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या उक्त कंपनी ने भारतीय शेयरधारकों को इक्विटी 49 प्रतिशत तक लाने के लिए 5 वर्षों की अवधि और बढ़ाने का आग्रह किया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) से (च) हिन्दुस्तान कोका कोला होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (एच सी सी एच पी एल) को बाटलिंग कार्यों हेतु दो संबद्ध सहायक कंपनियों की स्थापना करने के लिए दिनांक 17.7.1997 को विदेशी सहयोग अनुमोदन इस शर्त पर दिया गया था कि एच सी ~~सी एच~~ पी एल 5 वर्ष की अवधि में अर्थात् 16.7.2002

तक स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित दो संबद्ध सहायक कंपनियों में प्रत्येक के लिए 49% तक भारतीय भागीदारी सुनिश्चित करेगी। एच सी सी एच पी एल की सहायक कंपनी नामतः मै. हिन्दुस्तान कोका कोला बीवरेजिज प्राइवेट लिमिटेड (एच सी सी बी एल) में भारतीय निवासियों के पक्ष में 49% इक्विटी की भागीदारी का विनिवेश करने की अवधि को एक भारतीय भागीदार लाने हेतु 16.7.2002 से आगे 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने के लिए इसके अनुरोध पर विचार किया गया था और इसे इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वीकार नहीं किया गया था कि जिस 5 वर्ष की अवधि में विनिवेश किया जाना है वह अवधि जुलाई, 2002 में ही समाप्त हो जायेगी और इस समय विनिवेश की शर्त को हटाने का कोई ठोस अथवा बाध्यकारी कारण नहीं है। इस समय इस बारे में सरकार के विचारार्थ कंपनी का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

राज्य व्यापार निगम का कार्यनिष्पादन

1898. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान सारणीबद्ध और गैरसारणीबद्ध श्रेणियों के अंतर्गत राज्य व्यापार निगम द्वारा किन-किन मुख्य मदों और कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ख) क्या एस.टी.सी. का कार्यनिष्पादन संतोषप्रद नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने एस.टी.सी. के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) एस.टी.सी. के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा वर्ष-वार निर्यातित गैर-सरणीकृत मदों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (ङ) एसटीसी, जो कि एक लाभ कमाने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, का पिछले तीन वर्षों का कार्य-निष्पादन निम्नानुसार है–

करोड़ रु. में

	1998–99	1999–2000	2000–01 (अनंतिम)
कारोबार	1894	1163	1180
कर पूर्व लाभ	13.88	23.91	8.00
कर पश्चात् लाभ	12.51	22.91	8.00
कुल संपत्ति	445.44	461.63	462.31

एसटीसी के कार्य-निष्पादन की समीक्षा सामान्यतः वार्षिक रूप से हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन के अनुसार की जाती है और जब कभी अपेक्षित होता है, उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। एसटीसी के समग्र कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन भी सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष के अन्त में किया जाता है। ऐसे मूल्यांकन के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान एसटीसी के कार्य-निष्पादन का दर्जा 'बहुत अच्छा' रहा है।

विवरण

एसटीसी : 1998–99 से 2000–2001 के दौरान कार्य-निष्पादन

मूल्य : करोड़ रु.

मात्रा : कोष्ठकों में हजार मीट्रिक टन में

निर्यात

मदें	1998–99	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4
सरणीकृत	शून्य	शून्य	शून्य
गैर-सरणीकृत			
निस्सारण	5.24 (13.00)	–	–
चाय	16.42 (1.44)	1.37 (0.09)	2.64
जूट की वस्तुएं	2.46	0.32	0.22
अन्य (मसालों सहित)	0.17 (0.07)	1.01 (0.31)	0.54

1	2	3	4
मोटा अनाज/दालें	1.44 (2.23)	0.48 (0.22)	0.39 (0.17)
चीनी/एल्कोहल/शीरा	41.48 (38.21)	–	–
अरण्डी का बीज/तेज	23.42 (8.16)	119.64 (32.49)	128.62 (36.12)
औषधि एवं रसायन	10.54	8.95	13.13
गेहूं/गेहूं आटा	–	0.49 (0.50)	163.74 (297.03)
कॉफी	60.76 (7.90)	50.39 (8.21)	12.18 (2.64)
काजू	13.50 (0.61)	19.91 (0.71)	10.52 (0.43)
चावल	4.68 (4.11)	4.61 (3.92)	2.48 (2.00)
इंजीनियरिंग/निर्माण सामग्री	20.18	2.19	–
चमड़े का सामान	0.15	1.08	0.02
ब्रास वेयर	–	–	–
तम्बाकू	–	–	–
उपभोक्ता/खेल सामान	0.15	0.13	0.25
खाद्य/समुद्री उत्पाद	–	0.12	–
वस्तुएं एवं परिधान	4.45	2.10	2.97
प्राकृतिक रबड़—माने गए निर्यात	15.42 (5.34)	49.92 (19.58)	72.84 (24.59)
अपतटीय	–	20.52 (22.28)	25.10
प्रति व्यापार	–	161.66	27.63
कुल निर्यात	220.46	444.89	463.27

[हिन्दी]

एफ.सी.आई. के गोदामों में गेहूं और चावल का स्टाक

1899. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत फसल में गेहूं की खरीदारी के बाद सरकारी गोदामों में गेहूं और चावल का स्टॉक 60 मिलियन टन तक जा पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख में सरकारी गोदामों में राज्यवार कितना गेहूं और चावल है;

(ग) इस स्टॉक का कुल खरीदारी मूल्य अनुमानतः कितना है; और

(घ) इस राशि पर निगम द्वारा कितने वार्षिक ब्याज का भुगतान किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) 1.7.2001 की स्थिति के अनुसार सरकारी गोदामों में गेहूं और चावल का राज्यवार स्टाक संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) 1.7.2001 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में लगभग 22.75 मिलियन टन चावल और 38.92 मिलियन टन गेहूं को मिलाकर कुल खाद्यान्नों का स्टाक 61.67 मिलियन टन था। उपर्युक्त स्टाक की अधिग्रहण लागत गेहूं के लिए 28,700 करोड़ रुपये और चावल के लिए 23,300 करोड़ रुपये, कुल मिलाकर 52,000 करोड़ रुपये है। इस प्रकार उपर्युक्त राशि पर बैंक की वर्तमान ब्याज दर 6050 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगी।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास 1.7.2001 को केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का कुल स्टाक (अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल$	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	34.93	3.81	38.74

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3.	असम	1.68	0.42	2.10
4.	बिहार	2.35	2.35	4.70
5.	छत्तीसगढ़	7.21	2.20	9.41
6.	दिल्ली	0.31	3.24	3.55
7.	गोवा	0.10	0.03	0.13
8.	गुजरात	1.27	5.34	6.61
9.	हरियाणा	17.57	96.13	113.70
10.	हिमाचल प्रदेश	0.05	0.11	0.16
11.	जम्मू व कश्मीर	0.39	0.26	0.65
12.	झारखण्ड	0.55	0.34	0.89
13.	कर्नाटक	5.84	2.06	7.90
14.	केरल	6.58	0.18	6.76
15.	मध्य प्रदेश	2.99	5.96	8.95
16.	महाराष्ट्र	4.11	13.08	17.19
17.	मणिपुर	0.10	0.00	0.10
18.	मेघालय	0.08	0.01	0.09
19.	मिजोरम	0.06	0.01	0.07
20.	नागालैंड	0.18	0.02	0.20
21.	उड़ीसा	5.11	0.31	5.42
22.	पंजाब	99.22	188.44	287.66
23.	राजस्थान	1.06	15.44	16.50
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	9.74	1.96	11.70
26.	त्रिपुरा	0.06	0.06	0.12
27.	उत्तर प्रदेश	18.00	40.08	58.08
28.	उत्तरांचल	1.66	2.95	4.61
29.	पश्चिम बंगाल	4.65	2.72	7.37
30.	अं. नि. द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
32.	दा. व न. हवेली	0.00	0.00	0.00
33.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
	मार्गस्थ स्टाक	1.66	1.69	3.35
	सकल जोड़ (अखिल भारत)	227.51	389.20	616.71

$चावल में चावल के रूप में धान शामिल है।

(स्रोत भारतीय खाद्य निगम और राज्य)

कटिहार बिहार में एफ.सी.आई. द्वारा खरीद

1900. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने कटिहार बिहार में सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर गेहूं की समुचित खरीदारी नहीं की है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय खाद्य निगम, कटिहार को लगभग 80 ट्रक गेहूं भेजा है;

(ग) क्या गोदाम में जगह की कमी के कारण इस निगम के अधिकारी गेहूं की खरीदारी करने में असक्षम हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार बाहर से गेहूं को खरीदने पर प्रतिबंध लगाने और इस तरह स्थानीय किसानों से गेहूं की खरीद किए जाने का है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां। खाद्य भंडारण डिपु कटिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उचित औसत किस्म की विनिर्दिष्टियों वाले 1230.66 टन गेहूं की वसूली की है।

(ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त (क) की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) वर्तमान में सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) भारतीय खाद्य निगम और इसकी एजेंसियां संपूर्ण देश में गेहूं की वसूली करती हैं। इस प्रकार वसूल किए गए गेहूं और देश के विभिन्न भागों में गोदामों में रखा जाता है जो वसूली और भंडारण स्थान पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना

1901. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में कुछ राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के कमजोर और गरीब तबके के लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न और चावल उपलब्ध कराए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन–कौन से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं और 31 मई, 2001 तक इस वितरण का मानदंड क्या था;

(ग) क्या सांसद कोष के अंतर्गत ऐसी योजनाएं शुरू की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

ई पी एफ/पी पी एफ कोष का प्रबंधन

1902. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ई पी एफ/पी पी एफ कोष के प्रबंधन को व्यावसायिक रूप से कोष का प्रबंधन करने वाले को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात पर जोर देगी कि कोष के एक बड़े भाग को ट्रेजरी दरों पर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाए और केवल इनके संक्षिप्त अंश को ही सूचीबद्ध कार्पोरेट इंस्ट्रूमेंटों में निवेश किया जाए;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान यू.टी.आई. संकट से प्राप्त अनुभवों के आधार पर इक्विटी या स्टॉक मार्केट से संबद्ध इन इंस्ट्रूमेंटों में सरकारी कोष के निवेश को निरुत्साहित करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) दिनांक 1.4.1995 से केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने निधियों के निवेश के लिए भारतीय स्टेट बैंक को पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया है। निधियों का निवेश भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित 'निवेश पैटर्न' के अनुसार किया जाता है। गैर–सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधियों और उपदान निधियों द्वारा अपनाए जाने के लिए, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश–पैटर्न की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

लोक भविष्य निधि योजना, 1961 भारत सरकार की एक योजना है, जिसे लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार किया गया है। इस योजना के अंतर्गत भारत के सरकारी खाते में प्राप्त प्राप्तियां और संवितरण भी सरकारी खाते में तदनुरूपी शीर्ष के नामे डाले जाते हैं। लोक भविष्य निधि योजना के प्रबंधन को व्यावसायिक निधि प्रबंधकों के सुपुर्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33004/99

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग I-खण्ड 1

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 66] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1999/चैत्र 10, 1921

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1999

विषय—गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधियों और उपदान निधियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली निवेश की पद्धति।

सं. एफ. 11(3)-पी डी/98.—इस मंत्रालय की दिनांक 12 जून, 1998 के समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, गैर–सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधियों और उपदान निधियों द्वारा वृद्धिकारी आय के लिए निवेश की पद्धति दिनांक 1 अप्रैल, 1999 से निम्नानुसार होगी—

निवेश पद्धति	निवेश की जाने वाली प्रतिशत राशि
(i) लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 में यथा परिभाषित केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां; और/अथवा ऐसे म्यूचुअल फण्डों; जिन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए समर्पित निधियों के रूप में स्थापित किया गया है और जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, की यूनिटें;	पच्चीस प्रतिशत
(ii) (क) लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 में यथा परिभाषित किसी राज्य सरकार द्वारा सृजित और जारी सरकारी प्रतिभूतियां; और/अथवा ऐसे म्यूचुअल फंडों, जिन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए समर्पित निधियों के रूप में स्थापित किया गया है और जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, की यूनिटें, और/अथवा	पन्द्रह प्रतिशत
(ख) अन्य कोई परक्राम्य प्रतिभूतियां; जिनकी मूल राशि और जिन पर ब्याज नीचे iii (क) के अधीन शामिल को छोड़कर केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा किसी शर्त के बिना और पूर्णतः गारंटी शुदा है।	
(iii) (क) कंपनी अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन यथानिर्दिष्ट सरकारी वित्तीय संस्थाओं; सरकारी क्षेत्र के बैंकों और आधारभूत संरचना विकास वित्त कंपनी सहित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (36–क) में यथापरिभाषित 'सरकारी क्षेत्र की कंपनियों' के बांड/प्रतिभूतियां; और/अथवा	चालीस प्रतिशत
(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी जमा राशियों के प्रमाण पत्र।	

(iv) न्यासियों द्वारा जैसा निर्णय किया जाए उपरोक्त तीन श्रेणियों में से किसी एक में निवेश्य। बीस प्रतिशत

(v) न्यास, जोखिम–प्राप्ति संभावनाओं के उनके निर्धारण के अधीन ऊपर (iv) में 10 प्रतिशत तक निजी क्षेत्र बांड/प्रतिभूतियों, जिनको कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त है, में निवेश कर सकते हैं।

2. अनिवार्य व्यय को घटाकर पूर्व निवेशों की परिपक्वता पर प्राप्त कोई भी राशि इस अधिसूचना में निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार निवेश की जाएगी।

3. विशेष जमाराशि स्कीम पर प्राप्त ब्याज। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अधीन प्राप्त ब्याज को भी उसी श्रेणी में पुनः निवेश किया जा सकता है।

4. उपरोक्त पैराग्राफों में यथासंकल्पित निवेश पद्धति वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त की जा सकती है।

एस. सी. पांडे, निदेशक (बजट)

[हिन्दी]

भुगतान संतुलन की स्थिति

1903. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भुगतान संतुलन की स्थिति अच्छी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति में पहुंचने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) एशियाई संकट तथा तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप विश्व की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति काफी प्रतिकूल होने के बावजूद भारत की भुगतान–संतुलन (बी.ओ.पी) की स्थिति अनुकूल बनी रही। भुगतान–संतुलन का चालू खाता–घाटा जो वर्ष 1999–2000 में स.घ.उ. का 1.0 प्रतिशत था वर्ष 2000–2001 में घटकर स.घ.उ. का 0.5 प्रतिशत रह गया। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों (स्वर्ण तथा एस.डी.आर. सहित) में वर्ष 1999–2000 में 5546 मिलियन अमरीकी डालर और 2000–01 में 4245 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई। चालू वित्तीय वर्ष में 20 जुलाई, 2001 तक इनमें 1323 मिलियन अमरीकी डालर की और वृद्धि हुई।

(ग) देश के भुगतान–संतुलन की स्थिति को सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, दोनों द्वारा अच्छी तरह से मानीटर किया जाता है और जब भी आवश्यक हो निर्यातों के विकास और अदृश्य प्राप्तियों में वृद्धि करने तथा ऋण–भिन्न सृजक पूंजी प्रवाहों विशेष रूप से विदेशी निवेशों का स्तर बढ़ाने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं ताकि भुगतान–संतुलन की व्यवहार्य स्थिति और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों का पर्याप्त स्तर बनाए रखा जा सके।

[अनुवाद]

लोकल एरिया बैंकों की स्थापना

1904. श्री अरूण कुमार :
श्री मंजय लाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकल एरिया बैंकों की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब तक राज्यवार कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास राज्य–वार ऐसे कितने प्रस्ताव विचारार्थ लंबित पड़े हुए हैं; और

(ग) लंबित प्रस्तावों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) स्थापित करने के लिए अब तक पांच लाइसेंस जारी किए हैं। राज्यवार स्थिति निम्न प्रकार है–

राज्य का नाम	जारी लाइसेंसों की संख्या
आंध्र प्रदेश	2
गुजरात	1
पंजाब	1
राजस्थान	1

(ख) स्थानीय क्षेत्र बैंक स्थापित करने के लिए आठ प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के पास लंबित हैं। राज्यवार स्थिति नीचे दिए अनुसार है–

राज्य का नाम	लंबित प्रस्तावों की संख्या
आंध्र प्रदेश	2
असम	1
उत्तर प्रदेश	1
गुजरात	1
हरियाणा	1
पश्चिम बंगाल	1
तमिलनाडु	1
कुल	8

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि स्थानीय क्षेत्र बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव को प्रारंभिक जांच के लिए उनके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा जाता है। प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्र बैंक के प्रवर्तकों को सूचना/आंकड़े तत्काल प्रस्तुत करने होते हैं। प्रवर्तकों से अपेक्षित सूचना प्राप्त होने के बाद स्थानीय क्षेत्र बैंक के प्रस्तावों की निकासी प्रासंगिक है। अपेक्षित सूचना/दस्तावेज प्राप्त होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई करता है।

थोक मूल्य सूचकांक

1905. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की साप्ताहिक दर क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बिन्दु–दर–बिन्दु आधार पर मुद्रास्फीति की साप्ताहिक दर क्या है;

(ग) थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति की दर में निरन्तर वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर रोक लगाने और मुद्रास्फीति की दर पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) थोक मूल्य सूचकांक की संगणना साप्ताहिक आधार पर की जाती है जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक माह के अंतराल पर केवल मासिक आधार पर तैयार किया जाता है। विगत छह महीनों के दौरान अनिवार्य जिंसों (जिसमें 30 जिंसें शामिल हैं) के थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा इन दोनों सूचकांकों पर आधारित मुद्रास्फीति दरें विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) जैसाकि विवरण से स्पष्ट होता है चालू वित्तीय वर्ष के दौरान थोक एवं खुदरा, दोनों स्तरों पर अनिवार्य जिंसों के मूल्यों में बहुत कम वृद्धि हुई है।

मूल्य नियंत्रण में रखने की दृष्टि से सरकार मुद्रास्फीति के मांग एवं पूर्ति दोनों पक्षों को बारीकी से मानीटर करती है। यह न केवल उचित मूल्यों पर व्यापक उपभोग की अनिवार्य जिंसों की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कारगर आपूर्ति प्रबंधन नीति का पालन करती है बल्कि मुद्रास्फीति दबावों को रोकने के लिए मांग के संबंध में उपाय भी करती है। इनमें अपेक्षाकृत अधिक राजकोषीय अनुशासन और मौद्रीकृत घाटे तथा स्थूल मुद्रा (एम 3) विकास की नियमित मानीटरिंग शामिल हैं।

विवरण

सारणी-1

अनिवार्य जिंसों के थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा मुद्रास्फीति दरें

माह 2000–01	थो.मू.सू.– अ.जिं. (आधार वर्ष 1993–94 =100)	मुद्रास्फीति दर % (आधार वर्ष 1982 =100)	उ.मू.सू.– अ.जिं. (आधार वर्ष 1982 =100)	उ.मू.सू.– अ.जिं. पर आधारित मुद्रास्फीति दर %
1	2	3	4	5
जनवरी	161.3	6.0	422	3.4

1	2	3	4	5
फरवरी	160.5	5.8	418	3.0
मार्च	161.5	3.0	419	2.9
अप्रैल	163.7	1.4	421	1.2
मई	164.3	1.0	424	1.4
जून	164.5	1.1		

*सप्ताहों का औसत

थो.मू.सू.–अ.जिं : अनिवार्य जिंसों का थोक मूल्य सूचकांक

उ.मू.सू.–अनिवार्य जिंसों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

सारणी-2

अनिवार्य जिंसों के थोक मूल्य सूचकांक में साप्ताहिक उतार–चढ़ाव तथा अनिवार्य जिंसों के थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दरें

माह 2000–01	सप्ताह–तारीख	थो.मू.जू.– अ. जिंस	मुद्रास्फीति दर (%)
1	2	3	4
जनवरी	01/06/01	161.4	6.3
	01/13/01	161.8	6.6
	01/20/01	161.2	5.8
	01/27/01	161.0	5.3
फरवरी	02/03/01	160.3	5.1
	02/10/01	160.8	6.1
	02/17/01	160.3	6.0
	02/24/01	160.7	6.2
मार्च	03/03/01	160.7	3.6
	03/10/01	161.0	3.6
	03/17/01	161.5	3.8
	03/24/01	161.9	0.6
	03/31/01	162.1	0.7
अप्रैल	04/07/01	163.3	1.1
	04/14/01	164.0	1.4
	04/21/01	163.5	1.5
	04/28/01	164.0	1.3
मई	05/05/01	164.1	1.0
	05/12/01	164.5	1.3
	05/19/01	164.4	0.6
	05/26/01	164.2	1.1
जून	06/02/01	164.1	1.1
	06/09/01	164.7	1.1
	06/16/01	165.0	1.0
	06/23/01	164.5	1.0
	06/30/01	164.3	0.4
जुलाई	07/07/01	164.9	1.2
	14/07/01	164.0	1.1

खाद्यान्न बैंकों की स्थापना

1906. श्री अनन्त नायक : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास प्रत्येक राज्य में खाद्यान्न बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) अधिकारियों का समूह मध्य प्रदेश में यथा क्रियान्वित अनाज बैंक योजना के अनुभवों की समीक्षा कर रहा है। देश के 13 राज्यों में केवल आदिवासी ग्रामों में 1996–97 से अनाज बैंक स्थापित

करने की केन्द्र क्षेत्र की योजना फिलहाल क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में यह प्रावधान है कि पहचान किए गए क्षेत्रों में ग्रामीण एक समिति बना सकते हैं और गांव में अनाज बैंक स्थापित कर सकते हैं। भारत सरकार प्रति परिवार स्थानीय रूप से खाद्यान्नों की उपभोग की 100 किलोग्राम की दर पर अनाज बैंक स्थापित करने के लिए 100 प्रतिशत अनुदान एक–मुश्त प्रदान करती है।

इसके सदस्य इस बैंक से आवश्यकता से समय उधार ले सकते हैं और फसल कटने अथवा मजदूरी से आय होने पर सामान के रूप में वापस अदा कर सकते हैं।

फ्लोर मिलों को गेहूं की आपूर्ति बंद किया जाना

1907. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में फ्लोर मिलों को 600 रुपये प्रति क्विंटल की रियायती दर पर गेहूं की आपूर्ति बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसका परिणाम यह हुआ है कि सस्ती दरों पर गेहूं खरीदने में फ्लोर मिलों की अक्षमता के कारण इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बड़ी संख्या में फ्लोर मिलें बंद हो गई हैं;

(घ) क्या मिल मालिकों ने सरकार से वर्तमान निबंधन और शर्तों पर इन मिलों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की आपूर्ति पर से प्रतिबंध हटा लेने के लिए आग्रह किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या पहल की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) वसूली मौसम के दौरान किसानों से सीधे गेहूं की खरीदारी करने के लिए उत्तरी जोन के रोलर फ्लोर मिलों और अन्य बल्क में खरीदारों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उत्तरी जोन में (जम्मू व कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर) अप्रैल और मई, 2001 के महीनों के दौरान 650/– रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं की खुली बिक्री रोक दी गई थी।

(ग) इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) उत्तरी जोन में रोलर फ्लोर मिलों की कुछ एसोसिएशनों ने सरकार से अनुरोध किया था कि उत्तरी जोन में गेहूं की खुली बिक्री पुनः शुरू की जाए। इन अनुरोधों पर विचार करने के पश्चात् जून, 2001 के महीने में गेहूं की खुली बिक्री पुनः शुरू की गई थी।

सीमेंट संयंत्र का आधुनिकीकरण

1908. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के आई.डी.आई.सी.ओ.एल. सीमेंट संयंत्र का विश्व बैंक की सहायता से आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस सीमेंट संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए विश्व बैंक से कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई है; और

(ग) उक्त संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) से (ग) जी, हां। आई.डी.आई.सी.ओ.एल. सीमेंट लि. ने अपने सीमेंट संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए आई.डी.बी.आई. और आई.सी.आई.सी.आई के माध्यम से विश्व बैंक साख पद्धति वर्ल्ड बैंक लाईन ऑफ क्रेडिट (आई.बी.आर.डी.) के अंतर्गत 97.23 करोड़ रुपये की राशि की विश्व बैंक सहायता प्राप्त की थी और वर्ष 1992 में संयंत्र के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किया। आधुनिकीकरण का कार्य वर्ष 1995 में पूरा हो गया था और कंपनी ने 5 अप्रैल, 1995 को वाणिज्यिक उत्पादन करना शुरू कर दिया।

[हिन्दी]

आर. वी. गुप्ता पैनल की सिफारिशें

1909. श्री महेश्वर सिंह :
श्री सुरेश चन्देल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि ऋण की उपलब्धता में सुधार लाने और ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने में दूरगामी परिवर्तन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित आर. वी. गुप्ता पैनल की सिफारिशों को स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें कब तक स्वीकार किया गया है; और

(ग) कृषि अर्थव्यवस्था पर इन सिफारिशों का क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) प्रणाली और ऋण प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा उसमें सुधार के लिए आर.वी. गुप्ता समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकार कर लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 20.5.1998 के अपने परिपत्र के तहत बैंकों को इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कहा था और सभी बैंकों ने अधिकांश सिफारिशों को क्रियान्वित किया है।

(ग) यह अपेक्षा की जाती है कि गुप्ता समिति की सिफारिशों से किसानों के लिए बैंक से ऋण प्राप्ति आसान हो जाएगी, कृषि क्षेत्र को ऋण के प्रवाह की गति तेज हो जाएगी, किसानों के लिए अपने उत्पादन आवश्यकताओं के साथ-साथ अपने घरेलू/फसल कटाई के पश्चात् के व्यय को पूरा करने के लिए उन्हें बैंक से समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने योग्य बनाने के साथ-साथ उन्हें ऋण की प्रमात्रा बढ़ेगी। कृषि अर्थव्यवस्था पर इन सिफारिशों के प्रभाव का अलग से पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि बैंकों द्वारा सिफारिशों का क्रियान्वयन अनुपूरक तथा विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) की तैयार, किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लागू किये जाने आदि जैसे बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले अन्य उपायों के पूरक हैं। तथापि पिछले कुछ वर्षों के दौरान कृषि को ऋण संवितरण में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। वर्ष 1994-95 से विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि को ऋण का संवितरण नीचे दिया गया है-

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	संवितरित राशि (करोड़ रु.)
1994-95	8255.00
1995-96	10172.45
1996-97	12782.53
1997-98	14808.35
1998-99	17787.63
1999-2000	21913.14
2000-2001	24654.40

[अनुवाद]

माल भाड़े का भुगतान

1910. श्री दिलीप संघाणी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित पामोलिन की सड़क मार्ग से ढुलाई के लिए माल भाड़े के बढ़ते भुगतान हेतु केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार सड़क माल भाड़े के भुगतान में वृद्धि के लिए राज्य के दावों पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने गुजरात सरकार के अभ्यावेदन पर विचार किया था। तथापि, अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जा सका और गुजरात सरकार को दिनांक 8.12.2000 को सूचित कर दिया गया है।

चीनी फैक्ट्रियों के मामले में महाराष्ट्र का अभ्यावेदन

1911. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1993 और 1997 योजनाओं के अंतर्गत शामिल की गई चीनी फैक्ट्रियों के लिए पर्याप्त अनुदान हेतु महाराष्ट्र से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) महाराष्ट्र की चीनी फैक्ट्रियों और महाराष्ट्र राज्य सहकारी शक्कर कारखाना

संघ लि. से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें सरकार से लेवी मुक्त बिक्री के अनुपात में परिवर्तन के कारण प्रोत्साहन में हानि के लिए नई और विस्तार परियोजनाओं हेतु क्षतिपूर्ति का अनुरोध किया गया है। इन अभ्यावेदनों की जांच की गई है और यह पाया गया है कि लेवी प्रतिशतता में कमी करने से मुक्त बिक्री के कोटे में वृद्धि हुई है जिससे प्रोत्साहन प्राप्त कर रही नई और विस्तार परियोजनाओं सहित सभी चीनी फैक्ट्रियों को लाभ हो रहा है।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों के विशाल भंडार

1912. श्री रामजीवन सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में निर्यात किए जाने हेतु रखे गए खाद्यान्नों की भरमार हो गई है जबकि भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खरीदे गए गेहूं का विशाल भंडार जगह की कमी के कारण दिल्ली की नजफगढ़ और नरेला अनाज मंडियों में खुले स्थान पर पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम को अनुमानतः कितनी हानि होने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने स्थिति में सुधार करने तथा भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु उपचारात्मक कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) 2000–2001 और 2001–2002 में चावल और गेहूं की रिकार्ड वसूली के कारण कुछ खाद्यान्नों का स्टाक कवर और प्लिंथ गोदामों में रखा गया है। नजफगढ़ और नरेला मंडियों से गेहूं के स्टाक को भंडारण परिसर में स्थानान्तरित कर दिया गया है। कैप परिसरों में भंडारण के कारण कोई हानि अपेक्षित नहीं होती।

(ग) से (ङ) प्राइवेट पार्टियों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से नए स्टाक को रखने के लिए अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

कंपनियों द्वारा शेयर मूल्यों में हेरा-फेरी

1913. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेयर मूल्यों में हेरा–फेरी करने के आरोपों के कारण 'सेबी' द्वारा हाल ही में स्टर्लाइट, वीडियोकॉन और बीपीएल कंपनियों को पूंजी बाजार में जाने से रोका गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में जांच पूरी हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सेबी ने दिनांक 19.4.2001 को सेबी अधिनियम की धारा 11 और 11ख के अंतर्गत बीपीएल लिमिटेड, वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पूंजी बाजार में क्रमशः 4 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए प्रवेश रोकने संबंधी आदेश पारित किए। सेबी अधिनियम और सेबी (प्रतिभूतियों की धोखेपूर्ण और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियमों के उल्लंघन के कारण सेबी अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत उक्त कंपनियों के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाहियों का आदेश दिया गया था।

(ग) और (घ) सेबी ने अप्रैल/मई 1998 में मैसर्स बीपीएल, वीडियोकॉन और स्टर्लाइट के शेयर मूल्यों में कथित मूल्य हेराफेरी की जांच शुरू की थी। यह जांच तीन चरणों में पूरी की गई थी। पहले चरण में, जो अक्तूबर, 1998 में पूरी हुई थी, यह पाया गया था कि ग्राहकों के एक साझे समूह की तरफ से कार्य करने वाले दलालों और उप–दलालों के समूह, जो हर्षद मेहता के लिए एक मोर्चे के रूप में कार्य कर रहे थे, ने इन कंपनियों के शेयरों के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस कब्जा करने से मूल्यों में हेराफेरी हुई। इन जांचों के परिणामस्वरूप 18 दलालों को एक से तीन वर्षों की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। कुछ अन्य दलालों को उनके शामिल होने की सीमा पर निर्भर करते हुए अपेक्षाकृत कम अवधियों के दंड दिये गए थे। जांच के दूसरे चरण में, जो जनवरी, 1999 में पूरी हुई थी, जांच के अनुसरण में बीएसई के अध्यक्ष को कार्यालय छोड़ने के लिए कहा गया, बीएसई के उपाध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक ने त्याग पत्र दे दिया। कार्यकारी निदेशक को भी 3 वर्ष की अवधि के लिए किसी

भी पूंजी बाजार से जुड़ी सार्वजनिक संस्था में कोई सार्वजनिक पद ग्रहण करने से रोक दिया गया। तीसरे चरण में, अक्तूबर, 1999 तक हर्षद मेहता, बीपीएल, वीडियोकॉन और स्टर्लाइट के विरुद्ध जांच पूरी कर ली गई थी। दिसम्बर, 1999 में उन्हें 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये गये थे। इन पक्षों को माह मार्च/अप्रैल, 2001 में अंतिम सुनवाइयों का अवसर दिया गया था। सुनवाइयों के अनुसरण में सेबी ने दिनांक 19.4.2001 को बीपीएल लि., वीडियोकॉन इंटरनेशनल लि. तथा स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज लि. का क्रमशः 4 वर्ष, 3 वर्ष तथा 2 वर्ष की अवधि के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश रोकने संबंधी आदेश पारित किए। हर्षद मेहता को प्रतिभूतियों में व्यापार करने से स्थायी रूप से रोक दिया गया है और उसके अभियोजन के आदेश भी दे दिये गए हैं।

[हिन्दी]

स्वर्ण जयंती रोजगार योजना

1914. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'स्वर्ण जयंती रोजगार योजना' और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रदान करने के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे राज्य–वार कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) जी, हां। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा क्रियान्वित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) तथा विभेदी ब्याज दर (डीआरआई) योजना जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रदान किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एसजेएसआरवाई, पीएमआरवाई के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और हिताधिकारियों की संख्या तथा एसजीएसवाई के अंतर्गत लक्ष्यगत और संवितरित ऋण की राशि का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। डीआरआई योजना के अंतर्गत शामिल खातों की संख्या तथा बकाया राशि का सरकारी क्षेत्र बैंक–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के दौरान लक्ष्य, हिताधिकारियों की संख्या तथा लक्षित एवं संवितरित ऋण राशि का राज्य–वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाख रुपये में)

राज्य का नाम	स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना		प्रधानमंत्री रोजगार योजना		स्वर्णजयंती ग्राम स्व.रोजगार योजना	
	लक्ष्य संख्या	कुल ऋण संवितरित सं.	लक्ष्य संख्या	लाभार्थियों की सं.	कुल ऋण लक्ष्य (राशि)	कुल ऋण संवितरित (राशि)
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1443	897	33800	6536	21600.00	5433.23
अरुणाचल प्रदेश	0	0	500	118	880.00	69.43
असम	2003	939	6600	1334	7000.00	771.02
बिहार	1716	2736	21900	6159	37040.00	13453.97
छत्तीसगढ़	1534	591	–	–	10020.00	3955.59
गोवा	135	128	625	256	170.00	3.33

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	12040	2807	14700	8105	7500.00	3803.66
हरियाणा	1748	1289	8600	4348	4200.00	5812.11
हिमाचल प्रदेश	335	285	2500	1862	2000.00	1634.62
जम्मू एवं कश्मीर	4260	1236	4000	652	1800.00	642.28
झारखण्ड	40	88	—	—	13960.00	2460.46
कर्नाटक	6429	4441	22000	5873	14000.00	5471.37
केरल	675	3363	23700	9372	7000.00	6012.73
मध्य प्रदेश	24144	7874	32400	10065	21480.00	12074.24
महाराष्ट्र	15541	4847	45000	16555	28500.00	17377.48
मणिपुर	10	23	1100	357	500.00	0.00
मेघालय	438	293	600	381	600.00	0.00
मिजोरम	390	277	250	245	200.00	3.96
नागालैंड	176	158	200	21	400.00	15.43
उड़ीसा	7051	2048	15500	1027	20700.00	12333.87
पंजाब	853	1876	9000	6291	2000.00	2605.08
राजस्थान	16073	5241	16600	8291	14000.00	12416.61
सिक्किम	0	25	50	33	230.00	187.54
तमिलनाडु	1215	2299	18500	9184	18000.00	8236.02
त्रिपुरा	725	285	1300	35	2100.00	1164.22
उत्तर प्रदेश	34445	13720	52200	28198	61755.00	21286.78
उत्तरांचल	1608	652	—	—	3245.00	16.73
प. बंगाल	2991	3439	22500	1622	20000.00	448.69
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	6	5	150	106	125.00	3.90
दमन व दीव	0	0	50	22	125.00	0.00
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	50	22	120.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
लक्षद्वीप	0	0	50	14	125.00	0.50
पांडिचेरी	92	123	625	159	125.00	3.22
उल्लिखित नहीं	0	1093	0	690	0	0
कुल योग	143028	63222	360050	128623	320500.00	137698.06

विवरण-II

मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के दौरान डी.आर.आई. योजना के अंतर्गत खातों की संख्या एवं बकाया राशि के बैंक–वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(राशि करोड़ में)

(खाते लाख में)

बैंक का नाम	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1.26	34.35
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	0.93	7.16
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0.39	22.00
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	0.15	6.75
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	0.18	4.87
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	0.11	5.64
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	–	0.11
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर	0.41	2.91
इलाहाबाद बैंक	0.63	31.23
आंध्रा बैंक	0.08	13.00
बैंक ऑफ बड़ौदा	0.30	44.51
बैंक ऑफ इंडिया	1.70	51.45
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	0.04	4.82
केनरा बैंक	0.90	27.70
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0.41	18.70
कार्पोरेशन बैंक	0.02	2.35
देना बैंक	0.01	3.79
इंडियन बैंक	1.79	10.11
इंडियन ओवरसीज बैंक	0.35	32.50
ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स	0.05	9.17
पंजाब नेशनल बैंक	0.49	41.93
पंजाब एंड सिन्ध बैंक	0.01	14.17
सिंडिकेट बैंक	0.05	15.00
युनियन बैंक ऑफ इंडिया	0.15	12.46
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	0.04	2.89
यूको बैंक	0.20	5.00
विजया बैंक	0.02	8.25
कुल	10.67	432.82

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की खरीद का विकेन्द्रीकरण

1915. श्री अधीर चौधरी :

श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश के सभी राज्यों में खाद्य खरीद और वितरण संबंधी विकेन्द्रीकृत योजना के क्रियान्वयन पर सक्रियतापूर्वक विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस उद्देश्य हेतु राज्यों के बीच आम सहमति बनाने के लिए एक कार्य दल का गठन किया है; और

(ग) खाद्य खरीद और वितरण संबंधी विकेन्द्रीकृत योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वाले राज्यों में किसानों और उपभोक्ताओं के किस हद तक लाभान्वित होने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, हां। खाद्य प्रबंधन और कृषि निर्यात संबंधी केन्द्रीय मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की स्थायी समिति की 6.7.2001 को हुई बैठक में स्पष्ट किया गया था कि किसी राज्य सरकार पर खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत वसूली की योजना थोपी नहीं जाएगी। राज्य सरकारों के साथ आगे परामर्श किया जाएगा और योजना के अधीन लाभों का बंटवारा करने के बारे में उन राज्यों के संबंध में विचार किया जायेगा जो इस योजना को अपनाने के लिए सहमत होंगे।

(ग) इस योजना के निम्नलिखित लाभ हैं—

(i) स्थानीय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा।

(ii) स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली किस्में, जो स्थानीय उपभोक्ताओं की पसंद हैं, सार्वजनिक वितरण के नेटवर्क के जरिए उपलब्ध होंगी।

(iii) चूंकि उपभोक्ता राज्य स्वयं खाद्यान्नों की वसूली करेंगे इसलिए गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत नहीं होगी।

(iv) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्तियों के लिए भारतीय खाद्य निगम पर राज्य सरकारों की निर्भरता कम होगी।

सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों की वित्तीय हालत

1916. श्री साहिब सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों की वित्तीय हालत खराब है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष 30 जून, 2001 तक यूटीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई आदि की लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त उल्लिखित वित्तीय संस्थानों को यदि कोई घाटा हुआ है तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इन वित्तीय संस्थानों की समग्र दशा सुधारने हेतु क्या ठोस कदम उठाए हैं या उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान और 30 जून, 2001 तक आईसीआईसीआई, आईडीबीआई और आईएफसीआई के निवल लाभ/हानि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

(करोड़ रुपये में)

संस्था	मार्च 1998—99	मार्च 1999—2000	मार्च 2000—2001	जून, 2001
आईसीआईसीआई	1001	1206	537	326
आईडीबीआई	1258.9	947	691	181.9
आईएफसीआई	23.5	—191.8	—261.9	—27.8

जहां तक यूटीआई का संबंध है, यह नियमित वित्तीय संस्था नहीं है, बल्कि म्यूचुअल फंड है। यह समग्र रूप से सामान्य तुलन—पत्र और निगम के लिए आय और व्यय खाता तैयार/प्रकाशित नहीं करता है। यह केवल योजना—वार तुलन—पत्र और आय और व्यय खाता प्रकाशित करता है और उसके लाभ और हानियों को योजना के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) में प्रदर्शित किया जाता है।

(ग) कुछ वित्तीय संस्थाओं ने अशोध्य निवेश निर्णयों और आस्ति देयता परिपक्व असंतुलन के कारण हानियां उठाई हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी नीतियों में समय—समय पर होने वाले परिवर्तनों, अधिक्षमता निर्माण के परिणामस्वरूप प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापारिक मंदी जैसी स्थिति ने आयात में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई है और निर्यात में मंदी भी आई है और इस प्रकार इसने संस्थाओं की स्थिति को प्रभावित किया। कतिपय उद्योग/यूनिट विशिष्ट और प्रबंधन से संबंधित समस्याएं भी हैं

जिन्होंने वित्तीय संस्थाओं की लाभप्रदता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

(घ) सरकार सभी संबंधितों के परामर्श से उन वित्तीय संस्थाओं की सहायता, जो फिलहाल वित्तीय संकट में हैं और उनके पुनरुज्जीवन हेतु विभिन्न उपाय कर रही है ताकि लगातार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। वित्तीय संस्थाएं उच्च लागत ऋण पर पूर्व–अदायगी कार्रवाई करने, उपयुक्त चलनिधि/परिपक्वता/मिश्रित लागत के माध्यम से नई निधियां जुटाने और नई ढांचागत उत्पादें प्रस्तुत करने जैसे उपाय भी कर रही हैं।

[हिन्दी]

घटिया उपभोक्ता सामान

1917. श्री राम टहल चौधरी :
श्री उत्तमराव पाटील :
श्री बी. के. पार्थसारथी :
श्री कालवा श्रीनिवासुलु :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के बाजार में घटिया सामान तथा विशेष रूप से उस विद्युत संबंधी सामान की भरमार है जो उपभोक्ताओं के लिए खतरनाक है;

(ख) यदि हां, तो देश में घटिया सामान की बिक्री को रोकने के लिए सरकार द्वारा और ब्यूरो आफ इंडियन स्टेंडड्र्स (बी आई एस) द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान ब्यूरो आफ इंडियन स्टेंडड्र्स द्वारा देश में छापे मारे गये थे और घटिया सामान विशेष रूप से विद्युत के उस समान को जब्त किया गया था जो बिक्री के लिए रखा गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार और संघ राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो उन विनिर्माताओं के उत्पादों की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है जिन्होंने ब्यूरो द्वारा प्रचालित उत्पाद प्रमाणन स्कीम के तहत लाइसेंस प्राप्त किया है। इस समय लगभग 111 बिजली के सामानों को उत्पाद प्रमाणन स्कीम के तहत लाया गया है। देश में घटिया वस्तुओं की बिक्री को रोकने के लिए सरकार ने सात मदों अर्थात् इलेक्ट्रिक इमर्जन वाटर हीटर्स, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिक रेडिएटर्स, घरेलू और उसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए स्विच, घरेलू और उसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए 2 एम्पीयर स्विच तथा 3 पिन प्लग और सॉकेट आउटलेट को अनिवार्य प्रमाणन के तहत रखा है।

भारतीय मानक ब्यूरो फैक्ट्रियों के आकस्मिक दौरे करके तथा बाजार से नमूने लेकर लाइसेंसधारियों के कार्यनिष्पादन की निगरानी कर रहा है। यदि उत्पादों को घटिया पाया जाता है तो मार्किंग को रोकने, लाइसेंस का नवीकरण न करने और यहां तक कि लाइसेंस को रद्द करने सहित आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। नकली आई एस आई चिह्न लगे उत्पादों के मामले में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विस्तृत जांचें की जाती हैं और यदि इस प्रकार एकत्रित किए गए साक्ष्य उपयुक्त पाए जाते हैं तो दोषी पार्टी के खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है।

(ग) से (ङ) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा देश में 46 तलाशी और जब्ती अभियान चलाए गए। उनमें से 6 बिजली के सामानों से संबंधित थे, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है–

वर्ष	की गई तलाशी और जब्ती		दोष सिद्ध पार्टियां
1999–2000	महाराष्ट्र	01	मामले न्याय निर्णयाधीन
	उत्तर प्रदेश	02	–वही–
2000–2001	दिल्ली	01	–वही–
अप्रैल 2001 से जुलाई 2001 तक	दिल्ली	02	–वही–

[अनुवाद]

चमड़ा उत्पादों का निर्यात

1918. श्री सी. पी. राधाकृष्णन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000–2001 के दौरान चमड़ा उत्पादों के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा चमड़ा उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2000–2001 के दौरान चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों के लिए नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 1760 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात लक्ष्य रखा गया था :

(मिलियन अमरीकी डालर में)

श्रेणी	लक्ष्य 2000–2001
परिष्कृत चमड़ा	250
चर्म फुटवियर	360
चर्म संघटक	260
चर्म परिधान	350
चमड़े की वस्तुएं (जीनसाजी सामान सहित)	490
गैर चमड़ा फुटवियर	50
कुल	1760

1760 मिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2000-2001 के दौरान वास्तविक निर्यात 1970.99 मिलियन अमरीकी डालर के हुए थे।

(ग) निर्यातकों को क्रेता–विक्रेता बैठकों, मेलों, व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों में शामिल होने के लिए विभिन्न लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान, सरकार की पहल पर चर्म निर्यात परिषद विशिष्ट देशों में विपणन किए जाने हेतु विशिष्ट उत्पादों की पहचान करके चमड़ा उत्पादों के निर्यातों के प्रति अधिक केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक योजना तैयार कर रही है।

हीरा प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार

1919. श्री मानसिंह पटेल : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के हीरा प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यक्रम बनाया गया है;

(ग) क्या रूस हीरा प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार में भारत की मदद करेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध मे स्थापित किये गए संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) भारतीय हीरा प्रसंस्करण उद्योग अपरिष्कृत हीरों के आयातों पर काफी आश्रित है और इसके अधिकांश उत्पादन की बिक्री निर्यातों के द्वारा की जाती है। अभी तक ऐसे आकार के अपरिष्कृत हीरों की आपूर्ति में कुछ कमी है जिसके लिए भारतीय हीरा प्रसंस्करण उद्योग ने विशेषज्ञता हासिल कर ली है और जिससे उसे तुलनात्मक लाभ भी प्राप्त है। तराशे एवं पॉलिश किए गए हीरों के विश्व बाजार में कुछ मंदी है और इस प्रकार हीरा प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार के लिए यह उपयुक्त समय नहीं होगा। हालांकि मौजूदा हीरा प्रसंस्करण उद्योगों की दिशा को हीरा जड़ित आभूषण विनिर्माता उद्योगों की ओर मोड़ना अधिक वांछनीय होगा। तथापि, एग्जिम नीतिगत पहल जैसे कि निजी/सार्वजनिक बांडेड भंडारगृहों की स्थापना, हीरा डालर लेखा योजना, आयात एवं निर्यात पार्सलों की निजी ढुलाई की अनुमति और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रमाणीकरण के लिए तराशे एवं पॉलिश किए हुए हीरों के निर्यात एवं उनका बाद में पुनः आयात करने की अनुमति प्रदान करने की योजना आदि का उद्देश्य तराशे एवं पॉलिश किए हुए हीरों के निर्यात में वृद्धि को आसान बनाना है। सरकार के अलावा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित व्यापार के एक प्रतिनिधि स्वायत्त निकाय रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद्, ने अनेक अल्प/मध्यकालिक कार्रवाइयां की हैं और करने का प्रस्ताव किया है जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं :

- एक मध्यकालिक निर्यात कार्य योजना तैयार की गयी है।
- हीरा खनन देशों से अपरिष्कृत हीरों की सीधी खरीद की संभावना का पता लगाना।
- आभूषण डिजाइन और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सूरत स्थित भारतीय हीरा संस्थान के तत्वावधान

में सरदार वल्लभभाई पटेल आभूषण डिजाइन एवं विनिर्माण केन्द्र को आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलन योजना के अधीन निधियां प्रदान की गई हैं।

- नए बाजारों का पता लगाने और पहचान करने के उद्देश्य से विशेषज्ञ परामर्शदाताओं के जरिए बाजार अध्ययन कराना और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भारतीय डिजाइनरों को नियुक्त करना जिससे कि डिजाइनों में अद्यतन रुझान का पता लगाने के लिए उसी समय अध्ययन किए जा सकें।

- भारत से रत्न एवं आभूषण के निर्यातों को बढ़ाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने हेतु लैटिन अमरीकी देशों में नए बाजारों की भी गहन जांच की जा रही है।

(ग) अक्तूबर, 2000 में रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान हीरों और कीमती धातुओं के व्यापार में सहयोग के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और रूसी परिसंघ के वित्त मंत्रालय के बीच एक आशय संलेख (प्राटोकॉल ऑफ इन्टेंसन्स) पर हस्ताक्षर किए गए थे। उपर्युक्त प्रोटोकोल की व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए बाद में मै. गोरवरान (कीमती वस्तुओं के राज्य न्यासी) वित्त मंत्रालय, रूस की सरकार के साथ एक करार किया गया था जिसके अनुसार उन्हें 4,468,894.42 अमरीकी डालर मूल्य के अपरिष्कृत हीरों का भारत को सीधे ही निर्यात करना है। तथापि, उपर्युक्त करार के अधीन रूस से हीरों की आपूर्ति अभी होनी है।

(घ) भारत और रूस के बीच हीरों के तराशने तथा पॉलिश उद्योग के क्षेत्र में अभी तक कोई संयुक्त उद्यम स्थापित नहीं किया गया है।

बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विफलता

1920. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री रामजीवन सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से यह पता चलता है कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अब लाभ नहीं उठा पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विफलता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि आकलन में बिहार में एक अध्ययन का उल्लेख किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में समग्र रूप में केवल सरकारी कर्मचारी, एजेंट और खुदरा विक्रेता लाभ उठा रहे हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। यद्यपि केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की वसूली करने और इन्हें प्रमुख वितरण केन्द्रों पर राज्यों को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है लेकिन गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और कार्ड धारकों को राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों का वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

यह कहना सही नहीं है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तथापि, बिहार सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खुले बाजार में उपलब्ध खाद्यान्नों के फिलहाल प्रचलित मूल्य खुदरा स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे के खाद्यान्नों की दरों के लगभग बराबर हैं। बिहार सरकार ने यह भी सूचित किया है कि इसलिए गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के अधीन लाभभोगी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अपने खाद्यान्न उठाने के अधिक इच्छुक नहीं हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान खाद्यान्नों का उठान निम्नानुसार है-

(आंकड़े टन में)

वर्ष	आबंटन		उठान	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
1997-98	380560	545560	158258	414105
1998-99	412320	618480	227075	533418
1999-2000	412320	618480	216977	575927
2000-2001	824640	1236950	109205	280919

(घ) और (ङ) बिहार राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनःजीवित करने के लिए सभी स्तरों पर उचित उपाय किए जाएं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित दर दुकानों और अन्य स्तरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कड़ी मानीटरिंग करें तथा पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय रूप से शामिल करके पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से लक्षित लाभान्वितों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था करें।

अंत्योदय योजना

1921. श्री रामजी मांझी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गरीब से गरीब व्यक्तियों को भी खाद्यान्न नहीं मिल रहा है जबकि गोदामों में खाद्यान्नों की भरमार है;

(ख) यदि हां, तो जरूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं या किये जाने का विचार है;

(ग) अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कितने परिवार लाभान्वित हुए;

(घ) क्या अंत्योदय अन्न योजना अपना लक्ष्य प्राप्त करने में विफल हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, नहीं। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर, 2000 को घोषित की गई थी ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्धनों में निर्धनतम को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल के हिसाब से उच्च राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर 25 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह उपलब्ध करवाये जा सकें।

(ग) से (ङ) अंत्योदय अन्न योजना में देश में एक करोड़ निर्धनतम परिवारों की पहचान करने की परिकल्पना की गई है। अब तक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, जम्मू–कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों में लाभभोगी परिवारों की पहचान करने तथा उन्हें अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी करने का काम पूरा कर लेने के पश्चात् अंत्योदय अन्न योजना क्रियान्वित कर दी गई है। इन राज्यों में लाभ प्राप्त कर रहे अंत्योदय परिवारों की संख्या 5187520 है। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पहचान करने और पहचान किए गए लाभभोगियों को अलग प्रकार का राशन कार्ड जारी करने का कार्य प्रगति पर है।

महिलाओं को राजसहायता प्रदान करने हेतु छूट

1922. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था के विपरीत प्रभावों से महिलाओं, किसानों और मजदूरों को बचाने हेतु यंत्र विकसित करने और निम्न आर्थिक स्तर पर आय सृजन में शामिल महिलाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को राजसहायता प्रदान करने में छूट देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार का बातचीत के अगले दौर में, विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था में 'ग्रीन बॉक्स' की भांति 'जेंडर बॉक्स' स्थापित करने का मुद्दा उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में यदि कोई निर्णय लिया गया है, तो वह क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) इस समय सरकार के पास जेंडर बॉक्स के सृजन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारत ने कृषि करार के तहत चल रही वार्ताओं के लिए विश्व व्यापार संगठन को प्रस्तुत अपने प्रस्तावों में खाद्य सुरक्षा बॉक्स के सृजन की मांग की है ताकि भारत अपनी खाद्य सुरक्षा तथा आजीविका से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दे सके और विकासशील देशों द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ उसने गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास रं कृषि के विविधिकरण हेतु किए गए घरेलू नीतिगत लिए पर्याप्त लोचशीलता की मांग की है।

कर्नाटक में भारतीय खाद्य निगम द्वारा मक्के की खरीद

1923. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने कर्नाटक में किसानों से खरीदे गए मक्के की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य में मक्के की कुल कितनी मात्रा खरीदी गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने किसानों को शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करने हेतु भारतीय खाद्य निगम को निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने उसके द्वारा की गई वसूली के लिए किसानों को पूरा भुगतान कर दिया है। भारतीय खाद्य निगम ने उस स्टाक के लिए भी भुगतान कर दिया है जो 28.2.2001 तक कर्नाटक राज्य खाद्य और नागरिक पूर्ति निगम द्वारा वसूल किया गया था और भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्द किया गया था।

किसानों को 109.07 करोड़ रुपये की कुल राशि का भुगतान किया गया है जिसमें से 56.42 करोड़ रुपये भारतीय खाद्य निगम द्वारा अदा किए गए हैं और 52.65 करोड़ रुपये कर्नाटक राज्य खाद्य और नागरिक पूर्ति निगम द्वारा अदा किए गए हैं।

31.3.2001 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में भारतीय खाद्य निगम और भारतीय खाद्य निगम के उप एजेंट, कर्नाटक राज्य खाद्य एवं नागरिक पूर्ति निगम द्वारा 3.79 लाख टन मक्का की वसूली की गई थी।

(ग) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम व्यापारियों को स्टाक रिलीज करने के बारे में बिल प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार को भुगतान रिलीज करता है।

भूकंप के शिकार लोगों के बीमा दावे

1924. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा कंपनियों ने गुजरात में हाल में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के दावों को निपटा दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन सभी दावों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय जीवन बीमा निगम को गुजरात के भूकंप से संबंधित 1656 दावे प्राप्त हुए हैं जिसमें से 1586 दावों का निपटान कर दिया है। साधारण बीमा कंपनियों को कुल मिलाकर 47,727 दावे प्राप्त हुए हैं जिसमें से 40,998 दावे निपटाए जा चुके हैं। बकाया दावों के निपटान में विलंब का कारण बीमित व्यक्तियों द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत न किया जाना और विशेष रूप से बड़े दावों का सर्वेक्षण कार्य पूरा न हो पाना रहा है। अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरा होने पर बकाया दावों का शीघ्र ही निपटान कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

यूटीआई के शुद्ध आस्ति मूल्य

1925. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले एक वर्ष के दौरान यूटीआई योजना का शुद्ध आस्ति मूल्य लगातार गिर रहा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यूटीआई योजना में बड़ी धनराशि का निवेश करने वाले कुछ बड़े औद्योगिक घराने, यूटीआई के खाते की वार्षिक बंदी से पहले ही यह जानते थे कि इसका शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) गिर गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या पिछले तीन महीनों के दौरान बड़े औद्योगिक घरानों ने यूएस–64 से अपनी बड़ी धनराशि वापस ले ली थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल) : (क) और (ख) यूटीआई ने सूचित किया है कि कोई समनुरूपी प्रवृत्ति नहीं है। यूटीआई स्कीमों का निबल आस्ति मूल्य उनकी महत्वपूर्ण प्रतिभूतियों के बाजार मूल्यों पर निर्भर करता है। इसलिए, स्कीमों के निवल आस्ति मूल्य बाजार की घटबढ़ के अनुसार चलते हैं। मार्च, 2001 तक जब स्टाक बाजार चढ़ रहे थे तो निवल आस्ति मूल्यों ने भी उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति दर्शायी। तब से स्टाक बाजार में गिरावट के कारण निवल आस्ति मूल्य गिरे हैं।

(ग) यूएस–64 निवल आस्ति मूल्य आधारित स्कीम नहीं है। यूटीआई ने सूचित किया है कि वार्षिक खाते बंद करने से पहले यूएस–64 निवल आस्ति मूल्य के बारे में किन्हीं औद्योगिक घरानों को पता होने के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ) अलग–अलग व्यक्तियों के अलावा निवेशकों ने मार्च–मई, 2001 के दौरान 4389 करोड़ रुपये की कुल पुनर्खरीद में से लगभग 2484 करोड़ रुपये आहरित किए थे।

(च) न्यासी मंडल ने दिनांक 2 जुलाई, 2001 को हुई अपनी बैठक में बिक्री और पुनर्खरीद के निलंबन का निर्णय लिया। फिर भी, छोटे यूनिट धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए 15 जुलाई, 2001 को यह निर्णय लिया गया कि 1 अगस्त, 2001 से लघु निवेशकों हेतु सीमित पुनर्खरीद सुविधा पुनः खोल दी जाए।

[अनुवाद]

बैंकों का बंद होना

1926. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 2001 में सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सभी बैंकों की शाखाएं लगातार तीन दिनों तक बंद रहीं;

(ख) क्या इसके कारण जमाकर्ताओं को बड़ी असुविधा हुई तथा सरकार को भारी वित्तीय घाटा हुआ था;

(ग) क्या सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाने का प्रस्ताव है कि कैलेंडर वर्ष के किसी महीने में किसी भी परिस्थिति में सरकारी या निजी किसी भी क्षेत्र में बैंक लगातार दो दिन से ज्यादा बंद नहीं रहेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) 13, 14 तथा 15 अप्रैल, 2001 को क्रमशः गुड फ्रायडे, अम्बेडकर जयंती तथा रविवार होने के कारण अधिकांश राज्यों में बैंक की शाखाएं बंद रहीं क्योंकि केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकार द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत उक्त दिनों का अवकाश घोषित किया गया था।

(ख) सामान्यतः किसी भी कैलेण्डर वर्ष के दौरान वर्ष शुरू होने के पहले संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बैंक के अवकाशों की घोषणा की जाती है और बैंक उनकी सूची को शाखा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करते हैं। अतः ग्राहक अपने बैंक संबंधी लेन–देन की योजना उसके अनुसार ही बना सकते हैं। हालांकि लगातार कई दिनों तक बैंक के बंद रहने पर ग्राहकों को असुविधा होती है, परन्तु ऐसी बंदी के परिणामस्वरूप हुई किसी वित्तीय हानि का पता लगाना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) भारत सरकार बड़ी संख्या में लगातार बैंक अवकाशों के परिणामस्वरूप जनता को हुई परेशानी के संदर्भों में बैंक अवकाशों की संख्या और तरीकों को युक्तियुक्त बनाने और यह सुनिश्चित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है कि जहां तक संभव हो बैंक लगातार दो दिनों से अधिक दिनों के लिए बंद नहीं रहेंगे।

पी.आई.बी. कार्यालय का बंद होना

1927. श्री जार्ज ईडन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश में पी.आई.बी. के किसी भी कार्यालय को बंद करने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यालय का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा को डीएफआईडी सहायता

1928. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीएफआईडी ने देश में 'विशेष फोकस वाले राज्य' के रूप में उड़ीसा राज्य को अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में वे कौन–सी परियोजनाएं हैं जिन्हें डीएफआईडी की सहायता मिल रही है; और

(ग) ऐसी वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु समझौतों में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्तमान में निम्नलिखित डीएफआईडी सहायता प्राप्त परियोजनाएं उड़ीसा राज्य में क्रियान्वयनाधीन हैं–

परियोजना का नाम	सहायता की राशि (आंकड़े मिलियन पौंड में)
1. उड़ीसा विद्युत क्षेत्र सुधार परियोजना	64.50
2. उड़ीसा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सुधार परियोजना	3.83
3. कटक शहरी सेवा सुधार परियोजना	12.72
4. पश्चिमी उड़ीसा ग्रामीण आजीविका परियोजना	32.75

उपर्युक्त के अतिरिक्त डीएफआईडी सहायता पाने के लिए उड़ीसा की राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत निम्न परियोजना प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है–

परियोजना का नाम	सहायता की राशि (आंकड़े मिलियन पौंड में)
1. प्राथमिक विद्यालयों की उड़ीसा पश्च चक्रवात पुनर्निर्माण परियोजना	33.2
2. चक्रवात से क्षतिग्रस्त उठान सिंचाई परियोजना का पुनर्वास	5.5

उपर्युक्त दो परियोजनाओं के मामले में बातचीत अग्रिम चरण में है।

बफर स्टाक की ढुलाई लागत को कम करना

1929. श्री एम. चिन्नासामी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बफर स्टाक की अतिरिक्त ढुलाई लागत में कमी लाने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने 2001–2002 के दौरान खाद्यान्नों का अधिक स्टाक निकालने और गेहूं तथा चावल के उठान में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों के आबंटन में वृद्धि करना, गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में कमी करना, गेहूं और चावल की खुले बाजार में घटे मूल्यों पर बिक्री करना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए राज्य सरकारों को गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न आबंटित करना, सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न आबंटित करना और गेहूं और चावल का निर्यात करना शामिल है। उपर्युक्त उपाय अधिशेष स्टाक कम करने और बफर स्टाक रखने की लागत को कम करने के लिए किए गए हैं।

राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट

1930. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान तथा आज तक भारतीय रिजर्व बैंक से 'ओवर ड्राफ्ट' लिया है और प्रत्येक मामले में कितनी राशि ली है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ राज्यों के चेक को अस्वीकृत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान वित्तीय संकट का सामना करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को राज्य–वार कितनी अग्रिम राशि जारी की गई; और

(ङ) ओवर ड्राफ्ट की स्थिति से बचाने के लिए केन्द्र

सरकार द्वारा राज्यों को क्या कदम उठाने का सुझाव दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) राज्य सरकारों के नकद संतुलन और अधि–आहरण की कोई समस्या यदि है तो वह दिन–प्रतिदिन और राज्य दर राज्य अलग–अलग हो सकती है। किसी राज्य और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच का लेन–देन उन दोनों के मध्य निष्पादित समझौते के अनुसार होता है। चूंकि यह एक बैंकर और ग्राहक (भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकार) के बीच का मामला है, अतएव भारतीय रिजर्व बैंक के साथ राज्य के खाते के ओवरड्राफ्ट संबंधी सूचना भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक/प्रकाशित नहीं की जाती है।

(घ) संघ सरकार संभाव्य अंतरणों के संयोजन के माध्यम से नकद असंतुलन और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ओवरड्राफ्ट की समस्या से निजात दिलाने के लिए समय–समय पर राज्यों की सहायता करती रही है।

(ङ) राज्यों का वित्तीय प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और यह संबंधित राज्य पर है कि वह उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करे। तथापि ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुक्रम में राज्यों के राजकोषीय सुधार सुविधा के लिए एक स्कीम तैयार की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्यों को मध्यम आवधिक रूप से अपने वित्तीय स्थिति सुधारने का लक्ष्य रखते हुए एक प्रबोधन योग्य राजकोषीय सुधार कार्यक्रम तैयार करने को प्रोत्साहित किया गया है।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न भंडार

1931. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा से ऊपर के समूह के लिए खाद्यान्नों के मूल्य में कमी करने के सरकार के निर्णय के बाद उनकी निकासी बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्यों को उनके अनुरोध के अनुसार अधिक खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने गोदामों में चावल और गेहूं के भंडार में वृद्धि के मामलों के संबंध में कोई अध्ययन/समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य को हाल ही में 12.7.2001 से कम किया गया है। अतः प्रत्याशा है कि आगामी महीनों में उठान में वृद्धि होगी।

(ग) और (घ) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की स्थिति पूर्णतया अच्छी होने के कारण सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों की अधिक मांग करने पर अधिक मात्रा का आबंटन करेगी।

(ङ) और (च) जी, हां। दीर्घकालिक अनाज नीति पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। यह समिति खाद्यान्नों के अधिशेष स्टाक सहित खाद्यान्न नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी।

मकई का निर्यात

1932. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मकई के निर्यात को अनुमति प्रदान करने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से मकई को सभी इच्छुक पार्टियों, गैर–सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के व्यापार सदनों को बेचने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के इन गोदामों से इन पार्टियों ने कितने मूल्य की खरीद की;

(ङ) देश में मकई का कितना उत्पादन हुआ;

(च) भारतीय खाद्य निगम ने किसानों से राज्यवार कितनी मकई खरीदी है;

(छ) क्या मकई की खेती करने वाले किसानों ने सरकार से मकई का निर्यात करने का आग्रह किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय खाद्य निगम को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर इच्छुक पार्टियों को मक्का बेचने के लिए अनुमति दी गई है। इस तरीके से घरेलू रूप से स्टाक जारी करने के बाद भारतीय खाद्य निगम निपटान न किये गये स्टाक को निर्यात करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से बातचीत कर सकता है।

(घ) 25.7.2001 तक प्राइवेट पार्टियों को 4.59 लाख टन मक्का बेची गई है।

(ङ) कृषि और सहकारिता विभाग के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2000–2001 में देश में कुल 118.40 लाख टन मक्का का उत्पादन हुआ है।

(च) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(छ) और (ज) निर्यात–आयात नीति के अनुसार मक्का का निर्यात वाणिज्य विभाग द्वारा यथा अधिसूचित मात्रात्मक सीमा की शर्त के अध्यधीन मुक्त रूप से अनुमत है।

विवरण

वर्तमान खरीफ विपणन मौसम के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई मक्का की राज्यवार वसूली

(आंकड़े टन में)

राज्य	वसूली की गई मात्रा		जोड़
	भारतीय खाद्य निगम	राज्य एजेंसियां	
आंध्र प्रदेश	20451	22468	42919
कर्नाटक	123309	259307	382616
मध्य प्रदेश	0	19535	19535
महाराष्ट्र	0	16107	16107
जोड़	143760	317417	461177

बंगलौर में संसाधन केन्द्र की स्थापना

1933. डा. वी. सरोजा : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलौर में एक संसाधन केन्द्र और अंकीय प्रलेखन केन्द्र को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु में इसी प्रकार का एक केन्द्र खोलने का कोई अन्य प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) जी, नहीं। वाणिज्य विभाग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अजमेर, राजस्थान में टी.वी. टावर

1934. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर के तारागढ़ किले पर टी.वी. टावर की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था;

(ख) क्या टी.वी. टावर के उक्त प्रस्ताव को छोड़ दिया गया;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर विचार किया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) तारागढ़ किले में अंतरिम व्यवस्था करके अस्थायी टावर से अजमेर में 11 जुलाई, 2001 से एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर चालू कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कोहिमा में कर्मचारियों का अभाव

1935. श्री तूफानी सरोज : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर नागालैंड की राजधानी कोहिमा में स्थित दूरदर्शन केन्द्रों के पास आवश्यक संख्या में कर्मचारी और अधिकारी नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी की वजह से पर्याप्त मात्रा में कार्यक्रमों का निर्माण नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) कोहिमा सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित सभी दूरदर्शन केन्द्रों में कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुसार स्टाफ उपलब्ध कराया गया है।

(ग) पर्याप्त संख्या में कार्यक्रम निर्मित किए जा रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

1936. डा. अशोक पटेल :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश में निजी भागीदारी से संबंधित दिशा-निर्देशों को शीघ्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दिशा-निर्देशों को कब तक जारी कर दिये जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत ओर पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश में निजी भागीदारी सम्मिलित करने की सरकार की विनिवेश नीति की घोषणा समय-समय पर बजट भाषणों के दौरान की गई है। इस विनिवेश नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं—

- व्यावहारिक दृष्टि से सम्भाव्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना तथा पुनरुद्धार।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों को बंद करना जिनका पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता।
- सभी गैर महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी को 26 प्रतिशत तक अथवा आवश्यकता पड़ने पर इससे नीचे लाना; और
- कर्मचारियों के हितों को पूरा-पूरा संरक्षण प्रदान करना।

सभी आवश्यक विवरण प्रदान करने वाला 'विनिवेश नीति तथा प्रक्रिया' शीर्षक नामक एक मैन्युअल भी प्रकाशित किया गया है। सरकार ने 13.7.2001 को विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भागीदारी अर्जित करने के इच्छुक बोलीदाताओं की अर्हता के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं—

(i) देश की सुरक्षा तथा अखंडता से इतर अन्य मामलों के संबंध में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की दोषसिद्धि अथवा नियामक प्राधिकरण द्वारा ऐसा अभ्यारोपण/प्रतिकूल आदेश जो सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिट, जब इसका विनिवेश हो जाए, का प्रबंधन करने के लिए बोलीदाता की क्षमता पर आशंका प्रकट करता हो अथवा जो गंभीर अपराध से संबंध रखता हो, वह अयोग्यता का संघटक होगा। गंभीर अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा जो जन समुदाय की नैतिक संवदेना को आघात पहुंचाता हो। अपराध के प्रकृति के संबंध में निर्णय, सरकार द्वारा, मामले के तथ्यों तथा प्रासंगिक विधिक सिद्धांतों पर विचार करने के बाद मामला-दर-मामला आधार पर लिया जाएगा।

(ii) देश की सुरक्षा तथा अखंडता से संबंधित मामलों के संबंध में बोलीदाता पार्टी अथवा बोलीदाता पार्टी की किसी सहायक कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए सरकार की किसी एजेंसी द्वारा आरोप-पत्र/न्यायालय द्वारा अभ्यारोपण अयोग्यता का परिणाम होगा। सहायक कंपनियों के बीच संबंधों के बारे में निर्णय प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर तथा यह विचार करने के बाद लिया जाएगा कि

क्या दो कंपनियां एक ही व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा मूलतः नियंत्रित हैं।

(iii) (i) तथा (ii) दोनों में अयोग्यता उस अवधि तक बनी रहेगी जब तक सरकार उपयुक्त समझे।

(iv) किसी भी हस्ती को, जिसे विनिवेश प्रक्रिया में सहभागिता करने से अयोग्य ठहराया गया है, संबद्ध रहने अथवा सहयोजित होने की मात्र इस आधार पर अनुमति नहीं दी जाएगी कि उसने उस आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर रखी है जिसके आधार पर उसे अयोग्य ठहराया गया है। अपील के मात्र लंबित रहने का अयोग्यता पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

(v) अयोग्यता का मापदंड तत्काल प्रभाव से लागू होगा और विभिन्न विनिवेश सौदों के लिए, उन सभी बोलीदाताओं पर लागू होगा, जिन्हें अभी पूरा नहीं किया गया है।

(vi) किसी कंपनी को अयोग्य करार देने से पूर्व, उसे इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि उसे अयोग्य करार क्यों न कर दिया जाए और उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा।

(vii) ये मानदंड, इसके बाद इच्छुक पार्टियों से हित की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने वाले विज्ञापनों में विहित किए जाएंगे। इच्छुक पार्टियों को अपनी हित की अभिव्यक्ति के साथ, यथा अनुमोदित, उपरोक्त मानदंड पर जानकारी प्रदान करनी होगी। बोलीदाताओं को अपनी हित की अभिव्यक्ति के साथ इस आशय की वचनबद्धता प्रदान करने की आवश्यकता होगी कि नियामक प्राधिकरण द्वारा उनके विरुद्ध कोई जांच-पड़ताल लंबित नहीं है। किसी कंपनी अथवा इसकी सहायक कंपनी के विरुद्ध अथवा इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा इसके किन्हीं निदेशकों/प्रबंधकों/कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित किसी जांच-पड़ताल होने के मामले में, आरोप/अपराध जिसके लिए जांच-पड़ताल आरंभ की गई है तथा अन्य संगत जानकारी सरकार की संतुष्टि के लिए प्रकट की जानी चाहिए। अन्य मापदंड के लिए भी, हित की अभिव्यक्ति के साथ इसी प्रकार की वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी।

[अनुवाद]

फिल्म उत्सव में पाकिस्तान को निमंत्रण

1937. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अक्तूबर, 2001 में बंगलौर में होने वाले आगामी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद को निमंत्रण भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पाकिस्तान सरकार से कोई जवाब मिला है;

(ग) क्या इस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए कोई समय सीमा निश्चित की गयी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस फिल्म उत्सव में भाग लेने वाले अन्य देशों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस उत्सव में पाकिस्तान की कोई फिल्म प्रदर्शित की जाएगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) अक्तूबर, 2001 में बंगलौर में आयोजित किए जाने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आई.एफ.एफ.आई.) में भाग लेने हेतु पाकिस्तान सहित कई फिल्म निर्माता देशों से उनके दूतावासों/उच्चायोगों को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह विनियमों की प्रतियों के साथ पत्र भेजकर प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त, 2001 है। पाकिस्तान से अभी तक कोई प्रविष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) से (छ) प्रविष्टियां प्राप्त होने की अंतिम तिथि निकल जाने के बाद ही समारोह में भाग लेने वाले देशों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। यदि पाकिस्तान से प्रविष्टियां प्राप्त होती हैं और इन्हें समारोह में भाग लेने के लिए पात्र पाया जाता है तो पाकिस्तान की फिल्मों को भी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाया जाएगा।

मकई के निर्यात के लिए अधिसूचित की गयी एजेंसियां

1938. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से दो लाख मीट्रिक टन मकई का निर्यात करने के लिए राज्य सरकारों को अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए शीर्ष एजेंसियों की पहचान कर ली गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक एजेंसी के लिए कितना कोटा निश्चित किया गया है;

(घ) क्या इस संबंध में अधिसूचना जारी की गयी है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार से मकई के निर्यात की अनुमति मिल जाने के बावजूद राज्य सरकारें निर्यातकों की सहायता करने का विचार कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (च) विदेश व्यापार महानिदेशक के कार्यालय (डी जी एफ टी) ने दिनांक 16.3.2001 की सार्वजनिक सूचना सं. 64 (आर ई–2000)/1997-2002 के द्वारा निर्यात के लिए निम्नानुसार वितरण हेतु मक्का की 2 लाख मी. टन मात्रा जारी की है–

एजेंसी का नाम	मात्रा : मी. टन में
के एस सी एम एफ, बंगलौर (राज्य सरकार संगठन)	25,000
के ए पी पी ई सी, बंगलौर (राज्य सरकार संगठन)	25,000
एस टी सी एल, बंगलौर (सरकारी पी एस यू)	30,000
नैफेड (सरकारी को–ऑपरेटिव)	10,000
एन सी सी एफ (सरकारी को–ऑपरेटिव)	10,000
एपीडा निजी निर्यातकों के लिए	1,00,000
कुल	2,00,000

जिन संगठनों को उपर्युक्त मात्रा आबंटित की गई है, वे मक्का के निर्यात के लिए आवश्यक उपाय करती हैं।

पश्चिम बंगाल में चाय बागान मालिकों को अनुदान

1939. श्री अमर राय प्रधान : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1.4.1997 और 31.3.2001 के दौरान पश्चिम बंगाल में विभिन्न चाय बागानों के मालिकों के लिए कोई अनुदान स्वीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक चाय बागान मालिक के लिए कितना अनुदान स्वीकृत किया गया;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में गैर–कानूनी रूप से सरकारी भूमि का अतिक्रमण करने वाले चाय बागानों के मालिकों के लिए इस प्रकार के अनुदान को केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृति दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इन चाय बागान मालिकों को किन परिस्थितियों में अनुदान स्वीकृत किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 1.4.97 और 31.3.2001 की अवधि के दौरान चाय बोर्ड द्वारा पश्चिम बंगाल में वितरित की गयी इमदाद की राशि का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है–

वर्ष	बागानों की संख्या	वितरित राशि (लाख रु. में)
1997–98	220	179.22
1998–99	104	78.66
1999–2000	83	107.48
2000–01	140	133.29

(ग) और (घ) चाय बोर्ड द्वारा चाय बागानों के केवल वैधानिक मालिकों को इमदाद उनके द्वारा की गयी विकास संबंधी गतिविधियों के वास्तविक सत्यापन के उपरांत प्रदान की जाती है। इसलिए पश्चिम बंगाल में चाय बागानों के ऐसे मालिकों को कोई अनुदान मंजूर करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, जिन्होंने सरकारी जमीन का गैर–कानूनी ढंग से अतिक्रमण किया है।

फिल्म उद्योग में काला धन

1940. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म उद्योग को काले धन और अंडरवर्ल्ड के प्रभाव से बचाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अधिकारियों ने विदेशों में मीडिया चैनलों के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए अन्य देशों का दौरा किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दौरों का क्या परिणाम निकला?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' राज्य का विषय है और इसलिए अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच करना, पता लगाना तथा उनकी रोकथाम करना मुख्यतया राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

(ख) तथापि, फिल्म उद्योग को और अधिक संस्थानिक वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय द्वारा 16.10.2000 को अधिसूचना जारी की गयी थी जिसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम की धारा 2(ग) (17) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'फिल्म सहित मनोरंज उद्योग' को 'औद्योगिक संस्थान' के अंतर्गत एक अनुमोदित कार्यकलाप के रूप में विनिर्दिष्ट कर दिया गया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को फिल्म निर्माण के वित्त पोषण से संबंधित प्रस्तावों हेतु धन उपलब्ध करवाने में सक्षम बनाने हेतु दिशा–निर्देश तैयार कर लिए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इस उद्देश्य से मंत्रालय के अधिकारियों ने लंदन का दौरा किया। दौरे के समय विचार–विमर्श अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर केन्द्रित रहा तथा अधिकारियों को डी टी एच संचालन, केबल संचालन, डिजिटल स्थलीय प्रसारण तथा साथ ही ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन की सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रणाली को समझने का अवसर मिला।

आउटलुक के परिसरों पर छापे

1941. श्री सुबोध राय : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आउटलुक के परिसरों पर छापे मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली पत्रकार संघ ने इस मामले को सरकार के साथ उठाया था; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कर्नाटक विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड को आईसीआईसीआई से ऋण

1942. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आईसीआईसीआई हाल ही में कर्नाटक विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड को 500 करोड़ रुपये का ऋण देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) क्या ऋण की सुरक्षा के लिए प्रति गारंटी प्राप्त कर ली गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) ऋण की अदायगी सुनिश्चित और सुरक्षित करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के लिए क्या दिशा–निर्देश निर्धारित किय गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) आई सी आई सी आई ने कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि. (के पी टी सी एल) को 'सिद्धांततः' मियादी ऋण के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी है। उक्त स्वीकृत ऋण में से अभी तक कोई संवितरण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) उक्त ऋण के पी टी सी एल की अचल आस्ति और के पी टी सी एल के प्राप्य योग्य आस्ति पर प्रभार द्वारा रक्षित होगा। इस ऋण पर कोई गारंटी नहीं है।

(घ) आई सी आई सी आई जैसी वित्तीय संस्थाएं परियोजनाओं को ऋण देते समय अनुमानित लागत के भीतर परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से लागू करने को सुनिश्चित करने तथा परियोजना की निगरानी के लिए ऋणकर्ता को समर्थ बनाने के लिए कुछ नियम एवं शर्तें निर्धारित करती हैं, जैसे– ब्याज दर, पुनर्वापसी अवधि, प्रतिभूति सृजन व्यक्तिगत एवं कंपनी गारंटी इत्यादि। परियोजना विशेष संबंधी कुछ शर्तें भी निर्धारित

की जाती हैं। ऋणकर्ताओं को उनके संबद्ध बोर्डों द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित अच्छी प्रकार से तैयार की गई ऋण नीति तथा इस सन्दर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश के अनुसार ऋण सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

भारत-पाक वाणिज्य मंडल की बैठक

1943. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 22 मई, 2001 को लाहौर में भारत–पाक वाणिज्य मंडल की बैठक आयोजित की गयी थी।

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में कौन–कौन से विषयों पर चर्चा की गयी;

(ग) क्या पाकिस्तान भारत को सर्वाधिक तरजीह वाले देश का दर्जा देने के लिए सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस दर्जे को प्राप्त करने से भारत को क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। भारत–पाकिस्तान वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की दूसरी बैठक दिनांक 22 मई, 2001 को पाकिस्तान में हुई थी।

(ख) बैठक में जिन विषयों पर चर्चा की गयी उनमें गैर–सरकारी व्यापार के सरणीयन तथा द्विपक्षीय संयुक्त उद्यमों के संवर्धन सहित द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि की संभावना का मुद्दा शामिल था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

टायरों का निर्यात

1944. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से इस समय कौन–कौन से देशों को टायरों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) वर्ष 1998–1999, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान इन देशों को कितने मूल्य के टायरों का निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार ने आगामी वर्षों में टायरों के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए टायरों का मूल्य निम्नानुसार है–

(रुपये/करोड़)

वर्ष	टायर
1998–99	810.97
1999–00	863.82
2000–01 (अनुमानित)	953.00

स्रोत : कैपेक्सिल

देश–वार निर्यात के आंकड़े डी जी सी आई एण्ड एस के प्रकाशन, नामतः 'भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी' में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) कैपेक्सिल, जो वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आने वाली एक निर्यात संवर्धन परिषद है, ने वर्ष 2001–2002 के दौरान टायरों के निर्यात के लिए 1000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है।

आईडीबीआई के अध्यक्ष का रिक्त पद

1945. श्री भीम दाहाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में अध्यक्ष का पद किस तिथि से रिक्त पड़ा है;

(ख) सरकार ने इस पद को भरने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष को कब तक नियुक्त कर दिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडी बीआई) में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पद 1 फरवरी, 2001

से रिक्त है। आईडीबीआई के अध्यक्ष के पद को भरे जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है और पद को शीघ्र ही भर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठनों का कार्यकरण

1946. डा. बलिराम : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कितने स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठन कार्यरत हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संगठन को सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठनों को धन आबंटित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(घ) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान इन संगठनों द्वारा धन के दुरुपयोग की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश और दिल्ली में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की संख्या क्रमशः 103 और 26 है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जिन स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को पिछले तीन सालों के दौरान उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्रदान की गई उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है। जिन उपभोक्ता संगठनों को पंजीकृत किए हुए तीन साल हो गए हों और जिन्होंने पिछले तीन सालों में हर वर्ष उपभोक्ता संरक्षण/जागरूकता से संबंधित कार्य किए हों, वे ऐसी परियोजनाओं के लिए कोष से सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनसे उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा मिलेगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की सूची, जिनको गत तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता दी गई

(राशि रुपयों में)

नाम	वर्ष	स्वीकृत राशि
1	2	3
उत्तर प्रदेश		
1. अमित शिक्षण संस्थान, गांव व पोस्ट महनाजगंज, आजमगढ़	1998–99	18,000
2. भूतपूर्व सैनिक संस्था, गांव कुमरल्ला, पो. गजरौला	1998–99	18,000
3. ग्रामीण शिक्षण एवं प्रौद्योगिकी विकास संस्थान, एल–33, इन्दिरा नगर, रायबरेली	1998–99	18,000
4. शिक्षा एवं जन कल्याण समिति, रानीपुर, पो. भरसार (शाहंजवा)	1998–99	22,500
5. शिवम उद्योग शक्ति संस्थान, ग्राम फतेपुर, पो. अनूपशहर	1998–99	34,200
6. अवध ग्रामीण विकास संस्थान, गांव व पो. धम्मौर, जिला सुल्तानपुर	1999–2000	22,500
7. भारतीय उपभोक्ता संरक्षण समिति, एल–124, सेक्टर–II, नौएडा, जिला–गौतमबुद्ध नगर	1999–2000	25,500
8. ग्राम विकास सेवा संस्थान, गांव मन्निपुर, पो. गोलाबाजार, गोरखपुर	1999–2000	22,500
9. इंस्टीट्यूट फॉर सोसिओ कल्चरल एंड रूरल डवलपमेंट, 32, नरेन्द्र नगर, उन्नाव	1999–2000	27,000
10. जनता सेवा समिति, गांव–पकरदेर, पो. मेहसन, जिला बस्ती	1999–2000	31,500

1	2	3
11. कल्याण शिक्षा सेवा संस्थान, ग्राम–चौदह मील, पो. घुरवारा, जिला रायबरेली	1999–2000	22,500
12. स्व. रामरखर राडे जन हितकारी केन्द्र, ग्राम–पो. मलूकबरी, फतेहपुरी–212658	1999–2000	22,500
13. महिला मंडल सेवा संस्थान 476, राम जानकी नगर विवेकानन्द स्कूल, बसरतपुर, गोरखपुर (उ.प्र.)	1999–2000	18,000
14. मानसी बाल विद्या मन्दिर समिति, 402/1, शर्मा सदन, राज कालोनी, जौनपुर	1999–2000	27,000
15. रसूलपुर लतीफ नगर, परोपकारी संस्था, गांव रसूलपुर, पो. भटगांव, जिला लखनऊ	1999–2000	22,500
16. संग्राम समाज सेवा संस्थान, गांव व पो. बेटाबर कलां, जिला गाजीपुर	1999–2000	22,500
17. सार्प डवलपमेंट, एल–124, सेक्टर–XI, नौएडा–201301	1999–2000	27,000
18. पुष्पांजलि, गांव व पो. बरौरा (बरौरा), जिला उन्नाव	2000–2001	22,500
19. सूर्य ग्रामोद्योग विकास समिति, गांव व पो. सेरी, जिला फैजाबाद	2000–2001	36,000
20. साफी उद्योग, विकास सेवा संस्थान, गांव व पो. कोट, जिला गौतमबुद्ध नगर	2000–2001	31,500
21. श्री नागेश्वर जनकल्याण समिति, 125/1 छोटा भागरा, प्रयाग, इलाहाबाद	2000–2001	39,240
22. सूर्य ग्रामोद्योग विकास समिति, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	2000–2001	36,000
23. कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एंड सर्विस काउंसिल (उ.प्र.), हरिसेवक निवास, 2/22, जगतनारायण स्ट्रीट, साधवर, फर्रुखाबाद	2000–2001	13,500
24. भारत ज्योति, 16, जोपलिंग रोड, लखनऊ–226001, उत्तर प्रदेश	2000–2001	2,35,000
25. भारतीय उपभोक्ता संरक्षण समिति, एल–124, सेक्टर–II, नौएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर	1999–2000	22,500
दिल्ली		
1. वालेन्टरी आर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजूकेशन, वी ओ एफ–71 (बेसमेंट)	1998–1999	500,000
2. कंज्यूमर कोआर्डिनेशन काउंसिल, 62, कुतुब व्यू अपार्टमेंट्स, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110016–सी सी पी सी मेम्बर	1999–2000	5,00,000
3. कंज्यूमर कोआर्डिनेशन काउंसिल, 62, कुतुब व्यू अपार्टमेंट्स, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110016–सी सी पी सी मेम्बर	1999–2000	54,000
4. सिटिजन डेवलपमेंट सोसायटी, 1–वेस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली	2000–2001	2,50,000
5. कंज्यूमर कोआर्डिनेशन काउंसिल, 62, कुतुब व्यू अपार्टमेंट्स, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110016–सी सी पी सी मेम्बर	2000–2001	5,00,000
6. कंज्यूमर कोआर्डिनेशन काउंसिल, 62, कुतुब व्यू अपार्टमेंट्स, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110016–सी सी पी सी मेम्बर	2000–2001	2,50,000
7. दिल्ली मेडिकल काउंसिल, नई दिल्ली	2000–2001	5,00,000

[अनुवाद]

आभूषणों के लिए संस्थान

1947. डा. बी. बी. रमैया : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की तर्ज पर आभूषण के कुछ विशेष डिजाइनों के लिए एक संस्थान की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) हालांकि सरकार की आभूषण डिजाइन के लिए कोई संस्थान स्थापित करने की इस समय योजना नहीं है, तथापि सूरत स्थित भारतीय हीरा संस्थान के तत्वावधान में लगभग 4.8 करोड़ की परियोजना लागत से सरदार वल्लभभाई पटेल आभूषण डिजाइन और विनिर्माण केन्द्र के नाम से एक परियोजना शुरू की गयी है। आई डी आई, सूरत द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट में यथा निहित परियोजना की अधिकांश पूंजीगत लागत की हिस्सेदारी के लिए भारत सरकार और गुजरात की राज्य सरकार सिद्धांत रूप में सहमत हो गयी हैं। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद मुम्बई (जी जे ई पी सी), जो कि वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित प्रतिनिधि स्वायत्तशासी व्यापार निकाय है, ने बताया है कि वह कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत एक सहायक कम्पनी के रूप में मुम्बई में भारतीय रत्न और आभूषण संस्थान की स्थापना करना चाहते हैं ताकि आभूषण डिजाइनिंग, नवीनतम उच्च प्रौद्योगिकीगत प्रक्रियाओं समेत विविध विनिर्माण प्रक्रिया, रत्न विज्ञान, हीरा ग्रेडिंग, मूल्यांकन, विपणन और प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण दिया जा सके। जी जे ई पी सी के अनुसार इस संस्थान की कुल परियोजना लागत लगभग 16 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और जी जे ई पी सी मुम्बई में लगभग 277 लाख रुपये की लागत से एक भवन अधिगृहीत कर लिया है। आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलन योजना के अंतर्गत सरकारी सहायता के लिए जी जे ई पी सी को आवेदन पर सरकार विचार कर रही है। जी जे ई पी सी ने बताया है कि वे यह चाहते हैं कि यह संस्थान अगले वर्ष कार्य शुरू कर दे।

वाणिज्य और उद्योग संबंधी कृतिक बल

1948. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य और उद्योग संबंधी कृतिक बल ने प्रशासनिक और कानूनी सरलीकरण के लिए सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक किया जाना शेष है;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त रिपोर्ट को तैयार करते समय कृतिक बल ने दलितों के कष्टों के निवारण में संलिप्त व्यक्तियों अथवा संगठनों को शामिल नहीं किया था; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों अथवा संगठनों को शामिल न करने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) प्रशासनिक एवं कानूनी सरलीकरण संबंधी कार्य-दल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 14.12.1998 को व्यापार एवं उद्योग परिषद की दूसरी बैठक में प्रधान मंत्री को प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है और यह http://www.nic.in/councils नामक वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह कार्य-दल मुख्य रूप से उन प्रशासनिक एवं कानूनी प्रक्रियाओं के सरलीकरण से संबंधित था जो सरकार के साथ उद्योग के पारस्परिक संपर्क से संबंधित थीं और इसलिए यह रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के सचिवों, वाणिज्य एवं उद्योग के शीर्षस्थ निकायों, पेशेरत वकीलों, कंपनी सचिवों तथा व्यापार एवं उद्योग के पेशेवरों के साथ परामर्श तथा पारस्परिक बातचीत पर आधारित है।

गुजरात में सिक्कों का अभाव

1949. श्री दिन्शा पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में सिक्कों की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि गुजरात में गंदे और कटे-फटे नोट प्रचलन में हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने गुजरात राज्य में सिक्कों की कमी, कटे–फटे और गंदे करेंसी नोटों के प्रचालन की समस्या को कम करने के लिए बहुत से उपाय किए हैं। गुजरात राज्य को आपूर्ति किए गए सिक्कों की संख्या 1999–2000 में 204.78 मिलियन सिक्कों से बढ़ाकर 2000–2001 में 307.04 मिलियन सिक्के कर दी गई है। चालू वर्ष के दौरान, गुजरात राज्य को केवल 3 महीनों में 156.80 मिलियन अदद सिक्के या पिछले वर्ष की आपूर्ति का 51.07 प्रतिशत पहले ही दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, अहमदाबाद स्थित भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) का क्षेत्रीय कार्यालय राज्य में सिक्कों के उचित संवितरण को सुनिश्चित करने के लिए गुजरात राज्य के विभिन्न भागों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) की विभिन्न करेंसी चेस्ट शाखाओं को सिक्कों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है।

गुजरात में गंदे और कटे–फटे करेंसी नोटों को प्रचालन से वापिस लेने के लिए भी विशेष प्रयास किए गए हैं। वर्ष 2000–01 के दौरान 279.45 मिलियन अदद गंदे और कटे–फटे करेंसी नोटों को प्रचालन से वापिस लिया गया और चालू वर्ष के पहले दो महीनों के दौरान 46.31 मिलियन अदद गंदे और कटे–फटे करेंसी नोट पहले ही वापिस ले लिए गए हैं। अहमदाबाद स्थित भा. रि. बैंक ने भी जनता को विनिमय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपने कार्यालय में विशेष काउंटरों को खोलने के अतिरिक्त, जनता से गंदे और कटे–फटे करेंसी नोट प्राप्त करके उसके बदले में सिक्के प्रदान करने के लिए गुजरात के महत्वपूर्ण शहरों में अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सहायता से चलती–फिरती वाहन सेवाएं भी आरम्भ की हैं।

ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की रिपोर्ट

1950. श्री शिवाजी माने :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री पी. आर. खूंटे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्री एस. एन. अग्रवाल के नेतृत्व वाली ऋण वसूली न्यायाधिकरणों से संबंधित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरणों का कार्यकरण

1951. श्री सुनील खां : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेयर बाजार और दूरसंचार क्षेत्र में हुई हाल की घटनाओं के कारण स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरणों का कार्यकरण नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जैसे सांविधिक निकायों द्वारा लेखा परीक्षा के दायरे में लाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) संबद्ध विनियामक निकायों की लेखा–परीक्षा का संचालन उन्हीं से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, जिनके तहत इन विनियामक निकायों का गठन किया गया है।

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय टेलीकॉम विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में है।

विवरण

प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992

1992 की संख्या–15

15(2) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा बोर्ड के खातों की लेखा–परीक्षा उसके द्वारा निर्धारित समय अन्तराल पर की जाएगी और ऐसे किसी लेखा–परीक्षा पर हुआ व्यय बोर्ड द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देय होगा।

15(3) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा उनके द्वारा बोर्ड की लेखा–परीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को वे ही अधिकार एवं विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो ऐसी लेखा–परीक्षा के संबंध में सामान्यतः भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सरकारी खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में प्राप्त होते हैं और उस व्यक्ति विशेष को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह बहियों, खातों, संबंधित वाउचरों एवं अन्य

दस्तावेजों तथा कागजों को मंगा सके और बोर्ड के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण कर सके।

भारतीय टेलीकॉम विनियामक प्राधिकरण अधिनियम–1997

1997 की संख्या–24

23. लेखा और लेखा परीक्षा

(2) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्राधिकरण के खातों की लेखा–परीक्षा उनके द्वारा निर्धारित समय अन्तराल पर की जाएगी और ऐसे किसी लेखा–परीक्षा पर हुआ व्यय प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देय होगा।

(स्पष्टीकरण किसी भी शंका के समाधान के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि प्राधिकरण द्वारा अपने कर्तव्य पालन के समय अनुच्छेद 11 और 13 के उप खण्ड (1) और उप खण्ड (2) की धारा (ख) के तहत लिए गए मामले अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने योग्य होने के कारण इस अनुच्छेद के तहत लेखा–परीक्षा के दायरे में नहीं होंगे)।

(3) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा उनके द्वारा प्राधिकरण की लेखा परीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को वे ही अधिकार एवं प्राधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो ऐसी लेखा–परीक्षा के संबंध में सामान्यतः भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सरकारी खातों के संबंध में प्राप्त होते हैं और उस व्यक्ति विशेष को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह बहियों, खातों, संबंधित बाउचरों एवं अन्य दस्तावेजों को मंगा सके तथा प्राधिकरण के किसी भी ऑफिस का निरीक्षण कर सके।

[हिन्दी]

अलवर, राजस्थान में दूरदर्शन-II का प्रसारण

1952. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के अलवर जिले के लोग दूरदर्शन–II चैनल को देखने से वंचित हैं तथापि यह जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अलवर जिले में दूरदर्शन–II चैनल का प्रसारण कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि अलवर जिले के कुछ क्षेत्र जयपुर और दिल्ली में कार्य कर रहे डीडी–II उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटरों के कवरेज क्षेत्र में आते हैं।

(ग) और (घ) प्रसार भारती के पास अलवर जिले में कोई डीडी–II ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

गेहूं का निर्यात

1953. श्री मोहन रावले : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वैश्विक बाजार में आस्ट्रेलियाई और अर्जेंटिना के गेहूं की वर्तमान दर से भी कम कीमत पर केन्द्रीय पूल से 1410 रुपये प्रति टन के पूर्व निर्धारित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय गेहूं का निर्यात मूल्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा इसके खरीद, भंडारण और परिवहन की आर्थिक लागत की तुलना में कितना है; और

(ग) कम मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं का निर्यात करने के क्या कारण हैं वह भी विशेषकर तब जब देश के उपभोक्ता खराब गेहूं की खरीद ऊंचे दामों पर कर रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात प्रयोजनों के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/एजेंसियों आदि को केन्द्रीय पूल से गेहूं की पेशकश उस मूल्य पर की जा रही है जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य के कम मूल्य पर नहीं है। भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 2001–2002 के दौरान 50 लाख टन गेहूं की पेशकश करने की अनुमति दी गई है। 1.4.2001 से निर्यातकों को 4300/– रुपये प्रति टन की दर से गेहूं की सुपुर्दगी की जा रही है। यह निर्यात मूल्य 30.9.2001 तक लागू रहेगा। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/एजेंसियां पेश किए गए गेहूं का संभावित खरीदारों को परस्पर सहमत मूल्य पर निर्यात कर रही हैं जो हर गंतव्य के लिए भिन्न–भिन्न

होता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा प्राप्त न्यूनतम निर्यात मूल्य 102 अमरीकी डालर प्रति टन से कम नहीं है। तथापि, दिनांक 25 जुलाई, 2001 के नवीनतम इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल डेली मॉनीटर के अनुसार अमरीकी गेहूं का निर्यात मूल्य जहाज तक निष्प्रभार 111 अमरीकी डालर प्रति टन से 149 अमरीकी डालर प्रति टन की रेंज में है।

वर्ष 2001–2002 के लिए गेहूं की आर्थिक लागत 872.00 रुपये प्रति क्विंटल है। केन्द्रीय पूल में पड़े हुए स्टाक की भरमार, जो निर्धारित बफर मानदंड से काफी अधिक है, को निकालने के लिए सरकार के पास उपलब्ध कई विकल्पों में से गेहूं का निर्यात एक विकल्प है। गेहूं के अधिशेष स्टाक का निर्यात करने से देश मूल्यवान विदेशी मुद्रा भी कमाता है जिससे नई फसल के लिए अतिरिक्त भंडारण स्थान भी सृजित होता है।

निर्धारित मूल्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे अन्य प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक है। तथापि फ्रांस, तुर्की, बेल्जियम मूल के गेहूं की तुलना में इसके मूल्य कमोवेश बराबर हैं। भारतीय गेहूं में अमेरिका, आस्ट्रेलिया और कनाडा मूल के गेहूं की तुलना में अधिक विजातीय तत्व है और इसलिए इन मूल के गेहूं के मूल्यों की भारतीय खाद्य निगम के मूल्य से तुलना नहीं की जा सकती।

कान्स् फिल्म समारोह

1954. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में आयोजित कान्स् फिल्म समारोह में राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम का स्टॉल लगाए जाने के संबंध में कान्स् (फ्रांस) का दौरा करने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है और इनके दौरे पर कितना व्यय हुआ;

(ख) कान्स् फिल्म समारोह में कितनी भारतीय फिल्में प्रदर्शित की गईं; और

(ग) दौरे पर हुआ व्यय, फिल्म समारोह के परिणामों से किस सीमा तक सम्मेय है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) केन्स फिल्म बाजार में इंडिया पेवेलियन स्थापित करने के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से एक अधिकारी को नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से तीन अधिकारियों ने भी व्यवसाय संचालन के लिए बाजार में भाग लिया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उपसचिव के दौरे पर 1.86 लाख रुपये का खर्च हुआ था और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अधिकारियों के दौरे पर 5.39 लाख रुपये का खर्च हुआ था।

(ख) इस वर्ष केन्स फिल्म समारोह में किसी भी अधिकारिक भारतीय प्रविष्टि का प्रदर्शन नहीं किया गया था।

(ग) इस वर्ष सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अधिकारियों द्वारा केन्स के दौरे एवं भारतीय पेवेलियन स्थापित करने पर लगभग 22.60 लाख रुपये का कुल खर्चा किया गया था जबकि बाजार में भाग लेने के फलस्वरूप राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने अकेले 64.6 लाख रुपये मूल्य के सौदे को अंतिम रूप दिया है तथा इस वर्ष की भागीदारी से और अधिक व्यवसाय किए जाने की आशा है। इसके अलावा, भारतीय पेवेलियन ने भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों को बैठकों के लिए एक आम मंच की सुविधा उपलब्ध करायी और पेवेलियन में ही कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस पेवेलियन को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म व्यापारिक पत्रिकाओं में भी कवरेज मिली।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की रणनीति

1955. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परियोजनाओं के तीव्रतर कार्यान्वयन और विदेशी निवेशकों के साथ बेहतर संपर्कों के लिए छह सूत्री रणनीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में किस सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने एक विदेशी निदेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ.आई.आई.ए.) की स्थापना की है ताकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनुमोदनों को त्वरित रूप से कार्यान्वयन में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान की जा सके, विदेशी निवेशकों की आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में सहायता करके उनके लिए एक अग्र–क्रियात्मक एकल चरण अनुवर्ती देख–रेख सेवा (वन स्टाप आफ्टर केयर सर्विस) उपलब्ध करायी जा सके, प्रचालनात्मक समस्याओं को दूर किया जा सके और समस्याओं के समाधान निकालने हेतु विभिन्न सरकारी एजेंसियों से संपर्क

किया जा सके। हाल ही में सरकार ने परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन और विदेशी निवेशकों के साथ और अधिक परस्पर–संपर्क के लिए छः–सूत्रीय कार्यनीति की घोषणा की है। उक्त कार्यनीति के मुख्य अवयव निवेशकों, सरकार की संबंधित एजेंसियों तथा संस्थाओं के साथ निकट व अधिक सतत् परस्पर–संपर्क बनाना, कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना और जो दूरगामी नीतिगत परिवर्तन किए गए हैं उनमें और वृद्धि करना है। हाल ही में विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों को उनके क्षेत्रों से आने वाले एफ.डी.आई. मामलों की निगरानी करने के काम में एफ.एफ.आई.ए. की ओर से शामिल करने का निर्णय लिया गया है। दूतावासों से प्राप्त रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई एफ.आई.आई.ए. द्वारा की जाएगी।

(ग) एफ.डी.आई. अन्तर्वाह में अनुमानित वृद्धि का आकलन नहीं किया जा सकता है।

औद्योगिक लाइसेंस सूची में संशोधन

1956. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक लाइसेंस सूची में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) संशोधित औद्योगिक लाइसेंस सूची में कौन–कौन सी मदों को शामिल किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) से (ग) अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अंतर्गत उद्योगों की सूची की समीक्षा करना सरकार की एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार ने हाल ही में, कतिपय खतरनाक रसायनों को हटाकर सूची में संशोधन किया है, अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अंतर्गत उद्योगों की सूची में किसी मद को शामिल करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

गन्ने का बकाया मूल्य

1957. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने का बकाया मूल्य वर्ष 1999 के 797 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2000–2001 में 12,5475.43 लाख हो गया है जो कुल गन्ना मूल्य का लगभग 32% के बराबर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने गन्ने के बकाया मूल्यों की वसूली हेतु गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में संशोधन सहित कुछ विशेष उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त आदेश के संशोधन के बाद अब तक सरकार ने कितना बकाया वसूल किया है और तेजी से बकाया वसूल करने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या किसानों ने गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान न करने के कारण अपना ध्यान अन्य फसलों की ओर मोड़ लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) 31 मई, 2001 की स्थिति के अनुसार, चीनी मौसम 2000–2001 के लिए गन्ने के देय मूल्य की धनराशि, गन्ने के मूल्य की अदा की गई धनराशि, गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि तथा गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि की प्रतिशतता निम्नवत थी–

(करोड़ रुपये में)

(i) गन्ने के मूल्य की देय धनराशि	11672.78
(ii) गन्ने के मूल्य की अदा की गई धनराशि	10305.61
(iii) गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि	1367.17
(iv) उपर्युक्त (i) के प्रति गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि की प्रतिशतता	11.7%

31 मई 2000 को स्थिति के अनुसार चीनी मौसम 1999–2000 के लिए यह ब्यौरा निम्नवत था–

(करोड़ रुपये में)

(i) गन्ने के मूल्य की देय धनराशि	8275.04
(ii) गन्ने के मूल्य की अदा की गई धनराशि	7333.03
(iii) गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि	942.01
(iv) उपर्युक्त (i) के प्रति गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि की प्रतिशतता	11.4%

उपर्युक्त से यह विदित होगा कि चीनी मौसम 1999–2000 की तुलना में चीनी मौसम 2000–2001 के दौरान गन्ने के मूल्य की देय धनराशि में 3397.74 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जबकि गन्ने के मूल्य की अदा की गई धनराशि में 2972.58 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि में 425.16 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है लेकिन प्रतिशतता के हिसाब से चीनी मौसम 2000–2001 के दौरान गन्ने के मूल्य की देय धनराशि के प्रति गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि की प्रतिशतता 11.7 थी जबकि इससे पिछले मौसम के दौरान यह प्रतिशतता 11.4 थी। गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि में वृद्धि मुख्य रूप से गन्ने के देय मूल्य की धनराशि में वृद्धि होने के कारण हुई है।

(ग) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में संशोधन कर दिया गया है जिससे केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार को भू–राजस्व के बकाया की भांति गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि को वसूल करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 9 में एक उप–खंड (क क) शामिल किया गया है जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार ने मुख्य निदेशक (शर्करा), शर्करा निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को प्राधिकृत किया है कि वह चीनी के किसी उत्पादक अथवा उसके एजेंट को निदेश दे सकता है कि वह प्रत्येक पखवाड़े में खरीदे गए गन्ने, गन्ने के देय मूल्य, गन्ने के अदा किए गए मूल्य, गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि का ब्यौरा रखे और उसे पखवाड़ा समाप्त होने के 7 दिन के अंदर शर्करा निदेशालय को भेजे जैसा कि संशोधन आदेश की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने गन्ने के मूल्य के भुगतान की स्थिति की समय–समय पर समीक्षा करने के अलावा राज्य सरकारों को लिखा है कि वे किसानों को गन्ने के देय मूल्य का भुगतान तत्परता से करवाएं। केन्द्रीय सरकार ने 1.1.2000 से चीनी फैक्ट्रियों की लेवी प्रतिशतता 40 से कम करके 30 कर दी है और उसके बाद 1.2.2001 से यह प्रतिशतता 30 से कम करके 15 कर दी है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार जरूरतमंद चीनी फैक्ट्रियों को खुली बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्तियां करती है ताकि वे गन्ने के देय मूल्य का भुगतान कर सकें।

(ङ) और (च) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि का भुगतान न किए जाने के कारण गन्ना क्षेत्र में फसलें उगाने के बारे में किसी राज्य सरकार ने सूचित नहीं किया है।

सहकारी बैंकों के लिए विनियामक निकाय

1958. श्री हरीभाऊ शंकर महाले :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में सहकारी बैंकों के सुचारु रूप से संचालन किए जाने हेतु एक विनियामक निकाय स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) इस समय शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित विनियामक एवं संवर्धनात्मक पहलुओं में तीन प्राधिकरण–केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक शामिल हैं। इससे कभी–कभी क्षेत्राधिकार का अतिव्यापन होता है एवं प्रशासनिक/विवेकपूर्ण उपाय अपेक्षित गति एवं सख्ती से लागू करने में कठिनाइयां आती हैं। शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण एवं विनियमन में शामिल प्राधिकरणों के मौजूदा बाहुल्य के संभावित परिणाम के बारे में चिंतित होते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने पृथक शीर्ष पर्यवेक्षण निकाय स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, जो शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में निरीक्षण/पर्यवेक्षण संबंधी कार्य कर सकें। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के इस प्रस्ताव की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

पंचायती राज संस्थानों को धन

1959. श्री राजो सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवें वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थानों के लिए बिहार राज्य को कितना धन दिए जाने की सिफारिश की है;

(ख) अब तक इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा बिहार राज्य को कितना धन जारी किया गया है;

(ग) क्या बिहार को पूरी धनराशि जारी नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा शेष धनराशि जारी किए जाने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (छ) वर्ष 1996–97 से 1999–2000 की अवधि के लिए दसवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) ने बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल 507.19 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। वर्ष 1996–97 के दौरान राज्य सरकार को 126.80 करोड़ रुपये के पी.आर.आई. अनुदान जारी किए जा चुके हैं।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, टी.एफ.सी. द्वारा संस्तुत स्थानीय निकाय अनुदान, अनिवार्य चुनावों के प्रावधानों सहित कार्यकलापों तथा उत्तरदायित्वों को राज्य की ओर से स्थानीय निकायों को अंतरित किए जाने की एक व्यापक सांविधिक स्कीम का एक हिस्सा थे, ताकि वे स्थानीय स्वशासन की कारगर इकाइयों के रूप में काम कर सकें। अतः अनुदानों को चुने गए उन्हीं स्थानीय निकायों के संबंध में जारी किया जाना था जहां संविधान के अंतर्गत इस प्रकार के चुनाव अनिवार्यतः हुए हों। चूंकि टी.एफ.सी. अवधि–1995–2000 के दौरान बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आयोजित नहीं हुए थे, अतः टी.एफ.सी. अनुदानों का शेष राज्य सरकार को जारी नहीं किया जा सका था। सिफारिशों की अवधि बीत जाने पर किसी वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदानों की हकदारी भी समाप्त हो जाती है।

[अनुवाद]

भारतीय निर्यात पर विदेशों की आर्थिक मंदी का प्रभाव

1960. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में आई आर्थिक मंदी का भारतीय निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने और उन देशों को किए जाने वाले निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या रणनीतियां अपनाई गई हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) निर्यात निष्पादन पर अन्य बातों के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थिति, घरेलू उद्योग की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता तथा अन्य देशों में प्रतिस्पर्धियों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता आदि का प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2000–01 में भारत की निर्यात वृद्धि 19.83% थी जो वर्ष के लिए निर्धारित किए गए 18% के लक्ष्य से अधिक थी। इस वर्ष के पहले दो महीनों में भारत की कम निर्यात वृद्धि दर संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के कारण रही। वर्ष 2000–2001 के दौरान देखी गयी कम निर्यात वृद्धि वाले क्षेत्रों में बागान, रत्न एवं आभूषण, खेल का सामान, हस्तशिल्प और कालीन आदि हैं।

निर्यात संवर्धन सरकार का सतत प्रयास होने के कारण, निर्यात की प्रगति की निरंतर निगरानी की जाती है और निर्यात कार्यनीति तथा निर्यात नीतियां तैयार की जाती हैं। तथापि निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें शामिल हैं–विकेन्द्रीकरण के जरिए सौदों की लागत को कम करना, क्रियाविधियों का सरलीकरण तथा एक्जिम नीति में यथा उल्लिखित विभिन्न अन्य उपाय। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहलों के जरिए थ्रस्ट क्षेत्रों और फोकस क्षेत्रों की पहचान करके भी निर्यातों को बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। निर्यातों में और आगे वृद्धि करने के लिए विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना की जा रही है। इनके अतिरिक्त नई एक्जिम नीति 2001–2002 में घोषित उपायों में शामिल हैं : कृषि निर्यातों का संवर्धन, बाजार पहुंच पहल, व्यापार–सह–व्यापार सुविधा केन्द्र तथा व्यापार प्रवेश द्वारों की स्थापना करना, अग्रिम लाइसैंसिंग योजना का सुदृढ़ीकरण, आदि।

कंपनियों/निगमों का विनिवेश

1961. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले चरण के दौरान विनिवेश हेतु नियत कंपनियां/निगम कौन–कौन से हैं;

(ख) क्या सरकार ने इनकी परिसंपत्तियों का वास्तविक निर्धारण किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन कंपनियों और निगमों की कुल परिसंपत्तियां कितनी हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) विनिवेश एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सरकार समय–समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों में विनिवेश के प्रस्तावों पर विचार करती रहती है। इस समय निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश की प्रक्रिया प्रगति पर है–

एयर इंडिया, सी एम सी लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि. (चरण–I), हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लि., हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि., हिन्दुस्तान जिंक लि., इण्डियन एयर लाइन्स, आइ बी पी लि., इण्डियन पैट्रोरसायन कारपो. लि., भारत पर्यटन विकास निगम लि. की सम्पत्तियां, मद्रास फर्टिलाइजर्स लि., खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि., नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., पैरादीप फास्फेटस लि., स्पोन्ज आइरन इण्डिया लि., राज्य व्यापार निगम लि., हिन्दुस्तान केबल्स लि., इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि., जेसप एण्ड कम्पनी लि., नेपा लि., तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लि., विदेश संचार निगम लि., भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्बस लि., एच टी एल लि., एन आइ डी सी, भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स, हिन्दुस्तान साल्टस और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इण्डिया) लिमिटेड।

(ख) और (ग) इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निवल वर्तमान परिसंपत्तियों सहित 1999–2000 तक के तीन वर्षों की वित्तीय जानकारी, 1999–2000 के लोक उद्यम सर्वेक्षण (खण्ड–III) नामक प्रकाशित दस्तावेज में उपलब्ध है। परिसंपत्तियों सहित मूल्य निर्धारण, स्वतंत्र मूल्य निर्धारकों द्वारा, प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अनुकूल विनिवेश के पूर्ण होने से पहले किया जाता है।

ड्रग ट्रांजिट प्वाइंट

1962. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जून, 2001 के 'दि हिन्दू' में 'दिल्ली इमरजिंग एज मेजर ड्रग ट्रांजिट प्वाइंट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या तथ्य प्रकाश में आए हैं;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान अवैध मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में लिप्त कितने गिरोहों का पता लगाया गया है; और

(घ) गत एक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए गए और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय सीमा से निकटता और अन्य देशों के साथ अच्छी वायु सेवा से जुड़ने के कारण दिल्ली मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के लिए सुगम्य क्षेत्र बन गई है, जो कि एक चोरी–छिपे किया जाने वाला धंधा है। विभिन्न मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली क्षेत्र में स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों की जब्ती से कुल मिलाकर बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है।

(ग) और (घ) वर्ष 2000 के दौरान 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार विभिन्न मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जब्त की गई अफीम, हेरोइन, गांजा, हशीश और मेथाक्वालोन की मात्रा, पता लगाए मामलों की संख्या और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है–

जब्त किए गए मादक पदार्थ	–	4472.69 किलोग्राम
पता लगाए गए मामलों की संख्या	–	603
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	–	682

कर्नाटक में व्यापार की स्थिति में सुधार के लिए विश्व बैंक सहायता

1963. श्री जी. एस. बसवराज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक व्यापार की स्थिति में सुधार के लिए कर्नाटक सरकार की सहायता करने को सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 16–17 अप्रैल, 2001 में कर्नाटक सरकार और विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से विश्व बैंक उपाध्यक्ष के नेतृत्व में विश्वव्यापी विकास वित्तपोषण संगठन के पास सूचिबद्ध विभिन्न परामर्शकों के 20 विशेषज्ञों के दल की कार्यशाला आयोजित की थी;

(ग) यदि हां, तो इसमें कौन–कौन से मुख्य निर्णय लिए गए; और

(घ) विश्व बैंक व्यापार की स्थिति में सुधार के लिए कर्नाटक सरकार को किस सीमा तक सहायता देने पर सहमत हो गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) हाल ही में हस्ताक्षरित कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना कार्यक्रम ऋण के भाग के रूप में, विश्व बैंक ने सुझाव दिया है कि कर्नाटक सरकार व्यावसायिक वातावरण में सुधार लाने हेतु उपाय प्रारम्भ करे ताकि राज्य में निजी क्षेत्र के निवेश में गति आए।

(ख) विश्व बैंक के सहयोग से कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में विकास को प्रोत्साहन देने के लिए व्यावसायिक वातावरण में सुधार के संबंध में बंगलौर में एक कार्यशाला आयोजित की थी। विश्व बैंक के दस अधिकारियों की टीम ने जिसमें इसके उपाध्यक्ष भी शामिल थे, इस कार्यशाला में भाग लिया।

(ग) कार्यशाला में की गयी सिफारिशों के परिणामस्वरूप, कर्नाटक सरकार ने उद्योग और व्यवसाय को शासित करने वाले विनियामक ढांचे में सुधार संबंधी उपायों के कुछ प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। ये उपाय (i) नए उद्योग/व्यवसाय द्वारा सभी स्वीकृतियां प्राप्त करने हेतु एक केन्द्रक अभिकरण को पदनामित करना, (ii) विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने के संबंध में समान आवेदन पत्र, (iii) जहां संभव हो, विभिन्न अधिनियमों तथा नियमों के तहत समान रजिस्टर तथा विवरणी रखना और (iv) कम्प्यूटरीकृत डाटा बेस के जरिए अनियमित तौर पर तैयार किए गए नमूनों के आधार पर संयुक्त निरीक्षण करने से संबंधित हैं। इन सुधार उपायों में ऐसे उद्योगों के लिए जो प्रदूषण नहीं फैला रही हैं अथवा खतरनाक नहीं हैं, त्वरित आधार पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्व-प्रमाणन तंत्र विकसित करने का भी प्रस्ताव है।

(घ) हाल में हस्ताक्षरित कर्नाटक का विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आर्थिक पुनर्संरचना कार्यक्रम व्यावसायिक वातावरण में सुधार लाने का एक घटक है जिसके लिए विश्व बैंक बजटीय सहायता के रूप में 150 मिलियन अमरीकी डालर उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है।

[हिन्दी]

भारतीय व्यापार संवर्द्धन संगठन द्वारा आयोजित प्रदर्शनियां

1964. श्री रामदास आठवले : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में भारतीय व्यापार संवर्द्धन संगठन द्वारा आयोजित की गई प्रदर्शनियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रदर्शनियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों पर कितना व्यय हुआ और इनसे सरकार को हुई आमदनी का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय व्यापार संवर्द्धन संगठन ने गत तीन वर्षों के दौरान देश के अन्य भागों में ऐसी प्रदर्शनियों/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का आयोजन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के विभिन्न भागों में निकट भविष्य में आयोजित किए जाने वाली प्रदर्शनियों/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई टी पी ओ द्वारा प्रगति मैदान में आयोजित प्रदर्शनियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा प्रत्येक प्रदर्शनी मेले पर किया गया व्यय तथा उससे अर्जित आय के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) वर्ष 2001-2002 के दौरान आई टी पी ओ द्वारा चेन्नई में इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर तथा कोलकाता में इंटरनेशनल लेदर गुड्स फेयर आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	प्रदर्शनी/मेले का नाम	आय	व्यय	घाटा (-) बेशी धनराशि
1	2	3	4	5
1998-99				
1.	कंज्यूमैक्स	70.50	31.42	39.08
2.	शू फेयर	77.12	36.60	40.52

1	2	3	4	5
3.	नेशनल चिल्ड्रन फेयर	27.55	22.60	4.95
4.	फुड एक्सपो	119.85	29.74	90.11
5.	सोशल डेवलपमेंट फेयर	37.53	36.76	0.77
6.	मिस्टिक इंडिया	26.41	30.11	−3.70
7.	दिल्ली बुक फेयर	60.91	33.90	27.01
8.	सजावट	27.72	18.23	9.49
9.	उजाला	12.38	24.15	−11.77
10.	विंटर शो	36.50	23.23	13.27
11.	प्रिंट पैक	290.38	61.13	229.25
12.	टेक्स–स्टाइल	283.11	176.76	106.35
13.	इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर	1429.73	346.38	1082.35
1999-2000				
1.	सोशल डेवलपमेंट फेयर	29.86	23.31	6.55
2.	कंज्यूमैक्स	28.43	26.20	2.23
3.	शू फेयर	75.29	26.47	48.82
4.	स्टेशनरी फेयर	15.33	21.09	−5.76
5.	दिल्ली बुक फेयर	59.32	29.30	30.02
6.	सजावट	28.58	20.99	7.59
7.	प्रकाश	94.62	41.76	52.86
8.	मिस्टिक इंडिया	25.29	14.27	11.02
9.	नेशनल चिल्ड्रेन फेयर	17.94	14.08	3.86
10.	विंटर शो	20.12	13.83	6.29
11.	इंटरनेशनल सिक्युरिटी एंड फायर एक्स	55.84	23.91	31.93
12.	कृषि एक्सपो	76.74	47.11	29.63
13.	फुड एक्सपो	97.69	30.53	67.16
14.	टेक्स स्टाइल	270.03	122.23	147.80
15.	इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर	1623.20	322.58	1300.62
2000-01 (अनंतिम)				
1.	कंज्यूमैक्स	10.37	12.48	−2.11
2.	शू फेयर	97.76	36.88	60.88
3.	स्टेशनरी फेयर	22.47	12.57	9.90
4.	सोशल डेवलपमेंट फेयर	28.81	20.22	8.59
5.	दिल्ली बुक फेयर	83.97	33.36	50.61
6.	सजावट	25.00	12.63	12.37
7.	प्रिंट पैक	247.00	103.00	144.00
8.	टेक्स स्टाइल	209.00	146.00	63.00
9.	कृषि एक्सपो	70.00	41.05	28.95
10.	आहार	90.00	46.75	43.25
11.	इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर	1972.79	522.60	1450.19

टिप्पणी : इसके अतिरिक्त आई टी पी ओ तथा मैसे फ्रैंकफर्ट इंडिया ने अक्तूबर, 2000 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में संयुक्त रूप से हिमटैक्सटिल इंडया तथा एम्बिएंट इंडिया का अयोजन किया। इन आयोजनों के लिए आई टी पी ओ के लाभ का हिस्सा 83.48 लाख रुपये था।

विवरण-II

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	प्रदर्शनी/मेले का नाम	आय	व्यय	घाटा (–) बेशी धनराशि
1	2	3	4	5
1998-99				
1.	इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर–चेन्नई	149.76	138.94	10.82

1	2	3	4	5
	2. इंटरनेशनल लेदर गुड्स फेयर–कोलकाता	29.11	21.05	8.06
	3. फिल्म फेयर–हैदराबाद	27.69	25.34	2.35
1999-2000				
	1. इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर–चेन्नई	156.11	140.09	16.02
	2. इंटरनेशनल लेदर गुड्स फेयर–कोलकाता	31.24	26.96	4.28
	3. इंडियन ट्रेड शो–गंगटोक	14.26	22.73	–8.47
2000-01				
	1. इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर–चेन्नई	201.00	170.96	30.04
	2. इंटरनेशनल लेदर गुड्स फेयर–कोलकाता	40.00	32.90	7.10

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आश्रम एक्सप्रेस में की गई जब्ती

1965. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशालय और विभिन्न विभागों ने दिनांक 11 जुलाई, 2001 को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आश्रम एक्सप्रेस में अवैध तरीके से ले जाए जा रहे करोड़ों रुपये की मुद्रा और लाखों रुपये के स्वर्ण, चांदी, रत्न एवं जवाहरात जब्त किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य में कितने लोगों को लिप्त पाया गया;

(घ) पकड़े गए लोगों की संख्या कितनी है और इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) ऐसे अवैध कार्यों की पुनरावृत्ति की रोकथाम हेतु क्या ठोस उपाय किये गये हैं/किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आश्रम एक्सप्रेस के लगेज वैन से 3.35 करोड़ रुपये मूल्य की भारतीय मुद्रा, सोने के बिस्कुट, चांदी की छड़ें, हीरे तथा जवाहरात जब्त किए। लगेज वैन को उत्तर रेलवे से मैसर्स गुर्जर एण्ड पार्टनर्स, अहमदाबाद के लिए लीज पर लिया गया था।

(घ) कोई नहीं, क्योंकि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं है।

(ङ) ऐसे अवैध कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विशेष सूचना मिलने पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

आई.सी.आई.सी.आई. को हुआ घाटा

1966. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री विनय कुमार सोराके :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 मई, 2001 के 'बिजनेस स्टैण्डर्ड' में "आई.सी.आई.सी.आई. पोस्टस् नेट लॉस ऑफ रुपीज 257 करोड़ इन क्यू 4" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या आई.सी.आई.सी.आई ने गत वर्ष की दूसरी तिमाही के 395.00 करोड़ रुपये के लाभ की तुलना में चौथी तिमाही (मार्च, 2001 में समाप्त होने वाली) में 257.00 करोड़ रुपये का सर्वाधिक घाटा उठाया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. के निष्पादन में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं की तर्ज पर आई सी आई सी आई ने अपनी अनुप्रयोज्य आस्तियों (एन पी ए) के लिए बढ़े हुए प्रावधान करने का आश्रय लिया। प्रावधान करने की संशोधित नीति के अनुसार आई सी आई सी आई ने कुछ प्रावधान किए तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों की अपेक्षा तथा बढ़े हुए प्रावधानों के अनुसार 608 करोड़ रुपये तथा 813 करोड़ रुपये बट्टे खाते डालने समेत वर्ष 2000–2001 में 1421

करोड़ रुपये बट्टे खाते डाले गए। समस्त प्रावधान चौथी तिमाही में किए गए थे जिससे 31 मार्च, 2001 (चौथी तिमाही 2001) को समाप्त तिमाही में 257 करोड़ रुपये की हानि हुई और वित्तीय वर्ष 2000–2001 में 537 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ। ये प्रावधान तथा बट्टे खाते डालना आई सी आई सी आई के लिए केवल लेखा हानि है न कि आर्थिक हानि।

[हिन्दी]

सहकारी बैंकों के अंशधारकों को लाभांश

1967. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कार्यरत कुछ सहकारी बैंक अपने अंशधारकों को लाभांश नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वे बैंक कौन–कौन से हैं और यह बैंक कितने वर्षों से लाभांश का भुगतान नहीं कर रहे हैं इनका बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन बैंकों द्वारा लाभांशों का भुगतान न किए जाने के कारणों का पता लगाने के प्रयास किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) बड़ी संख्या में बैंक घाटा उठा रहे हैं और उन्हें संचित हानियां हो रही हैं। इसके अलावा यद्यपि कुछ बैंकों ने लाभ अर्जित किया है पर लाभांश अदा करने के लिए उनका लाभ पर्याप्त नहीं है। ये मुख्य कारण हैं जिन्हें इन बैंकों द्वारा लाभांश की अदायगी न करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

1968. श्री पवन कुमार बंसल :

श्री राजैया मल्याला :

श्री के. येरननायडू :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों का विनिवेश किए जाने को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उपक्रमवार और महत्वपूर्ण साझेदारों के चयन की प्रक्रिया, नियम और शर्तों, कर्मचारियों इत्यादि को इक्विटी दिये जाने का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे होने वाली अनुमानित आय कितनी है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) इस समय निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश की प्रक्रिया प्रगति पर है—

एयर इंडिया, सी एम सी लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि. (चरण–I), हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइडस लि., हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि., हिन्दुस्तान जिंक लि., इण्डियन एयर लाइन्स, आइ बी पी लि., इण्डियन पैट्रोरसायन कारपो. लि., भारत पर्यटन विकास निगम लि. की सम्पत्तियां, मद्रास फर्टिलाइजर्स लि., खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि., नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., पैरादीप फास्फेटस लि., स्पोन्ज आइरन इण्डिया लि., राज्य व्यापार निगम लि., हिन्दुस्तान केबल्स लि., इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि., जेसप एण्ड कम्पनी लि., नेपा लि., तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लि., विदेश संचार निगम लि., भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्बस लि., एच टी एल, एन आइ डी सी, भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स, हिन्दुस्तान साल्टस और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इण्डिया) लिमिटेड।

इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश की प्रतिशतता तथा विनिवेश की सुविचारित पद्धति संलग्न विवरण–I में दी गई है। विशेषतः अनुकूल बिक्री पद्धति के माध्यम से विनिवेश प्रक्रिया में, संलग्न विववरण–II में दी गई क्रियाविधि शामिल होती है।

(ग) विनिवेश से जुटाई जाने वाली राशि, बाजार परिस्थितियों, विचाराधीन कंपनियों के वित्तीय कार्य–निष्पादन, बिक्री के निबंधन और शर्तें, बोलीदाताओं की अभिरुचि, कंपनी की प्रभावकारिता और इसकी भावी संभावनाओं इत्यादि जैसे

कारकों पर निर्भर करेगी। अंततः प्रक्रिया में विभिन्न बोलीदाताओं द्वारा प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली लगाई जाती है। इस प्रकार विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि का ठीक–ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है।

विवरण-I

क्र.सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	वर्तमान सरकारी शेयरधारिता/इक्विटी की प्रतिशतता	प्रस्तावित विनिवेश की प्रतिशतता
1	2	3	4
1.	एयर इंडिया लि. (आई ए)	100	60
2.	भारत ब्रेकस एण्ड बाल्वस (बी बी वी एल)	भारत भारी उद्योग निगम लि. (बी बी यू एन एल) की सहायक कंपनी	@
3.	भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लि. (बी एच टी वी)	भारत यंत्र निगम लि. की सहायक कंपनी	@
4.	कम्प्यूटर मैंटेनेन्स कॉरपो. लि. (सी एम सी)	83.31	57.31
5.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लि.	97.75	74
6.	हिन्दुस्तान केबल्स लि. (एच सी एल)	98.96	@
7.	हिन्दुस्तान कॉपर लि. (एच सी एल) चरण–I	98.76	$$
8.	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइडस लि. (एच आई एल)	100	51
9.	हिन्दुस्तान आर्गे. केमि. लि. (एच ओ सी आई)	58.61	32.61
10.	हिन्दुस्तान साल्टस लि.	100	@
11.	हिन्दुस्तान जिंक लि. (एच जैड एल)	75.92	26
12.	एच टी एल	100	74
13.	इंडियन एयरलाइंस लि. (आई ए)	100	51
14.	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपो. लि. (आई पी सी एल)	59.75	25
15.	भारत पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी)	89.97 मुख्य स्थानों पर स्थित होटलों को स्थापित होटल श्रृंखलाओं को दीर्घ–कालिक संरचित ठेके पर लीज सह प्रबंधन आधार पर चलाने के लिए सौंपना। अन्य स्थानों के होटलों का अलग कंपनियों के रूप में अविलय किया जा सकता है।	शत–प्रतिशत बेचना $

1	2	3	4
16.	आई.बी.पी. लि.	59.59	33.58
17.	इंस्ट्रूमेन्टेशन लि.	100	@
18.	जैसेप एण्ड कंपनी लि. (जे सी एल)	भारत भारी उद्योग निगम लि. (बी बी यू एन एल) की सहायक कंपनी	@
19.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एम एफ एल)	59.15	32.74
20.	खनिज और धातु व्यापार निगम लि. (एम एम टी सी)	99.34	सरकारी शेयरधारिता को 26 प्रतिशत तक कम करना
21.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ एल)	97.65	51
22.	नेपा लि.	96.31	@
23.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (एन आई डी सी)	100	@
24.	पाराद्वीप फास्फेट्स लि. (पी पी एल)	100	@
25.	स्पोंज आयरन इंडिया लि. (एस आई आई एल)	97.45 (शेष इक्विटी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा धारित)	100
26.	राज्य व्यापार निगम (एस टी सी)	91.03	सरकारी शेयरधारिता को 26 प्रतिशत तक कम करना
27.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लि. (टी एस पी एल)	भारत यंत्र निगम लि. की सहायक कंपनी	@
28.	विदेश संचार निगम लि. (वी एस एन एल)	52.97	26.97

@ 74 प्रतिशत तक के संयुक्त उद्यम के गठन के लिए गुप्तचर्या।

$ विनिवेश की विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से अलग–अलग होटलों/संपत्तियों का विनिवेश।

$$ विनिवेश की प्रतिशतता पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

$$ चरण–I खेतरी यूनिट और तलोजा संयंत्र को एक नई कंपनी में मिलाने के द्वारा एच सी एल की पुनर्संरचना करना और एच सी एल की 49 प्रतिशत की इक्विटी को नई कंपनी में मिलाना और शेष 51 प्रतिशत इक्विटी अनुकूल साझीदार के पास होना चरण–II, चरण–I के बाद आरंभ किया जाना है।

विवरण-II

- विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर आधारित अथवा सरकार की घोषित नीति के अनुसरण में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विनिवेश प्रस्तावों को विनिवेश पर मंत्रिमंडल समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।
- विनिवेश प्रस्ताव को विनिवेश पर मंत्रिमंडल समिति की मंजूरी मिलने के बाद प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के, माध्यम से सलाहकार का चयन किया जाता है।
- सलाहकार संभावित अनुकूल साझीदारों से हितों की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए विज्ञापन तैयार

करने और प्रमुख समाचार–पत्रों में उन्हें जारी करने में सरकार की सहायता करता है। तात्कालिक मामलों में, हित की अभिव्यक्ति विनिवेश विभाग द्वारा तैयार की जाती है और अंतर मंत्रालय दल द्वारा अनुमोदन कर दिए जाने के बाद उन्हें जारी कर दिया जाता है।

- हितों की अभिव्यक्तियों की प्राप्ति के बाद घोषित पूर्व अर्हता मानदंडों/आवश्यकताओं के प्रकाश में वस्तुपरक छानबीन पर आधारित संभावित बोलीदाताओं की संक्षिप्त सूची तैयार की जाती है।

- सलाहकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विधिवत अध्यवसाय के बाद, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के परामर्श से सूचना ज्ञापन तैयार करते हैं, इसे उन संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं को प्रदान कर दिया जाता है, जिन्होंने गोपनीयता करार संपन्न किए हैं।

- शेयर खरीद करार और शेयर धारक करार मसौदे भी कानूनी सलाहकारों की सहायता से सलाहकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं और उन्हें उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए संभावित बोलीदाताओं को दे दिया जाता है।

- संभावित बोलीदाता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का विधिवत अध्यवसाय अपने हाथ में लेते हैं और किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सलाहकारों/सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों से विचार–विमर्श करते हैं।

- साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मूल्य–निर्धारण का काम मानक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिपाटियों के अनुसरण में आरंभ किया जाता है।

- संभावित बोलीदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर शेयर खरीद करार और शेयरधारक करार तैयार किए जाते हैं। विधि मंत्रालय द्वारा इन करारों को पुनरीक्षा कर लेने के बाद सरकार इनका अनुमोदन करती है। तत्पश्चात् इन्हें अंतिम बाध्यकारी बोलियां (तकनीकी तथा वित्तीय) आमंत्रित करने के लिए संभावित बोलीदाताओं को भेजा जाता है।

- विश्लेषण और मूल्यांकन पर विचार करने के बाद, अंतर्मन्त्रालय दल की सिफारिशों को अनुकूल साझीदार के चयन, शेयर खरीद करार और शेयरधारक करार पर हस्ताक्षर करने और अन्य अनुषंगिक मुद्दों के बारे में अंतिम निर्णय लेने के लिए विनिवेश पर मंत्रिमंडल समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

- ऊपर उल्लिखित विनिवेश प्रक्रिया में विनिवेश विभाग को एक अंतर्मन्त्रालय दल प्रत्येक चरण में सहायता प्रदान करता है जिसमें विनिवेश विभाग के अधिकारियों और सलाहकारों के अलावा वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नियंत्रित करने वाले प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं।

- कार्रवाई पूरी होने के बाद इससे संबंधित सभी कागजात और दस्तावेजों को भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को भेजा जाएगा, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक इसे संसद को भेजने तथा जन–साधारण को जारी करने के लिए एक मूल्यांकन तैयार करेगा।

सेल्फ हेल्प ग्रुप-बैंक लिंकेज कार्यक्रम

1969. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड विभिन्न राज्यों, विशेषकर गुजरात में सेल्फ हेल्प ग्रुप–बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत रणनीति के अंतर्गत कार्य योजना को कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़े बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे लाभान्वित व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) कार्यक्रम के तहत क्या उपलब्धि हासिल की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि वह अहमदाबाद पर अपने क्षेत्रीय कार्यालय और विभिन्न जिला कार्यालयों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से गुजरात में स्व–सहायता समूह (एस एच जी)–बैंक संयोजन कार्यक्रम के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य योजना कार्यान्वित कर रहा है। उसके अंतर्गत, 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार गुजरात में 4929 एस एच जी को 629.11 लाख रुपये का संचयी बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया।

(ग) नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार बैंक ऋण उपलब्ध कराये गए एस एच जी की राज्य–वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार, 263825 एस एच जी की संचयी संख्या देश में नाबार्ड द्वारा ऋण से

संबद्ध है जिसमें 48087.90 लाख रुपये अंतर्ग्रस्त हैं। नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई संचयी पुनर्वित्त सहायता 40074.51 लाख रुपये बैठती है।

विवरण

31.3.2001 की स्थिति के अनुसार बैंक ऋण उपलब्ध कराए गए स्व–सहायता समूहों की संख्या का राज्य–वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	एस एच जी की सं.
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	33
2.	आंध्र प्रदेश	126362
3.	असम	278
4.	बिहार	4592
5.	गोआ	146
6.	गुजरात	4929
7.	हरियाणा	537
8.	हिमाचल प्रदेश	2545
9.	जम्मू एवं कश्मीर	203
10.	कर्नाटक	18619
11.	केरल	9625
12.	मध्य प्रदेश	23152
13.	महाराष्ट्र	10468
14.	मणिपुर	31
15.	मेघालय	160
16.	उड़ीसा	8888
17.	पांडिचेरी	318
18.	पंजाब	111
19.	राजस्थान	5616
20.	सिक्किम	5
21.	तमिलनाडु	32766
22.	त्रिपुरा	5
23.	उत्तर प्रदेश	23152
24.	पश्चिम बंगाल	8739
	योग	263825

मादक द्रव्य के उपभोग पर नियंत्रण हेतु जम्मू-कश्मीर को वित्तीय सहायता

1970. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू–कश्मीर की सरकार ने राज्य में मादक द्रव्य के उपभोग को नियंत्रित करने हेतु मास्टर प्लान तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु जम्मू–कश्मीर की सरकार द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने धन जारी कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस धन को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) मादक द्रव्य के उपभोग को नियंत्रित करने हेतु मास्टर प्लान के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए जम्मू–कश्मीर की राज्य सरकार से भारत सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

सांविधिक पण्य बोर्डों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की नियुक्ति

1971. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री को 17 दिसंबर, 1996, 1 सितंबर, 1997 तथा 23 जुलाई, 1998 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सांसदों द्वारा सौंपे गए अभ्यावेदन जिसमें उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बोर्डों और उपक्रमों के प्रमुख/मुख्य प्रबंध निदेशक और अधिकारी/प्रबंधन मंडल के गैर-सरकारी सदस्यों/शासी परिषद सदस्यों के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या में तैनाती/नियुक्ति किये जाने की मांग की गई थी और इन ज्ञापनों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सांविधिक पण्य बोर्डों के प्रमुखों/मुख्य प्रबंध निदेशक और प्रबंध मंडल/शासी परिषद् के सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों की पदों की संख्या कितनी है और दिनांक 1 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार ऐसे पदों पर कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या कितनी है और कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत कितना है; और

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संसद सदस्यों की मांगों को संतोषजनक रूप से पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सूचित किया है कि संसदीय अ.जा. और अ.ज.जा. फोरम द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों में भारत सरकार से अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के योग्य व्यक्तियों को राज्यपाल, राजदूत, योजना आयोग के सदस्य, भारत सरकार के सचिव, यूपीएससी, पीईएसबी के सदस्य, पीएसयू के निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर तैनात करने का अनुरोध करते हुए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के विकास के लिए व्यापक उपाय करने का आग्रह किया गया है। दिनांक 3.3.1987 के संकल्प सं. 27(21) ईओ/86 (एसीसी), जिसके तहत लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) का गठन किया गया है (यह एक ऐसा निकाय है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए सिफारिश करता है) में यथा उल्लिखित नीति के तहत एक निष्पक्ष तथा वस्तुनिष्ठ चयन प्रक्रिया द्वारा स्तर-I (मुख्य कार्यकारी) तथा स्तर-II (निदेशक) के पदों तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्णीत किसी अन्य स्तर के पदों पर नियुक्ति की जाती है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन संबंधी मापदंडों में जाति एक मापदंड नहीं है। इसलिए, इस विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर के पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों में अ.जा./अनु.जन.जा. के व्यक्तियों की संख्या की जानकारी नहीं रखी जाती है।

[हिन्दी]

न्यायालयों में एफ.सी.आई. के विरुद्ध लंबित मुकद्दमे

1972. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम और इसके कर्मचारियों से संबंधित अनेक मुकद्दमे न्यायालयों में लंबित हैं और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के अधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जून, 2001 तक न्यायालयों में ऐसे लंबित मुकद्दमों का ब्यौरा क्या है और उनमें से कितने मामले सी.बी.आई. द्वारा जांच के अधीन हैं और वे कितनी अवधि से लंबित हैं; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा इन मुकद्दमों को आगे बढ़ाने के लिए औसत वार्षिक कितनी धनराशि खर्च की जाती है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

निजीकरण के लिए सरकारी उपक्रमों में प्रकोष्ठ

1973. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :
डा. रमेश चंद तोमर :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजीकरण के लिए सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में कोई प्रकोष्ठ स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में ऐसे प्रकोष्ठ की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में किसी प्रकोष्ठ को स्थापित किये जाने से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार के कटिहार में गोदामों का निर्माण

1974. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने बिहार के कटिहार में 23 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार भंडारण क्षमता की बढ़ती मांग के मद्देनजर अधिगृहीत भूमि पर कोई गोदाम निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 11000 टन की मौजूदा भंडारण क्षमता का कम उपयोग होने और इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की कमी के कारण सापेक्ष योजना से कटिहार केन्द्र को हटा दिया गया था। यह निर्णय लिया गया है कि जिन मामलों में भारतीय खाद्य निगम ने भूमि का अधिग्रहण कर लिया है लेकिन गोदामों के निर्माण को प्रचालनात्मक रूप से व्यवहार्य नहीं समझा गया है, ऐसी भूमि को केन्द्रीय भंडारण निगम को अंतरित/विक्रय किया जा सकता है ताकि वे गोदामों के निर्माण के बारे में विचार कर सकें और यदि आवश्यकता हुई तो केन्द्रीय भंडारण निगम की क्षमता का अपेक्षित उपयोग भारतीय खाद्य निगम भी कर सके।

[अनुवाद]

'फेरा' उल्लंघन

1975. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अप्रैल, 2001 के 'इकानामिक टाइम्स' में 'रैनबैक्सी सैक्स यू.के. सब्सिडियरी ब्रास फोर फाईनेंसियल बंगलिंग' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच हेतु इस मामले को 'फेरा' और सी.बी.आई. को भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) यह समाचार, जो कि वास्तव में दिनांक 23 अप्रैल, 2001 के 'इकोनोमिक टाइम्स' में प्रकाशित हुआ था, वित्त मंत्रालय के ध्यान में आया है।

(ख) से (घ) सेबी की अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वित्तीय संस्थाओं/आढ़तियों से ब्यौरे मंगवाये जा रहे हैं।

नई चीनी मिलों की स्थापना

1976. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु क्षेत्र संबंधी क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या इस मानदंड के कारण किसी विशेष क्षेत्र में नई चीनी मिल स्थापित करना मुश्किल है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मानदंड में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग, उद्योग मंत्रालय के दिनांक 31 अगस्त, 1998 के प्रेस नोट संख्या 12 (1998 सीरीज) के अनुसार, विद्यमान चीनी मिल तथा नई चीनी मिल के बीच न्यूनतम 15 किलोमीटर की दूरी को बनाए रखना अपेक्षित है ताकि गन्ने की अधिप्राप्ति के लिए चीनी फैक्ट्रियों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा से बचा जा सके।

(ग) इस मानदंड में संशोधन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं के लिए 'नाबार्ड' से ऋण

1977. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई परियोजनाओं हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) उपरलिखित ऋण के लिए क्या शर्तें और निबंधन हैं; और

(ग) उपरलिखित ऋण विभिन्न राज्यों की सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकताओं को कहां तक पूरा करेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर आई डी एफ) के तहत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राज्य सरकार को सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्वीकृत ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड बैंकों को लघु सिंचाई संबंधी कार्यकलापों सहित कृषि के लिए उन्हें आगे ऋण देने के लिए पुनर्वित्त सहायता भी प्रदान करता है। इस संदर्भ में नाबार्ड सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) सिंचाई परियोजनाओं के लिए आर आई डी एफ ऋण हेतु सामान्य निबंधन और शर्तें संलग्न विवरण-III में दी गई हैं। लघु सिंचाई संबंधी कार्यकलापों के लिए पुनर्वित्त सहायता के तहत स्वीकृति के निबंधन और शर्तें संलग्न विवरण-IV में दी गई हैं।

(ग) गत तीन वर्षों में आर आई डी एफ के तहत स्वीकृत कुल परियोजनाओं की संख्या एवं सिंचाई क्षेत्र में सृजित क्षमता का ब्यौरा निम्नलिखित है-

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	सृजित क्षमता (हेक्टेयर में)
1998-99	438	405572
1999-2000	101736	850802
2000-2001	26215	437077

उत्पादन आय एवं रोजगार में अनुवर्ती वृद्धि के साथ लघु सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वित्तपोषण के फलस्वरूप सिंचाई के अंतर्गत आने वाले कमान क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

विवरण-I

वर्ष 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-2001 के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के लिए आरआईडीएफ के तहत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11982.22	16861.12	14951.39
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	0.00	0.00
3.	असम	0.08	14837.32	0.00
4.	बिहार	11600.02	9642.61	1479.00
5.	गोवा	467.67	-	501.70
6.	गुजरात	10788.38	3452.17	24170.67
7.	हरियाणा	3425.80	9906.72	1280.14
8.	हिमाचल प्रदेश	704.91	2811.27	2730.67
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2538.76	149.19	1227.42
10.	कर्नाटक	2041.83	102.60	4722.62

1	2	3	4	5
11.	केरल	1323.37	1480.35	4698.67
12.	मध्य प्रदेश	14179.14	11210.48	21109.72
13.	महाराष्ट्र	10047.53	0.00	17538.66
14.	मणिपुर	–	–	833.05
15.	मेघालय	0.00	0.00	262.64
16.	मिजोरम	–	364.42	0.00
17.	नागालैंड	0.00	382.30	112.90
18.	उड़ीसा	8941.95	7101.21	5953.88
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	13135.78	6925.32	12525.89
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	2751.91	3720.46
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	2650.00
24.	उत्तर प्रदेश	1017.35	14538.00	2819.58
25.	पश्चिम बंगाल	174.35	4739.53	843.11
	कुल	92369.00	107256.56	124132.17

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान सभी अभिकरणों को लघु सिंचाई उद्देश्यों के लिए नाबार्ड द्वारा संवितरित पुनर्वित्त का राज्य–वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998–99	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3	4	0
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4.	असम	1	9	9
5.	बिहार	1	58	3
6.	चंडीगढ़	0	0	0
7.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	3
8.	गोवा	26	52	79
9.	गुजरात	1139	2156	3153
10.	हरियाणा	3399	3758	3466
11.	हिमाचल प्रदेश	236	381	575
12.	जम्मू एवं कश्मीर	1	7	7
13.	कर्नाटक	6479	5159	5913
14.	केरल	1530	2270	1852
15.	लक्षद्वीप	0	0	0
16.	मध्य प्रदेश	1493	2362	3304
17.	महाराष्ट्र	5896	9029	11188
18.	मणिपुर	0	0	0
19.	मेघालय	0	0	0
20.	मिजोरम	0	5	3
21.	नागालैंड	0	0	0
22.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	0	0	0
23.	उड़ीसा	273	138	176
24.	पांडिचेरी	47	29	44
25.	पंजाब	4007	3426	3070
26.	राजस्थान	6358	5912	7889
27.	सिक्किम	0	0	0

1	2	3	4	5
28.	तमिलनाडु	886	1466	2191
29.	त्रिपुरा	0	8	1
30.	उत्तर प्रदेश	11699	15391	9794
31.	पश्चिम बंगाल	382	379	475
	कुल	54383	61783	62607

विवरण-III

ग्रामीण आधारिक विकास निधि के अंतर्गत मंजूर ऋण की सामान्य शर्तें

1. फिलहाल प्राथमिकता प्राप्त क्रियाकलापों में मध्यम और लघु सिंचाई, भू-संरक्षण/जल विभाजक प्रबंधन, बाढ़ सुरक्षा/जल निकास, ग्रामीण सड़क/पुलों, ग्रामीण बाजार प्रांगणों/गोदामों/समन्वित बाजार प्रांगणों, समन्वित शीत ग्रह शृंखलाओं, मत्स्य जेट्टियों, विद्युत क्षेत्र में प्रणाली सुधार, लघु जल परियोजनाएं, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भवन, पीने के पानी की आपूर्ति, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन, इत्यादि।

2. कार्य पूरा किए जाने की चरणबद्ध अवधि अधिकतम तीन वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2003 तक है।

3. अद्यतन प्राक्कलित लागत के 90 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन यह ऋण परियोजना की शेष लागत तक सीमित होगी।

4. प्राथमिकता जारी योजनाओं को दी जाएगी। नई परियोजनाओं के मामले में केवल अल्पावधि पर विचार किया जाएगा जो तीन वर्ष के भीतर पूरी की जानी होंगी।

5. ब्याज की दर 11.5 प्रतिशत वार्षिक होगी जो प्रत्येक तिमाही में देय होगी।

6. प्रत्येक निकासी को अलग ऋण के रूप में माना जाएगा और दो वर्ष की रियायती अवधि सहित 7 वर्षों में इसकी वापसी अदायगी करनी पड़ेगी अर्थात प्रत्येक निकासी को 36वें महीने से शुरू 5 समान किस्तों में वापसी अदायगी अपेक्षित होगी।

7. राज्य सरकार का वित्त विभाग प्रलेखीकरण, निधियों की निकासी आदि के लिए नोडल विभाग बना रहेगा।

8. नाबार्ड प्रतिपूर्ति के आधार पर मंजूर राशि जारी करेगा।

9. आर आई डी एफ के अंतर्गत ऋण राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले अधिदेश के बदले जारी किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत किया जाएगा जो सरकार के खाते को नामें डालने के लिए पत्र प्राधिकृत करेगा और राज्य सरकार द्वारा ब्याज के भुगतान और/या मूलधन की वापसी अदायगी में चूक की स्थिति में यह राशि नाबार्ड को भेज दी जाएगी।

विवरण-IV

लघु सिंचाई के तहत नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त सहायता के अंतर्गत स्वीकृति की निबंधन व शर्तें

1. लघु सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत बैंकों को 15 लाख रुपये तक के पुनर्वित्त के लिए स्वतः पुनर्वित्त सुविधा के तहत पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है जहां असीमित संभावना वाले क्षेत्र में कुल परियोजना लागत 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होता है। उपर्युक्त सीमा से अधिक वाली योजना साथ ही सीमित संभावना वाले/दोहित क्षेत्र के लिए नाबार्ड द्वारा बैंकों के लिए पूर्व स्वीकृति के अंतर्गत योजनाबद्ध आधार पर पुनर्वित्त मंजूर की जाती है। अर्थक्षमता एवं विनियोजन मानदंड के अनुपालन के अध्यधीन बैंकों को गुणवत्ता एवं स्थानीय शर्तों के आधार पर परियोजना की इकाई लागत के निर्धारण की स्वतंत्रता दी गई है।

2. निवेश ऋण के अंतर्गत पुनर्वित्त के लिए ब्याज दर, वित्तीय संस्थाओं के लिए रियायती दर पर उपलब्ध है जो निम्नलिखित हैं—

सीमा का विस्तार	वाणिज्यिक बैंक पुनर्वित्त	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्वित्त	सहकारी बैंक पुनर्वित्त
25000 रुपये तक	8.5	7.5	7.0
25000 रुपये से अधिक एवं 2 लाख रुपये तक	8.5	8.5	8.5
2 लाख रुपये से अधिक	8.5	8.5	8.5

3. अंतिम उधारकर्ताओं पर वित्तीय बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर आर बी आई द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होता है।

4. पुनर्वित्त की प्रमात्रा बैंक ऋण का 90% है। तथापि राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के लिए यह प्रमात्रा 95% है।

5. लिफ्ट सिंचाई स्कीम को जहां कुल वित्तीय लागत 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होता है, किसानों को ऋण सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में स्वतः वित्त सुविधा के तहत शामिल किया गया है।

6. ड्रीप एवं स्प्रींकल सिंचाई के संदर्भ में जहां अनुदान उपलब्ध होता है, बैंकों को सलाह दी गई है कि वे निवेशों की तकनीकी वित्तीय अर्थक्षमता के अध्यधीन अनुदान सहित ऋण प्रदान करें। इस क्षेत्र में नाबार्ड भी बैंक ऋण के आधार पर वित्त तथा बैंकों को अनुदान प्रदान करता है और जब उन्हें सरकार द्वारा प्राप्त होता है, अनुदान को समायोजित करता है।

7. कतिपय राज्यों में जहां पम्प सेटों को ऊर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से स्व वित्त योजना उपलब्ध है, नाबार्ड ने किसानों द्वारा निवेश लागत के एक भाग के रूप में तुरन्त ऊर्जा उपलब्धता के लिए राज्य विद्युत बोर्ड को दिए गए ऐसे एकमुश्त भुगतान को शामिल करने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

चीनी संबंधी समझौतों का प्रभाव और निष्कर्ष

1978. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील राष्ट्रों द्वारा भारत से चीनी की आपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न देशों को चीनी की आपूर्ति के लिए कुछ कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये जाने से घरेलू चीनी उद्योग प्रभावित हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय चीनी परिषद में क्या भूमिका अदा की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) वाणिज्य विभाग की सूचना के अनुसार, मालदीव सरकार ने भारत और मालदीव के बीच 31 मार्च, 1981 को हुए व्यापार करार के अनुच्छेद–IX के अनुसार वर्ष 2001 के लिए भारत से अन्य वस्तुओं के साथ 10,000 टन चीनी की आपूर्ति करने के लिए अनुरोध किया था। भारतीय उच्चायोग, माले को सलाह दी गई है कि वे भारत से 10,000 टन खुली बिक्री की चीनी का आयात करने के लिए मालदीव सरकार द्वारा प्राधिकृत मालदीव पार्टियों के पक्ष में सीमा अनुज्ञा–पत्र जारी करें जो 31 दिसम्बर, 2001 तक वैध हो।

अक्तूबर, 2000 से 15 जुलाई, 2001 तक विभिन्न देशों को निर्यात करने के लिए लगभग 14.04 लाख टन चीनी रिलीज की गई है। व्यापारी वर्ग के अनुसार 23.7.2001 तक लगभग 8.11 लाख टन (अनंतिम) चीनी का निर्यात किया गया है।

(ङ) और (च) भारत ने अंतर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1992 पर हस्ताक्षर किए हैं। यह करार इस समय लागू है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1992 के उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

(i) विश्व चीनी मामलों तथा संबंधित मामलों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना सुनिश्चित करना;

(ii) चीनी और विश्व चीनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के उपायों के बारे में अन्तर–सरकारी परामर्श के लिए एक मंच मुहैया करना;

(iii) विश्व चीनी बाजार और अन्य स्वीटनरों के बारे में सूचना एकत्र और मुहैया करके व्यापार को सुविधा देना;

(iv) चीनी, विशेष रूप से अपारम्परिक उपयोगों के लिए, मांग में वृद्धि को प्रोत्साहित करना।

अंतर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1992 के उद्देश्य और अंतर्राष्ट्रीय चीनी करारों के अधीन स्थापित अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन द्वारा मुहैया की गई विभिन्न सूचनाएं घरेलू चीनी उद्योग के लिए उपयोगी हैं।

(छ) भारत अंतर्राष्ट्रीय चीनी करार के अधीन स्थापित अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय चीनी परिषद का सदस्य

है। इस समय, वर्ष 2001 के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अंतर्राष्ट्रीय चीनी परिषद का अध्यक्ष है। भारत अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की प्रशासनिक समिति तथा बाजार मूल्यांकन, उपभोग तथा सांख्यिकी समिति का भी सदस्य है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के 28 से 30 मई, 2001 तक नई दिल्ली में हुए 19वें अधिवेशन की मेजबानी की है।

कारों का निर्यात

1979. श्री अनन्त नायक : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन–कौन सी निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियां भारत से कारों का निर्यात कर रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उनमें से प्रत्येक कंपनी द्वारा कुल कितनी कारों का निर्यात किया गया है; और

(ग) तत्संबंधी मूल्य कितना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) विदेश व्यापार महानिदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1998–99 में निर्यात का मूल्य लगभग 458 करोड़ रुपये, वर्ष 1999–2000 में 374 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2000–2001 (अप्रैल से जनवरी) का 338 करोड़ रुपये है।

विवरण

कंपनी के नाम	निर्यात की गई कारों की संख्या		
	1998–99	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4
डेवू मोटर्स (इंडिया) लिमिटेड	0	1196	1551
फिएट इंडिया ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड	16	157	0
फोर्ड इंडिया लिमिटेड	0	0	0
जनरल मोटर्स इंडिया लिमिटेड	4	18	81
हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड	0	0	0
होण्डा सियल कार्स इंडिया लिमिटेड	0	14	14
हिन्डई मोटर इंडिया लिमिटेड	0	44	5759
मारूति उद्योग लिमिटेड	23446	20943	15025
मर्सिडीज बेंज इंडिया लिमिटेड	494	292	0
पाल–प्यूगॉट लिमिटेड	0	0	0
प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड	0	0	0
टेल्को	1508	607	483
कुल यात्री कार	25468	2327[illegible]	22913

महिलाओं के लिए ऋण

1980. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में 'महिलाओं के लिए ऋण' (क्रेडिट फ्लो टू वीमेन) संबंधी कोई परिसंवाद आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो परिसंवाद में किन–किन मुद्दों पर चर्चा की गई और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रणाली उपलब्ध है कि महिलाओं को सभी बैंकों से ऋण की पर्याप्त प्रतिशतता मिले;

(घ) क्या बैंक ऐसी नीतियों को अपनाते और लागू नहीं करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे उल्लंघन के लिए बैंकों के विरुद्ध क्या कोई दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां। 'महिलाओं को ऋण प्रवाह' विषय पर दिनांक 30 जून, 2001 को एक सेमिनार वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) द्वारा आयोजित किया गया था।

(ख) से (ङ) इस सेमिनार में बहुत से मुद्दों पर चर्चा की गई थी जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ ये सम्मिलित हैं, (1) महिलाओं को ऋण देने को सुदृढ़ करने हेतु 14–सूत्री कार्य योजना (2) निम्नलिखित विषयों पर बनाए गए कार्यकारी समूहों के प्रस्तुतीकरण से उत्पन्न हुए मुद्दे अर्थात्

(i) उत्पादक कार्यों के लिए महिलाओं को ऋण उद्यम वृत्ति विकास की भूमिका, प्रौद्योगिकी की पहुंच, परामर्श और मार्गनिर्देश देना, संयोजन और विपणन;

(ii) महिलाओं को ऋण प्रवाह बढ़ाने में विशेषीकृत बैंक शाखाओं की भूमिका;

(iii) महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह को बढ़ाना, बैंक स्टाफ को सुग्राही बनाना, प्रचार अभियान और गैर–सरकारी संगठनों/स्व–सहायता समूहों की भूमिका; और

(iv) सरकार द्वारा प्रायोजित रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं का कवरेज–समस्याएं और उपचारात्मक उपाय।

सेमिनार में निम्नलिखित मुख्य निर्णय लिए गए :

(i) महिलाओं को ऋण देने को सुदृढ़ बनाने हेतु 14–सूत्री कार्य योजना को सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा उपयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए;

(ii) यह निदेश दिया गया कि बैंक पहले परिकल्पित पांच वर्षों के बदले तीन वर्षों के अंदर महिलाओं को अपने निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का 5 प्रतिशत निर्धारित करें। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे 31 मार्च, 2004 तक महिलाओं के लिए एनबीसी के 5 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करें;

(iii) परामर्शदाता समूह जिसमें 4–5 महिलाएं, सम्मिलित हों और उनमें उद्यमकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता, महत्वपूर्ण स्थानीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो आदि शाखा स्तर पर बनाया जाना चाहिए। ये समूह बैंक शाखा से संपर्क रखेगा और शाखा एवं क्षेत्र की महिलाओं के बीच कड़ी का काम करेगा। बेहतर और अधिक प्रभावी संपर्क के लिए क्षेत्रीय और प्रधान कार्यालय पर ऐसे ही समूह बनाए जाने चाहिए;

(iv) बैंकों द्वारा महिलाओं को ऋण देने के लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को और सरल बनाया जाना चाहिए।

तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि वे उपर्युक्त निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करें। उनसे यह भी कहा गया है कि वे व्यष्टि ऋण के माध्यम से महिलाओं को दी गई अग्रिम राशि, लघु उद्योगों को ऋण, मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों को ऋण, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं और बैंकों की अन्य विभिन्न योजनाओं के लिए अलग से आधारभूत आंकड़े तैयार करें और सितम्बर 2001 से भारतीय रिवर्ज बैंक को संशोधित फार्मेट में तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंध

1981. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :
श्री प्रभात सामन्तराय :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंधों के विस्तार/मजबूत करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान के साथ व्यापार के विस्तार हेतु इस मामले की दोनों देशों के बीच अब तक चर्चा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) वर्ष 2001–2002 और आने वाले वर्षों के लिए भी इस संबंध में क्या प्रस्ताव लाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) वर्तमान में, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय व्यापार करार नहीं है। दोनों देश विश्व व्यापार संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के सदस्य हैं। डब्ल्यूटीओ के सदस्य के रूप में भारत और पाकिस्तान, दोनों देशों का दायित्व है कि वे एक दूसरे को परममित्र राष्ट्र (एमएफएन) का व्यवहार प्रदान करें। हालांकि भारत इस दायित्व का निर्वाह कर रहा है लेकिन पाकिस्तान भारत से होने वाले आयातों के प्रति विभेदकारी व्यवहार अपना रहा है। वर्तमान में केवल 600 मदें

ऐसी हैं, जिनके संबंध में पाकिस्तान द्वारा भारत से आयात किए जाने की अनुमति दी जाती है।

हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार मंच पर कोई औपचारिक संस्थागत विचार–विमर्श नहीं हुआ है। तथापि, साप्ता वार्ता के तहत दोनों देशों ने एक दूसरे को टैरिफ अधिमान प्रदान किए हैं।

(ङ) भारत सरकार की नीति यह है कि समग्र संबंध के अनुसार पाकिस्तान समेत सभी देशों के साथ व्यापार बढ़ाया जाए। इस बारे में 2001–2002 और इससे आगे के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

प्रसार भारती और स्ट्राकॉन इंडिया

1982. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा आयोजित किए गए क्रिकेट मैचों के विश्वव्यापी विपणन अधिकारों से संबंधित समझौते के क्रियान्वयन से प्रसार भारती और स्ट्राकॉन इंडिया के बीच कुछ विवाद खड़े हो गए हैं;

(ख) क्या स्ट्राकॉन इंडिया ने समझौते की शर्तें और निबंधन के तथाकथित उल्लंघन के कारण मुआवजे के लिए दावा किया है; और

(ग) यदि हां, तो मुआवजे के लिए कितनी धनराशि का दावा किया गया है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा विवाद को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा आयोजित किए गए क्रिकेट मैचों के विश्वव्यापी विपणन अधिकारों से संबंधित समझौते के कार्यान्वयन के बारे में मैसर्स स्ट्राकॉन इंडिया लिमिटेड ने कुछ मुद्दे उठाये हैं जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सीधे प्रसारण में यू.आर.एल. एड्रेस न दिखाना, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला के मैचों के प्रसारण के दौरान दूरदर्शन के संकेतों का भारतीय क्षेत्र के बाहर तक पहुंचना और पड़ोसी देशों में डिकाडरों का वितरण आदि शामिल हैं।

(ग) मैसर्स स्ट्राकॉन लिमिटेड ने 29,05,831 अमेरिकी डालर की क्षतिपूर्ति का दावा किया है और प्रसार भारती द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

चाय उत्पादकों की भूमि जोत

1983. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छोटे चाय उत्पादकों की राज्यवार अनुमानित संख्या कितनी है और कुल कितनी भूमि कानूनी रूप से उनके पास है;

(ख) क्या इनमें से कुछ उत्पादकों के पास अनुमत्य सीमा से अधिक भूमि है या उन्होंने चाय बागानों के लिए अन्य लोगों की भूमि का अतिक्रमण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) चाय बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार वर्ष 2000 की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 96551 लघु चाय उपजकर्ता हैं। उनके अधिकाराधीन लगभग 98134 हेक्टेयर भूमि है जिसका उपभोग चाय उगाने के लिए किया जाता है। तथापि, देश में भूमि के विधिक स्वामित्व/अधिकार के आधार पर चाय बोर्ड के पास पंजीकृत लघु चाय उपजकर्ताओं की संख्या और वैधानिक रूप से उनके अधिकाराधीन कुल भूमि के राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं–

राज्य	चाय बोर्ड की पंजीकृत लघु चाय उपजकर्ताओं की संख्या	चाय की खेती के लिए वैधानिक रूप से अधिकाराधीन भू–क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	2	3
असम	812	2863
पश्चिमी बंगाल	1008	428
बिहार	113	574
सिक्किम	105	85

1	2	3
त्रिपुरा	217	464
मणिपुर	1	10
उत्तर प्रदेश	2	13
हिमाचल प्रदेश	3677	2251
तमिलनाडु	60400	42025
केरल	5970	4810
कर्नाटक	15	75
समस्त भारत	71420	53598

(ख) से (घ) चाय बोर्ड द्वारा लघु चाय उपजकर्ताओं का पंजीकरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जाता है। संबंधित राज्य द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र में संबंधित चाय उपजकर्ता का कुल स्वीकृत क्षेत्र प्रदर्शित होता है और इसलिए पंजीकृत उपजकर्ता द्वारा अनुमत सीमा से अधिक भूमि को अधिकार में रखने या चाय की खेती के लिए किसी भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1984. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग ने सरकार के उदारीकरण के कदम का स्वागत किया है;

(ख) यदि हां, तो उदारीकरण के कदम ने भारतीय उद्योग की किस सीमा तक सहायता की है;

(ग) क्या सभी क्षेत्रों में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला है;

(घ) यदि हां, तो इस निर्णय के बाद कुल कितने विदेशी निवेशक आए हैं; और

(ङ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों में ढील देने से भारत को कहां तक सहायता मिली है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) शीर्ष उद्योग संघों ने उदारीकरण का स्वागत किया है तथा और सुधार लाने की भी मांग की है।

(ख) से (ङ) 1991 से उदारीकरण की प्रक्रिया अधिक व्यापक रही है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसीकरण समाप्त हो गया है। प्रतिस्पर्धा और स्वतंत्र बाजार लाने, दुर्लभ संसाधनों का दक्ष प्रयोग करने तथा त्वरित विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से उदारीकरण किया गया था। उदारीकरण की वजह से उद्यमी अपने स्वयं के विवेक के आधार पर निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। आर्थिक सुधारों ने विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए पर्याप्त रुचि भी पैदा की है।

उदारीकरण की नीति आरंभ होने के समय से जून, 2001 तक आशय पत्रों (एल ओ आई) और औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों (आई ई एम) में दर्शाये गये प्रस्तावित निवेश की राशि 1,027,491 करोड़ रुपये रही है।

1991 से मई, 2001 तक की अवधि के दौरान 259,545.3 करोड़ रुपये मूल्य के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) के 12,842 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। इस अवधि में 96,034.5 करोड़ रुपये की राशि का कुल अन्तर्वाह प्राप्त हुआ है, जो उदारीकरण के बाद की अवधि के दौरान एफ डी आई अनुमोदनों और प्राप्त राशियों में एक सतत वृद्धि दर्शाता है।

अन्तर्वाह की राशि से आर्थिक विकास का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए अपेक्षित स्वदेशी निवेश में मदद मिली है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रौद्योगिकीय उन्नयन, वैश्वीय प्रबंधकीय कौशल और व्यवहारों तक पहुंच के अवसर उपलब्ध कराकर स्वदेशी उद्योग को लाभ पहुंचाता है। यह मानव तथा प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने भारतीय उद्योग को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बनाने, निर्यात बाजार खोलने और अन्तरराष्ट्रीय गुणवत्ता की वस्तुओं व सेवाओं तक पहुंचने में प्रोत्साहन देता है।

इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट, लंदन

1985. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और गुजरात पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते ने लंदन आधारित इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट सेंटर को उजागर करने का दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे कितनी मात्रा में स्वापक पदार्थ जब्त किये गये हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में स्वापक पदार्थों के व्यापार पर अंकुश लगाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई तथा आतंकवाद विरोधी–दस्ता, गुजरात के संयुक्त दल ने दिनांक 29.6.2001 को अहमदाबाद के नजदीक एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक की तलाशी लेने पर 4 पैकेट हेरोइन जब्त की गयी जिसका वजन 4.114 किग्रा. था। इस सिलसिले में ट्रक के चालक सहित चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपित व्यक्तियों को पूछताछ करने पर यह पता चला कि उन्होंने इससे पूर्व भरूच, गुजरात के निवासी को हेरोइन की सुपुर्दगी की थी। जिस व्यक्ति को पहले हेरोइन की सुपुर्दगी की गई थी उसके भरूच स्थित निवास की एन सी बी के अधिकारियों द्वारा तलाशी लेने पर 3.056 किग्रा. वजन के ब्राउन सूगर के तीन पैकेट, 117500/– रुपये नकद, एक पासपोर्ट तथा कुछ अपराध आरोपणीय कागजात जब्त किए गये थे।

(घ) नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने तथा इस पर प्रभावकारी नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने पहले से ही महत्वपूर्ण उपाय किये हैं। इनमें, समस्त नशीली दवाओं की प्रवर्तन एजेंसियों को सर्वाधिक चौकसी बरतने तथा प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाने के लिए निर्देश जारी करना, अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, फ्लड लाइटिंग के साथ भारत–पाक सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षकों को शक्तियां प्रदान करना, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा तिमाही समन्वय संबंधी बैठकें आयोजित करना, सीमा सुरक्षा बल तथा पाक रेंजरों की सीमा पर बैठकों के हिस्से के रूप में भारतीय तथा पाकिस्तानी स्वापक औषधि एजेंसियों की सीमा पार बैठकों को त्रैमासिक आधार पर आयोजित करना, म्यांमार के अधिकारियों के साथ प्रक्रियात्मक स्तर की बैठकें आयोजित करना तथा दो खोजी कुत्ते उपलब्ध कराना एवं म्यांमार के कुत्ता प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

एफ सी आई के लिये कनाडियाई कंपनियों का परामर्श

1986. श्री सुबोध मोहिते : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार और भारतीय खाद्य निगम ने पूरे देश में खाद्यान्नों के भंडारण और परिवहन से संबंधित समस्याओं को सुलझाने हेतु कनाडियाई कंपनियों से परामर्श लेने और विशेषज्ञों को बुलाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक बातचीत में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कॉफी, रबड़ और मसाला बोर्डों के विलय हेतु बनाई गई समिति

1987. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री पी. पी. प्रभु की अध्यक्षता में कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड और मसाला बोर्डों के विलय हेतु कोई समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ड) सरकार द्वारा इन सिफारिशों में से स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा इन सिफारिशों के आधार पर इन बोर्डों में आमूल–चूल परिवर्तन लाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड और मसाला बोर्ड के कार्य–निष्पादन का अलग–अलग ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (च) जी, नहीं। सरकार ने चाय बोर्ड, रबड़ बोर्ड, मसाला बोर्ड, कॉफी बोर्ड, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और कृषि एवं

प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के क्रियाकलापों का अध्ययन करने के लिए श्री पी. पी. प्रभु की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। उक्त समिति ने अब सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सिफारिशों में शामिल है : मौजूदा योजनाओं को युक्तिसंगत बनाना एवं उन्हें पुनः तैयार करना, लघु उत्पादकों के हित का संवर्धन करना, बोर्डों की सदस्यता एवं जनशक्ति में कमी करना, वित्तीय शक्तियों को बढ़ाना, समय-समय पर मूल्यांकन के साथ अनुसंधान क्रिया-कलापों का सुदृढ़ीकरण, घरेलू बिक्री केन्द्रों का निजीकरण, चाय बोर्ड के विदेश स्थित कार्यालयों को बंद करना, नियंत्रण संबंधी क्रियाकलापों को समाप्त करना इत्यादि। समिति ने कुछ जिंसों के लिए कीमत बीमा योजना लागू करने तथा कीमत स्थिरीकरण निधि की स्थापना करने का भी सुझाव दिया है ताकि उपजकर्ता लाभान्वित हो सकें। इन सिफारिशों पर वस्तु बोर्डों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड और मसाला बोर्ड के कार्य निष्पादन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

कॉफी

वर्ष	उत्पादन (लाख टनों में)	निर्यात (लाख टनों में)	उत्पादकता (किग्रा./है.)
1997-98	2.28	1.79	799
1998-99	2.65	2.12	877
1999-2000	2.92	2.45	947

रबड़

वर्ष	उत्पादन (लाख टनों में)	निर्यात (लाख टनों में)	उत्पादकता (किग्रा./है.)
1997-98	5.84	1415	1549
1998-99	6.05	1840	1563
1999-2000	6.22	5989	1576

प्रमुख मसाले

प्रमुख मसाले	निर्यात (करोड़ रु. में)			उत्पादकता (किग्रा. प्रति हैक्टेयर में)		
	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
हल्दी	83.06	124.55	104.60	3931	3721	4052
काली मिर्च	496.36	638.11	864.97	316	316	303
धनिया	64.35	45.89	25.84	514	556	578
अदरक	7.97	7.41	9.38	4452	4632	4169
इलायची	25.31	37.12	43.11	123	106	128
मिर्च	158.90	216.61	233.94	1035	1171	1112

गेहूं का निर्यात

1988. **श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गेहूं का निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात की देशवार और वर्षवार प्रमात्रा कितनी है और प्रत्येक मामले में इसका क्या मूल्य है;

(ग) यदि ऐसा अनुरोध प्राप्त होता है तो क्या सरकार का विचार निर्यात मूल्य पर कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निर्यात किये जाने योग्य गुणवत्ता वाले गेहूं को उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) सरकार इस देश की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी को पहले ही 4150 रुपये प्रति टन के मूल्य (यह मूल्य 31.3.2001 तक निर्यात के लिये था जिसे अप्रैल, 2001 से बढ़ाकर 4300 रुपये प्रति टन कर दिया गया है) पर गेहूं प्रदान कर रही है; सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न (1) उन कल्याण संस्थाओं को, जो अकिंचन व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से (2) "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम सहित भारत सरकार की सभी कल्याण योजनाओं के लिये खाद्यान्न प्रदान किये जायें। अंत्योदय अन्न योजना भी शुरू की गई है जिसमें निर्धनतम परिवारों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं प्रदान किया जाता है।

निजी बैंकिंग उद्योग

1989. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
मोहम्मद शहाबुद्दीन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकिंग उद्योग को उनके बैंकिंग परिचालन और सामाजिक सहकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही सार्वजनिक बैंकिंग प्रणाली में सामाजिक और ग्रामीण उत्तरदायित्वों को पूरा करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी क्या कार्य-प्रणाली है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे निजी क्षेत्र के बैंकों और उन गतिविधियों में उनकी भागीदारी का ब्यौरा क्या है जिसके लिये उन्हें अनुमति प्रदान की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे निवल बैंक ऋण के 40 प्रतिशत के प्राथमिकता क्षेत्र उधार के लक्ष्य का अनुपालन करें ि का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र के लिये तथा 10 प्रतिशत कमजोर वर्गों के लिये निर्धारित किया गया है। इन मार्ग निर्देशों में यह भी निर्धारित किया गया है कि गैर सरकारी क्षेत्र के नये बैंकों से यह भी अपेक्षा होगी कि वे अपनी 25 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में खोलें। यद्यपि कृषि और कमजोर वर्गों को ऋण देने में कुछ कमियां रही हैं, फिर भी कुल मिलाकर गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने प्राथमिकता क्षेत्र उधार के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तरह ही गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक भी प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएस वाई) और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के साथ-साथ विभेदी ब्याज दर योजना (डीआरआईएस) जैसी सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करते हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के स्थानीय क्षेत्र बैंकों को भी इस उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि वे ग्रामीण बचत को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थक्षम क्रिया-कलापों हेतु ऋण का प्रावधान करने के लिये संस्थागत तंत्र प्रदान करें। ये बैंक कृषि और संबद्ध क्रिया-कलापों, लघु उद्योग, कृषि उद्योग क्रियाकलापों, व्यापार कार्यों और गैर-कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करते हैं। स्थानीय क्षेत्र बैंकों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे कमजोर वर्गों को अपने अग्रिमों का कम से कम 10 प्रतिशत उधार देने के अतिरिक्त अपने अग्रिमों के 40 प्रतिशत के प्राथमिकता क्षेत्र उधार के लक्ष्यों का अनुपालन करें।

विभिन्न राज्यों में कार्यरत गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

क्र.सं.	बैंक का नाम
1	2
	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक
1.	बैंक आफ राजस्थान लि.
2.	बनारस स्टेट बैंक लि.
3.	भारत ओवरसीज बैंक लि., मद्रास
4.	कैथोलिक सिरयन बैंक लि., त्रिचूर
5.	धनलक्ष्मी बैंक लि., त्रिचूर
6.	फैडरल बैंक लि., आलवे
7.	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि., श्रीनगर
8.	कर्नाटक बैंक लि., मंगलौर
9.	करूर वैश्य बैंक लि., करूर

1	2
10.	सिटी यूनियन बैंक लि., कुम्बकोनम
11.	लक्ष्मी विलास बैंक लि., करूर
12.	लार्ड कृष्णा बैंक लि., कलूर
13.	नैनीताल बैंक लि., नैनीताल
14.	नैडूंगढ़ी बैंक लि., कालीकट
15.	रत्नाकर बैंक लि., कोल्हापुर
16.	सांगली बैंक लि., सांगली
17.	साउथ इंडियन बैंक लि., त्रिचूर
18.	तमिलनाडु मर्कैंटाइल बैंक लि., टूटीकोरिन
19.	यूनाइटेड वेस्टन बैंक लि., सतारा
20.	वैश्य बैंक लि., बंगलूर
21.	एसबीआई कॉमर्शियल एवं इंटरनेशनल बैंक लि.
22.	गणेश बैंक आफ कूरनदवाद लि., कुरनदवाद
23.	यू टी आई बैंक लि. कं. मुंबई
24.	इन्डसइंड बैंक लि., रजिस्ट्रर आ., पुणे
25.	आई सी आई सी आई बैंकिंग कारपोरेशन लि., वडोदरा
26.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि., सिकंदराबाद
27.	सैंचूरियन बैंक लि., पणजी
28.	एचडीएफसी बैंक लि., मुंबई
29.	डवलेपमेंट क्रेडिट बैंक लि., मुंबई
30.	बैंक आफ पंजाब लि., चंडीगढ़
31.	आई डी बी आई बैंक लि., रजि. आफिस इंदौर
स्थानीय क्षेत्र बैंक	
1.	कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि.
2.	कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि.
3.	साऊथ गुजरात लोकल एरिया बैंक लि.
4.	विनायक लोकल एरिया बैंक लि.
5.	कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लि.

अखबारी कागज की डम्पिंग

1990. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमेरिका, यूरोप, कनाडा, रूस और अन्य विभिन्न देशों से भारत में बड़ी मात्रा में अखबारी कागज की डम्पिंग के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान अखबारी कागज की डम्पिंग से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) इन शिकायतों के निपटान में कितना समय लिया गया है;

(ङ) घरेलू इकाइयों के उत्पादन पर अखबारी कागज की डम्पिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(च) सरकार द्वारा पाटन रोधी उपायों को सख्त और कड़ा बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध के प्रथम–दृष्टया साक्ष्य के साथ घरेलू उद्योग द्वारा दायर पूर्णतः प्रलेखित याचिका के आधार पर 20 दिसंबर, 1996 को कनाडा, यूएसए और रूस से अखबारी कागज के आयात के संबंध में जांच शुरू की थी; निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 19 मार्च, 1998 को पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की थी लेकिन उसे लगाया नहीं गया था। घरेलू उद्योग ने पिछले एक वर्ष के दौरान पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में कोई याचिका दायर नहीं की है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी अखबारी कागज के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिये नये सिरे से जांच शुरू कर सके।

(च) पाटनरोधी जांच 1995 में यथा–संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9क, 9ख एवं 9ग में निहित हमारे राष्ट्रीय कानून के अनुसार की जाती है जोकि डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के अनुरूप है।

सरकार ने पाटनरोधी जांच में तेजी लाने, क्रियाविधियों को सरल और कारगर बनाने तथा घरेलू उद्योग को शीघ्र राहत

प्रदान करने के लिए कदम उठाये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं : पूर्णतः प्रलेखित याचिका के प्रस्तुत होने पर तुरंत जांच शुरू करना, घरेलू उद्योग को तत्काल राहत प्रदान करने के लिये शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभिक निष्कर्षों की सिफारिश करना तथा पाटनरोधी नियमों और क्रियाविधियों के बारे में लोगों को जानकार बनाने के लिये देश–भर में सेमिनारों/कार्यशालाओं/विचार–विनिमय सत्रों का आयोजन करना। पाटनरोधी क्रियाविधियों के बारे में लोगों को जानकार और जागरूक बनाने के लिये डीजीएडी द्वारा पत्तन कार्यालयों पर तैनात डीजीएफटी के अधिकारियों के जरिए समन्वय भी किया जा रहा है। इस प्रकार, मौजूदा नियमों एवं विनियमों के अनुसार, जहां अपेक्षित होता है और जहां तक संभव होता है, घरेलू उद्योग को राहत प्रदान करने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान

1991. डा. वी. सरोजा : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे संगठनों, विशेषकर सरकारी विभागों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने अभी तक राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान में योगदान नहीं दिया है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान में योगदान को समय पर सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) से (ग) एकमात्र दूर संचार विभाग ही एक ऐसा सरकारी विभाग है जिसने राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के लिये अपना अंशदान जारी नहीं किया है। ऐसे योगदान विमोचन की समय समय पर समीक्षा की जाती है। महासचिव, भारतीय गुणवत्ता परिषद और इस विभाग ने धन राशि शीघ्र जारी कराने के लिये मामले को दूरसंचार विभाग के साथ उठाया है।

समुद्री भोजन और समुद्री उत्पादों के निर्यात हेतु सुविधाएं

1992. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय संघ और जापान आदि देशों से भारतीय समुद्री भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, समुद्री खाद्य और समुद्री उत्पादों के निर्यात हेतु "एकल विराम" सुविधा (सिंगल स्टॉप फैसिलिटीज) अपनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नव-प्रवेशकर्ताओं के लिये आई.आर.डी.ए. के मानदंड

1993. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने इस क्षेत्र में नव–प्रवेशकर्ताओं के लिये खुलाव संबंधी मानदंडों को शिथिल किया है और निवेश हेतु और अधिक सोच उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे क्या–क्या लाभ होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने अगस्त, 2000 में आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000 जारी किये थे और जिसकी प्रति सदन के पटल पर दिनांक 28.11.2001 को रखी गई थी। इन विनियमों में प्रकटन/विवेकसम्मत मानदंडों से संबंधित अनुदेशों तथा मियादी ऋणों आदि को नियोजित करने संबंधी तौर–तरीकों को शामिल किया गया है। आईआरडीए ने सूचित किया है कि उसे इसके बाद बीमा कंपनियों से इन विनियमों की प्रयोज्यता से छूट देने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उनके अभ्यावेदनों की गुणावगुण आधार पर जांच करते हुए, अगस्त, 2000 के विनियमों के कुछ उपबंधों को आईआरडीए द्वारा संशोधित कर दिया गया है तथा भारत के राजपत्र में 31 मई, 2001 को अधिसूचित कर दिया गया है। चालू सत्र में इस संशोधित अधिसूचना की प्रति सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) आईआरडीए ने सूचित किया है कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निर्देशित निवेश और सामाजिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा ढांचागत क्षेत्रों में किये जाने वाले निवेशों को इन विनियमों के अधीन समाविष्ट किया गया है। इसके अलावा, विनियमों में बीमाकर्ताओं के उत्तरदायित्व

का भी सुनिश्चिय किया गया है। वर्तमान परिदृश्य में इन विनियमों से बीमा कंपनियां पॉलिसी धारकों को अधिकतम लाभ प्रदान करने तथा उचित तरीके से निवेश कराने में सक्षम होंगी।

रियायती दरों पर गेहूं का निर्यात

1994. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं को निर्यातार्थ बहुत अधिक रियायती दर पर बेचने का निर्णय किया है, क्योंकि नवीनतम निविदा में व्यापारियों ने प्रति टन अधिक मूल्य की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या वाणिज्य मंत्रालय ने खाद्य मंत्रालय को यह सलाह दी है कि निर्यात के उद्देश्य से कोई विशेष निम्न–मूल्य तय करना, विश्व व्यापार संगठन के तहत डब्ल्यू. टी.ओ. के समानुरूप नहीं होगा;

(ग) यदि हां, तो क्या विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के तहत, कोई भी सरकार निर्यातार्थ किसी भी जिन्स को उसके घरेलू बाजार में निर्दिष्ट मूल्य से कम पर नहीं बेच सकती;

(घ) क्या रिपोर्टों के अनुसार 3.5 लाख टन से भी अधिक अनाज, भेजे जाने की प्रतीक्षा में अभी भी पत्तनों पर भंडार गृहों में पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने गेहूं के निर्यात के संबंध में कोई दृढ़ नीति तय की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसे कब तक घोषित किया जायेगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) गेहूं का निर्यात करने के लिये गेहूं के निर्यात मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ प्रतिस्पर्धी होने हैं। भारतीय खाद्य निगम को अनुमति दी गई है कि वह निर्यात के लिये गेहूं की पेशकश उस मूल्य पर करे जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिये लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य से कम न हो।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) निर्यात के प्रयोजन के लिये पत्तन गोदामों में 1.85 लाख टन गेहूं पड़ा हुआ है।

(ङ) से (छ) निर्यात आयात नीति के अनुसार गेहूं का निर्यात डीजीएफटी के द्वारा घोषित मात्रात्मक सीमा और अपेडा द्वारा पंजीकरण सह आबंटन प्रमाण–पत्र जारी करने की शर्त के अध्यधीन मुक्त रूप से अनुमत है। वर्ष 2001–2002 के लिये 5 मिलियन टन गेहूं का निर्यात करने की सीमा घोषित की गई है।

बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1995. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन–किन कंपनियों ने देश के बीमा क्षेत्र में अपना व्यवसाय आरंभ करने के उद्देश्य से, आई.आर. डी.ए. अधिनियम के तहत पंजीयन कराया है; और

(ख) इस व्यवसाय में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सम्मिलित है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) आईआरडीए ने सूचित किया है कि 7 जीवन बीमा कंपनियों तथा 5 साधारण बीमा कंपनियों को भारत में कारोबार प्रारंभ करने हेतु पंजीकरण प्रदान किया गया है।

(ख) 11 भारतीय बीमा कंपनियों में चुकता पूंजी के रूप में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 359.15 करोड़ रुपये है।

विज्ञापन की दर

1996. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में ऐसे कार्यक्रम निर्माताओं ने, जिनके कार्यक्रम दूरदर्शन के प्रायोजित प्राइम टाइम में प्रसारित होते हैं, या तो उन्हें बंद कर दिया है अथवा समाप्ति के लिये दूरदर्शन को नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनके इस रुख पर दूरदर्शन की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या टेलीविजन कार्यक्रम–निर्माताओं की शिकायत यह है कि दूरदर्शन की दरें, बाजार–दरों से कहीं अधिक हैं;

(घ) क्या दूरदर्शन ने अपने प्राइम टाइम की विज्ञापन दरों का मूल्यांकन करने के लिये कोई यथार्थ कदम उठाये है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि स्लॉट्स को भरने के लिये दूरदर्शन ने विभिन्न प्रकार के नये कार्यक्रमों के लिये प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं।

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन को मौजूदा प्रतिस्पर्धात्मक बाजार परिदृश्य के समकक्ष लाने के लिये इसके दर कार्ड को संशोधित किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का संशोधन

1997. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विनिर्माताओं द्वारा अपने उत्पादों पर प्रभार–योग्य अधिकतम मूल्य का लेबल लगाने की प्रथा से उपभोक्ताओं के हितों पर प्रतिकूल असर हुआ है, क्योंकि खुदरा–विक्रेता इस अधिकतम मूल्य का उत्पाद के न्यूनतम विक्रय–मूल्य के रूप में उपयोग कर रहे हैं; जोकि सिर्फ धोखाधड़ी है और उपभोक्ता विरोधी व्यवहार है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपभोक्ता विरोधी व्यवहार को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) बाट तथा मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के अनुसार पैकेज पर "सभी करों सहित अधिकतम खुदरा मूल्य........." के रूप में उसके खुदरा बिक्री मूल्य की घोषणा करना अपेक्षित है। पैकेज पर अधिकतम खुदरा मूल्य की घोषणा वस्तु के विनिर्माता अथवा पैकर द्वारा की जानी होती है। नियमों में दाण्डिक उपबंध हैं, जो खुदरा व्यापारियों को पैकेज में रखी वस्तु को घोषित किये गये अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने से रोकते हैं। तथापि, परिवहन व्यय, स्थानीय कर, प्रतिस्पर्धा आदि जैसे विभिन्न तथ्यों के आधार पर वास्तविक बिक्री मूल्य अधिकतम खुदरा मूल्य से कम हो सकता है।

[हिन्दी]

राजभाषा हिंदी

1998. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा राजभाषा नीति के त्वरित कार्यान्वयन के लिये क्या कार्यक्रम तैयार किये गये हैं;

(ख) क्या पिछले तीस सालों से हिंदी के प्रगामी प्रयोग के उसी एक कार्यक्रम को बार–बार दोहराया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में कौन से निवारणात्मक उपाय किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिये राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है, जिसमें हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा इन लक्ष्यों में समय समय पर वृद्धि की जाती है। इस मंत्रालय द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों का यथासंभव अनुपालन किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मूल्यवर्धित कर-प्रणाली

1999. श्री भीम दाहाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य से राज्यों के वित्त सचिवों तथा केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है कि मूल्यवर्धित कर–प्रणाली शुरू करने की वजह से राज्यों को हुई राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिये कोई सूत्र निकाला जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति अपनी रिपोर्ट कब तक सौंप देगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) अपर सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है :

(i) वित्त सचिव, गुजरात

(ii) राजस्व सचिव, आंध्र प्रदेश

(iii) वित्त सचिव, महाराष्ट्र

(iv) वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल

(v) वित्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

(vi) वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश

(vii) सलाहकार, योजना आयोग

(viii) आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग

(ix) संयुक्त सचिव, (नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो एवं प्रशासन) राजस्व विभाग

(x) संयुक्त सचिव (कर अनुसंधान एकक), केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

(xi) उप सचिव (बजट), आर्थिक कार्य विभाग

(xii) निदेशक (बिक्री कर) राजस्व विभाग।

मूल्यवर्धित कर को लागू करने की वजह से होने वाली किसी हानि का जायजा लेने के लिये समिति एक स्पष्ट और परिमेय मापदंड का विकास करेगी तथा इसे क्षतिपूर्ति के तौर–तरीके के साथ–साथ क्षतिपूर्ति की मात्रा के बारे में भी निर्णय लेना है।

(ग) 30 सितंबर, 2001।

निर्यात में धोखाधड़ी

2000. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्रीमती रेनु कुमारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जुलाई, 2001 के "इंडियन एक्सप्रैस" समाचार पत्र में "8 गवर्नमेंट बैंक्स अंडर क्लाउड फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉड टू रशिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात में हुई इस धोखाधड़ी में सरकारी क्षेत्र के कौन–कौन से बैंक संलिप्त हैं और इसमें कितनी धनराशि का घोटाला हुआ है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के आठ बैंकों की मिली–भगत से चल रही निर्यात संबंधी धोखाधड़ी का पता लगा लेने के अपने दायित्व का निर्वहन करने में भारतीय रिजर्व बैंक एक बार पुनः विफल रहा है;

(घ) क्या सरकार ने उन बैंक कर्मियों की शिनाख्त की है, जो उक्त धोखाधड़ी के लिये जिम्मेवार हैं; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

धान की खरीद हेतु आंध्र प्रदेश सरकार का अनुरोध

2001. श्री बी. के. पार्थसारथी :
श्री कालवा श्रीनिवासुलु :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से धान की खरीद की सीमा, जो वर्तमान में पचपन लाख मीट्रिक टन है, को और दस लाख मीट्रिक टन बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के इस अनुरोध पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, नहीं।

तथापि, किसानों को राहत प्रदान करने के लिये आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया था कि लेवी चावल की वसूली के आरम्भिक लक्ष्य को 55 लाख टन से बढ़ाकर 65 लाख टन और बाद में 70 लाख टन कर दिया जाये।

(ग) और (घ) जी, हां। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार राज्य सरकार के अनुरोध से सहमत हो गई है और लेवी चावल की वसूली के लक्ष्य को बढ़ाकर 70 लाख टन कर दिया है।

(ङ) भाग (ग) और (घ) के उपर्युक्त उत्तर की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र की बीमा-कंपनियां

2002. **श्री पी. आर. किन्डिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सरकारी क्षेत्र की बीमा–कंपनियों को पूर्वोत्तर कश्मीर, उत्तर बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से हटा लिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उपरोल्लिखित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से इन कंपनियों को हटाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रायचूर स्थित विकास केंद्र के लिए सहायता

2003. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी. एस. बसवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक के रायचूर स्थित विकास–केंद्र हेतु सहायता के रूप में केवल 8.60 करोड़ रुपये की राशि ही जारी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार से शेष राशि को जारी करने का अनुरोध किया है ताकि परियोजना को निर्धारित समयावधि में पूरा किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केंद्र सरकार का क्या प्रत्युत्तर है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) जी, नहीं। कर्नाटक राज्य सरकार को रायचूर विकास केंद्र हेतु 10 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की पूरी राशि जारी कर दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नरबल, श्रीनगर स्थित आकाशवाणी केंद्र

2004. **श्री रामजीवन सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री आकाशवाणी के अभियंता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में 20 अप्रैल, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5855 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरबल, श्रीनगर में 2x500 के. वी. ए. डी. जी. सेट से संबद्ध कार्य में कथित अनियमितताओं के संबंध में आकाशवाणी के लोक निर्माण स्कंध के मुख्य अभियंता श्रेणी-II के विरुद्ध जांच का अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) आकाशवाणी के सिविल निर्माण स्कंध के मुख्य अभियंता लेबल–2 के विरुद्ध केंद्रीय सिविल सेवा, (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली 1965 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जांच की जा रही है।

चीन और पाकिस्तान के साथ आयात/निर्यात

2005. **श्री राजैया मल्याला :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सामान्यतः पाकिस्तान और चीन से किन–किन वस्तुओं/उत्पादों का "आयात" करता है;

(ख) भारत पाकिस्तान और चीन को किन–किन वस्तुओं/उत्पादों का "निर्यात" करता है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इन देशों के साथ व्यापारिक कार्य–निष्पादन के संबंध में ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग)

भारत ने पाकिस्तान से 1999–2000 में 295.95 करोड़ रुपये मूल्य के तथा 2000–2001 में 299.45 करोड़ रुपये मूल्य के फलों तथा काजू गिरी को छोड़कर गिरीदार फलों एवं दाल, चीनी तथा मसालों सहित अन्य मदों का आयात किया था। चीन से हुए हमारे आयातों में कोयला, इलैक्ट्रानिक वस्तुएं, कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन, रेशम, दवाइयां तथा औषधीय उत्पाद, उर्वरक एवं मशीनरी इत्यादि शामिल थे, जिनका मूल्य 1999–2000 में 5575.64 करोड़ रुपये तथा 2000–2001 में 6706.34 करोड़ रुपये था।

भारत ने पाकिस्तान को 1999–2000 में 402.76 करोड़ रुपये मूल्य की तथा 2000–2001 में 848.41 करोड़ रुपये मूल्य की चीनी, अकार्बनिक एवं कार्बनिक रसायन, तेल खाद्य, प्लास्टिक तथा लिनोलियम उत्पाद, रंजक, रबड़ एवं मसालों का निर्यात किया। चीन को हुए हमारे निर्यातों में मुख्यतः लौह एवं अन्य अयस्क तथा खनिज, समुद्री उत्पाद, प्लास्टिक तथा लिनोलियम उत्पाद, सूती धागा, फैब्रिक्स, उनकी निर्मितियां, अकार्बनिक तथा कृषि रसायन, औषधियां एवं भेषज इत्यादि शामिल थे जिनका मूल्य 1999–2000 में 2334.56 करोड़ रुपये तथा 2000–2001 में 3788.32 करोड़ रुपये था।

काकीनाड़ा पत्तन पर तेल-रिफाइनरी की निर्यातोन्मुख इकाई

2006. डा. राम चन्द्र डोम : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का "पेट्रो इनर्जी प्रॉडक्ट्स कम्पनी लिमिटेड" के माध्यम से, 2652 करोड़ रुपये की संशोधित लागत से काकीनाड़ा पत्तन पर तेल–रिफाइनरी की एक निर्यातोन्मुख इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को मूलतः जून, 1994 में मंजूरी दी गई थी जबकि इसकी लागत मात्र 500 करोड़ रुपये ही थी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विलंब, जिसके परिणामतः इसकी लागत पांच गुने से भी अधिक बढ़ गई, होने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) सरकार का ईओयू योजना के तहत एक तेल रिफाइनरी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मैसर्स पैट्रो इनर्जी, प्रोडक्ट्स कंपनी लि. को 500.25 करोड़ रुपये के निवेश के साथ केंद्र शासित क्षेत्र पांडिचेरी के काराइकल में ईओयू योजना के तहत एक तेल रिफाइनरी इकाई स्थापित करने हेतु जून, 1994 में एलओआई की मंजूरी दी गई थी। चूंकि यह कंपनी इस प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं कर सकी थी इसलिये उसने समय–समय पर अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने की मांग की थी जो प्रदान कर दी गई थी। पिछली बार यह समय–सीमा 16.8.2000 को बढ़ाई गई थी जब अनुमोदन की वैधता बढ़ाकर 27.6.2003 तक कर दी गई थी। इसके अलावा, इकाई के अनुरोध पर सरकार ने 16.8.2000 को स्थल को कराइकल, पांडिचेरी से बदल कर काकीनाडा पत्तन (पेड्डापुरम–आर बी पटनम, पूर्वी गोदावरी) आंध्र प्रदेश करने की मंजूरी भी दे दी है। हाल ही में सरकार ने 12.6.2001 को परियोजना लागत को बढ़ाकर 2652 करोड़ रुपये करने और कुल इक्विटी में विदेशी भागीदारी 95 प्रतिशत तक करने के कंपनी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

रिफाइंड तेल कंपनियां

2007. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू रिफाइंड तेल कंपनियों को व्यवसाय के क्षेत्र में नेपाल और मलेशिया की रिफाइंड तेल–कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) घरेलू रिफाइंड तेल–कंपनियों के हितों का संरक्षण करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) खोपरे के तेल को छोड़कर खाद्य तेलों, क्रुड अथवा संसाधित तेलों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है। 1.3.2001 से क्रुड सोयाबीन तेल को छोड़ कर क्रुड खाद्य तेलों पर शुल्क बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। क्रुड सोयाबीन तेल पर विश्व व्यापार संगठन की बाध्यता के कारण शुल्क 45 प्रतिशत है। सोयाबीन तेल को छोड़कर संसाधित खाद्य तेलों पर शुल्क 85 प्रतिशत जमा 4 प्रतिशत अतिरक्ति शुल्क है। सोयाबीन तेल के मामले में विश्व व्यापार संगठन की बाध्यता के कारण शुल्क (मूल) 45 प्रतिशत जमा 4 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क है। तथापि, नेपाल से संसाधित खाद्य तेलों और वनस्पति का आयात

भारत नेपाल व्यापार संधि के अधीन शुल्क रूप से अनुमत है। अतः भारतीय संसाधित खाद्य तेल उद्योग और वनस्पति उद्योग को नेपाल से आयातित संसाधित खाद्य तेल और वनस्पति से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

(ग) तिलहन उत्पादकों, उपभोक्ताओं और घरेलू संसाधित तेल और वनस्पति उद्योग के हितों में सामंजस्य बैठाने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) संसाधित तेलों पर आयात शुल्क को 1.3.2001 से बढ़ाकर 85 प्रतिशत (मूल) और सोयाबीन तेल पर (विश्व व्यापार संगठन की बाध्यता के कारण) 45 प्रतिशत (मूल) कर दिया गया है।

(2) क्रुड खाद्य तेलों पर शुल्क को संसाधित तेलों की तुलना में कम रखा गया है ताकि संसाधित तेल उत्पादक यूनिटें अन्य के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।

(3) वनस्पति के उत्पादन में 25 प्रतिशत स्वदेशी तेल के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है।

विश्व व्यापार संगठन समझौते का प्रभाव

2008. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने नवंबर, 2001 तक विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के लिये भारत की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन के विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौता करने के परिणामतः वहां के कृषि क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को लेकर उसकी अपनी आपत्तियां हैं;

(घ) क्या भारत ने उन देशों से बात की है, जिनकी विश्व व्यापार संगठन समझौते से कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को लेकर अपनी-अपनी आपत्तियां हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) डब्ल्यूटीओ में चीन को शामिल किये जाने के संदर्भ में हमारे शिष्टमंडल तथा चीन के शिष्टमंडल के बीच आयोजित विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों में चीनी पक्ष ने डब्ल्यूटीओ में चीन को शीघ्र शामिल किये जाने के लिये अनुरोध किया है और इसके लिये प्राप्त हो रहे हमारे समर्थन को स्वीकार भी किया है।

(ग) जबकि मीडिया रिपोर्टों में चीन के कृषि क्षेत्र पर डब्ल्यूटीओ करार के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में आपत्तियों का उल्लेख किया गया है तथापि, इस संबंध में चीन की सरकार की ओर से कोई सरकारी वक्तव्य सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(घ) और (ङ) कृषि संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के तहत चल रही वार्ताओं के भाग के रूप में भारत ने अन्य विकासशील देशों के साथ इस तथ्य को उजागर किया है कि अनेक विकसित देशों द्वारा व्यापार विकृतकारी इमदाद जारी रखने के कारण कृषि में उदारीकरण के संभावित लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं और इसीलिये उन्होंने विकसित देशों द्वारा व्यापार विकृतकारी घरेलू सहायता में पर्याप्त कटौतियों, टैरिफों में पर्याप्त कटौतियों और निर्यात इमदाद की समाप्ति और विकासशील देशों के लिये पर्याप्त लोचशीलता की मांग की है ताकि इनकी खाद्य सुरक्षा और आजीविका संबंधी चिंताओं का निवारण किया जा सके। इस संबंध में भारत ने बाजार पहुंच, घरेलू सहायता, निर्यात प्रतिस्पर्धा और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अलावा, अन्य विकासशील देशों के साथ "बाजार पहुंच" और "निर्यात" संबंधी दो प्रस्तावों को सह-प्रायोजित भी किया है। हालांकि भारत द्वारा "बाजार पहुंच" संबंधी प्रस्ताव क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, एल साल्वाडोर, होंडुरास, केन्या, नाईजीरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूगांडा, जिम्बाब्वे और हैती के साथ सह-प्रायोजित किया गया था तथापि, "निर्यात ऋण" संबंधी प्रस्ताव अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, बोलीविया, चिली, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला और मलेशिया के साथ सह-प्रायोजित किया गया था।

रॉयल्टी के संबंध में ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश

2009. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनिज, कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस रॉयल्टी में संशोधन करने के संबंध में ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) खनिज पर रॉयल्टी के संशोधन की आवधिकता को खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 द्वारा अधिशासित किया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार किसी भी खनिज की रॉयल्टी की दर को किसी भी तय की गई तारीख से संशोधित कर सकती है बशर्ते उक्त संशोधन किन्हीं भी तीन वर्षों में एक बार से अधिक न किया गया हो।

खनिजों की रॉयल्टी दरों के संशोधन का काम किसी स्वतंत्र निकाय को सौंपे जाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार में विचाराधीन नहीं है। तथापि खनिज की रॉयल्टी की दरों की सिफारिश करने के लिये राज्यों, संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, उद्योगों तथा तकनीकी संगठनों के प्रतिनिधियों के संयोजन से स्वतंत्र अध्ययन समूहों का गठन किया जाता है। मौजूदा प्रणाली स्पष्ट और पारदर्शी है और ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत सिफारिशों के उद्देश्यों को पूरा करती है।

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर रॉयल्टी, तेल क्षेत्र (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाये गये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के द्वारा अधिशासित की जाती है। कच्चे तेल पर रॉयल्टी के लिये 01.04.1998 से प्रभावी नयी स्कीम तैयार करने हेतु सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

नकली नोटों की पहचान करने वाली मशीनें

2010. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बैंकों में नकली नोटों की पहचान करने के लिये आवश्यक मशीनें उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार का देश में अधिकांश बैंकों में ऐसी मशीनें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन मशीनों को कब तक उपलब्ध कराया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जहां, महात्मा गांधी के वाटरमार्क की विशेषता वाले 500 रुपये और 1000 रुपये के उच्च मूल्यवर्ग के नोट की अल्ट्रा वायलेट लैम्पों की सहायता से जांच की जा सकती है, वहां अन्य बैंक नोटों के सही होने की पहचान कागज की गुणवत्ता, वाटरमार्क, सुरक्षा धागे और मुद्रण विशेषता आदि के संदर्भ में केवल देख-परख कर ही की जा सकती है।

(ख) और (ग) साठ प्रतिशत बैंक शाखाओं जो विशेषकर करेंसी चेस्ट और अन्य भारी नकदी व्यापार करने वाली शाखायें हैं, को ही अल्ट्रा वायलेट लैम्प उपलब्ध कराये गये हैं, बाकी शाखाओं में ऐसे लैम्प स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक को देश की सभी बैंक शाखाओं में 31 दिसंबर, 2001 तक अल्ट्रा वायलेट लैम्प लगाने का निर्देश दिया गया है।

[अनुवाद]

आस्ट्रेलिया से निर्यात-आदेश

2011. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भेल" को आस्ट्रेलिया से एक निर्यात आदेश प्राप्त करने के रूप में एक बड़ी सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन होने का अनुमान है; और

(घ) आस्ट्रेलिया को इंजीनियरिंग क्षेत्र की सामग्री का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। भेल ने आस्ट्रेलिया के स्टोनहेवन स्थित उनकी परियोजना के लिये

एइएस, यूएसए की सहायक कंपनी से 3x123.4 मेगावाट की गैस टर्बाइन जेनेरेटिंग यूनिटों तथा इलेक्ट्रीकल और मेकेनिकल सहायिकाओं की स्थापना के लिये तकनीकी सहायता मुहैया कराने के लिये आदेश प्राप्त हुआ है।

(ग) यह ठेका 59.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है (278 करोड़ रुपये के बराबर)।

(घ) विपणन विकास सहायता योजना के अंतर्गत वाणिज्य विभाग की सहायता से इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद द्वारा सिडनी, आस्ट्रेलिया में मार्च 2002 में एक एक्सक्लूसिव प्रदर्शनी "इंडिया टेक" का आयोजन किया जाना है। यह आशा की जाती है कि इससे संभाव्य खरीदारों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिये भागीदार कंपनियों को अवसर मुहैया कराने से आस्ट्रेलिया को इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के प्रयासों में अर्थपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।

[हिन्दी]

टेलीफोन क्षेत्र में विनिवेश

2012. डा. बलिराम : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में विनिवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम के पीछे क्या औचित्य है; और

(ग) उक्त प्रक्रिया के कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) सरकार ने, जुलाई, 1999 में विनिवेश आयोग की सलाह के आधार पर, जीडीआर मार्ग तथा स्वदेशी बाजार में पेशकशों के माध्यम से, कंपनी की इक्विटी को 51 प्रतिशत तक नीचे लाने के लिये महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) में सरकारी शेयरधारिता के 19 मिलियन तक के विनिवेश को अनुमोदन प्रदान किया था। तथापि, प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों के कारण यह जीडीआर इश्यू नहीं हो सका था।

सरकार ने, फरवरी, 2001 में विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी एस एन एल) में 26 प्रतिशत इक्विटी अपने पास रखने और अनुकूल बिक्री के माध्यम से 25 प्रतिशत इक्विटी पूंजी का विनिवेश करने और 1.97 प्रतिशत इक्विटी पूंजी को कंपनी के कर्मचारियों के पक्ष में जारी करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय, सरकार की उस घोषित नीति के अनुसार है जिसके अनुसार साधारण मामलों में गैर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी इक्विटी को 26 प्रतिशत तक अथवा उससे भी कम स्तर पर नीचे लायेगी। वी एस एन एल के मामले में सरकार ने पूर्व में घोषित अप्रैल, 2001 के बजाय अप्रैल, 2002 से अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के टेलीफोन पर कंपनी के एकाधिपत्य को वापस लेने की घोषणा की थी। इससे, वी एस एन एल को इस क्षेत्र में सन्निकट प्रतिस्पर्द्धा के लिये तैयार करने की तात्कालिकता में आवश्यकता पड़ी थी।

अभी तक भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) में विनिवेश करने तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) में और विनिवेश करने का कोई निर्णय नहीं है।

(ग) विदेश संचार निगम लिमिटेड में विनिवेश प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है परंतु अभी पूरी नहीं हुई है।

[अनुवाद]

अग्रिम लाइसेंस जारी करने हेतु मानदंड

2013. डा. जसवंतसिंह यादव :
श्री राजेश वर्मा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहां, आगम–निर्गम मानदंड निर्धारित कर दिये गये हैं, वहां शुल्क मुक्त अग्रिम लाइसेंस जारी करने हेतु सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या नई दिल्ली स्थित विदेश व्यापार, महानिदेशक कार्यालय न्यूनतम 33 प्रतिशत मूल्य वर्द्धन पर जोर दे रहा है जबकि इसका मुंबई स्थित कार्यालय केवल सकारात्मक मूल्य वर्द्धन पर अग्रिम लाइसेंस जारी कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जहां निविष्टि–उत्पादन संबंधी मानदंड निर्धारित किये जाते हैं, वहां शुल्क मुक्त अग्रिम लाइसेंस जारी करने के लिये सरकार की नीति आयात–निर्यात नीति 1997–2002 के अध्याय–7 में दी गयी है। जिसके अनुसार इस प्रकार के लाइसेंसों को सकारात्मक मूल्य–वर्धन के साथ जारी करना अपेक्षित होता है तथापि, जिन निर्यातों के लिये भुगतान मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त नहीं होते हैं (क्रियाविधि पुस्तिका की परिशिष्ट–39), उन निर्यातों के लिये मूल्यवर्धन 33 प्रतिशत या पुस्तिका (खंड-II) में निर्दिष्ट मूल्यवर्धन के प्रतिशत जो भी अधिक हो की अपेक्षा होती है। सभी क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के लिये उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है।

दिवालिया संहिता

2014. श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री समर चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक व्यापक निगम दिवालिया संहिता तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित कर दिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) जी, हां। 'कंपनियों के दिवालियापन और परिसमापन से संबंधित विधि पर उच्च स्तरीय समिति' की सिफारिशों के आधार पर और मंत्रियों के समूह की राय पर विचार करने के बाद, एक विधेयक अर्थात कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 की पुरःस्थापना अंतिम चरण में है। कंपनियों के दिवालियापन और परिसमापन से संबंधित विधि पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

– संविधान के अनुच्छेद 323ख के अधीन एक राष्ट्रीय अधिकरण की स्थापना की जाये। वर्तमान में कंपनी विधि बोर्ड/बीआईएफआर/एएआईएफआर/उच्च न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार इस अधिकरण को सौंपे जायें।

– रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम एसआईसीए को निरसित किया जाये।

– कंपनियों के स्वैच्छिक परिसमापन को प्रोत्साहित किया जाये।

– 10 लाख रुपये की न्यूनतम पूंजी वाली कंपनियों द्वारा ही परिसमापन की याचिकायें प्रस्तुत की जायें।

– लेनदारों को 1 लाख रुपये से अधिक के ऋण की चूक और 50 निवल मूल्य का ह्रास राष्ट्रीय अधिकरण के लिये कंपनियों के स्वैच्छिक परिसमापन और पुनरूज्जीवन का आधार होगा।

– कंपनी के कर्मचारियों और प्रतिभूत लेनदारों के दावों को एक समान माना जाये।

– अधिकारियों और सरकारी परिसमापकों को सशक्त एवं आधुनिक बनाया जाये।

– कंपनियों के पुनरूज्जीवन, पुनरुद्धार और कंपनियों की आस्तियों की संरक्षण/सुरक्षा के लिये केंद्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन एक निधि सृजित की जाये।

– परिसमापन के उपाय दो वर्ष की समय–सीमा के अंदर पूरे किये जायें।

– व्यावसायिकों को परिसमापकों के रूप में नियुक्त किया जाये, सरकार उनके अभिनियोजन के लिये ऐसे व्यावसायिकों की सूची तैयार करे।

निम्न गुणवत्ता वाला वनस्पति तेल

2015. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या 2000–2001 के दौरान देश में उत्पादक इकाइयों से लिये गये वनस्पति तेल के 2454 नमूनों में से 78 नमूने गुणवत्ता स्तर के अनुरूप नहीं पाये गये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने उत्पादकों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये और उनमें से कितनों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई;

(घ) क्या पोषण निगरानी ब्यूरो द्वारा किये गये अध्ययन से यह पता लगा है कि भारत में विटामिन 'ए' की कमी का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के 0.5 प्रतिशत के स्तर से कम है;

(ङ) यदि हां, तो क्या कुछ नमूने प्रवण बिंदु और विटामिन 'ए' की कमी के संबंध में खरे नहीं उतरे; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) जी, हां। जिन यूनिटों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है, उनकी संख्या के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

अस्वीकृत नमूनों की संख्या	संबंधित यूनिटों की संख्या	शुरू की गई कार्रवाई
41	6	अभियोजन हेतु संबंधित राज्य सरकार को भेजा गया।
28	15	भविष्य में सावधान रहने के लिये संबंधित यूनिटों को चेतावनी दी गई।
3	1	ट्रायल उत्पादन में से विश्लेषण हेतु नये आवेदकों के नमूने लिये गये और तदनुसार सुधारात्मक उपाय करने हेतु परामर्श दिया गया।
6	1	यूनिट से प्राप्त उत्तर के आधार पर संबंधित अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
78	23	

(घ) आठ राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा में ग्रामीण क्षेत्रों में 1996-97 में राष्ट्रीय पोषण मानिटरिंग ब्यूरो द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चलता है कि स्कूल जाने की आयु से कम आयु वाले बच्चों में "बाइयट स्पट", जो विटामिन "ए" की कमी का स्वीकृत निशान है, 0.8 प्रतिशत में मौजूद है।

(ङ) और (च) जी, हां। जैसा कि भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, चूककर्ता यूनिटों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना

2016. श्री राजो सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड में गत तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने बेरोजगार युवकों ने ऋण के लिये आवेदन किया;

(ख) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बैंक द्वारा ऋण प्रदान करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और उक्त अवधि के दौरान बैंकों द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि स्वीकृत और प्रदान की गई तथा इससे कितने युवा लाभान्वित हुए;

(ग) आज की तिथि तक बिहार और झारखंड में कितने आवेदन लंबित हैं और ऋण स्वीकृत करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने और ऋण प्राप्त करने में युवाओं के सम्मुख आ रही कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, झारखंड राज्य सहित बिहार राज्य में वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 (अनन्तिम) के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के तहत ऋण देने हेतु प्रत्येक बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य, पीएमआरवाई के तहत ऋणों के लिये आवदेन करने वाले युवाओं की संख्या लाभग्राहियों की संख्या, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मंजूर और संवितरित राशि संलग्न विवरण I, II, और III में दर्शाई गई है। नये बने झारखंड राज्य के लिये अलग आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) बिहार (झारखंड राज्य सहित) में पीएमआरवाई के तहत आज की तारीख तक 3257 आवेदन पत्र लंबित हैं। ऋण मंजूरी में विलंब के कारणों में ऋणकर्ताओं द्वारा क्रियाकलाप शुरू करने के लिये समय पर लाइसेंस/बिजली का कनैक्शन प्राप्त न कर पाना, परिसर प्राप्त न कर पाना, ऋण मंजूरी के लिये पूर्वापेक्षित औपचारिकतायें पूरी करने में विलंब तथा अपर्याप्त प्रशिक्षण सुविधायें शामिल हैं।

(घ) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएमआरवाई

के तहत ऋण प्राप्त करना सुकर बनाने के लिये निम्नलिखित उपाये किये हैं :

(i) नवविवाहित महिलाओं को आवास संबंधी मानदंड से छूट दी गई है, इसके स्थान पर पीएमआरवाई के तहत विवाहित लाभग्राहियों की ससुराल वालों के लिये लागू पति का आवास संबंधी मानदंड लागू होगा।

(ii) संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करने की सीमा लघु क्षेत्र में 5 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है।

(iii) आवास के प्रमाण के रूप में राशन–कार्ड स्वीकार किया गया है।

(iv) पारिवारिक आय की उच्चतम सीमा बढ़ाकर 40,000/– रुपये वार्षिक कर दी गई है।

विवरण-I

झारखंड सहित बिहार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पी. एम. आर. वाई. के अंतर्गत वर्ष 1998–99 के दौरान लक्ष्य एवं उनके द्वारा मंजूर एवं संवितरित ऋणों को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

बैंक का नाम	लक्ष्य	प्राप्त आवेदन	कुल मंजूर ऋण		कुल संवितरित ऋण	
		संख्या	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	6245	8880	3368	2783.00	2088	1555.00
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	80	87	33	27.23	33	26.58
इलाहाबाद बैंक	1488	1677	777	651.00	624	492.50
आंध्रा बैंक	18	36	6	5.40		
बैंक ऑफ बड़ौदा	640	706	344	280.00	292	231.00
बैंक ऑफ इंडिया	2064	2906	1215	1005.00	1172	947.00
केनरा बैंक	745	932	385	185.61	293	172.93
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2521	3126	1468	1196.00	1280	986.27
कार्पोरेशन बैंक	21	31	8	6.35	5	3.25
देना बैंक	68	48	12	10.25	12	10.25
इंडियन बैंक	144	179	58	46.13	47	35.94
इंडियन ओवरसीज बैंक	98	234	101	83.89	62	44.54
ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	11	66	32	31.49	32	28.90
पंजाब नेशनल बैंक	3197	3339	1812	1721.26	1433	1175.02
पंजाब एंड सिंध बैंक	67	103	33	26.15	24	21.84
सिंडिकेट बैंक	156	241	81	16.73	35	22.61

1	2	3	4	5	6	7
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	584	527	366	303.36	308	242.98
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	815	459	140	106.07	109	80.67
यूको बैंक	1245	1279	553	521.00	460	368.00
विजया बैंक	64	104	55	45.39	50	43.53
फेडरल बैंक लि.	20	15	5	5.00	5	5.00
सरकारी एवं गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल योग	20291	24975	10852	9056.31	8364	6493.81

विवरण-II

झारखंड सहित बिहार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पी. एम. आर. वाई. के अंतर्गत वर्ष 1999–2000 के दौरान लक्ष्य एवं उनके द्वारा मंजूर एवं संवितरित ऋणों को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

बैंक का नाम	लक्ष्य	प्राप्त आवेदन	कुल मंजूर ऋण		कुल संवितरित ऋण	
		संख्या	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	6640	7365	3579	3099.00	2402	1885.00
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	62	108	39	37.63	34	32.07
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	4	2				
इलाहाबाद बैंक	1582	1157	656	629.00	532	411.10
आंध्रा बैंक						
बैंक ऑफ बड़ौदा	680	528	364	287.00	256	215.00
बैंक ऑफ इंडिया	2097	2170	1154	966.00	811	685.00
केनरा बैंक	792	1132	649	572.56	305	193.64
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2680	1528	1260	1116.46	1060	855.22
कार्पोरेशन बैंक	21	36	5	3.50	3	2.50
देना बैंक	68	68	3	2.75	3	2.75
इंडियन बैंक	148	157	46	38.51	44	35.93
इंडियन ओवरसीज बैंक	104	163	71	57.84	42	26.87

1	2	3	4	5	6	7
ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	26	48	20	15.56	20	15.56
पंजाब नेशनल बैंक	3400	1779	1642	1530.78	1302	1093.57
पंजाब एंड सिंध बैंक	67	87	12	10.00	6	4.00
सिंडिकेट बैंक	255	101	113	71.94	63	49.94
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	624	520	359	320.83	329	271.06
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	670	450	223	183.92	153	125.05
यूको बैंक	1324	578	483	479.00	321	277.56
विजया बैंक	68	101	60	54.62	60	52.99
फेडरल बैंक लि.	16	7	7	6.55	7	6.43
सरकारी एवं गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल योग	21328	19385	10745	9483.45	7753	6208.24

विवरण-III

झारखंड सहित बिहार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पी. एम. आर. वाई. के अंतर्गत वर्ष 2000–01 के दौरान लक्ष्य एवं उनके द्वारा मंजूर एवं संवितरित ऋणों को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

बैंक का नाम	लक्ष्य	प्राप्त आवेदन	कुल मंजूर ऋण		कुल संवितरित ऋण	
		संख्या	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	6665	6795	3596	3166.00	2385	1873.00
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	57	110	43	40.09	28	24.34
इलाहाबाद	1592	1655	648	424.00	424	370.20
आंध्रा बैंक	19	24	5	4.37		
बैंक ऑफ बड़ौदा	690	676	297	262.00	175	118.00
बैंक ऑफ इंडिया	1930	2870	1253	1147.00	602	454.00
केनरा बैंक	802	1174	673	422.32	270	247.32
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2718	2088	1230	1353.89	800	636.24
कार्पोरेशन बैंक	21	35	9	6.26	7	5.26

1	2	3	4	5	6	7
देना बैंक	68	36	11	9.00	11	9.00
इंडियन बैंक	153	167	72	59.46	41	27.35
इंडियन ओवरसीज बैंक	101	232	95	72.54	63	48.59
ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	22	47	14	11.62	8	6.87
पंजाब नेशनल बैंक	3415	2554	1785	1659.42	852	732.89
पंजाब एंड सिंध बैंक	77	23	7	6.93	5	5.73
सिंडिकेट बैंक	166	261	107	88.64	57	39.82
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	621	704	352	319.67	174	204.06
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	676	416	127	106.36	116	86.15
यूको बैंक	1324	646	131	125.00	114	104.43
विजया बैंक	68	75	32	27.92	24	19.16
फेडरल बैंक लि.	12	18	4	3.50	3	2.63
सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल योग	21197	21106	10491	9316.19	6159	5015.04

[अनुवाद]

विश्व बैंक से ऋण

2017. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विश्व बैंक से कितना ऋण लिया है;

(ख) यह ऋण किस प्रयोजन हेतु लिया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान दिये गये ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) विश्व बैंक के साथ वर्ष 1998-99 से 2000-01 के दौरान हस्ताक्षरित करार तथा वर्ष 1998-99 से 2000-01 के दौरान संवितरण।

(अनन्तिम आंकड़े)

क्र.सं.	परियोजना का विवरण	राज्य	मि. अमरीकी डालर राशि	संवितरित अवधि		
				1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4	5	6	7
1998-99—ऋण						
1.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना	केंद्रीय	196.200	0.000	0.000	0.000
2.	उ. प्र. विविधीकृत कृषि सहायता परियोजना	उत्तर प्रदेश	128.500	0.000	0.000	0.000

1	2	3	4	5	6	7
3.	आ. प्र. आर्थिक पुनर्संरचना	आंध्र प्रदेश	543.200	32.384	40.184	44.032
4.	आंध्र प्रदेश विद्युत क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	210.000	10.169	45.228	40.895
5.	केरल वानिकी परियोजना	केरल	28.800	2.817	3.483	4.235
6.	उड़ीसा स्वास्थ्य व्यवस्था विकास परियोजना	उड़ीसा	76.400	2.583	0.467	2.013
7.	ग्रामीण महिला विकास परियोजना	बिहार	19.500	0.000	1.219	0.348
8.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य व्यवस्था विकास परियोजना	महाराष्ट्र	134.000	2.254	0.090	0.946
9.	उ. प्र. सोडायुक्त भूमि-II परियोजना	उत्तर प्रदेश	194.100	0.000	5.505	14.081
1999-2000—ऋण						
1.	समेकित जलसंभार विकास	बहु–राज्यीय (जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक)	135.000	0.000	0.850	0.000
2.	द्वितीय तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना	तमिलनाडु	105.000	0.000	14.496	48.375
3.	राजस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा	राजस्थान	81.900	0.000	2.533	2.788
4.	महिला और बाल विकास परियोजना	बहु–राज्यीय (केरल, राजस्थान)	289.250	0.000	7.229	19.320
5.	राष्ट्रीय एचआईवी/एड्स नियंत्रण परियोजना	राजस्थान	194.750	0.000	3.637	28.163
6.	उ. प्र. III डी पी ई पी	उत्तर प्रदेश	182.400	0.000	0.000	17.720
2000-2001—ऋण						
1.	उ. प्र. राजकोषीय सुधार तथा सार्वजनिक क्षेत्र पुनर्संरचना कार्यक्रम	उत्तर प्रदेश	251.270	0.000	0.000	126.270
2.	उ. प्र. विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	उत्तर प्रदेश	150.000	0.000	0.000	13.947
3.	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास परियोजना	केंद्रीय	130.000	0.000	0.000	0.000
4.	तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग	केंद्रीय	516.000	0.000	0.000	30.160
5.	दूरसंचार क्षेत्र सुधार तकनीकी सहायता परियोजना	केंद्रीय	62.000	0.000	0.000	3.620
6.	गुजरात राजमार्ग परियोजना	गुजरात	381.000	0.000	0.000	33.000
7.	राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	राजस्थान	180.000	0.000	0.000	15.000
8.	आर्थिक सुधार परियोजना हेतु तकनीकी सहायता	केंद्रीय	45.000	0.000	0.000	1.169
9.	टीकाकरण अभियान को सुदृढ़ बनाना	केंद्रीय	142.600	0.000	0.000	22.964
10.	उ. प्र. स्वास्थ्य व्यवस्था विकास कार्यक्रम	उत्तर प्रदेश	110.000	0.000	0.000	2.254

1	2	3	4	5	6	7
11.	आं. प्र. जिला गरीबी उपक्रम परियोजना	आंध्र प्रदेश	111.000	0.000	0.000	3.227
12.	राजस्थान जिला गरीबी उपक्रम परियोजना	राजस्थान	100.000	0000	0.000	2.878
13.	तृतीय तकनीकी शिक्षा परियोजना	केंद्रीय	64.900	0.000	0.000	2.151
14.	म. प्र. जिला गरीबी उपक्रम परियोजना	म. प्र.	110.010	0.000	0.000	2.718
15.	केरल ग्रामीण जलापूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना	केरल	65.500	0.000	0.000	1.575

भारतीय ट्रेड मार्क को संरक्षण

2018. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ ने विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यू.आई.पी.ओ.) और औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग के साथ "भारत और विदेश में ट्रेड मार्कों का संरक्षण" विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें भाग लेने वालों और उनके द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और फिक्की के सहयोग से औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा 17–18 जुलाई, 2001 और 19–20 जुलाई, 2001 को क्रमशः मुंबई और नई दिल्ली में "भारत और विदेश में अपने व्यापार चिह्नों के संरक्षण" पर दो राष्ट्रीय संगोष्ठियां आयोजित की गईं।

(ख) और (ग) इन संगोष्ठियों में शिक्षाविदों, व्यापार चिह्न न्यायवादियों/अधिवक्ताओं और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इन संगोष्ठियों में नया व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999, उसके अधीन बनाई गई पद्धतियां और व्यापार चिह्नों का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिये आसान संधियों से संबंधित अनेक मुद्दे शामिल थे। इसमें इंटरनेट पर व्यापार चिह्नों का संरक्षण, अधिकार नामों से संबंधित पहलुओं के संकल्प, व्यापार चिह्न लाइसेंसीकरण और भौगोलिक संकेतों का संरक्षण सम्मिलित था। संगोष्ठियों का केंद्र बिंदु उपयोगकर्ताओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण से संबंधित जागरूकता पैदा करना था।

राज-सहायता प्राप्त खाद्यान्नों का वितरण

2019. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री एम. वी. चंद्रशेखर मूर्ति :
श्री रघुनाथ झा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा उच्च राज–सहायता प्राप्त मूल्यों पर उपलब्ध कराये गये खाद्यान्नों का गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों में वितरण करने में विफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिये राज्यों विशेषकर बिहार को आबंटित खाद्यान्न खुले–आम खुले बाजार में बिक रहे हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार को इस तथ्य की जानकारी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने और इसमें आगे कार्यवाही करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बिक्री को रोकने हेतु इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का उठान और इनका वितरण लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य और खुले बाजार मूल्यों के बीच अंतर, खुले बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता, गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति, आहार आदतों आदि जैसे अनेक घटकों पर निर्भर करता है। 2000–2001 के दौरान

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिये आबंटित खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की मात्रा, उठान की गई मात्रा और उठान प्रतिशत के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) से (च) लोक सभा के संसद सदस्य श्री राम चंद्र पासवान से बिहार में बिरोल, रोसदा और दरभंगा जिलों में भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधक और अन्य डीलरों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिये आबंटित खाद्यान्नों की कालाबाजारी करने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी। चूंकि राज्य खाद्य निगम राज्य सरकार के दायरे में आता है इसलिये बिहार सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह मामले की जांच करे और संसद सदस्य तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को इस मामले में की गई कार्रवाई से अवगत कराये।

विवरण

2000–2001 (अप्रैल, 2000 से मार्च, 2001) के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिये आबंटित, उठान की गई मात्रा और उठान प्रतिशतता के राज्यवार ब्यौरे बताने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल			गेहूं		
		आबंटन	उठान	उठान %	आबंटन	उठान	उठान %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1316.648	923.047	70.11	0.000	0.000	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.384	15.828	86.10	1.840	0.278	15.11
3.	असम	457.428	374.143	81.79	0.000	0.000	0.00
4.	बिहार	750.840	131.445	17.51	1126.260	428.651	38.06
5.	छत्तीसगढ़	99.228	76.400	76.99	28.428	2.555	8.99
6.	दिल्ली	0.000	0.000	0.00	24.540	10.501	42.79
7.	गोवा	6.230	1.483	23.80	2.874	0.361	12.56
8.	गुजरात	343.526	113.962	33.17	565.287	284.423	50.31
9.	हरियाणा	0.000	1.640	0.00	175.918	47.763	27.15
10.	हिमाचल प्रदेश	34.947	21.755	62.25	67.369	24.700	36.66
11.	जम्मू व कश्मीर	112.800	64.649	57.31	35.520	5.993	64.73
12.	झारखंड	73.800	14.150	19.17	110.700	72.526	65.52
13.	कर्नाटक	568.272	527.845	92.89	142.068	135.560	95.42
14.	केरल	365.144	417.011	114.20	0.000	0.000	0.00
15.	मध्य प्रदेश	468.496	278.330	59.41	665.612	277.928	41.76
16.	महाराष्ट्र	512.504	341.107	65.41	968.580	619.256	63.93
17.	मणिपुर	31.214	18.670	59.81	0.000	0.000	0.00
18.	मेघालय	34.354	30.106	87.63	0.000	0.003	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	मिजोरम	13.940	13.938	99.98	0.000	0.000	0.00
20.	नागालैंड	18.480	17.944	97.10	4.560	3.043	66.73
21.	उड़ीसा	949.922	659.580	69.44	102.300	0.000	0.00
22.	पंजाब	16.800	0.364	2.17	89.436	10.756	12.03
23.	राजस्थान	23.595	1.141	4.84	850.575	321.592	37.81
24.	सिक्किम	8.916	5.875	65.89	0.000	0.000	0.00
25.	तमिलनाडु	1121.664	1131.124	100.84	0.000	0.000	0.00
26.	त्रिपुरा	55.450	53.567	96.60	0.000	0.000	0.00
27.	उत्तरांचल	22.172	0.000	0.00	11.840	0.000	0.00
28.	उत्तर प्रदेश	741.628	320.906	43.27	1537.660	887.713	57.73
29.	पश्चिम बंगाल	676.064	305.853	45.24	577.496	493.111	85.39
30.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	3.604	3.020	83.79	1.680	1.737	103.39
31.	चंडीगढ़	0.480	0.000	0.00	3.838	0.000	0.00
32.	दादरा व नगर हवेली	2.899	2.078	71.68	0.725	0.364	50.20
33.	दमन व दीव	0.532	0.211	39.65	0.268	0.014	5.22
34.	लक्षद्वीप	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.00
35.	पांडिचेरी	17.088	7.510	43.95	0.000	0.000	0.00
	जोड़	8876.049	5874.682	66.19	7095.374	3645.828	981.487

टिप्पणी : आबंटन के आंकड़ों में आपदा राहत आदि के लिये गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर किये गये अतिरिक्त आबंटन आदि शामिल हैं।

तस्करी की सिगरेटों पर सीमा शुल्क के छापे

2020. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग ने गत छह माह के दौरान देश र में तस्करी द्वारा लाई गई निषिद्ध सिगरेटों के विरुद्ध छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो छापा मारे गये स्थानों का ब्यौरा क्या है और जब्त की गई सिगरेटों की मात्रा और बाजार मूल्य कितना है; और

(ग) तस्करी की ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा राजस्व आसूचना निदेशालय के साथ तालमेल करके 29.5.2001 को अखिल भारतीय स्तर पर छापे मारे गये थे।

(ख) जमशेदपुर, अमृतसर, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, अहमदाबाद, चेन्नई, लखनऊ, रायपुर, मुंबई, तिरूचिरापल्ली, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, हैदराबाद, भोपाल और इंदौर स्थित सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों द्वारा मारे गये

छापों के दौरान कुल मिलाकर 14.69 लाख रुपये मूल्य (लगभग) के 8855 कार्टनों और 41627 पैकेटों की कुल मात्रा जब्त की गई है।

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों को देश में सिगरेटों तथा अन्य निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी की रोकथाम के लिये प्रयासों में तेजी लाने के लिये सतर्क कर दिया गया है।

[हिन्दी]

सहकारी बैंकों को घाटे

2021. श्री माणिकराव होडल्या गावित :
श्री ए. नरेंद्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में राज्य–वार कितने सहकारी बैंक अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में हैं;

(ख) ऐसे कौन–कौन से बैंक घाटा उठा रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन बैंकों को कितना घाटा हुआ;

(घ) इन्हें घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इनके कार्यनिष्पादन में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

क्षेत्र प्रचार निदेशालय द्वारा की गई खरीद

2022. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री क्षेत्र प्रचार निदेशालय द्वारा की गई खरीद के बारे में 27.4.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6179 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अपेक्षित सूचना कब तक एकत्रित कर लिये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) मामले की अभी जांच की जा रही है। जांच के लिये रिकार्डों तथा यदि आवश्यक हुआ तो व्यक्तियों की बड़ी संख्या को देखते हुए इस स्तर पर एक समय सीमा बताना संभव नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा यू. टी. आई. में निवेश

2023. श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के किन–किन उपक्रमों ने यू. एस. 64 में निवेश किया है और विनिवेश के समय से ही रुग्ण चले आ रहे हैं;

(ख) यू. एस. 64 में धन झोंकने के क्या कारण हैं;

(ग) यू. एस. 64 में कुल कितना धन लगाया गया;

(घ) सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों द्वारा उपक्रम–वार उगाहे गये अनुमानित लाभांश का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस पूरे मामले की जांच कराई गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चावल

2024. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के कटिहार स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गत डेढ़ वर्ष से अधिक की अवधि से आठ हजार

मीट्रिक टन 'अरवा' चावल और तीन हजार मीट्रिक टन 'उसना' चावल पड़ा हुआ है;

(ख) क्या वहां उचित रखरखाव के अभाव में चावल सड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने चावल के भंडार को सड़ने से बचाने हेतु कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार कटिहार में भारतीय खाद्य निगम के डिपो में केवल 10,800 टन सेला चावल की मात्रा उपलब्ध है। इस स्टॉक के रखे होने के वर्षवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

एक वर्ष तक पुराना	1 से 2 वर्ष तक पुराना	जोड़
10391 टन	409 टन	10,800 टन

इस तारीख को इस डिपो में रॉ चावल उपलब्ध नहीं था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों का भंडारण वैज्ञानिक तरीके से बने गोदामों और वैज्ञानिक ढंग से करता है। नियमित अंतराल पर आवधिक निरीक्षण करके स्टॉक की गुणवत्ता और स्थिति की मानीटरिंग की जाती है। खाद्यान्नों के स्टॉक का परिरक्षण करने के लिये आवश्यक रोग–निरोधी और रोग–हर कीट–जंतुबाधा नाशी उपचार किये जाते हैं।

कार्यक्रम सलाहकार समिति

2025. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदनगर (महाराष्ट्र) में दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिये कार्यक्रम सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं और इन समितियों को कब तक गठित कर दिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को इन समितियों की सदस्यता पाने हेतु कोई आवेदन मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अहमदनगर स्थित स्थानीय रेडियो केंद्र तथा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यक्रम सलाहकार समिति रखने हेतु पात्र नहीं हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

2026. श्री पी. डी. एलानगोवन :
श्री सुरेश कुरूप :
श्री शमशेर सिंह दूलो :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विनिवेश नीति को शुरू किये जाने के बाद जिन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अभी तक विनिवेश किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विनिवेश के द्वारा वर्ष–वार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम–वार कुल कितनी धनराशि जुटाई गई;

(ग) उक्त धनराशि का किस कार्य हेतु उपयोग किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार विनिवेश नीति पर श्वेत–पत्र जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) वर्ष 1991–1992 से लेकर 2000–2001 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमवार, वर्षवार विनिवेश से जुटाई गई राशि के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) विनिवेश की प्राप्तियों को भारत सरकार की अन्य प्राप्तियों के समान ही भारत के संचित कोष में जमा कराया

गया है। भारत के संचित कोष के व्यय में आधारभूत क्षेत्र का परिव्यय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पुनर्संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण आदि जैसे सामाजिक क्षेत्रों का व्यय शामिल होता है। इन प्रयोजनों के लिये किया गया व्यय, विनिवेश की प्राप्तियों से कहीं अधिक था। वर्ष 2001–2002 के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि विनिवेश से जुटाई गई राशि का उपयोग कर्मचारियों को सुरक्षा कवच प्रदान करने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना में सहायता प्रदान करने, सार्वजनिक ऋण से मुक्ति पाने तथा सामाजिक तथा आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में किया जायेगा।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। श्वेत–पत्र का आशय किसी मुद्दे या घटना पर सूचना अथवा सरकार के प्रस्तावों को सन्निहित करना होता है। सरकार की विनिवेश नीति की घोषणा बजट भाषणों के दौरान संसद में समय–समय पर की जाती रही है। विनिवेश नीति के विभिन्न पहलुओं पर बजट बहस के दौरान संसद के दोनों सदनों में या अल्पावधिक चर्चाओं में, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के समय विस्तार से चर्चा की गई है। सरकार विनिवेश नीति से संबंधित विभिन्न मुद्दों को, संसद के दोनों सदनों में संसद प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से भी स्पष्ट करती है। अतः विनिवेश नीति स्पष्ट और असंदिग्ध रूप से बताई गई है। इस संबंध में सभी प्रकार के आवश्यक ब्यौरे प्रदान करने वाला 'विनिवेश नीति एवं प्रक्रियाएं' नामक एक मैनुअल प्रकाशित किया गया है, जिसे अन्य लोगों के साथ–साथ सभी संसद सदस्यों को वितरित किया गया है।

विवरण

1991–92 से लेकर वर्षवार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमवार विनिवेश के माध्यम से जुटाई गई राशि के ब्यौरे

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	1991–92	1992–93	1994–95	1995–96	1996–97	1997–98	1998–99	1999–00	2000–01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	एण्ड्रूल यूल									
2.	भारत अर्थ मूवर्स लि.			48.270						
3.	भारत इलेक्ट्रानिक लि.			47.169						
4.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि.		8.21	301.336						
5.	भारत पेट्रोलियम का. लि.		331.18							
6.	बोंगाई गांव रिफाईनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.		45.40							148.80
7.	सी.एम.सी. लि,									
8.	कोचीन रिफाइनरीज लि.									659.10
9.	ड्रेजिंग का. ऑफ इं. लि.									
10.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (ट्रावनकोर) लि.		1.30							
11.	एच एम टी लि.		23.38							
12.	हिंदुस्तान केबल्स लि.									
13.	हिंदुस्तान कापर लि.		8.07							
14.	हिंदुस्तान आर्गे. केमि. लि.	..	..	..						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम लि.		331.85	563.111						
16.	हिंदुस्तान फोटोफिल्म निर्माण कार्पोरेशन लि.									
17.	हिंदुस्तान जिंक लि.		81.55							
18.	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि.									
19.	इंडियन रेलवे कांट कं. लि.									
20.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि.		15.63							
21.	मद्रास रिफाइनरीज लि. (चेन्नई पेट्रो. कार्पो. लि.)									509.33
22.	महानगर टेलीफोन निगम लि.			1322.168	135.899		910.00			
23.	मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि.									
24.	नेशनल एल्यूमीनियम लि.		244.20	0.096						
25.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.		0.72	0.283						
26.	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.		17.88							
27.	नेवेली लिग्नाईट लि.		70.43							
28.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.		30.36							
29.	शिपिंग का. ऑफ इ. लि.			28.076						
30.	स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन		2.25							
31.	स्टील आथोरिटी ऑफ इंडिया लि.		700.10	22.661	13.303					
32.	विदेश संचार निगम लि.					379.67		783.68	75.00	
33.	कांटेनर का. ऑफ इ. लि.			99.714	14.118			221.65		
34.	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि.			1033.646				1208.96	162.79	
35.	ऑयल एंड नेचुरल गैस का.			1051.516	5.156			2484.96	296.48	
36.	इंजीनियर्स इंडिया लि.			67.527						
37.	गैस आथोरिटी ऑफ इंडिया लि.	..	..	194.120				671.86	945.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	इंडियन टूरिज्म डेव. कार्पोरेशन			51.985						
39.	कुद्रेमुख आइरन ओर कंपनी लि.			11.399						
40.	मॉडर्न फूड इंड. लि.								105.45	
41.	बाल्को (वित्तीय)/विनिवेश								244.52	551.50
	कुल	3038.00	1912.51	4843.077	168.476	379.67	910.00	5371.11	1829.24	1868.73

चूंकि 1991-92 में शेयरों को इकट्ठा बेचा गया, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमवार जुटाई गई राशि उपलब्ध नहीं है।

एम एम टी सी द्वारा विविधीकरण

2027. श्री अनन्त नायक : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी) ने अपनी गतिविधियों का विविधीकरण/विस्तार किया है; और

(ख) यदि हां, तो एम एम टी सी ने गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का विस्तार/विविधीकरण किया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। एम एम टी सी ने गत तीन वर्षों के दौरान खनिज एवं कीमती धातुओं के व्यापार और कुछ नये क्षेत्रों जैसे कि कोयला एवं हाइड्रोकार्बन के आयात तथा कृषि व्यापार में भी अपने कार्यकलापों का विस्तार/विविधीकरण किया है।

पाम ऑयल का आयात

2028. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत मलेशिया से पाम ऑयल का आयात करता रहा है;

(ख) क्या मलेशियाई सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह पाम ऑयल पर शुल्क कम करने पर विचार करे जिससे कि वह सोया के तेल पर लगे शुल्क की बराबरी पर आ सके;

(ग) यदि हां, तो पाम और सोया के तेल पर शुल्क की मौजूदा दरें अलग-अलग रूप में क्या हैं और इनमें अंतर के क्या कारण हैं;

(घ) क्या विभिन्न देशों से ये दोनों वस्तुएं आयात की जाती हैं और यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान उन्हें किन-किन देशों से कितनी मात्रा में आयात किया गया; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इन दो वस्तुओं के आयात शुल्क ढांचे की समीक्षा करने का है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) क्रूड पाम तेल और क्रूड सोयाबीन तेल पर सीमा शुल्क क्रमशः 75 प्रतिशत और 45 प्रतिशत है। आर.बी.डी. पामोलीन और रिफाइंड सोयाबीन तेल पर सीमा शुल्क क्रमशः 85 प्रतिशत और 45 प्रतिशत है। परिष्कृत तेल के आयात पर 4 प्रतिशत की दर पर विशेष अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। सोयाबीन तेल पर कम शुल्क विश्व व्यापार संगठन की बाध्यता के कारण है।

(घ) जी, हां। पिछले दो वर्षों के दौरान इन तेलों के आयात के देशवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ङ) घरेलू तिलहन उत्पादकों, उपभोक्ताओं और संसाधकों के हितों में सामंजस्य स्थापित करने और यथासंभव सीमा तक खाद्य तेलों के अत्यधिक आयात को नियमित करने के लिये खाद्य तेलों के शुल्क ढांचे में समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

विवरण

वस्तुएं	देश	मात्रा (कि.ग्रा. में)	
		अप्रैल, 99 से मार्च, 2000	अप्रैल, 2000 से फरवरी, 2001
1	2	3	4
सोयाबीन क्रूड तेल डब्ल्यू/एन डेगुम्मद	अर्जेंटीना	12710325	152095758
	इंडोनेशिया	1500000	–
	ब्राजील	–	19712000
	इटली	–	250000
	मलेशिया	–	2251456
	दक्षिण अफ्रीका	2000000	7500000
	थाईलैंड	–	4298344
	यू एस ए	–	6189230
अन्य सोयाबीन तेल और इसके घटक	अर्जेंटीना	300201752	254923878
	ब्राजील	183374683	40082000
	कनाडा	23000	–
	जर्मन संघ गणराज्य	2123000	–
	डेनमार्क	–	20000
	इंडोनेशिया	1000000	–
	मलेशिया	266390	1465
	नीदरलैंड	6500000	500000
	सऊदी अरब	2700000	–
	कोरिया गणराज्य	–	1000
	दक्षिण अफ्रीका	12103322	20396050
	स्विट्जरलैंड	–	20000
	थाईलैंड	–	250000
	यू एस ए	75322785	40290462
क्रूड पाम तेल और इसके घटक	इंडोनेशिया	64093405	578454865
	अर्जेंटीना	–	250000
	मलेशिया	31322326	231074979
	थाईलैंड	2044256	17296520
	चीन तेपाई	–	500000
	जर्मन संघ गणराज्य	–	1000000
	इटली	–	1000000
	सिंगापुर	–	3743311
	दक्षिण अफ्रीका	–	500000
	यू एस ए	–	2462000
संसाधित पाम तेल और इसके घटक	आस्ट्रेलिया	750000	750000
	अर्जेंटीना	–	6849000
	ब्राजील	500000	–
	कनाडा	750000	–
	चीन पी.आर.पी.	499000	700000
	जर्मन संघ गणराज्य	250000	–
	इंडोनेशिया	646088692	592151555
	जापान	6481000	–
	मलेशिया	2090565965	1236654554
	नीदरलैंड	1000000	4829000
	सिंगापुर	11093890	1521712
	थाईलैंड	500000	6462500
	यूक्रेन	1098000	–
	यू एस ए	11392724	500000

स्रोत : विदेश व्यापार महानिदेशालय।

निजी बैंकों द्वारा प्रवर्तकों का हिस्सा कम करने की योजना

2029. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने चार नये निजी बैंकों आई.डी.बी.आई. बैंक, इंडसइंड बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक और यू.टी.आई. बैंक से प्रवर्तकों का हिस्सा कम करने की उनकी योजनाएं भेजने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इन चार बैंकों ने कहां तक अपनी योजनाएं भेजी हैं; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने कहां तक इनका निरीक्षण किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ये बैंक इस संबंध में प्रस्ताव पर कार्य कर रहे हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक को उनसे सुनिश्चित एवं अंतिम योजना की प्रतीक्षा है।

अहमदाबाद में हवाला रैकेट

2030. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में अहमदाबाद में हवाला रैकेट का रहस्योद्घाटन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितना सामान पकड़ा गया और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये; और

(घ) इसमें संलिप्त कंपनियों और व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) प्रवर्तन निदेशालय के अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने आश्रम एक्सप्रेस में लगे लगेज वैन से 3.35 करोड़ रुपये मूल्य की भारतीय मुद्रा, सोने के बिस्कुट, चांदी की छड़ें, हीरे तथा जवाहरात जब्त किये थे। इसे एक हवाला रैकेट होने का संदेह किया गया है तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत मामले की जांच की जा रही है। तथापि, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि उक्त अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) लगेज वैन को उत्तर रेलवे से मैसर्स जे. एस. गुर्जर एंड पार्टनर्स, अहमदाबाद के लिये लीज पर लिया गया था। मामले में आगे जांच की जा रही है तथा जांच पूरी होने पर कानून के तहत उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार

2031. श्री सुबोध मोहिते : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्वार की खरीद और बिक्री के संबंध में खाद्यान्न व्यापारियों और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के बीच हुई सांठगांठ के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी सांठगांठ से भारतीय खाद्य निगम को कितनी हानि हुई और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर
काले धन का प्रभाव

2032. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :
श्री उत्तमराव पाटील :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काले धन की अनुमानित राशि कितनी है;

(ख) भारतीय अर्थव्यवस्था पर काले धन के आर्थिक प्रभावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने काले धन के प्रवाह को रोकने के लिये कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) इस मंत्रालय के अनुरोध पर राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा वर्ष 1983–84 में किये गये अध्ययन के अनुसार, अनुमानित अप्रकटित धनराशि 31584 करोड़ रुपये और 36786 करोड़ रुपये के बीच थी। इस मंत्रालय के अनुरोध पर कोई आगे अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के अध्ययन में अवैध धन के कुछेक आर्थिक परिणामों जैसे अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति के संबंध में गलत सूचना, राजस्व की हानि, स्रोत आबंटन के लिये प्रतिकूल विवक्षा, आय संवितरण एवं आर्थिक नीति आदि का उल्लेख किया गया है।

(ग) और (घ) अवैध धन के सृजन और प्रवाह को रोकने के लिये आवश्यक विधायी, आर्थिक एवं प्रशासनिक उपाय सतत

रूप से किये जाते हैं। कराधान की दरों को उत्तरोत्तर रूप से युक्तिसंगत बनाया गया है। आयकर अधिनियम में विभिन्न उपबंधों जैसे धारा 44 एए/44 एबी के अंतर्गत उचित मामलों में खातों का अनिवार्य रूप से रख–रखाव/उनकी लेखा–परीक्षा, धारा 40 एए (3), 299 एसएस, 269 टी के अंतर्गत नकदी लेनदेनों पर प्रतिबंध, संपत्तियों की पूर्व क्रमाधिकार खरीद और कर चूककर्ताओं को दंडित करने के लिये अर्थदंड/अभियोजन आदि का मुख्य उद्देश्य अवैध धन के सृजन एवं उसके चलन को रोकना है। अवैध धन को बाहर निकालने के लिये उचित मामलों में लगातार तलाशियां एवं सर्वेक्षण किये जाते हैं। विभिन्न वित्तीय लेनदेनों के बारे में आयकर विभाग की केंद्रीय सूचना शाखाओं द्वारा सामान्य सूचना एकत्र की जाती है। विवरणियां दायर करने और करों का भुगतान करने के लिये प्रक्रियाओं के सरलीकरण हेतु निर्देश भी दिये जाते हैं जिससे करदाताओं द्वारा अधिक अनुपालन किया जा सके और इससे कर अपवंचन पर रोक लगेगी।

कॉफी बोर्ड की शाखाएं

2033. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कॉफी बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में कॉफी बेची गई;

(ख) क्या कॉफी बार्ड अपने बिक्री सेवा नेटवर्क का विस्तार करने पर विचार कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उन नये क्षेत्रों के राज्य–वार नाम क्या हैं जहां कॉफी बोर्ड वर्ष 2001–2002 के दौरान अपनी नई शाखाएं स्थापित करना चाहता है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) कॉफी बोर्ड द्वारा अपने संवर्धनात्मक केंद्रों के जरिए प्रति वर्ष लगभग 150 मी. टन कॉफी की मात्रा की बिक्री की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पेटेन्ट कार्यालय

2034. डा. वी. सरोजा : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पेटेन्ट कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कार्यालय को स्थापित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त कार्यालय को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) से (ङ) सरकार ने राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालय की स्थापना सहित पेटेंट कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए एक परियोजना मंजूर की है। किन्तु, कोलकाता के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के कारण राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालय की स्थापना करना संभव नहीं है। इस स्थिति में, सरकार ने नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई स्थित अपने कार्यालयों का आधुनिकीकरण शुरू कर दिया है। नई दिल्ली स्थित इस प्रकार के प्रथम आधुनिकीकृत कार्यालय ने 25 जुलाई, 2001 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

कृषि उत्पादों पर पाटन-निरुद्धता

2035. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि उत्पादों को पाटन–निरुद्धता के तहत लाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ पाटन–रोधी निदेशालय में विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) कृषि उत्पादों के आयात के संभावित प्रतिकूल प्रभावों पर नियंत्रण करने के लिये उठाये गये अन्य कदमों अथवा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) पाटनरोधी उपायों की शुरूआत तथा उनका निर्णय 1995 में यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क, 9ख, और 9ग में निहित हमारे राष्ट्रीय कानून के अनुसार की जाती है। पाटनरोधी मामलों का आरंभ पाटनरोधी एवं शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) द्वारा उस समय किया जाता है जब घरेलू उद्योग निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष पाटन, क्षति तथा

आयातित वस्तुओं के पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ पूर्णतः प्रलेखित याचिका दायर करता है। कृषि उत्पाद भी बाकायदा पाटनरोधी उपायों के क्षेत्र में आते हैं और इसलिये कोई विशेष सैल स्थापित करने की कोई आवश्यकता अथवा प्रस्ताव नहीं है। किसी भी कच्ची सामग्री, मध्यवर्ती वस्तुओं अथवा उपभोक्ता वस्तुओं के मामले के समान ही कृषि आयातों पर भी पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य के साथ पूर्णतः प्रलेखित याचिका के आधार पर पाटनरोधी कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। घरेलू उद्योग ने डी जी ए डी के पास निर्धारित प्रपत्र में कोई याचिका दायर नहीं की है, जिससे कि निर्दिष्ट प्राधिकारी कृषि उत्पादों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु जांच आरंभ कर सकें।

(ङ) पाटन की आशंका से निपटने के लिये सरकार द्वारा कुछ उपाय किये गये हैं, जो निम्नानुसार हैं :

(i) वर्ष 2001–02 के बजट सहित हाल ही में कुछेक मदों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है।

(ii) आयातों में वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिये रक्षोपाय कार्रवाई की जा रही है।

(iii) सार्वजनिक महत्व की संवेदनशील मदों का पता लगाने, उनके आंकड़ों का मिलान करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिये स्थाई दल का गठन किया गया है। सरकार 300 संवेदनशील मदों के आयात की निगरानी कर रही है।

(iv) सभी डिब्बा बंद वस्तुओं के आयातों को घरेलू उत्पादकों पर यथा–प्रभावी मानक भार एवं माप (डिब्बा बंद वस्तु) आदेश 1977 की शर्तों के अनुपालन के अधीन रखा जायेगा।

(v) 131 उत्पादों के आयात को घरेलू सामानों पर यथा–प्रभावी अनिवार्य भारतीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के अधीन रखा गया है। इस अपेक्षा के अनुपालन के लिये भारत को इन उत्पादों के सभी विनिर्माताओं/निर्याताकों को भारतीय मानक ब्यूरो में स्वयं को पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।

(vi) सरकार ने पाटनरोधी जांच में तेजी लाने, क्रियाविधियों को सरल और कारगर बनाने तथा घरेलू उद्योग को शीघ्र राहत प्रदान करने के लिये अनेक कदम उठाये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं–पूर्णतः प्रलेखित याचिका के प्रस्तुत होने पर तुरंत जांच शुरू करना, घरेलू उद्योग को तत्काल राहत प्रदान करने के लिये शीघ्राति–शीघ्र प्रारंभिक निष्कर्षों की सिफारिश करना तथा पाटनरोधी नियमों और क्रियाविधियों के बारे में लोगों को जानकार बनाने के लिये देश भर में सेमिनारों/कार्यशालाओं/विचार विनिमय सत्रों का आयोजन करना।

आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार बढ़ाने हेतु कदम उठाना

2036. श्री के. पी. सिंह देव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और संबंधों को सामान्य बनाने हेतु कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार आस्ट्रेलिया सहित मित्र देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिये लगातार प्रसास कर रही है। इस प्रयोजन से उठाये गये कदमों में शामिल हैं–वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता वाले संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग के संस्थागत तंत्र के तहत व्यापार से संबंधित मामलों की समीक्षा के लिये लगातार विचार–विमर्श और ऊर्जा एवं खनिज पर एक संयुक्त कार्यदल का गठन आदि। इसे व्यापार और उद्योग स्तर पर भारत–आस्ट्रेलिया संयुक्त व्यापार परिषद की नियमित बैठकों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज

2037. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 मार्च, 2001 के 'दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस' में "रेटिंग सिम्बल्स कॉज़ कन्फ्यूजन इन मार्केट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामलों के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर कोई नियंत्रण है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिये क्या कदम उठाए गये हैं जिससे कि भविष्य में बाजार में भ्रांति उत्पन्न न हो?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

निवेशक संरक्षण संबंधी रिपोर्ट

2038. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेशक संरक्षण संबंधी रिपोर्ट में विनियामक के रूप में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) की भूमिका में स्पष्ट परिवर्तन की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान परिस्थितियों के तहत भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड स्वयं को "ऑफ द फील्ड" विनियामक तक ही सीमित नहीं कर सकता है और इसके बजाय इसे अमेरिका के प्रतिभूति और विनिमय आयोग की तर्ज पर "ऑन-एंड-ऑफ दि फील्ड" विनियामक होना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो अन्य क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की भूमिका किस हद तक तय की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) डा. एन. एल. मित्रा द्वारा तैयार निवेशक संरक्षण संबंधी रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा यह सिफारिश की गई है कि भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) "ऑन तथा ऑफ दि फील्ड" दोनों प्रकार का क्षेत्र विनियामक होना चाहिए।

(ग) अन्य सिफारिशों में पूछताछ तथा जांच करने, छापे डालने, संपत्तियों की जब्ती करने तथा कुर्की करने तथा अभियोजन चलाने के लिये सेबी को अधिकार प्रदान करना, वित्तीय धोखाधड़ी के मुकदमे चलाने के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना करना, आदि शामिल हैं।

(घ) सरकार को, अन्य बातों के अलावा, निवेशक संरक्षण के लिये उपबंधों को सशक्त करने के लिये सेबी अधिनियम में विधायी परिवर्तनों का प्रस्ताव करने की आशा है।

बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2039. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबंध की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कितनी धनराशि लगी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) से (ग) फिलहाल बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण से आवश्यक लाइसेंस के अध्यधीन बीमा क्षेत्र में स्वतः मार्ग के अंतर्गत 26 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति है। अक्तूबर, 2000 में इस क्षेत्र को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिये खोल दिये जाने के पश्चात इस क्षेत्र में लगभग 250 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त हुआ है। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश पर मौजूदा इक्विटी सीमा की समीक्षा के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का संचलन

2040. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री बी. के. पार्थसारथी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को खराब प्रबंधन और दोषपूर्ण योजना के कारण खाद्यान्नों को अनावश्यक रूप से लंबी दूरी तक ढोये जाने के कारण घाटा उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले दो वर्षों के दौरान स्थानांतरित किये गये खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम पुराने ढंग से कार्य कर रहा है और क्या उसके पास खाद्यान्नों के स्थानांतरण के लिये प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है;

(घ) क्या खाद्यान्नों के स्थानांतरण और खरीद में मितव्ययता बरतने के लिये कोई उपाय किये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार खाद्यान्नों के संचलन, संभलाई और भंडारण में निजी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता। तथापि, भारतीय खाद्य निगम के खाते पर पिछले दो वर्षों के दौरान खाद्यान्नों का संचलन नीचे दिया गया है :

वर्ष	संचलन
1999–2000	221.9 लाख मी. टन
2000–2001	161.6 लाख मी. टन

(ग) से (ङ) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम संभार तंत्र और प्रचालन संबंधी आवश्यकताओं तथा खाद्यान्न प्रबंध की समूची आवश्यकता को हिसाब में लेकर खाद्यान्नों के संचलन की योजना बनाता है और उनका संचलन करता है। मितव्ययता के साथ खाद्यान्नों का संचलन और खाद्यान्नों की वसूली करने के सभी प्रयास किये गये हैं। खाद्यान्नों की वसूली और संचलन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(च) जी, हां। भारत सरकार ने खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति 4 जुलाई, 2000 को अधिसूचित की है।

(छ) उपर्युक्त में घरेलू और विदेश के सरकारी और प्राइवेट, दोनों क्षेत्र के प्रयासों तथा संसाधनों का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है। नीति में भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों के भंडारण के लिये परम्परागत भंडारण क्षमता "बनाओ और चलाओ" आधार पर सृजित और प्रचालित करने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान खाद्यान्नों की वसूली और संचलन के ब्यौरे बताने वाला विवरण

(अनन्तिम)

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	वसूली		संचलन	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
1999–2000	141.44	172.73	124.31	97.59
2000–2001	163.56	184.05	68.62	92.99

[हिन्दी]

बैंकों के बोर्ड

2041. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कितने बैंकों में नये बोर्डों का गठन किया गया है और कितने बैंकों में अभी भी पुराने बोर्ड हैं;

(ख) बैंकों के नये बोर्डों का गठन किस तारीख से किया गया है और उनका कार्यकाल कितना है; और

(ग) बैंकों के बोर्डों का गठन किन मानदंडों पर किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशकों और अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों वाली रिक्तियों को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 के उपबंधों के अनुसार स्थान रिक्त होने पर समय-समय पर भरा जाता है। वर्तमान में कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक पुराने बोर्ड के साथ कार्यरत नहीं है क्योंकि जनवरी, 2000 में राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970/1980 में संशोधन के पश्चात राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड के सभी अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक बैंकों के बोर्ड में निदेशक नहीं रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में 35 नये अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति की गई है। शेष रिक्तियों को भरने के लिये भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में संशोधन

2042. श्री भीम दाहाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार अप्रैल, 2002 से समूचे देश के लिए मूल्य वर्धित कर प्रणाली अपनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार कर अपवंचन पर नियंत्रण करने के लिये मूल्य वर्धित कर हेतु एक समान व्यापारिक कारक पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्दन) : (क) और (ख) जी, हां। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के आधार पर, केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की कतिपय धाराओं का संशोधन करने का निर्णय लिया है जिससे राज्यों द्वारा मूल्य वर्धित कर को लागू करने में सहायता मिल सके।

(ग) और (घ) राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कुछेक संशोधनों के साथ मूल्य वर्धित कर के लिये सामान्य व्यावसायिक पहचान कारक के रूप में पैन का प्रयोग करने के लिये सहमत हो गये हैं।

अनुरक्षण अनुदान

2043. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी. एस. बसवराज :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने अनुरक्षण के रूप में ई पी आई पी से निर्यात किये गये सामान के मूल्य का दो प्रतिशत हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक को कितने समय से अनुरक्षण अनुदान जारी नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा इस अनुदान के कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) कर्नाटक सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 1998 और 1999 के वर्षों के लिये उन्हें अनुरक्षण अनुदान के रूप में 81.00 लाख रू. की राशि रिलीज की गई थी। बाद के वर्ष के लिये अनुरक्षण अनुदान रिलीज करने के लिये राज्य सरकार से निर्धारित दस्तावेजों सहित एक प्रस्ताव की प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

यूटीआई के पूर्व अध्यक्ष के निवास पर सीबीआई का छापा

2044. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीबीआई द्वारा हाल ही में यूएस–64 घोटाले के संबंध में यूटीआई के पूर्व अध्यक्ष के कार्यालय और अन्य संबंधित व्यक्तियों के आवासीय परिसरों में छापे मारे गये;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मारे गये छापों का ब्यौरा क्या है;

(ग) छापों के दौरान पकड़ी गई चल, अचल संपत्ति, नकद धनराशि, दस्तावेज और कुछ अभिशंसी दस्तावेज आदि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त घोटाले में संलिप्त प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां। केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा मैसर्स साइबरस्पेस इनफोसिस लिमिटेड के शेयरों की खरीद के संबंध में छापे मारे गये थे।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(घ) जांच प्रगति पर है। जांच पूरी होने पर उचित समय पर समुचित कार्रवाई की जायेगी।

विवरण-I

क्र.सं.	आर.सी. सं. और पंजीकरण की तारीख और जांच अधिकारी का नाम	प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त का नाम	संक्षिप्त आरोप, कानून की धाराएं और शामिल राशि	छापे का स्थान, व्यक्ति का नाम जिसके परिसर पर छापा मारा गया, चाहे वह आवासीय परिसर था या कार्यालय परिसर था (सभी छापे 20–21/07/2001 को मारे गए)
1	2	3	4	5
1.	आरसीबीई 12001 ई 0003 दिनांक 18.07.2001 जांच अधिकारी का नाम : श्री विरेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक	1. मैसर्स साइबरस्पेस लिमिटेड (प्रा. कंपनी) 2. श्री अरविन्द एम. जौहरी (प्राइवेट व्यक्ति) दिनांक 24.07.2001 को गिरफ्तार किया गया और 02.08.2001 तक पुलिस हिरासत में रिमांड पर भेज दिया गया। 3. श्री पी.एस. सुब्रह्मनियम (पूर्व अध्यक्ष, यूटीआई) दिनांक 21.07.2001 को गिरफ्तार किया गया और 03.08.2001 तक पुलिस हिरासत में रिमांड पर भेज दिया गया। 4. श्री एम.एम. कपूर (कार्यकारी निदेशक, यूटीआई) दिनांक 21.07.2001 को गिरफ्तार किया गया और 03.08.2001 तक पुलिस हिरासत में रिमांड पर भेज दिया गया। 5. श्री एस.के. बसु (कार्यकारी निदेशक, यूटीआई) दिनांक 21.07.2001 को गिरफ्तार किया गया और 03.08.2001 तक पुलिस हिरासत में रिमांड पर भेज दिया गया। 6. श्रीमती प्रेमा मधु प्रसाद (महाप्रबंधक, यूटीआई) गिरफ्तार नहीं किया गया।	इन आरोपित व्यक्तियों पर आरोप है कि उन्होंने और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा जिसका उद्देश्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट को लगभग 32 करोड़ रुपये की अनुचित हानि पहुंचाना था। कथित आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के उच्च कार्यकारियों ने मैसर्स साइबरस्पेस इनफोसिस लिमिटेड के 3,45,000 शेयरों को 930/– रुपये प्रति शेयर की अत्यधिक उच्च दर पर अपने स्वयं के अनुसंधान प्रकोष्ठ और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के फंड मैनेजरों की विशेषज्ञ व्यावसायिक सलाह के विपरीत अभिदान करने का निर्णय लिया। भारतीय यूनिट ट्रस्ट से प्राप्त राशि को मैसर्स साइबरस्पेस इनफोसिस लिमिटेड और इसके निदेशकों ने उन प्रयोजनों से इतर लगा दिया जिसके लिए उन्होंने इसे यूटीआई से लिया था। बेईमान व्यापार व्यवहारों के कारण, बीएसई ने मैसर्स साइबरस्पेस इनफोसिस लिमिटेड के शेयरों में व्यापार को निलंबित कर दिया है। इस प्रकार उपर्युक्तानुसार इस आपराधिक षड्यंत्र के	(i) श्री पी. एस. सुब्रह्मनियम, भूतपूर्व अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का 181, मेकर टावर 'ए', कफ परेड, कोलाबा, मुंबई–400 005 स्थित आवासीय परिसर (ii) श्री एम.एम. कपूर, कार्यकारी निदेशक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का 134–बी, ट्विन टावर्स, सावरकर मार्ग, प्रभा देवी, मुंबई–400 025 स्थित आवासीय परिसर (iii) श्री एस.के. बसु, कार्यकारी निदेशक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का 13–क, पेरेग्रिन बिल्डिंग, प्रभा देवी, मुंबई–400 025 स्थित आवासीय परिसर (iv) श्रीमती प्रेमा मधु प्रसाद, महाप्रबंधक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का 122–बी, ट्विन टावर्स, सावरकर मार्ग, प्रभा देवी, मुंबई–400 025 स्थित आवासीय परिसर (v) श्री राकेश जी. मेहता का जी–7, अल्ट व्यू, एस.के. बड़ौदा–वाला मार्ग, मुंबई–400 026 स्थित आवासीय परिसर (vi) श्री राकेश जी मेहता, निदेशक,

1	2	3	4	5
		7. अन्य अज्ञात प्राइवेट व्यक्ति और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अन्य अज्ञात अधिकारी। श्री राकेश मेहता, दलाल–प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम नहीं है–दिनांक 21.07.2001 को गिरफ्तार किया गया और 03.08.2001 तक पुलिस हिरासत में रिमांड पर भेज दिया गया।	परिणामस्वरूप यूटीआई को 32.08 करोड़ रुपये की अनुचित हानि हुई और आरोपित व्यक्तियों को तदनुरूपी अनुचित लाभ हुआ। **कानून की धाराएं :** 120–ख आईपीसी आर/डब्ल्यू धारा 409 और 420 आईपीसी और धारा 13 (2)आर/डब्ल्यू 13(1)(ग) और 13(1)(घ) आफ पीसी एक्ट, 1988 और यू/एस 409 और 420 आईपीसी और धारा 13(2) आर/डब्ल्यू 13(1)(ग) और 13(1)(घ) आफ पीसी एक्ट, 1988 **शामिल राशि :** 32.08 करोड़ रुपये	मै. रिनायसेंस सिक्यूरीटीज लि. का 24, नानाभाई चेम्बर्स, तीसरा तल, रूस्तम सिघबा मार्ग, मुंबई–400 001 स्थित कार्यालय परिसर (vii) श्री एम.एम. कपूर, कार्यकारी निदेशक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का यूटीआई बिल्डिंग, मेरीन लाईन्स, मुंबई–400 020 स्थित कार्यालय परिसर (viii) श्री एस.के. बसु, कार्यकारी निदेशक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का यूटीआई भवन, मेरीन लाईन्स, मुंबई–400 020 स्थित कार्यालय परिसर (ix) श्रीमती प्रेमा मधु प्रसाद, महाप्रबंधक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का यूटीआई भवन, मेरीन लाईन्स, मुंबई–400 020 स्थित कार्यालय परिसर (x) श्रीमती नन्दिनी बसु, पत्नी श्री एस.के. बसु, कार्यकारी निदेशक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का भारतीय रिजर्व बैंक, पेडर रोड शाखा, मुंबई में बैंक लॉकर सं. 272 (xi) श्रीमती निधि मेहता, पत्नी श्री राकेश मेहता का एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक, भूलाभाई देसाई रोड, मुंबई में लॉकर सं. 2160

विवरण-II

क्र.सं.	छापा डाले गए स्थानों के ब्यौरे	चल संपत्ति के ब्यौरे	अचल संपत्ति के ब्यौरे	नकद राशि	दस्तावेज
1	2	3	4	5	6
क. (i)	श्री पी.एस. सुब्रह्मनियम, भूतपूर्व अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का 181, मेकर टावर 'ए', कफ परेड, कोलाबा, मुंबई–400 005 स्थित आवासीय परिसर	26,44,763/– रुपये मूल्य के शेयर प्रमाणपत्र तथा सावधि जमा रसीदें	शून्य	शून्य	कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं तथा उनकी संवीक्षा की जा रही है।
ख. (i)	श्री एम.एम. कपूर, कार्यकारी निदेशक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का 134–बी, ट्विन टावर्स, सावरकर मार्ग, प्रभा देवी, मुंबई–400 025 स्थित आवासीय परिसर	50,000/– रुपये मूल्य की सावधि जमा रसीदें	शून्य	शून्य	कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं तथा उनकी संवीक्षा की जा रही है।
(ii)	श्री एम.एम. कपूर, कार्यकारी निदेशक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का यूटीआई बिल्डिंग, मेरीन लाईन्स, मुंबई–400 020 स्थित कार्यालय परिसर				
ग. (i)	श्री एस.के. बसु, कार्यकारी निदेशक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का 13–क, पेरेग्रिन बिल्डिंग, प्रभा देवी, मुंबई–400 025 स्थित आवासीय परिसर	14,48,988/– रुपये मूल्य की सावधि जमा रसीदें, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, यूटीआई बांड तथा आईडीबीआई बांड	शून्य	विदेशी मुद्रा 1. यू.के पौंड–1,025/– 2. इरानी रिआल–20,000/– 3. फ्रेंच फ्रैंक–1,050/– 4. हांगकांग डालर–20/– 5. सिंगापुर डालर– 10/– 6. आस्ट्रेलियाई डालर–25/– 7. ट्रेवलर चेक–70 पौंड (अमेरिकन एक्सप्रेस) 8. यू.ए.ई. दिरहम–5/– 9. मारीशस मुद्रा–125/– 10. अमरीकी डालर–3,704/–	कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं तथा उनकी संवीक्षा की जा रही है।
(ii)	श्रीमती नन्दिनी बसु, पत्नी श्री एस.के. बसु, कार्यकारी निदेशक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का भारतीय रिजर्व बैंक, पेडर रोड शाखा, मुंबई में बैंक लॉकर सं. 272				
(iii)	श्री एस.के. बसु, कार्यकारी निदेशक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का यूटीआई भवन, मेरीन लाईन्स, मुंबई–400 020 स्थित कार्यालय परिसर				

1	2	3	4	5	6
घ.	(i) श्रीमती प्रेमा मधु प्रसाद, महाप्रबंधक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का 122-बी, ट्विन टावर्स, सावरकर मार्ग, प्रभा देवी, मुंबई-400 025 स्थित आवासीय परिसर	शून्य	शून्य	विदेशी मुद्रा 1. अमरीकी डालर-3,598/- 2. यू.के. पौंड-480/-	कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं तथा उनकी संवीक्षा की जा रही है।
	(ii) श्रीमती प्रेमा मधु प्रसाद, महाप्रबंधक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का यूटीआई भवन; मेरीन लाईन्स, मुंबई-400 020 स्थित कार्यालय परिसर				
ङ.	(i) श्री राकेश जी. मेहता का जी-7, अल्ट व्यू, एस.के. बड़ौदावाला मार्ग, मुंबई-400 026 स्थित आवासीय परिसर	शून्य	शून्य	शून्य	
	(ii) श्री राकेश जी मेहता, निदेशक, मै. रिनायसेंस सिक्यूरीटीज लि. का 24, नानाभाई चेम्बर्स, तीसरा तल, रूस्तम सिघबा मार्ग, मुंबई-400 001 स्थित कार्यालय परिसर				
	(iii) श्रीमती निधि मेहता, पत्नी श्री राकेश मेहता का एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक, भूलाभाई देसाई रोड मुंबई में लॉकर सं. 2160				

[अनुवाद]

बैंक शाखाएं

2045. श्री ए. ब्रह्मनैया :
डा. एस. वेणुगोपाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ इंडिया और अन्य बैंकों को विदेशों में अपनी शाखाएं स्थापित करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी शाखाओं को खोलने हेतु स्वीकृति दी गई है और किन देशों में ये नई शाखाएं खोली जानी हैं; और

(ग) क्या इनमें से अधिकतर बैंकों ने भारत में अनेक शाखाएं बंद करने हेतु भी अनुमति मांगी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि देश में इन बैंकों की शाखाएं बंद न की जायें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक जो भारतीय बैंकों को स्वदेशों में उनकी शाखाएं खोलने के लिये अनुमति देने के लिये सक्षम प्राधिकारी है, भारत सरकार के परामर्श से ऐसी अनुमति देता है। भारतीय बैंकों की विदेश में शाखाओं का बैंक-वार और देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) उदारीकृत नीति के अनुसार, बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे कतिपय शर्तों के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना अपनी हानि वाली शाखाओं का बंद कर दें। उनके युक्तियुक्तकरण/पुरर्संरचना प्रक्रिया के भाग के रूप में, सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने कतिपय केंद्रों पर अपनी शाखाएं बंद/विलय कर दी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष 1999-2000 के दौरान 105 शाखाओं को बंद/विलय किया है।

विवरण

1 अप्रैल, 2001 की स्थिति के अनुसार विदेशी केंद्रों में भारतीय बैंकों की देश-वार शाखाएं

	राष्ट्रीयकृत बैंक						गैर सरकारी क्षेत्र बैंक			
देश का नाम	भारतीय स्टेट बैंक	बैंक आफ इंडिया	बैंक आफ बड़ौदा	इंड. बैंक	इंडियन ओवरसीज बैंक	यूको बैंक	केनरा बैंक	सिंडिकेट बैंक	भारत ओवरसीज बैंक	कुल
श्रीलंका	2	–	–	2	2	–	–	–	–	6
यू.के.	3	6	7	–	–	–	1	1	–	18
संयुक्त राज्य अमेरिका	5	2	1	–	–	–	–	–	–	8
जापान	2	2	–	–	–	–	–	–	–	4
मालदीव द्वीपसमूह	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
पश्चिम जर्मनी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
बंग्लादेश	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
बहामा द्वीपसमूह (नसाऊ)	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2
बहरीन	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
बेल्जियम	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2
सिंगापुर	1	1	–	1	1	2	–	–	–	6
हांगकांग	1	2	–	–	2	2	–	–	–	7
केमैन द्वीपसमूह	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
फ्रांस	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2
चैनल द्वीपसमूह	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
फिजी द्वीपसमूह	–	–	9	–	–	–	–	–	–	9
केन्या	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2
मारिशस	–	–	8	–	–	–	–	–	–	8
संयुक्त अरब अमीरात	–	–	6	–	–	–	–	–	–	6
सेचेल्स	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
दक्षिण अफ्रीका	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2
दक्षिण कोरिया	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
सल्तनत आफ ओमान	–	–	3	–	–	–	–	–	–	3
थाइलैंड	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
कुल	22	18	38	3	6	4	1	1	1	94

कमजोर बैंक

2046. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल में विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड नामक अनुसूचित सहकारी बैंक को कमजोर बैंक के रूप में घोषित/वर्गीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो बैंक को कमजोर बैंक के रूप में वर्गीकृत करने के क्या कारण हैं और बैंक के निवल स्वामित्व वाली निधि में 85.8 प्रतिशत तक कमी होने के क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य कौन से बैंकों को कमजोर बैंकों के रूप में घोषित किया गया है; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के कार्यकरण पर नियंत्रण सख्त करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं/किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 'कमजोर' के रूप में शहरी सहकारी बैंकों के वर्गीकरण संबंधी इसके वर्तमान मानदंडों के अनुसार विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि., विसनगर (गुजरात) को कमजोर बैंक के रूप में 7 मई, 2001 को वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च, 2000 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किये गये बैंक के सांविधिक निरीक्षण से बैंक की आस्तियों के वसूली योग्य मूल्य में क्षरण उच्च स्तरीय अनुपयोज्य आस्तियों, अनुपयोज्य आस्तियों के लिये अपर्याप्त प्रावधान, धोखाधड़ियों आदि, उच्च लागत वाली जमाराशियों पर भरोसे तथा आस्तियों पर न्यून आय के कारण कम लाभप्रदता का पता चला है जिसके कारण बैंक को विद्यमान मानदंडों के अनुसार 'कमजोर' कहा गया है।

(ग) आज की तारीख में, विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि. के अलावा, सात अन्य शहरी बैंकों को विद्यमान मानदंडों के अनुसार 'कमजोर' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये हैं : बम्बई मर्कैंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., मुम्बई; जनता सहकारी बैंक लि., पुणे; सांगली शहरी को-आपरेटिव बैंक लि., सांगली; मापुसा को-आपरेटिव बैंक आफ गोवा लि., मापुसा; माधवपुरा मर्कैंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद; वसावी को-आपरेटिव बैंक लि., हैदराबाद और चारोतार नागरिक सहकारी बैंक लि., आनंद।

(घ) शहरी सहकारी बैंकों के परिचालनों/कार्यकरणों को मजबूती प्रदान करने तथा युक्तियुक्त बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने कतिपय उपायों की घोषणा की है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अन्य शहरी सहकारी बैंकों में जमाराशियां रखने पर रोक, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में अपनी जमाराशियों के 2 प्रतिशत तक मांग मुद्रा बाजार से उधार लिये जाने को सीमित करना, एसएलआर उद्देश्यों के लिये सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के संघटक में वृद्धि; व्यक्ति या किसी अन्य सत्ता को शेयरों की प्रतिभूति के बदले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार पर रोक; अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिये स्थलेतर निगरानी प्रणाली लागू किया जाना आदि शामिल है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिये गेहूं और चावल के मूल्यों में गिरावट

2047. श्री प्रभात सामंतराय : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिये बेचे जाने वाले चावल और गेहूं के मूल्य को और कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिये घटी दर पर चावल और गेहूं के वितरण को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि 2000-2001 के दौरान सरकार ने 25.7.2000 से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिये गेहूं और चावल के लिये केंद्रीय निर्गम मूल्यों को कम कर दिया है। गेहूं के केंद्रीय निर्गम मूल्य को 450/-रुपये से घटाकर 415/- रुपये प्रति क्विंटल और चावल के केंद्रीय निर्गम मूल्य को 590/- रुपये से घटाकर 565/-रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि करने से चावल के केंद्रीय निर्गम मूल्य 1.10.2000 से और गेहूं के केंद्रीय निर्गम मूल्य 1.4.2001 से बढ़ाये जाने चाहिए थे। तथापि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिये गेहूं और चावल के केंद्रीय निर्गम मूल्य जुलाई, 2000 में निर्धारित किये गये स्तर पर ही रखे गये हैं जो गेहूं और चावल की वर्तमान आर्थिक लागत का लागभग 48 प्रतिशत है।

(ग) राज्य सरकारों को उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई करने हेतु घटाये गये मूल्यों के बारे में सूचित कर दिया गया है।

भेड़ पालक सहकारी समितियों हेतु नाबार्ड ऋण

2048. डा. जसवंतसिंह यादव :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड ने आंध्र प्रदेश में कार्य कर रही भेड़ पालक सहकारी समितियों को ऋण मंजूर करने से इनकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन समितियों को वित्तीय सहायता देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने बताया है कि उसे आंध्र प्रदेश में कार्यरत भेड़ पालक सहकारी समितियों को ऋण देने हेतु बैंकों से पुनर्वित्त सहायता के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नाबार्ड को जब भी बैंकों से भेड़ पालक सहकारी समितियों को ऋण देने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, वह उन्हें पुनर्वित्त सहायता देता है। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने बैंकों, पशुपालन विभाग और जिला समाहर्ताओं से ऋण प्रवाह के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिये भी उपाय किये हैं तथा आंध्र प्रदेश में ऋण सहायता से बैंकों द्वारा कार्यान्वयन हेतु चारा एवं वन्य-चारागाह (सिल्वीकल्चर) विकास सहित एकीकृत भेड़ विकास योजना तैयार करने की संभावना का पता लगाया है।

औषधियों पर बिक्री कर की समान दरें

2049. डा. जसवंतसिंह यादव :
श्री राजेश वर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 19 अगस्त, 2000 को उन राज्यों में बिक्री कर की समान दरें परिचालित की हैं जहां "बल्क" दवाइयों को चार प्रतिशत बिक्री कर की श्रेणी में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा "बल्क" दवाइयों के लिये बिक्री कर की यह समान दर लागू नहीं की गई है जिससे अन्य राज्यों में "बल्क" दवाइयों के औद्योगिक उत्पादन में असंतुलन पैदा हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस विसंगति को ठीक करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) बिक्री कर की एक समान न्यूनतम दरों के संबंध में निर्णय को लागू करने पर निगरानी रखने के लिये गठित की गई राज्यों के वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने बल्क औषधियों को 4 प्रतिशत वाली श्रेणी में रखा है।

(ग) और (घ) अधिकांश राज्यों ने बिक्री कर की एक समान न्यूनतम दरों के संबंध में निर्णय को पहले ही से लागू कर दिया है। तथापि, 5.7.2001 को हुए राज्यों के मुख्य मंत्रियों/वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि भारत सरकार 31.7.2001 तक इस निर्णय का अनुपालन न करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में उनको दी जा रही केंद्रीय सहायता तथा अनुदान रोकने के लिये उपाय करेगी।

चीनी पर गुणवत्ता नियंत्रण

2050. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परीक्षण की गई चीनी के नमूनों में गिरावट के बावजूद, वर्ष 1998 से 2000 तक प्रस्तुत किये गये नमूनों में 121 से 124 तक वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चीनी के कितने कारखानों को चीनी के अपेक्षित मानक का अनुपालन न करने हेतु चेतावनी पत्र दिये गये थे;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार चीनी के गुणवत्ता नियंत्रण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है जिसके परिणाम-स्वरूप विश्व बाजार में भारतीय चीनी की मांग कम हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्यात का पर्याप्त क्रयादेश प्राप्त करने के लिये देश में चीनी की गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) 1998-99 और 1999-2000 मौसमों के दौरान लिये गये नमूनों, विफल हुए नमूनों और जारी किये गये चेतावनी पत्रों की संख्या निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	मौसम (अक्तू.-सित.)	लिये गये नमूनों की संख्या	विफल हुए नमूनों की संख्या	जारी किये गये चेतावनी पत्रों की संख्या
1.	1998-1999	843	121	33
2.	1999-2000	518	124	24

(घ) और (ड) सरकार ने चीनी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये हैं :

(i) रिफाइंड चीनी के समतुल्य बेहतर गुणवत्ता वाली चीनी का उत्पादन करने की दृष्टि से भारतीय चीनी फैक्ट्रियों द्वारा अपनाई जा रही विभिन्न क्लैरिफिकेशन प्रक्रियाओं का अध्ययन करने तथा अन्य प्रक्रिया लागू करने की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिये मुख्य निदेशक (शर्करा) की अध्यक्षता में एक उप-समिति गठित की गई थी। उप-समिति की रिपोर्ट दिसंबर, 2001 तक प्राप्त होने की आशा है।

(ii) आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन, जिसमें अच्छी गुणवत्ता वाली चीनी के उत्पादन के लिये प्रक्रिया में परिवर्तन करना शामिल है, के लिये चीनी फैक्ट्रियों को चीनी विकास निधि से ऋण मुहैया किये जा रहे हैं।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा संगठन की लेखा परीक्षा

2051. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे भी संगठन/संस्थान हैं जिनके लेखों की लेखा परीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं की जाती है जबकि ऐसे संगठनों का वार्षिक बजट संसद द्वारा प्रतिवर्ष स्वीकृत किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे संस्थान/संगठन के नाम क्या हैं और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा इनके लेखों की लेखा-परीक्षा नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारत की समेकित निधि में तथा समेकित निधि से होने वाले सभी व्यय तथा प्राप्तियों की लेखा-परीक्षा के संबंध में प्रावधानों का विस्तृत ब्यौरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 में निहित हैं। मुख्य प्रावधान अधिनियम के खंड 13 में निहित है अर्थात्-नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (क) भारत की समेकित निधि से किये गये सभी प्रकार के व्यय (ख) आकस्मिकता निधि तथा सार्वजनिक खातों के संबंध में संघ तथा राज्यों के बीच होने वाले सभी लेन देन (ग) सभी व्यापारिक विनिर्माण लाभ-हानि खातों और तुलन-पत्रों तथा संघ के किसी विभाग में रखे गये अन्य अनुषंगी खातों, खंड 14 अर्थात संघ द्वारा वास्तविक रूप से वित्त पोषित निकायों/प्राधिकरणों की व्यय तथा प्राप्तियों की लेखा-परीक्षा अर्थात-(i) जहां पर भारत के समेकित निधि से एक निकाय/प्राधिकरण को अनुदान या ऋण की राशि 25 लाख रुपये से कम नहीं है (ii) जहां पर इस प्रकार के अनुदान या ऋण की राशि उस निकाय/प्राधिकरण के कुल व्यय के 75 प्रतिशत से कम नहीं है, की लेखा परीक्षा करेगा। और खण्ड 15 अर्थात-राष्ट्रपति के पूर्वानुमोदन के साथ, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक किसी निकाय या प्राधिकरण की सभी प्राप्ति या व्यय की भी लेखा परीक्षा करता है, जहां भारत के समेकित निधि से ऐसे निकाय या प्राधिकरण को जारी अनुदान या ऋण की राशि 1 करोड़ रुपये से कम नहीं है।

(ख) (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों में उत्पादन

2052. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों की बिक्री किये जाने से पूर्व इन इकाइयों में उत्पादन बढ़ा कर उन्हें लाभप्रद बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उन रुग्ण उद्यमों का ब्यौरा क्या है जिन्हें चालू वित्त वर्ष के दौरान लाभप्रद बनाये जाने की योजना है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में कुल कितना निवेश किया जाना है; और

(घ) चालू योजना अवधि में सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों का उत्पादन बढ़ाये जाने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) वर्ष 2000–2001 के बजट भाषण में उल्लिखित सरकारी क्षेत्र के लिये सरकारी नीति में निम्नलिखित शामिल हैं :

– संभावित रूप से सक्षम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन तथा नवीकरण करना।

– सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों को पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता, उन्हें बंद करना।

– सरकारी क्षेत्र के सभी गैर–महत्वपूर्ण उपक्रमों में यदि आवश्यक हो, सरकारी शेयर धारिता कम करके 26 प्रतिशत अथवा इसे कम करना; और

– कर्मचारियों के हितों की पूर्णतया रक्षा करना।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एस. आई. सी. ए.) के अतर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड नामक एक अर्द्धन्यायिक निकाय को सौंपा गया है। इस समय औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में सरकारी क्षेत्र के 66 उपक्रम पंजीकृत हैं। चूंकि, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा पुनरुद्धार पैकेज स्वीकृत किये जाने के पश्चात पुनर्स्थापन आरंभ किया जाता है, इसलिये कोई लक्ष्य निर्धारित करना कठिन है।

[हिन्दी]

एफ.सी.आई. की रियायती वस्तुओं का अन्यत्र भेजा जाना

2053. श्री महेश्वर सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को अन्यत्र भेजने के बारे में 15 दिसंबर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4241 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी.बी.आई. की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खाद्य निगम की रियायती वस्तुओं को अन्यत्र भेजने के मामले में दोषी पाये गये 23 व्यक्तियों, छः राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पांच भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के 5 कर्मचारियों के विरुद्ध जनवरी/फरवरी, 2000 में अभियोजन चलाने की मंजूरी दी गई है। उनके विरुद्ध केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गंगटोक में केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में अभियोजन मुकदमा दायर किया गया है। यह सूचित किया गया है कि जब 19.2.2001 को न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु ये कर्मचारी उपस्थित हुए तो इन कर्मचारियों और अन्य दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी अप्रैल/मई, 2001 में जमानत पर छोड़ दिये गये हैं।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क राजस्व उगाही में कमी

2054. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री समर चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के प्रथम दो महीनों अप्रैल और मई के दौरान, व्यापार से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाये जाने के कारण सीमा शुल्क राजस्व उगाही पर गत वर्ष इसी अवधि के दौरान राजस्व उगाही की तुलना में विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तानी चीनी पर प्रतिबंध

2055. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से चीनी के आयात पर पाकिस्तान द्वारा प्रतिबंध के मद्देनजर भारत का विचार भी पाकिस्तान से चीनी के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शुनु सेन समिति के सुझाव

2056. श्री सुकदेव पासवान : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुनु सेन समिति ने यह सुझाव दिया है कि केंद्रीय सचिवालय सेवा/केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा और भारतीय सूचना सेवा जैसे बाहरी संवर्गों के अधिकारियों को प्रसार भारती निगम से हटा दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दूसरे संवर्गों के अधिकारियों को प्रसार भारती से हटा कर उनके स्थान पर आकाशवाणी/दूरदर्शन के कर्मचारियों को तैनात करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, दूसरे संवर्गों के कर्मचारियों की नियुक्ति/तैनाती को निगम में जारी रखने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं। शुनु सेन समिति ने सिफारिश की है कि सरकार से प्रसार भारती में प्रतिनियुक्ति की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए और प्रसार भारती के लिये चुने गये किसी भी सरकारी कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अधिक से अधिक छह माह की अवधि के अंदर सरकारी सेवा से त्यागपत्र देना अनिवार्य होना चाहिए।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दूरदर्शन के चैनलों में बाधाएं

2057. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 अप्रैल, 2001 के राष्ट्रीय सहारा में "डीडी के तीन चैनल तीन घंटे ठप्प रहे, कोई कार्यवाही नहीं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रसारण के बाधित होने की अवधि क्या रही और इसके क्या कारण थे;

(ग) इस संबंध में किन अधिकारियों को उत्तरदायी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र में 13 मई, 2001 को उक्त शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित हुआ था।

(ख) दूरदर्शन के तीन उपग्रह चैनलों अर्थात डीडी–स्पोर्ट्स, डीडी–वर्ल्ड तथा डीडी–न्यूज के प्रसारण में 17 अप्रैल, 2001 को विद्युत आपूर्ति बदलने वाले स्विच के जल जाने की वजह से एक घंटे 35 मिनट का व्यवधान आया था।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि चूंकि स्टाफ की लापरवाही की वजह से यह व्यवधान नहीं आया था इसलिये किसी भी कर्मी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं है। तथापि, सभी कर्मियों को भविष्य में और अधिक सतर्क रहने के निर्देश दे दिये गये हैं।

[अनुवाद]

कोडईकनाल रेडियो स्टेशन

2058. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु का कोडईकनाल रेडियो स्टेशन पूरी तरह कार्य करने लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस स्टेशन की श्रेणी–वार स्वीकृत कर्मचारी संख्या कितनी है;

(घ) वर्तमान में वास्तव में वहां श्रेणी–वार कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है;

(ङ) क्या कोडईकनाल स्टेशन अधिकतर मदुरै स्टेशन के कार्यक्रमों को ही प्रसारित करता है;

(च) यदि हां, तो क्या ऐसा पर्याप्त धनराशि न होने के कारण है; और

(छ) यदि हां, तो इस स्टेशन को स्वतंत्र रूप से कार्यक्षम बनाने हेतु इसे पर्याप्त कर्मचारी और धनराशि उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) 2x5 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर वाले आकाशवाणी कोडईकनाल को दिनांक 1.7.2000 से नियमित सेवा के लिये चालू कर दिया गया था। यह आकाशवाणी केंद्र 5 घंटे 55 मिनट की कुल प्रसारण अवधि के दो प्रसारणों को प्रसारित कर रहा है। प्रसारण की मुख्य भाषा तमिल है।

(ग) और (घ) आकाशवाणी कोडईकनाल के लिये कुल 3 पद अर्थात 2 तकनीशियन एवं 1 हैल्पर के पद स्वीकृत कर दिये गये हैं। वर्तमान में अन्य केंद्रों से पुनर्तैनात करके नौ कार्मिक (केंद्र अभियंता–1 सहायक केंद्र अभियंता–1, सहायक केंद्र निदेशक–1, कार्यक्रम निष्पादक–1, प्रसारण निष्पादक–1, वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक–2, अभियांत्रिकी सहायक–2) यहां पर तैनात कर दिये गये हैं।

(ङ) जी, नहीं। रिले किये जाने वाले कार्यक्रम की अवधि केवल 90 मिनट प्रतिदिन है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

पशु आहार के रूप में खाद्यान्न भंडार का निर्यात

2059. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कृषि मजदूर संघ (ए आई ए डब्ल्यू यू) ने यह ध्यान दिलाया है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 40 मिलियन टन खाद्यान्न बिना बिक्री के पड़ा है और केंद्र सरकार अतिरिक्त भंडार खरीदने के लिये स्थान तैयार करने हेतु इन भंडारों को पशु आहार के रूप में निर्यात करने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पड़े खाद्यान्नों के अधिकांश भंडार के निपटान हेतु क्या अन्य कदम उठाये गये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निपटान के लिये किये गये उपाय हैं :

(1) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिये खाद्यान्नों का आबंटन बढ़ाना।

(2) विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिये गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करना।

(3) घटी दरों पर गेहूं की खुली बिक्री करना।

(4) गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिये केंद्रीय निर्गम मूल्यों में कमी करना।

(5) गेहूं और चावल का निर्यात करना।

(6) रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिये सूखा प्रभावित राज्यों को मुफ्त आबंटन करना।

(7) गरीब से गरीब परिवारों को 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल और 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं की आपूर्ति करने के लिये अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई है।

एम्प्लाईज स्टाक ऑप्शन स्कीम

2060. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों को अपने शेयर देने वाली कंपनियों को "एम्प्लाईज स्टाक ऑप्शन स्कीम" के अंतर्गत लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्मचारियों को शेयर जारी किये जाने का क्या फार्मूला है और प्रत्येक कर्मचारी को दिये जाने वाले शेयरों की संख्या के निर्धारण का आधार क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

शैक्षिक एफ.एम. रेडियो नेटवर्क शुरू करना

2061. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में शैक्षिक एफ.एम. रेडियो नेटवर्क शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य हेतु किन–किन शहरों का चयन किया गया है; और

(ग) यह कब तक कार्य करना शुरू कर देगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) को संलग्न विवरण में दिये गये ब्यौरों के अनुसार 40 केंद्रों में एफ.एम. शैक्षिक चैनल के संचालन हेतु लाइसेंस दे दिये गये हैं।

(ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने शुरूआत में 2001 के अंत तक लखनऊ, कोयम्बटूर तथा विशाखापट्टनम में ज्ञान वाणी स्टेशन चालू करने के लिये कार्रवाई शुरू कर दी है।

विवरण

क्र.सं.	केंद्र	क्र.सं.	केंद्र
1	2	1	2
1.	कलकत्ता	15.	भोपाल
2.	चेन्नै	16.	भुवनेश्वर
3.	दिल्ली	17.	चंडीगढ़
4.	मुम्बई	18.	कोचीन
5.	अहमदाबाद	19.	कोयम्बटूर
6.	बंगलौर	20.	कटक
7.	हैदराबाद	21.	गुवाहाटी
8.	इन्दौर	22.	जबलपुर
9.	लखनऊ	23.	जयपुर
10.	पुणे	24.	जालंधर
11.	विशाखापत्तनम	25.	जामनगर
12.	आगरा	26.	कानपुर
13.	इलाहाबाद	27.	लुधियाना
14.	औरंगाबाद	28.	मदुरै
29.	मैसूर	35.	शिलांग
30.	नागपुर	36.	श्रीनगर
31.	पणजी	37.	त्रिची
32.	पटना	38.	तिरूनेलवेल्ली
33.	रायपुर	39.	त्रिवेंद्रम
34.	राजकोट	40.	वाराणसी

केरल में रबड़ उत्पादकों की समस्याएं

2062. प्रो. आर. आर. प्रमाणिक :
श्री सुरेश कुरूप :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में रबड़ उत्पादकों को कम कीमत और अधिक उत्पादन के संकट का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है;

(ख) इन परिस्थितियों में यह उत्पादक अन्य फसलों के उगाने पर मजबूर है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति के निवारण हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) प्राकृतिक रबड़ की खपत में गिरावट और उपभोगकर्ता उद्योग में मंदी के कारण, रबड़ उत्पादक प्राकृतिक रबड़ की वह कीमत नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो वे 2–3 वर्ष पूर्व प्राप्त कर रहे थे। प्राकृतिक रबड़ की कीमत अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आस पास रहती हैं। तथापि, प्राकृतिक रबड़ की घरेलू कीमतें अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से अधिक रहती हैं। इस समय घरेलू बाजार में प्राकृतिक रबड़ की कीमत लगभग 34 रुपये प्रति किग्रा. चल रही है।

(ख) रबड़ की कीमतों में गिरावट के कारण रबड़ की खेती से अन्य फसलों की ओर जाने का कोई उदाहरण सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अधिकारियों द्वारा भ्रमण पर व्यय

2063. श्री तूफानी सरोज :
श्री अखिलेश यादव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जून, 2001 के "राष्ट्रीय सहारा" में "सैर सपाटे पर लाखों उड़ा रहे हैं आईटीपीओ के अफसर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वर्ष 1999–2000 से जून, 2001 तक भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के कितने अधिकारी विदेश भ्रमण पर गये;

(घ) विदेश भ्रमण पर किये गये व्यय का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संगठन के अधिकारियों के विदेश भ्रमण पर प्रतिबंध लगाकर देश के करोड़ों रुपये की बचत करने के लिये क्या प्रभावी कदम उठाये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार के एक प्रमुख व्यापार संवर्धन अभिकरण के रूप में इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन (आई टी पी ओ) द्वारा विदेशों में विभिन्न व्यापार संवर्धन कार्यकलाप किये जाते हैं, जैसे कि अनन्य भारतीय व्यापार प्रदर्शनों का आयोजन, सामान्य/विशेषीकृत वस्तु मेलों, क्रेता विक्रेता बैठकों, संपर्क संवर्धन कार्यक्रमों, उत्पाद संवर्धन कार्यक्रमों में भाग लेना, पुस्तक सूची प्रदर्शनी आयोजित करना, बाजार सर्वेक्षण करना इत्यादि। आई टी पी ओ ने विदेशों में वर्ष 1999–2000 में 59, वर्ष 2000–2001 में 56 और चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में 13 कार्यक्रम आयोजित किये। इन कार्यक्रमों की व्यवस्था वाणिज्य विभाग में प्रदर्शनी सलाहकार समिति के अनुमोदन के पश्चात की जाती है। आयोजनों से जुड़े विभिन्न संगठनात्मक क्रियाकलापों अर्थात निर्माण/सजावट का पर्यवेक्षण करने, प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं की समय पर निकासी तथा पैविलियन में उनको प्रदर्शित करने की व्यवस्था करने, क्रेताओं के दौरों और भारतीय समव्यवसायियों के साथ उनकी बैठकों का समन्वयन करने हेतु न्यूनतम अपेक्षित संख्या में अधिकारियों को भेजना अनिवार्य हो जाता है।

(ग) और (घ) उपरोक्त आयोजनों के लिये विदेशों में भेजे गये अधिकारियों की संख्या और किया गया व्यय निम्नानुसार है :

वर्ष	भेजे गये अधिकारियों की संख्या	किया गया व्यय (लाख रु. में)
1999–2000	103	296.11
2000–2001	109	418.35 (अनंतिम)
1.4.2001 से 30.6.2001	19	53.95 (अनंतिम)

उक्त व्यय विभिन्न मदों पर किया जाता है, अर्थात आने जाने का हवाई भाड़ा, दैनिक भत्ता, आवास, वाहन, दूरभाष और अन्य विविध मदें।

(ङ) आई टी पी ओ के अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा करना इस संगठन के उन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक है जिनके लिये इसकी स्थापना की गई है उनके विदेशी दौरों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है जो संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये किये जाते हैं। तथापि, आई टी पी ओ द्वारा व्यय में मितव्ययिता लाने की दृष्टि से प्रत्येक आयोजन के लिये न्यूनतम संख्या में अधिकारियों को भेजने का प्रयास किया जाता है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की खराब गुणवत्ता

2064. श्री रामजी मांझी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992–99 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं का वितरण किया गया जो मनुष्य द्वारा उपभोग करने लायक नहीं थीं;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की गई वस्तुएं किस कोटि की थीं;

(ग) सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं/अनाजों को वितरित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) सरकार को पिछले वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा बिक्री किये गये खराब गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन वितरित करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप खाद्यान्न जारी किये जाते हैं।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि केवल अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न वितरित किये जायें, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :

(i) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्टाक उठाने से पूर्व इसका निरीक्षण करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाते हैं।

(ii) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश जारी किये गये हैं कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों का उठान करने से पूर्व उनकी गुणवत्ता की जांच करने के लिये निरीक्षक से कम पद का अधिकारी नहीं लगाया जाना चाहिए।

(iii) उचित दर दुकानों के काउंटरों पर उपभोक्ताओं के हितों के लिये नमूने प्रदर्शित करने हेतु स्टाक से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा खाद्यान्नों के संयुक्त रूप से नमूने लिये जाते हैं और सील किये जाते हैं।

(iv) राज्य सरकारों और मंत्रालय के अधिकारी उचित दर दुकानों की अचानक जांच करते हैं ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किये जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जा सके।

(v) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की संबंधित राज्य में मानीटरिंग करने के लिये 'क्षेत्राधिकारी' के रूप में नामित विभाग के अधिकारी राज्य में अपने दौरे के दौरान जारी किये जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए भंडारण डिपुओं और उचित दर दुकानों के भी दौरे करते हैं।

(घ) घटिया किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के बारे में 2000–2001 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से इस मंत्रालय में आठ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ङ) इस मामले को तत्काल भारतीय खाद्य निगम के साथ उठाया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों और खाद्य अपमिश्रण निवारक मानकों के अनुरूप अच्छे किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये अनुदेश जारी किये गये थे।

उड़ीसा को खाद्यान्नों का आबंटन

2065. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय पूल से 2000–2001 के दौरान उड़ीसा को कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का आबंटन किया गया;

(ख) क्या उस राज्य के चावल और गेहूं के आबंटन को बढ़ाने हेतु मांग बढ़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो वित्त वर्ष 2001–2002 के दौरान अभी तक आबंटन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बाढ़ राहत के लिये केंद्रीय पूल से 2000–2001 के दौरान उड़ीसा को किया गया खाद्यान्नों का आबंटन निम्नानुसार है :

(टन में)

चावल	गेहूं	जोड़
9,94,562	1,02,300	10,96,862

(ख) उड़ीसा को किये गये आबंटन में वृद्धि करने के लिये राज्य सरकार से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सकल घरेलू उत्पाद

2066. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाये जाने के बाद देश के सकल घरेलू उत्पाद के विभिन्न स्रोतों के अंशदान में बहुत अधिक बदलाव आये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परिवर्तनों के कारण नये उद्योगों में रोजगार के नये अवसर सृजित हुए हैं जबकि पारंपरिक उद्योगों में रोजगार के अवसर घटे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में नई नीति, यदि कोई हो तो क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, स.घ.उ. में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा 1993–94 में 31 प्रतिशत से गिर कर 2000–2001 (स.अ.) में 24 प्रतिशत रह गया। स.घ.उ. में उद्योग (जिसमें खनन और उत्खनन, विनिर्माण, बिजली गैस और जल आपूर्ति व निर्माण शामिल हैं) का हिस्सा 1993–94 में 26.3 प्रतिशत से मामूली बढ़कर 2000–01 में 27.0 प्रतिशत हो गया और; सेवाओं के संबंध में (जिसमें व्यापार, होटल, परिवहन और संचार, वित्तपोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और व्यापार सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं सम्मिलित हैं) यह 1993–94 में 42.8 प्रतिशत से बढ़कर 2000–01 में 49.0 प्रतिशत हो गया। 1994–2000 की अवधि के दौरान, रोजगार वृद्धि की स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ है। जहां कृषि–खनन और उत्खनन व बिजली, गैस और जलापूर्ति क्षेत्रों में रोजगार की वार्षिक वृद्धि में गिरावट आई है वहीं निर्माण, व्यापार और अन्य सेवा क्षेत्रों में रोजगार की वार्षिक वृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों की गहन मानीटरिंग की जाती है और लगातार समीक्षा की जाती है तथा उभरती हुई प्रवृत्तियों को देखते हुए जब भी जरूरी हो समुचित निर्णय लिये जाते हैं। श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखते हुए बजट में अंतर्निहित विभिन्न उपायों से नवीकृत औद्योगिक वृद्धि के लिये उपलब्ध कराई गई श्रम प्रधान और निर्यातोन्मुखी गतिविधियों में औद्योगिक निवेश के बढ़ने की संभावना है।

[हिन्दी]

एच.ई.सी. लिमिटेड को क्रयादेश

2067. श्री राम टहल चौधरी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच.ई.सी. लिमिटेड ने क्रयादेश प्राप्त करने के लिये अनेक उपक्रमों और मंत्रालयों के साथ बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान किन–किन उपक्रमों के साथ बातचीत की गई; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुए और कंपनी के क्रयादेशों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। एच.ई.सी. ने स्टील आथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन से बातचीत की है। एच.ई.सी. ने रेल, रक्षा, कोयला, इस्पात, खान और ऊर्जा मंत्रालयों से भी बातचीत की है।

(ग) वर्ष 1999–2000 और वर्ष 2000–2001 के दौरान एच.ई.सी. ने क्रमशः 158.17 करोड़ और 196.97 करोड़ रुपये मूल्य के क्रयादेश प्राप्त किये हैं। वर्ष 1998–99 के दौरान प्राप्त किये गये क्रयादेश के मूल्य की तुलना में वर्ष 1999–2000 और वर्ष 2000–2001 के दौरान प्राप्त किये गये क्रयादेश के मूल्य में क्रमशः 50.83 प्रतिशत और 38.86 प्रतिशत की गिरावट रही है।

चीनी कोटे का निर्धारण

2068. श्री रामजीलाल सुमन : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिक्री के उद्देश्य से चीनी का कोटा निर्धारित करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त कोटे के निर्धारणार्थ कोई स्थायी नियम और मानदंड तय किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस कोटे को बढ़ा या कम कर सकती है;

(ङ) यदि हां, तो जनवरी, 2001 से जून, 2001 की अवधि में प्रत्येक मास के दौरान बिक्री हेतु चीनी का कितना कोटा निर्धारित किया गया; और

(च) किन–किन मासों के दौरान चीनी–कोटे की प्रमात्रा–निर्धारण में अनिश्चितता होने के कारण चीनी की कीमतें बढ़ गईं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित करने के लिये निर्धारित लेवी चीनी का मासिक कोटा उत्तर–पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपीय प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को 500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास के निर्धारित मानदंड के आधार पर आबंटित किया जा रहा है। उत्तर–पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपीय प्रदेशों में 700 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास के आबंटन के मानदंड के आधार पर समूची आबादी को लेवी चीनी की आपूर्ति की जाती है। तथापि, कुछेक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी ऐसे हैं जहां वहां की विशेष परिस्थितियों के कारण उच्चतर दर पर लेवी चीनी का आबंटन किया जा रहा है।

जहां तक खुली बिक्री की चीनी के कोटे का संबंध है, इसकी घोषणा तिमाही आधार पर की जाती है। चीनी के उत्पादन स्टाक, आवश्यकता, गुड और खांडसारी जैसे वैकल्पिक मीठा कारकों की उपलब्धता, मूल्य प्रवृत्ति आदि को ध्यान में रखते हुए खुली बिक्री की चीनी के मासिक कोटे के निर्धारण के बारे में निर्णय किया जाता है।

(घ) और (ङ) जब कुछेक मानदंडों के आधार पर लेवी चीनी का कोटा एक बार निर्धारित कर दिया जाता है, उसमें तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है जब तक लेवी चीनी के वितरण के संबंध में नीति में कोई परिवर्तन न हो। जहां तक खुली बिक्री की चीनी का संबंध है, पहले से घोषित किये गये मासिक कोटे में कमी नहीं की जाती है। तथापि, यदि खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में कोई असामान्य वृद्धि हो जाती है तो उस स्थिति में भारत सरकार चीनी के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिये हमेशा चीनी की अतिरिक्त निर्मुक्ति (निर्मुक्तियां) कर सकती है। इसके अतिरिक्त, जरूरतमंद चीनी फैक्ट्रियों को गन्ने के देय मूल्य/बकाया धनराशि के भुगतान के प्रयोजन के लिये कुछेक प्रतिशतताओं पर लेवी देयताओं और समायोजन की शर्त के अध्यधीन खुली बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्तियां भी की जाती हैं। सरकार, अस्थायी राहत के रूप में, लेवी देयताओं को कम किये बिना, लंबे समय से न उठाये गये लेवी चीनी के स्टाक को खुली बिक्री की चीनी में परिवर्तित करने की भी अनुमति देती है।

जनवरी, 2001 से जून, 2001 तक प्रत्येक महीने के दौरान लेवी चीनी और खुली बिक्री की चीनी के रिलीज किये गये कोटों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) खुली बिक्री की चीनी के मासिक कोटों की घोषणा समय पर की गई है और इसलिये खुली बिक्री की चीनी के मासिक कोटों के निर्धारण में कोई अनिश्चितता नहीं है। इसके अतिरिक्त, जनवरी से जून, 2001 तक के दौरान खुली बिक्री की चीनी के मूल्य कमोबेशी स्थिर रहे हैं।

विवरण

जनवरी से जून, 2001 तक बिक्री के लिए निर्मुक्त किए चीनी के कोटों की मात्रा

(मात्रा लाख टन में)

मास	खुली बिक्री की चीनी	लेवी चीनी
जनवरी, 2001	8.25+0.02*	4.25
फरवरी, 2001	8.50+0.03*	4.21
मार्च, 2001	9.00+0.26*	2.18
अप्रैल, 2001	10.50+0.45*+0.21**	2.18
मई, 2001	11.00+0.39*+0.22**	2.19
जून, 2001	10.50+0.02*	2.19

* खुली बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्ति।

** लंबे समय से न उठाई गई लेवी चीनी का खुली बिक्री की चीनी में परिवर्तन।

सी.एन.जी. इंजिनों की कालाबाजारी

2069. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सी.एन.जी. इंजिनों की कालाबाजारी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे रोकने के लिये सरकार ने अब तक कोई कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) दी ऑटोमोटिव रिसर्च

एसोशिएसन ऑफ इंडिया, (एआरएआई) द्वारा अनुमोदित वाहन निर्माता ही अपने द्वारा निर्मित डीजल वाहनों में सीएनजी इंजिन फिट कर रहे हैं। सीएनजी इंजन बाजार में उपलब्ध नहीं हैं।

हालांकि, निर्माता अनुमोदित वर्कशॉप के साथ-साथ पेट्रोल चलित वाहनों के लिये सीएनजी किटों को भी फिट कर रहे हैं; जबकि रिपोर्ट के अनुसार सीएनजी किटों का कोई अभाव नहीं है, लेकिन, सीएनजी सिलेन्डरों का कुछ अभाव प्रतीत होता है जिसका आयात किया जाता है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में सीएनजी इंजनों या किटों की कालाबाजारी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

वित्तीय संकट

2070. श्री वी. एस. शिवकुमार :
श्री भेरूलाल मीणा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय संकट का सामना करने वाले राज्य कितने हैं और सरकार द्वारा उनकी स्थिति सुधारने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि प्रदान की गई है और इन राज्यों के क्या नाम हैं; और

(ग) सरकार द्वारा वित्तीय संकट से निपटने के लिये राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु क्या निर्देश जारी किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) प्राप्तियों और व्यय के बीच बढ़ते असंतुलन के कारण कुछ राज्यों को आवधिक अर्थोपाय संबंधित वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा है। राज्यों को इस स्थिति से उबारने के लिये राज्यों और भारतीय रिजर्व बैंक के मध्य अर्थोपाय सहायता के लिये एक समझौता निष्पादित होता है।

राज्यों का वित्तीय प्रबंधन प्रमुखतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और यह संबंधित राज्य सरकार पर है कि वह उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करें। तथापि राज्यों के नकद प्रवाह में असंतुलन को कम करने के लिये भारत सरकार राज्य सरकार की आवश्यकता और अनुरोध को ध्यान में रखते हुए अग्रिम रूप से योजना सहायता, केंद्रीय करों में हिस्से और लघु बचत ऋण जारी कर देती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अर्थोपाय सहायता के अलावा केंद्रीय सरकार भी राज्यों को अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करती है।

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुक्रम में राज्यों में राजकोषीय सुधार सुविधा के लिये एक स्कीम तैयार की गई है। इस स्कीम के तहत राज्यों को मध्यम आवधिक रूप से उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने का लक्ष्य रखते हुए एक प्रबोधन योग्य सुधार कार्यक्रम तैयार करने को प्रोत्साहित किया जाता है।

बर्न स्टैंडर्ड की इकाइयों का बंद होना

2071. श्री सुनील खां : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्न स्टैंडर्ड की लालकुथी, रानीगंज और दुर्गापुर इकाइयों की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से इन इकाइयों के कामगारों को रोजगार देने हेतु इन इकाइयों की भूमि एक रुपये के लीज समझौते पर लेने का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। हालांकि, बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड के पूर्व कामगारों की औद्योगिक सहकारिता को नामिनल लीज रेंटल पर लालकुथी वर्क्स को लीज पर स्वीकृत करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। मंत्रालय ने इस यूनिट को सीधे पश्चिम बंगाल सरकार को 'जहां है जैसा है' के आधार पर स्थानांतरित करने के विचार पर अपनी इच्छा व्यक्त की है जो बाद में यूनिट का प्रबंधन कामगारों की सहकारिता को स्थानांतरित करने के बारे में नीतियां तय करेगी।

मांस के उपभोग पर कर

2072. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मांस की बिक्री/उपभोग पर कर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में गैर–सरकारी संगठनों से सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (घ) भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54 के अनुसार, बिक्री कर राज्यों का एक विषय है और इसलिये राज्य सरकारों को ही बिक्री कर लगाने की शक्ति प्राप्त है।

एच.एम.टी. का निजीकरण

2073. श्री किरीट सोमैया : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच.एम.टी. लिमिटेड की कई इकाइयां वर्तमान में घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में घाटे में चल रही एच.एम.टी. इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एच.एम.टी. लिमिटेड के निजीकरण का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। एचएमटी लिमिटेड की निम्नलिखित इकाइयां वर्ष 2000–2001 के अनंतिम परिणामों के अनुसार घाटा उठा रही हैं :

1. मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर
2. प्रेसिजन मशीनरी डिवीजन, बंगलौर
3. मशीन टूल्स डिवीजन, पिंजौर
4. मशीन टूल्स डिवीजन, कालामासरी
5. मशीन टूल्स डिवीजन, हैदराबाद
6. मशीन टूल्स डिवीजन, अमजेर
7. सेंट्रल रिकंडीशनिंग डिवीजन, बंगलौर
8. मशीन टूल्स मार्केटिंग डिवीजन, बंगलौर
9. वाच फैक्टरी, बंगलौर
10. वाच फैक्टरी, टुमकुर
11. वाच फैक्टरी, रानीबाग
12. वाच केश डिवीजन, बंगलौर
13. वाच मार्केटिंग डिवीजन, बंगलौर
14. वाच फैक्टरी, श्रीनगर।

(ग) और (घ) सरकार ने एचएमटी लिमिटेड की वाच सहायिका, मशीन टूल्स सहायिका और ट्रेक्टर डिवीजन में विनिवेश करने का सिद्धांतरूप में निर्णय ले लिया है।

करों की वसूली हेतु समयबद्ध कार्य योजना

2074. श्री रघुनाथ झा : क्या **वित्त** मंत्री 2.3.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1324 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बकाया वसूलियों हेतु कानून के अंतर्गत क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(ख) स्थगन के खिलाफ सुपीरियर न्यायालयों में कितने मामलों में अपील दाखिल की गई है;

(ग) क्या सरकार का करों की वसूली हेतु सभी स्थगन समाप्त करने हेतु उच्चतम न्यायालय जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात के लिये दिशा-निर्देश

2075. श्री पद्मसेन चौधरी :
डा. अशोक पटेल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता उत्पादों के निर्यात के लिये नये दिशा–निर्देश जारी किये हैं जिनके अंतर्गत उत्पादों के पैकेटों पर भारत में निर्मित 'लोगो' प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त दिशा–निर्देश कब तक प्रभावी हो जायेंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। निर्यात के लिये उपभोक्ता उत्पादों के पैकेटों पर मेड इन इंडिया 'लोगो' के प्रदर्शन को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। तथापि, जिन मामलों में निर्यातक शुल्क हकदारी पास बुक योजना (डी ई पी बी) के तहत मूल्य सीमा को समाप्त करने के लिये एग्जिम नीति के पैराग्राफ 14.4 की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन मामलों में उत्पादों के पैकेटों पर ब्रांड का नाम तथा मेड इन इंडिया 'लोगो' का प्रदर्शन/छपाई अनिवार्य है। दिनांक 1.4.2001 से यह लाभ केवल उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात के लिये इस संबंध में जारी दिनांक 3.5.2001 के नीति परिपत्र सं. 1 के अनुसार उपलब्ध है।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गेहूं का सड़ना

2076. श्री महेश्वर सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशंगाबाद जिले के किसानों से खरीदा गया तथा कुछ मात्रा में पंजाब के किसानों से खरीदा गया 36 करोड़ रुपये का गेहूं इटारसी के भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सड़ गया है;

(ख) क्या 185 करोड़ रुपये के मूल्य का 2 लाख टन गेहूं भी सड़ गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने किसानों और मजदूरों की कड़ी मेहनत से पैदा किये गये खाद्यान्नों के सड़ाने के लिये जिम्मेदारी निर्धारित की है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध कुल 327.06 लाख टन खाद्यान्नों के स्टाक में से केवल 1.82 लाख टन क्षतिग्रस्त है, जो 0.55 प्रतिशत बैठता है।

(ग) खाद्यान्नों के रखरखाव और परिरक्षण हेतु विभिन्न उपाय करने के बावजूद खाद्यान्नों में दीर्घावधि भंडारण और बाढ़, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाद्यान्नों के स्टाक को कुछ क्षति हो जाती है। ऐसे क्षतिग्रस्त स्टाक को अलग करके छांट लिया जाता है, जो मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त होता है, उसका निपटान पशुचारे, औद्योगिक उपयोग, खाद और डम्पिंग आदि के लिये किया जाता है।

(घ) चूंकि अधिकांश खाद्यान्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए थे और मानव लापरवाही के कारण क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे, इसलिये सभी मामलों के लिये कर्मचारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, जब कभी अधिकारियों की लापरवाही आदि के कारण स्टाक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब भारतीय खाद्य निगम अपनी विहित प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई करता है।

[अनुवाद]

लेवी चीनी का मूल्य

2077. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार 13 अप्रैल, 1999 को वर्ष 1974–75 से 1979–80 के चीनी मौसम के लिये लेवी की चीनी के मूल्य अधिसूचित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा धनराशि के इस अंतर का दावा करने के लिये क्या तरीका अपनाया गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां। सरकार ने दिनांक 13.4.99 की अधिसूचना द्वारा 1974–75 (12.7.75) से 1979–80 तक के चीनी मौसमों के लिये लेवी चीनी के मूल्य फिर से पुनःनिर्धारित किये हैं।

(ख) दिनांक 13.4.99 को यथा अधिसूचित लेवी चीनी मूल्यों को फिर से पुनःनिर्धारित करने के कारण लेवी चीनी मूल्य के अंतर का भुगतान सरकार के विचाराधीन है।

भांडागारण निगम संशोधन विधेयक

2078. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की अपनी स्वीकृति दे दी है और क्या अपने अधिकारियों को राज्य भांडागारण निगम बोर्डों में निदेशक के पदों पर नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस संशोधन के बाद भांडागारण निगम देश से बाहर भी अपने गोदामों और भांडागारों को निर्मित कर सकेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे भारत का भांडागारण भार कितना कम होगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (घ) केंद्रीय सरकार ने भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2001 को प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है और इसे 30.7.2001 को राज्य सभा में प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रस्तावित संशोधन, यदि इसे लागू किया गया, तो इसके :

(i) केंद्रीय भंडारण निगम विदेश में भांडागारण स्थापित कर सकेगा और संयुक्त उद्यम में भी प्रवेश कर सकेगा;

(ii) केंद्रीय भंडारण निगम को राज्य भांडागार निगमों के बोर्ड में अपने अधिकारियों को नामित करने की शक्ति प्राप्त होगी;

(iii) राज्य सरकारों को केंद्रीय भंडारण निगम की स्वीकृति के बिना राज्य भांडागार निगमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को नियुक्त करने/हटाने की शक्तियां प्राप्त होंगी; और

(iv) राज्य भांडागार निगमों को केंद्रीय भंडारण निगम की स्वीकृति के बिना गोदामों और भांडागारों का अधिग्रहण करने और निर्माण करने की शक्ति प्राप्त होगी।

(ङ) विदेश में भांडागार स्थापित करना केंद्रीय भंडारण निगम की विविधीकृत गतिविधि है। इससे भारत में इसकी भांडागार गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

गेहूं का निर्यात

2079. श्री रघुनाथ झा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 2001 में गेहूं के निर्यात में 40 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय गेहूं आटा बनाने के मानदंडों पर खरा नहीं उतरता जिससे गेहूं निर्यात में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कमी के अन्य कारण क्या हैं;

(घ) मई, 2001 तक विभिन्न देशों को अब तक कुल कितने गेहूं का निर्यात किया गया और इसका निर्यात किस मूल्य पर किया जाता है और चालू वर्ष के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं का निर्यात करने तथा लक्ष्य प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(च) क्या केंद्र सरकार का विचार निर्यातकों के माध्यम से गेहूं और चावल का निर्यात करने का भी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। भारतीय गेहूं 15 देशों में स्वीकार किया गया है।

(घ) विभिन्न देशों को 31.05.2001 तक केंद्रीय पूल से 2368037 मी. टन गेहूं का निर्यात किया गया है। भारतीय खाद्य निगम को 31.03.2001 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/एजेंसियों को 4150/– रुपये प्रति मी. टन तथा तत्पश्चात 4300/– रुपये प्रति मी. टन की दर से गेहूं के निर्यात की पेशकश की अनुमति दी गई थी। वर्ष 2001–2002 के लिये केंद्रीय पूल से निर्यात हेतु 50 लाख मी. टन (प्रारंभ में) की मात्रा निर्धारित की गई है।

(ङ) निर्यात किये जाने वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता आयात करने वाले देशों द्वारा निर्धारित की गई विनिर्दिष्टियों पर निर्भर करती है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा पेशकश किया गया गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधीन वसूल किये गये स्टाक से है। निर्यात करने वाली एजेंसियों को उस स्टाक की पहचान करने की सुविधा दी गई है जिसे वे निर्यात करना चाहती हैं। भारतीय खाद्य निगम को कांडला अथवा किसी अन्य बंदरगाह, जहां से निर्यात किया जाता है, में खाद्यान्नों की सफाई की सुविधाएं स्थापित करने देने के अनुदेश दिये गये हैं।

(च) और (छ) अब सभी पार्टियों को निर्यात के लिये केंद्रीय पूल से गेहूं और चावल की पेशकश की जा रही है। गेहूं निर्यात के ब्यौरे उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर में दिये गये हैं। वर्ष 2001–2002 के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राइवेट पार्टियों को 5630/– रुपये प्रति मी. टन की दर से रॉ चावल और 6000/– रुपये प्रति मी. टन की दर से सेला चावल की किस्मों के 30 लाख मी. टन चावल के निर्यात हेतु केंद्रीय पूल से पेशकश की जा रही है।

केंद्रीय भांडागारों की क्षमता

2080. श्री एम. चिन्नासामी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय भांडागार निगम के प्रत्येक गोदाम की कुल क्षमता कितनी है;

(ख) प्रत्येक गोदाम का क्षेत्र–वार कुल क्षमता उपयोग कितना है;

(ग) कम उपयोग, यदि कोई है, के कारण क्या हैं; और

(घ) इन गोदामों का उपयोग बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय भंडारण निगम देश में 467 भांडागारों में कुल 85.96 लाख मी. टन क्षमता का प्रचालन कर रहा है। 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार क्षमता की समूची उपयोगिता 92 प्रतिशत है। क्षेत्र–वार/भांडागार–वार क्षमता और इसकी उपयोगिता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) 92 प्रतिशत की समूची उपयोगिता संतोषजनक है। कुछ भांडागारों में कम उपयोग स्थानीय मांग/परिस्थितियों के कारण हैं।

(घ) ऐसे गोदामों की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिये गतिविधियों का विविधीकरण करने और निकटवर्ती संभावना वाले क्षेत्रों से कारोबार आकर्षित करने के लिये उपाय किये जाते हैं।

विवरण

30.6.2001 को केंद्रीय भंडारण निगम की भंडारण क्षमता और इसका उपयोग

अहमदाबाद

गुजरात

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
अदालाज–सीएफएस	0	17716	21200	0	38916	16204	42
अहमदाबाद–I	29193	0	0	0	29193	22844	78
अहमदाबाद–II	0	5104	0	0	5104	6562	129
आनन्द	4820	0	0	0	4820	4118	85
अंकलेश्वर	0	1160	0	0	1160	385	33
बड़ौदा आईसीडी	0	4650	11000	0	15650	5025	32
बड़ौदा–I	16650	0	0	0	16650	15949	96
बड़ौदा–II	0	1100	0	0	1100	1251	114
भावनगर	14250	0	0	0	14250	14067	99

1	2	3	4	5	6	7	8
हाजिरा	0	0	53800	0	53800	60134	112
इशानपुर	0	8235	0	0	8235	7899	96
जामनगर	19700	0	0	0	19700	18745	95
कांडला, सीएफएस	12500	0	31800	0	44300	21090	48
कांडला–I	5000	0	0	0	5000	6845	137
कांडला–II	27000	0	0	0	27000	17632	65
नाडियाड	8500	7500	0	0	16000	16957	106
पीपावाव पोर्ट	50000	0	0	0	50000	2031	4
राजकोट आईसीडी	0	4431	16250	0	20681	0	0
राजकोट–I	12500	0	0	0	12500	11012	88
राजकोट–II	12500	0	0	0	12500	8866	71
रानोली–I	0	8567	0	0	8567	7322	85
रानौली–II (दसरा)	0	7479	0	0	7479	7116	95
रानोली–III (कराक)	5000	0	26528	0	31528	28106	89
सूरत–I	15200	667	0	0	15867	12627	80
सूरत–II	5950	0	1500	0	7450	2658	36
उम्बरगांव	0	0	0	4205	4205	4205	100
वाडोड	12500	0	0	0	12500	2754	22
वापी	0	2748	0	0	2748	196	7
जोड़	251263	69357	162078	4205	486903	322600	66

बंगलौर

कर्नाटक

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
अमरापुरा/बेल्लारी	0	0	0	22388	22388	22388	100
बैलहोंगल	0	10386	0	0	10386	7787	75

1	2	3	4	5	6	7	8
बांग–I/एएमपीसी	25535	0	0	0	25535	25372	99
बांग–V/रखा जाने वाला	0	8954	0	0	8954	5835	65
बांग–VIII/एनजीइएफ	0	0	0	1210	1210	1210	100
बांग–X/केआरपी	0	1363	0	225	1588	455	29
बेलगांव	14450	3438	0	0	17888	18583	104
बीदर	0	0	20000	0	20000	20000	100
चित्रदुर्ग	0	1824	0	0	1824	0	0
देवानगेरे	21118	23039	0	0	44157	40589	92
डिस्ट्रीपार्क	13400	0	0	0	13400	8676	65
गादग	23500	13523	0	0	37023	27824	75
गुलबर्ग–I	9780	1377	0	0	11157	9140	82
गुलबर्ग–II	25000	4469	30000	0	59469	63417	107
होसेहाल्ली	0	0	0	478	478	478	100
हिरापल्ली/टुमकुर	0	0	22000	1325	23325	22925	98
हुबली	0	12103	0	0	12103	13395	111
के.आर. नगर	0	1396	0	0	1396	188	13
कोप्पल	0	2150	0	0	2150	1538	72
मांडया	0	5042	0	0	5042	6207	123
मंगलौर–I	13390	3160	0	0	16550	17641	107
मंगलौर–II	14000	0	0	0	14000	11356	81
मैसूर	0	0	0	640	640	57	9
नारगुंड	0	12442	0	0	12442	13621	109
एनएच–4/यशवंतथापु	0	5816	0	0	5816	5696	98
सेडम	3000	600	0	0	3600	3074	85
शिकारीपुर	5500	3072	0	0	8572	9465	110
सिमोगा	0	9148	0	0	9148	10325	113
सोनदात्ती	5000	7205	0	0	12205	11819	97

1	2	3	4	5	6	7	8
तोरांगुल्लू	0	0	0	3600	3600	3600	100
व्हाइटफील्ड	0	5900	0	0	5900	7503	127
जोड़	173673	136407	72000	29866	411946	390164	95

भोपाल

मध्य प्रदेश

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
बालाघाट	10000	4351	0	0	14351	18745	131
भिंड	10000	0	0	0	10000	10463	105
भोपाल–I	40740	0	0	0	40740	41562	102
भोपाल–II	0	3745	0	0	3745	3028	81
बीना	0	1345	0	0	1345	1527	114
बुरगावान	0	22152	0	0	22152	41843	189
बुरहानपुर–I	17200	0	0	0	17200	9830	57
बुरहानपुर–II	10000	0	0	0	10000	2828	28
छत्तरपुर	0	22619	0	0	22619	36028	159
ग्वालियर	19750	0	0	0	19750	17095	87
हनुमान	0	16877	0	0	16877	26724	158
इन्दौर–I	12500	0	0	0	12500	8856	71
इन्दौर–II	3750	3435	0	0	7185	6346	88
इन्दौर–III	18500	0	0	0	18500	15108	82
इन्दौर–IV	16000	0	0	0	16000	14990	94
इन्दौर–V	20000	6266	0	0	26266	19865	76
कटनी	25100	5901	0	0	31001	41150	133
खांडवा–बीडी	90000	0	0	0	90000	88306	98
खांडवा–II	7367	8688	0	0	16055	9418	59

1	2	3	4	5	6	7	8
मक्सी	5000	0	20000	0	25000	23325	93
मल्लनपुर	10000	0	0	0	10000	12152	122
मुरैना–I	31450	0	0	0	31450	31720	101
मुरैना–II	32800	860	10000	0	43660	52089	119
नरसिंहपुर	19100	9563	6500	0	35163	38025	108
पिथमपुर	5000	0	0	3586	8586	5287	62
सनवार	7000	0	0	0	7000	3330	48
सतना	0	34144	0	4050	38194	55144	144
शिवपुरकलां	21000	0	20000	0	41000	41997	102
शिवपुरी	0	11258	0	0	11258	10952	97
सोहागपुर	5000	0	0	0	5000	4953	99
जोड़	437257	151204	56500	7636	652597	692686	106

भोपाल

छत्तीसगढ़

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
भाटपाड़ा–I	23400	0	0	0	23400	28623	122
भाटपाड़ा–II	15000	0	15000	0	30000	31158	104
बिलासपुर–I	28000	0	0	0	28000	30789	110
बिलासपुर–II	15000	0	9640	0	24640	25882	105
रायगढ़–I	11300	12347	0	0	23657	23119	98
रायगढ़–II	20000	12450	8400	0	40850	36279	89
रायपुर–I	13000	0	0	0	13000	10953	84
रायपुर–II	8800	0	0	0	8800	6002	68
रायपुर–III	33200	0	0	0	33200	27358	82
रायपुर आईवीसीएफएस	20000	4250	9000	0	33250	28622	86
जोड़	187700	29057	42040	0	258797	248785	96

भुवनेश्वर

उड़ीसा

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
बरगढ़	10100	4250	0	0	14350	16566	115
बेहरामपुर	45000	0	0	0	45000	48010	107
चौदउवार	5000	0	0	0	5000	5000	100
कटक	16400	0	0	0	16400	14800	90
जाजपुर रोड	7500	0	0	0	7500	6860	91
जैपोर	10000	1856	0	0	11856	12849	108
केशिन्गा	0	7100	0	0	7100	7100	100
पारादीप पत्तन	30000	0	1800	0	31800	2265	7
रायगढ़	5000	2500	0	0	7500	7500	100
सम्बलपुर	7000	2600	0	0	9600	11649	121
जोड़	136000	18306	1800	0	156106	132599	85

कोलकाता

पश्चिम बंगाल

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
अगरपाड़ा	0	2937	0	0	2937	1272	43
बागडोगरा	5000	10423	0	0	15423	9930	64
बाडानगर	0	15288	0	0	15822	5936	38
बेलदा	0	2144	0	0	2144	2519	117
बेहरामपुर	20000	0	0	0	20000	11372	57
बीराती	0	5269	0	0	5269	7857	149
बिष्णुपुर	16000	0	0	0	16000	12732	80
बोनहुगली	31666	0	0	0	31666	19671	62
बज–बज	0	7500	0	0	7500	7742	103

1	2	3	4	5	6	7	8
बुरहवान–I	5405	0	0	0	5405	4561	84
बुरहवान–II	0	11713	0	0	11713	11266	96
कलकत्ता–सीएफएस	19730	0	20000	0	39730	29803	75
कलकत्ता आई एंड ई	38902	0	0	0	38902	20701	53
चंद्रकोना रोड	5000	4955	0	0	9955	10340	104
कूच बिहार	6520	0	0	0	6520	3998	61
दुर्गाचाक	32400	0	0	0	32400	20052	62
फाल्टा	2000	0	0	0	2000	2000	100
हावड़ा	0	2329	0	0	2329	43	2
हल्दिया	15000	0	4000	0	19000	2504	13
कांतापुकुर	0	25151	0	0	25151	15726	63
खड़गपुर	29000	0	0	0	29000	23293	80
लाके डिपो	0	3675	0	0	3675	2033	55
महेशताला	0	4825	0	0	4825	3714	77
मजेरहाट	0	2600	0	0	2600	2600	100
मालदा	10000	0	0	0	10000	4376	44
मल्लारपुर	0	2293	0	0	2293	1816	79
मातीगाड़ा	5000	0	0	0	5000	0	0
मोगरा (तारागांव)	6500	0	0	0	6500	6500	100
निमक महल रोड	0	2576	0	0	2576	1995	77
पंचपारा	18120	0	0	0	18120	15011	83
पांडुआ	5000	4391	0	0	9391	6935	74
पेत्रापोले	0	0	36000	0	36000	26280	73
रानीनगर	5000	0	0	0	5000	4962	99
रिसरा	0	20000	0	0	20000	5957	30
सरगाछी	15000	0	0	0	15000	15000	100
सरकारपुल	0	8334	0	0	8334	675	8

1	2	3	4	5	6	7	8
सारूल	26700	0	0	0	26700	47931	180
श्रीरामपुर	0	5523	0	0	5523	5440	98
शिवरापुल्ली	0	4006	0	0	4006	3861	96
श्यामनगर	0	5348	0	0	5348	2583	48
स्ट्रेंड बैंक रोड	0	6092	0	0	6092	6559	108
सुक्षर	0	8975	0	0	8975	5050	56
ताराटोला रोड	4183	0	0	0	4183	3983	95
उलुबेरेया	15000	0	0	0	15000	14665	98
जोड़	337126	166881	60000	0	564007	411244	73

चंडीगढ़

पंजाब

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
अबोहर–I	26000	0	0	0	26000	19525	75
अबोहर–II	0	17181	0	0	17181	12235	71
अबोहर–III	0	9965	0	0	9965	2806	28
अजीतवाल	0	5877	0	0	5877	6129	104
अमृतसर	20000	5354	0	0	25354	17847	70
अमृतसर–एसीसी	1400	0	0	0	1400	14	1
अमृतसर–बीडी	50000	0	5000	0	55000	55049	100
भटिंडा	0	7199	35000	0	42199	42412	101
भोगपुर	14900	0	0	0	14900	12899	87
चालानोल	0	0	8600	0	8600	8600	100
फजिल्का–I	11700	3426	0	0	15126	15530	103
फजिल्का–II	0	13044	0	0	13044	16306	125
गढ़शंकर	5000	0	9000	0	14000	15262	109

1	2	3	4	5	6	7	8
गुरदासपुर	7950	4725	0	0	12675	12277	97
होशियारपुर	15000	378	0	0	15378	12618	82
खन्नाखुर्द	0	21100	0	0	21100	18618	88
लुधियाना	13850	23716	0	0	37566	34610	92
मालौट	0	6350	0	0	6350	7741	122
मंडी गोविन्दनगर	0	0	6200	0	6200	6200	100
मान्सा	18000	0	0	0	18000	19237	107
मोगा–I	16000	23299	0	0	39299	31052	79
मोगा–II	76000	3174	5000	0	84174	103187	123
मोहाली	2000	0	0	0	2000	194	10
मौर मंडी	0	10847	0	0	10847	9085	84
मुक्तसर	11250	16864	0	0	28114	24331	87
नाभा	20300	1775	0	0	22075	13007	59
नाभा बीडी	111700	0	5000	0	116700	128182	110
पठानकोट बीडी	50000	0	25750	0	75750	85427	113
राजपुरा	0	15000	0	0	15000	18267	122
रोपड़	12700	0	5000	0	17700	20514	116
सरहिंद	14700	0	0	0	14700	14388	98
जोड़	498450	189274	104550	0	792274	783549	99

चंडीगढ़

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
चंडीगढ़	10550	2544	1667	0	14761	13549	92
जोड़	10550	2544	1667	0	14761	13549	92

चंडीगढ़

जम्मू और कश्मीर

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
बिशना	0	6265	0	0	6265	5012	80
जोड़	0	6265	0	0	6265	5012	80

चेन्नई

तमिलनाडु

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
थुकुकुड्डी सीएफएस	15000	0	0	0	15000	3045	20
अम्बात्तुर	6098	2720	0	0	8818	5459	62
चिदंबरम	13500	0	0	0	13500	10867	80
क्रोमपेट	76096	0	2204	0	78300	76978	98
कोयम्तुर	7500	0	0	0	7500	7783	104
इरोडे	10360	0	0	0	10360	12727	123
होसुर	10000	0	0	0	10000	8798	88
कलादिपेत (थांगा)	0	5772	0	0	5772	2378	41
कालमंडाप्पन	0	14900	0	0	14900	9489	64
कोवाईपुदुर	0	7435	0	0	7435	4860	65
कुम्बाकोलम	8500	0	0	0	8500	7877	93
माधवराम सीएफएस	10000	0	5000	0	15000	4213	28
मदुरै–I	6460	0	0	0	6460	7167	111
मदुरै–II	28040	0	0	0	28040	27026	96
मनारगुडी	50000	0	0	0	50000	50000	100
मेप्ज	3000	0	0	0	3000	1475	49
मुलाप्लयान	12000	0	0	0	12000	14030	117
नागोरकोआइल	14700	0	0	0	14700	14237	97

1	2	3	4	5	6	7	8
रायापुरम सीएफएस	17500	0	0	0	17500	7225	41
सिंगनाल्लूर एसीसी	18280	0	0	0	18280	18387	101
थंजावर	70000	0	59362	0	129362	135377	105
टोलगेट	0	9889	0	0	9889	5915	60
टोंडाइपेट	0	12729	0	0	12729	4849	38
त्रिची	90000	0	0	0	90000	90000	100
उडुमलापेट	0	3640	0	0	3640	3869	106
विरधुनगर	12900	0	0	0	12900	13251	103
विरूगामबेक्कम	58020	0	21716	0	79736	73723	92
जोड़	537954	57085	88282	0	683321	621005	91

चेन्नई

पांडिचेरी

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
पांडिचेरी	7350	0	945	2338	10633	10154	95
जोड़	7350	0	945	2338	10633	10154	95

दिल्ली

दिल्ली

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
कीर्तिनगर	19310	0	0	0	19310	17635	91
नांगलोई	0	9440	0	0	9440	7889	84
नरेला	4800	829	1666	0	7295	6754	93
ओखला–I	5000	0	1166	0	6166	11095	180
ओखला–II	10500	1144	0	0	11644	10381	89
पालम	0	500	0	0	500	500	100
पटपड़गंज–आईसीडी	27293	3312	7500	0	38105	63602	167

1	2	3	4	5	6	7	8
पूसा	0	2390	0	0	2390	2690	113
राणाप्रताप बाग	36225	0	250	0	36475	29049	80
सफदरजंग फ्लाईओवर	0	3780	0	0	3780	3953	105
शाहदरा	0	1683	0	0	1683	1683	100
उत्तमनगर	0	2910	0	0	2910	752	26
जोड़	103128	25988	10582	0	139698	155983	112

दिल्ली

उत्तर प्रदेश

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
ग्रेटर नोएडा	0	0	0	17941	17941	17941	100
लोनी बोर्डर	66000	0	0	0	66000	61566	93
नोएडा	15000	0	1035	0	16035	16035	100
नोएडा (एनईपीजी)	1800	867	0	0	2667	2667	100
सूरजपुर (उ.प्र.)–I	10000	0	0	0	10000	10000	100
जोड़	92800	867	1035	17941	112643	108209	96

गुवाहाटी

असम

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
धुबरी	10100	0	0	0	10100	3266	32
गुवाहाटी	8600	2107	0	0	10707	9615	90
जोरहाट–I	10500	0	0	0	10500	1819	17
जोरहाट–II	5000	0	0	0	5000	1317	26
सिपाझर	0	0	0	627	627	627	100
सोरभोग	10000	0	0	0	10000	7113	71
जोड़	44200	2107	0	627	46934	23757	51

Count:6

गुवाहाटी

मिजोरम

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
आइजवाल	1500	0	0	0	1500	0	0
जोड़	1500	0	0	0	1500	0	0

गुवाहाटी

नागालैंड

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
दीमापुर	13000	0	0	0	13000	12134	93
जोड़	13000	0	0	0	13000	12134	93

गुवाहाटी

त्रिपुरा

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
अगरतला	19250	0	0	0	19250	12391	64
अगरतला एल.एस.	4750	0	0	0	4750	3217	68
जोड़	24000	0	0	0	24000	15608	65

हैदराबाद

आंध्र प्रदेश

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
अदीलाबाद	15000	3125	0	0	18125	13363	74
अडोनी	22520	0	0	0	22520	21695	96
अंकापल्ली	10000	0	0	0	10000	6889	69
बोधान	25230	0	0	0	25230	28356	112
चिलकालुरीपेट	0	15200	0	0	15200	14913	98

1	2	3	4	5	6	7	8
चितयाल	5700	5599	0	0	11299	13659	121
कुडप्पा	25300	0	0	0	25300	22841	90
डुगीरला	7500	0	0	0	7500	8144	109
गडवाल	0	2070	0	0	2070	1279	84
गुडीवाडा	35000	0	0	0	35000	35601	102
गुंटूर बी.डी./बी.ई.डी.	70000	0	0	0	70000	79854	114
गुंटूर–1	26800	0	0	0	26800	30574	114
आईपीडीएल हैदराबाद	0	0	0	775	775	0	0
जनगांव	7590	2614	0	0	10204	10064	99
ककालुर	19000	2800	0	0	21800	29790	137
ककीनाडा (तरज)	10000	21362	0	0	31362	31605	101
करीमनगर	25000	0	0	0	25000	40864	163
कु कुक्टपल्लीसध एफ.एस.	11873	1420	21840	1163	36296	5917	16
एल.बी. नगर	0	5000	0	0	5000	5000	100
मसुलीपतनम	38700	0	0	0	38700	59498	154
मेडक	11500	0	0	0	11500	13556	118
मेहबूबनगर	30319	0	0	0	30319	33010	109
नचारम (मोल्ला)	0	4260	0	0	4260	4653	109
नामपाल एल.वाई (हद–1)	10600	2127	0	0	12727	9851	77
नंदीकुटूर	5000	0	0	0	5000	5066	101
नंदयाल	33700	0	0	0	33700	32183	95
नेलूर	48000	0	5000	0	53000	55629	105
निदामानुर	37500	0	0	0	37500	37464	100
निरमल	0	1645	0	0	1645	1202	73
निजामाबाद	32000	0	0	0	32000	37350	117
आंगल	10000	12258	0	0	22258	25604	115
राजामुंदरी	34360	0	10000	0	44360	58346	132
रेनीगुंट	20350	0	10000	0	30350	26240	86

1	2	3	4	5	6	7	8
संतनगर–एफ	11074	0	0	0	11074	9857	89
संतनगर हदर	0	9032	0	2298	11330	16156	143
सारंगपुर	38530	0	0	0	38530	38704	100
सतानापल्ली	5000	0	0	0	5000	6576	132
सिडीपेट	14750	3312	0	0	18062	21328	118
सूर्यापेट	50225	0	0	0	50225	60568	121
ताडेपालेगुडम	75000	0	0	0	72000	100603	140
वेदीसालेरु	0	6504	0	0	6504	8216	126
वदलामुडी	35500	0	0	0	35500	37695	106
विजयवादाब (आर.बी.)	70000	0	0	0	70000	76586	109
विजयवादाब (के.ई.डी.)	6000	833	0	0	6833	3500	51
विजयवादाब (बी.एच.)	15000	0	0	0	15000	16907	113
विजाग–I	36330	0	1500	0	37830	16930	45
विजाग–II	30000	0	0	0	30000	12824	43
वारंगल	10502	10883	0	0	21382	27822	130
वाईरा	0	2166	0	0	2166	1548	71
जहीराबाद	0	0		6047	6047	6047	100
जोड़ 2	1023453	112207	48340	10283	1194283	1262377	106

जयपुर

राजस्थान

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
अलवर	0	1188	0	1412	2600	2218	85
भिवाडी	0	0	0	230	230	230	100
बीकानेर	21600	8792	0	0	30392	37026	122
हनुमानगढ़	20700	1172	0	0	21872	25223	115
इंदरगढ़	0	2500	0	0	2500	3080	123

1	2	3	4	5	6	7	8
जयपुर–I	0	2086	0	2833	4919	3387	69
जयपुर–II	4100	514	7183	0	11797	5271	45
जालौर	0	4092	0	0	4092	83	2
झुंझुनु	0	4544	0	0	4544	6193	136
कोटा–I	28825	21901	0	2615	53341	52745	99
कोटा–II	37670	2503	0	0	40173	41127	102
कोटा–आई.सी.डी.	2700	0	6175	0	8875	2128	24
लक्ष्मणगढ़	0	9041	0	0	9041	12847	142
मेरटा शहर	0	6500	0	0	6500	7074	109
नागार	0	7401	0	0	7401	5898	80
ओझाडु	0	0	0	718	718	718	100
पृथ्वीपुरा	0	0	0	3824	3824	3824	100
रामगंज मंडी	0	9893	0	0	9893	6901	70
सलोदा/जी शहर	0	5132	0	0	5132	4818	94
सिकर	5000	1630	0	0	6630	7975	120
श्रीगंगानगर–I	25200	7000	0	0	32200	29964	93
श्रीगंगानगर–II	10000	5000	20000	0	35000	37376	107
श्रीमाधोपुर	10000	5000	0	0	15000	17806	119
सूरजगढ़	0	5000	0	0	5000	5759	115
उदयपुर	0	1266	0	0	1266	325	26
उदयपुर आईसीडी	3750	0	2000	0	5750	163	3
जोड़	169545	112155	35358	11632	328690	320159	97

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
बलिया	15000	0	0	0	15000	15700	105

1	2	3	4	5	6	7	8
बांदा	8500	0	0	0	8500	10978	129
बस्ती	35000	0	0	0	35000	39584	113
बहराइच	11570	1988	0	0	13558	14207	105
बिलासपुर	7500	0	0	0	7500	7847	105
चंदौसी–I	20540	8540	0	0	29180	23372	80
चंदौसी–II	10000	1005	0	0	11005	10552	96
चिंरगांव	5000	875	0	0	5875	3525	60
दादरी	19000	0	0	0	19000	20921	110
डुमरियागंज	10000	0	0	0	10000	12150	122
इटावा	20600	0	1340	0	21940	22272	102
फैजाबाद	7750	10500	0	0	18250	15560	85
गंगोह	0	2780	0	0	2780	2500	90
गोरीगंज	0	0	0	3587	3587	3587	100
गाजियाबाद–I	16920	0	0	0	16920	15998	95
गाजियाबाद–II	0	10288	0	0	10288	3822	37
गोलोकारंथ	15800	0	0	0	15800	16119	102
गोरखपुर	29700	0	0	0	29700	32109	108
हाल कानपुर	0	0	0	129	129	129	100
हाल लखनऊ	0	0	0	169	169	169	100
हरदोई	38500	0	0	0	38500	38817	101
जहांगर–I	10000	0	0	0	10000	11316	113
जहांगर–II	10360	0	0	0	10360	12188	118
जलालाबाद	0	7500	0	0	7500	9529	127
झांसी	14600	0	0	0	14600	15522	106
कानपुर	0	4677	0	5296	9973	9479	95
कानपुर आई.सी.डी.	5000	0	5750	0	10750	1059	10
खटीमा	6700	5500	0	0	12200	13674	112

1	2	3	4	5	6	7	8
लखनऊ–I	26400	0	0	0	26400	27436	104
लखनऊ–II	7500	988	0	0	8488	41007	165
महोबा	0	8000	0	0	8000	6983	87
मऊनाथ भंजन	0	3590	0	0	3590	4749	132
मुजफ्फरनगर	27450	4543	0	0	31993	29539	92
मुजफ्फरनगर बोर्ड	100000	0	20000	0	120000	129380	108
पौवायन	0	5000	0	0	5000	4540	91
रामपुर	24400	4118	0	0	28518	29841	105
राबर्ट्सगंज	5000	0	0	0	5000	6903	138
सहारनपुर बोर्ड	55000	2000	5000	0	62000	69259	112
सहारनपुर/आई.सी.डी.	26300	5101	4330	0	35731	27573	77
साहिबाबाद–I	7500	0	1282	0	8782	6604	75
साहिबाबाद–II	20200	0	3138	0	23338	21149	91
शाहगंज	10000	0	10000	0	20000	19128	96
शाहजहांपुर	43200	1500	0	0	44700	47947	107
शामली	5000	5000	0	0	10000	10843	108
वाराणसी–आई.सी.डी.	0	673	2870	0	3543	2721	77
जोड़	676090	94166	53710	9181	833147	841287	101

लखनऊ

उत्तरांचल

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
बाजपुर	12100	0	0	0	12100	15177	125
बिजनौर	21280	0	0	0	21280	18922	89
जसपुर	13200	0	0	0	13200	15194	115
काशीपुर–I	11530	0	0	0	11530	12653	110

1	2	3	4	5	6	7	8
काशीपुर–II	10000	0	0	0	10000	12106	121
निरंजनपुर	0	6316	0	0	6316	5792	92
श्रीनगर	6700	0	0	0	6700	6700	100
जोड़	74810	6316	0	0	81126	86544	107

मुंबई
गोवा

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
गोवा	27000	0	0	0	27000	19969	74
जोड़	27000	0	0	0	27000	19969	74

मुंबई
महाराष्ट्र

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
अहमदनगर	0	0	0	655	655	655	100
अकोला	27420	0	0	0	27420	24077	88
अंबद–नासिक	10000	0	1930	0	11930	7702	65
अंबेरनाथ–I	5000	0	0	1549	6549	6549	100
अंबेरनाथ–II	0	0	0	5219	5219	5219	100
अमरावती	28920	1015	0	0	29935	27438	92
अंजनगांव	0	2194	0	0	2194	1746	80
भानधूप–I (एम)	0	4354	0	0	4354	250	6
भानधूप–II (एम)	0	1663	24821	0	26484	25501	96
भानधूप–III (एम)	0	4180	0	0	4180	155	4
भायांदर	0	2738	0	0	2738	2613	95
बोरीविली	0	4471	0	0	4471	4471	100
चिकलथाणा	6122	0	0	0	6122	2715	44
दरयापुर	0	1948	0	0	1948	1269	65

1	2	3	4	5	6	7	8
दिगरस	0	961	0	0	961	422	44
डोल्वी	0	0	0	0	123918	123918	100
दोनवट (उत्तम एसटी)	0	0	0	6242	6242	6242	100
गोंडिया	11550	5444	0	0	16994	17033	100
गोरेगांव	0	8931	3226	0	12157	5073	42
काजूपाड़ा	0	9234	0	0	9234	8772	95
कलमबोली	30000	0	61250	0	91250	57619	63
करंजा	0	3452	0	0	3452	2595	75
खोपोली (एचआईडीसी एंड एम)	0	0	0	9233	9233	9233	100
कोल्हापुर–I	11250	9946	0	0	21196	19439	92
कोल्हापुर–II	20000	0	0	0	20000	20088	100
लोटे परशुराम	0	0	0	1195	1195	1195	100
एम.एस. जेठा (एम)	4500	0	0	0	4500	2133	47
मिड नागपुर (एचआईएन)	0	2965	0	0	2965	2422	82
मिराज	10000	0	0	0	10000	8931	89
मिराज बेस डिपो	80000	0	0	0	80000	4634	6
मुलंद–I	0	16532	0	0	16532	7169	43
मुलंद–II	0	5282	0	0	5282	3117	59
नागपुर	14500	6668	0	0	21168	21830	103
नासिक	2500	0	0	0	2500	1954	78
नासिक रोड	17160	4505	0	0	21665	17484	81
न्यू परेल	0	1331	0	0	1331	1331	100
पताल गंगा	0	0	0	1764	1764	1764	100
पुणे–I सीएफएस–किरलो	12500	0	8445	0	20945	14703	70
संसवादी–पुणे	0	0	0	3996	3996	3996	100
सांगली	16060	0	0	0	16060	11932	74
सीप्ज–अंध (एम)	0	2599	0	0	2599	3202	123
सुकेली	0	0	0	2500	2500	2500	100

1	2	3	4	5	6	7	8
तुरभे (एम)	0	2674	0	1676	4350	3136	72
टीडब्ल्यू–I (एम)	0	27104	0	0	27104	18545	68
टीडब्ल्यू–II (एम)	0	11300	0	0	11300	6254	55
वशी (एम)	63500	0	79168	0	142668	93373	65
वशी–II/मार्क (एम)	0	6398	0	0	6398	6461	101
वदाला (एम)	10500	0	2235	0	12735	11556	91
वालुज–I	4947	0	0	0	4947	5987	121
येओतमल	5000	4946	0	1664	11610	10072	87
जोड़	391429	152835	181075	159611	884950	646475	73

नवी मुंबई

महाराष्ट्र

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
बफर यार्ड	0	0	50000	0	50000	50000	100
द्रोणागिरि	92000	0	68125	0	160125	140808	88
जे.एन. पोर्ट	0	27200	88125	0	115325	88951	77
जोड़	92000	27200	206250	0	325450	279759	86

पंचकुला

हरियाणा

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
असांध	13333	14610	0	0	27943	33507	120
भिवानी	0	5486	0	0	5486	5709	104
चरखी दादरी	11100	2500	0	0	13600	14680	108
फरीदाबाद	0	4750	0	0	4750	4208	89
गनौर	0	4725	0	0	4725	5595	118
गुड़गांव	18000	0	0	0	18000	20802	116

1	2	3	4	5	6	7	8
हिसार	28400	0	0	0	28400	26125	92
इंदरी	15180	12687	0	0	27867	29412	106
कैथल	0	7466	0	0	7466	8506	114
कालका	0	2450	0	0	2450	2450	100
करनाल–I	12600	9984	0	0	22584	23325	103
करनाल–II	0	17099	0	0	17099	18654	109
करनाल–III	30000	0	0	0	30000	36429	121
मंडी आदमपुर	17250	0	0	0	17250	18117	105
नारायणगढ़	0	5000	0	0	5000	6595	132
नरवाना	6000	7933	0	0	13933	12387	89
पीलूखेड़ा	0	4760	0	0	4760	4982	105
सोनीपत–I	19280	0	0	0	19280	14979	78
सोनीपत–II	0	5000	0	0	5000	5991	120
जोड़	171143	104450	0	0	275593	292453	106

पंचकुला

हिमाचल प्रदेश

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
मंडी	2370	0	0	0	2370	1332	56
सोलन	3000	0	0	0	3000	3000	100
जोड़	5370	0	0	0	5370	4332	81

पटना

बिहार

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
दरभंगा	7500	2475	0	0	9975	7609	76
देहरी ओन सोने	0	6217	0	0	6217	5017	81

1	2	3	4	5	6	7	8
फतूहा	4500	0	0	0	4500	2797	62
कटिहार	8000	4263	0	0	12263	7753	63
किशनगंज	12000	0	0	0	12000	11786	98
मोहानियां	3750	0	0	0	3750	3635	97
मोखामेह	5000	0	0	0	5000	5521	110
मोंघयार	8000	0	0	0	8000	6743	84
मुसल्लापुर	7487	0	0	0	7487	6982	93
नोखा	4300	0	0	0	4300	4300	100
पटाही	0	7350	0	0	7350	525	7
पटना	6500	4016	0	0	10516	6747	64
समस्तीपुर	17650	0	0	0	17650	17174	97
जोड़	84687	24321	0	0	109008	86589	79

पटना

झारखंड

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
हजारीबाग	15300	0	0	0	15300	13937	91
जमशेदपुर	4000	1000	0	0	5000	4737	95
रांची	14650	0	0	0	14650	14749	101
जोड़	33950	1000	0	0	34950	33423	96

कोच्छी

केरल

क्षमता (मी. टन में)

केंद्र	निर्मित	किराये की	खुली	एमजीएमटी	सकल कैप	सकल उपयोग	% उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
कोचीन–I	12250	0	0	0	12250	11770	96
कोचीन–II	5030	0	0	0	5030	3829	76
इरनाकुलम	14065	0	0	0	14065	11446	81

1	2	3	4	5	6	7	8
ककनाद	15000	0	0	0	15000	0	0
कोजीकोटे	12254	0	0	0	12254	12604	103
त्रिशूर	25000	0	0	0	25000	25309	101
त्रिवेन्द्रम	10000	0	0	0	10000	11070	111
जोड़	93599	0	0	0	93599	76028	81
कुल जोड़	5699027	1489992	1126212	253320	8568551	7896433	92

कुल गोदामों की संख्या : 467

पैन नम्बर का आबंटन

2081. श्री कोलुर बसवनागौड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर कर्नाटक सर्किल में सर्किल–वार कुल कितने आय कर निर्धारिती हैं;

(ख) इनमें से कितने को अब तक पैन नम्बर दिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि वापसी का निपटान करने और कर निर्धारितियों की शिकायतों के निवारण में विलम्ब होता है; और

(घ) सभी आय कर निर्धारितियों को पैन नम्बर प्रदान करने और वापसी तथा शिकायत प्रणाली को सरल बनाने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) देश में दिनांक 31.5.2001 को आय कर निर्धारितियों की कुल सं. 2,46,04,621 है। दिनांक 30.6.2001 को कर्नाटक और गोवा क्षेत्र में कर–निर्धारितियों की संख्या 13,03,563 है।

(ख) आयकर विभाग को स्थायी खाता संख्या के आबंटन के लिए कुल 2,10,72,032 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से दिनांक 30 जून, 2001 तक 2,07,03,081 आवेदनों पर कार्रवाई की गई है और 1,93,70,807 स्थायी खाता संख्याएं आबंटित की गई हैं।

कर्नाटक और गोवा क्षेत्र में प्राप्त स्थायी खाता संख्या आवेदनों की कुल सं. 9,60,948 है जिनमें से 9,06,608 मामलों में स्थायी खाता संख्याएं आबंटित की गई हैं।

(ग) जब कभी धन वापसियों में विलम्ब होने का पता चलता है तो धन वापसियों को शीघ्र जारी करने और कर–निर्धारितियों की अनेक शिकायतों को दूर करने के लिए सभी संभव उपाय किए गए हैं।

(घ) नेटवर्क से संबद्ध किसी पर्सनल कम्प्यूटर से स्थायी खाता संख्या का काउन्टर पर ही आबंटन की सुविधा 36 शहरों में प्रारंभ की गई है। विभाग के सभी कम्प्यूटर केंद्रों को आवेदनों की स्थायी खाता संख्या के शीघ्र आबंटन और स्थायी खाता संख्या कार्ड जारी करने के लिए सभी प्रयास करने को कहा गया है।

प्रत्यक्ष कर संग्रहण

2082. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छूट की श्रेणी वाले व्यक्तियों और कर दरों के उदार स्तर को कम करके अधिक से अधिक लोगों को कर दायरे में लाया जाएगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयकर विवादों के न्यायोचित और शीघ्र निपटान करने में समझौता आयोग द्वारा अदा की जा रही भूमिका के फलस्वरूप काफी राजस्व की वसूली हुई है; और

(ग) यदि हां, तो गत वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष कर विशेषकर निगमित कर का संग्रहण किस सीमा तक बढ़ा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) आयकर अधिनियम में व्यष्टियों की किसी श्रेणी का उल्लेख

नहीं किया गया है जिन्हें कर से छूट प्रदान की गई है। तथापि, कतिपय प्रकार की आय को कर से छूट है। इस प्रकार छूट प्राप्त आय की संख्या को कम करने के फलस्वरूप अधिक लोग कर दायरे में आ सकेंगे और कर वसूली भी बढ़ सकेगी। इसके अलावा, उदार स्तर की कर दरों के फलस्वरूप लोगों को कर अदाएगी के लिए प्रोत्साहित करके स्वैच्छिक अनुपालन के स्तर में वृद्धि होती है। यह गत तीन वर्षों में करदाताओं की संख्या में पर्याप्त बढ़ोत्तरी और कर वसूली के उच्च स्तर से जाहिर होता है।

(ख) समझौता आयोग के तंत्र द्वारा वसूले गए राजस्व से राजस्व की समग्र वसूली पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ग) यद्यपि गत वित्त वर्ष (2000–20001) के दौरान प्रत्यक्ष कर वसूली में कुल मिलाकर 20.11 प्रतिशत (निगमित कर के मामले में 16.16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है फिर भी गत वर्ष की तुलना में यह बढ़ोत्तरी समझौता आयोग के माध्यम से विवादों के निपटान के कारण/से संबंधित नहीं है।

मिट्टी के तेल के कोटे में कटौती

2083. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए मिट्टी के तेल के आबंटन के मानदंड की इस तथ्य के मद्देनजर कि मिट्टी का तेल एक आवश्यक वस्तु है और उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है, समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित करने के लिए मिट्टी के तेल का आबंटन एक समान मानदण्ड अपनाकर केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अन्दर लाभभोगियों को मिट्टी के तेल का आबंटन करने का तरीका संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा तय किया जाता है। देश के पूर्वी और उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों अथवा किसी अन्य भाग के लिए मिट्टी के तेल का आबंटन करने का मानदण्ड संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कृषि उत्पादों पर से निर्यात प्रतिबंधों का हटाया जाना

2084. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाए जाने के संदर्भ में गेहूं, प्याज और दलहनों सहित कुछ कृषि उत्पादों के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को उठाए जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कौन–कौन से उत्पाद हैं;

(ग) क्या निर्यात प्रतिबंध हटाए जाने का निर्णय उनके मंत्रालय द्वारा सिद्धांत रूप से पहले ही ले लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रतिबंध कब तक उठाए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) सरकार वर्ष 1991 से व्यापार के उदारीकरण तथा निर्यात एवं आयात मदों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की एक संगत नीति का अनुसरण करती आ रही है। सरकार ने पहले ही चीनी के निर्यात पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है। चालू वर्ष 2001–2002 के लिए गेहूं उत्पादों के निर्यात की अनुमति भी बिना किसी मात्रात्मक सीमा के दी गई है। तथापि, अन्य कृषि–जन्य मदों के संबंध में सरकार ने अब तक उनके निर्यात पर लगे मौजूदा प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है।

कृषि-निर्यात के संवर्धन हेतु नीति

2085. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि–निर्यात के संवर्धन के उद्देश्य से सरकार एक नई नीति तैयार कर रही है जिसमें विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुरूप 'ग्रीन बाक्स' और 'एम्बर बाक्स' के अन्तर्गत किसानों को नवीनतम जैव–प्रौद्योगिकी तथा व्यापक

बाजार आसूचना से परिचित कराने तथा और अधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नीति में वाणिज्य, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभागों के बीच निकट सहयोग की परिकल्पना की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किन्हीं ठोस प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस नीति को कब तक अंतिम रूप दिए जाने और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (च) सरकार का सतत् प्रयास है कि सभी संभव तरीकों से भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा दिया जाए। जिसमें उपलब्ध प्रौद्योगिकी, सूचना तथा निविष्टियों का कृषकों को अंतरण शामिल है। उत्पादकता को बढ़ाने और लागतों में कमी करने के लिए कृषि क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलाप इस निर्यात संवर्धन प्रयास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस संदर्भ में, विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों के बीच निकट समन्वय है जिसमें वाणिज्य कृषि तथा बायो-प्रौद्योगिकी विभागों के बीच समन्वय भी शामिल है।

राजस्व घाटा

2086. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979-80 से राजस्व घाटा उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2000-2001 का वास्तविक राजस्व घाटा कितना है और क्या यह वर्ष 2000-01 के बजट प्राक्कलनों में और अधिक बढ़ जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों का राजस्व घाटा कितना है;

(च) राजस्व घाटे के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक कौन-कौन हैं और इनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) सरकार द्वारा बड़े निगमित (कारपोरेट) घरानों से आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, बैंक ऋणों (अप्रयोज्य आस्तियों) आदि से संबंधित लम्बित बकायों की वसूली करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ज) आज की तिथि के अनुसार इन बकायों की कुल राशि कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) राजस्व घाटा ब्याज संदाय, सब्सिडी, रक्षा, पुलिस, वेतन और भत्ते तथा पेंशनों में वृद्धि के कारण वर्ष 1981-82 से संपूर्ण रूप से बढ़ता रहा है।

(ग) और (घ) वर्ष 2000-2001 (अनंतिम) में राजस्व घाटा 77.425 करोड़ रुपये (स.घ.उ. का 3.6 प्रतिशत) की बजट राशि की तुलना में 81,708 करोड़ रुपये (स.घ.उ. का 3.7 प्रतिशत) था।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में राजस्व घाटा निम्नानुसार था :

1998-1999	66976 करोड़ रुपये (स.घ.उ. का 3.8 प्रतिशत)
1999-2000	67596 करोड़ रुपये (स.घ.उ. का 3.5 प्रतिशत)
2000-2001 (अनंतिम)	81708 करोड़ रुपये (स.घ.उ. का 3.7 प्रतिशत)

(च) सरकार ने शून्य आधारित बजट बनाने, सब्सिडी की समीक्षा करने, कर्मचारियों की भर्ती करने के मानदण्डों की समीक्षा करने और सरकार का आकार कम करने, प्रशासित ब्याज दरों के यौक्तिकीकरण आदि जैसे कई व्यय प्रबंधन उपाय किए हैं। इसके साथ-साथ कर सुधारों को मजबूत और कर आधार को व्यापक बनाकर कर संग्रहणों में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने दिनांक 21 दिसम्बर, 2000 को लोक सभा में "राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक" शीर्षक से एक विधेयक भी प्रस्तुत किया है। यह विधेयक अन्य बातों के साथ-साथ एक समय-सीमा में राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए कानूनी और संस्थात्मक ढांचा प्रदान करता है।

(छ) और (ज) यह सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारिवृंद) (पहला संशोधन) विनियम, 2001, जो 4 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ई.पी. 2(5)/91–खण्ड II में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3875/2001]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : महोदय, मैं इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2001–2002 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3876/2001]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक के 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के 'प्रतिवेदन–संघ सरकार–(2001 का संख्यांक 6)–(डाक और दूरसंचार)' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3877/2001]

(2) संघ सरकार वर्ष 1999–2000 के विनियोग लेखाओं (डाक सेवाएं) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3878/2001]

(3) संघ सरकार वर्ष 1999–2000 के विनियोग लेखाओं (दूरसंचार सेवाएं) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3879/2001]

(4) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 के अन्तर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) का.आ. 333(अ) जो 17 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 16 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 926(अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(दो) का.आ. 334(अ) जो 17 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 16 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 927(अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(तीन) का.आ. 335(अ) जो 17 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 16 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या का. आ. 928(अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(चार) का.आ. 336(अ) जो 17 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 16 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या का. आ. 929(अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3880/2001]

(5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) प्रवेश पत्र (प्रपत्र) संशोधन विनियम, 2001 जो 31 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 403(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) पोत पत्र तथा निर्यात पत्र (प्रपत्र) संशोधन विनियम, 2001 जो 31 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 404(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 536(अ) जो 17 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 27 जनवरी, 2001 की अधिसूचना संख्या 7/2001–सी.शु. की विधि–

मान्यता को 31 मार्च, 2002 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 546(अ) जो 20 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96–सी.शु. की विधिमान्यता को 31 जुलाई, 2002 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3881/2001]

(6) सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) सा.का.नि. 537(अ) जो 17 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रूस, रूमानिया, आस्ट्रिया और चेक गणराज्य में उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विनिर्दिष्ट श्रेणियों की बिना जोड़ वाली पाइपों और ट्यूबों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 542(अ) जो 18 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन में उत्पादित या वहां से निर्यातित 2–मिथाइल (5) नाइट्रो इमीडेजोल, जिसे सामान्य रूप से 2–एम एन आई के रूप में जाना जाता है, पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 545(अ) जो 20 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उक्रेन में उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित फेरो सिलिकॉन पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3882/2001]

(7) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 533 (अ) जो 16 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 9 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना संख्या 6/99–सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3883/2001]

(8) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3884/2001]

(9) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) सा.का.नि. 538 (अ) जो 17 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 43/2000/सीई की विधिमान्यता को 31 जुलाई, 2003 तक बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 539 (अ) जो 17 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उत्पाद शुल्क से छूट के दायरे में अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित उद्योगों को भी लाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3885/2001]

अपराह्न 12.00½ बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम III के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 2 अगस्त, 2001 को हुई अपनी बैठक में पारित व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2001 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 2 अगस्त, 2001 को यथा पारित व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2001 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.01 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अध्ययन दौरा संबंधी प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर) : महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित अध्ययन–दौरे संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :

(1) पारादीप फास्फेट लिमिटेड; तथा

(2) ऑयल इंडिया लिमिटेड।

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 6 अगस्त, 2001 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. अंतर्राज्यिक जल–विवाद (संशोधन) विधेयक, 2001 पर आगे विचार और पारित करना।

2. पशुधन का आयात (संशोधन) अध्यादेश, 2001 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और पशुधन का आयात (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार और पारित करना।

3. हैदराबाद निर्यात ड्यूटी (विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2001 पर विचार और पारित करना।

4. खाद्य निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार और पारित करना।

5. संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक, 2000 पर आगे विचार और पारित करना।

6. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार और पारित करना।

7. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :

(1) संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999

(2) ऊर्जा संरक्षण विधेयक, 2000

(3) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2001

(4) अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 2001

(8) राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :

(1) मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2001

(2) विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2001

(3) उत्तर–पूर्वी परिषद (संशोधन) विधेयक, 1998

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप बहुत आशावादी हैं।

श्री प्रमोद महाजन : एक बार घोषणा करने के बाद इसके क्रम में मैं फिर परिवर्तन कर सकता हूं...*(व्यवधान)*

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के संदर्भ में अगले सप्ताह के दौरान लिए जाने वाले कार्य की घोषणा करते हुए मैं सभा में चर्चा के लिए निम्नलिखित दो विषय प्रस्तुत करना चाहता हूं :

(1) कर्नाटक राज्य और देश के अन्य भागों में सूखे की स्थिति।

(2) केन्द्र सरकार का आंध्र प्रदेश की तीन परियोजनाओं अर्थात् पुलिचिंनताला, श्रीसैलम राईट बैंक कैनाल और भीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जिनके कारण कर्नाटक राज्य को काफी समस्याएं हो रही हैं, की मंजूरी का निर्णय।

[हिन्दी]

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आगामी सप्ताह की कार्यसूची में दो निम्नलिखित विषयों को रखने हेतु निवेदन की सूचना देता हूं :

1. अति पिछड़ों की आबादी के हिसाब से आरक्षण क्षेत्र में बाधक माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले "कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता" को बदलने हेतु संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को लाया जाए।

2. विवाहित पुरुषों द्वारा धोखे से किसी दूसरी महिला के साथ की गई शादी के टूटने पर उस दूसरी पत्नी का गुजारा भत्ता पाने हेतु सी.आर.पी.सी. के सैक्शन 125 में संशोधन करने वाले विधेयक को लाया जाए।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने की कृपा करें :

1. सन् 1980 के केन्द्रीय फॉरैस्ट कानून में संशोधन करने के बारे में।

2. महाराष्ट्र सरकार ने आदिम जाति के सुशिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक मदद करने के बारे में शिबीरी महामंडल शुरू किया है। उसमें से 15 करोड़ रुपये का हिस्सा केन्द्र सरकार ने देना चाहिए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ने की कृपा की जाए :

1. बोकारो जिला (झारखंड) के अन्तर्गत जरीडीह बाजार के निकट दामोदर नदी पर नवनिर्मित रेलवे पुल को पुनः निर्माण एवं मरम्मत करने की अपेक्षा।

2. धनबाद जिला के तोपचांची एवं टुण्डी प्रखण्ड और गिरिडीह जिला के पीरटाड़ और डुमरी प्रखण्ड में कागज का कारखाना खोलने की अपेक्षा।

[अनुवाद]

डा. ए. डी. के. जयशीलन (तिरूचेंदूर) : महोदय, निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किए जाएं :

1. तमिलनाडु में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए कम से कम लोगों का विस्थापन और विस्थापित लोगों को पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करते हुए कुदाकुलम परमाणु बिजली संयंत्र को शीघ्रतापूर्वक स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

2. सामान्य रूप से अन्य क्षेत्रों तथा विशेष रूप से तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों और अन्य क्षेत्रों में रह रहे लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तिरूनेलवेली और मदुरै से होती हुई कन्याकुमारी और दिल्ली के बीच एक रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किए जाएं :

1. कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी, देश में सूचना और ज्ञान का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित भण्डार है। लाखों की संख्या में बहुमूल्य पुस्तकें और दस्तावेज यहां सुरक्षित हैं और हजारों शोधकर्ता और विद्यार्थी इनसे लाभ उठाते हैं। लेकिन धन के अभाव में इस पुस्तकालय की उचित देख–रेख, सुधार और विकास नहीं हो पा रहा है। मैं सरकार से इस पुस्तकालय को और अधिक धन देने का आग्रह करता हूं।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावित होने वाली है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को होगा जो अपने दैनिक जीवन की आवश्यक सामग्री उचित मूल्य पर प्राप्त करने के लिए इस पर निर्भर है। अधिकांश राज्य सरकारें इस प्रणाली को कमजोर करने के विरुद्ध हैं। राष्ट्रीय हित में इसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें :

1. लगभग दो वर्ष पूर्व रेल बजट प्रस्तुत करते समय लोक सभा में घोषित पुष्कर को अजमेर से रेलमार्ग द्वारा शीघ्र जोड़े जाने हेतु अधिक धन आबंटित कर समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार रेलपथ निर्माण कार्य पूरा किए जाने की आवश्यकता।

2. पर्यटन की दृष्टि से अजमेर तथा पुष्कर को विश्व पर्यटन मानचित्र पर अंकित कर प्रचारित एवं प्रसारित

किए जाने तथा तदर्थ आवश्यक सुविधाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

1. आपराधिक पृष्ठभूमि वाले आई.सी.आई.सी.आई. के सुरक्षा कर्मियों द्वारा दो करोड़ रुपये लूटे जाने की सनसनीखेज घटना, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों आदि द्वारा गार्डों की तैनाती को देखते हुए संदिग्ध और भ्रष्ट कर्मचारियों से छुटकारा पाने हेतु सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

2. भारतीय खिलाड़ियों द्वारा मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने की सूचना मिली है। अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए आगामी एफ्रो–एशियन खेलों में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए इस प्रवृत्ति पर तत्काल रोक लगाए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित तथ्यों को शामिल किया जाए :

1. बालाघाट जिले के 90 वर्ष पुराने जमुनिया जलाशय एवं ढूटी बांध की दाईं तट नहर के जीर्णोद्धार की अत्यन्त आवश्यकता है।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बाऊन थड़ी नदी पर महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले पुल तथा चंदन नदी पर आरंभा अत्तरी को जोड़ने वाले पुल के निर्माण की आवश्यकता है।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यवाही सूची में विचारार्थ विषय हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव :

1. मध्य प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 जो आगरा से मुंबई जाता है पर शाजापुर मक्सी के बीच लखुन्दर नदी तथा नैनावद घाटी नाले पर बड़े पुल बनाने तथा मक्सी स्टेशन के पास रेलवे क्रासिंग सड़क पर ओवर ब्रिज बनाने व शाजापुर में बाईपास रोड बनाने के विषय को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

2. मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने हेतु विषय आगामी सप्ताह की कार्यवाही सूची में सम्मिलित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में 'शून्य काल' शुरू होगा और श्री अधीर चौधरी बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री अधीर चौधरी को बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने ही सदस्य को बोलने नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.11 बजे

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यू.एस.-64 स्कीम से संबंधित मुद्दों पर संयुक्त संसदीय समिति के गठन के बारे में

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, कल दलगत राजनीति से हटकर यूएस–64 स्कीम में निवेश करने वाले दो करोड़ से ज्यादा छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए व्यापक रूप से मांग की गयी थी। महोदय, पूरे विपक्ष ने यूएस–64 स्कीम से संबंधित मामले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन किए जाने की एकजुट मांग की है। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि भविष्य में छोटे निवेशकों के हितों की किस प्रकार निश्चित रूप से रक्षा की

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

जाए और बिना किसी भेदभाव के अपराधियों का पता लगाया जाए और उन्हें सजा दी जाए...*(व्यवधान),* महोदय, हम सभी ने इस मुद्दे को उठाया है लेकिन अभी तक इस पर हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। महोदय, छोटे निवेशकों की ओर से मैं एक बार फिर यह कहना चाहूंगा कि सरकार इस मामले की जांच करने हेतु यूएस–64 स्कीम संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार करे और उसके निदेश पद में यह भी निर्णय करे कि छोटे निवेशकों के हितों की किस प्रकार रक्षा की जाए। यह मांग किसी प्रकार एक या दो सदस्यों की नहीं है। केवल संसद के बाहर भी लोग यही मांग कर रहे हैं। केवल इसी मांग से इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच का उद्देश्य पूरा हो सकता है। विपक्ष मीडिया तथा आम जनता द्वारा इसका प्रदर्शन किया जा चुका है। मेरा विचार है कि सरकार इस मामले पर विचार करेगी और शीघ्र जवाब देगी ताकि संसद द्वारा भी इस मामले पर विचार किया जा सके।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : गोयल जी, आपको भी बुलाएंगे। आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मामले की गम्भीरता के संबंध में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। यहां तक कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि यह एक गम्भीर मामला है। प्रश्न यह है कि क्या वित्त मंत्री या मंत्रालय इसके लिए जिम्मेवार हैं या नहीं। लेकिन मामले की गम्भीरता के बारे में कोई विवाद नहीं कर रहा है...*(व्यवधान)*

इस संबंध में हमारा यह अनुरोध है कि इस मामले की तहकीकात के लिए कोई तरीका निकाला जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए...*(व्यवधान)* यहां तक कि किरीट सोमैया भी हमारी बात का समर्थन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु एक बात तो साफ है। मेरे ख्याल से प्रत्येक सदस्य सभा की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने में गंभीरतापूर्वक रुचि ले रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि कभी–कभी ऐसा होता है। परन्तु महोदय, मैं सरकार से, विशेष रूप से यह अपील करूंगा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आप इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि मामले की उचित रूप से जांच की जा सके।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, इस गतिरोध को दूर करने के लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप हस्तक्षेप करें और एक बैठक बुलाएं क्योंकि सभी की रुचि इसकी जांच में है। जैसा कि माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री किरीट सोमैया ने कहा है। सभी इसकी जांच के इच्छुक हैं। महोदय, 2 करोड़ छोटे और मध्यम वर्ग के निवेशक इसमें शामिल हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष जी, जब कल प्रियरंजन दासमुंशी जी ने इसको शुरू किया था और गंभीरता से शुरू किया था तब इन्होंने कहा था कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता; स्मॉल इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। जब सारी अपोजीशन बोल चुकी और फाइनेंस मिनिस्टर बोलेने के लिए खड़े हुए तब अपोजीशन ने उन्हें बोलने नहीं दिया। इस कंडक्ट के बारे में यह पूरे देश को क्या बताएंगे क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर के आरग्यूमेंट्स भी सामने आने दिए जाते। मैं भी सुनना चाहता था। सिंधिया जी बोल चुके थे, दासमुंशी जी भी बोल चुके थे। जब फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब देना शुरू किया और अगर उनको गाली देंगे और वह यह कहेंगे कि वह उनका जवाब नहीं देना चाहते हैं तो उसमें बुराई क्या है? इतनी सी बात के ऊपर पूरे देश को इस बात से वंचित कर दिया गया कि फाइनेंस मिनिस्टर अपनी सफाई में क्या कहना चाहते थे।...*(व्यवधान)* आप सरकार को सफाई देने का मौका देंगे या नहीं देंगे?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटे निवेशकों की रक्षा और शेयर बाजार में यू.टी.आई. के निवेश की जांच के बारे में पूरी सभा द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता से मैं सहमत हूं और इस संबंध में उपचारात्मक उपायों का सुझाव देता हूं। इसलिए सरकार की ओर से भी हम इसके बारे में चिन्तित हैं और इस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है कि हमें छोटे निवेशकों की सुरक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि क्या यू.टी.आई. ने शेयर बाजार में निवेश करने में काई गड़बड़ तो नहीं की है। इसलिए, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं।

आज स्थिति ऐसी है कि हम जानते हैं कि माननीय सदस्य श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जा चुका है जो शेयर बाजार की सभी घटनाओं की जांच कर रही है। ये निदेश पद सभा की आम

सहमति से निर्धारित किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें सरकार ने लिखा है। हमने नेताओं से परामर्श किया, उसके बाद इन्हें तैयार किया और फिर सभा ने इन्हें पारित किया। इन निदेश पदों में छोटे निवेशकों की सुरक्षा का भी उल्लेख है। इनमें शेयर बाजार की घटनाओं की जांच का भी उल्लेख है। इस प्रकार वर्तमान संयुक्त संसदीय समिति सदस्यों की चिन्ता समझ सकती है।...*(व्यवधान)* श्री त्रिपाठी की अध्यक्षता में गठित वर्तमान संयुक्त संसदीय समिति इसकी जांच कर सकती है। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि एक समिति गठित हो चुकी है। हमें यह चर्चा नहीं करनी चाहिए कि समिति को क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए।

आपसे मेरा यह अनुरोध है कि राजनैतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई जाए, जैसा कि मुख्य विपक्षी दल के उप–नेता ने सुझाव दिया है क्योंकि हम संयुक्त संसदीय समिति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस सभा के संरक्षक के रूप में आप सदस्यों की बैठक बुला सकते हैं, विपक्षी दलों व सरकार की ओर से नेताओं को आप बुला सकते हैं। आप मौजूदा संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष को भी बुला सकते हैं और पहले यह देखिए कि क्या समिति सदस्यों की चिन्ता को समझती है या नहीं। यदि आप स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समिति, सदस्यों की चिन्ता समझती है तो मेरे विचार से प्रत्येक की संतुष्टि के लिए यह मामला सुलट जाएगा। यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकती और हमें निदेश पदों में कुछ संशोधनों की आवश्यकता है, केवल तभी हम इस मामले में सभा में पुनः विचार करेंगे। इसलिए मेरा आपको यह सुझाव है कि आप तदनुसार कार्य करें...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : इस बारे में हमें कुछ संदेह है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : जैसा कि मैंने कहा, सभा में शंकाओं पर चर्चा नहीं की जा सकती...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे चैम्बर में एक बैठक की जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री से केवल यह कह रहा हूं कि मैं उनके द्वारा व्यक्त विचारों व उनकी चिन्ता से सहमत हूं। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष श्री त्रिपाठी बहुत सक्षम और प्रतिष्ठित हैं, किन्तु सही या गलत...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय, मेरे चैम्बर में किया जाएगा और आप फिर से इसके विस्तार में जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष ने यह कहा कि यू. टी.आई. म्यूचुअल फंड पर चर्चा करने की कोई गुंजाइश नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, विस्तार में मत जाइए। हम इन सब बातों पर नेताओं की बैठक में चर्चा करेंगे। इस पर निर्णय मेरे चैम्बर में किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में मेरे चैम्बर में बैठक हो सकती है और हम वहां इस बारे में कोई निर्णय लेंगे। मैं एक बैठक बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.20 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, कश्मीर घाटी में स्थिति बहुत नाजुक और गंभीर है। इस पर देश का सबसे अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। साथ ही भारत–बंग्लादेश सीमा पर हाल में हुई घटनाओं को देखते हुए हम आत्म–संतुष्ट नहीं रह सकते। जैसा कि आप जानते ही हैं, कि रैडक्लिफ व्यवस्था के अनुसार भारत–बंग्लादेश की सीमा बहुत लंबी और असुरक्षित है। यह हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों के व्यापार और आतंकवादी तत्वों की घुसपैठ के लिए सुरक्षित रास्ता है।

सीमा की भू–स्थितिक और भू–राजनैतिक परिदृश्य को देखते हुए हमें सीमा की हाल ही हुई घटनाओं के प्रति बहुत गंभीर रहना होगा। बंग्लादेश की सेना में छिपे हुए पाकिस्तानी

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

तत्व भारत–बंग्लादेश की लंबी मित्रता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। 15 अप्रैल को मेघालय में पिरधिया गांव में बंग्लादेश की सेना ने अपना शत्रुतापूर्ण रवैया दिखा दिया। बीडीआर के लोगों ने जो संख्या में बहुत अधिक थे, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों से गांव खाली करने को कहा। उसके बाद, 18 अप्रैल को बीडीआर कर्मियों ने हमारे सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों को बेराईबोरी गांव में काबू में कर लिया। 16 कर्मियों को पकड़कर उनकी जानबूझकर नृशंस हत्या कर दी गई। यह बहुत ही हैरानी की बात है कि इन घटनाओं पर इस सरकार ने दिखावटी प्रतिक्रिया ही व्यक्त की। बीडीआर प्रमुख फजीलुर रहमान की इतनी हिम्मत हुई कि उसने ढाका में कहा, "हमने बिना एक भी गोली चलाए, क्षेत्रीय प्रभुसत्ता स्थापित करने का मिशन पूरा कर लिया।"

सत्ता पक्ष के राष्ट्रवादी तत्वों से मैं अनुरोध करूंगा कि वे मेरी चिन्ता में मेरा साथ दें, क्योंकि सोलह बीएसएफ कर्मी हमारे भाई और मित्र हैं। उन्होंने, भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। किन्तु इस सरकार ने एक भी वक्तव्य नहीं दिया। इसलिए, मेरा संबंधित मंत्री से अनुरोध है कि वे इसके बारे में एक वक्तव्य जारी करें क्योंकि स्थिति बहुत ही गंभीर हो रही है। हम भारत–बंग्लादेश के बीच 4,000 किलोमीटर लम्बी सीमा को यूं ही असुरक्षित नहीं छोड़ सकते। आपने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यदि ये लोग दोबारा ऐसी ही गतिविधियों में लिप्त हुए तो ऐसी घटनाएं फिर होंगी। यह एक गंभीर मुद्दा है। सत्ता पक्ष के राष्ट्रवादी तत्व इस पर ध्यान दें। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह एक वक्तव्य जारी करे क्योंकि यह मुद्दा देश की सुरक्षा, सेना और सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों से जुड़ा है। यदि हम उनके प्रति निष्ठावान नहीं होंगे तो उनका मनोबल इससे प्रभावित होगा।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं अपने माननीय सहयोगी द्वारा भारत–बंग्लादेश की समस्या पर व्यक्त चिन्ता से पूरी तरह सहमत हूं। मैं उनकी बात का पूरी तरह समर्थन करता हूं। उन्होंने जो कहा, मैं उसमें एक मुद्दा और जोड़ना चाहूंगा। इतनी लम्बी सीमा की सुरक्षा के लिए हमें सीमा सुरक्षा बल की 34 बटालियनों की आवश्यकता है किन्तु इस समय इस कार्य को मात्र 21 बटालियनें ही कर रही हैं। इसकी वजह से सीमा का एक बड़ा भाग असुरक्षित रह जाता है। जैसा कि माननीय सदस्य कह चुके हैं कि इस असुरक्षित भाग का उपयोग आतंकवादी और तस्कर इत्यादि कर रहे हैं।

इसलिए यदि हम इसे प्रभावी रूप से सुरक्षित करना चाहते हैं तो पूरे सीमा क्षेत्र में हमें सीमा सुरक्षा बल की 34 बटालियनों की आवश्यकता है। इसलिए, कम से कम 14 और बटालियनों की मंजूरी दी जानी चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सीमा की उचित सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में सीमा सुरक्षा बल कर्मी तैनात किए जाएं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बिहार में खगड़िया में 8 जुलाई, 2001 को श्रीमती रेणु कुमारी पर हुए हमले के बारे में 'शून्य काल' के लिए संसद सदस्य, श्री प्रभुनाथ सिंह, श्री अरुण कुमार और श्री रघुनाथ झा के नोटिस मिले हैं। मैं इस मामले में गृह मंत्रालय से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगा रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे, श्री प्रहलाद सिंह पटेल का विशेषाधिकार के प्रश्न पर नोटिस मिला है। मैंने गृह मंत्रालय से इस मामले पर तथ्यात्मक नोट मांगा है। गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गए तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् ही मैं इस मामले में निर्णय लूंगा।

(व्यवधान)

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, कृपया नोटिस के विषय–वस्तु से अवगत कराएं। अन्यथा, हमें यह पता नहीं है कि आपकी घोषणा क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे पहले ही पढ़कर सुना चुका हूं। यह एक माननीय सदस्या, श्रीमती रेणु कुमारी पर हुए हमले के बारे में है।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र इटावा की एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के चकरनगर, महेवा, अजीतमल और इटावा के विकास खंडों में पानी की सतह काफी नीचे चली गई है। मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन विकास खंडों में कम से कम पांच सरकारी ट्यूबवैल लगाए जाएं जिससे वहां के किसान जो गंभीर संकट में हैं, उनकी समस्या का समाधान हो सके।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों द्वारा छठा त्रिपक्षीय वेतन समझौता को उन पर भी लागू किए जाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् इसकी व्याप्ति में

ग्रामीण बैंक के कर्मचारी भी आ गए। किन्तु निर्णय को पूर्णतः कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसे उन बैंकों के कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है जो मुनाफा दे रहे हैं। घाटे में जा रहे ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के वेतन के समतुल्य संशोधित नहीं किए गए हैं। पांच साल पहले राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण ने एक निर्णय दिया था कि समान कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को समान वेतन दिए जाएं। उसमें इस बात का कहीं जिक्र नहीं था कि घाटे में चल रही बैंक इकाइयों के कर्मचारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के समान वेतन नहीं दिया जा सकता।

156 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से मात्र कुछ बैंक घाटे में चल रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह उच्चतम न्यायालय के आदेश को सिर्फ मुनाफे में चल रहे बैंकों के संदर्भ में ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कार्यान्वित करे।

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में मई–जून महीने की भयंकर गर्मी में बिजली की आपूर्ति में भारी कमी होने से लाखों की संख्या में जनता परेशान रही है। अब जुलाई–अगस्त के महीने में भी 18–18, 20–20 घंटे बिजली की कटौती चल रही है। छोटे–छोटे बच्चे तड़प रहे हैं। इस बिजली कटौती का विशेष असर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र की पुनर्वास बस्तियों, गांवों तथा कालोनियों में दिखाई दे रहा है और इस गर्मी के अन्दर लोग बुरी तरह से बिलख रहे हैं। अनेकों शिकायतें करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ट्रांसफार्मर पुराने हैं जिन्हें बदला नहीं गया है। दिल्ली में कांग्रेस सरकार बिजली आपूर्ति में सुधार लाने के लिए पूरी तरह विफल रही है। दिल्ली के लाखों लोग त्राहि–त्राहि कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि राजधानी दिल्ली की विद्युत व्यवस्था सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि लोगों को इस भयंकर गर्मी से राहत मिल सके।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्ली में सभी व्यावसायिक वाहनों को 31 मार्च, 2000 तक सी.एन.जी. में बदलकर चलने के लिए कहा गया लेकिन दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना की कि समयावधि बढ़ाई जाए। तदनुसार यह अवधि सितम्बर, 2001 तक बढ़ा दी गयी। फैडरेशन ऑफ ट्रांसपोर्टर्स के तत्वाधान में सी.एन.जी. की कमी होने के कारण हड़ताल की गई। अभी तक केवल 40 प्रतिशत वाहन ही सी.एन.जी. से चल रहे हैं। अब यह कहा गया है कि सभी वाहन 1 अक्तूबर से सी.एन.जी. से चलेंगे लेकिन सी.एन.जी. की आपूर्ति अपर्याप्त होने से स्थिति गंभीर बनी हुई है। वाहन 10–10, 12–12 घंटे लाइन में आपूर्ति के लिए खड़े रहते हैं लेकिन फिर भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। जिस व्यक्ति ने 10–15 लाख रुपया सी.एन.जी. कनवर्जन लगाकर व्यय किया हो और बस खरीदी हो और उसका वाहन सड़क पर खड़ा रहे तो मामला गंभीर हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्टर्स ने कहा है कि यदि उन्हें सी.एन.जी. की आपूर्ति नहीं की जाएगी तो वे दिल्ली के सभी सांसदों का घेराव करेंगे और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि इस ओर अविलम्ब ध्यान दे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, भोजपुरी भाषा में एक कवि हुए हैं श्री भिखारी ठाकुर। उन्होंने कहा है : हुकूमत के हाथी के दोऊ दांत, खाए के दूसर, दिखाय के दूसर। पेट्रोल पम्प बंटवारे के लिए एक कमेटी बनी है लेकिन बंदर–बांट के कारण उसमें भारी अनियमितताएं हो रही हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों की पूरी सूची मेरे पास है जिसमें बताया गया है कि वहां की कमेटी ने किस तरह बंदर–बांट की है। दस–दस लाख रुपया लेकर केवल भाजपा–समता के लोगों को पेट्रोल पम्प दिए हैं...*(व्यवधान)* ...मेरा सीधा सरकार पर यह आरोप है और सरकार इस बंदर–बांट की जांच करे...*(व्यवधान)* इसमें भाई–भतीजावाद हुआ है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस बात पर ध्यान दें। मालूम हुआ है कि 10 लाख रुपया लेकर पेट्रोल पम्पों का बंटवारा किया गया है...*(व्यवधान)*...ये पेट्रोल पम्प भाजपा के लोगों ने बांट लिए हैं।...*(व्यवधान)* बाहर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सूची अखबारों में प्रकाशित हुई है। इस बात की जांच कराई जाए कि यह घूसखोरी, अनियमितता क्यों हो रही है? यह मामला कोर्ट में जाएगा और उन लोगों को हथकड़ी लगेगी।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ दल कह रहा है कि इसमें भाजपा ही नहीं, राजद के सांसद भी शामिल हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, कार्यवाही–वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जवाब देने के लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, प्याज के निर्यात पर पाबन्दी लगाने से किसान को प्याज का दाम प्रति क्विंटल दो सौ से तीन सौ रुपये मिलता है। इसमें उनका लागत खर्च भी नहीं निकलता है, जिसके कारण किसान आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर हो गए हैं और उनमें एक विद्रोह की भावना पैदा होती जा रही है। प्याज को आवश्यक वस्तुओं की सूची में डाल दिया गया है, लेकिन उसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा सपोर्ट प्राइस नहीं दिया गया है। मेरी आपके माध्यम से केन्द्रीय कृषि मंत्री जी और वाणिज्य मंत्री जी से विनती है कि जल्दी से जल्दी प्याज के निर्यात पर लगी पाबन्दी को उठाया जाए और प्याज का सपोर्ट प्राइस प्रति क्विंटल सात सौ रुपये किया जाए, यही मेरी विनती है। धन्यवाद।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत एक हजार तक की आबादी के गांवों को वर्ष 2003 तक सड़क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है और पांच सौ तक की आबादी के गांवों को वर्ष 2007 तक पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों को प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत धन भी आबंटित कर दिया है। इसी सदन में पिछले सत्र में जब बहुत से सांसदों ने तो ग्रामीण विकास मंत्री श्री वेंकय्या नायडू जी से शिकायत की थी कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुरूप राज्य सरकारें काम नहीं कर रही हैं तो उन्होंने सदन को आश्वासन दिया था कि हम सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाकर इस संदर्भ में आए गतिरोध को दूर करेंगे। हम सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी तक श्री वेंकय्या नायडू, ग्रामीण विकास मंत्री ने अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया है। मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जो धन आबंटित किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उस धन का दुरुपयोग किया है, उस धन को दूसरी मदों में डाइवर्ट करने का काम किया है। हम सदन के माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से मांग करते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री श्री वेंकय्या नायडू जी को निर्देशित करें कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मंगाकर पूछें कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत उन्होंने किन–किन जगहों पर कितना धन खर्च किया है। मैं अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत आज की तारीख में एक इंच भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है।...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश सरकार प्रधान मंत्री सड़क योजना के धन का राजनैतिक उद्देश्य के लिए उपयोग करना चाहती है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, वह इस पर जवाब दे दें। यह सदन का मामला है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सी. एन. सिंह, मैंने आपको बोलने के लिए नहीं कहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाएं। इस प्रकार से सभा को बाधित न करें।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन का मामला है, इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह जी, मैं मंत्री महोदय को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, लोकतान्त्रिक मोर्चा की तरफ से मैं और हमारी पार्टी से श्री अब्दुल्ला कुट्टी,

---
*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

समाजवादी पार्टी से श्री एस. पी. सिंह बघेल और आर.एस. पी. से श्री निरेन बर्मन हम राजस्थान में भीलवाड़ा के असीन्द कस्बे में गए थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अधीर न हों। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री सुनील खां : वहां क्या हुआ। वहां गुर्जर समाज की एक जगह है, जहां एक जगह मंदिर था। वह 11वीं शताब्दी का मंदिर था और उसके तीन-चार फीट के अंदर मुसलमानों के मजार की एक दीवार थी। उसके सामने एक नया मंदिर बना दिया। मजार पर उर्स मनाते हैं उसके कारण वहां टैंट में आग लगा दी। वहां पुलिस न होने के कारण 27 तारीख को इस दीवार को गिरा दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधा मोहन सिंह।

श्री सुनील खां : सर, मुझे बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मि. सुनील खां आप यहां भाषण मत कीजिए। शून्यकाल में जो भी मामला उठाना है, उसमें आप यह बताइए कि सरकार को क्या करना है।

श्री सुनील खां : वहां उस दीवार को गिरा दिया गया। वह जगह गुर्जर समाज की थी। उस जगह को वे छीन चुके हैं। उस जगह को वापस दिलाने के लिए वहां एक पीस कमेटी बनी है। लेकिन अगर उन्होंने वह जगह वापस नहीं दी तो वहां कुछ भी हो सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, यह सब कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आखिर एक सीमा होती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह समय भाषण देने हेतु निर्धारित नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां, मैंने आपको मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा है न कि भाषण देने के लिए। यह 'शून्य काल' है।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले कुछ वर्षों में भारत की सरकार विकास की कई योजनाएं चला रही है जिन्हें केंद्र प्रायोजित योजनाओं के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने जब सुनिश्चित रोजगार योजना देश में चलाई तो अपनी मार्गदर्शिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि इन योजनाओं की कार्य योजना पंचायत समिति बनाएगी और उसके बाद जहां जिला परिषद गठित है, वहां जिला परिषद में इन योजनाओं पर विचार विमर्श होगा और प्रायोरिटी तय की जाएगी। उसी मार्गदर्शिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि डीआरडीए जो तकनीकी संस्थान है उसमें जाएगा और डीआरडीए की अध्यक्षता भी जिला परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष करेंगे। इसी प्रकार से प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना की नई मार्गदर्शिका गई है, उसमें 10 पॉइंट दिए हुए हैं जिसमें पॉइंट 5 में और 9 में उल्लेख है कि सबसे पहले ब्लॉक की पंचायत समिति में जाएगा और उसके बाद जिला परिषद में इसका फाइनल डिसीजन होगा लेकिन हमारे बिहार में इन योजनाओं में पहले से लूट चल रही है। रघुवंश बाबू ने प्रैस कॉनफ्रैन्स करके पिछले वर्ष में चार बार इस संबंध में राज्य सरकार को भी आगाह किया। आज जब बिहार के अंदर 8400 पंचायतें, 519 पंचायत समितियां और 37 जिला परिषदों का गठन हो गया है और मार्गदर्शिका में साफ-साफ उल्लेख है कि कहां जिला परिषद का गठन हो गया, पंचायत समिति का गठन हो गया, उसके माध्यम से इन योजनाओं का चयन होगा लेकिन बिहार में मार्गदर्शिका में जो निदेश हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। मान्यवर उपाध्यक्ष जी, अंत्योदय योजना की जो सूची बननी चाहिए वह भी बिहार में तैयार नहीं हुई है। मिड डे मील का जो अन्न है एवं अन्नपूर्णा योजना का जो अन्न है। उसका भी उठाव बिहार सरकार नहीं कर पाई है। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि बिहार सरकार को मजबूर करे, बिहार की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, बिहार की योजनाओं में जो लूट मची हुई है, जो भारत सरकार की मार्गदर्शिका है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है उनका पालन हो...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। सदस्यों की बहुत ही लंबी सूची है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : प्रमोद जी इस बारे में कुछ बोलें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकता। मैंने बोलने के लिए डा. पाण्डेय को कहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधा मोहन सिंह, आपने सभा के समक्ष मुद्दे को रख दिया है। मैं मंत्री महोदय को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अब कृपया अपने स्थान पर जाएं। मैंने बोलने के लिए डा. पाण्डेय को कहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देश को भी नहीं मान रही है। इसलिए सवाल उठाया जाता है कि केंद्र इस मामले की सूचना ग्रहण करे और आवश्यक कार्रवाई करे ताकि केन्द्र के निर्देशों को माना जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया मेरे साथ सहयोग करें। मैंने डा. पाण्डेय को बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : निर्देश यहां से जारी होते हैं लेकिन उनका वहां पालन नहीं होता है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम इसमें नहीं है। आप बैठ जाइए।

कुंवर अखिलेश सिंह : यह हमारे राज्य का सवाल है।

उपाध्यक्ष महोदय : सवाल होगा मगर मैं मंत्री जी को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : मुझे किसी एक राज्य विशेष के बारे में नहीं कहना है लेकिन जो केंद्र की योजनाएं हैं वह सारे राज्यों में लागू हों यह सबकी इच्छा होगी और मैं समझता हूं कि केंद्र इसको लगातार मॉनीटर करता है।

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक इकाई जो नीमच के नयागांव में स्थित है, केवल 13 करोड़ रुपया उस पर बकाया होने के कारण उसकी बिजली काट दी गई और उसके कारण आज उस फैक्ट्री को निजी हाथों में बेचने का प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है, इस प्रकार की चर्चा है। उस फैक्ट्री पर लगभग तीन वर्षों में 50 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है लेकिन बिजली की वहां पर आपूर्ति नहीं हो सकी। डीजल के जनरेटर सैट चलाकर बिजली दी जा रही है, वेतन पर खर्च हो रहा है। दूसरे व्यय भी हो रहे हैं कोई फैसला नहीं हो रहा है। मेरी उद्योग मंत्री महोदय से मांग है कि जब केवल 13 करोड़ रुपये की बकाया राशि होने पर बिजली चलाई जा सकती है तो जो विद्युत मंडल से विवाद चल रहा है, उसको समाप्त करके उसको पैसा दें ताकि जो लाभप्रद इकाई है उसको चलाकर मजदूरों का हित किया जा सके, जनता का भी उसमें हित–संपादन हो सके अन्यथा करोड़ों रुपया निरर्थक ही वहां पर खर्च हो रहे हैं। उसे बचाया जा सके।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और सदन का ध्यान एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हैं। राजस्थान में एक नहर है जिसे राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। यह नहर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। इसके पूरे हो जाने से न केवल संपूर्ण राजस्थान को लाभ होगा बल्कि सारा भारतवर्ष लाभान्वित होगा। इस नहर पर राजस्थान सरकार को प्रति वर्ष 61 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की ओर से खर्च करने के लिए दिया जाता है, लेकिन इस वर्ष वह नहीं दिया गया है। हो सकता है राजस्थान सरकार की ओर से हिसाब नहीं आया हो, इसलिये वह धन केंद्रं सरकार ने रोक दिया हो, लेकिन मैं भारत सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस नहर का जल्दी बनना नितांत आवश्यक है। इसलिए केंद्र सरकार 61 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को तत्काल निर्गत करे। इससे न केवल राजस्थान की बहबूदी होगी अपितु पूरा भारतवर्ष खुशहाल होगा। यह नहर भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसके निकट लोग बस सकेंगे इससे हमारे देश एवं प्रदेश को बहुत बड़ा लाभ होगा। इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि केंद्र सरकार शीघ्र 61 करोड़ रुपया राजस्थान को इस नहर पर व्यय करने हेतु जारी करे। धन्यवाद।

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र आरा की एक महत्वपूर्ण एवं अत्यंत गंभीर जन–समस्या की ओर आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बिहार में मेरे निर्वाचन क्षेत्र आरा में बेहटा नामक एक स्थान है जो व्यावसायिक केंद्र है,

वहां छोटे–बड़े अनेक उद्योग व कल–कारखाने स्थापित हैं तथा इसकी सघन आबादी है, लेकिन इस स्थान से गुजरने वाली जो द्रुतगामी रेल हैं जिनमें मगध एक्सप्रैस, पटना–सूरत, पटना–मद्रास और नॉर्थ ईस्ट आदि गाड़ियां बेहटा स्टेशन पर नहीं रुकती हैं जिससे वहां से देश के अन्य प्रदेशों में काम करने वाले मजदूरों को गाड़ी पकड़ने में असुविधा होती है और भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि बेहटा रेलवे स्टेशन पर नार्थ–ईस्ट, पूर्वा एक्सप्रैस, मगध एक्सप्रैस, पटना–सूरत और पटना–मद्रास आदि गाड़ियों का ठहराव देने के लिए रेल विभाग को आदेश देने का कष्ट करें।

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय मैं इस समय सदन में उठा रहा हूं वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। संसद जो किसी देश की राजनीति व आर्थिक प्लानिंग की आधार है, उस दृष्टि से मेरा कहना यह है कि जम्मू–कश्मीर में जो जनगणना हुई है, वह सच्चाई के आधार पर नहीं की गई। उससे जो फीगर्स दिये गये हैं वे फिक्टीशियस फीगर्स दिए गए हैं। जनगणना में जम्मू की आबादी 43 लाख व श्रीनगर की 54 लाख बताई गई है, जो तथ्यों पर आधारित है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जम्मू में दो पार्लियामेंट्री सीटें हैं और श्रीनगर सूबे में तीन पार्लियामेंट्री सीटें हैं। जम्मू के दोनों संसदीय क्षेत्रों में 24 लाख 64 हजार और श्रीनगर के तीनों संसदीय क्षेत्रों की आदी 24 लाख 10 हजार और कुछ संख्या बताई गई है। इसका मतलब यह है कि जो सैंसस रिपोर्ट है उसका कोई काउंटर चैक नहीं होता है जबकि वोटर लिस्ट को हर साल पालिटिकल पार्टीज चैक करती हैं। इसलिए वोटर लिस्ट ज्यादा ऑथेंटीकेटेड होती हैं। यदि जम्मू की वोटर लिस्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि वहां की पापुलेशन ज्यादा है। इसके बाद जो वोटर कश्मीर से मायग्रेट करके जम्मू में आबाद हुए हैं उनकी संख्या 5–6 लाख के बीच में है, लेकिन वे वोटर अभी भी श्रीनगर की वोटर लिस्ट में मौजूद हैं, जबकि उनके नाम वहां की वोटर लिस्ट से हटाए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त जो लोग पाकिस्तान से मायग्रेट कर के आए हैं उनकी संख्या भी लगभग डेढ़ लाख है जो जम्मू में बसे हैं। इस प्रकार से वोटर लिस्ट और वास्तविक तथ्यों को देखें तो जम्मू की आबादी जो दर्शाई गई है उससे साढ़े 10 लाख ज्यादा होनी चाहिए थी।...*(व्यवधान)* उसके बदले श्रीनगर की साढ़े 10 लाख आबादी ज्यादा दिखाई गई है जो सही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : शर्मा जी, आप भारत सरकार से क्या चाहते हैं, वह बताइए।

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो सैंसस की गई है वह गलत है, वह वास्तविक तथ्यों के विपरीत है। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वहां की जनगणना दुबारा कराई जाए और अपनी निगरानी में कराई जाए ताकि फैक्ट्स सामने आ सकें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : महोदय, संयुक्त राज्य अमेरिका के अस्पतालों में नौकरी करने को इच्छुक अपने देश के नर्सिंग ग्रेजुएट्स को 'सी.जी.एफ.एन.एस.' अर्थात् 'कमीशन ऑफ ग्रेजुएट्स ऑफ फॉरेन नर्सिंग स्कूल्स' नामक परीक्षा पास करनी पड़ती है। इस परीक्षा के निकटतम परीक्षा केंद्र कोलम्बो और बैंकाक में हैं।

प्रत्येक वर्ष हमारे हजारों स्नातक (ग्रेजुएट्स) इस परीक्षा में बैठते हैं और कोलम्बो अथवा बैंकाक जाने में न्यूनतम 50,000 रु. की राशि खर्च करनी पड़ती है। इस परीक्षा को सम्पन्न कराने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने पहले हमारी सरकार से सम्पर्क किया था पर सरकार ने अनुमति नहीं दी। इस समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नर्सिंग पदों हेतु करीब 10,000 रिक्तियां हैं और यहां हमारे पास काफी प्रशिक्षित कर्मी हैं। हम अपने यहां उन सबों को नौकरी नहीं दे सकते।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह केरल से अधिकांश आवेदक होने के कारण कोचीन में, अथवा देश के किसी अन्य महानगर में परीक्षा केंद्र खोलने पर विचार करें।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान की सीमा पर, जो पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान की तरफ से जासूसी गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ने लग गई हैं। पहले बाघ, पक्षियों की टांगों में वायरलैस लगा कर इधर भेजते थे और घुसपैठियों को घुसाने की कोशिश करते थे। अब टोही जासूसी विमान द्वारा रात के समय स्पेशल कैमरे फिट करके स्पार्किंग लाइट और बीम फेंक कर राजस्थान की बी.एस.एफ में और बार्डर के ऊपर जो चौकियां हैं, उनमें आतंक फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही जासूसी भी की जा रही है। इसके माध्यम से उनका उद्देश्य सुरक्षा गतिविधियों की टोह लेना, सुरक्षा बल पर अपनाई जा रही सुरक्षा की जानकारी लेना और घुसपैठियों और मादक पदार्थों के लिए रास्ता तलाशना है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि कश्मीर और पंजाब में व्यवस्था मजबूत है, राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती इलाके में हमारी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, इसलिए उधर ध्यान देने की आवश्यकता है, पूरी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कर्नाटक के अनेक जिले मानसून की बारिश न होने के कारण गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं। तटवर्ती जिलों और कोडगु में कुछ बारिश हुई है। राज्य के बाकी सभी जिले चारा लाने और खेतों में बुआई करने के कठिन कार्य से जूझ रहे हैं। वस्तुतः, स्थिति इतनी गंभीर है कि प्रभावित क्षेत्रों के लोग पड़ोसी राज्यों जैसे गोवा और महाराष्ट्र में पलायन कर रहे हैं।

स्थिति की गंभीरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि कर्नाटक से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अगस्त, 2001 के प्रारंभ में केंद्र सरकार से मिलने की योजना बना रहा है। एक केंद्रीय दल पहले ही कर्नाटक के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुका है।

प्रभावित किसानों को हुई फसलों की हानि के भरपाई हेतु राज्य सरकार ने 73 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। किसानों को भारी मात्रा में हुई हानि को देखते हुए यह राशि नाममात्र की लगती है। केंद्र ने आपदा राहत कोष के अंतर्गत 350 करोड़ रुपये आबंटित किया है।

अतएव मैं केंद्र सरकार से किसानों को राहत उपलब्ध कराने हेतु कम से कम 350 करोड़ रुपये जारी करने तथा कर्नाटक को अविलंब सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग करता हूं।

श्री टी. गोविंदन (कासरगौड़) : महोदय, आपने बोलने का अवसर प्रदान किया; इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं केरल के कालीकट तक रेलगाड़ियों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। केरल में हाल ही में हुई भयंकर रेल दुर्घटना के बाद से रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं और दुर्घटना के बाद से कोंकण मार्ग पर मंगलोर से होकर गुजरने वाली कोई भी रेलगाड़ी नहीं चल रही है। समाचार पत्रों द्वारा यह सूचित किया गया है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में ही रेल सेवाएं शुरू हो पायेंगी। इस तरह के विलंब के कारण यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। माल ढुलाई पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं माननीय रेल मंत्री और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे केरल के कालीकट तक रेलगाड़ियों को चलाने हेतु अविलंब उपाय करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं केरल के विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूयामकुट्टी जल विद्युत परियोजना की मंजूरी के संबंध में केंद्र सरकार से काफी पुरानी मांग है। यह लंबे समय से लंबित है और केरल सरकार इसकी मंजूरी हेतु काफी दबाव डाल रही है। कुछ न कुछ कारणों से यह अभी तक मंजूर नहीं हो पाई है। इस परियोजना के मंजूर हो जाने पर राज्य में बिजली की स्थिति काफी बेहतर हो जायेगी।

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं केंद्र सरकार से परियोजना को अविलंब मंजूर किये जाने का अनुरोध करता हूं। ऐसा नहीं करने पर राज्य का विकास बाधित होगा। राज्य सरकार का भी ऐसा ही मत है और वह इस मामले को केंद्र सरकार के ध्यान में ला रही है। अतः मैं केंद्र सरकार से पुनः आग्रह करता हूं कि वह पूयामकुट्टी जलविद्युत परियोजना को जो केरल के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है, अविलंब मंजूरी प्रदान करे।

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश में पुलिस के द्वारा जो किसानों पर जुल्म किए जा रहे हैं, उसके बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछली दस जुलाई को ग्राम सगनपुर, जो कि जौरां विधान सभा के अंतर्गत आता है, वहां पर पुलिस के थानेदार ने पशु चराते हुए एक व्यक्ति की हत्या कर दी। यही नहीं, उसके पिता के खिलाफ, जो कि 73 साल के हैं, दफा 307 लगाकर असत्य मामला दायर कर दिया। इसके अलावा मृतक के 14 वर्षीय पुत्र और उसके भाई के खिलाफ भी, जो खेत में हल जोत रहा था, असत्य मुकदमा दायर कर दिया। जबकि ये लोग मृतक के पास शोक प्रकट करने के लिए गए थे। उसका परिवार भूखों मरने की कगार पर आ गया है। उनके पास सिर्फ एक बीघा जमीन है। आज तक उस थानेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही वहां के एस.पी. के द्वारा दफा 307 जो उसके मृतक के परिवार वालों के खिलाफ लगाई गई है उन्हें वापिस नहीं किया है। उसका परिवार दर-दर की ठोकरें खा रहा है और कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। किसानों के साथ ऐसा अत्याचार पूर्व में भी किया गया है। मुलताई में भी इस तरह 19 किसानों की गोली मार कर हत्या की गई थी। इस मामले में जो दोषी थानेदार है, उसको

वहां का पुलिस अधीक्षक बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जैसे अन्य मामलों में कोई व्यक्ति थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाता है और उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है, लेकिन एस.पी. मुरैना द्वारा घटना के प्रमुख अपराधियों पर मामला दर्ज नहीं किया गया है। मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई कराई जाए और मृतक बैजनाथ कुशवाह की पत्नी को मध्य प्रदेश सरकार से पांच लाख रुपया मुआवजा दिलाया जाए। उसके छः छोटे–छोटे बच्चे हैं इसलिए उस महिला को उनके पोषण के लिए शासकीय सेवा में रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : बिश्नोई जी, आपका नोटिस दस बजकर बीस मिनट पर मिला है, फिर भी मैं आपको एलाऊ करता हूं।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं सदन में एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। भारत सरकार इस वर्ष को अहिंसा वर्ष के रूप में मना रही है। छः अप्रैल को भगवान महावीर की जयंती थी। उपाध्यक्ष महोदय, अहिंसा वर्ष के रूप में इस साल को मनाने के लिए भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है। प्रदेश सरकारें भी अपने हिसाब से अहिंसा वर्ष में कुछ न कुछ रकम खर्च कर रही हैं। मैं जब एक बार सरकारी गैस्ट हाउस में गया तो वहां मैंने देखा कि खाने में मांसाहारी भोजन दिया जा रहा है, जबकि इस वर्ष को हम अहिंसा वर्ष के रूप में मना रहे हैं। मैंने इस बाबत राष्ट्रपति जी को, प्रधान मंत्री जी को और प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को और महामहिम राज्यपाल को चिट्ठियां लिखी हैं कि जब अहिंसा वर्ष के रूप में भारत सरकार इस वर्ष को मना रही है और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें धन भी खर्च कर रही हैं, तो सरकारी गैस्ट हाउस में मांसाहारी खाना जारी रखना ठीक नहीं है। जो साढ़े तीन हजार वन्य प्रजातियां पृथ्वी से उठ चुकी हैं, यह वर्ष भगवान महावीर के जन्म को अहिंसा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, कम से कम इस साल किसी भी गेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में मांसाहारी भोजन न परोसा जाए, यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.00 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.11 बजे

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न दो बजकर ग्यारह मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुईं)*

[अनुवाद]

अंतर्राज्यिक जल-विवाद (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अंतर्राज्यिक जल–विवाद (संशोधन) विधेयक पर चल रही चर्चा को अब हम जारी रखेंगे।

अब हमारे पास इस विधेयक पर चर्चा करने हेतु मात्र 28 मिनट बचे हैं।...*(व्यवधान)* मैं सभा को वस्तुस्थिति से अवगत करा रही हूं। इस विधेयक पर चर्चा करने हेतु दो घंटे का समय आबंटित किया गया था। चर्चा के लिए 28 मिनट का समय बचा है। अब इस पर सभा को निर्णय लेना है कि वह क्या चाहती है।

उस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह बोल रहे थे। वे अपना भाषण आगे बढ़ाएं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, अंतर्राज्यिक जल–विवाद विधेयक पर बहस चल रही है। सरकार ने दावा किया कि 1956 का इससे संबंधित पहले से कानून है लेकिन सरकारिया कमीशन की अनुशंसा के मुताबिक यह संशोधन लाया गया है। सरकार ने दावा किया है कि विभिन्न राज्यों के बीच नदियों का पानी इधर से उधर जाता है तो विवाद होता है। इस विवाद का हल निकालने में इस विधेयक से मदद मिलने वाली है।

सभापति महोदय, दुनिया में दो–तिहाई पानी है, एक–तिहाई जमीन है और दो–तिहाई पानी में 97 परसैंट नमकीन तथा खारा पानी है। केवल तीन परसैंट मीठा पानी है जो नदी का पानी और जमा किया वर्षा का पानी है। इसे लेकर झगड़े होते हैं। अभी तक के इतिहास के मुताबिक जिन नदियों का पानी समुद्र में बह गया उसे लेकर खून बहा, मारकाट हुई और लूटमार हुई। सरकार ने दावा किया कि इस विधेयक से ऐसे विवाद हल होंगे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नदियां भी हैं—जैसे हिमालय से आने वाली नदियां हैं। यदि उत्तर प्रदेश से शुरू किया जाए तो करनाली, सरयू नदी है, बिहार में कमलाबागान, भूतही, बागमती, गंडक, कोसी नदियां हैं। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह]

अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। कुछ बंगलादेश से नदियां आती हैं। गर्मियों में जब पानी की जरूरत होती है तो कम पानी आता है लेकिन वहां से बरसात के दिनों में पानी ज्यादा आता है। इस कारण बाढ़ से कुछ राज्य प्रभावित होते हैं और उनमें बड़ी बरबादी होती है। अंतर्राष्ट्रीय नदियों के पानी को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहे हैं। बागमती के ऊपर नूंथर, करमईया है। वहां एक जगह बैराज और दूसरी जगह डैम बना दिया यानी एक जगह जल एकत्र करके और दूसरी जगह पानी का उधर से उधर बंटवारा करके। जब गर्मी के दिन होते तो पानी इकट्ठा रखते लेकिन बरसात के दिनों में छोड़ देते। इसलिए हिमालय से आने वाली सभी नदियां उत्तर प्रदेश, बिहार के सब एरियाज को जल–प्लावित कर देती हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय नदियों की बाढ़ से भीषण क्षति होती है।

सभापति महोदय, पौराणिक इतिहास बताता है कि भगीरथ ने पहले इस दिशा में प्रयत्न किया और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उसके बाद यहां जब गंगा नदी बहे, उसका पानी ज्यादा बर्बाद न हो, इसके लिए शिवजी से प्रार्थना हुई तो उन्होंने उसे अपनी जटाओं में रोक लिया ताकि पानी बर्बाद न हो। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह विधेयक इस तरह का है जैसा शिवजी ने पानी को बर्बाद होने से रोक लिया? नहीं, यह नहीं रोक सकेगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता होना चाहिए। नेपाल–भारत के बीच पानी का सवाल उठता है। वह समझौता होना चाहिए। श्री कर्पूरी ठाकुर समाजवादी नेता थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे बराबर कहा करते थे कि जब तक नेपाल–भारत के बीच में अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं होगा तब तक बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके बाढ़ से बर्बाद होते रहेंगे। इसलिए सरकार इस संबंध में स्पष्ट करे कि क्या इस तरह का कोई समझौता हो सकेगा क्योंकि राज्य सरकारों के पास यह शक्ति नहीं है। यह कार्य विदेश विभाग के जिम्मे है। यहां जल संसाधन मंत्री जी बैठे हुए हैं उनकी यह जिम्मेदारी बनती है। वह समझौता कब होगा? इस पानी से अपने देश में पनबिजली का काम हो सकता है और डैम बनाया जा सकता है।

सभापति महोदय, मैं सरकार से यह भी जानना चाहूंगा कि इस विधेयक के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय नदियों के पानी की बर्बादी रुक जाएगी? उसके लिए सरकार के पास क्या योजना है? क्या इसके लिए आफिसरों तथा इंजीनियरों से बातचीत की गई है? आप इसका पूरा उपाय क्या करने वाले हैं?

सभापति महोदय, मैं अब अंतर्राज्यीय जल विवाद का मामला उठाना चाहता हूं। गंगा नदी हिमालय से चलती है और हरिद्वार होते हुए बिहार और फिर बंगाल में आकर फरक्का होते हुए समुद्र में मिल जाती है। अब बंगलादेश के साथ फरक्का के संदर्भ में समझौता किया गया, लेकिन बिहार को बीच में छोड़ दिया गया। मैं इस विधेयक के माध्यम से यह सवाल उठाना चाहता हूं कि गंगा का जो पानी पवित्र होता है और जिस देश के लिए कहा गया है : 'हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है' जो पानी स्वच्छ, निर्मल है, क्या उसके लिए विवाद उठ खड़ा हो। इन राज्यों के बीच में पानी के बटवारे को लेकर झगड़ा हो और बाढ़ के कारण भू–कटाव हो। कहीं एक राज्य इस तरफ है और दूसरा उस तरफ है, बीच में नदी बह रही है। भू–कटाव के कारण एक तरफ प्रोटैक्शन हो जाता है तो दूसरी तरफ नहीं होता। इससे दो राज्यों के बीच में विवाद खड़ा हो जाता है। क्या इन विवादों को हल करने के लिए इस विधेयक में इस बात का प्रावधान किया गया है? मैं समझता हूं कि नहीं किया गया है। मेरा यही कहना है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए ऐसी स्थिति में दोनों राज्यों में बाढ़ से प्रोटैक्शन के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। अगर यह व्यवस्था होती तो बिहार के बक्सर और साहिबगंज क्षेत्रों में नदी से कटाव न होता, घर बर्बाद नहीं होते और गरीब लोगों को पुनर्वास के लिए दूसरे स्थानों पर न दौड़ना पड़ता।

इसलिए गंगा नदी वाला विवाद है और अन्य राज्यों से संबंधित विवाद हैं जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कावेरी विवाद है और अन्य नदियों पर भी विवाद चलते रहते हैं जिनके कारण कभी–कभी दो राज्यों के बीच में लड़ाई की संभावना बन जाती है। इसलिए अंतर्राज्यीय जल विवाद विधेयक में न्यायाधिकरण बनाने का प्रावधान है, ताकि सीमित समय में इनका निष्पादन हो जाए, नहीं तो वर्षों–वर्षों तक ये पड़े रहते हैं और राज्यों के बीच में विवाद होते रहते हैं। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि एक काम्प्रीहेन्सिव बिल आना चाहिए जिससे अंतर्राज्यीय नदियों से होने वाली क्षति, बरबादी तथा विवाद का निपटारा हो सके। इसके अलावा दो राज्यों के बीच नदियां एक राज्य से दूसरे राज्य में होकर गुजरती हैं, उसका निष्पादन भी होना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारी सरकार से अंतिम प्रार्थना है कि देश में नदियों के पानी की बर्बादी होती है, उस पानी से हमें लाभ हो सकता है, लेकिन हम वह लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हमारे देश में लाखों–लाख मेगावाट पनबिजली उत्पादन करने की क्षमता है। लेकिन सरकार की नीति के अंतर्गत पनबिजली की उपेक्षा की जा रही है। इस कारण भी नदियों के पानी की बर्बादी होती है और जो उसका लाभ होना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पनबिजली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। खास तौर से पूर्वोत्तर के राज्यों में लाखों–लाख मेगावाट पनबिजली

की क्षमता है। सिक्किम, अरुणाचल और नागालैंड राज्यों की नदियों में बहुत क्षमता है। इन नदियों का पानी हिमालय से होकर ऊपर से नीचे की ओर आता है, उस पर विभिन्न जगहों पर छोटे–छोटे डैम बनाकर पनबिजली का उत्पादन हो सकता है। इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और पनबिजली का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होना चाहिए।

सभापति महोदय, बाढ़ से सुरक्षा और पीने का पानी ये मुख्य मुद्दे हैं। बाढ़ में नदियों से पीने का पानी मिलता है। लोग उसे साफ करके पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसका भी प्रबंध होना चाहिए। लेकिन सर्वोच्च प्राथमिकता पनबिजली, बाढ़ से सुरक्षा, सफाई और पीने का पानी को देना चाहिए। चार तरह इस्तेमाल हो सकता है। इनकी अंतर्राज्यीय जल विवाद विधेयक से हम अपेक्षा करते हैं। इसमें एक प्रावधान और होना चाहिए कि जो प्रकृति प्रदत्त नदियां हैं, उन नदियों की बाढ़ से देश के प्रभावित लोगों को सुरक्षा मिलेगी और इसका सदुपयोग भी हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे एरिया में एक लाख एकड़ में जल का कटाव होता है, उसे रोकने की कुछ व्यवस्था करेंगे और गंडक और कोसी नदियों के बारे में भी सोचेंगे कि ये नदियां भी ठीक ढंग से लोगों का हित करें। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्यमंत्री से एक बात कहना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि यह विधेयक आज ही पारित हो जाए। चूंकि हम विगत कुछ दिनों में कोई भी सरकारी कार्य निष्पादित नहीं कर पाए हैं इसलिए हम आपके साथ सहयोग करना चाहते हैं। इस वाद विवाद में दो–तीन महत्वपूर्ण वक्ता भाग लेने के लिए हैं। उनको अधिक देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इस बाद विवाद को 3 बजे तक पूरा कर लेते हैं और मंत्री महोदय गैर–सरकारी कार्य शुरू होने से पूर्व उत्तर दे देते हैं तो हम इस विधेयक को आज ही पारित कर सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से यही अनुरोध है।

सभापति महोदय : सरकार को इस अनुरोध के बारे में क्या कहना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : मुझे कुछ नहीं कहना है। यह एक छोटा सा विधेयक है जिस पर पिछले दो तीन दिनों से चर्चा हो रही है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह छोटा–सा विधेयक जरूर है परंतु प्रत्येक राज्य को अपनी बात कहने का हक है।

श्री प्रमोद महाजन : पृथ्वी का तीन–चौथाई भाग जल है। मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है कि उत्तर और विधेयक को पारित...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जी हां, हम इस विधेयक को पारित करेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इस विधेयक को आज ही पारित कर दिया जाए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभी राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक की थी और वे संयुक्त संसदीय समिति की मांग के बारे में लिए गए निर्णय की घोषणा अपराह्न 2.30 बजे करेंगे।

मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे अपने विचार संक्षेप में रखें क्योंकि यह निर्णय लिया गया है कि इस विधेयक को आज ही पारित करना है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आज की पुनरीक्षित कार्य सूची के अनुसार, हमें गैर सरकारी सदस्यों के कार्य अपराह्न 3.00 बजे शुरू करना है क्योंकि सायं 5.30 बजे आधे घंटे की चर्चा होगी अतः हम इसे अपराह्न 3.00 बजे शुरू कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यदि सभा सहमत है तो आधे घंटे की चर्चा सायं 6.00 बजे शुरू की जा सकती है।

श्री अधीर चौधरी जिनके नाम पर आधे घंटे की चर्चा सूचीबद्ध है, भी इसे आगे बढ़ाए जाने के लिए सहमत हैं।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : माननीय सभापति महोदय, मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी के प्रस्ताव से सहमत हूं।

सभापति महोदय : क्या सभा का भी यही मत है?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : यदि सभा का भी यही मत है तो ठीक है। डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : माननीय सभापति महोदय, हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कर रहे

[डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

हैं जिसके जरिये विभिन्न राज्यों में जो नदी जल विवाद होते हैं, उनका निपटारा करने में, चाहे अधिकरण द्वारा वे निर्णीत किये जाने हों, पंचाट द्वारा निर्णीत किये जाने हों, एक लंबा समय लग जाता है। प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। इस कारण कई राज्यों में आपस में तनाव पैदा होते हैं, मनमुटाव पैदा होते हैं और कई बार ऐसे मामले उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक चले जाते हैं और उस कारण जो लाभ मिलना चाहिए नदी जल का, वह नहीं मिल पाता। फिर चाहे इस प्रकार के विवाद हरियाणा–राजस्थान के बीच में हों, तमिलनाडु–केरल–पांडिचेरी के बीच में हों, या मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में हों। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में भी इस प्रकार का एक विवाद है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ और उसके बाद उसका पानी राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश में पहुंचा। लेकिन आज स्थिति यह बन गई है कि मध्य प्रदेश को जो पानी का लाभ मिलना चाहिए, वह न मिलकर बीच में नहरें तोड़कर राजस्थान वाले उसका उपयोग करते हैं और जो मध्य प्रदेश के लोग विस्थापित हुए हैं, लगभग 40–50 वर्ष बीत जाने के बाद भी वे विस्थापित दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको कोई लाभ नहीं है और दूसरी तरफ उसका समुचित समाधान नहीं है। पंचाट में भी मामले गए लेकिन उनका निर्णय नहीं हो सका।

जो वर्तमान अधिनियम है, यह 1956 का बना हुआ है, संविधान की धारा 262 के तहत, और इसलिए इसके बारे में कई बार विचार–विमर्श हुआ। जब सरकारिया कमीशन ने इस बारे में विचार किया तो उन्होंने कहा कि इस पर फिर से विचार किया जाए और इसमें इस प्रकार से संशोधन किया जाना चाहिए कि निर्णयों में लंबा समय नहीं लगे और वह अवधि कम करके तीन वर्ष के अंदर निर्णय किए जाने चाहिए। इस प्रस्तुत विधेयक में इस प्रकार समयावधि तय करने की बात की गई है और कहा गया है कि जो ऐसे पंचाट बनें या अधिकरण बनें उनका दायित्व होना चाहिए कि पारस्परिक समझौते द्वारा इस प्रकार का निर्णय करें।

हम सब इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि जल एक राष्ट्रीय संपदा है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी, जल संसाधन के संबंध में जो बैठक हुई थी, उसमें अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि क्या इस बारे में कोई नई परिकल्पना की जा सकती है, नया विचार किया जा सकता है और उन्होंने इस बात का संकेत दिया था कि वास्तव में इस बारे में गंभीरतापूर्वक सोचकर कोई निर्णय हमें करना होगा। आज भी एक नई स्थिति उत्पन्न हुई है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच में। छत्तीसगढ़ नया राज्य बना है लेकिन उन दोनों राज्यों के बीच में जो इंद्रावती नदी है, उसके जल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसके लिए जो सुझाव यहां पर प्राप्त हुआ है। केंद्रीय जल प्राधिकरण के गठन का, वह मैं समझता हूं कि उपयुक्त होगा और हम उस बारे में आगे विचार करें तो निश्चित रूप से उसको मूर्त रूप दे सकेंगे।

जल एक तरफ तो बाढ़ के कारण तबाही मचा देता है और दूसरी ओर जब जल को बांध में बांधा जाता है और सीमित उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे हरित प्रदेश होकर देश की संपदा को बढ़ाने वाले बन जाते हैं और इस रूप में जल का ठीक से उपयोग होना चाहिए।

सभापति महोदय, चाहे कावेरी–कृष्णा का विवाद हो, चाहे गंगा–कावेरी को लिंक करने का प्रश्न हो, बहुत पहले गंगा–कावेरी को लिंक करने की बात कही गई थी, वह बहुत लंबी योजना है, वह बहुत खर्चीली योजना है, अरबों रुपये की योजना है, लेकिन उसके पीछे भी एक परिकल्पना थी कि किस प्रकार से एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर क्षिप्रा नदी बहती है, चम्बल नदी बहती है और नर्मदा नदी भी बहती है। हम नर्मदा को क्षिप्रा तक, क्षिप्रा को चम्बल तक लाकर एक ऐसी नदी जलधारा प्रस्तावित कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे सारे मध्य भारत और मालवा क्षेत्र को लाभ होगा और उससे नीचे राजस्थान तक के भाग को लाभान्वित किया जा सकता है। ये कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी ठीक से कार्यान्विति होनी चाहिए।

सभापति महोदया, कभी–कभी इन परियोजनाओं की ठीक प्रकार से कार्यान्विति नहीं होती है। कभी–कभी इन परियोजनाओं को लेकर जो बांध निर्मित होते हैं उनको लेकर आपस में बड़ा विवाद होता है। कभी बांध की ऊंचाई को लेकर और कभी किसी अन्य बात पर निरंतर विवाद होता रहता है। नर्मदा सरोवर योजना के बांध को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय तक मामले जा रहे हैं। एक तरफ बांध की ऊंचाई को रोके जाने के बारे में कहा जा रहा है, तो दूसरी ओर बांध की ऊंचाई को बढ़ाए जाने के बारे में निरंतर तर्क दिए जा रहे हैं और नदी का जल बहता चला जा रहा है। नर्मदा सरोवर से मध्य प्रदेश को लाभ है, लेकिन उससे गुजरात को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। वह गुजरात की जीवन रेखा बनेगा।

सभापति महोदया, जैसा मैंने बताया, विभिन्न प्रदेशों के लोग अपने–अपने हित की दृष्टि से उसको देखते हैं और उस

पर विचार करते हैं। कुछ काम ऐसे भी हैं जो ठीक समयावधि में पूरे होने चाहिए, वे पूरे नहीं हो रहे हैं। चाहे फिर वह बाण सागर परियोजना हो या मध्य प्रदेश की अन्यान्य परियोजनाएं हों, उन परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद उनका लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए उनके बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन परियोजनाओं के बारे में ठीक से विचार करें ताकि जो करोड़ों रुपये उन पर लग रहा है, उसका फायदा देश को मिल सके क्योंकि परियोजनाओं की जो लागत है, आपस के विवाद के न सुलझने के कारण वह निरंतर बढ़ती जा रही है। एक तरफ विवाद के कारण लागत बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो विस्थापित हो रहे हैं उनको भी फायदा नहीं पहुंच रहा है।

अपराह्न 2.32 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि नदी जल विवाद को सुलझाने की दृष्टि से विधेयक बहुत छोटा है, लेकिन यह अत्यावश्यक है, इसे पारित किया जाना चाहिए। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि यह एक ऐसा निरापद विधेयक है जिसके कारण हमारे जो नदी जल विवाद हैं, उनको ठीक प्रकार से सुलझाने के लिए एक गति प्राप्त होगी और न केवल योजनाओं को समय में पूरा कर सकेंगे बल्कि देश के विभिन्न भागों और भिन्न–भिन्न प्रदेशों को जो लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ उन्हें हो सकेगा।

अपराह्न 2.33 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

"शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति" द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यू.एस.- 64 स्कीम से संबंधित मुद्दों पर विचार

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैंने आज भारतीय यूनिट ट्रस्ट से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए अपने कक्ष में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी। शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के सभापति भी वहां उपस्थित थे। सभी दलों के विचार विशेष रूप से सभापति का वक्तव्य सुनने के बाद यह निर्णय लिया गया था कि जिन मुद्दों पर सभा में चर्चा हो चुकी है उनके सहित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से संबंधित सभी मुद्दों पर संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा। अब संयुक्त संसदीय समिति तदनुसार कार्य करेगी।

अपराह्न 2.34 बजे

अंतर्राज्यिक जल-विवाद (संशोधन) विधेयक–जारी

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हम अंतर्राज्यीय जल विवाद संशोधन विधेयक 2001 पर चर्चा कर रहे हैं जिसकी सिफारिश केंद्र–राज्य संबंधों के बारे में बने सरकारिया आयोग ने की है। पानी का सवाल हमारे देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सवाल है और सही मायने में बात यह है कि हमारे देश में पानी की कमी नहीं है। अगर इस देश में कोई संकट है, तो वह कुप्रबंधन का है। एक तरफ बेशुमार पानी है और दूसरी तरफ सूखा है। अगर हम अपने देश के एक भाग के पानी का संचय कर लें, इकट्ठा कर लें और जहां पानी ज्यादा है, वहां से उस ज्यादा पानी को सूखे के इलाकों में डायवर्ट कर दें, भेज दें तो मैं समझता हूं कि हमारे देश की पानी की समस्या हल हो जाएगी। हमारे देश में पानी बरसात और नदियों, दो ही तरीके से मिलता है। बरसात का भी आधे से ज्यादा पानी हमारे देश में बेकार चला जाता है, उसका प्रयोग नहीं होता। यही हाल नदियों के पानी का है। पानी की समस्या अत्यधिक महत्वपूर्ण समस्या है।

अपराह्न 2.35 बजे

(श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुईं)*

देश के विकास के लिए, खास तौर से देश के आर्थिक विकास के लिए 90 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के नाम पर प्रयास शुरू हुए लेकिन यह तथ्य सामने है कि हमारे देश में आम आदमी और ज्यादा परेशान हुआ है और यहां बेरोजगारी बढ़ी है। सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि अगर देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाना है, सशक्त बनाना है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है तो कृषि ही एकमात्र रास्ता है। सरकार ने देश के समुचित विकास न हो पाने के लिए सुविधाओं की कमी को स्वीकार किया है। उन सुविधाओं की कमी को स्वीकार करने के बाद सरकार ने इस देश के समुचित विकास के लिए सड़क, बंदरगाह, यातायात, बिजली, पैट्रोलियम, स्टील, सीमेंट आदि को शामिल करके एक वृहद ढांचा तैयार किया है।

[श्री रामजीलाल सुमन]

यहां जल संसाधन मंत्री बैठे हैं। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि जब तक आप मूलभूत ढांचे में सिंचाई को शामिल नहीं करेंगे तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। हमारे देश का बजट 3,75,223 करोड़ रुपये का बना है। देश के 70 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं, सिंचाई खेती का प्राण है लेकिन हमारे देश में कृषि के लिए सिर्फ 3300 करोड़ रुपये आबंटित हुए हैं जो एक प्रतिशत से भी कम है। इस देश में जब तक समुचित सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी तब तक यहां का किसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आज आवश्यकता है कि विकास का जो मूलभूत ढांचा हम तैयार कर रहे हैं, उसमें सिंचाई को प्राथमिकता देनी होगी।

हमारे देश में 29 प्रतिशत भूमि वेस्टलैंड है। अगर उस जमीन में पानी चला जाए, सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो वह जमीन भी उपजाऊ हो सकती है। हमारे देश में उसका कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं हुआ। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि आज हालत यह है कि जहां उड़ीसा में बाढ़ से सैकड़ों, करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ वहीं गुजरात में सूखे से 6,881 करोड़ रुपये की फसल नष्ट हुई। यह इस देश का अत्यधिक गंभीर सवाल है। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में मंत्री जी जरा गंभीर हों। सबसे बड़ा दुखद पहलू यह है कि अब तक आपकी कोई राष्ट्रीय जल नीति नहीं बनी है। मई के महीने में आपने विभिन्न राज्यों के लोगों को बुलाया था, संभवतः सिंचाई मंत्रियों को बुलाया होगा और नेशनल वाटर रिसर्च काउंसिल की मीटिंग थी। उसका एजेंडा भी था, जल के बंटवारे पर चर्चा भी हुई थी लेकिन उस पर कोई सहमति नहीं बनी। संभवतः आपने राज्यों के सिंचाई मंत्रियों की कोई कमेटी बना दी। आज तक उसकी कोई रिकमैंडेशन नहीं है। विभिन्न राज्य पूरा पानी चाहते हैं। इन सब सवालों पर हमारे देश में जितनी गंभीरता होनी चाहिए, उतनी नहीं है। अभी आप नया अभिकरण बनाने वाले हैं। हमारे देश में पहले से पांच ट्राइब्यूनल हैं। गोदावरी जल विवाद ट्राइब्युनल, कृष्णा–नर्मदा जल विवाद ट्राइब्युनल, कावेरी, गोदावरी, रावी, व्यास जल विवाद ट्राइब्युनल है लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि ट्राइब्युनल्स, जिन राज्यों के बीच कोई फैसला करना होता है, वह उन पक्षों को पूरा संतुष्ट नहीं कर पाते क्योंकि पानी के सवाल पर हर राज्य भिड़ने के लिए तैयार बैठा है। सतलुज–यमुना लिंक नहर परियोजना का जो विवाद है, जिससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली की पानी की समस्या का काफी हद कर निवारण हो सकता है, लेकिन बीसियों वर्षों से वह विवाद पड़ा हुआ है लेकिन आज तक उसका कोई परिणाम सामने नहीं आया। इसलिए इन सब मामलों पर गंभीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। इस अभिकरण के बनने के बाद भी, कोई निश्चित सीमा तय नहीं करेंगे, राज्यों को तत्काल विश्वास में लेकर फैसला नहीं करेंगे, तब तक कोई अच्छा परिणाम निकलने वाला नहीं है। डा. रघुवंश जी ने ठीक ही कहा कि विवाद सिर्फ राज्यों के बीच नहीं है, नदी जल विवाद अंतर्राष्ट्रीय भी हैं। नेपाल से जो नदियां बहती हैं, वे नदियां पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में हर साल नुकसान करती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिन्दुस्तान को दूसरे देश की नदियों से जो हानि हो रही है, इस पर भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। मैं आपकी मार्फत यही निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक अच्छा प्रयास है, लेकिन जब तक आप विभिन्न राज्यों को विश्वास में नहीं लेंगे, इस देश में जब तक राष्ट्रीय जल नीति नहीं बनेगी, तब तक इस देश में पानी की समस्या का हल नहीं हो सकता।

मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस देश में पानी की समस्या का हल नहीं हुआ तो इस देश में तबाही और बढ़ेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता।

[अनुवाद]

***श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन)** : माननीय सभापति महोदया, मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक, अंतर्राज्यीय जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2001 पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही, मुझे अपनी मातृ भाषा कन्नड़ में बोलने की अनुमति देने के लिए भी आपका आभार प्रकट करता हूं।

हमारे देश में लगभग सभी राज्य जल विवादों से प्रभावित हैं। कुछ राज्यों में भीषण सूखा पड़ रहा है तो कुछ राज्यों में विनाशकारी बाढ़ आ रही है। इसका एक कारण है कि जल संसाधनों का समान वितरण नहीं है। इसलिए राज्यों का समान रूप से विकास नहीं हुआ है। देश में सभी राज्यों में जल विवादों को निपटाने के लिए एक राष्ट्रीय जल नीति बनाए जाने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदय को इस संबंध में एक विस्तृत विधेयक लाना चाहिए।

इस संशोधन विधेयक के तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं केंद्र के पास दो अथवा अधिक मूल्यांकन कर्ता नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा मुद्दा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तुल्य अधिकरण के आदेश पर विचार करने का है। तीसरा मुद्दा, प्रत्येक नदी बेसिन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डाटा कोष और सूचना प्रणाली बनाने का है जिसमें जल संसाधनों, भूमि कृषि और तत्संबंधी मामलों के बारे में आंकड़े होंगे जिनका निर्धारण केंद्र सरकार समय–समय पर कर सकती है।

---

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

ये जलविवाद गत दो शताब्दियों से चले आ रहे हैं। कुछ राज्य अधिनियम में सुझाई गई जल की मात्रा से अधिक मात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि ऐसी ही प्रवृत्ति बनी रही और केंद्र इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का प्रयास करता रहा तो प्रभावित राज्यों के लोगों का प्रजातंत्र से विश्वास उठ जाएगा। समूचे देश में आम लोगों को इन घटनाओं की जानकारी है। उन्हें अपने अधिकारों का भान है और वे अपने प्रदत्त अधिकारों की मांग भी करते हैं अतएव, केंद्र सरकार जैसा ठीक समझे वैसा नहीं कर सकती है। उन्हें सभी राज्यों के लागों की इच्छाओं को जानने का प्रयास करना चाहिए।

राज्यों के बीच जल विवाद होने की स्थिति में इस अधिनियम (1956) में एक अधिकरण स्थापित किए जाने का प्रावधान है। सभी संगत सूचना एकत्र करने और उसे अधिकरण को देने का दायित्व केंद्र सरकार का है। मौजूदा केंद्र सरकार इस संबंध में चालाकी बरत रही है। यह सरकार कुछ राज्यों का पक्ष ले रही है।

मद्रास प्रेसीडेंसी ने सदैव से मैसूर को जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने से वंचित रखा है। इसने मैसूर राज्य को कोई बांध बनाने की अनुमति भी नहीं दी है। इसके लिए कोई न कोई कारण दिया जाता रहा।

इन दोनों राज्यों के बीच वर्ष 1892 के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें कहा गया था कि मैसूर को मद्रास प्रेसीडेंसी के लिए और अधिक पानी की मात्रा छोड़नी पड़ेगी फिर वर्ष 1924 में दोनों राज्यों के बीच एक और समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और यह समझौता भी मद्रास प्रेसीडेंसी के पक्ष में था। उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस जल विवाद के संबंध में निर्णय दिया था। दुर्भाग्यवश, इस निर्णय को विशेषरूप से मद्रास प्रेसीडेंसी ने गंभीरता से नहीं लिया। अब केन्द्र सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक अधिकरण का गठन कर दिया है और उसने अपना अंतरिम आदेश दे दिया है जिसके अनुसार कर्नाटक को 205 टी.एम.सी. जल की मात्रा छोड़नी है। यदि जलाशय में समुचित वर्षा नहीं हुई तो कर्नाटक 205 टी.एम.सी. जल की मात्रा कैसे छोड़ सकता है। वास्तव में, कर्नाटक के कावेरी कमान क्षेत्र में जल की ज्यादा मात्रा एकत्र की जाती है। अतः कर्नाटक को कावेरी नदी का ज्यादा जल उपयोग करने का हक है।

अब तमिलनाडु 550 टी.एम.सी. जल की मात्रा से ज्यादा मात्रा का उपयोग कर रहा है। कर्नाटक की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। कर्नाटक में कावेरी डेल्टा के किसान इस मामले में अपने असंतोष की अभिव्यक्ति पूर्व में ही कर चुके हैं। अधिकरण के अंतरिम आदेश के विरोध में किसानों द्वारा आंदोलन किया गया है।

कृष्णा नदी जल के बारे में इसी तरह की समस्या है। हमारे पड़ोसी राज्य ने अनुमानतः दस हजार करोड़ की लागत से पांच बड़ी परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया है। यह आश्चर्यजनक बात है कि केंद्र सरकार पड़ोसी राज्य के इस काम को प्रोत्साहन दे रही है। यह बछावत अवार्ड का घोर उल्लंघन है अतः केंद्र सरकार को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और इन पांच प्रमुख नदी जल परियोजनाओं के निर्माण को तुरंत रोकना चाहिए। हमारे मुख्य मंत्री ने इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए माननीय प्रधान मंत्री से भी मुलाकात की है। पड़ोसी राज्य में घटित इस नये घटनाक्रम के प्रति उन्होंने अपनी नाखुशी का इजहार किया है। केंद्र सरकार को सभी राज्यों के अधिकारियों का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि यह संविधान की रक्षक है और इसे सभी राज्यों का संरक्षक होने का दायित्व निभाना चाहिए। कर्नाटक सर्वोच्च न्यायालय में जाने की तैयारी में है। कर्नाटक विधानमंडल ने 25 जून, 1991 को हुई अपनी बैठक में अधिकरण के इस अंतरिम आदेश का एकमत से विरोध किया था क्योंकि यह राज्य की जनता के हितों और प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल है। विधान सभा ने इस आदेश का विरोध इस आधार पर किया था कि यह अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, देश की एकता और अखण्डता की रक्षा और टकराव को टालने के लिए इस गंभीर समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। राज्य विधान सभा ने केंद्र सरकार से अपील की है कि उसे इस जल विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान और अधिकरण को उचित दिशानिर्देश देने के उद्देश्य से 1956 के अधिनियम में समुचित संशोधन करना चाहिए।

सरकारिया आयोग ने भी इस संबंध में अपने सुझाव दिए हैं। अतएव, यह अत्यधिक जरूरी है कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि देश में उपलब्ध सभी जल संसाधनों का समान वितरण हो और किसी राज्य के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए केवल तभी राज्य सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर सकते हैं।

केंद्र सरकार कर्नाटक को कावेरी और कृष्णा नदियों के जल का उपयोग करने के लिए जरूरी सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है। कर्नाटक को विश्व बैंक से भी जरूरी वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। कावेरी कमान क्षेत्र के 28 तालुके भयंकर सूखे की चपेट में हैं। इन तालुकों के लोगों और पशुओं के लिए पानी नहीं है। मेरे राज्य में यह स्थिति है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वे इस गंभीर समस्या का स्वयं अध्ययन करें और कर्नाटक के लोगों की रक्षा करें। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे यथाशीघ्र एक विस्तृत विधेयक पेश करें और अविलंब राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा करें।

[श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा]

महोदया, मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान बहुत पिछड़ा प्रदेश है। पहाड़ी है, रेगिस्तानी है और यहां की जनसंख्या, यदि आप विचार करें, इस समय के भारतवर्ष के पूरे प्रांतों के हिसाब से राजस्थान की जनसंख्या और क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। राजस्थान के साथ भेदभाव हो रहा है। गाडगिल फार्मूले में भी यह कहा गया है, जो मरु क्षेत्र है, रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लिए रियायत की जानी चाहिए। विषम परिस्थिति होने पर भी राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि नदियों में जितना पानी है, उसका केवल एक प्रतिशत पानी ही राजस्थान को प्राप्त होता है। राजस्थान एक मरु प्रदेश है और वर्षा की हम पर कृपा नहीं है। अब की बार थोड़ी सी बारिश बाड़मेर और जैसलमेर में हुई है, अन्यथा वर्षा नहीं होती है और सारे बांध सूख गए हैं। इसलिए निवेदन है कि नदियों का पानी राजस्थान को प्राप्त हो जाए, क्योंकि राजस्थान भी भारत के नक्शे में एक बड़ा प्रदेश है, तो उसका भी भला हो सकेगा। यहां पर मेरा निवेदन करना यह है कि बड़ा प्रदेश होने के साथ–साथ यह भी कहा गया है कि सरस्वती नदी, जो लुप्त हो गई है, उस सरस्वती नदी को ठीक किया जाएगा और उसके बाद गंगा का पानी भी पूर्वी राजस्थान को दिया जाएगा। इस संबंध में जितने हमारे डिस्प्यूट्स हों, वे भी सारे तय किए जाएंगे।

मेरा निवेदन है कि राजस्थान के लोग कई हिस्सा पानी से वंचित हैं। गंगा का जल भी हमको नहीं मिला है। रावी–व्यास नदी से संबंधित जो अनुबंध हुआ था, वह भी जल वितरण से संबंधित झगड़ा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में ज्यों–का–त्यों बना हुआ। राजस्थान के मुख्य मंत्री चाहे भैरोसिंह शेखावत जी रहे या अब वर्तमान मुख्य मंत्री, अशोक गहलौत जी हैं, उन्होंने भी इस प्रकार के प्रयास किए, लेकिन रावी–व्यास का झगड़ा तय नहीं हो पाया है। इसी प्रकार रोपड़–हरिकेश–कीरतपुर हैडवर्क्स का भी सारा मामला अटका हुआ है। मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान नहर एक प्रमुख नहर है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की नहर है, वहां पर भी कई लोग बसाए जा सकते हैं। जो लोग खेती नहीं करते हैं उनको बसाया जा सकता है, खेती करने वालों को भी बसाया जा सकता है और बार्डर क्षेत्र होने के कारण सैनिकों को भी बसाया जा सकता है। राजस्थान सरकार को भारत सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपये की राशि राजस्थान नहर को पूरा करने के लिए दी जा रही थी, वह भी मिलनी बंद हो गई है। राजस्थान नहर एक बहुत बड़ी नहर है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान सरकार ने ऐसी क्या गलती कर दी, मुझे मालूम नहीं है, जो यह राशि बंद हो गई है। मैंने राजस्थान के मुख्य मंत्री से बात की और वहां के जल संसाधन मंत्री से भी बात की, हमारी कोई त्रुटि नहीं है और राजस्थान नहर को पूरा करने के लिए भारत सरकार से 60 करोड़ रुपये की राशि दी जाया करती थी, वह बंद कर दी गई है। मेरा संक्षेप में निवेदन करना यही है कि राजस्थान के साथ अन्याय हो रहा है और भारतवर्ष के नक्शे में भी राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है, जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से भी राजस्थान को जल प्राप्त होना चाहिए। सभी नदियों के पानी को जोड़कर यदि कुछ नदियों में पानी मिल जाए, रावी–व्यास से जल नदियों में डाल दिया जाए, यदि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, तो राजस्थान के साथ न्याय हो सकेगा।

मुझे इतना ही आपसे निवेदन करना है कि राजस्थान को भी पानी मिले और इस समस्या को सर्वोच्च आधार पर विचार किया जाना चाहिए। महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : माननीय महोदया, मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से प्रेरित होकर ही यह विधेयक इस सम्माननीय सभा में प्रस्तुत किया गया है।

अपराह्न 3.00 बजे

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक इस प्रकार है, "जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग और व्यापक योजना की आवश्यकता।" उन्होंने छह सुझाव दिए हैं। उन छह सुझावों में से हमारे समक्ष पांच सुझाव संशोधन के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। किंतु पैरा 17.6.02 में एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है :

> "कि अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम में ऐसा संशोधन होना चाहिए जिससे केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो जाए कि, यदि वह संतुष्ट हो जाए कि वास्तव में कोई विवाद है तो आवश्यकता पड़ने पर वह स्वतः एक न्यायाधिकरण का गठन कर सके।"

भारत शासन अधिनियम, 1919 के लागू होने से अब तक के पिछले 8 दशकों से हमारे अपने अनुभव के आधार पर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है। इस अधिनियम में सिंचाई को पहली बार एक आरक्षित विषय के रूप में प्रांत का विषय माना गया, प्रत्येक प्रांत और रजवाड़े के लिए अंतर्राज्यीय नदी

पर किसी सिंचाई परियोजना को लागू करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य था।

बाद में जब सन् 1935 में भारत शासन अधिनियम 1919 को निरस्त किया गया और उसकी जगह भारत शासन अधिनियम 1935 आया तो पहले कानून को बिलकुल बदल दिया गया और सिंचाई को 'अंतरित विषय' के अंतर्गत डाल दिया गया जो पूरी तरह प्रांतों और रजवाड़ों के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आता था। वास्तव में, पुनर्विचार का अधिकार केवल गवर्नर जनरल को दिया गया किंतु बाद में भिन्न प्रांतों एवं रजवाड़ों में ऐसी घटनाएं घटीं कि वहां कोई न कोई मध्यस्थता करने और मामले की जांच–पड़ताल के लिए होना चाहिए था। उनसे कोई वरिष्ठ व्यक्ति हो ताकि वे अंतर्राज्यीय नदी जल बंटवारे की समस्या पर कोई निर्णय ले सकें।

मैं संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत एक उपबंध उद्धृत करना चाहूंगा। अनुच्छेद 262(1) इस प्रकार है :

> "संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यिक नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्यायनिर्णयन के लिए उपबंध कर सकेगी।"

उसी प्रकार, हमारे पास केंद्र सरकार की शक्तियां हैं जो भारतीय संविधान की अनुसूची VII की सूची I की प्रविष्टि संख्या 56 में दी गई हैं। यह इस प्रकार हैं :

> "उस सीमा तक अंतर्राज्यिक नदियों और नदी दूनों का विनियमन और विकास जिस तक संघ के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद, विधि द्वारा, लोकहित में समीचीन घोषित करे।"

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदया, गैर सरकारी सदस्यों के कार्य से संबंधित कार्यवाही कब प्रारंभ होगी?

सभापति महोदय : पहले यह निर्णय लिया गया था कि गैर सरकारी सदस्यों के कार्य से संबंधित कार्यवाही अपराह्न 3.30 बजे शुरू होकर सायं 6.00 बजे तक चलेगी जब आधे घंटे की चर्चा प्रारंभ की जाएगी।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : इन प्रावधानों के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने केंद्रीय सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान कीं। इसीलिए सरकारिया आयोग ने भी विस्तृत अनुशंसाएं कर उसे उचित ठहराया है, न्यायसंगत ठहराया है कि इस प्रकार स्वतः शक्ति प्राप्त करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को क्यों प्रदान किया जाए।

हमारे व्यवहारिक अनुभव में हमने देखा है कि जब भी अंतर्राज्यिक न्यायाधिकरण का गठन हुआ है किसी न किसी राज्य की ओर से इसके विरुद्ध आंदोलन हुआ है। तब केवल केंद्र सरकार ही हस्तक्षेप कर विवाद का निबटारा कर सकती है। अन्यथा, विवाद हमेशा के लिए रह जाएंगे और पड़ोसी राज्यों में द्वेष बना रहेगा चूंकि मूलतः हम पर राजाओं महाराजाओं का शासन रहा है और जब हम अंतर्राज्यिक समस्याओं की बात करते हैं अब भी हमारी वही मानसिकता उभर आती है।

जब अंतरिक्ष की बात होती है, तो यह स्वतंत्र है। अंतरिक्ष पर कोई प्रादेशिक विवाद नहीं होता। समुद्र के संबंध में भी कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों पर समान अधिकार होता है। नदियों को समान अधिकार क्षेत्र की तरह क्यों नहीं लिया जाना चाहिए? यह संसाधन भारत के लोगों में बिना किसी भेदभाव अथवा प्रादेशिक समस्याओं के क्यों नहीं बांटे जा सकते? अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि जब हम संघीय व्यवस्था चाहते हैं तो भारत सरकार को इस सिफारिश को लागू करने हेतु इस संबंध में सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए और राज्यों को भी इस प्रकार के मध्यस्थ के लिए आगे आना चाहिए तभी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है चूंकि इस विधेयक में एक बहुत अच्छी बात कही गई है—वह है रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा तीन वर्ष तक निर्धारित करना जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन साथ ही केंद्रीय सरकार को स्वतः शक्ति प्राप्त अधिकार भी होना चाहिए तब ही केंद्रीय सरकार विवादों को सुलझा सकती है जब विवाद भौगोलिक और प्रादेशिक सीमाओं से परे हो।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : मैडम, प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस का समय तीन बजे था और अब तीन बज गए हैं।

सभापति महोदय : आप हाउस में नहीं थे। हाउस की सहमति से वह समय साढ़े तीन बजे कर दिया गया है।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं केंद्रीय सरकार का ध्यान केवल एक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सुवर्णरेखा नदी तीन राज्यों के बीच से होकर गुजरती है, यथा बिहार जो अब झारखंड है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। सिंचाई सुविधाओं तथा जल संसाधनों की संवृद्धि के लिए सुवर्ण रेखा पर विभिन्न परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार और उड़ीसा में जल संसाधनों के संवर्धन हेतु विश्व बैंक योजना के अंतर्गत केंद्रीय ऋण सहायता प्रदान की गई है किंतु जहां तक पश्चिम बंगाल में बहने वाली इस नदी के मार्ग का संबंध

[श्री प्रबोध पण्डा]

है केंद्रीय सहायता मंजूर करने के बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने परियोजना के क्रियान्वयन में पहल की थी किंतु धनाभाव के कारण यह परियोजना आगे नहीं चलाई जा सकी। जहां तक मैं जानता हूं पश्चिम बंगाल सरकार ने एआईबीएफ के अंतर्गत इस परियोजना को पूर्ण करने हेतु केंद्रीय सहायता की मांग की है। मेरे विचार से, इस परियोजना को पूरा करने के लिए लगभग 600 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। यह प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है। मेरा केंद्रीय सरकार से यह अनुरोध है कि इसे मंजूरी दे दी जाए ताकि यह परियोजना निर्धारित अवधि में पूरी की जा सके।

सभापति महोदय : श्री के. पी. सिंह देव, आप पांच मिनट में अपना भाषण पूरा करें।

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदया, मैं केवल तीन मिनट का समय लूंगा। सबसे पहले मैं मंत्री जी को यह संशोधन प्रस्तुत करने के लिए बधाई देना चाहूंगा जो मेरे राज्य से ही हैं हालांकि मेरे मित्र श्री जे. एस. बराड़ मुझसे सहमत नहीं हैं। यह प्रश्न बहुत देर से उठा है लेकिन बहुत छोटा है, इस विधेयक को लाने के उद्देश्य और कारणों का संबंध सरकारिया आयोग से है। इससे केवल डाटा बैंक प्रभावी होगा। जैसा कि सदन के सभी संवर्गों से, दक्षिणी छोर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लेकर कश्मीर तक और अलमाटी से प्रारंभ होकर यदि आप सारी नदियों व्यास, ब्राह्मणी, कावेरी तक जाएं, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पिछले 50 वर्षों में हम अपनी विवादास्पद और कष्टप्रद और जटिल समस्याओं को सुलझा नहीं पाए हैं।

सरकारिया आयोग ने भी यही कहा है, पाया है और यही निष्कर्ष निकाला है और इसके बारे में रिपार्ट में भी दिया गया है। आप डाटा बैंक नहीं रख सकते चूंकि पिछले 53 वर्षों में वोट बैंक ने ऐसा होने से रोका है। मुझे नहीं लगता कि यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसमें राज्यों के इतने सारे प्रतिनिधि हैं वह इस बारे में बनावटी सहानुभूति दिखाने के सिवाय कुछ और भी कर सकती है।

न्यायाधिकरणों, जिनका गठन मूल अधिनियम 1956 तथा संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत हुआ था, ने मुख्य बात नदी के बेसिनों की उपेक्षा की है। आज, तथ्य यह है कि भारत ने अपने जल संसाधनों को बचा कर नहीं रखा है। वास्तव में एक पूर्व महान्यायवादी ने कहा है :

"इसका परिणाम यह रहा है कि भारत समेकित नदी बेसिन विकास से अपने जल संसाधनों का विकास नहीं कर पाया है और राज्यों के बीच नदियों को लेकर निरंतर विवाद आम हो गए हैं। यहां तक कि अंतर्राज्यिक न्यायाधिकरणों द्वारा निबटाए गए विवाद भी पुनः उभर आए हैं।"

यहां तक कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो न्यायाधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के समतुल्य मान रहा था, वह भी राजनीतिक गतिविधियों और जोड़ तोड़ के कारण अथवा जो भी कारण रहे हों कभी सामने ही नहीं आया, आपकी मंशा न्यायाधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय के निर्णय से समतुल्यता प्रदान करने की है। तथापि, उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी अभी तक सामने नहीं आया है। आगे न केवल एक डाटा बैंक वरन् एक संगठनात्मक व्यवस्था की भी आवश्यकता है चूंकि जल एक राष्ट्रीय संसाधन है। राज्य बहुत गरीब हैं, निर्धन हैं। उदाहरण के लिए आप अपने और मेरे राज्य उड़ीसा को ही लें। सूखे, चक्रवात, बाढ़ और ओला वृष्टि ने उत्तरोत्तर वर्षों में उड़ीसा की कमर तोड़ दी है।

कल मेरे पास एक अतारांकित प्रश्न था, जिसका माननीय रेल राज्य मंत्री ने उत्तर दिया था। पिछले वर्ष उन्होंने बड़ी उदारता से रेंगाली परियोजना हेतु 110 करोड़ रुपये दिए थे। इस परियोजना की शुरूआत 27.3 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि से हुई थी जो कि अब अत्यधिक बढ़कर 3,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। 110 करोड़ रुपये देने के बावजूद केवल 60 प्रतिशत कार्य ही हो पाया है। यह पूरी नहर नहीं है काटकर छोटी की गई है। इस बार उड़ीसा में भयंकर सूखा पड़ा लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं दी जा सकी क्योंकि वे तीन रेल लाइनें यथा तालचेर–संबलपुर और तालचेर–पुरी पार नहीं कर सकते थे। इसका कारण यह है कि पिछले 20 वर्षों में किसी ने भी इसकी अनुमति नहीं ली थी। इसका कल यह उत्तर दिया गया था कि, "उन रेल लाइनों को पार करने के लिए उड़ीसा सरकार छः करोड़ रुपया नहीं दे पाई है।"

"वॉटर, वॉटर एव्रीव्हेयर
ऑल द बोर्डस डिड सिंक;
वॉटर, वॉटर एव्रीव्हेयर
बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक।"

हमारे किसानों को इस वर्ष पानी की एक भी बूंद नहीं मिली हालांकि प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है।

महोदया उड़ीसा में आई बाढ़ इस बात का प्रमाण है कि महानदी, ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा नदियां जिनका उद्‌गम मध्य प्रदेश से है, उड़ीसा के बाहर से आती हैं। नदी का पानी उड़ीसा में बहता है जिसे नियंत्रित करने का कोई उपाय नहीं है। अतः नदी बेसिन विकास को संस्थागत रूप देने या एक नदी बोर्ड बनाने की आवश्यकता है जो विधि सम्मत भी है। मूल अधिनियम के अंतर्गत केंद्र ऐसा कर सकता है। राज्यों की आवश्यकताओं और हितों में विवाद भी होगा। मैं श्री जगमीत सिंह बराड़ से सहमत हूं चूंकि पंजाब के अपने हित हैं। तथापि हम भुक्तभोगी हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। लंबे अर्से के बाद उड़ीसा का कोई व्यक्ति जल संसाधन मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बना है। मुझे विश्वास है कि उड़ीसा को पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे अन्य राज्यों के समान ही अपना हक मिलेगा। हमारी नदियां एक ही हैं। कृष्णा–गोदावरी बेसिन का मामला भी ऐसा ही है।

इंद्रावती परियोजना के पूरा होने से आज कालाहांडी में कोई भुखमरी नहीं है। अब वे बासमती का निर्यात कर रहे हैं। वैसे, इस इंद्रावती परियोजना को पूरा होने में 30 वर्ष लगे। पूर्व सांसद श्री पी. के. देव 28 वर्षों अर्थात 1952 से ही इस सभा में इसकी मांग करते रहे। अंततः उनकी मांग मानी गई। वर्ष 1977 में, श्री मोरारजी देसाई ने जाकर इसका शिलान्यास किया। अब, इंद्रावती परियोजना पूरी हो चुकी है, यदि ऐसे कार्य में 20 या 30 वर्ष लग जाते हैं तो एक पूरी पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। इसलिए, अब जबकि संविधान की समीक्षा की जा रही है, मैं अपील करता हूं कि इस मामले को उनके पास यह देखने के लिए भेज दिया जाए कि इसे तुरंत कार्यान्वित कैसे किया जाए और समय पर कैसे पूरा किया जाए। इसे मात्र एक पवित्र आशा बनाकर नहीं रखा जाना चाहिए जैसा कि इस संशोधन विधेयक से पता चलता है।

सभापति महोदय : श्री बराड़, यदि आपको पूछना है तो मैं केवल दो ही प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकती हूं क्योंकि मंत्री जी को भी वाद–विवाद का उत्तर देने के लिए 15 मिनट का समय चाहिए। मैं आपको केवल दो ही प्रश्न पूछने की अनुमति देती हूं।

श्री जे. एस. बराड़ : महोदय, मैं बस आधा मिनट का समय लूंगा।

सभापति महोदय : हम पंजाब को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह भारत का 'सबसे बड़ा चावल उत्पादक' राज्य है।

श्री जे. एस. बराड़ : जल विवाद (संशोधन) विधेयक की बुनियाद सरकारिया आयोग की सिफारिशों में निहित प्रतीत होती है। जैसा कि हम गरीब लोग समझते हैं, सरकारिया आयोग का उद्‌देश्य राज्यों को और अधिक शक्तियां देना था न कि पहले से उनके पास मौजूद शक्तियों को छीनना। यहां मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। इस मामले में मुझे अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री के. पी. सिंह देव और उनके राज्य उड़ीसा के साथ पूरी सहानुभूति है।

महोदया, चार अधिकरण गठित किए गए जिन्होंने नदी जल विवादों पर पंजाब के पक्ष में अवार्ड दिए, परंतु अभी तक किसी भी अवार्ड को लागू नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, 1976 का इंदिरा गांधी अवार्ड, फिर राजीव–लौंगोवाल समझौता और फिर रेड्डी अधिकरण। परन्तु, समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। मैं यहां माननीय मंत्री जी को स्मरण कराना चाहूंगा कि वर्ष 1994 में, जब श्री वी. सी. शुक्ल जल संसाधन मंत्री थे, जल संसाधन मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान जल संसाधनों पर एक वाद–विवाद हुआ था। यह काफी रोचक वाद–विवाद था। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उस वाद–विवाद को पढ़ें। कई सदस्यों ने उस वाद–विवाद में भाग लिया था और उन्होंने अपने–अपने राज्यों के विचारों का प्रतिनिधित्व किया था।

सभापति महोदय : कृपया प्रश्न पूछें।

श्री जे. एस. बराड़ : महोदया, पंजाब और हरियाणा राज्यों के वर्तमान मुख्य मंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल और श्री ओम प्रकाश चौटाला हमेशा कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कि कांग्रेस पार्टी ने विवाद को नहीं सुलझाया। अब, वे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं जानना चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी वाद–विवाद का उत्तर दे रहे थे, तब सतलज–यमुना लिंक कैनाल के निर्माण के बारे में इन दोनों मुख्य मंत्रियों के विचार क्या थे? क्या इस विषय में उनके विचार समान थे अथवा अलग–अलग?

महोदया, दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं कि सिंचाई और पनबिजली राज्य सूची की मद सं. 17 के अंतर्गत और इसके अतिरिक्त हमारे संविधान के अनुच्छेद 162 और 246(iii) के अंतर्गत राज्य के विषय हैं। इसमें कहा गया है कि संपूर्ण और विशेष विधायी और कार्यकारी शक्तियां राज्य के पास होती हैं।

महोदया, इस विधेयक में डाटा बैंक संग्रह और ऐसी अन्य बातों जैसे अच्छे संशोधन हैं। परंतु, मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण कराना चाहूंगा कि जब वे यह संशोधन लाएं तो वे राज्यों की शक्तियों में कटौती न करें। राज्यों को विश्वास

[श्री जे. एस. बराड़]

में लिया जाना चाहिए, अन्यथा यह समस्या पुनः उठ खड़ी होगी और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण समस्या बनी रहेगी।

सभापति महोदय : श्री बराड़, मुझे खेद है कि मैंने आपको समय नहीं दिया क्योंकि हमें यह विधेयक आज अपराह्न 3.30 बजे तक पारित कर देना है।

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : महोदया, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लिया और अपने बहुमूल्य सुझावों का योगदान किया।

महोदया, जहां तक इस विधेयक के अभिप्राय का संबंध है, लगभग सभी माननीय सदस्यों ने जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है, इसका समर्थन किया है। वास्तव में, उन्होंने सरकार से अवार्डों को लागू करने और साथ ही एक राष्ट्रीय जल नीति बनाने का आग्रह किया है। कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि कोई राष्ट्रीय जल नीति नहीं है। मैं उनको स्मरण कराना चाहूंगा कि 1987 से ही एक राष्ट्रीय जल नीति विद्यमान है। वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार इसकी कमियों को दूर करने का प्रयास कर रही है ताकि राष्ट्रीय जल नीति और अधिक सार्थक हो सके और बर्बाद होने वाले जल को संपूर्ण देश के लाभ के लिए बचाया जा सके।

सरकारिया आयोग की सिफारिशों संबंधी मुद्दे के बारे में मैंने पहले ही अपने परिचय भाषण में कहा है कि विधेयक का प्राथमिक आशय उन सिफारिशों को लागू करना है। माननीय सदस्य श्री नाच्चीयपन ने प्रश्न किया कि सरकार स्वयं ही अधिकरणों की स्थापना करने के बारे में क्यों नहीं सोच रही है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है यह विधेयक मुख्यतः अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए लाया जा रहा है। अंतर्राज्यीय परिषद में जो कुछ भी सहमति हुई उसे इस विधेयक के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। स्व–प्रेरणा से अधिकरणों की स्थापना के बारे में अंतर्राज्यीय परिषद में सहमति नहीं हुई है और इसलिए इसे विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। यदि इस उपबंध को इस विधेयक में शामिल किया जाता तो मुझे बेहद खुशी होती क्योंकि इससे निश्चित रूप से केंद्रीय सरकार को इस प्रकार के अधिकरणों की स्व–प्रेरणा से स्थापना करने की शक्ति मिलेगी ताकि वे अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटान कर सकें।

माननीय सदस्य श्री बराड़ ने कतिपय शंकाएं व्यक्त की हैं। निःसंदेह, सरकारिया आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध की जांच हेतु किया गया था। परंतु इन सिफारिशों को सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन में सम्मिलित कर दिया गया है और लगभग सभी राज्य अंतर्राज्यीय परिषद में इससे सहमत हो चुके हैं। इसी कारण से यह विधेयक लाया गया है।

जहां तक सतलज–यमुना लिंक कैनाल पर विवाद का संबंध है, हम दोनों राज्यों, हरियाणा और पंजाब की सरकारों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। वास्तव में, दोनों मुख्य मंत्री कई बार मुझसे मिल चुके हैं और मैंने उनके साथ चर्चा की है। वे सौहार्दपूर्ण ढंग से इस विवाद को निपटाना चाहते हैं। मैं भी इस लंबे समय से लंबित विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने की पुरजोर कोशिश कर रहा हूं। दोनों राज्यों के बीच सभी विवादित मामलों पर आम सहमति हासिल करके इस अंतर्राज्यीय विवाद को निपटाया जा सकता है। मुझे लगता है कि यह जल्दी ही होगा क्योंकि दोनों मुख्य मंत्री इस विवाद का निपटान करने के लिए काफी उत्सुक हैं।

मुझे भी खुशी है कि यहां वाद–विवाद में भाग लेने वाले सदस्य भी चाहते हैं कि गठित होने वाले अधिकरण समय पर अवार्ड दें। इस विधेयक का उद्देश्य भी यही है कि समय पर अवार्ड दिया जाए। इसी कारण से हमने विधेयक में इसके लिए समय सीमा तय कर दी है। जब कोई राज्य सरकार केंद्रीय सरकार से किसी अधिकरण का गठन करने का अनुरोध करेगी तो केंद्रीय सरकार एक वर्ष के भीतर इसका गठन कर देगी। अधिकरणों को अवार्ड देने के लिए तीन वर्ष की समय सीमा दी गई है। तीन वर्ष की अवधि के दौरान अधिकरण विवाद की जांच कर सकता है और तीन वर्ष के भीतर अपना अवार्ड दे सकता है। यदि इसमें कोई कठिनाई हो और यदि अधिकरण को और अधिक समय चाहिए तो केंद्रीय सरकार इस अवधि को दो वर्षों के लिए और बढ़ा सकती है। इसलिए, अंतर्राज्यीय जल विवादों के निपटान के लिए हम समय सीमा तय कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस तथ्य को मानेंगे कि सरकार न केवल राज्यों के हित में बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के हित में इन विवादों को निपटाना चाहती है।

सभापति महोदया, हमने यहां एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण खंड का उपबंध किया है जो बिलकुल अद्वितीय प्रकार का है। केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 1 के अंतर्गत राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात अधिकरण के निर्णय का वही प्रभाव होगा जो उच्चतम न्यायालय के आदेश या निर्णय का होता है। इसकी बहुत आवश्यकता है। मैं समझता हूं, माननीय सदस्यगण इस बात को सराहेंगे।

[अनुवाद]

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। अतः मैं

पुनः सभी माननीय सदस्यों और साथ ही माननीय सभापति से अपील करता हूं कि इस विधेयक को पारित करें।

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम) : महोदया, माननीय मंत्री ने मेरे उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जिसे मैंने अपने भाषण के दौरान उठाया था। यह खंड 9अ (2) से संबंधित था जो केंद्र सरकार को आंकड़ों के सत्यापन के लिए अपना तंत्र स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। मेरा मुद्दा यह है कि पानी से संबंधित आंकड़ों को सत्यापित नहीं किया जा सकता। पानी की प्रकृति गतिशील है। एक विशेष स्थान पर जब पानी बहता है, तो वहां पर उसका 'डाटा' लिया जाता है। इसे कुछ समय बाद पानी के उक्त 'डाटा' को सत्यापित नहीं किया जा सकता। यह कार्य निष्फल साबित होगा। इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

इसलिए, इसमें ऐसा खंड क्यों हो जिसकी सरकारिया आयोग ने कदापि सिफारिश नहीं की थी? यह खंड इसमें नया जोड़ा गया है। मेरा कहना यह है कि इससे समस्या पैदा होगी।

इसलिए, माननीय मंत्री यह बताएं कि क्या वह खंड 9अ (2) को जारी रखना चाहती है। इसे बनाए रखने का उद्देश्य क्या है जिसे कभी भी लागू नहीं किया जा सकता? यह अव्यवहार्य है।

श्री अर्जुन सेठी : महोदया, जी हां, इन्होंने इस मुद्दे को अपने भाषण में उठाया था। मैं इसका पहले उत्तर देना भूल गया। इस संबंध में, मेरा उत्तर है कि जब तक केंद्र सरकार के पास आंकड़े अथवा 'डाटा' उपलब्ध नहीं होता, यह कार्य नहीं किया जा सकता। एक बार आंकड़े उपलब्ध हो जाएं, वे इसका विश्लेषण कर सकते हैं और उक्त 'डाटा' ट्रिब्युनल' को उपलब्ध करा सकते हैं ताकि वह समय पर अपना पंचाट दे अन्यथा ट्रिब्युनल द्वारा स्वयं इसका सत्यापन किये जाने में बहुत समय लगेगा।

श्री के. मलयसामी : माननीय मंत्री, आप यह करके देखिए। आप इसको सत्यापित नहीं कर सकते। मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूं। आपके पास अपने आंकड़े हैं, आपका समस्या पर अपना दृष्टिकोण है और आप अपना मूल्यांकन करते हैं। परंतु आप राज्यों द्वारा लिए गए आंकड़ों को सत्यापित नहीं कर सकते...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे लगता है, कि हम यहां प्रश्न–उत्तर का सत्र नहीं चला सकते। माननीय मंत्री ने सामान्य तौर पर इसका उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री अर्जुन सेठी : महोदया, मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस प्रकार के आशंका की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जल को राष्ट्रीय परिसम्पत्ति की तरह इस्तेमाल करने के लिए आतुर हैं। हम इसका इस्तेमाल इतनी तत्परता से करें कि देश के सभी लोगों को इसका लाभ पहुंचे।

श्री के. मलयसामी : मैं उनके संशोधनों से, सिवाय खंड 9अ(2) के, पूरी तरह सहमत हूं। मैं उनके विचारों का समर्थन करता हूं और इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इतने थोड़े समय में नहीं दिया जा सकता।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदया, माननीय मंत्री ने श्री के. पी. सिंह देव द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है।

श्री अर्जुन सेठी : श्री के. पी. सिंह देव मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। हम दोनों एक ही राज्य के हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपस में चर्चा कर सकते हैं।

सभापति महोदय : मैं समझती हूं कि आप दोनों रात्रि का भोजन एक साथ करके अपने प्रश्न सुलझा सकते हैं।

प्रश्न यह है :

"कि अंतर्राज्यिक जल–विवाद अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड–वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अर्जुन सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

[श्री अर्जुन सेठी]

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

श्री जे. एस. बराड़ (फरीदकोट) : मैं उन्हें केवल एक बात बताना चाहता हूं।

सभापति महोदय : नहीं, कृपया आप उनके साथ बैठिए और उनसे बात कीजिए...*(व्यवधान)* नहीं। ऐसा नहीं चल सकता। श्री बराड़, आप उनके साथ बैठ कर बात कर सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : विधेयक पारित हो चुका है और यह मामला अब समाप्त है। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकती।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, कृपया सभा की परंपरा मत तोड़िए। मंत्री जी अब कोई उत्तर नहीं देंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, यह कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मुझे खेद है। कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। श्री बराड़ कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। माननीय मंत्री से कोई उत्तर नहीं मिल सकता।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 3.30 बजे

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन का आबंटन

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, सभा गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा आरंभ करेगी। श्री रामानंद सिंह बोल रहे थे, वे अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : सभापति महोदया, यह संकल्प मैंने 2 मार्च, 2001 को प्रस्तुत किया था और केवल मुझे तीन मिनट भाषण करने का अवसर मिला था फिर सदन समाप्त हो गया था। इसलिए मैं अपने संकल्प को दोहरा देता हूं ताकि बोलने वाले सदस्यों को उसका रैफरेंस मिल जाए।

अपराह्न 3.31 बजे

(डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए)*

सभापति महोदय, मैंने उस दिन संकल्प प्रस्तुत किया था कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह पिछले कई वर्षों से लंबित सभी परियोजनाएं समय पर पूरी करने के लिए पर्याप्त निधि आबंटित करते हुए एक कार्यक्रम तैयार करे तथा यह सुनिश्चित करे कि नई योजनाओं को केवल तभी आरंभ करे जब उनके लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था की जा चुकी हो ताकि उन्हें निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा किया जा सके।

सभापति महोदय, हमारे देश में आजादी के बाद योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया पं. जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में प्रारंभ हुई और पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए विकास करने हेतु समूचे देश के लिए राज्यवार और भारत सरकार द्वारा योजनाएं बनाई गईं, लेकिन मुझे आज यह दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश में 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है और अभी तक पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ किए गए कार्य भी अधूरे पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भिंड जिले के भांडेर में प्रारंभ की गई सिंचाई योजना अभी तक अधूरी पड़ी है। इसी तरह से देश के अन्य भागों में, कई क्षेत्रों में, अनेक योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, चाहे फिर वह सिंचाई का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, रेलवे का क्षेत्र हो, सूचना और प्रसारण का क्षेत्र हो, कोयला या इस्पात का क्षेत्र हो, अथवा इनर्जी का क्षेत्र हो, बहुत सारी परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं जिससे उनकी लागत कई गुना बढ़ गई है।

सभापति महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के मंत्री उतावलेपन में कई योजनाओं का शिलान्यास कर देते हैं और फिर दो–चार वर्ष उन शिलान्यासों का पता नहीं चलता है। कई शिलान्यासों पर कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। योजनाओं का पता नहीं है कि कहां चली गईं।

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब इतने महत्वपूर्ण विषय पर अशासकीय संकल्प के माध्यम से चर्चा हो रही है तब सिर्फ एक मंत्री महोदय, श्री अरूण शौरी जी को छोड़कर जिन्हें मैं बहुत योग्य मंत्री मानता हूं, वे यहां पर उपस्थित हैं और कोई मंत्री उपस्थित नहीं है। लेकिन मुझे आशा थी कि सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री, रेल मंत्री और अन्य मंत्री यहां उपस्थित होंगे और इस संकल्प के माध्यम से सदस्यों द्वारा बताई जाने वाली समस्याओं को सुनकर सुधार करेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ।

सभापति महोदय, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से पिछली सरकारें चल रही थीं, यह सरकार भी वैसे ही चल रही है और वैसा ही व्यवहार कर रही है। यह जो ढर्रा चल रहा है, यह बदला जाना चाहिए और एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार होना चाहिए जिसके अंतर्गत यह देखा जाना चाहिए कि पुरानी कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं, उन्हें पहले पूरा किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यदि सरकारें बदलती हैं, तो क्या परियोजनाएं भी बदल जाती हैं, लेकिन यहां ऐसा ही हो रहा है। एक सरकार आई, उसके मंत्रियों ने कुछ घोषणाएं कर दीं और दूसरी आई, उसने पहली घोषणाओं को पूरा करने के बजाय और नई घोषणाएं कर दीं। मार्च 1977 में भारत के प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई थे और प्रो. मधु दंडवते रेल मंत्री बने। मोरारजी भाई ने सतना जिले में तीन राज्यों के लिए संयुक्त सिंचाई की दृष्टि से वर्ष 1979 में एक योजना का शिलान्यास किया।

उन्होंने कहा कि 600 करोड़ रुपये की यह योजना छः वर्ष में पूरी होगी। आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 23 वर्ष हो गये हैं लेकिन बाणसागर का काम अधूरा पड़ा है, कहीं नहरें नहीं बनी हैं, कहीं बिहार पैसा नहीं दे रहा है, कहीं यू.पी. पैसा नहीं दे रहा है और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री किसी तरह केवल तनख्वाह दे रहे हैं। पिछली बार जब हम लोग प्रधान मंत्री जी से मिले तब उन्होंने इस पर विचार किया और शायद तीनों मुख्य मंत्रियों से बात करके काम कम्प्लीट करवाया। लेकिन अब नहरें नहीं बन रहीं। शायद 22-25 साल नहरें बनने में लग जाएं। आज उसकी कीमत 3600 करोड़ रुपये से बढ़कर 6500 करोड़ रुपये हो गई है। मैटीरियल, लोहा, सीमेंट, लेबर आदि सबकी कॉस्ट बढ़ गई है जिसके कारण कीमतें बढ़ जाती हैं।

1978 में श्री यमुना प्रसाद शास्त्री हमारे यहां से सांसद थे। उन्होंने आग्रह किया कि जिन प्रदेशों में कोई रेलवे लाइन नहीं है, उसके अंतर्गत ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन का सर्वे करवाया जाए। प्रो. दंडवते ने 1978-79 में उसका सर्वे पूरा करवा दिया लेकिन जब तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री नहीं बने तब तक उस प्रोजेक्ट में एक पैसे का काम नहीं हुआ। पिछले वर्ष हमारी मंत्री कुमारी उमा भारती ने प्रधान मंत्री जी से कहा, मध्य प्रदेश के सांसदों ने भी कहा तब प्रधान मंत्री जी ने खजुराहो में शिलान्यास किया और 5 करोड़ रुपये दिए। लेकिन मैं रेल मंत्री जी से जानना चाहता था कि 900 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के लिए यदि 5 करोड़ रुपये ऐनुअल की रफ्तार से पैसा देंगे तो वह कितने वर्ष में पूरा होगा। कृपा करके जिन प्रोजेक्ट्स को लिया जाए, उनको निश्चित समय में पूरा करने का प्रयास कीजिए।

जब 1956 में नया मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था, उसने वह नक्शा भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू को दिखाया था। उन्होंने कहा कि यह क्या ढेठ की शक्ल का लंबा-चौड़ा मध्य प्रदेश बना दिया, इसमें रेल और सड़क यातायात के आवागमन के लिए रिकमैंडेशन्स कीजिए। तब राज्य पुनर्गठन आयोग ने विशेष अनुशंसा की कि मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े भू-भाग को रेल और सड़क से जोड़ने के लिए चरणबद्ध विकास का कार्यक्रम बनाया जाए। हमें बहुत दुख है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के बाद 45 वर्ष हो गए हैं लेकिन एक भी रेलवे लाइन नहीं बनी है। आज दिल्ली-राजहरा रेलवे लाइन एक सपना हो गई है। जगदलपुर आदिवासी इलाका है, बैलाडीला का लोहा, जो भिलाई स्टील प्लांट के लिए आता है, वह ट्रकों से ढोया जा रहा है क्योंकि बैलाडीला, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ के लिए रेलवे लाइन वहां नहीं है, यह कब बनेगी? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया लेकिन हमारा उससे भावनात्मक लगाव है। हम वहां सरकार में रहे हैं, विधायक रहे हैं। छत्तीसगढ़ हमारे राज्य का अंग रहा है। वह बहुत पिछड़ा भू-भाग है, उसके विकास के लिए आप क्या कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के लिए मीटरगेज को ब्राडगेज में परिवर्तित करने का कार्य कब होने वाला है। आखिर मध्य प्रदेश की रेलवे विभाग लगातार अनदेखी क्यों कर रहा है। ममता जी ने सारा बजट बंगाल के लिए बनाया लेकिन उनकी पार्टी बंगाल में हार गई। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, मध्य प्रदेश की सारी दुर्गति कर दी लेकिन हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहते हैं कि क्या वे मध्य प्रदेश में रेलवे में कुछ सुधार करने वाले हैं? सतना में पांच साल से अंडरब्रिज बन रहा है। इस साल बरसात में तीन लड़के उसमें डूब कर मर गऐ। पिछले वर्ष हमको एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि दिसंबर, 2000 में

[श्री रामानन्द सिंह]

वह कार्य पूरा हो जाएगा। हमने विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं दिया क्योंकि हम इस सरकार के अंग हैं। कायदे से ऐसे नकारा मंत्रियों के खिलाफ नोटिस देना चाहिए जो बयान देकर उसे पूरा नहीं करते। हमें बहुत दुख है कि इस सरकार के मंत्रियों का रवैया भी कांग्रेस मंत्रियों के जैसे लीपा–पोती, लेट–लतीफी वाला है। प्रधान मंत्री जी बहुत क्षुब्ध हैं।

हमें आशा है कि मंत्रीगण अपने आपमें सुधार करेंगे और इन प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देंगे। सिंचाई योजनाओं के बारे में मध्य प्रदेश में केंद्रीय वन अधिनियम, 1980 एक हौवा है। हमारे पर्यावरण मंत्री जी हैं, वे जब गिरफ्तार हो गए तो बहुत दुखी हो गए, महीनों उनका रोना नहीं हटा, लेकिन हम रोते हैं तो उनको सुनाई नहीं देता। मध्य प्रदेश की 250 मध्यम सिंचाई योजनाएं केंद्रीय अधिनियम के कारण इनके केंद्रीय कार्यालय में पड़ी हैं, जिन योजनाओं में मध्य प्रदेश सरकार का करोड़ों रुपया लग गया है। फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 के बहाने सिंचाई डिपार्टमेंट, फोरेस्ट डिपार्टमेंट और पर्यावरण मंत्रालय में कोई तालमेल नहीं है, कोई समन्वय नहीं है। इनके मंत्री आपस में बैठ नहीं सकते, राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुला नहीं सकते। सरकार क्या चल रही है, मैं जानना चाहता हूं? केंद्रीय वन अधिनियम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कर दी, जब से आदिवासी लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया। मैं मध्य प्रदेश में वन मंत्री था, मैंने 1980 के पहले भूमिहीनों को जमीनों के पट्टे 20 लाख एकड़ जमीन के 1977–78 में दिलाने के आदेश दिए, लेकिन उसको फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के नाम पर वे आदेश वापस लिए गए। मध्य प्रदेश के आदिवासी भील, भिलाला, कोल, गोंड, बैगा 8–8 आंसू रो रहे हैं, जंगल के कर्मचारी उनकी फसल में हिस्सा मांगते हैं। अगर पांच क्विंटल तुअर हो तो ढाई क्विंटल हमको दे दो और इसको कोई देखने वाला नहीं है। फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के नाम पर आदिवासियों की लूट हो रही है। वे बर्बाद हैं, उनके बच्चों के मुंह का निवाला छीना जा रहा है। केंद्रीय वन अधिनियम के कारण यहां पर योजनाएं पैंडिंग हैं। सुनहरी जलाशय योजना गुना की, पाठा जलाशय योजना पन्ना की, पुटकीधर जलाशय योजना सिवनी की, जलमा उदगान सिंचाई योजना शिवपुरी जिले की, सुल्तानपुर जलाशय योजना खरगौन जिले की, बीजासेन योजना खरगौन जिले की और छत्तीसगढ़ में बरगी योजना बिलासपुर जिले की, भैरों जलाशय योजना रायपुर जिले की आर पी. वी. 103 योजना बस्तर जिले की, ये योजनाएं भारत सरकार के पास पैंडिंग पड़ी हैं। लेकिन भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री को सिवाय अपने रोने धोने के कोई चिंता नहीं है कि मुझे मैडम ने गलत गिरफ्तार कर लिया। ये वन मंत्री, ये घटक दलों के वन मंत्री खटके चलाएंगे, सरकार नहीं चलाएंगे तो कैसे सरकार ठीक से चलेगी। शौरी जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारा संदेश इन मंत्रियों तक पहुंचाने के लिए आप नोट करें। इनके पास यह मैसेज जाना चाहिए। इन जलाशय योजनाओं के बारे में हमारे पत्र का उत्तर भी नहीं देंगे, 2–2, 3–3 बार हम मिल रहे हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा है। कोई मंत्री बाथरूम में है, कोई पूजा कर रहा है, कोई नहा रहा है, कोई शहर में उद्घाटन करने गया है तो हम लोग किसके पास जाएं। यह कौन सा तरीका है? यह सब सुधारा जाना चाहिए।

इसी तरह बाणसागर बांध सिंचाई योजना का काम निश्चित अवधि में पूरा करने के लिए आदरणीय शौरी जी आज आप आश्वासन दें कि जिसमें तीन राज्यों के अधिकारी और मंत्री शामिल हैं, उस बाणसागर बांध की बैठक आपकी उपस्थिति में हो और इसका टाइम बाउण्ड तय करिए कि बाणसागर को मोरारजी देसाई ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि छः साल में यह पूरा हो जाएगा तो वह 23 साल से क्यों अधूरा पड़ा है। इसमें कौन अड़चन डाल रहा है, क्यों यह योजना पूरी नहीं हो रही है? इसी तरह आप कह देंगे कि वह राज्य की है। मध्य प्रदेश में नर्मदा में बरगी बांध बने 20–25 साल हो गए, उसमें बाईं ओर से सिंचाई हो रही है। जब श्यामा चरण जी मुख्य मंत्री थे तो वहां के प्रभावशाली लोग उसे नरसिंह होशंगाबाद में ले गए, लेकिन उसकी नहर जो हमारे जिले में जानी थी, पन्ना, सतना और रीवा, जो मध्य प्रदेश का सूखा प्रभावित क्षेत्र है, सबसे कम सिंचाई इस क्षेत्र में है। हिंदुस्तान की सिंचाई का आधा मध्य प्रदेश में केवल 18 परसेंट है और विंध्य तीन परसेंट है। इस सूखे भूभाग में सिंचाई के लिए बरगी की दायीं नहर के लिए मैं अरूण शौरी जी से चाहूंगा कि आपके सिंचाई मंत्री जी अभी यहां बैठे थे, पता नहीं क्यों रूठकर चले गए, आप उनसे कहिए कि वहां के मुख्य मंत्री को बुलाकर बरगी की दायीं नहर को पूरा कराने के लिए टाइम बाउण्ड कार्यक्रम बनाएं और आप केंद्र से मदद बरगी नहर के कार्य को पूरा कराएं।

सभापति महोदय : रामानन्द सिंह जी, आप कृपया समाप्त करें। आपके 25 मिनट पूरे हो गए हैं। अगर आपको अन्य सदस्यों का भी सहयोग लेना है तो समाप्त करिए।

श्री रामानन्द सिंह : मुझे थोड़ा समय और दें, मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। दूरसंचार के क्षेत्र में भी कई संचार मंत्री आए और गए। गांवों में कहा गया कि 15 लोग पैसा जमा करा दें तो टेलीफोन लगा देंगे। मध्य प्रदेश में 500 से ज्यादा

गांव ऐसे हैं, जहां 15–15 लोगों को पैसा जमा किए 10–10 साल हो रहे हैं, उनका पैसा मार दिया गया और टेलीफोन नहीं लग रहा तो यह क्या सरकार है।

मैंने अपने गांव के लोगों का पैसा जमा कराया, लेकिन संचार मंत्री कहते हैं कि अब नियम बदल गया, अब 50 लोग चाहिए। आपने 15 लोगों के नाम पर तो पैसा जमा करा लिया, अब आप बाउंड हैं, 15 लोगों का हमने पैसा जमा किया, उसी नियम के तहत आपको टेलीफोन की सुविधा उन गांवों को देनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में रेल नहीं है, सड़कें नहीं है। प्रधान मंत्री जो पैसा सड़क योजना का देते हैं, मुख्य मंत्री ने अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी बना ली। शौरी जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने दूसरी कमेटी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाने का शायद फैसला किया है। वहां के मुख्य मंत्री अपने चहेतों को बनाकर एक कमेटी बना ली है, पैसे को कैसे गटक जाया जाए, खत्म कर दिया जाए, आज मध्य प्रदेश की सड़कें जिनती खराब हैं, पूरा भारत में कहीं कोई सड़क देखने की चीज नहीं है। पिछले आठ वर्षों में मध्य प्रदेश की सड़कों की मरम्मत ही नहीं हो रही है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रधान मंत्री सड़क योजना को आप कृपा करके एक बार वहां रिव्यू करें। यहां सो कोई ग्रामीण विकास मंत्री जाए, बैठक करे, सांसदों को भी बुलाए। आज हम लोगों को पूछा नहीं जा रहा, सांसदों का मजाक हो गया, 15–15 लाख लोगों के वोट लेकर जो लोग संसद में आते हैं, उसमें पैसा दिल्ली का, केंद्र का है और मुख्य मंत्री मनमानी कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कृपा करके खत्म करिए।

श्री रामानन्द सिंह : मैं समाप्त ही कर रहा हूं। इसी तरह मध्य प्रदेश बिजली के मामले में बहुत उपेक्षित है। छत्तीसगढ़ अलग बनने के बाद हमारे यहां बिजली की भयंकर समस्या है, गांवों में एक घंटे बिजली नहीं मिल रही है। 350 रुपये पांच हॉर्स पॉवर का वहां का मुख्य मंत्री ले रहा है, मेरी प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश के बिजलीघर के जो पैंडिंग प्रोजैक्ट्स केंद्र के पास हैं, वे मैं आपका बता रहा हूं। उसमें उमरिया का संजय गांधी ताप विद्युतघर का 500 मेगावाट का विस्तार वाला केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के लिए पैंडिंग है, कृपा करके उसको क्लियर करें ताकि किसानों को बिजली मिल सके। इसी तरह नर्मदा जल विद्युत विकास निगम के तहत कई प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है। उसमें 1000 मेगावाट बिजली की ओंकारेश्वर परियोजना का 520 मेगावाट का विकास कार्य पैंडिंग है। कृपा करके मंत्री जी इन योजनाओं को यहां से क्लियर कराएं ताकि मध्य प्रदेश का विकास हो सके। आपने मुझे समय दिया, मैं संक्षेप में यही कहूंगा कि अधूरे प्रोजेक्ट्स को सरकार पूरा करे और नए प्रोजेक्ट्स के लिए धन दे ताकि मध्य प्रदेश का विकास हो सके।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : माननीय, सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं यहां श्री रामानन्द सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कुछ मुद्दों पर मेरे मतभेद हैं। वित्तीय ढांचे अथवा निधि की कमी के कारण परियोजनाएं लंबित नहीं हो रही हैं बल्कि ऐसे अनेक कारण हैं जिनसे परियोजनाएं लंबित चल रही हैं। सिंचाई परियोजनाओं का ही उदाहरण लीजिए। धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। कुछ मामलों में राज्य केंद्र का प्रतिशत 75 : 25 या 80 : 20 है। राज्यों के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य केंद्र से प्राप्त हो रही धनराशि को अग्रिम अन्य कई तरीकों से अपने दैनिक कार्यों को संचालन में खर्च कर रही हैं। परिणामस्वरूप, लागत में और निर्धारित समय में काफी वृद्धि हो जाती है। एक बार जब समय में वृद्धि हो जाती है, स्वाभाविक रूप से, लागत में भी वृद्धि हो जाती है। यदि आप सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए आंकड़ों को देखें तो, आप पाएंगे कि अनेक सिंचाई परियोजनाओं पर लागत और समय में वृद्धि बहुत ज्यादा है।

कुछ मामलों में, लागत में शत–प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है। हल्दिया परिशोधन परियोजना को ही लें। इसके लागत में 180 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस परियोजना को अब बंद कर दिया है। इसके लिए अब किसे दोष दिया जाए? क्या इसके लिए राज्य या केंद्र दोषी हैं? या उन कार्यान्वयन एजेंसियों को दोष दिया जाए जो ऐसी परियोजनाओं का कार्य हाथ में लेती हैं? जब भी परियोजना की शुरूआत की जाती है, उसके लिए उन्हें कई बातों पर विचार करना पड़ेगा।

इस संबंध में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट से मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। कतिपय परियोजनाओं का कार्यान्वयन 1997 से किया जाना था। नौवीं परियोजना की अवधि 1997 से 2002 के दौरान। पूरी परियोजना पर 11,013 करोड़ रुपये के परिव्यय में पहले चरण में, 800 करोड़ बजटीय सहायता का प्रावधान था और 127 करोड़ रुपये की बाह्य सहायता थी विभिन्न वित्तीय एजेंसियों से और रिसर्जेंट बांडों द्वारा करीब 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

[श्री अनादि साहू]

जब परियोजना शुरू करते हैं तो हमारे समक्ष एक बहुत बड़ा आदर्श उद्देश्य होता है। लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, धनराशि उपलब्ध करानी होती है। भारत सरकार धनराशि उपलब्ध करा रही है। अतः 1997–98 में 1,728 करोड़ रुपये दिए गए, 1998–99 में 2200 करोड़ रु. दिए गए, 1999–2000 में 1,828 करोड़ रुपये दिए गए। जहां तक केंद्र सरकार द्वारा निधि दिए जाने का प्रश्न है अब तक धनराशि उपलब्ध कराए जाने की स्थिति अच्छी रही है। उर्वरक कारखाने को लगाने या उर्वरक कारखाने से संबंधित अन्य कार्य शुरू करने हेतु बांड या आई ई बी आर द्वारा वित्त पोषण करने का क्या हुआ?

उदाहरण के लिए, मद्रास उर्वरक कारखाने के नवीकरण के लिए वर्ष 1998 से 601.43 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी। क्या वह उर्वरक कारखाना अपने नवीकरण के लिए इतनी राशि जुटाने में कामयाब रहा है। यह सोचने वाली बात है। जब भी हम किसी परियोजना को शुरू करने के बारे में सोचते हैं यह देखना आवश्यक है कि क्या निधि का विभिन्न प्रकार से विभिन्न स्रोतों से प्रबंध किया जा सकता है। जहां धनराशि की व्यवस्था कर दी गई वहां संस्था स्वयं असफल हो गई। उदाहरण के लिए, मेरे राज्य स्थित "नालको" को मामले को लें। "नालको" के पास निधि है। परंतु विभिन्न स्तरों पर शिथिलतापूर्ण रवैये के कारण यहां तत्परता से कार्य की शुरूआत नहीं हो सकी। "नालको" की शुरूआत 1981 में हुई। यह सर्वाधिक विश्वसनीय सरकारी निगम है। यहां मैं धामनजोड़ी के बाक्साइट खानों और एल्युमिनियम रिफाइनरी के विस्तार की बात कर रहा हूं। प्रति वर्ष 2.5 लाख मि.ट. की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर जिसकी योजनाई बनाई गई है। इस कार्य को मार्च 2001 तक पूरा हो जाना चाहिए था। यहां निधि का अभाव नहीं है। इसमें बाधा कार्यान्वयन एजेंसी स्वयं है। लागत बाधा नहीं है। इसकी लागत पहले वाली ही है। इसकी अनुमानित लागत 1664 करोड़ रु. थी और इसके 1670 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। यह कुछ नहीं है। यह मामूली सी बात है। परंतु अब तक केवल 80 प्रतिशत कार्य ही हो पाया है। जबकि इसे मार्च, 2001 में पूरा होना था।

अंगुल के "नालको" की एक दूसरी परियोजना का मामला लें। यह "केप्टिव एल्युमिनियम स्मेल्टर" और "केप्टिव पावर प्लांट" के विस्तार के बारे में है। ढेंकानाल से हमारे संसद सदस्य श्री के. पी. सिंह देव यहां उपस्थित हैं। वे मेरी बात ध्यान से सुनें। इसकी लागत करीब 2061.99 करोड़ रुपये आनी है। वहां इतने लचर ढंग से कार्य हो रहा है कि अब तक केवल 114 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं।

यह ज्ञात नहीं है कि वह संरक्षित एल्युमिनियम प्रगालक और संयंत्र कब बनकर तैयार होगा। हम केंद्र सरकार को दोष नहीं दे रहे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसके लिए वे एजेंसियां दोषी हैं जो कि कार्य निष्पादित कर रही हैं। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, यह कहते हुए मुझे अफसोस है कि केंद्रीय स्तर पर किसी प्रकार का उपयोगी कार्य नहीं किया जा रहा है। उन कार्यान्वयन एजेंसियों पर नियंत्रण की वास्तव में आवश्यकता है जो कि ये कार्य देख रही हैं। बंद पड़े हल्दिया उर्वरक संयंत्र के लिए जिम्मेदारी निर्धारित किया जाना आवश्यक है, इस पर बहुत अधिक धन बर्बाद किया जा चुका है। क्या इसके लिए जिम्मेदार लोगों का पता नहीं लगाया जाना चाहिए और उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए? मेरे विचार में केंद्र सरकार एक बार गंभीरता से कार्यवाही करे तो अन्य लोग कुछ और नहीं सिर्फ अपना कार्य ही करेंगे।

उत्तर–पूर्व के मामले पर विचार करें। केंद्र सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा उत्तर–पूर्व परिषद (एनईसी) का गठन किया गया है। यह एनईसी क्या कर रही है? मैं कुछ माह पहले उत्तर–पूर्व गया था, वहां एनईसी के अधिकारी चल रहे कार्य का उचित पर्यवेक्षण नहीं कर रहे हैं यद्यपि एनईसी के मुख्यालय शिलांग में सचिव स्तर का अधिकारी तैनात है। सरकार एनईसी को इस प्रकार की निधि उपलब्ध करा रही है जो कि व्यपगत नहीं होती है। सबसे अच्छी बात है कि सरकार अव्यपगमनीय निधि दे रही है। एनईसी इसे खर्च न करके वर्षों तक नहीं रख सकती है। निधि उपलब्ध है। यदि वे खर्च नहीं करेंगे तो समय बढ़ने के साथ लागत भी बढ़ जाएगी।

सिक्किम का उदाहरण लें। मैं सिक्किम भी गया हूं। जल विद्युत परियोजनाएं लगभग 10 करोड़ या 15 करोड़ या 20 करोड़ की लागत से पूरी हो सकती हैं। जम्मू और कश्मीर का मामला देखें। जल विद्युत परियोजनाओं को दो या पांच या दस मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए पूरा किया जा सकता है। जांच और सर्वेक्षण करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए था। अनेक एजेंसियां अपने कार्य में पिछड़ गई हैं। इस प्रकार की एक एजेंसी पर्यावरण मंत्रालय है, जैसे कि वन क्षेत्र में रहने वाले मानवों के लिए वानिकी ही सब कुछ है। हम भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की उन्नति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम उन लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं जिन्हें ऊर्जा की आवश्यकता है, हम उन लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं जिन्हें अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता है, इसका एकमात्र कारण यह मानना है कि पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा

और वह क्षेत्र वृक्षहीन हो जाएगा। हमें इस पर बहुत अधिक जोर नहीं देना चाहिए। हम अनेक क्षेत्रों में इस पर बहुत जोर डाल रहे हैं। इसके लिए भी राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं।

मैं अपने ही राज्य का उदाहरण दूंगा। यह छोटी सिंचाई परियोजना है फिर भी मैं उदाहरण देकर बताऊंगा कि राज्य सरकार किस प्रकार वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रख रही है। यदि किसी छोटी सिंचाई परियोजना के लिए वनक्षेत्र का कोई छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाता है तो वे पुनः वन लगाने के लिए भूखंड नहीं दे पाते हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चार या पांच आदिवासी ब्लाक हैं। वहां आदिवासी रहते हैं। किसी आदिवासी के पास जमीन का पट्टा नहीं है। उनके पास जमीन का कागज नहीं है। वे कहते हैं कि आप जब तक जमीन का कागज नहीं दिखाएंगे हम आपको जमीन खेती के लिए नहीं देंगे। आदमी वहां कैसे रह रहे हैं? वे वहां शताब्दियों से रह रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की उस छोटी परियोजना में 8 करोड़ रुपयों में से 4 करोड़ खर्च कर दिए गए हैं लेकिन इसे रोक कर रखा भी जा सकता था क्योंकि विस्थापित लोगों को जमीन और आश्रय नहीं दिया जा सका था।

चित्रकुण्डा परियोजना का मामला देखें...*(व्यवधान)* कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। मेरे विचार में माननीय सदस्यों को भी इन बातों की जानकारी रखनी चाहिए। हम किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। केवल निधि उपलब्ध कराने का तरीका ही नहीं बल्कि अन्य कठिनाइयां भी हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री अनादि साहू : कृपया मुझे पांच–छः मिनट और दीजिए।

सभापति महोदय : केवल दो मिनट दिए जा रहे हैं।

श्री अनादि साहू : दो मिनट तो बहुत कम हैं।

सभापति महोदय : चर्चा में भाग लेने वाले और अनेक सदस्य हैं।

श्री अनादि साहू : उड़ीसा में मचकुंद परियोजना की बात है। 1955 में आदिवासियों को विस्थापित किया गया था। 1965 में पुनः कुछ आदिवासियों को चित्रकुंडा से विस्थापित किया गया। तीसरी बार पुनः उसी जनजाति को आंध्र प्रदेश के सिलेरू बांध परियोजना से विस्थापित किया गया। मेरे मित्र श्री येरननायडू यहां उपस्थित नहीं हैं। यदि वे यहां उपस्थित होते तो मेरी बात का समर्थन करते। यदि आप लोगों को उनके जीवन में तीन बार विस्थापित करेंगे तो उनसे किस बात की आशा की जाएगी। लोग विद्रोह करेंगे, प्रशासन को नापसंद करेंगे और परियोजना के हर स्तर पर अपने आप व्यवधान आएगा। हमें परियोजनाओं पर विचार करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

मैं अपने राज्य के कुछ उदाहरण दूंगा। चूंकि अध्यक्ष महोदय नहीं चाहते कि मुझे अपना भाषण बढ़ाना चाहिए अतः मैं केवल 'रेंगाली डैम' परियोजना का उदाहरण दूंगा। अभी श्री के. पी. सिंह देव इसके बारे में बात कर रहे थे। यह परियोजना 1973 में शुरू की गई थी, आज तक यह पूरी नहीं की जा सकी है। यह अब भी मृतप्राय स्थिति में है।

अपराह्न 4.00 बजे

हमें पानी प्राप्त कर इसे खेतों में सिंचाई के लिए देना है। यदि नहरें तैयार न हों तो बहुत बड़ी सिंचाई परियोजना बनाने का क्या लाभ होगा। हम पानी लेकर क्या करेंगे यदि उसे लोगों को न दिया जा सके? जैसा कि मैं कह रहा था यह मृतप्राय स्थिति में है क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पानी को खेतों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने हेतु उचित तालमेल नहीं कर सके। कुछ समय से भूमि को अधिग्रहण भी पूरा नहीं हो सका है।

इसी प्रकार की समस्या उड़ीसा में रेलवे लाइन के दोहरीकरण की है। श्री के. पी. सिंह देव के निर्वाचन क्षेत्र में नेरगुंडी–तलचर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की बात है। भूमि अधिग्रहण में वर्षों लगे, मुश्किल से 21 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की जा सकी, लेकिन इसमें कई वर्ष लगे। निश्चित है कि लागत बहुत अधिक बढ़ गई है और नेरगुंडी और तलचर के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य ठप्प पड़ा है। इसी तरह की समस्या पारादीप–रघुनाथपुर–राहमा रेलवे लाइन के दोहरीकरण परियोजना का है। राज्य सरकार को रेल विभाग को एक पुल के निर्माण की अनुमति देने संबंधी साधारण अधिसूचना जारी करने में कई वर्ष लग जाते हैं। मुझे नहीं मालूम यह किसलिए रोका जाता है या कार्य को आगे बढ़ाने वाली प्रेरणा ही नहीं है कि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिसूचना जारी की जाए और सिर्फ अधिसूचना जारी न करने के कारण अनेक परियोजनाएं वर्षों से ठप्प पड़ी हैं।

महोदय, मैंने उत्तर पूर्व की नामरूप उर्वरक परियोजना का उल्लेख नहीं किया। यह वर्षों से लंबित पड़ी है। शुरू में इस परियोजना पर 350 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान

[श्री अनादि साहू]

था, लेकिन अब तक 449 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं लेकिन इसे पूरा करने के लिए फिर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी वहां कार्य कर रहे लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाने में सक्षम होंगे।

महोदय, मेरा विचार है कि परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पांच महत्वपूर्ण सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा।

पहला यह कि भूमि अधिग्रहण शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। दूसरे केंद्र और राज्य की भागीदारी निश्चित की जानी चाहिए। यदि राज्य के पास धन नहीं है तो केंद्र ऋण दे सकता है और कार्य को पूरा कर लिया जाना चाहिए लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाए कि राज्य केंद्र के दिए भाग को अपने स्टाफ के वेतन एवं भत्तों जैसे अन्य विभिन्न कार्यों पर न खर्च करे।

तीसरे, सिंचाई कार्यों के लिए धनराशि जारी करने से पूर्व पर्यावरण संबंधी मंजूरी ली जानी चाहिए और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को विकास कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए। चौथे, विस्थापित लोगों का पुनर्वास काफी महत्वपूर्ण है, सिंचाई परियोजना शुरू करने पर आदिवासी व्यक्ति विस्थापित होंगे क्योंकि हम परियोजना वन क्षेत्रों में शुरू कर रहे हैं और वहां आदिवासी लोग ही रहते हैं। अतः, हमें उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान रखना होता है। अंततः पांचवीं आवश्यकता यह है कि निधियां समय से जारी की जाएं।

यदि हम इन पांच सिद्धांतों को ध्यान में रखें और तदनुसार परियोजनाओं को कार्यान्वित करें तो हमारे लिए इन परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा करना संभव हो सकेगा।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : सभापति महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं क्योंकि इससे लंबित परियोजनाओं को नई आशा मिलेगी। हमारे पास अनेक ठप्प परियोजनाएं, उपेक्षित परियोजनाएं और ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको आरंभ ही नहीं किया गया है। इन सभी परियोजनाओं पर सरकार, विशेषतः केंद्र सरकार द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

कभी–कभी हम सशक्त लाबी और किसी समूह विशेष के दबाव में की गई मांग के आधार पर परियोजनाएं शुरू करते हैं। लेकिन बाद में कुछ कठिनाइयों के कारण इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू में ही विलंबित हो जाता है। कभी–कभी राज्य सरकार या इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियां निधि का अन्यत्र उपयोग कर लेती हैं। मैं उन बातों का उल्लेख करना चाहूंगा सामान्यतः जिनकी वजह से किसी परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब होता है। ये हैं निधियों का अन्य मदों पर खर्च करना, उनका दुरुपयोग, लागत बढ़ाना, स्थानीय विवाद, न्यायालय का हस्तक्षेप, प्राकृतिक आपदाएं, कुप्रबंधन, कुप्रशासन और विशेषकर उन एजेंसियों का सुस्त रवैया जो कि पहले लाभ हासिल कर चुकी होती हैं। लेकिन बाद में वे अर्थात राज्य सरकारें, जिला प्राधिकारी और स्थानीय प्राधिकारी निधि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग कर लेते हैं। इसलिए इन बातों को किसी उचित निगरानी तंत्र द्वारा तुरंत नियंत्रित किया जाना चाहिए।

मैं आसानी से कह सकता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र शिवगंगा और मेरे पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र, रामनाथपुरम, तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं। 'राजीव गांधी वाटर मिशन' ने इन दो परियोजनाओं के लिए बहुत अधिक धन व्यय किया है, पहली है समुद्र जल का विलवणीकरण की और दूसरी भूमिगत जल से जल निकालने की व्यापक परियोजना। दोनों स्कीमें अधूरी रहीं। वे राज्य सरकार के बदलने से पूरी न हो सकीं। राज्य सरकार की उसमें रुचि नहीं थी। पांच वर्ष बीत गए हैं। अब, नई सरकार बन गई है। उसने कुछ उत्सुकता दिखाई है लेकिन उसे धन नहीं मिल पाया है। जब वे केंद्र सरकार से मदद चाहते हैं तो केंद्र सरकार यह कह सकती है कि यह परियोजना पहले ही बंद होने की कगार पर है। इसलिए, वे उनकी मदद नहीं कर सकते। परंतु, उसी समय जनता परेशानियों का सामना कर रही होती है। इसलिए एक निगरानी तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए जो पूर्णतः निगरानी करे। मैं यह कहना चाहता हूं कि सामान्यतः हम आंकड़ों और रिपोर्टों के आधार पर आंकलन करते हैं। हम इस बात की वास्तविक जांच नहीं करते कि परियोजना पूरी हुई या नहीं। इसलिए, उन लोगों के लिए जो परियोजना का पैसा अन्यत्र लगाते हैं, यह कहना आसान हो जाता है कि परियोजना का कार्य पूरा हो गया है और वे इसकी रिपोर्ट सरकार को देंगे। हमें यह अधिकार नहीं है कि हम राज्य सरकार से यह पूछें कि उन्होंने निधि का समुचित इस्तेमाल क्यों नहीं किया। यही स्थिति है। यदि हम आगे कार्रवाई करते हैं, तो राज्य सरकारें कहेंगी कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर रही है। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य रिश्ता साझेदारी वाला होना चाहिए, इस प्रकार का नहीं कि केंद्र सरकार से निधि लेकर उसका दुरुपयोग किया जाए।

मैं आपको केंद्र सरकार की परियोजनाओं का दूसरा उदाहरण दे सकता हूं। हम रेलवे का उदाहरण ले सकते हैं। हम रेलवे को एक परियोजना देते हैं। उदाहरण के लिए, हम

उनसे तिरुचिरापल्ली–रामेश्वरम लाइन के अमान–परिवर्तन का कार्य देते हैं। रेलवे बोर्ड इसे 5 करोड़ रु. का अल्प अनुदान देकर इस कार्य की अनुमति दे देता है। सांकेतिक अनुदान प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए। यदि आप अनुदान देना चाहते हैं तो व्यवस्थित रूप से पांच वर्षों में दीजिए। यदि आप उस परियोजना को पूरी करना चाहते हैं तो आप 270 करोड़ रु. की राशि का आबंटन पांच वर्षों में विभाजित करके दीजिए। आपकी प्राथमिकता इस प्रकार होनी चाहिए। अन्यथा, यदि 5 करोड़ रुपये का अल्प अनुदान दिया जाता है तो, अगले वर्ष संसद में इस पर शोर मचाया जाएगा, और उसके बाद दूसरा 10 करोड़ का अल्प अनुदान मिल जाएगा। इस तरह, 270 करोड़ रु. की पूरी राशि हमें कब प्राप्त हो पाएगी? इस दौरान परियोजना की लागत भी बढ़ जाएगी। इस खर्चे को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। तिरुचिरापल्ली–कराईकुडी–मानामदुरई–रामेश्वरम का क्षेत्र व्यावसायिक रूप से लाभदायक क्षेत्र है। यह परियोजना बहुत लाभदायक है क्योंकि चेन्नई से रामेश्वरम तक केवल यही एक यातायात का संपर्क है। सेतु एक्सप्रेस और रामेश्वरम एक्सप्रेस यहां आती हैं। परंतु यह परियोजना निधि की अनुपलब्धता के कारण कार्यान्वित नहीं की गई।

मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक नामक यह विधेयक बहुत अच्छा है, इसे संसद में बजट प्रावधानों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिए कुछ प्रावधान होने चाहिए। बजट आबंटन से पूर्व, यह सुनिश्चित करें कि किसी विशेष राज्य में या उस विशेष शीर्ष के अधीन पिछली परियोजना पूरी हुई है या नहीं। यदि नहीं पूरी हुई है तो, इस उद्देश्य के लिए प्राथमिकता निश्चित की जानी चाहिए। उसके पश्चात ही नई परियोजना की घोषणा की जानी चाहिए। अन्यथा, नई परियोजना को तब तक बंद रखना चाहिए जब तक पुरानी पूरी न हो जाए। जब भी बजट संसद या विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए इस तरह का उत्तरदायित्व तय किया जाना चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि परियोजना पूरी करने का सांविधिक दायित्व होना चाहिए। इसके बाद ही दूसरी परियोजना को हाथ में लेना चाहिए। अब, हम पर अधिकारिक आदेशों द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अधिकारियों के आदेशों की आसानी से निगरानी की जा सकती है। निधि का अन्यत्र उपयोग किया जा सकता है। ऐसी कई अफवाहें हैं कि रेल विभाग मेरे निर्वाचन क्षेत्र से निधियों को अन्य किसी परियोजना के लिए उपयोग कर रहा है।

मैं इसे सत्यापित नहीं कर सकता पर यदि सांविधिक दायित्व होता, तो मैं कोई समाधान ढूंढ सकता था। मैं कानूनी उपाय भी अपना सकता था। मैं यह कह सकता था 'चूंकि ऐसा सांविधिक दायित्व है कि इस परियोजना को ठीक से कार्यान्वित किया जाए। उसके बाद ही रेल विभाग कोई दूसरी परियोजना शुरू करे।' इसलिए, जहां भी परियोजना को निधि देने का संबंध है सांविधिक दायित्व होना चाहिए।

दूसरे, आंकड़े को इकट्ठे करने के लिए समिति का तत्काल गठन किया जाना चाहिए जो यह पता लगाएगी कि कौन सी परियोजनाएं बीच में छोड़ दी गई हैं, उन पर कितना पैसा व्यय किया जा चुका था, और उन्हें पूरा करने के लिए कितने धन की आवश्यकता है; उन्हें अधर में छोड़ने के क्या कारण हैं और हम इनका पुनर्निर्माण कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठे किए जाने चाहिए। इसके बाद ही हम इन पर आगे की नियमित कार्यवाही करें।

तीसरे, परियोजना में उस क्षेत्र के लाभार्थियों को भी जोड़ा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, रेल परियोजना को लेते हैं। इससे कुछ उद्योग, व्यापारी, पर्यटक एजेन्सी, पर्यटन विभाग और बैंक और वित्तीय संस्थान लाभान्वित होंगे। इन लोगों को इस परियोजना में शामिल तो नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्हें किसी न किसी तरह परियोजना में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए ताकि परियोजना का निर्माण इस तरह संपन्न हो जिससे जनता को अधिकाधिक लाभ पहुंचे। मेहनत की और करदाताओं की गाढ़ी पूंजी का इस प्रकार अन्यत्र उपयोग नहीं करना चाहिए, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए।

इसलिए मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मुझे लगता है कि इस संकल्प को सही संदर्भ में लिया जाएगा और इसे कार्यरूप में परिणत किया जाएगा।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, माननीय सदस्य श्री रामानन्द सिंह ने सभी लंबित परियोजनाओं को नियत समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि के आबंटन की वकालत की है।

उनके मत पर, मैं योजना आयोग द्वारा दी गई नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यवर्ती मूल्यांकन से कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। उसमें लिखा है :

गरीबी और पिछड़ेपन से निपटने के लिए निधि की उपलब्धता सर्वोत्तम आवश्यकता है परंतु वही आखिरी शर्त नहीं है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने भी योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने में केंद्रीय मंत्रियों की असमर्थता और राज्य सरकारों के उदासीन रवैये को उजागर किया है। निगरानी

[श्री खारबेल स्वाइं]

रखने की क्षमता सीमित है और ज्यादातर में तो निगरानी होती ही नहीं। निगरानी बजट में उपलब्ध निधि का जारी करने तक सीमित है। इसमें धनराशि का कारगर उपयोग और गुणवत्तापरक उत्पादन का जिक्र कहीं नहीं है।

मैं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दी गई रिपोर्ट से दो या तीन उदाहरण देना चाहूंगा। एक उदाहरण हैदराबाद, मुंबई और कलकत्ता स्थित टकसालों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। मार्च 1989 में इसकी अनुमानित लागत 118.28 करोड़ रु. थी। अब यह बढ़कर 348.8 करोड़ रु. हो गई है। इसी प्रकार अप्रैल, 1989 में आरंभ की गई विद्युत विभाग की नाथपा जागडी पारेषण प्रणाली की अनुमानित लागत 889.95 करोड़ रु. आंकी गई थी। अब, यह 1561.63 करोड़ रु. पहुंच गई है। कार्य इसी प्रकार चल रहा है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि इस बारे में सभी जानते हैं।

हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद 1998 में रेलवे परियोजनाओं पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया था। इसमें विस्तार से यह कहा गया था कि रेलवे परियोजनाओं में आवश्यक परियोजना मंजूरी लिए बिना ही, अर्थात व्यय बोर्ड, सीसीईए और योजना आयोग से मंजूरी लिए बिना ही परियोजना को शामिल किया गया था। उसमें दूसरी भी सूची दी गई थी इसमें एक के बाद एक आने वाले रेल बजट में सर्वेक्षण को पूरा किए बिना ही कई निर्माण कार्य शामिल किए गए थे। उन्होंने परियोजना की घोषणा सर्वेक्षण किए बिना ही कर दी थी।

[हिन्दी]

जैसा रामानन्द जी ने कहा कि उसके ऊपर कुकुरमुतते हैं।

[अनुवाद]

जब हम पूर्वोत्तर रेलवे गए, हममें से एक माननीय सदस्य ने जनरल मैनेजर से पूछा कि उन्होंने स्थल से एक नींव का पत्थर क्यों हटा दिया। जनरल मैनेजर ने कहा कि यदि वे नींव का पत्थर नहीं हटाते तो इसे कोई और निकाल ले जाता इसलिए उन्होंने इसे हटाकर अपने पास रखा है ताकि जब कभी भी परियोजना कार्यान्वित की जाएगी उसे उसी स्थान पर पुनः लगा दिया जाएगा।

दिल्ली मैट्रो रेल परियोजना का ही उदाहरण लें। इसमें एक वर्ष की पहले ही देरी हो चुकी है और इसकी लागत 900 करोड़ रु. बढ़ गई है। प्रति दिन की देरी पर परियोजना की लागत 2.5 करोड़ रुपये अतिरिक्त बढ़ जाती है। यही स्थिति है।

हमारे पास पहले ही ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी लागत 100 करोड़ रु. से भी ज्यादा है। ऐसी कुल 188 परियोजनाएं हैं जिनमें से 67 परियोजनाओं की लागत बढ़ी है। लागत बढ़ने के क्या कारण हैं? ये परियोजनाएं मूल क्षेत्रों जैसे, विद्युत विभाग, सड़कें, सिंचाई, पोत परिवहन और पत्तन जैसे क्षेत्रों की है। लागत बढ़ने के कारण हैं; भूमि की अनुपलब्धता, वित्तीय अड़चन, अभियांत्रिकी संबंधी समस्या, नक्शे जारी न होना और अंतर–क्षेत्रीय संपर्क जैसे, जल, विद्युत, ईंधन क्षेत्रों के मध्य संपर्क का न होना है। इसके पश्चात कानून और व्यवस्था की भी समस्या और अन्य कारण हैं जो परियोजना प्राधिकारियों के नियंत्रण से बाहर है। और ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भी देरी हो जाती है और ठेकेदारों को ठेका न दिए जाने की भी समस्या है। यही मूल कारण है जिससे परियोजना लंबित हो जाती है।

मैं विभिन्न परियोजनाओं के लंबित होने के कारण में नहीं जाऊंगा। सभी जानते हैं कि देरी होने के कारण समय और लागत में वृद्धि हो जाती है। मैं केवल माननीय मंत्री को कुछ सुझाव दूंगा कि इससे कैसे बचा जाए।

पहला, यह कि मूलभूत संरचना जैसे जल, विद्युत, संचार और भारी संयंत्रों और सामग्री के परिवहन के लिए रेल और सड़क संपर्क को सुनिश्चित किए जाने के बाद ही परियोजना को स्वीकृति दी जानी चाहिए। माननीय मंत्री श्री अरूण शौरी हमें बता रहे थे कि कैसे प्रत्येक मंत्रालय को अपनी–अपनी परियोजनाओं की निगरानी करनी चाहिए। उनके पास त्वरित रिपोर्ट द्वारा निगरानी प्रणाली भी है। उनके पास एक परियोजना निगरानी विभाग भी है और एक कृतक बल है। मेरा पहला सुझाव यह है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे अपने आशा के अनुरूप कार्य करें।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि प्रशासनिक मंत्रालयों में परियोजना कार्यान्वयन की राह में आने वाली समस्याएं जैसे ठेका प्रबंधन और अन्य जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रशासनिक तंत्र होना चाहिए।

तीसरा, परियोजनाओं को प्राथमिकता का आधार धन की उपलब्धता और परियोजना की महत्ता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, उड़ीसा में मैं प्रत्येक गांव में दो या तीन अधूरे मकान देखता हूं। जब मैंने पूछा कि ये मकान किसके हैं, तो उत्तर मिला कि ये सामुदायिक भवन हैं। जब मैंने पूछा कि ये अधूरे

क्यों हैं, उन्होंने बताया कि जब कांग्रेस विधान सभा सदस्य चुनकर आया, उन्होंने भवन के निर्माण कार्य के लिए 20,000 रु. दिए और यह भवन यहां तक बना; उसके बाद जब जनता दल का सदस्य चुनकर आया, उन्होंने कहा कि वह इस भवन के लिए कुछ भी धन नहीं देगा क्योंकि इसे कांग्रेस विधान सभा सदस्य ने आरंभ किया था। इस प्रकार जनता दल विधानसभा सदस्य के नाम एक और अधूरा मकान बन गया। कुछ समय पश्चात, जब भाजपा उम्मीदवार विधान सभा सदस्य बनेगा तो वह दो अधूरे भवनों को पूरा करने से यह कहकर मना कर देगा कि दोनों ही भवनों की शुरूआत जनता दल और कांग्रेस के सदस्यों ने की थी। परंतु यह धन किसका है, यह देश का धन है। हम इसे विदेश से कर्ज के रूप में लेते हैं और इस पर हर वर्ष भारी ब्याज चुकाते हैं। यहां हम धन की बर्बादी कर रहे हैं। हम अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करते हैं। हम धन का उपयोग करना नहीं जानते हैं। हम विभिन्न परियोजनाओं में थोड़ा-थोड़ा करके ये सारा धन लगा देते हैं।

महोदय, मेरा तीसरा प्रस्ताव यह है कि, इंटरनेट के माध्यम से सूचना देने की तकनीक में कम्प्यूटरीकृत निगरानी तंत्र की स्थापना से सुधार किया जा सकता है। यह परियोजना प्राधिकारियों से सूचना प्राप्ति में सुधार आएगा सूचना शीघ्र प्राप्त होगी क्योंकि अधिकतर परियोजना प्राधिकारियों से सूचना मिलने में देरी हो जाती है। मंत्रालय को यह देखना चाहिए कि सूचना का प्रसार हो और वह भी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से हो। निर्धारित परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने और समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें यहां सही व्यक्ति को लगाना चाहिए जो यह देखे कि समस्याओं को दूर किया जा रहा है।

अब मैं कुछ सुझाव दूंगा। आप पुनर्वास का उदाहरण लीजिए। हाल में मैं मलेशिया और चीन गया था। मैं अपने बैंकाक के मित्र से मिला। उन्होंने कहा कि वे अपने कुछ भवनों को गिराने जा रहे हैं। मैंने उससे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वहां एक सड़क बनाई जाएगी। मैंने उनसे पूछा कि इस पर उनके लोगों ने आपत्ति नहीं उठाई और आप उन्हें कितना मुआवजा देंगे। उसने कहा कि वे उन्हें आज के मूल्य के अनुसार मुआवजा दे रहे हैं और यह मुआवजा भी उन्हें सात दिन के अंदर मिल जाएगा।

माननीय अनादि साहू रेंगाली परियोजना की बात कर रहे थे। ये परियोजनाएं 1973 में आरंभ हुईं और अब तक न तो लोगों को पूरा मुआवजा दिया गया है और न ही उनका पुनर्वास किया गया है। अधिकतर पुनर्वास परियोजनाएं लागू की ही नहीं गईं। यही कारण है कि जनता का सरकार पर विश्वास नहीं है। वे कहते हैं कि सरकार उन्हें 30 साल पहले प्रचलित दरों पर मुआवजा देगी। कोई क्यूं लेगा? भारत साम्यवादी देश नहीं है। यहां की भूमि सरकार की नहीं है, वह जनता की है। इसलिए आपको, उन्हें अतिशीघ्र पर्याप्त मुआवजा देना होगा। भारत सरकार की सोच में बदलाव आना चाहिए। मैं, माननीय मंत्री, श्री अरूण शौरी से यह अपील करूंगा कि वे इस बारे में बदलाव लाएं।

अंत में, मैं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पर संक्षेप में बोलूंगा। 'एम.पी. लेड्स' में भी हम इसका विस्तार इतने सूक्ष्म ढंग से कर रहे हैं कि ऐसी कई परियोजनाएं हैं जहां हम पैसे की सिफारिश तो करते हैं किंतु इनका क्रियान्वयन नहीं होता। कई बार राजनैतिक मतभेद भी होते हैं। यदि राज्य सरकार किसी अन्य दल की है तो वह परियोजना के क्रियान्वयन को अनुमति नहीं देती। किंतु मेरा माननीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री को यह सुझाव है कि उन्हें राज्य सरकार से बात करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि सभी इस निर्णय पर पहुंचें कि जिम्मेदारी कार्यकारी प्राधिकारी पर होनी चाहिए और यदि वे कार्य पूरा नहीं करते तो उन्हें इसका जिम्मेदार व जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं कि यह निगरानी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है न कि निधियां जारी करना। निधियां जारी करना एक महत्वपूर्ण घटक तो है किंतु केवल वही एक घटक नहीं है।

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार) : माननीय सभापति महोदय, हमारे कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री बहुत विद्वान हैं, इसलिए मैं थोड़ी छूट ले सकती हूं क्योंकि मैं समझती हूं कि मैं जो संक्षेप में कुछ पंक्तियों में या कुछ मुद्दों के बारे में कहूंगी उसे ये समझ जाएंगे।

सबसे पहले, मैं देखती हूं कि आज भारत में आयोजना की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं, पूरे देश के सांसदों को आवास समस्याओं, सिंचाई की समस्याओं और दूसरी समस्याओं के बारे में शिकायतें करते देखती हूं और उसका कुल परिणाम यह है कि इस स्थिति से हम सब बहुत असंतुष्ट हैं। मैं नहीं सोचती कि आज कोई मंत्री सहायता कर सकता है। उन्हें कुछ माह पहले ही यह जिम्मेवारी मिली है। इस प्रकार पिछले इतने सालों में उनकी जो समस्याएं हैं वे उनका समाधान तुरंत तो नहीं कर सकते। मैं एक बात अवश्य कहूंगी कि जब हम देश की प्रगति उसके विकास और दूसरे पहलुओं की योजना तैयार

[श्रीमती श्यामा सिंह]

करते हैं तो मुख्य बात यह देखने में आती है कि इस देश में हमारी कई योजनाएं हैं। अनेक विभागों में अनेक योजनाएं हैं और सभी योजनाएं परस्पर अतिव्याप्ति की स्थिति में हैं। इन योजनाओं के पीछे यही आदर्श रहता है कि सामान्य जन को पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त हों किंतु इसके विपरीत ये सभी विभिन्न योजनाएं या तो पैसा कमाने का खेल बन गई हैं और या फिर कई सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी हैं। जो अब बेकार हो गई हैं। जहां तक नई योजनाओं का संबंध है, इस देश की जनता यह नहीं जानती कि वे इन योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं और इन योजनाओं से लाभान्वित लोग उन योजनाओं के बारे में नहीं जानते जिन्हें भारत सरकार ने उनके लिए बनाया है।

इसलिए, मंत्री महोदय, मैं यह महसूस करती हूं कि हमारे देश की इन सभी वृहद् योजनाओं को मिलाकर इन्हें सामान्य जन के हित के लिए कुछ व्यापक योजनाओं में बदला जा सकता है। मेरे विचार से यह काफी महत्वपूर्ण पहलू है। आये दिन मैं स्थाई समिति या परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भाग लेती हूं। हम बाल कल्याण जैसी कई योजनाओं की बात करते हैं किन्तु जनसाधारण तक कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा है।

जहां तक बिहार में मेरे निर्वाचन क्षेत्र औरंगाबाद का संबंध है, मेरे लोगों को यह नहीं पता कि ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनसे लाभान्वित हुआ जा सकता है। इसलिए जिन जिलों में ये योजनाएं चल रही हैं या उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है वहां कुछ प्रचार सामग्री वितरित की जानी चाहिए।

अगला मुद्दा उन योजनाओं के बारे में है जो कई वर्षों से अधूरी पड़ी हैं और नई परियोजनाएं शुरू दी गई हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है–एक परियोजना जो बिहार में है। वर्ष 1989 में जब राजीव जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी तब कुछ योजनाएं बनाने पर विचार किया गया था। मध्य बिहार के मेरे निर्वाचन क्षेत्र नवीन नगर में एक सुपर ताप विद्युत केंद्र बनाया जाना था। इस ताप विद्युत केंद्र की संभाव्यता और दूसरी आवश्यकताएं पहले ही पूरी कर ली गई थीं। बिहार मंत्रिमंडल ने एक विधेयक पारित किया था तब यह राष्ट्रीय पटल पर आया। जब एन.डी.ए. सरकार सत्ता में आई तो हमारे माननीय मंत्री जो कृषि जैसे कई मंत्रालयों के मंत्री रह चुके हैं और अब वापिस रेलवे में आ गए हैं, उन्होंने अचानक सोचा कि यह सुपर ताप विद्युत केंद्र ऐसे क्षेत्र में है जो न तो उनके दल के शासन में है और न ही उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उनके दल का कोई सांसद करता है, इसलिए उस समय जब वह परियोजना प्रारंभ होने ही वाली थी, इसे वहीं छोड़ दिया गया और ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके तुरंत बाद, उन्होंने प्रधान मंत्री से, अपने निर्वाचन क्षेत्र जो बिहार का बाढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, में एक विशेष परियोजना का उद्घाटन करने को कहा। अब इस परियोजना को आरंभ होने में कम से कम छः से आठ वर्ष लग जाएंगे क्योंकि सच तो यह है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में ताप विद्युत केंद्र के लिए अपेक्षित पानी नहीं है, उक्त निर्धारित स्थान तक रेलमार्ग नहीं है, पक्की सड़क नहीं है, कोयला, जन संसाधन और दूसरी आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं हैं। क्योंकि हम कभी एन.डी.ए. सरकार के भागीदार नहीं हैं या हम उसके भागीदार नहीं बने, इसलिए उन्होंने आराम से, और चुपचाप प्रधान मंत्री से उस परियोजना का उद्घाटन करवा लिया। मेरे विचार से यह बहुत अनुचित है। सत्ता पक्ष के सदस्यों के रूप में और सत्ता की सरकार के रूप में उन्हें इस छोटी मोटी राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और बिहार के लिए अपेक्षित और आवश्यक औरंगाबाद, बिहार के नवीन नगर में सुपर ताप विद्युत परियोजना जैसी वास्तविक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा सिंचाई के बारे में है। जब भी हम बिहार की बात करते हैं, हमें बिहार पर तरस आता है। या तो लोग इस पर हंसते हैं और या फिर इसमें दोष निकालते हैं। उस समय यह महसूस नहीं किया जाता कि जहां तक जन संसाधनों का संबंध है और जहां तक देश की राजनीति को इसके योगदान का संबंध है बिहार, समृद्ध राज्यों में से एक है। बिहार की दशा दयनीय है। मैं राजनैतिक नेतृत्व और दूसरी घटनाओं में नहीं जाना चाहती। आज भी, इस राज्य की देखरेख की जिम्मेदारी सत्तारूढ़ सरकार की है। विभाजन के पश्चात बिहार में बहुत कम प्राकृतिक संसाधन रह गए। दरअसल, हमारे पास सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका उपयोग करने पर, दोहन करने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बिहार सूखे की स्थिति के लिए जाना जाता है, बिहार बाढ़ के लिए जाना जाता है। इन दोनों पर नियंत्रण पाया जा सकता है और इनका उपयोग किया जा सकता है ताकि बिहार में न तो कभी बाढ़ आएगी और न ही कभी सूखा पड़ेगा।

हमारे पास कई सालों पहले प्रारंभ की गई दामोदर घाटी परियोजना जैसी परियोजनाएं हैं। हमारे पास सुवर्ण रेखा परियोजना है और हमारे पास उत्तरी कोयल नहर परियोजना नामक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना से लगभग आधे बिहार निश्चित रूप से संपूर्ण मध्य बिहार की जलापूर्ति की जा सकती है। महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगी कि इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य

स्तर पर या केंद्र के स्तर पर जितनी भी निधि की आवश्यकता हो वे उतनी निधियों की उपलबधता सुनिश्चित करें।

इसके बाद, मैं निधियों की कमी पर आती हूं। जब हम इस सभा में पांच या दो करोड़ रुपयों के आबंटन पर गरमागरम बहस कर रहे हैं। उस समय मैंने माननीय मंत्री से बात की थी। मंत्री महोदय को हमें दो करोड़ रुपये से अधिक देने में अपनी असमर्थता स्पष्ट करनी पड़ी।

लेकिन मेरे विचार से, ये दो करोड़ रुपये भ्रष्टाचार का घर बन गए, क्योंकि ऐसे राज्य में जहां निरक्षरता दर ऊंची है और जहां लोग जागरूक नहीं हैं वहां स्थानीय क्षेत्र विकास निधियों का दुरुपयोग हो रहा है।

महोदय, दूसरी ओर बैठे माननीय सदस्य ने कहा कि परियोजनाओं की निगरानी किस प्रकार महत्वपूर्ण है। मैं यह महसूस करती हूं कि एक सांसद को मिलने वाले इस 3 करोड़ रुपये के बारे में संसद सदस्यों की शक्तियां स्पष्ट होनी चाहिए कि आखिर में इस रुपये पर हमारा अधिकार है या नहीं। क्योंकि एक बार जब यह पैसा जिला प्रशासन के पास चला जाता है अर्थात यह राज्य सरकार के माध्यम से उस क्षेत्र के जिलाधीश के पास चला जाता है। यह राशि जिला प्रशासन की संपत्ति हो जाती है। अब इस राशि का उपयोग हम करें यह पूरी तरह उसकी दया पर निर्भर करता है। इस तरह, हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जो भी विकास कार्यवृद्धि या परियोजनाएं चलाना चाहते हैं वह मीडिया के माध्यम से होता है, जो मेरे विचार से उचित नहीं है। इसलिए, या तो इन जिलों में हो रहे कार्यों की निगरानी के लिए कोई नोडल एजेंसी होनी चाहिए और या फिर यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिलाधीश सांसद से परामर्श करे और उसके या उसकी पसंद के अनुसार कार्य करे। अंत में कार्य की निगरानी, बढ़ी हुई लागत और प्रत्येक पहलू, सांसद के हिस्से आती है और तीन या चार साल बाद जब सांसद का कार्यकाल समाप्त होता है तो उसके निर्वाचन क्षेत्र के लोग यह कहते हैं कि सांसद ने उनके लिए कुछ नहीं किया।

महोदय, पिछले नौ सालों से मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कांग्रेस दल ने नहीं किया है। अन्य विभिन्न दूसरे दलों ने छोटी–छोटी अवधि के लिए इसका प्रतिनिधित्व किया है और इसके परिणामस्वरूप पिछले नौ वर्षों से इस निर्वाचन क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। आज भी मुझे अपने क्षेत्र में कोई कार्य करने में कठिनाई आती है। इसका एक मात्र कारण यही है कि हमारी शक्तियां परिभाषित नहीं हैं। इसलिए स्थानीय क्षेत्र विकास निधियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और इस बारे में स्पष्ट निर्णय दिया जाना चाहिए कि हमें इसके प्रशासनिक भाग के साथ वास्तव में क्या करना चाहिए।

महोदय, इन चार मुद्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। मुझे बालेने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री रामानन्द सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इन्होंने लंबित परियोजनाओं के संबंध में संकल्प सदन में रखा है।

महोदय, आजादी के 54 वर्ष बाद और नौ पंचवर्षीय योजनाएं बीतने के बाद हम दसवीं पंचवर्षीय योजना में हैं और आज रोना रो रहे हैं कि परियोजनाओं को पूरा नहीं किया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से आज तक देखा जाए तो हमने योजना में विदेशों की नकल की, रूस की नकल की, अमेरिका की नकल की। नकल तो की मगर अकल से नहीं की इसलिए सारे देश की शकल बिगड़ गई।

महोदय, हमारी गरीबी बढ़ती गई है। आज अस्पताल में जाइए तो दवाई नहीं है, खेतों में जाइए तो सिंचाई नहीं है, नौजवानों के बीच जाइए तो कमाई नहीं है, स्कूलों में जाइए तो पढ़ाई नहीं है और हम दसवीं योजना में पहुंच गए हैं। योजनाएं बनाई जाती हैं लोगों को लुभाने के लिए, न कि कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, इसका कारण यह है कि एक दल की सरकार नहीं रही है और कई दलों की सरकारें रही हैं और आज भी है। नेता भी हैं, नीति भी है मगर नीयत खराब है, इसलिए मामला बिगड़ जाता है।

मैं बिहार का रहने वाला हूं। श्रीमती श्यामा जी अभी कह रही थीं बिहार के संबंध में और बिहार की जो हालत है, जब झारखंड हमसे अलग हो गया है तो हमारे पास केवल बाढ़ और सुखाढ़ बच गया है। आज उत्तर बिहार की सारी नदियों में उफान है और वह उफान नेपाल की नदियों के कारण है। विदेशी पानी आकर हमें डुबा देता है और हम कहते हैं कि कल्याण का काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी। विदेशी फौज आकर किसी राज्य पर चढ़ाई कर दे तो केंद्र सरकार देखती है और विदेशी पानी जब हमें नॉर्थ बिहार को डुबाने का काम करता है तो कहा जाता है कि यह स्टेट गवर्नमेंट का काम है।

सभापति महोदय, मैंने कई बार इस बात को पार्लियामेंट में उठाया, नौवीं लोक सभा से आज तक उठाता रहा कि नेपाल

[श्री मंजय लाल]

से बात करके उसके बारे में योजना बनाकर उसे खत्म करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं होती। योजनाएं नहीं बनाई जाती हैं। जो योजनाएं नार्थ बिहार के लिए बनाई जाती हैं, यदि उनकी हालत देखें और उनके बारे में सुनें तो आपको बहुत दुख होगा।

सभापति महोदय, रूस में एक पत्रकार ने लेनिन से पूछा कि रूस और सोवियत रूस में क्या फर्क है, तो उसने उत्तर दिया–रशा प्लस इलैक्ट्रिसिटी इक्वल टू सोवियत रूस। बिजली की कमी है। 1977–78 में कांटी थर्मल पावर की मुजफ्फरपुर में पांच यूनिट बनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन मुश्किल से दो यूनिट बनीं और तीन यूनिटें आज तक अधूरी पड़ी हैं। कोई योजना समय से पूरी नहीं की जाती है। उसकी कास्ट बढ़ती चली जा रही है।

सभापति महोदय, बिहार को रेल से जोड़ने के लिए पटना के समीप गंगा नदी के ऊपर रेल पुल का शिलान्यास किया गया, लेकिन काम नदारद है। अब बात भूमि परीक्षण की कही जाती है। हाजीपुर में रेल का जोनल आफिस बन गया, इमारत बन गई, लेकिन बिल्डिंग में कोई पदाधिकारी नहीं है और योजना पर करोड़ों रुपये खर्च हो गए, लेकिन काम ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। सबसे पहले इर्रीगेशन के लिए नार्थ बिहार में गंडक नदी की नेपाल के बार्डर से एक योजना बनाई गई उसके अंतर्गत तमाम बंगले बन गए, तमाम गमले लग गए, गमलों में फूल लग गए, लेकिन गंडक नहर वहां तक नहीं पहुंची, गंडक नदी की योजना पूरी नहीं हुई और दूसरे काम होने लगे। जहां ईंटें डाली गईं, वहां से ईंटें उठाकर दूसरी जगह ले गए।

सभापति महोदय, झारखंड बनने के बाद अगर अब उत्तर बिहार के लिए कोई बड़ी परियोजना नहीं बनाई गई, तो बिहार तबाह हो जाएगा। उत्तर बिहार में पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी होती है, छोटी–बड़ी नदियों का जाल सा बिछा हुआ है, वहां का आदमी भी मेहनती है, जमीन भी उपजाऊ है, लेकिन वह सब बेकार है। वहां के लिए ठीक प्रकार से योजना बनाकर सिंचाई की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वह पनप नहीं पाएगा। उत्तर बिहार में अगर सिंचाई की व्यवस्था ठीक हो जाए, तो वहां इतना अन्न उत्पन्न हो सकता है कि वह न केवल बिहार की बल्कि देश की भूख को मिटा सकता है।

सभापति महोदय, भाई रामानन्द जी के संकल्प का मैं समर्थन करता हूं कि जो भी योजना बनाई जाए वह वहां की परिस्थितियों को देखकर बनाई जाए। हम सिर्फ नकल करें और अकल नहीं लगाएं, तो हमारी शकल बिगड़ जाएगी, हमारा देश गरीब हो जाएगा और हम गुरबत में फंसते जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, भाई रामानन्द जी ने जो प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया और उसे प्रस्तुत करते हुए जिस भाषा का प्रयोग किया है, मैं उस भाषा का तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन दबी जुबान में, चूंकि मंत्री जी यहां विराजमान हैं, इसलिए मैं उनकी सेवा में निवेदन करना चाहूंगा कि हमें प्रति वर्ष दो करोड़ रुपये मिलते हैं, उनसे हमारा काम नहीं चल रहा है। मैं विशेषकर राजस्थान की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां प्रत्येक विधायक को हमसे ज्यादा, यानी 65 लाख रुपया मिल रहा है। हम जो भी काम अपने चुनाव क्षेत्र में कराते हैं, जो दो करोड़ रुपये आपने हमें दिए हैं उससे कराते हैं। हमारे लोक सभा क्षेत्र में आठ विधान सभा क्षेत्र हैं। इस प्रकार यदि हम दो करोड़ रुपयों को आठ विधान सभा क्षेत्रों में बांटें तो प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये बांट में आते हैं जबकि राजस्थान में एक विधायक को 65 लाख रुपये काम कराने के लिए मिलते हैं जिससे वे अपने विधान सभा क्षेत्र में जो भी सार्वजनिक कार्य हैं, स्कूल हैं, वे कराते हैं। जयपुर जैसे शहर में तो यदि कोई सड़क बननी है, तो वह अधिक खर्च से बनती है। आठ में से साढ़े चार विधान सभा क्षेत्र गांवों के हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि दो करोड़ रुपये देकर आपने हमारी, राजस्थान के एम.एल.ए. के सामने मिट्टी पलीद कर रखी है। हम किसी क्षेत्र में विकास कार्य के लिए एक लाख या दो लाख रुपये देंगे और वहां का विधायक पांच लाख रुपये देकर चला जाएगा।

मैं समझता हूं कि राजस्थान में एम.एल.एज़. के सामने हमारी हालत बहुत खराब है। आप कर सकते हैं, आपके बस की बात है, आप पार्टी मीटिंग में बात तय कर लें, हमें आप कम से कम पांच करोड़ रुपये दें तब लाभ होगा वरना मैं पुरजोर शब्दों में हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूं कि ये दो करोड़ रुपया भी जिस किसी और को कहीं आवश्यकता हो, वहां दे दें। हम भगवान की कृपा से जीत जाएंगे तो ठीक है नहीं तो पैंशन लेकर अपने घर में बैठेंगे और आपको याद करते रहेंगे कि आपने दो करोड़ रुपये ही दिए थे जिसके कारण आज हम सजा भुगत रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : भार्गव जी, यह संकल्प अधूरी योजनाओं को पूरा करने के फंड के बारे में है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं उन्हीं योजनाओं के बारे में बता रहा हूं कि पैसे के अभाव में योजनाएं पूरी नहीं हो

पातीं। स्कूल, सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं। आज सारे स्कूलों की हालत खराब है, कहीं कमरे नहीं हैं, कहीं बाउंड्री वाल नहीं है। अधूरी योजनाओं को दो करोड़ रुपये से पूरा नहीं किया जा सकता, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। 250 किलोमीटर सड़कें जो टूट गई हैं, राजस्थान के वर्तमान मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलौत ने एक–एक विधायक को 65 लाख रुपये अलग दे दिए। जो रोड टूट गई है, उसे ठीक करवाने के लिए उन्होंने एम.एल.एज़. को अधिकार दे दिए। राजस्थान में आठ विधान सभा क्षेत्र हैं जिनमें गांव भी शामिल हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप हम पर दया करें और हमारा पैसा बढ़ाएं।

आठ पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और नौवीं पंचवर्षीय योजना की भी आधी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि पत्थर लग गए, उन्हें उखाड़ लिया गया। एक मुख्य मंत्री आता है तो एक पत्थर लगा जाता है, दूसरा मुख्य मंत्री दूसरा पत्थर लगा जाता है। मैं समझता हूं कि अधूरी योजनाओं में ठीक प्रकार से काम नहीं हो पाया है।

जयपुर शहर के लिए पानी की एक बनास योजना आने वाली थी लेकिन वह भी अभी लागू नहीं हुई है। उसका नक्शा बन गया लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है। वर्तमान प्रधान मंत्री जी ने यह कहा था कि पेयजल को हम प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। आज जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, वहां के लोग पीने के पानी के लिए तरसते हैं। पानी एक समय आता है। लोगों ने चबूतरे के नीचे जो नल लगा रखे हैं, जब वे उनमें से पानी लेने की चेष्टा करते हैं तो मुझे शर्म आती है कि हम नौवीं लोक सभा में यहां हैं, नौ का अंक बहुत शुभ है, मेरे स्कूटर का नंबर नौ है और गाड़ी का नंबर भी नौ है, आपने जो मुझे विभाजन संख्या दी है, वह 111 है, वह भी शुभ है लेकिन वहां काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। राजस्थान में बनास योजना को पूरा करने के लिए पैसा दिया जाए। श्री राम विलास पासवान जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने जयपुर जाकर यह घोषणा की थी कि जयपुर में रेलवे का जोनल आफिस बनाया जाएगा। इसके लिए राजस्थान सरकार ने प्रयास किया और 17.44 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराके रेल विभाग को दे दी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : भार्गव जी, आप कृपया संकल्प पर बोलिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति जी, मंत्री जी किस्मत से यहां बैठे हुए हैं, मैं समय का सदुपयोग करते हुए मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि वह कुछ पैसा और दे देंगे तो हमारा भला हो जाएगा और अगर नहीं देंगे तब भी भला होगा–जो दे उसका भी भला और जो न दे उसका भी भला।

सभापति महोदय, रामानन्द जी ने क्रोधपूर्वक भाषण दिया है, मैं उनकी जुबान में कहने का हकदार नहीं हूं लेकिन दबी जुबान से अपनी बात निवेदन कर रहा हूं। सरकार ने क्वार्टर्स के लिए भी सस्ती भूमि दे दी। जयपुर में न ही रेलवे का जोनल ऑफिस बना और न ही लोगों के रहने के लिए जमीन मिली। इस संबंध में भी प्रयास करें। बांदीकुई आगरा ट्रैक का सवाल भी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आगरा पधारे थे। वे जयपुर नहीं पधार सके, भगवान जाने क्यों नहीं आ सके, लेकिन आगरा जयपुर का ट्रैक आज भी धनाभाव के कारण अधूरा पड़ा है। जो यात्री जयपुर से 150 किलोमीटर आगरा जाना चाहता है, वह सवाईमाधोपुर होकर आगरा जाए। यह योजना आगरा–बांदीकुई ट्रैक की जो पूरी होनी चाहिए थी वह योजना आज बढ़ते–बढ़ते 178 करोड़ रुपये की हो गई है। पैसे के अभाव में योजना अधूरी पड़ी हुई है और भारत सरकार हमको हर वर्ष 10 करोड़ रुपये दे देती है, 10 करोड़ रुपये तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। 178 करोड़ में 10 करोड़ रुपये से काम चलने वाला नहीं है। आप और रेल मंत्री जी दोनों दयालु हैं, आप दोनों दयालुता के नाते प्रसिद्ध हैं तो बांदीकुई–आगरा ट्रैक को भी शीघ्र पूरा करने का प्रयास करें। डिग्गी वाली लाइन भी अधूरी पड़ी हुई है और कोटपुतली से जयपुर होकर जो व्यक्ति जाना चाहता है, वह भी धनाभाव में खाली पड़ी हुई है, इसलिए इसके लिए आप पैसा दें।

जयपुर शहर में जलमहल योजना भी अधूरी पड़ी हुई है और चूंकि जयपुर शहर में कच्ची बस्तियों में जिन लोगों को बसाना है, उसके लिए आपका मापदंड अलग है। जो कच्ची बस्ती को योजनानुसार बसाना चाहता है, उसको तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन व्यक्ति कच्ची बस्ती को वहीं पर विस्थापित करना चाहता है, उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा। इस मापदंड को भी आप बदलें। जयपुर शहर में डेढ़ हजार एकड़ कृषि भूमि में लोगों के प्लाट कट गए, अब वहां पर सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं है, यों सरकार लंबी–चौड़ी सड़कें जयपुर शहर में बना ले, लेकिन जो लोग कच्ची बस्ती के भीतर बैठे हुए हैं, उन कच्ची बस्तियों में और कृषि भूमि में जिन लोगों के मकान हैं, उनको बनाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। इस संबंध में भी आप विचार करें। सरकार की बहुत बड़ी योजना है, वह तो हैरीटेज सिटी बनाने के नाम पर विश्व बैंक से 170 करोड़ रुपये लेने के लिए जा रही है। जयपुर शहर में एक बांध बनाने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। बिजली

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

भी आज जयपुर शहर में तीन रुपये प्रति यूनिट हो गई है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी तीन रुपये प्रति यूनिट बिजली नहीं होगी। राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है कि नाहरगढ़, आमेर और गलता पर रोपवे बना दिए जाएं, लेकिन वे पैसे के अभाव में रोपवे कहां से बनाएंगे। आपने हरिद्वार में देखा होगा कि पांच रुपये में, दस रुपये में झूले में श्रीमाता के दर्शन करने लोग चले जाते हैं, लेकिन रोपवे बनाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। जयपुर में मैट्रो रेल योजना बनाने के लिए पैसा नहीं है।

सभापति महोदय : भार्गव जी, संकल्प अधूरी योजनाओं के बारे में है, आप विषय पर बोलिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं कि पैसे के अभाव में ये सारी योजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी, आप राजस्थान पर दया करके और विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र पर दया करके अधिक पैसा राजस्थान वालों को दें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आप दयालु हैं, आप निश्चित रूप से हम राजस्थानवासियों पर बहुत बड़ी कृपा करके हमको धनराशि देंगे, जिससे एम.एल.ए. के मुकाबले हम टिक सकें। आज 65 लाख रुपया उसका और हमारे दो करोड़ 25 लाख रुपये से काम नहीं चलता है, इसलिए आप हमारी धनराशि बढ़ाएं, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

आपने मुझे समय दिया, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सांसद श्री रामानन्द सिंह द्वारा सभी लंबित परियोजनाएं पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित करने हेतु जो संकल्प लाया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

कई माननीय सांसदों ने देश में बहुत सी लंबित परियोजनाओं का विवरण दिया है। बहुत सी परियोजनाएं धनाभाव के कारण अधूरी पड़ी हुई हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी परियोजनाएं इस देश में लाई जाती हैं, वे जनता के हितों के लिए किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाई जाती हैं। मैं भी कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट मऊ उत्तर प्रदेश में एक केंद्र सरकार की परियोजना राष्ट्रीय चीनी एवं गन्ना प्रौद्योगिकी संस्थान 1993 में प्रस्तावित हुई, उसके उद्देश्य के लिए सरकार ने अपनी ओर से अतारांकित प्रश्न 4281 दिनांक 20 अप्रैल, 2000 पर उत्तर दिया। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने का कार्य वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में गन्ना किसानों और चीनी उद्योग के व्यक्तियों को वैज्ञानिक सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से मऊ में 1993 में राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी की स्थापना करने का निर्णय लिया । यह क्षेत्र इन क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता और गैर–अंतरण के कारण गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों की तुलना में पीछे छूट रहे थे। यह 20 अप्रैल, 2000 को दिया गया उत्तर है। मैं जानना चाहता हूं कि जो उद्देश्य लेकर यह परियोजना 2000–01 तक पूरी होनी थी, और उसके लिए धन भी आबंटित किया गया, लगभग आठ वर्षों तक क्या वह उद्देश्य पूरे हो गए या उन उद्देश्यों की आवश्यकता खत्म हो गई है? जनता की गाढ़ी कमाई का धन उस संस्थान में लगा हुआ है। करीब पचासों करोड़ रुपये लगे हैं। साल भर के बाद भ्रम की स्थिति में उसे ला दिया गया है। 1993–94 से लेकर 2000–01 तक 15.78 करोड़ रुपये की अनुमानित धनराशि खर्च की गई है। साल भर पहले 50 करोड़ रुपये बताए गए और साल भर बाद 15.78 करोड़ रुपये के करीब बताए गए हैं। यह योजना लगभग पूर्ण हो चुकी है। इसमें कहा गया है कि भर्ती की प्रक्रिया चालू है। लैब सहायक की भर्ती की प्रक्रिया चालू थी, साक्षात्कार ले लिया गया, भवन और इक्वीपमेंट आदि पूर्ण हो गए, लेकिन आठ वर्षों के बाद यह कहना कि वित्त मंत्रालय के केंद्रीय मानेटरिंग ग्रुप ने 27 जनवरी, 2000 की बैठक के दौरान यह सिफारिश की कि राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान अभी एक संस्था के रूप में पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। भर्ती के लिए साक्षात्कार ले लिए गए, लेकिन अब यह कहना कि पूरी तरह विकसित नहीं हुआ, ठीक नहीं है। वहां सैकड़ों एकड़ जमीन से किसानों को बेदखल करके विस्थापित कर दिया गया। जनता के हितों की व्यवस्था करने में प्रसव पीड़ा होती ही है। देश को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा इसलिए उनको विस्थापित किया है और वहां सैकड़ों एकड़ जमीन पर पचासों करोड़ रुपये की संपत्ति तैयार है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान की परिसम्पत्ति केंद्रीय एजेंसी को हस्तांतरित कर दी जाए। मैं बताना चाहूंगा कि उद्देश्य भी पूरे नहीं हुए, किसान भी बेदखल हुए, जिन बेरोजगारों ने साक्षात्कार के लिए दौड़–धूप की और पैसा लगाया, वे भी हताश हुए हैं। जब कार्य पूरा हो गया तो इसमें राजनीतिक द्वेष लाया गया, ऐसा मैं मानता हूं। पूर्ववर्ती जनप्रतिनिधियों द्वारा जो चीजें खड़ी की गईं, वे जो सरकार में रहने वाले लोग थे, उनके जाने के बाद राजनीतिक द्वेष से ऐसा निर्णय लिया जा रहा है, जबकि वहां इस संस्थान

की जरूरत है। ऐसी परियोजनाओं पर जहां पचासों करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं, उन्हें धन आबंटित करके चालू करना चाहिए। सारे देश में इस तरह की जो परियोजनाएं हैं, जहां जनता की गाढ़ी कमाई लगी हुई है, जिन उद्देश्यों के लिए उनको शुरू किया गया, वहां धन की व्यवस्था करके लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए जो यह संकल्प लाया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं श्री रामानन्द सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण और देश के लिए आवश्यक मुद्दे को सदन के सामने रखा है। मेरी मान्यता है कि सारे सदन को, सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। आजादी के 50 वर्ष से ज्यादा बीतने के बाद और जब देश ने गणतंत्र स्वीकार किया था, उसके भी 50 वर्ष बीतने के बाद हमें कुछ मुद्दों पर आत्मचिंतन भी करना चाहिए और कुछ भौतिक सत्यापन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए।

जो प्रश्न आया है, वह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्हें मैं आराध्य कहता हूं, उन्होंने एक प्रश्न किया था कि युग परिवर्तन का अकाट्य सिद्धांत क्या है—मूल सुधार या भूल सुधार? मैं पहले दस मिनट तक चुप रहा था। मैं नौवीं लोक सभा में सदन में बड़ी कम उम्र में चुनकर आया था। तब से लेकर अब तक प्रश्न के बारे में सोचता रहता हूं लेकिन समाधान नहीं मिलता। हम जिन दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं, हम जिन अधूरे कार्यों की पूर्ति करने के लिए यहां बैठे हैं, उसमें मैं एक बात देखता हूं कि यह प्रश्न ही गलत है। यह दुर्भाग्य हमारा है और हमें यह सोचना चाहिए जो प्रश्न हमारे सामने रखे जाते हैं, हमें मजबूर किया जाता है कि हम उनका उत्तर दें। जब भी उत्तर देंगे, पूरा सच नहीं हो सकता क्योंकि यह प्रश्न ही गलत है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि किसी बात को परिवर्तन करना है तो मूल सुधार और भूल सुधार दोनों उसमें शामिल हैं। लेकिन हम एक अंधी दौड़ में शामिल हैं।

मैं जब नौवीं लोक सभा में आया था तो उसके पहले इस देश में कितनी योजनाएं बनीं, उनके आंकड़े क्या थे, मेरी कम उम्र थी और उस समय न तो मेरा उतना अनुभव था और न मुझे अतीत की जानकारी थी। हम जानते थे कि हम भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। इस बात पर भी मेरे गुरु ने मुझे चेताया कि किस दौड़ में दौड़ रहे हो? हो सकता है कि मेरी ये बातें वैराग की बातें लगें लेकिन यह यथार्थ है कि हमें दसवीं पंचवर्षीय योजना के पूरा होने तक विचार करना चाहिए कि वास्तव में हमने कुछ हासिल किया है या नहीं किया है? हम एक योजना के बदले दूसरी योजना थोप देते हैं और जब वह विफल हो जाती है तो फिर नया प्रयोग करने लग जाते हैं। मैं इसी बात की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हैदराबाद में वर्कशॉप ग्रामीण विकास के संबंध में हुई थी जिसमें सारी पार्टीज के सांसद थे और उसमें 28 सांसदों ने भाग लिया था जिसमें मैं भी एक था। वहां चर्चा चल रही थी। उस चर्चा का भी उद्देश्य यही था कि जैसे हम प्राइवेट मेंबर बिल के लिए समय निर्धारित करते हैं, क्या हम देश के विकास के लिए इस समय को निर्धारित नहीं कर सकते? उसमें सिर्फ दो बातों की चर्चा हो कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और यह अधूरापन किस बात के लिए है? हमने पहली पंचवर्षीय योजना के लिए जो फैसले किए हैं, वे आज दसवीं पंचवर्षीय योजना पूरी होने वाली है, उसके बाद भी पूरे नहीं हुए। मुझे लगता है कि मेरी बुद्धि के स्तर पर जो बात मेरे ध्यान में आई है, वह मैं कहना चाहता हूं कि मेरे एक स्वर्गीय मित्र ने एक पत्र में मुझे लिखा था। उसकी एक पंक्ति यहां पढ़ना चाहता हूं : "जब व्यक्ति और समाज की आधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो उसकी मुश्किलें दुगनी हो जाती हैं।" मैं हजारों वर्ष का इतिहास नहीं कहना चाहता हूं। आज आजादी के पचास वर्ष बाद भी हमने जब से इस लोकशाही को, सरकार को स्वीकार किया है, उसके परिणामों पर तो हम विचार करें और हमने जो कुछ आवश्यकताएं पूरी कर ली हैं तो उसकी सराहना भी हमें करनी चाहिए। लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि आखिर इस अधूरेपन के कारण क्या हैं। जो मैंने अपनी बुद्धि के स्तर पर कारण नोट किए हैं, वह मैं कहना चाहता हूं और मुझे लगता है कि योजनाएं बनते समय तो उचित होती हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन कहीं भी उचित नहीं है चाहे किसी राज्य में किसी भी दल की सरकारें हों। क्रियान्वयन में ही दोष है। जब हम इस पक्ष में होते हैं तो उस पक्ष पर आरोप लगाते हैं और जब उस पक्ष में होते हैं तो दूसरे पक्ष की गलतियां सुनाते हैं लेकिन मूलतः क्रियान्वयन में ही दोष है। उसे ठीक करने के लिए हमने कोई कारगर तरीका नहीं अपनाया। राज्य और केंद्र संबंधों के आधार पर जब भी केंद्र की योजनाएं हम देखते हैं तो यह पाते हैं कि राज्यों ने उन योजनाओं के मद परिवर्तन का स्वभाव बना लिया है। उन योजनाओं के धन की उपयोगिता की समय सीमाएं नहीं हैं। कहीं भी किसी प्रकार का अंकुश धनराशि पर केंद्र सरकार का नहीं है, इसीलिए समय के अंदर उन योजनाओं का पूरा होना संभव नहीं है। यदि किसी योजना को पूरा करना है तो सार्थक बहस सदन में होनी चाहिए चाहे उसमें महीनों लगें। वास्तव में राज्य और केंद्र के संबंधों को ध्यान में रखते

[श्री प्रहलाद सिंह पटेल]

हुए और बहुदलीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा कानून बनाकर हम लाएं ताकि धन का वास्तव में उपयोग हो सके और मद परिवर्तन पर भी अंकुश लग सके। ऋण के आधार पर जो हम पैसा लेते हैं, वह भी वास्तव में उस मद पर खर्च न होकर किसी और मद पर खर्च हो जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे यहां जो बरगी बांध है और जो मां नर्मदा पर बना हुआ है, वह सबसे बड़ा बांध है। आजाद भारत में भाखड़ा नांगल के बाद वह था। अब सरदार सरोवर है।

अपराह्न 5.00 बजे

इस बांध की चर्चा रामानन्द सिंह जी ने भी की है। यह बांध 1972 में प्रारंभ हुआ, जिसको 1982 में पूरा होना था, 624 करोड़ रुपये की लागत से बनना था और आज 4000 करोड़ रुपये की लागत से ऊपर पहुंच गया है। इसका पानी दायीं तट नहर की तरफ जाना था, लेकिन 12 किलोमीटर डैड कैनाल के अलावा एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सका है। रामानन्द सिंह जी मेरी नरसिंहपुर जिले की पैदाइश है, मैं भी वहां का प्रतिनिधित्व करता हूं। वास्तव में वह एशिया की सबसे उपजाऊ जमीन है, लेकिन वहां पर भी पानी नहीं पहुंच पाया है। अर्थ वर्क कैनाल का हो गया है, लेकिन पानी नहीं पहुंच सका है। परगोटेगांव तहसील तक भी नहीं पहुंच सका है। उस बांध की उम्र खत्म होने वाली है। मैदानी जगहों में नर्मदा की सिल्ट जमने की गति काफी तेज है, लेकिन इस बात की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया है। औसत सिल्ट के आधार पर आयु निर्धारित की गई थी। पिछली बार वहां सूखा पड़ा था। सरकार ने साफ कह दिया था कि वहां पर बिजली बन सकती है या सिंचाई हो सकती है। अब परिस्थिति यह है कि उस बांध से किसी को भी पानी नहीं मिला है, लेकिन किसान की जमीन उस बांध में चली गई है। जैसा कि कहा गया है, उस बांध से बिजली बनेगी या किसानों को पानी मिलेगा, जबकि किसान को बिजली और पानी दोनों चाहिए, जो किसान को मिल नहीं सकते हैं और लागत दस गुने से भी ज्यादा हो गई है। दूसरी उदाहरण–जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। इस मामले को मैंने आज ही सदन में सम्भिशन के माध्यम से जमनिया जलाशय के संबंध में उठाया था। यह बांध 92 वर्ष पुराना है और मिट्टी से बना हुआ बांध है, लेकिन उसमें चैनल गेट नहीं है. 1977 में मध्य प्रदेश में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस समय वैस्ट–वेयर से पानी निकालने के लिए दो फीट की रेंज बढ़ा दी गई थी। 92 वर्ष पुराना बांध, जो मिट्टी से बना है, सीमेंट नहीं लगी है, वह 650 हेक्टेयर की सिंचाई कर रहा है, उसके सुधार का प्रपोजल सी.ई. से ऊपर नहीं गया, जबकि वह औसत से ज्यादा सिंचाई कर रहा है। दुनिया में आपको ऐसा दूसरा बांध नहीं मिलेगा। जब तक बांध बनते हैं, तब तक उनका कमांड एरिया घट जाता है, लेकिन यह ऐसा सौभाग्यवादी बांध है, जो औसत से ज्यादा जमीन की सिंचाई कर रहा है। इसलिए इसका सुधार नहीं हो सकता है। यह कौन सा कानून है, कौन सा दृष्टिकोण है, हमारे देखने और सुनने का क्या नजरिया है, मेरे विचार से यही कारण है, बांधों के अधूरेपन का। इसी कारण हमारी योजनाएं अधूरी पड़ी रह जाती हैं। जब मैं नौवीं लोक सभा में आया था, मुझे सौभाग्य से वन अधिनियम, 1980 पर अपना पहला भाषण देने का अवसर मिला था। मैं इससे संबंधित समिति का भी सदस्य हूं, अब सुनने में आ रहा है कि इस पर रिव्यू होने वाला है।

महोदय, मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं वह नक्सलाइट बैल्ट है। मैं बालाघाट की बात कह रहा हूं। मध्य प्रदेश में यह ऐसा जिला है, जहां 48 प्रतिशत जमीन की सिंचाई होती है। हमारे पास वन संपदा है, हमारे पास जमीन की संपदा है, हमारे पास सिंचाई है, लेकिन वामपंथी उग्रवाद का आक्रमण हमारे ऊपर है। इसके बाद वन कानून हमारे विकास में अवरोध पैदा कर रहे हैं। आदिवासियों को पट्टा नहीं मिलता है। मेरा कहना यह है कि जो योजनाएं वन अधिनियम, 1980 से पहले प्रारंभ हो चुकी हैं, जिन पर लागत लग चुकी है, उनको रोकने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद भी कानून बनेंगे, पर्यावरण के नाम पर प्रतिबंधात्मक कानून बनेंगे, जल को प्रदूषित और सुरक्षित करने वाले कानून बनेंगे, उसके आधार पर चलती हुई परियोजनाओं को रोक देना, मुझे लगता है कि यह सही रास्ता नहीं है। यह कदम किसी प्रकार से भी राष्ट्रहित में नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, राज्यों में एक दल की सरकार है और केंद्र में दूसरे दल की सरकार है, इस वजह से भी योजनाएं पूरी नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है कि यह निर्णय किसी भी प्रकार से राष्ट्रहित में उचित नहीं है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए, आजादी के बाद ऐसी कितनी आपदाएं आईं, चाहे बाढ़ हो, चाहे सुखाड़ हो या चाहे भूकंप हो, वहां राहत पहुंचाने के लिए हमने हजारों–करोड़ों रुपये खर्च कर दिए।

अपराह्न 5.04 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

इन आपदाओं में काफी लोग मारे गए हैं और संपत्ति का नुकसान हुआ है। यदि हम इस बात पर मूल्यांकन करें,

तो उसके सामने हमारी प्रगति बौनी दिखाई देगी। हमें इस बात को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि जैसी प्रगति करते हैं, वह एक बेहूदगी के ऊपर दूसरी बेहूदगी है। इस सदन को उस पर भी विचार करना होगा। हम योजना आयोग की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, जिसमें योजनाओं का विकास जनसंख्या के आधार पर माना गया है। पचास वर्षों के बाद राष्ट्रीय मापदंड अलग–थलग पड़ गए हैं। ऐसे भी स्थान हैं, जहां सड़कें नहीं हैं, जहां पर गरीबी है और आबादी का घनत्व कम है, क्या ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलेगी। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश का इलाका है, जहां नक्सलवादी घटनाएं होती रहती हैं। इसी कारण वहां विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि वहां लोगों की भावनाओं का दोहन किया गया है लेकिन काम नहीं होता है। इसलिए उस पर विचार करना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय सोच बहुत संकीर्ण है, क्योंकि यह सोच क्षेत्रीय बन गई है। हम अपने चुनाव क्षेत्र, प्रदेश और जिले में दूरियां कम करने के आदी नहीं हैं। हम विकास की तरफ ध्यान देना नहीं चाहते। 50 साल के बाद अटल जी आए। उन्होंने कहा कि सड़क पर क्रॉस बनना चाहिए, रेल मार्ग पर भी क्रॉस बन सकता है। दक्षिण से उत्तर की दूरी घट सकती है, लेकिन इस पर विचार नहीं होता। हमारे यहां जबलपुर–गोंदिया लाइन पड़ी है। वे कहते हैं कि आर्थिक दृष्टि से यह उचित नहीं है। मैं अपने क्षेत्र की मांग नहीं करता, मेरा कहना है कि दक्षिण से उत्तर तक रेल मार्ग की दूरी कैसे घटे, क्या उस पर विचार नहीं करना चाहिए?

महोदय, हमारा जो बदलता हुआ भौगोलिक और सामाजिक ढांचा है, उसके आधार पर भी हमें योजनाओं को फिर से पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है। एक ही उद्देश्य के लिए अनेक मंत्रालयों और विभागों में जो योजनाएं चलती हैं, उन्हें समग्र रूप से बनाना चाहिए। उनका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से होना चाहिए। जैसे जल संरक्षण है, उसे वन मंत्रालय देखता है। ग्रामीण विकास, जनजाति कार्य एवं जल संसाधन विभाग है तथा एनजीओज़ भी यह काम करते हैं। मैंने सुना है कि 270 योजनाएं ग्रामीण विकास की चलती हैं, उन्हें कहीं न कहीं घटा कर ऐसा करना चाहिए ताकि लागत खर्च कम हो सके।

महोदय, अंत में मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार को इस संकल्प को सदन में लाना चाहिए और इस पर बहस करानी चाहिए। हमने 50 सालों में क्या हासिल किया है। हम इन योजनाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पर बहस होनी चाहिए। यह संकल्प रामानन्द सिंह जी लाए हैं। पिछले 50 वर्षों के कार्यों पर विचार करने के लिए सरकार को ऐसा संकल्प लाना चाहिए ताकि सदन में यह परंपरा रुक सके कि मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा, मेरा नाम हो, मैं अपनी सफलता के लिए करूंगा। उससे भले ही समग्र विकास रुक जाए या कहीं गतिरोध हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इससे इस परंपरा पर कहीं अंकुश लगेगा। इस संकल्प को उचित समय पर लाने के लिए मैं रामानन्द सिंह जी को पुनः धन्यवाद देता हूं और उपाध्यक्ष जी, आपको भी धन्यवाद देता हूं। मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि स्वतः इस संकल्प को सदन के भीतर लाकर इस पर बहस कराए ताकि हम पिछली गलतियों में सुधार करके आगे सफलता की ओर कदम बढ़ाएं।

[अनुवाद]

***श्री आदि शंकर (कुड्डालोर)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने सम्माननीय सहयोगी श्री रामानन्द सिंह को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित करने की आवश्यकता के संबंध में संकल्प प्रस्तुत किया है और मैं अध्यक्षपीठ को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। इस संकल्प का समर्थन करते हुए मुझे खुशी हो रही है क्योंकि यह सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए लाया गया है। यह प्रस्ताव किसी नई योजना, परियोजनाओं को आरंभ करने से पूर्व परियोजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए सरकार पर दबाव डालता है।

आजादी के 54 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज हमारे आजाद भारत में बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें या तो छोड़ दिया गया या उन्हें ताक पर रख दिया गया या फिर अधूरी रह गई हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि वे परियोजनाएं भी आज अधूरी पड़ी हुई हैं जिन्हें बड़ी धूमधाम से शुरू किया गया था और यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जो योजनाएं घोषित की गई थीं, धनाभाव के कारण धूल चाट रही हैं। प्रत्येक बजट में नई परियोजनाओं और योजनाओं के बारे में घोषणाएं की जाती हैं। मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि प्रत्येक वर्ष बजट प्रस्तुत करने से पहले चालू परियोजनाओं और स्कीमों का आकलन और समीक्षा की जानी चाहिए। अगर आवश्यक हो तो पर्याप्त धन उन परियोजनाओं और स्कीमों के लिए मुहैया करा देना चाहिए जो आरंभ कर दी गई हैं। अन्यथा हर वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय नई परियोजनाओं को ले आना कोई मायने नहीं रखता।

---

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री आदि शंकर]

बजट तैयार करते समय पहले से चल रही परियोजनाओं की प्रगति का आकलन कर लिया जाना चाहिए। प्रत्येक परियोजनाओं के पूरा होने संबंधी अध्ययन भी अच्छी तरह किया जाना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या निर्धारित समय सीमा का पालन किया गया है कि नहीं और उसके पूरा करने में लागत निर्धारित लागत से ज्यादा तो नहीं आई है या पूरे करने में अतिरिक्त धन की आवश्यकता तो नहीं पड़ी है। और क्या इसे तैयार की गई दूसरी परियोजनाओं की अपेक्षा प्राथमिकता दी जा सकती है।

सम्मानित सभा में मैं कहना चाहूंगा कि आज जिस स्थिति का सामना हम कर रहे हैं ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए क्योंकि आज हम देख रहे हैं अनपेक्षित कारणों से लागत में वृद्धि होने से कई परियोजनाएं धनाभाव के कारण लंबित पड़ी हुई हैं।

यह इसलिए होता है क्योंकि बजट प्रस्तुत करने से पहले उसका अध्ययन ठीक तरह से नहीं किया जाता, हम देखते हैं कि देश भर में अधूरी परियोजनाओं की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। आने वाले बजटों में जब उनको नजरअंदाज किया जाता है और उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं दिया जाता तो इससे हमारे राजकोष पर भार पड़ता है।

प्रत्येक योजना और परियोजना, की इस बात को देखते हुए कि कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे और इससे समाज के गरीब तबके के कितने लोगों को फायदा होगा, समीक्षा की जानी चाहिए। इस योजना का लाभ कितने बड़े क्षेत्रों को मिलेगा उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस बात से सभी लोग सहमत होंगे कि बजटीय घोषणा में परियोजनाओं को शामिल करने से पहले इन सब बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो फिर परियोजनाओं में देरी होने का कोई कारण नहीं रहता और न ही कार्य को पूरा करने में लागत की वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण परियोजनाएं पूरी नहीं हो पातीं। निर्धारित समय सीमा का पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए।

जब पर्याप्त निधियां आबंटित की जाती हैं तब भी यदि निधि समय पर नहीं दी जाती है तो भी योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं। समय पर निधियों का जारी किया जाना भी काफी महत्वपूर्ण है। निधियां मिलने में कोई रुकावट न आए इसके लिए हमें इसकी मानीटरिंग सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष हमारे बजट में केंद्र द्वारा पोषित कई स्कीमें और परियोजनाएं घोषित की जाती हैं। ऐसे कई राज्य हैं जो ऐसी निधियों को दूसरी परियोजनाओं में लगा देते हैं तथा जिन परियोजनाओं के लिए निधि दी गई होती है उनकी उपेक्षा कर देते हैं। कुछ मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप के बाद योजनागत व्यय निधि पर रोक लगा दी जाती है। इस कारण भी लंबित परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो जाती है। परियोजनाओं को पूरा होने के मार्ग में प्राकृतिक आपदाएं भी बाधक सिद्ध होती हैं। कुछ मामलों में ठेकेदारों को सौंपे गए कार्यों के समय पर पूरा न होने के कारण भी समय पर योजनाओं का कार्य पूरा नहीं हो पाता है। विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी प्रगति का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करने में हमारी असफलता भी एक मुख्य कारण है जिस कारण योजनाएं लंबित हो जाती हैं।

कुछ राज्यों की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति भी परियोजनाओं को पूरा करने में अवरोधक का काम करती है। इस प्रकार कई ऐसे कारण हैं जिनके चलते कई अच्छी परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं। परियोजनाओं की प्रगति में आने वाली बाधाएं प्राकृतिक भी हैं तथा मनुष्य द्वारा भी लाई गई हैं और ये प्रायः अप्रत्याशित ही होती हैं। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सहज वातावरण तैयार करने हेतु समय पर उचित कदम उठाने और समय पर निधियां जारी करना आवश्यक है।

परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधि आबंटित किए जाने के बावजूद सरकार में फेर बदल होने के कारण परियोजनाओं पर पर्याप्त ध्यान न दिए जाने की स्थिति में भी परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। कई राज्यों में और स्थानीय प्रशासनिक निकायों में हमें यह देखने को मिलता है। कानून और व्यवस्था की स्थिति भी परियोजनाओं को समय पर पूरा होने के मार्ग में बाधाएं उपस्थित करते हैं।

केंद्र और राज्य के बीच संबंधों में खिंचाव भी लंबित परियोजनाओं की संख्या बढ़ने का कारण हैं। यदि केंद्र और राज्य में अच्छा संबंध नहीं होता है तो यह निश्चित रूप से निधियों के प्रवाह को प्रभावित करता है और जिसके कारण विलंब होता है। सांसदों के स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के लिए निर्धारित निधियों को ही लें। प्रत्येक संसद सदस्य को दो करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं और स्कीमों को प्रचालित करने के लिए हक दिया जाता है। तमिलनाडु में हमारे नेता और भूतपूर्व मुख्य मंत्री, डा. कालाइगनार करुणानिधि ने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को 77 लाख रुपये आबंटित किए थे। तमिलनाडु में प्रत्येक विधायक 77 लाख रुपये की स्वीकृति दे सकता है। यह भी तय किया गया था कि शिक्षा से संबंधित शिक्षण संस्थाओं एवं परियोजनाओं के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार

के लिए प्रत्येक विधायक द्वारा कम से कम 12 लाख रुपये दिए जाएंगे। प्रत्येक लोक सभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधान सभा चुनाव क्षेत्र आते हैं लेकिन लोक सभा के एक सदस्य को केवल दो करोड़ रुपये ही दिए जाते हैं।

जब एक विधायक को 77 लाख रुपये दिये जाते हैं, तो एक सांसद को दिए जाने वाले 2 करोड़ रुपये अपेक्षाकृत कम हैं। इस राशि को बढ़ाने के लिए हम लोग इस मुद्दे को केंद्र सरकार के साथ उठाते रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इस संबंध में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। कई बार इस सम्माननीय सदन में कई सदस्यों द्वारा मांग पर जोर दिए जाने के बावजूद सरकार ने इस उचित मांग पर विचार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। इस संदर्भ में न तो कोई कारण बताए गए हैं न ही इस राशि में कोई बढ़ोत्तरी की गई है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस राशि में वृद्धि करे। संसद द्वारा गठित एम.पी.एल.ए.डी.एस. समिति ने भी इस राशि को बढ़ाए जाने की सिफारिश की है। मैं समझता हूं कि इस संबंध में माननीय अध्यक्ष जी का रुख भी सकारात्मक है। तथापि इस मांग पर सरकार द्वारा एक सकारात्मक निर्णय लिया जाना है। मुझे अफसोस है कि इस संबंध में संबंधित मंत्री की कोई दिलचस्पी प्रतीत नहीं होती है। साथ ही हम देखते हैं कि कुछ विभागों में निधियां ऐसे ही पड़ी रह जाती हैं जबकि लंबित परियोजनाओं को निधियों की कमी का सामना करना पड़ता है। एक ओर निधियों के उचित प्रबंधन और उनके उचित उपयोग की समस्या है दूसरी ओर अनिवार्य आवश्यकताएं लंबित और चल परियोजनाओं पर बुरा प्रभाव डाल रही हैं। मुझे लगता है कि एम.पी.एल.ए.डी.एस. के लिए आबंटन में वृद्धि न करके माननीय मंत्री जी अनावश्यक रूप से बदनाम हो रहे हैं। माननीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री एक सक्षम और कर्मठ मंत्री हैं। वे सरकार और स्वयं के लिए लोकप्रियता हासिल करने के लिए सक्षम हैं। मैं यह पूछना चाहूंगा कि एम.पी.एल.ए.डी.एस. निधि को बढ़ाकर प्रति संसद सदस्य 5 करोड़ रुपये क्यों नहीं किया जा सकता है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

जब हम लोग अपना ध्यान रेलवे की ओर ले जाते हैं तो पाते हैं कि सैकड़ों परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं। लंबित परियोजनाएं और उन्हें पूरा करने की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। उनके लिए समुचित निधि उपलब्ध नहीं कराई जाती है। उन परियोजनाओं को नजरअंदाज करके प्रत्येक बजट में कई परियोजनाओं और स्कीमों की घोषणा की जाती है, जिसमें प्रत्येक बार नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहूंगा कि जब कभी भी बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं इन चालू और लंबित परियोजनाओं के प्रत्येक चरण को ध्यान में रखा जाए। प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में लंबित परियोजनाओं को पूरा करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इससे सक्षम शासन और अच्छा प्रशासन सुनिश्चित हो सकेगा।

मैं विशेष रूप से तमिलनाडु में लंबित निम्नांकित रेल परियोजनाओं का जिक्र करना चाहूंगा।

(i) विलुपूरम–तंजावूर आमान परिवर्तन

(ii) तिरुचि–रामेश्वरम आमान परिवर्तन

(iii) विलुपूरम–काटपाड़ी आमान परिवर्तन

(iv) कुड्डालौर–सालेम आमान परिवर्तन

निधियों के अभाव में ऐसी कई योजनाएं लंबित पड़ी हैं। ऐसी योजनाओं की घोषणा तभी की जानी चाहिए जब धनराशि आबंटित हो अन्यथा ऐसी परियोजनाएं प्रचारित हो जाने के बाद केवल कागजों पर ही रह जाती हैं। निर्धारित समय पर इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए योजना आयोग द्वारा रेलवे को समुचित निधि प्रदान की जानी चाहिए।

मैं राज्यों से भी यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे केंद्र राज्य संबंधों की सौहार्दता बनाए रखने पर बल दें। मैं कुड्डालोर लोक सभा चुनाव क्षेत्र से पांचवां सदस्य हूं। हमारे सभी पूर्व संसद सदस्य कुड्डालोर में रेलवे उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता का मुद्दा पिछली सरकारों के साथ उठाते रहे हैं। इसके कारण जनता की कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं। इस मामले को सरकार के साथ उस समय उठाया गया था जब मैंने इस मामले को रेल विभाग के साथ भी उठाया था। तथापि तमिलनाडु की वर्तमान सरकार ने इस परियोजना के लिए बाधाएं खड़ी कर दी हैं जो देर से ही सही लेकिन आरंभ तो की गई थी। उनका कहना है कि वे इस परियोजना के लिए, जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र की आम जनता का लाभ होगा, आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं करा सकते उनका तर्क है कि सड़क तो इस्तेमाल होगी ही। वास्तविकता यह है कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सड़क पर यातायात को कम करना है। अतः यदि ऐसी परियोजनाओं के लिए समुचित निधि उपलब्ध करा भी दी जाती हे तो भी केंद्र राज्य संबंधों में कटुता के कारण ऐसी बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं। मैं इस बात को भी बताना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों की जनता के हितों एवं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने तथा लंबे समय से की जा रही मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र तथा राज्य के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध होना आवश्यक है।

[श्री आदि शंकर]

स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू की महत्वाकांक्षी परियोजना भाखड़ा नांगल बांध का अतिरिक्त कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। स्वर्गीय 'अन्ना' की कोयम नदी परियोजना लंबित है। महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती की चिरअभिलाषित महत्वाकांक्षी परियोजना सेतु–समुंद्रम परियोजना और कावेरी नदी जल प्रणाली का आधुनिकीकरण सभी कुछ लंबित है। मैं केंद्र सरकार से तमिलनाडु की इन परियोजनाओं और अन्य दूसरी लंबित परियोजनाओं के लिए निधियां आबंटित करने का अनुरोध करता हूं।

रेलवे द्वारा आरंभ की जाने वाली पट्टाभिराम–तिरूनिंदराव्यूर चार ट्रैक की रेल लाइन परियोजना और जल भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा आरंभ की जाने वाले चिंगलपट–मदुरै चार लेन सुपर–हाईवे परियोजना लंबे समय से लंबित हैं जबकि इनकी घोषणा काफी पहले कर दी गई थी। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि इन मंजूरशुदा परियोजनाओं के लिए निधियां आबंटित नहीं की गई हैं। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को देखे और पर्याप्त निधि उपलब्ध कराए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुड्डालोर–बंदरगाह का विस्तार कार्य लघु बंदरगाह विकास परियोजना के अंतर्गत किया जाना था। बड़े तूतीकोरिन बंदरगाह के साथ कुड्डालोर का भी विस्तार किया जाना था। इस संबंध में केंद्र ने घोषणाएं की थीं किंतु इसके लिए निधियां जारी नहीं की गई हैं। इसलिए, विस्तार कार्य अधूरा पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आदि शंकर, आप भाषण समाप्त करने में और कितना समय लेंगे?

श्री आदि शंकर : महोदय, केवल दो मिनट।

इसी तरह, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जयमकोंडम थर्मल कोयला खान परियोजना के लिए भी केंद्र सरकार से निधि की आवश्यकता है और लंबित परियोजनाओं पर कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में निधियां प्रदान की जानी चाहिए।

इस प्रकार पूरे तमिलनाडु, विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, खनन, रेल, ग्रामीण विकास, विज्ञान व प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी कई परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं। इन सभी परियोजनाओं के लिए समुचित निधियां प्रदान की जानी चाहिए, मैं माननीय मंत्री से इस मामले को देखने का अनुरोध करता हूं।

प्राकृतिक आपदाएं और विपदाएं एक बड़ी समस्या हैं और इनसे चालू परियोजनाओं को बहुत हानि उठानी पड़ती है। यदि परियोजनाएं लंबित न भी हों तो भी पूरी हुई कई परियोजनाएं भी इससे प्रभावित होती हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी कई परियोजनाएं हैं, जिनके लिए चक्रवात पूर्व चेतावनी केंद्रों और राहत केंद्रों के लिए पर्याप्त निधियों की आवश्यकता है। इन लंबित परियोजनाओं के लिए निधियों का आबंटन करने हेतु मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति का परिहार कर जनता की जान–माल की रक्षा की जा सकती है।

मैं माननीय मंत्री श्री अरूण शौरी से अनुरोध करूंगा कि निधि आबंटित करने के लिए वे इन मांगों पर विचार करें और मैं इस संकल्प के प्रस्तुतकर्ता को भी धन्यवाद देता हूं। एक बार यह फिर कहकर कि इन सभी अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार पर्याप्त निधि आबंटित किया जाना सुनिश्चित करें, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय के लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया था। क्या सभा चाहती है कि इस समय को सायं 5.45 बजे तक बढ़ा दिया जाए। मेरे विचार से, हम इस समय तक इसे समाप्त कर लेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : समय बढ़ा दिया गया।

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, सुन्दरता देखने वाले की आंखों में होती है। मैं श्री रामानन्द सिंह का इस समसामयिक विषय को उठाने का बहुत आभारी हूं जिसे सरकार इस सभा में लाने में हमेशा असफल रही है। ठीक कुरूक्षेत्र की युद्धभूमि की तरह जहां अर्जुन ने अपने समक्ष कई महारथियों को पाया था, वैसे ही मैं श्री जगमोहन को देख रहा हूं जो एक सुप्रतिष्ठित राज्यपाल, प्रतिष्ठित प्रशासक, प्रतिष्ठित सांसद और प्रतिष्ठित मंत्री हैं। मैं अपने समक्ष एक योग्य, सक्षम योद्धा, कलम के धनी व्यक्ति, सुवक्ता और सज्जन व्यक्ति श्री अरूण शौरी को देख रहा हूं जिन्हें मैं कई वर्षों से जानता हूं। मैं अपने समक्ष एक विख्यात पुलिस अधिकारी को देख रहा हूं जिन्होंने अपनी सेवा में दूसरे सर्वोच्च स्थान को प्राप्त किया है। यदि वे उस सेवा में बने रहते तो वे उड़ीसा के महानिदेशक होते। अब वे एक प्रतिष्ठित सांसद हैं। अतः इस पृष्ठभूमि में मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ अव्यवस्थित क्यों है। श्री रामानन्द सिंह को यह विषय क्यों उठाना पड़ा?

पीटर ड्रूकर के नाम से सभी परिचित हैं। वे प्रबधन के पितामह हैं। आज, प्रबंधन के विद्यालयों में अधिकतर छात्र उन्हीं

की पुस्तकें पढ़ते हैं और उन्हीं के भाषण सुनते हैं। पीटर ड्रूकर ने क्या कहा? मैंने इंडियन एयरलाइंस के किसी एक विमान में 'स्वागत' नामक पुस्तिका में पढ़ा था :

"प्रबंधन का कुशल उदाहरण आम भारतीय घरेलू महिला है।"

सीमित संसाधनों के बावजूद भी वह अपने पति, अपने ससुराल, अपने बच्चों को खुश रखती है। वह एक खुशहाल घर चलाती है और एक ही सप्ताहं में कोई सब्जी दो बार नहीं बनाती है। एक साधारण भारतीय स्त्री प्रबंधन की कुशल उदाहरण होती है। ऐसा श्री के. पी. सिंह देव ने नहीं कहा, बल्कि यह पीटर ड्रूकर ने कहा है। यह इंडियन एयरलाइंस की पुस्तिका 'स्वागत' में प्रकाशित हुआ है।

अब, मेरे प्रतिष्ठित मित्र श्री अनादि साहू लागत वृद्धि समय वृद्धि और मूल्यों के बढ़ने की बात कर रहे थे।

योजना आयोग, योजना बनाकर उसे प्रतिपादित करता है जिसे पहले एन.डी.सी. और बाद में संसद स्वीकृति प्रदान करती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष में इतनी प्रतिभाओं के होते हुए योजना आयोग में इतनी प्रतिभाएं होते हुए हमारे देश के विख्यात सपूतों में से एक, जो एक उत्कृष्ट सांसद, मंत्री रहे हैं, श्री के. सी. पंत इसका संचालन कर रहे हैं। इनसे पहले कई विख्यात लोग थे जैसे श्री जसवंत सिंह, प्रो. मधु दंडवते, श्री प्रणव मुखर्जी यहां थे, जो अपने–अपने क्षेत्रों में विख्यात हैं तो फिर, पिछले 53 सालों से कोई भी परियोजना समय पर पूरी क्यों नहीं हुई और कितनी उत्तरोत्तर हानि हुई?

उदाहरण के लिए बिहार को लीजिए। 1969 में, मैं प्राक्कलन समिति का सदस्य था। हमने देखा कि बिहार की कोसी और गंडक परियोजनाओं में पानी तो था किंतु वहां कोई नहर प्रणाली नहीं थी। यह पहली योजना थी। श्री अनादि साहू रेंगाली के बारे में कह रहे थे। रेंगाली बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को डॉ. ए. एल. राव ने बहुत अच्छा बताया जो डॉ. विश्वैश्वरैया के बाद हुए महान भारतीय इंजीनियरों में से एक थे। वे तेनेसी घाटी निगम के मुख्य अभियंता थे और जिसकी आधारशिला 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखी। लगभग तीन दशक हो चले हैं किंतु इसके पूरे होने के कोई आसार नहीं हैं। 273 करोड़ रुपये से बढ़कर इसकी राशि 3000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

श्री अर्जुन सेठी ने एक उत्तर में बताया कि नहर प्रणाली का करीब 60 प्रतिशत कार्य तो बेकार चला जाता है और इस पर पहले ही 1241 करोड़ रुपये की लागत आ चुकी है। उड़ीसा विधान सभा की प्राक्कलन समिति को यह बताया गया था। जब प्राक्कलन समिति ने दौरा किया तो मैं भी वहां उपस्थित था, भगवान जाने अभी इसमें और कितने साल लगेंगे। शायद मैं इसे नहीं देख पाऊंगा।

मैं इंद्रावती की बात कर रहा था। यहां बैठे हुए श्री पी. के. देव 1967 से हमारे सहयोगी हैं। श्री बी. के. देव, सांसद के पिता श्री पी. के. देव को पूरे 28 वर्ष लग गए। उनका पूरा संसदीय कार्यकाल केवल एक मुद्दे पर बीत गया वह है इंद्रावती, जिसे उन्होंने 1942 में कालाहांडी के महाराजा के रूप में प्रारंभ किया था। 1996 में यह संपन्न हुई। आज, कालाहांडी में अकाल, कठिनाई, भुखमरी और बच्चों को बेचा नहीं जाता है। वे अब बासमती का निर्यात कर रहे हैं। 1996 में जब हम सूखे पर चर्चा कर रहे थे तो तत्कालीन विपक्षी नेता श्री पी. वी. नरसिंह राव ने यही कहा था। तो एक परियोजना में 30–40 वर्ष लग जाते हैं। देश को कोई लाभ नहीं हुआ किंतु क्या किसी का कोई उत्तरदायित्व और जवाबदेही नहीं है।

पिछले सत्र में, माननीय मंत्री महोदय ने एम. पी. लेड्स पर भारत के नियंत्रक व लेखा महापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत की। सी.ए.जी. ने इसमें कैसी टिप्पणियां की हैं? जिस प्रकार प्रत्येक सांसद को क्षेत्र विकास के लिए दिए जाने वाले 2 करोड़ रुपये का बिना सांसद की जानकारी के दुरुपयोग, दुर्विनियोग तथा उसका इतर प्रयोग किया जा रहा है इससे सभी का सिर शर्म से गड़ जाता है। किंतु सांसद, विधायक और चुने गए प्रतिनिधि को ही जनता के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाता है। हममें से सभी भले ही वह सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से, हर पांचवें वर्ष हमें जनता के पास जाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ती है किंतु इनके क्रियान्वयन स्तर पर जो लोग हैं वे कभी भी उत्तरदायी या जवाबदेह नहीं ठहराए जाते हैं।

मैं केवल तीन मुद्दों पर अपनी बात केंद्रित करूंगा। पहला है जल। जल, जीवन का मूल तत्व है। आज तक, कई वाद–विवादों के भी बाद, हम इसे राष्ट्रीय संसाधन नहीं बना पाए हैं। मुझे याद है, जब श्री दिनेश सिंह मंत्री थे तो उन्होंने एक संकल्प प्रस्तावित किया था किंतु मेरे ख्याल से उसे पारित नहीं किया गया था। आज भी, हम इसे राष्ट्रीय संसाधन बनाना चाहते हैं। खैर, हमें न्यायमूर्ति सरकारिया को उद्धृत करना बहुत अच्छा लगता है। हम आज ही दोपहर बाद सरकारिया आयोग की सिफारिशों के बारे में बहस कर रहे थे। सरकारिया आयोग की एक सिफारिश यह थी कि अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम में संशोधन किया जाए ताकि न्यायाधिकरण पंचाट को वैसी ही शक्तियां प्राप्त हों जैसी कि उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं।

[श्री के. पी. सिंह देव]

पृष्ठ 492 की प्रथम पंक्ति में जल संसाधन के अधिकतम उपयोग और व्यापक आयोजना की बात कही गई है। उन्होंने कहा है, "जल कीमती प्राकृतिक संसाधन है। कोई राष्ट्र जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए व्यापक आयोजन की आवश्यकता को नकार नहीं सकता है।" उन्होंने राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा की गई टिप्पणी का भी उल्लेख किया है :

> "देश के अनेक भागों में भविष्य में कृषि और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल संसाधन की अपर्याप्तता को दृष्टि में रखते हुए जल का संरक्षण और उसका विवेकपूर्ण तथा मितव्ययीपूर्ण ढंग से इसका उपयोग करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है।"

उन्होंने संस्थागत बुनियादी ढांचे पर भी बल दिया। वे अंत में कहते हैं :

> "राष्ट्रीय जल नीति बनाई जानी चाहिए और जल संसाधन के आयोजन और विकास में परस्पर बेसिन जल अंतरण को भी सम्मिलित किया जाए और इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।"

लेकिन यह कौन करेगा? मंत्री जी आपका मित्र होने के नाते मैं आपको, आप जहां हैं उससे भी ऊंचे स्थान पर देखना चाहता हूं। आप वहां हमेशा नहीं रहेंगे। आपके स्थान पर कोई दूसरा आ जाएगा। न्यायामूर्ति सरकारिया ने जो कहा उसे कौन लागू करेगा। अतः किसी भी स्तर पर उत्तरदायिता या जिम्मेदारी नहीं है।

मैंने रेंगाली का उल्लेख किया है। यही स्थिति दाद्राघाटी, हीराकुंड और रामपाल की है। आपने इसका उल्लेख किया लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जिनका पुनर्वास नहीं किया गया है। हीराकुंड परियोजना 1952 में इसी मुख्य इंजीनियर डॉ. के. एल. राव द्वारा शुरू की गई थी। वे टेनेस्सी वैली कारपोरेशन से हीराकुंड के मुख्य इंजीनियर बनकर आए थे। यह 1952 में शुरू की गई थी और अब 2001 चल रहा है। लोगों का अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है। रेंगाली मेरे निर्वाचन क्षेत्र से होकर बहती है। यह अभी अधूरी है। अभी हजारों लोगों का पुनर्वास नहीं किया जा सका है। खान मंत्रालय की मुख्य कंपनी नालको ने इस वर्ष 650 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। उद्योग संबंधी स्थाई समिति ने जिसका मैं सदस्य हूं, और श्री रामदास अग्रवाल जिसके चेयरमैन हैं, कोरापुट और अंगुल का दौरा किया। अभी भी वहां के 1357 उजड़े हुए परिवार पुनर्वासित नहीं किए गए हैं। इसके लिए कोई भी उत्तरदायी या जिम्मेवार नहीं है।

दो वर्ष पहले जब श्री नवीन पटनायक खान मंत्री थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि स्मैल्टर के 393 पाट टूट गए हैं, तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इससे राजकोष को 300 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। यह खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है। किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराया गया है। देश ने ये सभी नुकसान उठाए हैं।

आपने और मैंने इसी खान मंत्रालय की अनुदान के लिए मत डाला है। संसद सदस्यों को सूखा, चक्रवात या बाढ़ अथवा भूकंप के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है लेकिन नीचे स्तर पर कार्य कर रहे व्यक्तियों को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाता है। आज, भयानक बाढ़ ने उड़ीसा को अपने चपेट में ले लिया है। यह मानव द्वारा उत्पन्न की गई है। यह मैं नहीं कह रहा हूं। मैं सिंचाई विशेषज्ञ नहीं हूं। अभी तीन दिन पहले उड़ीसा विधान सभा में इस पर बहस हुई है। महानदी और ब्राह्मणी नदियों पर हीराकुंड और रेंगाली बांध बनाए गए हैं। पानी छोड़ दिया गया। सभी गेट खोल दिए गए और 12–13 दिन तक छह से आठ फीट तक पानी भरा रहा। यहां अनेक सदस्य हैं जो कृषक हैं। क्या पानी में 12–13 दिन या 15 दिन तक धान की कोई फसल खड़ी रह सकती है? अथमल्लिक और वीर महाराजपुर सब–डिविजनों का संपर्क प्रत्येक स्थान से टूट गया। केवल हेलीकॉप्टर से भोजन गिराकर ही संपर्क कायम किया जाता था लेकिन यह खाद्य सामग्री अत्यंत अल्प साबित होती थी। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक प्रत्येक क्षेत्र में गए और हेलीकॉप्टर द्वारा सामान गिराया। प्रधान मंत्री भी गए थे। हम इस बात के लिए आभारी हैं कि श्री नीतीश कुमार सहित अनेक मंत्री वहां गए लेकिन वे लोग, जिनका संपर्क शेष देश से एक सप्ताह तक कटा रहा, अभी भी भूखों मर रहे हैं। अब वहां की कृषि भूमि में पांच–छह फीट तक बालू जम गई है। कुछ दिनों में राहत कार्य समाप्त हो जाएगा क्योंकि हम अकाल संहिता और दसवें या ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट को 'होली बाइबल' मानते हैं।

मुझे खुशी है कि माननीय प्रधान मंत्री ने योजना आयोग को निर्देश दिया है कि वह इस बात पर गंभीरता से विचार करे कि उड़ीसा 1964 से प्रतिवर्ष बाढ़, सूखा अथवा तूफान की चपेट में क्यों आता रहा है। आप इसे विशेष श्रेणी का राज्य क्यों घोषित नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आपने हिमाचल प्रदेश या उत्तर–पूर्व के राज्यों के मामले में किया है।

संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है। वहां समाज के 750 सर्वोच्च अच्छे व्यक्ति हैं। हमसे लोगों की इच्छाओं को व्यक्त

करने की अपेक्षा की जाती है। हम दसवें वित्त आयोग में से एक कामा भी नहीं हटा सकते। किसी राष्ट्रीय आपदा को 'राष्ट्रीय आपदा' नहीं कहा जा सकता बल्कि इसे 'राष्ट्रीय आपदा की तरह' कहा गया है। जबकि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1999 को अंतर्राष्ट्रीय आपदा वर्ष घोषित किया था लेकिन भारतीय संसद, भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि हमें दसवें वित्त आयोग का अक्षरशः पालन करना है।

इसलिए जब तक प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायिता और जवाबदेही निर्धारित नहीं की जाएगी तब तक संसद में परंपरागत रूप से इस पर बहस चलती रहेगी और हर वर्ष लोग बर्बादी, कष्ट झेलते रहेंगे।

महोदय, अब मैं दूसरे विषय अर्थात रेलवे पर चर्चा शुरू कर रहा हूं क्योंकि यह मुख्य विषय है, मेरे मित्र श्री अनादि साहू यही उद्धृत कर रहे थे। यह बात उड़ीसा के प्रिंसिपल रेजीडेंट कमीश्नर के हवाले से कही गई है। इसमें उड़ीसा में रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विवरण है जिसे सभी संसद सदस्यों को 24.7.2001 को परिचालित किया गया था।

जहां तक ईस्ट–कोस्ट रेलवे का संबंध है, श्री राम विलास पासवान ने 8.8.1996 को ईस्ट–कोस्ट रेलवे की स्थापना की। छह रेलवे जोन हैं। कल ही रेल मंत्री ने उत्तर दिया था। आप देखेंगे कि प्रतिफल हारा नियम की तरह एक रेलवे जोन में 41 करोड़ रुपये का हारा निवेश किया गया। वर्ष 2000–2001 में ईस्ट–कोस्ट रेलवे के लिए पहली बार 50 लाख रुपये दिए गए। इस वर्ष रेल बजट में कितना दिया गया? 10 लाख रुपया दिया गया। महोदय, मैं गणित में अनुत्तीर्ण होता रहता था। मुझे नहीं मालूम कि 10 लाख रुपया अधिक है या 50 लाख रुपया। वर्ष 2001 में 50 लाख रुपये आबंटित किए गए और इस वर्ष 10 लाख रुपये।

1992–93 में शुरू की गई दैतारी–बनासपानी परियोजना की अनुमानित लागत 595 करोड़ रुपये थी। मार्च 2001 तक इस पर 270 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इस वर्ष इसके लिए 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसका मतलब है कि इस परियोजना को पूरा होने में 6–7 वर्ष और लगेंगे।

लांजीगढ़–जूनागढ़ रोड 54 किमी लंबी है। इसकी अनुमानित लागत 119 करोड़ रुपये है। मार्च 2001 तक 15. 81 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इस वर्ष इसके लिए दो करोड़ रुपये दिए गए हैं।

खुर्दा रोड, बोलनगीर परियोजना 289 किमी. लंबी है। इसकी अनुमानित लागत 355 करोड़ रुपये है। इसे 1994–95 में स्वीकृत किया गया था। मार्च तक इस पर 10.8 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इस वर्ष पांच करोड़ रुपये दिए गए हैं। 10 करोड़ रुपये निर्माण, संचालन, पट्टा और अंतरण (बोल्ट) पर खर्च किए जाने हैं। भारत में रेलवे के पास अभी तक कोई बोल्ट योजना नहीं आई। बड़ी धूमधाम हमने, मुख्य मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री और सभी संसद सदस्य ने तमाशा किया। मुझे भी आमंत्रित किया गया था लेकिन मैं नहीं जा सका।

हरिदासपुर–पाराद्वीप परियोजना को पूरा होने में कितना समय लगेगा? इसकी अनुमानित लागत 302 करोड़ रुपये है। इस वर्ष उसके लिए 5 करोड़ रुपये दिए हैं और 15 करोड़ 'बोल्ट' के लिए दिए गए हैं। 14.8 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। हो सकता है इस परियोजना को पूरा होने में 30 वर्ष लगें।

अब, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की अंगुल–डुबरी–सुकिन्दा रोड बी.जी. रेल परियोजना की बात करूंगा। यह 1997–98 में स्वीकृत की गई थी। इसकी अनुमानित लागत 245 करोड़ रुपये है। इससे 29.37 प्रतिशत की दर से राजस्व प्राप्त होता है जो कि विश्व में सबसे अधिक है। किसी भी रेलवे से, चाहे वह कनाडा की हो, पैसिफिक, हो, ट्रांस–साइबेरियन हो, भारतीय रेलवे हो, फ्रेंच रेलवे हो, ब्रिटिश रेलवे हो या जर्मन रेलवे हो, इतनी ऊंची दर से प्रतिफल (रिटर्न) नहीं मिल रहा है। इसकी प्रशंसा योजना आयोग के चेयरमैन और रेलवे बोर्ड ने भी की है। इसकी अनुमानित लागत 245 करोड़ रुपये है। मार्च 2001 तक इस पर 0.48 करोड़ रुपये अर्थात 48 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इस वर्ष कितना आबंटन किया गया है? केवल पांच करोड़ रुपये। 'बोल्ट' के लिए 15 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसका मतलब है कि 15 करोड़ रुपये कभी मिलेंगे ही नहीं।

जहां तक रूपसा–बंगरीपोसी परियोजना का संबंध है। यह 1995 में स्वीकृत की गई थी। इसकी अनुमानित लागत 80 करोड़ रुपये है। मार्च 2001 तक इस पर 9.57 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस वर्ष चार करोड़ रुपये दिए गए हैं।

नुपाड़ा–गुनूपुर परियोजना डा. गिरधारी और श्रीमती हेमा गमांग के निर्वाचन क्षेत्र में है। यह परियोजना 1997-98 में स्वीकृत की गई थी। इसकी अनुमानित लागत 125.43 करोड़ रुपये है। मार्च, 2001 तक इस पर 0.03 करोड़ रुपये व्यय किए गए। इस वर्ष 10 लाख रुपये दिए गए हैं। अतः यह परियोजना कैसे पूरी हो सकेगी? कोई उत्तरदायी नहीं है। पांच वर्ष बाद उस

[श्री के. पी. सिंह देव]

क्षेत्र का संसद सदस्य जिम्मेवार ठहराया जाएगा। प्रेस में राजनीतिज्ञों की ही आलोचना की जाएगी कि उन्होंने कोई कार्य नहीं किया लेकिन निचले स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को कभी जिम्मेवार नहीं ठहराया जाता है।

यही स्थिति 1999 में आए तूफान, बाढ़ और सूखे के समय थी। 1999 में तूफान के समय चार जिलों में जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं था। इस पर संसद में बहस हुई। कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वरिष्ठ अधिकारी 21 दिन के लिए उड़ीसा से यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेचारे मुख्य मंत्री को अशिष्टतापूर्वक हटा दिया गया। जब श्री गौड़ा बोलनगीर गए तो उन्होंने देखा कि 14 बी.डी.ओ. में से छह बी.डी.ओ. नहीं थे। इस बार 19 और 20 जुलाई को, मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में वीर महाराजपुर से नौका द्वारा जाना पड़ा। वहां छह माह तक कोई सब उपजिलाधिकारी (सब कलेक्टर) और बी.डी.ओ. नहीं था। बेचारे जिलाधिकारी ने अपना अतिरिक्त जिला अधिकारी भेजा वह भी मेरे पास नौका से आया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पहली बार लोगों ने हमें देखा। हम कष्ट सह रहे लोगों की सहायता कैसे कर सकते हैं? इसलिए परियोजना कार्यान्वयन, प्रबंधन और संगठन का विकास किए जाने की आवश्यकता है।

तूफान के समय हम राहत प्रबंधन पर बहस कर रहे थे। मुख्य बल अमरीका की तरह से मानव संसाधन के संगठन और प्रशिक्षित श्रम शक्ति पर दिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स में हर वर्ष तूफान आते हैं। उनके पास प्रशिक्षित श्रम शक्ति, आकस्मिक योजनाएं, परियोजना प्रबंधन और संगठन की व्यवस्था है जिससे कम से कम जान–माल की हानि होती है और नागरिकों को कष्ट भी कम से कम होता है। मैं एक बार पुनः श्री रामानन्द सिंह को इस संकल्प को लाने हेतु धन्यवाद देता हूं।

इस संबंध में मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। जबकि संविधान समीक्षा समिति संविधान का अध्ययन कर रही है, अंतर्राज्यिक जल–विवाद के मामले में हमें यह पता लगाना है कि जहां केंद्र और राज्य शामिल है वहां परियोजना कार्यान्वयन और प्रबंधन बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। संविधान में कतिपय मामलों में केंद्र को पूर्ण अधिकार और अन्य मामलों में सीमित अधिकार दिए गए हैं। अधिकांश विषय राज्यों के पास हैं, जिन पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं जैसे कृषि, सिंचाई इत्यादि। हम पूरे मामले पर व्यापक रूप से विचार कर रहे हैं और एक–दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्रतिदिन गरामागरमी हो रही है परंतु मूल प्रश्न यह है कि परियोजना का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। इसे भी संविधान समीक्षा समिति को सौंपा जा सकता था श्री रामानंद सिंह और मेरे मित्र कर्नल सोना राम चौधरी ने उसका सुझाव भी दिया था इस पर भी विचार किया जाना चाहिए था।

हमने अपने संविधान में 90 बार से अधिक संशोधन किए हैं। कुछ नगरपालिकाओं को, जो 74वें संशोधन के दौरान अस्तित्व में नहीं थीं, शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? हमने श्री राजीव गांधी के कार्यकाल में कुछ नगरपालिकाओं को शामिल किया था। मैं संयुक्त चयन समिति का सदस्य और सभापति था और हमें सभा से पूर्ण समर्थन मिला था। मुझे आशा है कि यदि उड़ीसा या विदर्भ या उत्तरी बंगाल के कुछ भागों को विशेष दर्जा मिला तो किसी को भी आपत्ति नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो विषय लाया गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप काफी समय से आसन को सुशोभित करते रहे हैं। नियोजन विभाग के मंत्री महोदय मुंबई गए थे। जो निधि मिलती है, उसके बारे में उन्होंने अच्छी तरह सोच कर कार्य किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। कई कार्य मानव निर्मित होते हैं और कई निसर्ग निर्मित होते हैं। मानव ठीक ढंग से कार्य नहीं करता, इसलिए उसे कई जगह परेशानी होती है। जिस समय मोरारजी भाई प्रधान मंत्री थे, उस वक्त मैं उनसे मिलने गया था और उनसे बातचीत भी की थी। पहले तो एक–एक करके बहुत सारी योजनाएं ले ली जाती हैं लेकिन बाद में उन्हें पूरा नहीं किया जाता। मेरी मांग है कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए पांच योजनाएं बनाई गई थीं जो मोरारजी के समय में पूरी हो गईं। उससे लोगों को बहुत अच्छी तरह से लाभ मिला, उसका अच्छी तरह से उपयोग हो गया और कम खर्च में हो गया। नहीं तो योजना बनती है, योजना के लिए पांच कोटि रकम का एस्टीमेट बनता है और टोकन ग्रांड पांच लाख रुपये की होती है। इस तरह दस साल में भी वह योजना पूरी नहीं बनती है और उसका एस्टीमेट बढ़कर पांच कोटि से 50 कोटि का हो जाता है, इसलिए नियोजन विभाग को इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। राजकीय विभाग के दबाव में और खासदार के दबाव में आकर किसी योजना को नहीं लेना चाहिए। योजना कैसे जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, इसका ख्याल रखना चाहिए।

मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि आर्थिक वर्ष मार्च तक है, महाराष्ट्र में मैं जिला परिषद से देखता हूं, हम लोग जिला परिषद से विधान सभा में और विधान सभा से यहां तक आपके आशीर्वाद से पहुंचे है। हम देखते हैं कि 29 मार्च को पैसा

आता है और 30 मार्च को खर्च हो जाता है। यह कैसे होता है, यह कैसी योजना है? मैंने कैलासवासी, स्वर्गवासी श्री यशवन्त राव चव्हाण से कहा था, जब वे योजना विभाग के प्रमुख थे। उस वक्त मैंने सुझाव दिया था कि आर्थिक वर्ष 30 जून का करना चाहिए। वर्ष 30 जून तक करने से ठीक ढंग से काम चलेगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र की अन्य मांग केंद्र सरकार से है, मैंने बहुत मांगें की हैं। दो रास्ते हैं, एक मनमाड मालेगांव नरणाना धूलिया की केंद्र सरकार के पास मांग की है और दूसरी मांग पीपलगांव वणी तक रास्ते की है, उसके बारे में मेरी मांग है। नई रेलवे लाइन महाराष्ट्र में बननी चाहिए। यहां हमारे जानकार संसद सदस्य पुगलिया साहब हैं। महाराष्ट्र के लिए नए साल में कोई नई रेलवे लाइन नहीं है, मेरी विनती है कि महाराष्ट्र सरकार ने जिन रेलवे लाइन के बारे में सुझाव दिए हैं, उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। पानी के बारे में, बांध के बारे में 65 योजनाएं महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के पास भेजी हैं, लेकिन एक की भी मंजूरी नहीं मिली है। यह मंजूरी मिलनी जरूरी है और साथ–साथ नियोजन विभाग के बारे में मंत्री महोदय खासकर सोचकर निर्णय लें। किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए और योजना अर्थसिद्ध और नियोजनबद्ध होने के लिए और ज्यादा से ज्यादा पैसा देने का कष्ट करें, यही मेरी विनती है।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : महोदय, श्री रामानन्द सिंह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प लाए हैं जिसे सभी पक्षों का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। मैं भी विभिन्न सदस्यों के साथ ही संकल्प में दिए गए सुझावों से सहमत हूं।

महोदय, अन्य सदस्यों ने और उन्होंने तीन मुद्दे उठाए हैं। पहला परियोजनाओं का कार्यान्वयन शीघ्रातिशीघ्र करने के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम होना चाहिए। दूसरा, इस उद्देश्य के लिए निधि उपलब्ध कराई जानी चाहिए और तीसरा, जब तक इन परियोजनाओं के लिए योजनाओं में निधि नहीं उपलब्ध होती तब तक नई योजना की शुरूआत नहीं करनी चाहिए।

महोदय, अधिकांश बातें कुछ विशेष परियोजनाओं के बारे में कही गई हैं। मैं संबंधित रिकार्ड की सावधानीपूर्वक जांच करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि इन मुद्दों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया जा सके।

मैं, सदस्यों के विचारार्थ तीन चार तथ्यात्मक मुद्दे रखूंगा। पहला, हमारा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग 461 परियोजनाओं पर निगरानी कर रहा है। प्रत्येक परियोजना के क्रियान्वयन स्थिति की त्रैमासिक समीक्षा तैयार की जाती है।

प्रत्येक परियोजना का लक्ष्य निर्धारित करके एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाती है और इन लक्ष्यों की कहां तक प्राप्ति हुई है इस पर न केवल सरकार द्वारा तीन चार स्तरों पर विचार किया जाता है, अपितु इसे संसद के ग्रंथालय में भी रखा जाता है। मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इसे ग्रंथालय में देखने के लिए कुछ समय दें। यह जानकारी की खान है। इसमें यह पता चलता है कि कार्य में रुकावट कहां है। हो सकता है सदस्यों की इन परियोजनाओं को त्वरित पूरा कराने की इच्छा होने के कारण वे राज्य सरकारों और संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों पर इस संबंध में दबाव डालें जैसा कि उस परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन पर श्री साहू ने अभी कहा है। यह मेरा पहला सुझाव है।

सर्वेक्षण से इस बात का पता चलता है कि परियोजना कार्यान्वयन में निधि बाधक नहीं है। हम पता लगाते हैं कि कौन सी परियोजना के कार्यान्वयन में कौन सा घटक बाधक है। इससे यह पता चला है कि इन 461 परियोजनाओं में से केवल 48 परियोजनाएं निधि की कमी के कारण पूरी नहीं हो पा रही हैं। और इन 48 परियोजनाओं में से 41 परियोजनाएं रेलवे की हैं। श्रीमती श्यामा सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हमें अपने उत्तरदायित्वों का अहसास होना चाहिए। प्रतिवर्ष जब रेल बजट प्रस्तुत किया जाता है तो इस पर होने वाली चर्चा में आप पाएंगे कि प्रत्येक सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में रेल लाइनें बिछाने की मांग करता है। जैसा कि डीएमके सदस्य ने ठीक कहा है कि बाद में मंत्री महोदय इसके लिए सहमत हो जाते हैं और इस संबंध में सांकेतिक प्रावधान किया जाता है। श्री गिरधारी लाल भार्गव ने इस पर सटीक कहा है : "वह ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं होता। कभी एक लाख रुपया दे देते हैं, तो कभी दस लाख रुपया दे देते हैं।" हम मंत्रालय की योजनाओं में अवास्तविक योजनाओं को शामिल कराने का दबाव डालने के लिए उत्तरदायी हैं।

मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि 461 परियोजनाओं में से 85 परियोजनाओं के प्रारंभ होने की तिथि ही नहीं है। इन

[श्री अरूण शौरी]

85 परियोजनाओं में से 61 परियोजनाएं केवल रेल लाइनों की हैं क्योंकि सदस्य कई सालों से एक के बाद एक आने वाले रेल मंत्रियों से अपने क्षेत्र की रेल लाइनों को शामिल करने का दबाव डालते हैं। मंत्री उसे शामिल करके इसके लिए एक लाख की निधि दे देते हैं। वह जानते हैं कि इस परियोजना की शुरूआत नहीं होगी। इस कारक पर हमें ध्यान देना चाहिए ऐसे मामलों में निधि की कमी बाधक नहीं है।

दूसरा मुद्दा यह है कि पिछले कई सालों से सरकार ऐसी चालू परियोजनाओं को, जो लंबे समय से लंबित पड़ी हैं, पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि दे रही है। निधि आबंटन करते समय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों संबंधी समिति इस पर प्रमुखता से विचार करती है। सामान्यतः तरीका यह है कि "यदि कोई परियोजना अधूरी है तथा इसे और निधि की आवश्यकता है तो नई परियोजनाओं को मंजूर करने के बजाय इस परियोजना को अतिरिक्त धनराशि दी जानी चाहिए।"

श्री रामानन्द सिंह, श्री स्वाइं और अन्य सदस्यों ने अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर गहरी चिंता जताई है। इसी विशेष कारण से 1996-97 में, सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रारंभ किया। यह उन्हीं परियोजनाओं के लिए था जो लंबे समय से अधूरी पड़ी हैं और जिनके पूरा होने में बस थोड़ा सा काम बचा है। इस वर्ष बजट में 1,712 करोड़ रुपये परियोजनाओं के केवल अंतिम चरण के कार्य को पूरा करने के लिए स्वीकृत किए गए हैं। 1996-97 से 5,500 करोड़ रुपये इसी कार्य पर खर्च किए जा रहे हैं। इन अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने से 7,86,000 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है इसी कार्य का सुझाव माननीय सदस्यों ने दिया है।

जैसा कि आप जानते हैं कि आपके द्वारा स्वीकृत बजट में, विद्युत संयंत्रों के लिए भी इसी प्रकार का विद्युत विकास कार्यक्रम बनाया गया है जिसके लिए इस वर्ष के बजट में 1,500 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। जैसी कि वित्त मंत्री ने घोषणा की तब तक पांच राज्य सरकारों के साथ इस बात के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके थे कि केंद्र सरकार उन्हें इसी शर्त पर धन देगी कि वे चालू परियोजनाओं को पूरा करें और अपने राज्यों में कोई नई विद्युत परियोजना आरंभ न करें। इसके बारे में मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश का उल्लेख किया गया है।

महोदय, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 1996-97 से धन दिया जा रहा है उस राज्य को केवल चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 260 करोड़ रुपये की निधि दी गई है।

महोदय, तीसरा मुद्दा यह है कि परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए अन्य अनेक उपाय किए गए हैं। आज सदस्यों द्वारा दिए गए मूल्यवान सुझावों की सरकार को आशा थी। मैं इसके विस्तार में जाए बगैर इसका सिर्फ उल्लेख ही करूंगा क्योंकि हम चर्चा की समय सीमा पहले ही पार कर चुके हैं।

महोदय, हमने देखा है कि परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब का सबसे बड़ा कारण भूमि अधिग्रहण में लगने वाला समय है। इस बात का यहां उल्लेख किया जा रहा था कि 23 एकड़ भूमि का अधिग्रहण नहीं हो पाया है और इसके परिणामस्वरूप वह परियोजना का क्या हुआ। इसलिए, सरकार अब राज्यों से यह कह रही है कि इससे पहले कि आपको बहुत सारी निधि दी जाए आप भूमि का अधिग्रहण करें, आप मूलभूत सुविधाओं जैसे जल और विद्युत का प्रबंध करें और उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की समस्याओं पर ध्यान दें। जब सैद्धांतिक रूप में परियोजना स्वीकृत हो जाए तब आप यह कार्य आरंभ करें।

महोदय, दूसरा मुद्दा यह है कि हम यह देखते हैं कि परियोजना पूरी करने के लिए जिन अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है उनके तबादले होते रहते हैं। श्री के. पी. सिंह देव इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि मंत्री बदलते रहते हैं इसी प्रकार अधिकारी भी बदलते रहते हैं। इस कारण से सरकार एक परियोजना विशेष के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति पर जोर दे रही है जिसे परियोजना पूरी होने तक स्थानांतरित नहीं किया जाए।

महोदय, श्री स्वाइं ने यह उल्लेख किया है कि अंतर-मंत्रालय समिति गठित की जाए ताकि जब भी कोई कठिनाई आए उसका तुरंत निदान किया जा सके। इसी उद्देश्य के लिए प्रत्येक मंत्रालय में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है ताकि जब भी कठिनाई आए यह समिति-इसमें अन्य मंत्रालयों के, राज्यों के तथा परियोजना अधिकारियों के प्रतिनिधि है-फाइलों और ज्ञापनों को आपस में इधर-उधर भेजे बिना ही अपना निर्णय ले सकें।

महोदय, मैंने इन 461 मुख्य परियोजनाओं की समीक्षा करने के संबंध में उल्लेख किया था। यह समीक्षा मंत्रिमंडल सचिव द्वारा की जाती है। हम इसे पर विस्तृत कागजात तैयार करते हैं, मंत्रिमंडल सचिव और सचिवों की समिति तथा प्रधान मंत्री कार्यालय भी इसकी समीक्षा करता है ताकि यदि कोई

समस्या आ रही हो तो मुख्य मंत्री और अन्यों पर उच्च स्तर से हस्तक्षेप किया जा सके और सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

महोदय, श्री के. पी सिंह देव, श्री अनादि साहू और अन्य कई सदस्यों ने अधिकारियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया है।

महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

महोदय, किसी भी अधिकारी को लागत या समय वृद्धि का जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। इस उद्देश्य के लिए परियोजनाओं को चलाने वाले 22 मंत्रालयों में प्रत्येक के लिए एक स्थाई समिति का गठन किया गया है ताकि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं की लागत एवं समय में वृद्धि के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जा सके। अब नियम यह है कि यदि आप आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के पास लागत या परिव्यय में बढ़ोत्तरी के लिए आते हैं तो आपको स्थाई समिति की रिपोर्ट अवश्य संलग्न करनी पड़ेगी जिसमें बढ़ोत्तरी के जिम्मेदार अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई हो और यह भी स्पष्ट किया गया हो कि उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

महोदय, सच तो यह है कि दुर्भाग्यवश–मैंने स्वयं स्थाई समिति की रिपार्टें देखी हैं–इनमें किसी एक अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है और इसके लिए कुछ सप्ताह पहले मंत्रिमंडलीय बैठकों में यह निर्णय लिया गया कि स्थाई समिति की रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्यवाही के इस बिंदु पर कैबिनेट सचिव ध्यान देगा।

महोदय, केवल एक मुद्दे पर और बोलकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, चर्चा के लिए नियत समय अब समाप्त हो गया है और यहां तक कि बढ़ाया गया समय भी समाप्त हो चुका है। सायं 6.00 बजे सभा को आधे घंटे की चर्चा प्रारंभ करनी है।

श्री अरूण शौरी : महोदय, केवल दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके बाद अभी संकल्प के प्रस्तुतकर्ता भी बोलेंगे। इसलिए आप अगली बार अपनी बात जारी रखिएगा।

अब, समय निर्धारित किया जाना है। इस संकल्प पर कम से कम आधा घंटा और लग जाएगा। अब समय बढ़ाना होगा और तब अगली बार इसे जारी रखा जा सकता है। क्या सभा इस सकल्प के लिए आधे घंटे का समय बढ़ाना चाहती है?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संकल्प के लिए निर्धारित समय, आधा घंटा बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : महोदय, यह संकल्प छः महीने बाद सदन में विचार के लिए प्रस्तुत हुआ है। पांच मिनट में मंत्री जी बात खत्म कर देंगे और दूसरा संकल्प भी विचार के लिए ले लिया जाएगा। मैं मंत्री जी से एक–दो प्रश्न पूछ कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको खुशी होनी चाहिए कि आपके रिजोल्युशन पर अगली बार मंत्री जी जवाब पूरा करेंगे और आपको बोलने के लिए चांस मिलेगा।

सायं 6.01 बजे

आधे घंटे की चर्चा

पिछड़े क्षेत्रों की पहचान

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा आधे घंटे की चर्चा प्रारंभ करेगी। श्री अधीर चौधरी।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, संबंधित सदस्यों की मांगों पर माननीय मंत्री महोदय, द्वारा आधे घंटे की चर्चा की स्वीकृति देने के लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। प्रश्न देश के पिछड़े क्षेत्रों से संबंधित है। प्रश्न में ही असमान विकास व क्षेत्रीय असमानताओं को उठाया गया है। यह सोचना बहुत आसान है कि जहां तक वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय शासन आदि का संबंध है, पिछड़े क्षेत्रों की पहचान के व्यापक प्रभाव होंगे। यह बात हमारे संवैधानिक प्रावधानों और राज्यों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में उठायी गई है।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया कि अब तक 13 समितियां गठित की गई हैं, इनमें सबसे अद्यतन शर्मा समिति है जिसका गठन देश के पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया गया और यह कि सभी राज्यों के लिए एक ही मापदंड नहीं अपनाया जा सकता। इस प्रकार इस वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है कि पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने तथा

[श्री अधीर चौधरी]

उन्हें धनराशि आबंटित करने का कार्य काफी मुश्किल तथा पेचीदा है। हमें ज्ञात है कि विकेंद्रीकृत राजनैतिक प्रजातंत्र और राजकोषीय संघवाद हमारे संविधान की दो प्रमुख विशिष्टताएं तथा आधार हैं। संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन ने प्रजातंत्र के तीसरे स्तर को जन्म दिया है जिसमें वित्तीय शक्तियां और जिम्मेदारियां निचले स्तर को सौंपी गई हैं।

महोदय, वर्ष 1969 में पहली बार फार्मूला पर आधारित केंद्रीय सहायता योजना लागू की गई थी। इस फार्मूला को गाडगिल फार्मूला के नाम से जानते हैं। फिर 1991 में इसे संशोधित किया गया और इसे एन. डी. सी. की स्वीकृति मिली। अब यह गाडगिल–मुखर्जी फार्मूला के नाम से जाना जाने लगा।

गाडगिल–मुखर्जी फार्मूला के अनुसार विशेष श्रेणी के राज्यों की संख्या 10 है और उनको आबंटित की जाने वाली धनराशि 30 प्रतिशत होगी। शेष 70 प्रतिशत धनराशि को शत–प्रतिशत वितरित धनराशि समझा जाएगा। निम्नलिखित मापदंड के आधार पर गैर–विशेष श्रेणी के राज्यों की संख्या 18 है; जनसंख्या–60 प्रतिशत; प्रति व्यक्ति आय–25 प्रतिशत; 20 प्रतिशत उन राज्यों के लिए जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है; 5 प्रतिशत उन राज्यों के लिए जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर अथवा उससे अधिक है; राज्यों का कार्य निष्पादन–7.5 प्रतिशत; कर आदि–2.5 प्रतिशत; राजकोषीय प्रबंध–2 प्रतिशत; जनसंख्या नियंत्रण–एक प्रतिशत; महिला निरक्षरता उन्मूलन–एक प्रतिशत; बाहर से वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं को एक बार में पूरा किया जाना–0.5 प्रतिशत; भूमि सुधार में सफलता–0.5 प्रतिशत; और विशेष समस्याएं–7.5 प्रतिशत।

महोदय, मैं नहीं जानता कि यह सरकार इस फार्मूला को रद्द करने का विचार कर रही है या नहीं। इस साल की जनगणना की रिपोर्ट आ गई है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन भी दे दिया है। पहले के वित्त आयोगों की तरह ग्यारहवें वित्त आयोग ने भी यही जताया है कि उनकी रिपोर्टों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है।

महोदय, सभी वित्त आयोगों के प्रतिवेदन लगातार मात्र औपचारिकता बनकर रह गए हैं जबकि केंद्र और राज्य दोनों ही राजकोषीय समस्याओं में निरंतर फंसते चले जा रहे हैं। हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते।

महोदय, अनेकों राज्य सरकारें ग्यारहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर काफी नाराज हैं। उनकी धारणा है कि उनके बेहतर प्रदर्शन के चलते केंद्र द्वारा किए जा रहे संवितरण में उनके हक से उन्हें वंचित किया जा रहा है।

मैं बताना चाहता हूं कि अधिक आय वाले राज्य जैसे गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब तथा गोवा को दसवें वित्त आयोग में 13.14 प्रतिशत वित्तीय संवितरण और ग्यारहवें वित्त आयोग में 9.7 प्रतिशत संवितरण से हानि हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी, यह आधे घंटे की चर्चा है। आपको संक्षिप्त वक्तव्य देना है। बस।

(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी : यहां तक कि आंध्र प्रदेश, केरल तथा तमिलनाडु जैसे मध्यम आय वाले राज्यों में वित्तीय संवितरण में उनके हिस्से की प्रतिशतता में कमी आई है। सिर्फ महाराष्ट्र के संबंध में पांच वर्ष की अवधि के दौरान दसवें वित्त आयोग से लेकर ग्यारहवें वित्त आयोग तक वित्तीय संवितरण में 6920 करोड़ रुपये की कमी आई है। इसलिए प्रश्न यह उठता है कि आखिर विकासशील राज्य अक्षम राज्यों के अपव्यय का खामियाजा क्यों भुगतें। इसलिए सरकार को राज्यों का पुनर्गठन करने से पहले संबंधित राज्यों की वित्तीय क्षमता और राजकोषीय स्थिति पर विचार करना चाहिए। राज्यों के पुनर्गठन मात्र को सभी समस्याओं का हल नहीं समझा जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है श्री चौधरी, यह आधे घंटे की चर्चा है।

(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मैं तो अभी इसे शुरू कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आधे घंटे की चर्चा का अर्थ है कि इसे आधे घंटे के अंदर समाप्त किया जाए।

(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी : महोदय, यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है। मेरे राज्य में बहुत लंबे समय से आर्सेनिक संदूषण की समस्या बनी हुई है। मेरे राज्य में 9 जिले इससे अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। उच्च न्यायालय से प्राप्त निर्देश के अनुसरण में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अध्ययन किया जिससे समस्या की गंभीरता का पता चला। मानव शरीर में प्रति लीटर मात्र 0.05 मि.ग्रा. आर्सेनिक ग्रहण करने की क्षमता है। मेरे राज्य के अनेक हिस्सों में इसका स्तर ऊपर चला गया है और अब यह बढ़कर 0.80 मि.ग्रा. प्रति लीटर हो गया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, कृपया अब समाप्त करें। डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय।

(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी : महोदय, यह एक अत्यंत गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*। मेरे राज्य में इससे कई लोगों की मृत्यु हुई है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : चार अन्य सदस्य भी अभी बोलने वाले हैं। उन्हें भी प्रश्न पूछने होंगे। कृपया समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी : मेरे राज्य में इससे कई लोगों की मृत्यु हुई है और जिस जिले का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उसमें आर्सेनिक संदूषण की घटनाएं सबसे अधिक हुई हैं। यहां तक कि कोलकाता में भी इस जहर का दुष्प्रभाव पड़ा है। इसके कारण मौतें पूरे राज्य में हो रही हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय संकट के रूप में माना जाए क्योंकि आर्सेनिक संदूषण पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह अन्य क्षेत्रों में भी फैल रहा है।

आप इस तथ्य से भी अवगत होंगे कि गंगा और पद्मा नदियों के कटाव ने हमारे राज्य में तबाही मचा रखी है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब, डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय।

(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी : मेरे राज्य के फाजिलका गांव में गंगा और पद्मा नदियों के बीच दूरी घटकर मात्र 1.2 कि.मी. रह गई है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने मंत्री महोदय से इसे राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में लेने का अनुरोध किया है।

(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी : इससे फरक्का बांध पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब हम पाएंगे कि फरक्का बांध मरुभूमि पर खड़ा है। क्या यह राष्ट्रीय विषय नहीं है? इसलिए गंगा और पद्मा नदियों के कटाव, बाढ़ और संखिया दूषण आदि मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाए।

महोदय, आपके पास जनगणना रिपोर्ट, ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा मध्यावधि मूल्यांकन रिपोर्ट है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप बदले हुए सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में स्थिति की समीक्षा करेंगे और पिछड़े इलाकों की पहचान करने के लिए नए मानदंड निर्धारित करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात पहले ही कह चुके हैं। अब अपने मामले को खराब मत कीजिए? आप उनसे पहले ही कह चुके हैं कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा समझा जाए। अब उनको उत्तर देना है। आपने पहले ही 15 मिनट ले लिए हैं।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

महोदय, मैं इनसे बहुत कुछ अपेक्षा करता हूं, क्योंकि वह बहुत ही अच्छे और सौम्य मंत्री हैं। हमें इन पर गर्व है, और हम इनसे बहुत सी बातों की अपेक्षा करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी चार सदस्य और शेष हैं जो प्रश्न पूछेंगे। यह केवल आधे घंटे की चर्चा है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप केवल प्रश्न पूछें।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मुझे आधे घंटे की चर्चा में बोलने का पहली बार अवसर मिला है इसलिए इन बारीकियों का मुझे पता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इन सब बातों का पता होना चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करने के बारे में इस प्रश्न से कुछ बातें अपने आप उत्पन्न हुई हैं। हमने पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण के बारे में कुछ मापदंड तय किए हैं। वहां शिक्षा का क्या आधार है, प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है, आवागमन के साधन सुविधाजनक हैं या नहीं, रहन-सहन किस प्रकार का है, शैक्षिक, सामाजिक परिस्थितियां किस प्रकार की हैं? इन आधारों को ध्यान में रखते हुए पिछड़े और संपन्न वर्गों का निर्धारण किया जाता है। यहां अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों की बात चली है। मैं दो-तीन बातें स्पष्ट जानना चाहूंगा। क्या किसी राज्य को उसके क्षेत्र विशेष के पिछड़ा होने से उसे समग्र रूप में पिछड़ा अथवा आगे बढ़ा या उन्नत राज्य के रूप से घोषित करेंगे? मध्य प्रदेश या अंडमान निकोबार जैसे राज्य को ले लें। वहां एक तरफ अच्छी बस्तियां हैं तो दूसरी तरफ सुदूर आदिवासी इलाके हैं। वहां आज भी जंगली जीवन है, पशुवत जीवन है। उनका आज भी वही जीवन है जो आदिकाल में था। यदि मध्य प्रदेश को लें तो देखने में आएगा कि जहां एक तरफ नगरीय जीवन है और सारी सुविधाएं हैं लेकिन दूसरी तरफ झाबुआ और बस्तर इलाकों में आवागमन

[श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

के साधन और दूसरी सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे सुदूरवर्ती इलाकों में जो अत्यंत पिछड़े हैं या जो केवल पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां क्या जातीय आधार पर, सामाजिक आधार पर, शैक्षिक आधार पर, आवासीय आधार पर, पर्यावरणीय आधार पर या आवागमन की सुविधाओं के आधार पर उनकी पहचान की जाएगी?

मैं यहां उड़ीसा का जिक्र करना चाहता हूं। क्या कालाहांडी जैसे सुदूरवर्ती इलाकों को भी आप उस सूची में लेंगे जो अत्यंत पिछड़े हैं या जिनको अत्यंत पिछड़ा कहा जा सकता है? इस दृष्टि से देश के कुछ भागों को फिर से परिभाषित करना होगा। पिछड़े, अत्यंत पिछड़े या उन्नत या समुन्नत क्षेत्रों की पहचान करनी होगी। आप इसे देखते हुए मापदंडों को फिर से निर्धारित करने की कृपा करें। क्या आप इस बारे में विचार कर रहे हैं?

श्री अनन्त नायक (क्योंझर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में जिन 100 जिलों का जिक्र किया है, उसमें उड़ीसा राज्य के ऐसे कितने जिले हैं? उड़ीसा में क्योंझर जिले में खनिज भरा पड़ा है लेकिन पिछले 50 साल से धीरे-धीरे पिछड़ा होता जा रहा है। मेरा कहना है कि स्टेट और सैंट्रल गवर्नमेंट के बीच में संबंध अच्छा रहना चाहिए अन्यथा विशेष एरियाज के लिए काम नहीं हो पाता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे जिलों के लिए सरकार कोई योजना बनाने का प्रयास करेगी?

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किन आधारों या मानदंडों को निर्धारित करके देश के पिछड़े क्षेत्रों की पहचान की गई है। वह पिछड़ापन चाहे राजनैतिक, प्राकृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक या औद्योगिक दृष्टि से उनकी पहचान कर ली गई हो, क्या उन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने कोई विशेष योजना बनाई थी, यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले? यदि कोई योजना नहीं बनाई गई थी तो उसके क्या कारण रहे? उन पिछड़े क्षेत्रों की पहचान का क्या उद्देश्य था?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन आपका नाम सूची में नहीं है।

श्री नरेश पुगलिया : लेकिन मैंने तो नोटिस दिया है। महोदय मैं केवल दो मिनट लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे इस संबंध में नियम बताइए। मैं नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। यह आधे घंटे की चर्चा है। इसमें कितने भी सदस्य नोटिस दे सकते हैं लेकिन बैलट में से केवल चार ही सदस्यों की सूची बनती है। दुर्भाग्यवश सूची में आपका नाम नहीं है। मैं आपको बोलने का अवसर देना चाहता हूं लेकिन मैं नियम का उल्लंघन भी नहीं करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह आधे घंटे की चर्चा 6 बजे से 6.30 बजे तक है।

(व्यवधान)

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : महोदय, मैं शीघ्र ही अपनी बात खत्म कर दूंगा और मैं केवल विशेष रूप से उठाए गए मुद्दों पर ही बोलूंगा। पहला मुद्दा यह है कि संखिया जहर जैसी कुछ खास समस्याएं उठाई गई हैं। इस मुद्दे पर जैसा कि मैंने प्रश्न काल के दौरान भी सदन में कहा था कि मैं पश्चिम बंगाल सरकार को बार-बार लिखता रहा हूं। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमें दो साल से भी अधिक के समय से कोई पावती प्राप्त नहीं हुई है। इस मामले में उनसे अनुरोध करने के बजाय मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इन जिलों में आर्सेनिक जहर के क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें जानकारी दी जाए और मैं इसकी जानकारी सदस्यों को दूंगा। श्री दासमुंशी जी ने इस मामले में काफी मेहनत की है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस मामले पर नए मुख्यमंत्री से बात करूंगा और इस जांच को जारी रखूंगा। हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब मुख्यमंत्री और उनका दल योजना आयोग के साथ वार्षिक योजना के बारे में विचार विमर्श करेंगे तो हम इसके बारे में विशेष रूप से छानबीन करेंगे।

दूसरा प्रश्न यह था कि पूरे राज्य को पिछड़ा घोषित किया गया है या नहीं। वास्तव में यह एक गलत धारणा है। योजना आयोग क्षेत्रों के पिछड़े अथवा सबसे अधिक पिछड़े होने के आधार पर निर्णय नहीं लेता क्योंकि इससे प्रत्येक क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के प्रयासों की एक दूसरी दौड़ शुरू

हो जाएगी। कतिपय राज्यों को कुछ मानदंडों के आधार पर विशिष्ट श्रेणी के राज्यों का दर्जा दिया गया है। सीमावर्ती राज्य, पर्वतीय राज्य, अत्यधिक जनजातीय जनसंख्या वाले राज्य, और प्राकृतिक संसाधन विहीन राज्य इस श्रेणी में आते हैं। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ऐसे ही राज्य हैं।

उत्तरांचल को विशेष राज्य का दर्जा देने का भी प्रस्ताव है। लेकिन यह केवल राष्ट्रीय विकास परिषद जिसमें राज्यों के मुख्य मंत्री उपस्थित होते हैं, द्वारा ही किया जा सकता है यह प्रस्ताव उनके समक्ष रखा जाएगा और वे ही इस पर निर्णय ले सकते हैं। जैसा कि विशेष क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है कि इनकी ऐसी कोई विशेष पहचान नहीं है जिससे कि पता लगे कि यह क्षेत्र पिछड़े अथवा अत्यधिक पिछड़े हैं। किसी विशेष स्कीम को तैयार करते समय उस स्कीम विशेष से संबंधित संगत मानदंडों के आधार पर क्षेत्रों की पहचान की जाती है। किसी क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के लिए किसी योजना का उदाहरण लें। यहां हम देखते हैं कि ऐसा वह कौन सा क्षेत्र है जहां उस प्रकार की अवसंरचना का अभाव है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। तब आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री अरूण शौरी : उदाहरण के लिए सीमा क्षेत्र विकास योजना के लिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे ब्लाकों को 240 करोड़ रुपये दिए गए थे। अवसंरचना विकास और अन्य सुविधाओं के लिए उन्हें 100 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। जनजातीय योजनाओं के मामले में आप पाएंगे कि 194 योजनाएं शुरू की गई हैं। ये परियोजनाएं केवल ब्लाकों में और उन्हीं राज्यों में आरंभ की गई हैं जहां 50 प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या जनजातीय की है। संशोधित क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण भी अपनाया गया है। इसके अंतर्गत 259 स्कीमें शुरू की गई हैं। इन स्कीमों को उन ग्राम समूह में लागू किया गया है जिनकी जनसंख्या 10 हजार से अधिक है तथा 50 प्रतिशत या इससे अधिक की संख्या जनजातियों की है। पर्वतीय क्षेत्र विकास योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधान मंत्री ग्रामोद्योग योजना, मरुभूमि विकास कार्यक्रम तथा सूखा, प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम आदि के लिए भी इसी प्रकार के मानदंड अपनाए गए हैं। जिन ब्लाकों और जिलों को इन स्कीमों के अंतर्गत निधियों का आबंटन किया जाना है उनकी पहचान के लिए इनमें से प्रत्येक मानदंडों को विशेष रूप से अपनाया जाता है। इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त रूप से आबंटन किया गया है। एक स्कीम के लिए 280 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। एक अन्य स्कीम के लिए 443 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। एक समूह विशेष, जो लक्ष्य समूह भी है, तथा उन विशेष चीजों, जिनका उस क्षेत्र विशेष में विकास किया जाना है, के संदर्भ में पिछड़ेपन की पहचान की जाती है।

उड़ीसा के बारे में एक विशेष प्रश्न पूछा गया है क्या ऐसे जिलों की पहचान की गई है या नहीं। मेरे विचार से दसवीं योजना में उड़ीसा जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। इ. ए. एस. शर्मा समिति की रिपोर्ट में उड़ीसा के चार ऐसे जिलों की पहचान की गई है जो देश के सर्वाधिक 100 पिछड़े जिलों में से हैं। उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। प्रधान मंत्री के. बी. के. जिलों के लिए चलाई जा रही स्कीमों की मानीटरिंग व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं। इस समूह में पहले तीन जिले हुआ करते थे। अब इस समूह में आठ जिले हैं। यह ज्वलंत उदाहरण है। हम लोग हमेशा कालाहांडी के बारे में सोचते हैं क्योंकि वहां अकाल की स्थिति रहती है। इसलिए इसकी खबरें समाचार पत्रों में भी आती हैं। वास्तव में यह चावल का निर्यात करने वाला क्षेत्र है। कई मामलों में यह सम्पन्न क्षेत्र है। तथापि भूमि संरचना तथा अन्य समस्याओं के कारण इस क्षेत्र में गरीबी बनी है।

अब मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं और उसके बाद समय की कमी के कारण अपनी बात समाप्त कर दूंगा। वास्तविकता यह है कि धन अथवा परिव्यय की कोई कमी नहीं है...*(व्यवधान)* मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। अगर आप इस तरह से व्यवधान करते रहेंगे तो मैं आगे अपनी बात कैसे कहूंगा? यदि मैं आपको कोई गलत सूचना दे रहा हूं तो आप उसे बताएं और मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाइए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नरेश पुगलिया, जब मंत्री महोदय आपकी बात से सहमत नहीं हैं तो मैं आपके कथन को कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दे सकता। यह प्रक्रिया सुस्थापित है। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

श्री अरूण शौरी : अकेले इस वर्ष में इस तरह की योजनाओं के लिए 1 लाख 26 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर, जो उन राज्यों में विशेषतः पिछड़ापन दूर करने के लिए क्रियान्वित की जाएंगी, 22 हजार करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

इसलिए धन की कमी नहीं है, जैसा कि प्रश्न काल में और अभी भी कहा जा रहा है। इसी प्रकार गरीबी उन्मूलन

[श्री अरूण शौरी]

के नाम पर प्रतिवर्ष 35000 करोड़ रुपये से भी अधिक का आबंटन और व्यय होता है, यदि हम निर्धनता संबंधी सभी सरकारी योजनाओं को बंद कर दें और उस पैसे को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मानीआर्डर से भेजें तो प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 7000–8000 रुपये मिलेंगे। इनसे वे प्रतिदिन तीन किलो चावल खरीद पाएंगे और वे स्वतः गरीबी रेखा के ऊपर आ जाएंगे। जैसा कि पहले हुई बहस में भी इस बात पर बल दिया गया था, मुख्य बात स्कीमों का क्रियान्वयन है न कि बहुत अधिक स्कीमें बनाना। हम दसवीं योजना में भी इसी बात पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज 256 ऐसी स्कीमें हैं जिन्हें केंद्र ने प्रायोजित किया है। अकेले कानपुर जिले के जिलाधीश से हमने जब यह जानने के लिए संपर्क किया कि वहां कितनी स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं तो उन्हें उनकी गणना करने में समय लगा। पता चला कि वहां 147 स्कीमें हैं। उन्हें 147 स्कीमों को क्रियान्वित करने के लिए धन मिल रहा था। इसमें 200वें अनुदान शामिल नहीं हैं जो कि संसद सदस्य किसी क्षेत्र के लिए देते हैं। अतः मेरी समझ में धन की कमी आड़े नहीं आ रही है। स्कीमों की संख्या की भी कमी नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री चौधरी ने अभी–अभी गाडगिल फार्मूला की बात की। उस फार्मूला का प्रमुख मापदंड गरीबी और पिछड़ापन है। आपको मालूम है कि वित्त आयोग में भी गरीबी वह प्रमुख विशेषता है जो कि धन के आबंटन का मुख्य आधार मानी जाती है। गाडगिल–मुखर्जी फार्मूला के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 25 प्रतिशत धन का बंटवारा किया जाता है। वित्त आयोग में 62.5 प्रतिशत धन का आबंटन इसी आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए देश की जनसंख्या की पांच प्रतिशत आबादी को आधार बनाते हैं। उन्हें निधि का 30 प्रतिशत दिया जाता है।

दूसरे, अन्य राज्यों को कम अनुपात में अनुदान दिया जाता है। विशेष श्रेणी के राज्यों को उनके परिव्यय का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है। यदि इसके बाद भी गरीबी खत्म नहीं होती और स्कीमें लागू नहीं हो पातीं तो हम इसके पीछे अन्य कारण तलाशते हैं। हमें इसी पर ध्यान देना है।

अतः अंततः मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि हमें मिलकर कार्य करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गरीबी हटाने के लिए खर्च किए जा रहे विशाल संसाधन का प्रभावशाली ढंग से वास्तविक उपयोग किया जाए।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : मुझे केवल एक प्रश्न पूछना है। इस स्कीम को लागू करने के लिए किसी क्षेत्र विशेष की पहचान के लिए कौन सा फार्मूला या मापदंड अपनाया जाता है? मेरा यही प्रश्न है।

श्री अरूण शौरी : वास्तव में, पूछे गए प्रश्न के उत्तर में जिस पर बहस चली है, अंत में एक सारणी संलग्न की गई थी जिसमें किसी स्कीम विशेष को लागू करने के लिए क्षेत्र विशेष की पहचान करने हेतु मानदंड दिए गए थे। मेरे पास वह सारणी है। यह उस प्रश्न का अनुलग्नक है जिसका उत्तर 25 तारीख को दिया गया था। लेकिन मैं पुनः प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक स्कीम और अपनाए जाने वाले मापदंड की सूचना देने के लिए इसे परिचालित करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों के लाभ के लिए आप ऐसा कर सकते हैं।

श्री अरूण शौरी : मैं ऐसा ही करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी ने एक प्रश्न किया है। समस्या की व्यापकता को दृष्टि में रखते हुए क्या आप इसे राष्ट्रीय समस्या मानने को तैयार हैं? उन्होंने यह प्रश्न किया है।

श्री अरूण शौरी : बिलकुल। मेरे कहने का मतलब है कि आज पिछड़ापन और गरीबी हटाना प्रमुख राष्ट्रीय समस्या है। विकास के लिए किए गए सारे प्रयासों में इस प्रमुख बात को दृष्टि में रखा गया है...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : वे वातानुकूलित कार्यालय में बैठे हुए हैं और पिछड़े क्षेत्रों के विकास की बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कौन बैठा है?

श्री नरेश पुगलिया : हमारे माननीय मंत्री जी...*(व्यवधान)*

श्री अरूण शौरी : क्या मेरा वातानुकूलित कार्यालय में बैठना कार्यवाही–वृत्तांत का हिस्सा है?...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया : मैं जनजातीय क्षेत्र का रहने वाला हूं। मेरा क्षेत्र पूर्णतः नक्सलवाद से प्रभावित है। नक्सलवाद की समस्या से ग्रस्त पांच राज्य हैं। गरीब जनजातीय लोग कहां जाएंगे? अन्य लोगों के लिए कितनी अधिक स्कीमें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी उसी जनजातीय क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां के आप।

श्री अधीर चौधरी : धन का अन्यत्र खर्च होना अभिशाप बन गया है। मंत्री जी, क्या समस्या से निपटने के लिए आप कोई तरीका बनाने जा रहे हैं? राज्य सरकारें धन को अन्यत्र खर्च कर रही हैं। लेकिन अंत में तो नुकसान आम आदमी को ही सहना पड़ता है। अतः आम लोग राज्य सरकार विशेषतः पश्चिम बंगाल की, धन की फिजूलखर्ची को क्यों वहन करे? इस विषय पर आपका क्या कहना है?

श्री अरूण शौरी : यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वह एजेन्सी है जो कि धन के अन्यत्र खर्च किए जाने पर निगरानी रखती है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ने पश्चिम बंगाल के बारे में एक अत्यधिक जानकारी देने वाली रिपोर्ट दी है। मैं इसमें उल्लिखित केवल दो बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में 95 प्रतिशत धनराशि पूंजीगत और योजनागत दोनों प्रकार का खर्चा, वर्तमान उद्देश्यों में ही खर्च किया जा रहा है। यह बात उस रिपोर्ट में कही कई है।

उपाध्यक्ष महोदय : परेशान न होइये। जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो उन्हें तो उत्तर देना ही है। इसलिए, मैंने आपको अनुमति नहीं दी। यदि आप कोई विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं तो एक अपवाद मामले के रूप में, आप मंत्री महोदय से पूछ सकते हैं।

श्री अरूण शौरी : जिस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की बात मैंने कही उसके दूसरे भाग में उद्यमों व अन्य क्षेत्रों से संबंधित बात कही गई है। वास्तव में, यह 1999 में पूरी कर ली गई थी लेकिन इसे अभी तक एसेम्बली में नहीं रखा है। अच्छी बात होगी कि यदि हम अपने साथियों से अनुरोध करें कि वे उस रिपोर्ट को एसेम्बली में पेश करने को कहें, फिर आपको धन को अन्यत्र खर्च करने संबंधी प्रश्न का जवाब मिल जाएगा।

श्री अधीर चौधरी : सरकार ने राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यही समस्या है।

(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी : सरकार ने राज्य सभा को आश्वासन दिया कि 45 बिलियन रुपये को व्यक्तिगत लेजर लेखा में अंतरित करने के मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी और वादा किया कि लोक लेखा समिति पश्चिम बंगाल की अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद धनराशि को वापस लिया जाएगा। उस आश्वासन का क्या हुआ, पश्चिम बंगाल के लोग यह जानना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने पहले ही सविस्तार उत्तर दे दिया है।

श्री अधीर चौधरी : इस रिपोर्ट का क्या हश्र हुआ? क्या धनराशि वापस ले ली गई है या नहीं? यह मामला राज्य सभा में भी उठाया गया है।

श्री अरूण शौरी : मैं इस विशेष बात की निश्चय ही जांच करूंगा और धन को अन्यत्र अंतरित करने के मामले का जवाब सदस्यों को दूंगा।

श्री नरेश पुगलिया : मैं मंत्री जी से 100 पिछड़े जिलों के बारे में जानना चाहता हूं। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उन 100 पिछड़े जिलों में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। यह 30 प्रतिशत से अधिक है। वन संरक्षण अधिनियम के कारण केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय एक भी परियोजना को मंजूरी नहीं दे पा रहा है। अतः मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़–ये छह राज्य नक्सलवाद की समस्या से ग्रस्त हैं। यह समस्या केवल कानून एवं व्यवस्था की नहीं बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक भी है। इसीलिए वे प्रधान मंत्री और योजना मंत्रालय से अनुरोध करते रहे हैं कि केंद्रीय योजना मंत्रालय द्वारा राज्यों को 50 प्रतिशत धनराशि दी जानी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने 838 करोड़ रुपये की मांग की है। राज्य भी उतना ही धन निवेश करने को तैयार है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय 50 प्रतिशत धनराशि नक्सलवाद से ग्रस्त राज्यों को देने के लिए छहों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेगा?

श्री अरूण शौरी : मुझे इस विवाद पर अफसोस है। पहले तो मैं उस समय केवल एक बात पूरी करना चाहता था। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा वातानुकूलित कार्यालय में ही नहीं बैठा रहता।

जैसा कि प्रतिष्ठित सदस्य को ज्ञात है, असल में यह मामला सीधे तौर पर गृह मंत्रालय से संबंधित है। वे नक्सलवाद की समस्या से ग्रस्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें करते रहे हैं और वे इसके लिए एक समन्वित योजना बनाना चाहते हैं जिसमें केवल कानून एवं व्यवस्था की बात ही नहीं बल्कि विकास योजना को भी सम्मिलित किया जाएगा।

वन अधिनियम में पहली बात यह है कि–यह अधिनियम इस सभा द्वारा पारित किया गया है–न्यायालय ने इसका निर्वचन किया है और कहा है कि यहां प्रवर्तित किया जाना चाहिए। महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है इससे अनेक क्षेत्रों में खनन

[श्री अरूण शौरी]

और विकास संबंधी कार्य हुआ है। मेरे जैसे लोग महसूस कर रहे हैं कि समता फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

माननीय सदस्य ने छत्तीसगढ़ सरकार का उल्लेख किया। जैसा कि आपको मालूम है, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया है और अभी यह अधिनियम अधिसूचित नहीं किया गया है। इन नियमों को छत्तीसगढ़ में अधिसूचित नहीं किया गया है फिर भी उन्होंने बालको के विनिवेश को लेकर समता फैसले का मुद्दा उठाया है जिसके पीछे कोई अन्य लक्ष्य नहीं बल्कि केवल मुद्दा उठाना है।

अब वे फैसले के विरुद्ध जनजातीय क्षेत्रों में पट्टा दे रहे हैं। वे उच्चतम न्यायालय में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, उस फैसले का जो भी अर्थ हो यह छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो सकता। अतः मेरा कहना है कि आप वन अधिनियम के बारे में जो भी सोचें, यह संसद का अधिनियम है। यदि कोई इतनी महत्वपूर्ण संस्था (पार्टी) कुछ करती है तो निश्चय ही आवश्यक संशोधनों पर विचार किया जाएगा।

दूसरे, जहां तक उन निर्णयों के प्रभाव का संबंध है, जो जनजातीय क्षेत्रों के विकास के संबंध में थे, उन समता फैसलों के साथ ऐसा होता है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने विरोध किया है और इस समय यह उच्चतम न्यायालय में है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने बालको विनिवेश से संबंधित इस मामले को उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया है। हम सभी आशा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले का पुनरीक्षण करेगा।

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : मैंने मध्य प्रदेश के बस्तर, झाबुआ, छत्तीसगढ़ इलाके और साथ ही अंडमान–निकोबार तथा उड़ीसा के बारे में भी कहा था, जो पचास वर्ष पहले भी पिछड़े हुए थे, जिनकी जानकारी ले ली गई थी। पचास वर्षों से योजनाओं पर लगातार खर्च करने के बाद भी वे इलाके अत्यंत पिछड़े हुए हैं। क्या आप उनकी समीक्षा करेंगे? ...*(व्यवधान)* देश के और भी पिछड़े प्रदेश हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पाण्डेय जी, आपने लक्षद्वीप भी विजिट किया था। वह भी पिछड़ा हुआ इलाका है। उसे भी इसमें शामिल क्यों नहीं करते?

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मैं लक्षद्वीप गया था, अंडमान भी गया था। पचास वर्षों बाद भी वहां की दशा वैसी ही है। आज भी वहां बिजली नहीं है।...*(व्यवधान)* आवागमन की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री अरूण शौरी : महोदय, इसके कारणों से सभी, विशेषकर आप, अच्छी तरह अवगत हैं क्योंकि अनेक वर्षों से आप लक्षद्वीप का बड़ी कुशलता से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से इस मामले पर योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन और अन्य सहयोगियों से बात करूंगा ताकि हम इस मामले पर कार्यवाही आरंभ कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

अब सभा सोमवार, 6 अगस्त, 2001 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.41 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 6 अगस्त, 2001/ 15 श्रावण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस० — 48/17/10/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।